अष्टम माला, खंड 16, अंक 33

शुक्रवार, 11 अप्रैल, 1986 / 21 चैत्र, 1908 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी संस्करण

पाँचवां सत्र

(आठवीं लोक सभा)

(खंड 16 में अंक 31 से 40 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : चार रुपये

[अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा]

विषय-सूची

अष्टम माला, खंड 16 — पांचवां सत्र, 1986/1908 (शक)

अंक 33 — शुक्रवार, 11 अप्रैल, 1986/21 चैत्र, 1908 (शक)

विषय			पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर			
* तारांकित प्रश्न संख्या : 659, 661 और 663 से 667	...	...	1-25
प्रश्नों के लिखित उत्तर	...	...	25-250
तारांकित प्रश्न संख्या : 660, 662 और 668 से 678	...	...	25-37
अतारांकित प्रश्न संख्या : 6273 से 6360, 6362 से 6414, 6416 से 6467, 6469 से 6472 और 6474 से 6508	...	...	37-50
सभा-पटल पर रखे गए पत्र	...	...	258-259
नियम 377 के अधीन मामले	...	...	259-262
(एक) देश में नकली दवाओं के विनिर्माण और बिक्री को रोकने की मांग			
श्रीमती कृष्णा शाही	...	...	259-260
(दो) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान उत्तर प्रदेश को धनराशि के आवंटन में वृद्धि करने की मांग			
श्री हाफिज मोहम्मद सिद्दीक	...	...	260
(तीन) केरल में पिछले 9 महीने से भी अधिक अवधि से बंद पड़ी मावूर स्थित ग्वालियर रेयन्स फैक्टरी के श्रमिकों की दयनीय स्थिति से उबारने की मांग			
श्री जी० एम० बनातवाला	...	...	260-261
(चार) सिक्किम से आने और वहां को जाने के लिए सुगम यातायात सुनिश्चित करने हेतु तीस्ता नदी पर एक स्थायी कंकरीट का पुल बनाने की मांग			
श्रीमती डी० के० भंडारी	...	...	261
(पांच) राजस्थान के बाड़मेर और जालौर जिलों में नर्मदा नदी से सिंचाई हेतु पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए राजस्थान को अतिरिक्त वित्तीय सहायता देने की मांग			
श्री वृद्धि चन्द्र जैन	...	...	261-262

*किसी नाम पर अंकित † चिन्ह इस बात का द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने पूछा था

(छः) वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के लागू होने से पूर्व जो आदिवासी परिवार वन भूमि पर रह रहे थे उनके हितों की रक्षा करने की आवश्यकता

श्री अरविन्द नेताम 262

अनुदानों की मांगें 1986-87 262-313

गृह मंत्रालय 262

श्री सुलतान सलाउद्दीन ओवेसी 263-266

श्री जी० जी० स्वैल 266-271

श्री सोमनाथ चटर्जी 271-279

श्री भोलानाथ सेन 279-283

श्री अरुण नेहरू 284-294

श्री एच० एम० पटेल 294-298

श्री धर्मपाल सिंह मलिक 299-302

श्री एस० जगतरक्षकन 303-305

श्री जुझार सिंह 305-307

श्री आशुतोष लाहा 308-310

श्री आशकरण संखवार 310-311

श्री समर ब्रह्म चौधरी 311-313

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों सम्बन्धी समिति ... ...

सातवां प्रतिवेदन 313-314

चुनाव सुधारों सम्बन्धी संकल्प 314-358

श्री अब्दुल रशीद काबुली 314-324

श्री वृद्धि चन्द्र जैन 325-328

श्री दिनेश गोस्वामी 328-332

श्रीमती कृष्णा साही 332-336

श्री श्रीहरि राव 336-338

श्री रामसिंह यादव 338-347

श्री नारायण चन्द पराशर 347-352

श्री कमल चौधरी 352-355

श्री एस० जयपाल रेड्डी 355-358

लोक-सभा

शुक्रवार, 11 अप्रैल, 1986/21 चैत्र, 1908 (शक)

लोक सभा 11 बजे समवेत हुई ।

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए ।)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[अनुवाद]

"मौडवाट" योजना का तैयार माल के मूल्य पर प्रभाव

* 659. **प्रो० मधु दंडवते** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि "मौडवाट योजना" को लागू करने से अनेक समस्याएं उत्पन्न हो गई हैं, जिसके परिणामस्वरूप जिस तैयार माल पर इस योजना को लागू किया गया है, उसके मूल्यों में अप्रत्याशित वृद्धि हो गई है ; और

(ख) यदि हां, तो उक्त योजना के सम्बन्ध में ब्यौरा तैयार करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं, जिससे कि उस योजना के कार्यान्वियन के कारण तैयार माल के मूल्य में अत्यधिक वृद्धि न होने पाये ।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) : एक विवरण सदन पटल पर रखा गया है ।

विवरण

(क) और (ख) : मॉडवेट स्कीम, अन्तय उत्पादों के निर्माण में प्रयोग की गई विभिन्न निविष्टियों पर अदा किए गए केन्द्रीय उत्पादन शुल्क और अतिरिक्त सीमा शुल्क के खाते-जमा का लाभ देती है । इसलिए इस स्कीम को लागू करने से अन्तय उत्पादों की कीमतों में वृद्धि होने की सम्भावना नहीं है । इस स्कीम के अधीन खाते-जमा का लाभ प्राप्त करने में होने वाली कठिनाईयों को दूर करने की दृष्टि से मॉडवेट स्कीम की मुख्य-मुख्य विशेषताओं को स्पष्ट करने के लिए कदम भी उठाए गए हैं ।

कार्यविधियों को विशेषकर लघु उद्योग एककों के लिए सरल बनाने के लिए और फुटकर कार्य (जाब वर्क) के आधार पर निर्मित माल को छूट देने के लिए तथा उत्पादन के कारखानों में ही निर्मित तथा कारखाने में ही खपत किए गए माल के सम्बन्ध में छूट देने के लिए सरकार ने अनेक अधिसूचनाएं/आदेश जारी किए हैं ।

प्रो० मधु दंडवते : जहां तक सभा पटल पर रखे गए विवरण का सम्बन्ध है, वह पर्याप्त नहीं है। शायद इस विवरण का उद्देश्य यह है कि और अधिक पूरक प्रश्न पूछे जाएं। उसमें कुछ भी नहीं कहा गया है। दो तीन प्रश्न उठने हैं।

पहला यह कि इस योजना विशेष को आदानों पर शुल्क में वृद्धि के प्रभाव को रोकने के लिए लागू किया गया है क्योंकि इससे अंतत तैयार उत्पादों की कीमतों में वृद्धि हो जाती है लेकिन वास्तव में क्या यह सच नहीं है कि हाल के बजट में उत्पादन शुल्क की दरों में जो वृद्धि हुई है वह संशोधित मूल्य वर्धित कर के आधार पर आदानों पर प्रतिकर स्वरूप कम किए गए शुल्क से कहीं अधिक है ? यदि हां तो योजना को अन्तिम रूप से लागू करते समय इस अनियमितता को कैसे दूर किया जाएगा ?

श्री जर्नादन पुजारी : मैं पहले भी एकदम स्पष्ट कर चुका हूं कि संशोधित मूल्य वर्धित कर कीमतों में वृद्धि के लिए उत्तरदायी नहीं है। हमने तैयार वस्तुओं पर शुल्क लगाया है और यह सोच विचार कर लिया गया निर्णय है। यह कदम संसाधन जुटाने के लिए भी लिया गया है।

जैसा कि इस सदन में मैंने बताया है कुछ स्थानों पर, कुछ मामलों में शुल्क में इस वृद्धि से कीमतों में वृद्धि हुई है। जहां हमने कीमतें नहीं बढ़ाई हैं वहां उसके लिए संशोधित मूल्य वर्धित कर उत्तरदायी नहीं हैं। कीमतों में वृद्धि नहीं हुई है। उदाहरण के लिए कपड़े धोने के साबुन और बहुत सी मदों.........

श्री जगन्नाथ राव : और आटोमोबाइल के बारे में ?

श्री जनार्दन पुजारी : मैं माननीय सदस्य के ध्यान में यह बात ला चुका हूं कि जहां तक आटोमोबाइल का संबंध हैं सरकार द्वारा सोच-विचार कर लिए गए निर्णय के कारण कुछ स्थानों पर शुल्क में वृद्धि की गई है। इसीलिए कीमत में वृद्धि हुई है।

प्रो० मधु दंडवते : यह बहुत गंभीर मसला है इसलिए अगला प्रश्न पूछने से पहले मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं। दूसरा प्रश्न मैं इसके बाद पूछूंगा। इससे मुझे और सरकार को भी सहायता मिलेगी।

मैं जो पूरक प्रश्न पूछूंगा वह बहुत रचनात्मक है और इससे सरकार को सहायता मिलेगी बशर्ते कि सरकार सहायता चाहती हो। इसलिए मैं स्पष्टीकरण चाहूंगा। शायद आप मेरे प्रश्न को जरा भी नहीं समझ पाए हैं। पिछले बजट में, आपने कुछ शुल्कों में वृद्धि की है। अब संशोधित मूल्य वर्धित कर योजना के अनुसार पूर्व में आदानों पर यदि कोई शुल्क लगाया गया था तो अब उसे घटा दिया जाएगा या तैयार माल में उसका समायोजन कर लिया जाएगा। यहां तक तो योजना अच्छी है पर वास्तव में ऐसा नहीं हो रहा है। वास्तव में बजट में दिखाई गई वृद्धि उससे अधिक

है। जितनी राहत दी गई है। इससे संशोधित मूल्य वर्धित कर के माध्यम से दी गई राहत खत्म नहीं हो जाती है। इससे पहले की मैं दूसरा प्रश्न पूछूं इस बारे में आपको क्या कहना है। कृपया स्पष्ट कीजिए।

श्री जनार्दन पुजारी : मैं पहले बता चुका हूं और मैंने बहुत स्पष्ट कर दिया है कि······

प्रो० मधु दंडवते : आशा है मैंने आपको भ्रम में नहीं डाला है।

श्री जनार्दन पुजारी : मैं आपको एक उदाहरण भी देता हूं। मशीनरी मदों पर आम दर 12 प्रतिशत है। संशोधित मूल्य वर्धित कर में दर 15 प्रतिशत तय की गई है। इसे पूर्णांक में किया गया है और उसके बाद यह निकटतम अंक तक हो गया। जैसाकि मैं पहले बता चुका हूं, यही उपाय नहीं है। हमने जान बूझ कर ऐसा किया है। अर्थात् यह हमारे द्वारा सोच विचार कर लिया गया निर्णय है। कुछ तैयार वस्तुओं पर हमने शुल्क बढ़ाया है ताकि जो लाभ दिये गए हैं उन्हें निष्प्रभावी किया जा सके क्योंकि हमने कुछ लाभ दिए हैं और उसके अन्तर्गत बहुत सी मदें आ गई हैं। इसे नया नाम दिया गया है। जैसा कि मैंने बताया था, यह योजना पहले भी मौजूद थी और अब उसका नाम बदल कर संशोधित मूल्यवर्धित कर दिया गया है। इससे पहले इसे "टैरिफ के 56 ए" के अन्तर्गत "प्रोफार्मा क्रेडिट आन ड्यूटी" कहा जाता था। अब हमने इसके क्षेत्र का विस्तार कर दिया है। मैं माननीय सदस्य के ध्यान में यह बात ला रहा हूं कि, जैसाकि बताया गया है, कुछ स्थानों पर इसे पूर्णांक में कर दिया गया है और कुछ स्थानों पर कुछ मदों पर हमने शुल्क बढ़ाया है। यह सोच विचार कर लिया गया निर्णय है। और संसाधनों को जुटाने के लिए भी हमने कुछ वस्तुओं पर शुल्क में वृद्धि की है। हम 2000 मदों को इसके अन्तर्गत लाए हैं। इसलिए मेरा उत्तर होगा कि संशोधित मूल्यवर्धित कर लागू करने से शुल्क की दरों को पुनः निर्धारित करने के कारण तैयार उत्पाद पर शुल्क लगाने के कारण कुछ उत्पादों की कीमतों में कमी आई है और कुछ की कीमतों में थोड़ी वृद्धि हुई है। संशोधित मूल्य वर्धित कर के अन्तर्गत बहुत सी मदों को शामिल किया गया है। दर को इस तरह से निर्धारित करना सम्भव नहीं है कि शुल्क में जरा भी परिवर्तन न हो।

प्रो० मधु दंडवते : पहले उत्तर से संतुष्टि नहीं हुई। बहरहाल, कोई बात नहीं, उसे छोड़िए। दूसरे प्रश्न के दो भाग हैं। आपने जो संशोधित मूल्यवर्धित कर योजना लागू की है वह केन्द्रीय उत्पाद नियम, 1944 के नियम 56 ए के अन्तर्गत 'प्रोफार्मा क्रेडिट स्कीम' से कैसे भिन्न है? दूसरे, जो नई जटिलताएं पैदा हुई हैं उसके बारे में क्या आप जागरूक हैं?

जटिलता इस प्रकार है। मैं एक ठोस उदाहरण देता हूं ताकि उत्तर स्पष्ट हो। मोटर-वाहन के सवाल को लीजिए। टायर को आदान के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए आपकी योजना के अनुसार टायर पर लगे शुल्क को मोटर वाहन पर अन्तिम तौर पर लगे शुल्क में से घटा दिया जाएगा। तो यह राहत और लाभ दिया जाएगा। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या आपने इस तथ्य की ओर ध्यान दिया है कि टायर तैयार उत्पाद हो सकता है किन्तु वाहन

के लिए यह आदान बन जाता है। तो, टायर के लिए कुछ और रसायन आदान हैं। उन पर शुल्क लगता था पर अब नहीं लगेगा। जहां तक टायर का सम्बन्ध है, उस पर संशोधित मूल्य वर्धित कर योजना लागू होगी। टायर जो कि तैयार उत्पाद है मोटर वाहन के लिए आदान बन जाता है। यह बात टायर पर भी लागू होती है। क्या आपने इन जटिलताओं की ओर ध्यान दिया है कि कुछ आदान अन्तिम तैयार के लिए तैयार उत्पाद बन जाते हैं जिसके कारण बहुत जटिलता पैदा होती है। इसलिए संशोधित मूल्यवर्धित कर योजना के बावजूद मोटर वाहन जैसी कुछ वस्तुओं की कीमतें बढ़ गई हैं? क्या यह सच नहीं है कि आपने पर्याप्त तैयारी करके नहीं आये हैं क्योंकि इस योजना का विचार दीर्घ कालीन वित्तीय नीति के दौरान प्रस्तुत किया गया था—और बजट के दौरान इसे अन्तिम रूप दिया गया? इस बीच आपने अपना कार्य ठीक से नहीं किया, सभी समायोजन नहीं किये।

उपाध्यक्ष महोदय : उन्होंने स्वीकार कर लिया है कि कुछ उत्पादों की कीमतों में वृद्धि हुई है।

प्रो० मधु दंडवते : मैं जानना चाहता हूं कि उसके परिणाम स्वरूप क्या सभी परिवर्तन हो रहे हैं और क्या आप विसंगतियों को दूर करने का प्रयास करेंगे। **(व्यवधान)** लेकिन उन्हें सुनना जरूर चाहिए। **(व्यवधान)** आप अगर अनुमति दें तो मैं 45 मिनट तक वैसे ही बोल सकता हूं जैसे कालेज में क्लास रूम में बोला करता था।

एक माननीय सदस्य : वह तो अनुमति दे देंगे पर हम नहीं देंगे **(व्यवधान)**

श्री जर्नादन पुजारी : यह कोई नई योजना नहीं है। इसे नया नाम दे दिया गया है। पहले इस योजना को 56 ए के अन्तर्गत "प्रोफार्मा क्रेडिट आफ डयूटी" कहा जाता था। पहले यह 66 मदों पर लागू होती थी। अब यह 37 अध्यायों पर लागू होती है और हमारे पास लगभग 2000 मदों के बारे में वस्तु नियम हैं। यह योजना पिछले 15 सालों से है और इसमें किसी भी प्रकार की अस्पष्टता नहीं है। अब इसका क्षेत्र विस्तृत कर दिया गया है और इससे पूर्व इसका दायरा सीमित था।

अब यह बहुत सी वस्तुओं पर लागू होता है और कुछ सरल प्रक्रियाएं भी अपना ली गई हैं। इससे पहले, जब भी कभी इस प्रणाली को अपनाया जाता था तो निर्माता को अधिकारी को यह बताना पड़ता था कि वह इस प्रणाली को अपनाने जा रहा है इसलिए आइए। उत्पाद के आने पर उसे अधिकारियों के आने का, निरीक्षक द्वारा जांच करने का इंतजार करना पड़ता था। पहले उसे 24 घंटे इंतजार करना पड़ता था। अब उसे खत्म कर दिया गया है। उसे इंतजार करने की जरुरत नहीं है। अगर वह यह सूचना देता है कि मैं इस प्रणाली को अपना रहा हूं तो पर्याप्त है। उसे अधिकारियों की, और जांच के लिये प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ेगी। व्यापार और उद्योग को इस योजना की जानकारी है। संशोधित मूल्य वर्धित कर योजना के कारण अब कोई उन कागजों को छिपा कर नहीं रख सकता जिन पर शुल्क का भुगतान किया गया है। कोई भी

शुल्क भुगतान को रोक नहीं सकता। (व्यवधान) मैं उस ओर भी चर्चा करूंगा।

मैं आपकी भावना जानता हूं, आखिरकार आप हमारी सहायता कर रहे हैं। आप सरकार की मदद करना चाहते हैं। इसीलिए मैं, ऐसा कह रहा था। (व्यवधान) कोई भी चुंगीकर, बिक्री कर, आयकर के भुगतान को छिपा नहीं सकता; यह कालेधन के विरुद्ध उपाय है। कुछ लोग शुल्क अदा नहीं करना चाहते।

प्रो० मधु दंडवते : कृपया मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए।

उपाध्यक्ष महोदय : यह आपको भी स्पष्टीकरण देना चाहते हैं।

संसदीय कार्य और पर्यटन मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : वह उन्हें इसलिए स्पष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि वह एक ज्ञानी व्यक्ति हैं।

श्री जर्नादन पुजारी : मैं उन्हें मात्र इसलिए बता रहा था क्योंकि उन्होंने कहा है कि हमने इस प्रश्न के बारे में पर्याप्त जानकारी के लिये पहले से तैयारी नहीं की है, व्यापार और उद्योगों के मालिकों को इस योजना के बारे में पता था। अब वे इसे नहीं समझना चाहते क्योंकि उन्हें शुल्क अदा करना पड़ेगा। इसके अन्तर्गत आयकर या बिक्रीकर के भुगतान से किसी प्रकार की छूट नहीं मिलेगी। यह कालेधन के विरुद्ध एक उपाय है। अब हमने पूरी तैयारी की है। व्यापार और उद्योग वाले भी इसे जानते हैं। सब कुछ स्पष्ट है। हमने पहले ही प्रक्रिया को सरल कर दिया हैं। लेकिन कुछ लोग इसे समझना ही नहीं चाहते। उस मामले में, हम उन्हें बताते हैं कि हम तैयार हैं ...... (व्यवधान)

प्रो० मधु दंडवते : आप अपने कैबिनट मंत्री के कथन को काट रहे हैं। पिछली दफा उन्होंने कहा था कि कुछ और ब्योरा तैयार करना है। उन्होंने मुझे ऐसा कहा था। आप अपने ही मंत्री के कथन को क्यों काट रहे हैं।

श्री जर्नादन पुजारी : मैं उसे गलत नहीं कह रहा हूं। मैं केवल इसी लिये आपको बता रहा था, क्योंकि आपने कहा है कि मैंने इसकी तैयारी नहीं की है। मैं आपको बता रहा था कि प्रत्येक आदमी को सब कुछ पता है। कर अदा न करने के उद्देश्य से कुछ लोग इसे न समझने का बहाना कर रहे हैं। ऐसा सम्भव नहीं है। यही प्रक्रिया है जिसके तहत हम सुनिश्चित कर सकते हैं कि शुल्क और आयकर और अन्य करों का भुगतान किया जाए। यह प्रक्रिया ईमानदार कर दाता के लिए है। अपने आप ही जमा हो जायेगा ? उसके लिये कोई मुश्किल नहीं होगी। यह प्रक्रिया अपनाई गई है। अतः कोई संदिग्धता नहीं है।

प्रो० मधु दंडवते : श्रीमन् मुझे संरक्षण दीजिये। मैंने एक ठोस प्रश्न पूछा था। यह ऐसा है कि एक उपोत्पादन दूसरे के लिये इनपुट बन जाता है। मंत्री महोदय, कृपया इसे स्पष्ट कीजिये।

उपाध्यक्ष महोदय : इंतजार, इन्तजार। आपने अपना अन्तिम पूरक प्रश्न पूछा है। अब और पूरक प्रश्न नहीं।

श्री जनार्दन पुजारी : श्रीमन्, इस पर 'मोडवेट' लागू होता है। जब शुल्क अदा कर दिया गया हो, तो उस क्रेता पर भी, 'मोडवेट' लागू होगी। इसके लिये भी व्यवस्था है।

उपाध्यक्ष महोदय : कोई और सदस्य प्रश्न नहीं पूछ रहा। प्रोफेसर आपका धन्यवाद।

प्रो० मधु दंडवते : आप अध्यक्षपीठ से भी कुछ प्रश्न पूछ सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : मेरे एवज में, आप ओर प्रश्न पूछ सकते हैं। अब अगला प्रश्न। श्री काली प्रसाद पांडे।

माननीय सदस्य अनुपस्थित हैं।

प्रो० के० वी० थामस।

विदेशों में रहने वाले भारतीयों द्वारा "ट्यूब मनी" भारत में भेजा जाना

*661. **प्रो० के० वी० थामस** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि विदेशों में रहने वाले कुछ भारतीय "ट्यूबमनी" के रूप में भारत में धन भेज रहे हैं;

(ख) इस प्रकार भारत में कितना धन आता है; और

(ग) इसे रोकने के लिए क्या कारगर कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) : सभा-पटल पर एक विवरण रख दिया गया है।

विवरण

(क) जी, हां।

(ख) गैर कानूनी तौर पर भेजी गयी राशि का कोई सुनिश्चित अनुमान सरकार के पास उपलब्ध नहीं हैं।

(ग) ऐसी अनधिकृत प्रतिकारी अदायगियां करने वाले अथवा उन्हें प्राप्त करने वाले व्यक्तियों से निपटने के लिए विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम में पर्याप्त उपबन्ध निहित हैं। प्रवर्त्तन निदेशालय ने, जो इस सम्बन्ध में सतर्क रहता है, ऐसे अनधिकृत लेन-देनों के बहुत से मामलों को पकड़ा है तथा विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के अन्तर्गत तथा निवारक नजरबन्दी के लिए विदेशी मुद्रा संरक्षण तथा तस्करी निवारण अधिनियम के अन्तर्गत उचित कार्यवाही की है/कर रहा है ऐसे अनधिकृत लेन-देनों के विरुद्ध अभियान एक सतत प्रक्रिया है तथा ऐसे मामलों को समाप्त करने के लिए उपयुक्त उपाय करने हेतु उनकी निरन्तर समीक्षा की जाती है। तथापि, भारत सरकार ने सामान्य बैंकिंग के माध्यम से अनिवासी भारतीयों से धन-राशि के

आगमन को बढ़ावा देने के लिए अनेक योजनाएं बनाई हैं।

प्रो० थो० के० थामस : जब हम माननीय मंत्री द्वारा दिये गये उत्तर को देखते हैं तो यह स्पष्ट हो जाता है कि सरकार ने इस समस्या को गम्भीरता से नहीं लिया है, श्रीमन्, 'ट्यूबमनी' कालाबाजारियों को सहायता करने का एक स्रोत है। उत्तर में कहा गया है कि गैर-कानूनी तौर पर भेजी गई राशि का कोई सुनिश्चित अनुमान सरकार के पास उपलब्ध नहीं हैं। सरकार को ऐसे मामलों की जानकारी भी नहीं है, जहां कार्यवाही की गई है। अत: मेरा विनम्र निवेदन है कि इस समस्या पर कुछ गम्भीरता से विचार किया जाए।

मेरा प्रश्न यह है कि विदेशों में भारतीय रह रहे हैं, उनमें से काफी बड़ी मेहनत कर रहे हैं और पैसा एकत्र कर रहे हैं। लेकिन जब वे यहां आना चाहते हैं या अपने रिश्तेदारों को पैसा भेजना चाहते हैं तो उन्हें कुछ भी प्रोत्साहन नहीं दिया जाता। इसीलिए वे ट्यूबमनी एजेंट द्वारा अपना विदेशी धन यहां भेजते हैं, अब मेरा अनुरोध यह है कि विदेशों में रह रहे भारतीय जो काफी अच्छा वेतन पा रहे हैं, उन्हें यहा पैसा भेजने के लिए क्या और अधिक प्रोत्साहन दिया जायेगा ?

श्री जनार्दन पुजारी : यह सत्य है कि विदेशों में कार्य कर रहे हमारे भाई और बहन यहां पैसा भेजते हैं और विदेशी मुद्रा अर्जित कर रहे हैं और देश की अर्थ व्यवस्था में सहायता कर रहे हैं। श्रीमम् अब उपाय किये जा रहे हैं अनिवासी भारतीयों को यहां पैसा भेजने में आने वाले मुश्किलों की हमें जानकारी है, केरल में इसे टयूबमनी और बम्बई में 'हवाला-लेन-देने' कहा जाता है। होता यह है कि जब कोई व्यक्ति विदेश से भारत में पैसा भेजना चाहता है तो वह किसी ठग की मार्फत ऐसा करता है और एवज में उसे कुछ पैसा देता है।

उपाध्यक्ष महोदय : हां, उन्हें पैसा मिलता है।

श्री जनार्दन पुजारी : तब उस पाने वाले को पैसा दिया जाता है। और इस प्रकार यह लेन-देन चलता रहता है।

माननीय सदस्य को यह जानकर खुशी होगी कि सरकार ने कुछ प्रोत्साहन भी दिये हैं और अनिवासी लोगों की सुरक्षा के लिए कुछ कदम भी उठाए हैं। विदेश से आने वाले धनप्रेषण की भुगतान प्रणाली एफ आई आर पी एस नामक एक योजना है जिससे पैसे का जल्द भुगतान हो जाता और इसके अन्तर्गत विदेशों से प्राप्त धन रखा जाता है। इस योजना के तहत, किसी भी भारतीय बैंक को जिसे अनिवासी भारतीयों से विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है, वे विदेश में ही इसे प्राप्त की व्यवस्था कर सकते हैं अपनी शाखा द्वारा वे शीघ्र ही भुगतान आदेश जारी करेंगे और यह भुगतान आदेश भारत में उनकी किसी भी शाखा में भुनाये जा सकते हैं। न केवल उनके बैंक की शाखाओं द्वारा बल्कि किसी भी बैंक की शाखा द्वारा इसका भुगतान किया जा सकता है। जो प्रोत्साहन दिये जा रहे हैं, वे हैं—ट्रैक्टर, स्कूटर, आवासीय फ्लैट और मकान

के लिए प्लाट खरीदने में अनिवासी भारतीयों को प्राथमिकता दी जाती है। अगर उचित माध्यम द्वारा बदली जाने वाली विदेशी मुद्रा से अनिवासी भारतीय, भारतीय बैंक में खाता खुलवाते हैं तो उन्हें विदेशी मुद्रा भेजने की सुविधा दी जाती है। भारतीय कम्पनियों में अनिवासी खातों पर आयकर से छूट दी जाती है। बैंकिंग प्रणाली के माध्यम से धन अन्तरण द्वारा रुपए या विदेशी मुद्रा में विशेष अनिवासी खाता खोलना जिसमें इस बात की छूट है कि रिजर्व बैंक की अनुमति लिये बिना ब्याज और जमाराशि स्थानान्तरित की जा सकती है। अनिवासी बकाया राशि पर धनकर से छूट, धनप्रेषण द्वारा भुगतान करके यू० टी० आई०, राष्ट्रीय बचत पत्रों आदि कुछ विशेष प्रतिभूतियां खरीदने की छूट।

श्री पी० सी० सेठी : जब यह उत्तर इतना लम्बा है तो इसे सभापटल पर क्यों नही रखा दिया जाता ?

श्री जनार्दन पुजारी : मैं इसे सभा पटल पर रखने को तैयार हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : आप इसे सभापटल पर रख दें।

प्रो० के० वी० थामस : मैं मन्त्री महोदय से पूछ रहा था कि विदेशों में रह रहे भारतीयों को क्या प्रोत्साहन दिये जायेंगे ? समस्या यह है कि विदेशों में रह रहे भारतीय बैंकों के माध्यम से धन भेजते हैं और उन्हें विनिमय दर से विदेशी मुद्रा के एवज में भारतीय मुद्रा दी जाती है···

उपाध्यक्ष महोदय : उन्होंने कई प्रोत्साहनों का जिक्र किया है।

प्रो० के० वी० थामस : मेरा दूसरा प्रश्न है—जब भारतीय विदेशों में जाते हैं तो थोड़ी सी 'पाकेट मनी' दी जाती है। वे एजेंट को भारतीय मुद्रा देकर बदले में विदेश में जाकर विदेशी-मुद्रा ले लेते हैं। डालर की अधिकृत विनिमय दर 12 रुपए है। लेकिन विदेश में डालर प्राप्त करने के लिए, उन्हें यहां एजेंट को 20 रु० प्रति डालर की दर से भुगतान करना पड़ता है। जो भारतीय विदेश जा रहे हैं, क्या सरकार उनके लिए इस राशि में वृद्धि करने पर विचार कर रही है ?

श्री जनार्दन पुजारी : आप विदेशी-मुद्रा की कठिनाई जानते हैं; हमें विकासात्मक गतिविधियों और अन्य कई कार्यों के लिए विदेशी मुद्रा जमा रखनी पड़ती है। इस सन्दर्भ में, मैं माननीय सदस्य से अनुरोध करूंगा कि वे इस पहलू पर विचार करें। उन्होंने जो सुझाव दिया है, मैं उस पर विचार करूंगा।

श्री सुरेश कुरूप : हमारे देश में कई तरह से अवैध विदेशी-मुद्रा आ रही है, हाल ही में दो कुवैतवासियों, जिनके इस देश में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, अपने साथ 18 बक्से विदेशी-मुद्रा लाये थे, उन्हें बिना जांच के इन बक्सों को हवाई अड्डे से बाहर ले जाने की अनुमति दी गई यह बातें समाचार पत्रों में छपी हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : अगर आप विदेशों में रह रहे भारतीयों को सहायता पहुंचाने वाली योजना के बारे में पूछना चाहते हैं तो, पूछिए।

श्री सुरेश कुरुप : उन्होंने केरल के कई संगठनों और व्यक्तियों को धन दिया है।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं ऐसे वक्तव्यों की अनुमति नहीं दे सकता। इसके लिए अलग से प्रश्न पूछिए।

श्री सुरेश कुरुप : मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार के ध्यान में यह बात आई है कि सीमा शुल्क प्राधिकारियों द्वारा जांच के बिना ही 18 बक्सों को ले जाने दिया, और सरकार ने उन अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की है, जिन्होंने हवाई अड्डे से इन बक्सों को ले जाने की अनुमति दी।

उपाध्यक्ष महोदय : अगर आप कोई सुझाव देना चाहते हैं, तो दीजिए। आप अन्य मामलों का उल्लेख क्यों कर रहे हैं?

श्री सुरेश कुरुप : मंत्री जी को भी इसकी जानकारी है। हवाई अड्डे से बिना सीमा शुल्क जांच के 18 बक्सों को ले जाने की अनुमति दी गई। समाचार पत्रों में ऐसी खबरे छपी हैं।............**व्यवधान**

उपाध्यक्ष महोदय : ऐसी बातों की मैं अनुमति नहीं दूंगा। मैं इस पूरक प्रश्न के पूछने की अनुमति नहीं दूंगा।

श्री सुरेश कुरुप : मंत्री महोदय उत्तर देने को तैयार हैं, आप कृपया उन्हें उत्तर देने दीजिए।

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं, यह संगत नहीं है। इसके लिए आप अलग से प्रश्न पूछ सकते हैं। हम देखेंगे कि क्या वह स्वीकार्य है।

श्री सुरेश कुरुप : मंत्री महोदय तैयार हैं। आप उन्हें उत्तर देने के लिए कहें। ......

व्यवधान

उपाध्यक्ष महोदय : यह बिल्कुल अलग प्रश्न है..........

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप अपनी सीट पर बैठें। मैं अनुमति नहीं दे रहा......

(व्यवधान)

श्री सुरेश कुरुप : वह तैयार हैं, महोदय।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं नहीं जानता वह तैयार हैं या नहीं। मैं इस पूरक प्रश्न के लिए अनुमति नहीं दे रहा.........

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अपनी जगह पर बैठें। मैं अनुमति नहीं दूंगा।

श्री जी० जी० स्वैल : महोदय मैं मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि जहां तक मैं समझ रहा हूं समस्या विनिमय दर की है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या उन्होंने इस संबंध में कोई अनुमान लगाया है कि विदेशों में कार्यरत भारतीय कर्मचारियों से कितनी विदेशी मुद्रा यहां आने की आशा है। उन्हें इसका अवश्य कुछ अनुमान होगा कि कितना धन सरकारी माध्यम से आ रहा है और कितना गैर सरकारी माध्यम से और गैर सरकारी माध्यम से लाये गए धन ट्यूबधन की इस समय हमारे देश में विनिमय दर क्या है।

प्रो० मधु दण्डवते : आज एक गिरोह का पता लगाया गया है।

श्री जनार्दन पुजारी : महोदय, यहां सही आंकड़े बताना जरूरी है और ऐसे आकड़े उपलब्ध नहीं है .... (व्यवधान)

श्री जी० जी० स्वैल : उन्हें मालूम होना चाहिए। उन्हें अपनी आंखें खुली रखनी चाहिएं।

श्री जनार्दन पुजारी : मैं अनुमान नहीं लगा सकता और इसीलिए मैंने माननीय सदस्य को बताया है कि हमारे पास सही आंकड़े नहीं हैं। जहां तक इस सवाल का संबंध है कि 'ट्यूबमनी के रूप में कितना धन आ रहा है, हमारे पास उसके भी सही आंकड़े नहीं हैं।

[अन्तर्राष्ट्रीय एकाधिकारी घरानों का प्रभुत्व रोकने के लिए भारतीय चाय निर्यातकों को प्रोत्साहन

* 663. **श्री चिरंजी लाल शर्मा** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ अन्तर्राष्ट्रीय एकाधिकारी घरानों द्वारा चाय उद्योग पर अपना प्रभुत्व जमाये जाने की संभावना है; और

(ख) यदि हां, तो भारतीय निर्यातकों को प्रोत्साहन देने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं अथवा उठाने का विचार है ?

विज्ञान और प्रोद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास परमाणु ऊर्जा इलैक्ट्रानिकी और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

एक माननीय सदस्य : महोदय, वे वाणिज्य मंत्री के स्थान पर किस प्रकार उत्तर दे रहे हैं ? (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : वे प्रभारी हैं। उन्होंने पहले ही इसका उत्तर देने के लिए अनुमति ले ली है। वे वाणिज्य मंत्री की ओर से उत्तर दे रहे हैं ?

प्रो० मधु दंडवते : विभाग नहीं बदला है।

श्री चिरंजी लाल शर्मा : महोदय, क्या माननीय मंत्री सदन को यह बताने की कृपा करेंगे कि कितने अन्तर्राष्ट्रीय एकाधिकार घराने भारत में चाय के व्यापार में लगे हुए हैं और कितने समय से, और क्या उनके पास अपने चाय बागान हैं, यदि हां तो कहां ?

श्री शिवराज वी० पाटिल : महोदय, ये अन्तर्राष्ट्रीय कम्पनियां थीं जिन्हें स्टालिंग कम्पनियां कहा जाता था। तब यह निर्णय किया गया था कि इक्विटी को कम करके 76 प्रतिशत कर दिया जाए और उनमें से बहुतों ने अपनी इक्विटी कम कर दी। दो बड़ी अन्तर्राष्ट्रीय कम्पनियां चाय का निर्यात कर रही हैं। ये हैं लिप्टन और ब्रुक-बांड। चाय खेती के अन्तर्गत कुल 3.96 लाख हैक्टेयर भूमि से 1.20 लाख एकड़ के लगभग भूमि इन विदेशी कम्पनियों के पास है और ये कम्पनियां चाय का निर्यात कर रही हैं।

श्री चिरंजी लाल शर्मा : महोदय, क्या मैं मंत्री जी से पूछ सकता हूं कि कितने भारतीय, कितनी मात्रा में, किन देशों को चाय का निर्यात कर रहे हैं और वे इससे कितनी विदेशी मुद्रा कमा रहे हैं और क्या भारत सरकार उन्हें इस निर्यात के लिए कोई प्रोत्साहन दे रही है ?

श्री शिवराज वी० पाटिल : महोदय, माननीय सदस्य ऐसे आंकड़ों के बारे में पूछ रहे हैं जो मैं उन्हें लिखित रूप में दे सकता था। किन्तु मैं बता रहा हूं कि 14 प्रतिशत निर्यात विदेशी कम्पनियों द्वारा किया जाता है और शेष निर्यात भारतीय कम्पनियों द्वारा किया जाता है। चाय का निर्यात विभिन्न देशों में किया जाता है। इंग्लैंड, जर्मनी, सोवियत संघ तथा अन्य कई देशों में चाय का निर्यात किया जाता है। इस निर्यात से प्राप्त लाभ के सही आंकड़े मैं उन्हें लिखित रूप में दे दूंगा।

श्री चिरंजी लाल शर्मा : महोदय, मैं अनुरोध करता हूं कि वह मुझे यह जानकारी भेज दें।

श्री अमर राय प्रधान : चाय के व्यापार के बारे में पूछने से पहले मैं चाय के उत्पादन के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। आप जानते हैं कि दार्जीलिंग में चाय का प्रतिवर्ष औसत उत्पादन 120 से 130 हजार लाख किलोग्राम है। दार्जीलिंग की चाय के नाम पर लगभग 10 हजार लाख किलोग्राम चाय मार्केट में बेची जाती है और वह भी दो कम्पनियां ब्रुक बांड और लिप्टन द्वारा। इस प्रकार सरकार दार्जीलिंग की चाय के सुनाम का दुरुपयोग कर रही है। मेरा प्रश्न इसी बारे में है। दार्जीलिंग की चाय तथा अन्य चाय के उत्पादन के निर्यात से हम प्रतिवर्ष लगभग 700 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा कमा रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : आपका प्रश्न क्या है ? आप एकाधिकार व्यवस्था आदि के बारे में बात न करें।

श्री अमर राय प्रधान : मैं इसी प्रश्न पर आ रहा हूं। पूरे चाय व्यापार को राज्य व्यापार

निगम के अधीन लाने के बारे में सरकार का क्या प्रस्ताव है ?

श्री शिवराज वी० पाटिल : इस समय चाय बागान के अधिग्रहण का कोई प्रस्ताव नहीं है।

श्री अमर राय प्रधान : मैं चाय बागान के बारे में नहीं बल्कि चाय के व्यापार के बारे में पूछ रहा हूं।

श्री शिवराज वी० पाटिल : चाय उत्पादकों को इसका व्यापार करने की अनुमति दी गई है। चाय को नीलामी पर बाजार में बेचा जाता है। इसे नीलामी के अलावा गैर-सरकारी ठेकेदारों को बेचने की अनुमति नहीं दी गई है। वहां पर चाय को उचित ग्रेड दिये जाते हैं और क्रेताओं और विक्रेताओं द्वारा प्रतियोगिता के आधार पर चाय का क्रय-विक्रय किया जाता है। हमने यह प्रक्रिया अपनाई है और इस समय चाय व्यापार के अधिग्रहण का हमारा कोई विचार नहीं है।

श्री थम्पन थामस : पिछले वर्ष कोयम्बतूर में एक चाय नीलामी केन्द्र खोला गया था और कोचीन में भी एक नीलामी केन्द्र है। पहले दक्षिण भारत से चाय निर्यात का काम काफी अच्छा चल रहा था। अब यह कम हो गया है। कोयम्बयूर में नीलामी केन्द्र खोलने पर सरकार का क्या अनुभव रहा है ? क्या सरकार का विचार दक्षिणी क्षेत्र में चाय के व्यापार को प्रोत्साहन देने के लिए कोई उपाय करने का है ?

श्री शिवराज वी० पाटिल : सरकार की नीति देश के सभी भागों में नीलामी केन्द्र खोलने की है, किसी एक क्षेत्र में नहीं। सरकार का यह अनुभव है। जब चाय नीलामी केन्द्र में लाई जाती है और उचित ग्रेड दिया जाता है तो खरीददारों के बीच भी प्रतिस्पर्धा होती है। इस प्रकार की व्यवस्था से तय की गई कीमत को अधिक पसंद किया जाता है।

श्री अमल दत्त : मंत्री महोदय ने बताया कि दो अन्तर्राष्ट्रीय कम्पनियां चाय व्यापार में लगी हुई है। क्या मंत्री महोदय को यह नहीं मालूम कि अब इन दोनों कम्पनियों का नियंत्रण इंग्लैंड की एक कम्पनी लिवर ब्रादर्स के हाथ में है। इन दोनों को एक ही कम्पनी द्वारा नियंत्रित किया जा रहा है। यह भाग (क) है। भाग (ख) यह है कि क्या प्रोत्साहन दिए गये हैं और चाय के मूल्य-वर्धित रूप में निर्यात करने में क्या परिणाम हैं ?

श्री शिवराज वी० पाटिल : हमारा इरादा मूल्य वर्द्धित रूप में चाय निर्यात को बढ़ावा देने का है। इसके लिए प्रोत्साहन दिया जाता है। चाय का विपणन अत्यन्त महत्वपूर्ण है। वास्तव में जहां तक अन्य देशों को चाय के निर्यात का सम्बन्ध है, विपणन स्वयं उत्पादन से भी अधिक महत्वपूर्ण है। हम भारतीय नामों के अन्तर्गत चाय के विदेशों को निर्यात के लिये भारतीय उत्पादकों की सहायता कर रहे हैं। हम उन्हें ऋण आदि भी दे रहे हैं। हम एक कार्यक्रम चला रहे हैं जिस पर 50 लाख रुपये खर्च कर रहे हैं और माल गोदाम की सुविधा प्रदान कर रहे हैं कर (अन्य देशों को निर्यात की जाने वाली चाय पर लगाये गये) कम करने के लिये भी नकद प्रोत्साहन

दिया जाता है और अतिरिक्त बोझ नहीं डाला जाता ताकि भारतीय चाय अन्तर्राष्ट्रीय बाजार के मुकाबले में आ सके।

[हिन्दी]

मैनपुरी (उत्तर प्रदेश) में एक चीनी मिल स्थापित करने का प्रस्ताव

*** 664. श्री बलराम सिंह यादव :** क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने मैनपुरी जिले में सहकारी क्षेत्र में एक चीनी मिल स्थापित करने का प्रस्ताव भेजा है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

[अनुवाद]

योजना मंत्रालय तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० के० पांजा) : (क) जी, हां।

(ख) सरकार द्वारा इस आवेदन पत्र पर विचार किया गया था। नामन्जूरी पत्र 29 नवम्बर, 1985 को जारी किया गया था।

[हिन्दी]

श्री बलराम सिंह यादव : मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश सरकार का यह प्रार्थना पत्र किन कारणों से रद्द कर दिया गया और दूसरी बात मैं यह जानना चाहता हूं चूंकि मैनपुरी जनपद उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक अपराधिक जनपद है क्योंकि वहां पर कोई उद्योग-धंधे नहीं है, इसीलिये वहां पर लोग अपराध की तरफ आकर्षित होते हैं, तो क्या मंत्री जी हमारी इस बात पर विचार करते हुये उत्तर प्रदेश सरकार के प्रार्थनापत्र पर पुनः लाइसेंस देने हेतु विचार करेंगे ?

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : आप चीनी उद्योग के बारे में अनुमति चाहते हैं या किसी अन्य उद्योग के लिये ?

श्री बलराम सिंह यादव : चीनी उद्योग के लिये।

श्री ए० के० पांजा : महोदय, जहां तक प्रश्न के पहले भाग का सम्बन्ध है, इसके कारण नामंजूरी पत्र में दिये गये थे। दो प्रकार के कारण थे। पहला यह चूंकि सरकार नई चीनी नीति बना रही है, इसलिये इसे अन्तिम रूप से नामंजूर नहीं किया जाता। पत्र में बताया गया है कि इस

अवस्था में इसे नामंजूर करना पड़ेगा। दूसरा कारण यह था कि यह प्रस्ताव वर्तमान नीति के अनुरूप नहीं है।

जहां तक प्रश्न के दूसरे भाग का अर्थात् मैनपुरी का सम्बन्ध है, यह सही है कि वहां कोई चीनी उद्योग नहीं है किन्तु जब नीति की घोषणा की जा चुकी हो और यदि निर्धारित शर्तों के अनुसार आवेदन किया जाये और ऐसा स्थान हो जहां कोई उद्योग न हों किन्तु गन्ना प्रचुर मात्रा में उगाया जाता हो ताकि ऐसे उद्योग व्यवहार्य हों, तो हम आवेदन पर विचार करेंगे।

[हिन्दी]

श्री बलराम सिंह यादव : मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान भारत सरकार की इंडस्ट्री मिनिस्ट्री के प्रेस नोट 14, 1984 की तरफ आकर्षित करते हुये कहना चाहता हूं कि इसके अन्दर एक क्लॉज दी हुई है जिसके अन्दर यह शर्त लगाई गई है कि उन जनपदों में जहाँ पर प्रचुर मात्रा में गन्ना पैदा होता है वहीं पर चीनी मिलें लगाई जाएं। मान्यवर इस सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहता हूं कि प्रचुर मात्रा में गन्ना उन्हीं जनपदों में पैदा होता है जहां पर पहले से ही शुगर मिलें लगी हुई हैं क्योंकि इसमें लेबर इत्यादि बहुत ज्यादा लगती है, इसलिये किसान लोग बाकी क्षेत्रों में उतना ही गन्ना पैदा करते हैं जितना उनको गुड़ इत्यादि बनाने के लिये ज़रूरत होती है। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वे इस बारे में जो नई नीति निर्धारित करने जा रहे हैं उसमें मेरे सुझाव पर विचार करेंगे कि जिन जनपदों में गन्ना उत्पादन के लिये अच्छी भूमि है और जहां उत्पादन ज्यादा किया जा सकता है, उन जनपदों को भी, इस क्लॉज को खत्म करते हुये, नई क्लॉज में शामिल करेंगे ?

[अनुवाद]

श्री ए० के० पांजा : महोदय, मैंने पहले ही इसका जवाब दे दिया है। यदि हम यह पायें कि वहां योजना आयोग द्वारा निर्धारित खण्ड 'क' के अन्तर्गत कोई उद्योग नहीं है और चीनी उद्योग नहीं है तो इस पर हम निश्चय ही उस दृष्टि कोण से विचार करेंगे। कि उद्योग की जिस क्षमता के लिए आवेदन किया गया है, उतनी क्षमता के लिए आवश्यक गन्ना वहां उपलब्ध है या नहीं।

हमें यह मालूम होता है कि आवश्यक मात्रा उचित है और आवश्यक मात्रा उद्योग को सक्षम बनाने योग्य होगी तब निश्चित रूप से ऐसे आवेदन पत्रों पर विचार किया जायेगा।

उपाध्यक्ष महोदय : उत्तर प्रदेश और मैनपुरी के बारे में पूरक प्रश्न पूछिये तभी मैं इसकी अनुमति दूंगा। मैं अन्य राज्यों में नहीं जाना चाहता।

श्री दिनेश सिंह (प्रतापगढ़) महोदय, माननीय मंत्री ने कहा है कि यदि आवश्यक गन्ना उपलब्ध है तो वह एक चीनी के कारखाने को लगाने के लिए विचार करेंगे। माननीय सदस्य जो मुद्दा उठा रहे थे वह उन क्षेत्रों से सम्बन्धित है जहां कोई चीनी मिल नहीं है। स्पष्ट है कि वहां

कोई भी पर्याप्त मात्रा में गन्ना नहीं उगायेगा। गन्ना तभी उगाया जायेगा जबकि इसके उपयोग के लिए अवसर होगा। इस प्रकार उगाये जा रहे गन्ने का प्रश्न नहीं है अपितु वहां कितना गन्ना उगाया जा सकता है इसे ध्यान में रखा जाना चाहिए और यदि यू० पी० सरकार ने सिफारिश की है तो स्पष्ट है कि यह उस के आधार पर ही की है। परन्तु क्या मैं माननीय मंत्री से यह जान सकता हूं कि क्या किसी दूसरे जिले में किन्हीं दूसरे चीनी मिलों को लगाने की भी यू. पी. सरकार ने सिफारिश की है और क्या उन पर भी विचार किया गया है (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आन्ध्र प्रदेश के बारे में मत पूछिये। यदि आप उत्तर प्रदेश के बारे में कोई पूरक पूछना चाहते हैं तो मैं अनुमति दूंगा।

[हिन्दी]

श्री सी० जंगा रेड्डी : ऊत्तर प्रदेश के जिले से सम्बन्धित नहीं है, लेकिन उन्होंने भी दूसरे जिले के बारे में पूछा है।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कम से कम, इसका प्रश्न के साथ कुछ सम्बन्ध होना चाहिए।

श्री ए० के० पांजा : मैनपुरी को शामिल करके आवेदन-पत्रों की कुल संख्या 17 थी। उनमें से कितने यू० पी० राज्य से थे यह मैं नहीं जानता। तीन को छोड़कर सभी आवेदन पत्रों को अस्वीकार कर दिया गया था। ये तीन आवेदन पत्र अभी भी विचाराधीन हैं। उन आवेदन पत्रों को इसीलिए अस्वीकार नहीं किया गया कि वे व्यवहार्य नहीं है और उन्हें अन्तिम रूप से अस्वीकार कर दिया गया है अपितु इसका कारण यह है कि नई नीति बनाई जा रही है। मार्ग-निर्देशन निर्धारित करने के बाद उन्हें पुनः आवेदन करना पड़ेगा, यह दिखाते हुए कि उन्होंने इन शर्तों को पूरा कर दिया है।

जहां तक माननीय सदस्य द्वारा उल्लेखित सिफारिश की बात का सम्बन्ध है यदि राज्य सरकार सिफारिश करती है और हमें ज्ञात होता है कि उन्होंने वहां गन्ने को उगाने के लिए भी व्यवस्था कर ली है यानि गन्ना उगाने के लिए क्षेत्र निर्धारित कर दिया गया है तब निश्चित रूप से इन तथ्यों को ध्यान में रखा जायेगा।

उपाध्यक्ष महोदय : अपने पूरक प्रश्न को यू० पी० तक ही सीमित रखिये।

[हिन्दी]

श्री सी. जंगा रेड्डी : शुगर पालिसी कब तक तैयार होगी और आन्ध्र प्रदेश जैसे,

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : प्रासंगिक नहीं है।

श्री सी. जंगा रेड्डी : 17 आवेदन पत्रों में से क्या कोई आन्ध्र प्रदेश से भी है ?

उपाध्यक्ष महोदय : यदि आप उत्तर प्रदेश के बारे में पूछते हैं तो ठीक है। आन्ध्र प्रदेश और केरल का अर्थ है कि मंत्री उसके लिए तैयार नहीं होंगे।

[हिन्दी]

श्री सी. जंगा रेड्डी : चीनी बाहर के देशों से ला रहे हैं। आप यह बतायें गन्ना गोअर्स को लाभ देने के लिए शुगर पालिसी जल्दी से जल्दी बनाकर कब तक डिक्लेयर करोगे।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : यह चीनी मिल स्थापित करने के बारे में है।

श्री ए. के. पांजा : लाइसेंन्स इत्यादि के बारे में नीति विषयक दस्तावेज सभी विभागों को भेज दिया गया है। मैं यह उम्मीद करता हूं कि इसकी घोषणा इसी महीने के अन्त तक या मई के आरम्भ में कर दी जायेगी।

जहां तक आंध्र प्रदेश का सम्बन्ध है......

श्री सी. जंगा रेड्डी : वह बहुत कृपालु हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : अब वह कृपालु हैं। वरना वह कृपालु नहीं थे।

श्री ए. के. पांजा : महोदय, आन्ध्र प्रदेश के मेरे दोस्त को कोई गलतफहमी न हो इसलिए मैं उत्तर दे रहा हूं। आन्ध्र प्रदेश में इस समय 33 चीनी मिले कार्यरत हैं। 17 नये आवेदन पत्रों में से 14 रद्द कर दिये गये हैं। क्या इनमें आन्ध्र प्रदेश से कोई है यह मैं आपको नहीं बता सकता। मैं निश्चित रूप से उन को यदि वह चाहते हैं तो सूचना दे सकता हूं।

[हिन्दी]

श्री हाफिज मोहम्मद सिद्दीक : क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि जहां गन्ना पैदा होता है जैसे उत्तर प्रदेश के जिला मुरादाबाद और बरेली हैं क्या वहां कोई फैक्टरी लगाने की योजना है ?

[अनुवाद]

श्री ए. के. पांजा : जहां तक उत्तर प्रदेश का सम्बन्ध है फैक्टरी लगाना इस बात पर निर्भर करेगा कि क्या आवेदन पत्र निर्धारित किए गए मानदण्डों के अनुसार है परन्तु इस समय मुझे मालूम है 56 जिलों में से 35 जिलों में वे पहले ही हैं। पूर्वी यू० पी० में ऐसी 40 फैक्टरियां हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 23 हैं और मध्य उत्तर प्रदेश में 38 ऐसी फैक्टरियां हैं, जो काफी हैं।

[हिन्दी]

श्री ब्रह्मदत्त : मैं एक बात जानना चाहता हूं, हमारे बहुत से जिलों में ऐसी फैक्टरीज है जहां गन्ना ज्यादा है, फैक्टरीज की पिराई की क्षमता कम है, उन लोगों ने क्षमता बढ़ाने के लिए एप्लाई किया है, यू. पी. गवर्नमैंट ने रिकमैंड किया है, उस सम्बन्ध में आप क्या कर रहे हैं ?

[अनुवाद]

श्रीमती गीता मुखर्जी : इसके साथ चीनी की कीमत भी शामिल कर लीजिए ।

उपाध्यक्ष महोदय : आप अभी पूछ रहे हैं माननीय मंत्री कैसे इसका उत्तर दे सकते हैं ? आप यह प्रश्न आरम्भ में पूछ सकते थे ।

श्री ए. के. पाँजा : प्रश्न का सम्बन्ध क्षमता बढ़ाने से नहीं अपितु विस्तार से है । नीति की घोषणा के बाद उस पर भी विचार किया जायेगा । हमने मालूम किया है कि वहां कुछ कारखाने हैं जोकि वहां उत्पादित सारा गन्ना ले रहे हैं । परन्तु वहां कुछ अधिक ही है । इसलिये यदि विस्तार किया जा सकता है तो यह भी विचाराधीन है ।

राष्ट्रीय कपड़ा निगम (डब्लू. बी. ए. बी. ओ.) के उत्पादों की बिक्री में कमी आना

* 665. **श्री अतीश चन्द्र सिन्हा** :
डा. वी. वेंकटेश : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय कपड़ा निगम, (डब्लू. बी. ए. बी. ओ.) लिमिटेड, कलकत्ता के एककों द्वारा निर्मित उत्पादों की बिक्री में निरन्तर गिरावट आती जा रही है और उसके परिणामस्वरूप लगभग दस करोड़ रुपये के मूल्य का तैयार माल और बिक्री योग्य माल का भण्डार जमा हो गया है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि निगम के बिक्री निदेशालय समेत इसके प्रबंधकगण जमा भण्डार के निपटान में असफल रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या है; और

(घ) जमा भण्डार का निपटान करने और अपने कर्त्तव्य के प्रति लापरवाही बरतने के कारण सम्बन्धित अधिकारियों को उपयुक्त दंड देने हेतु क्या कार्यवाही करने का विचार है ।

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री खुर्शीद आलम खां : (क) से (घ) : एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

(क) से (ग) : 1985-86 (अप्रैल, 1985 से जनवरी, 1986) के दौरान 28.67 करोड़ रुपये की बिक्रियां हुई, जोकि 1983-84 (29.71 करोड़ रु०) तथा 1984-85 (29.00 करोड़ रु०) के दौरान बिक्रियों की अपेक्षा प्रति मास ऊंची हैं। एन. टी. सी. (डब्लू. बी. ए. बी. ओ.) के पास 31. 1. 1986 को 7.25 करोड़ रु. का कुल तैयार स्टाक था, जिसमें 2.34 करोड़ रु. का नियंत्रित कपड़े का "बिका हुआ स्टाक" है। एन. टी. सी. (डब्लू. बी. ए. बी. ओ.) के अधिकारी बिक्रियाँ बढ़ाने तथा तैयार माल के स्टाक को कम करने के लिए निरन्तर कदम उठा रहे हैं।

(घ) एन. टी. सी, उत्पादों की बिक्री क्षमता बढ़ाने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा रहे हैं :—

(1) तीन दिन के अन्दर भुगतान की प्राप्ति पर एक्स मिल मूल्य $1\frac{1}{2}$ प्रतिशत की दर से नकद छूट प्रारम्भ करना;

(2) एजेन्टों के द्वारा बिक्रियां करने के अतिरिक्त, मिलों के साथ-साथ अनुषंगी निगमों के कार्यालयों द्वारा ऐसे मूल्य पर जो अनुषंगी निगम द्वारा निर्धारित किए निम्नतम मूल्य से कम न हो सीधे बिक्रियों का सहारा लिया गया है;

(3) असम, बिहार, उड़ीसा, आदि देहाती बाजारों में बिक्री कार्मिक भेज कर व्यापार बढ़ाया जा रहा है।

(4) मिलों को बाजार आवश्यकताओं की अधिक अनुकूलता बेहतर उत्पाद मिश्रण के साथ क्वालिटी के बारे में सचेत किया जा रहा है।

श्री सतीश चन्द्र सिन्हा : मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहूंगा कि वह क्या कारण है जिससे 7.25 करोड रुपये का स्टाक जमा हो गया।

श्री खुर्शीद आलम खां : यह वास्तविकता है कि इन दिनों वस्त्र बाजार में मन्दी है और स्टोक के संचित होने का यह एक कारण है। वह केवल इस अनुषंगी एकक तक ही सीमित नहीं है अपितु अन्य अनुषंगी एककों में भी है।

श्री सतीश चन्द्र सिन्हा : इस भारी स्टाक को ध्यान में रखते हुए क्या माननीय मंत्री ठोस कदम उठाने के बारे में सोचेंगे ताकि इसे कम किया जा सके ? मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या माननीय मंत्री एन. टी. सी. के बिक्री निदेशालय के नवीकरण के बारे में या इसके सुधार करने के लिए प्रबन्ध निदेशक को बदलने के बारे में विचार करेंगे ?

श्री खुर्शीद आलम खां : बिक्री को बढ़ाने के लिए सभी सम्भावित कदम सोचे जा रहे हैं

परन्तु केवल प्रबन्ध निदेशक को बदलने से काम नहीं चलेगा। वास्तव में कार्य कुशलता बढ़ाने के लिए समूचे संगठन को पुनंगठित करना होगा।

डा. वी. वेंकटेश : माननीय मंत्री ने जो सूचना दी है वह सही नहीं है। वास्तव में एन. टी. सी. भ्रष्टाचार का केन्द्र है। असल में 37 प्रतिशत लोग गरीबी की रेखा से नीचे रहते हैं। सरकार उन्हें कपड़ा उपलब्ध कराने योग्य नहीं है। यह एक गम्भीर बात हैं। आधुनिकीकरण के नाम पर उन्होंने कुछ मशीनें खरीद ली है और भ्रष्ट अधिकारियों एवं भ्रष्ट प्रक्रिया के कारण केवल धागा ही तैयार किया जा रहा है। बुनाई के बारे में उन्हें बिलकुल चिन्ता नहीं है। बुनाई सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। उन्होंने इसकी उपेक्षा की है।

इसके अतिरिक्त मैं माननीय मंत्री से सीधा प्रश्न करना चाहता हूं। बिक्री केन्द्र खोले जा सकते हैं। मैं नहीं जानता कि सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में जहां बेरोजगार युवक विद्यमान हैं बिक्री केन्द्र खोलने के लिए आगे क्यों नहीं आ रही है। वे इन बिक्री केन्द्रों को खोलकर बेरोजगार युवकों को रोजगार दे सकते हैं।

वे भ्रष्ट अधिकारियों को प्रोत्साहित करते रहे हैं। पिछले वर्ष माननीय मंत्री ने कई बार मुझे यह यकीन दिलाया कि वह भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे परन्तु अब तक उन्होंने ऐसा नहीं किया इसका क्या कारण है? कारण बिलकुल भी स्पष्ट नहीं है। माननीय मंत्री को कारण बताना चाहिए।

श्री खुर्शीद आलम खां : पहली बात तो यह कि मैं पिछले वर्ष इस मंत्रालय में नहीं था। **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : मंत्रालय ऐसा कह सकता है।

श्री खुर्शीद आलम खां : भ्रष्टाचार के बारे में बड़ी बातें करना बहुत आसान है। यदि कोई निश्चित आरोप है तो कृपया मुझे बतायें। हम उनकी जांच करेंगे और उन्हें केन्द्रीय जांच ब्यूरो के सुपुर्द करेंगे। परन्तु भ्रष्ट अधिकारियों को छांटने का यह तरीका नहीं है। यदि निश्चित आरोप हैं तो हम उन अधिकारियों को निकाल बाहर करने की कोशिश करेंगे। मैं माननीय सदस्य को यह आश्वासन दे सकता हूं।

डा० वी० वेंकटेश : उन्हें पूरी जानकारी नहीं है।

श्री खुर्शीद आलम खां : क्या आप मुझे उत्तर देने देंगे ? मैं माननीय सदस्य को आश्वासन दे सकता हूं। मेरे पास वह विशिष्ट आरोपों को भेजें और मैं उन्हें सीधे जांच के लिए केन्द्रीय जांच ब्यूरो के सुपुर्द कर दूंगा।

श्री प्रियरंजन दास मुंशी : मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि क्या यह सच है कि बहुत अधिक माल एकत्र······

डा० वी० वेंकटेश : बिक्री केन्द्रों की क्या स्थिति है ?

श्री प्रियरंजन दास मुंशी : इसका सीधा और साधारण कारण यह है कि बिक्री केन्द्र···

उपाध्यक्ष महोदय : श्री दास मुंशी पहले ही बिक्री केन्द्रों के बारे में प्रश्न रख रहे हैं। कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

श्री प्रियरंजन दास मुंशी : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह सच है कि विशाल भण्डारों को इस आधार पर जारी नहीं किया गया कि माल लेने का यह व्यस्ततम मौसम है और आमतौर पर अर्ध-शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में यह दिसम्बर के शुरू से फरवरी तक होता है राष्ट्रीय वस्त्र निगम ने बहुत बार प्राधिकारियों से शिकायत की है मेरा मतलब मन्त्रालय और अन्य सम्बद्ध विभागों से है और उन्हें अधिक खुदरा केन्द्रों को खोलने की आवश्यकता है। पश्चिम बंगाल में 115 छोटे और मंझोले नगर हैं और खुदरा केन्द्र सारे राज्य के एक चौथाई भाग भी इसके अन्तर्गत नहीं आते हैं। क्या मंत्री महोदय इसकी जांच करेंगे और इनके प्रबन्ध को अन्तिम रूप देंगे ताकि अगले मौसम से इस प्रकार की समस्यायें न आयें ?

श्री खुर्शीद आलम खां : अपने नये खुदरा केन्द्रों को खोलने का हमारा अनुभव बहुत सुखद नहीं रहा है। परन्तु हमने फैसला किया है कि हम जितना अधिक हो सके उतनी एजेन्सियां छोटे, बड़े और मझोले नगरों में इच्छुक लोगों को देंगे।

श्रीमती गीता मुखर्जी : कुछ समय पूर्व मैंने राष्ट्रीय वस्त्र निगम को कई बार सलाह दी थी कि उन्हें ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के समूह बनाने चाहिएं क्योंकि वे सर्वाधिक सम्भावित खरीददार और बहुत अच्छी विक्रेता हैं। इसलिए मैं जानना चाहती हूं कि क्या राष्ट्रीय वस्त्र निगम ने वास्तव में इन महिला मंडलों का संगठन करने या उन्हे कम दाम पर माल मुहैय्या कराने के लिए महिलाओ के स्वयंसेवी संगठनों से सहायता ली है। यदि नहीं तो क्या मन्त्री महोदय इसकी जांच करेंगे।

श्री प्रियरंजन दास मुंशी : उनके पति कठिनाई में पड़ जायेंगे।

श्री खुर्शीद आलम खां : मैं माननीय महिला सदस्य का यह सुझाव देने के लिए आभारी हूं। इसके बारे में उनके द्वारा किए गये किसी भी प्रयत्न का मैं स्वागत करूंगा।

पंजाब एण्ड सिंध बैंक के अधिकारियों के स्थानान्तरण

* 666. **श्री राम भगत पासवान** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पंजाब एंड सिंध बैंक के उत्तर भारत में कार्य कर रहे अधिकारी दस वर्षों या अधिक अवधि से एक ही स्थान पर नियुक्त हैं;

(ख) ऐसे अधिकारियों की संख्या कितनी है जिन्होंने उत्तर भारत से बैंक की सेवा शुरु की तथा अपने नगर से कभी बाहर नहीं गए;

(ग) क्या यह भी सच है कि पंजाब एण्ड सिंध बैंक के प्राधिकारियों ने कुछ अधिकारियों का उत्तर भारत/पंजाब से बाहर स्थानांतरण किया, किन्तु वे अधिकारी वहां से नहीं गए; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जर्नादन पुजारी) : (क) : एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

(क) पंजाब एण्ड सिंध बैंक ने सूचित किया है कि बैंक में कुल 3695 अधिकारी हैं। इनमें से उत्तरी अंचल, जिसमें जम्मू और कश्मीर, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा तथा चण्डीगढ़ आते हैं, से आने वाले अधिकारियों की कुल संख्या 1953 है। लेकिन उत्तरी अंचल में काम करने वाले अधिकारियों की संख्या 1542 है। पंजाब एण्ड सिंध बैंक के उत्तरी क्षेत्र में कार्य कर रहे 1542 अधिकारियों में से केवल 28 अधिकारी 10 वर्षों से अधिक समय से एक ही स्थान पर हैं।

(ख) कुल 1953 अधिकारियों में से, जो पंजाब एण्ड सिंध बैंक में उत्तरी अंचल से आए थे, उन अधिकारियों की संख्या 69 है, जो अपने नगर से कभी भी बाहर नहीं गए। अलबत्ता इन अधिकारियों में से अधिकांश को बैंक की विभिन्न शाखाओं/कार्यालयों में बदल-बदल कर भेजा गया है और वे एक ही शाखा/कार्यालय में नहीं रहे।

(ग) और (घ) : अगस्त, 1985 में स्केल-1 के 26 अधिकारियों को उत्तरी अंचल से से अन्य अंचलों में स्थानांतरित किया गया। लेकिन मामले पर पुनः विचार करने के पश्चात् स्थानांतरित अधिकारियों के बच्चों के शिक्षा सत्र में व्यवधान की सम्भावित कठिनाइयों से बचने के लिए स्थानान्तरण आदेश रद्द कर दिए गए।

[हिन्दी]

श्री राम भगत पासवान : मैं मंत्री महोदय का धन्यवाद देना चाहता हूं जितनी मुझे जानकारी थी उससे अधिक जानकारी उन्होंने अपने उत्तर में दी है। उन्होंने कहा कि पंजाब एण्ड सिंध बैंक में 3695 आफिसर्स हैं जिनमें 28 आफिसर्स ऐसे हैं ,जो एक ही स्टेशन पर लगातार दस से अधिक वर्षों से हैं जब कि सरकार के नियम के अनुसार तीन वर्ष से अधिक नहीं रहना चाहिए। तो मैं इस प्रसंग में मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि क्या ये वही अफसर हैं जिनके विरुद्ध कई जांच चल रही हैं और जिन्होंने टाटा, बिरला और डालमिया वगैरह में अपने शेयर खरीद कर रखे हुए हैं और कई बार इनके विरुद्ध छापामारी भी हुई ? उन लोगों ने लाकर्स में करोड़ों रुपये रखे हुए हैं। क्या मंत्री महोदय यह जानकारी देने की कृपा करेंगे कि उन के विरुद्ध जो जांच बैठाई गई थी उस का क्या ब्यौरा है और उन के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

[अनुवाद]

श्री जर्नादन पुजारी : यह प्रश्न स्थानांन्तरण नीति से सम्बन्धित है। अब तक नार्थ जोन में पंजाब और सिंध बैंक में कार्यरत 1542 अधिकारियों में से 1514 अधिकारियों का बैंक ने स्थानांन्तरण कर दिया है। 28 अधिकारी अभी स्थानान्तरित किये जाने हैं। वे अभी वहीं हैं। अगस्त माह में 28 अधिकारियों के स्थानान्तरण के आदेश जारी किए गए हैं। उन्होंने यह कहते हुए अभ्यावेदन प्रस्तुत किये हैं कि स्थानान्तरण शिक्षा सत्र के बीच में हो रहे हैं और हमने भी बैंक को कहा है कि वह अप्रैल और मई माह में स्थानान्तरण आदेश को जारी करने से सम्बन्धित मसले की जाँच करें।

[हिन्दी]

श्री राम भगत पासवान : उपाध्यक्ष महोदय, जिन 28 कर्मचारियों के बारे में इन्होंने उत्तर दिया कि उनके बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था की वजह से उनके ट्रांसफर को कैंसिल कर दिया गया क्या यह सही है कि वे प्रभावशाली व्यक्ति हैं और प्रशासन का कोई भी ऊपर से प्रभाव नहीं पड़ रहा है······(**व्यवधान**)

मैं सिर्फ यह कहना चाहूंगा कि क्या इसमें ऐसे बैंक के अधिकारी और कर्मचारी भी हैं जिनके ऊपर जांच चल रही है? उस जांच के बारे में क्या रिपोर्ट है और क्या ऐक्शन उनके विरुद्ध लिया गया, इसकी सूचना मंत्री महोदय देने की कृपा करेंगे?

[अनुवाद]

श्री जर्नादन पुजारी : कोई दबाव नहीं डालने दिया जायेगा। अन्य अवैध गतिविधियों के बारे में यदि माननीय सदस्य के पास कोई सूचना है तो निश्चय ही मैं उसके बारे में जांच का आदेश दूंगा।

श्री डी० एन० रेड्डी : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि हाल ही में बैंक अधिकारियों के विरुद्ध अनियमितताओं के मामले सामने आये हैं, क्या माननीय मंत्री एक आश्वासन देंगे कि कोई भी अधिकारी एक स्थान पर पांच वर्ष से ज्यादा न रहेगा और किसी भी अधिकारी की उसके मूल स्थान पर बदली नहीं की जायेगी?

एक माननीय सदस्य : पांच साल नहीं तीन साल। यही नियम है।

श्री जर्नादन पुजारी : ये ही मार्ग दर्शी सिद्धान्त हैं जो सभी बैंको को जारी किये गये हैं। हमारी स्थानांन्तरण सम्बन्धी नीतियां अलग-अलग हैं। परन्तु इसी समय मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि वे सरकार के साथ सहयोग करें। जब कभी कोई उनके पास इस सम्बन्ध में आता है तो उन्हें भी चाहिए कि······

उपाध्यक्ष महोदय : कभी-कभी सदस्य इससे बच नहीं सकते हैं। यह अधिकारियों पर

निर्भर करता है । सही मामलों में यदि वे उनके पास आते हैं तो सदस्य क्या कर सकते हैं ? (व्यवधान)

श्री डी. एन. रेड्डी : वह सदस्यों पर दोषारोपण कर रहे हैं । (व्यवधान)

श्री जर्नादन पुजारी : मैं जो निवेदन करना चाहता हूं, वह यह है । मैं माननीय सदस्यों का सहयोग भी चाहता हूं । जहां तक सम्भव हो सकेगा मार्गदर्शी सिद्धान्तों को कार्यान्वित किया जायेगा और जैसे उन्होंने कहा है कुछ मामलों में जहां अन्याय किया गया है······

उपाध्यक्ष महोदय : यह उन्होंने स्वयं ही कहा है कि उन्होंने स्थानांतरण नहीं किया क्योंकि कोई शिष्ट मण्डल आया था । परन्तु यदि सही मामले है······

श्री जर्नादन पुजारी : इस प्रकार के मामलों पर हमें दोबारा विचार करना है । इस बीच मैं माननीय सदस्य को आश्वासन दूंगा कि अधिकांश बैंकों को हमने सलाह दी है कि वे स्थानांतरण सम्बन्धी इस नीति को भी कार्यान्वित करें ।

[हिन्दी]

श्री मूल चन्द डागा : उपाध्यक्ष महोदय, चांदनी चौक में 150 नेशनालाइज बैंक्स हैं। यहां सारे आफिसर और एम्पलाई एक लाख के करीब हैं । वे सब एक जगह रहना चाहते हैं। कम से कम आठ नौ साल एक जगह पर उनको हो गए हैं, उनको हटा नहीं सकते ।

श्री मूल चन्द डागा : उन लोगों को क्या आप दूसरी जगह भेंजेगे ?

[अनुवाद]

भारत का गलत मानचित्र दर्शाने वाली एक यूरोपीय आर्थिक पत्रिका का परिचालन

***667. श्री अमर राय प्रधान**

: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

श्री के वी शंकर गौड़ा

(क) क्या भारत का गलत मानचित्र दर्शाने वाली एक प्रमुख यूरीपीय आर्थिक पत्रिका की प्रतियां देश में परिचालित की जा रही हैं;

(ख) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह सच है कि पत्रिका के भीतरी आवरण पृष्ठ और विषय सूची पृष्ठ पर फैले हुए मानचित्र में केवल जम्मू और काश्मीर ही नहीं बल्कि अभी पूर्वोत्तक राज्यों को शामिल नहीं किया गया है; और

(घ) यदि हां, को तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस बारे में सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री (जनार्दन पुजारी) : (क) से (घ), एक विवरण सभा पटल पर रखा गया है।

विवरण

भारत का गलत मानचित्र दर्शाने वाली एक यूरोपीय आर्थिक पत्रिका का परिचालन

(क) से (घ) : यूरोमनी पब्लिकेशन्स लिमिटेड, लन्दन ने अपने दिसम्बर, 1985 के अंक के साथ भारत पर एक विशेष परिशिष्ट प्रकाशित किया था। इस परिशिष्ट में भारत का एक ऐसा खाका दिया गया है, जिसमें भारत का सही-सही सीमाओं को नहीं दर्शाया गया है प्रकाशकों ने, जिनसे गलती सुधारने के लिए कहा गया था, स्पष्ट किया है कि निर्दिष्ट अरेख से कोई मान-चित्र अभिप्रेत नहीं हैं, बल्कि वह तो एक उपमाद्वीप के रूप में भारत की भौगोलिक रूप रेखा के शैलीगत चित्रण का कलात्मक खाका है। उन्होंने क्षमा-प्रार्थना की हैं और हमें अपनी सदाश्यता का आश्वासन दिया है।

इसी बीच, सीमा शुल्क अधिकाकियों की सलाह दी गई है कि वे इस अंक की प्रतियों की खेप की जांच करें और सभी प्रतियों पर यह अंकित करें कि इस अंक में प्रकाशित नक्शे न तो सही हैं और न ही अधिकृत।

श्री अमर राय प्रधान : उस प्रमुख यूरोमनी पत्रिका में छये अच्छे लेखों के कारण आप सब कुछ भूल गए हैं। उन्होंने आप को गस दी और आप उन्हें भूमि और धन दे रहे हैं। यह एक त्रासदी है।

सभी विदेशी पत्रिकाओं के बारे में यह आशा की जाती है कि सरकार द्वारा देश में उस पत्रिका के परिचालन से पहले के सरकार की स्वीकृति प्राप्त करें। क्या मैं माननीय मन्त्री से यह जान सकता हूं कि यह सत्य है कि इस मानचित्र पर मन्जूरी सम्बन्धी मोहर लगी सामान्य स्वीकृति नहीं है, जो कि आवश्यक है और यदि ऐसा है तो इस समम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री जनार्दन पुजारी : यह यूरोमनी पत्रिका लन्दन से छपती है। वास्तव में उन्होंने भारत में विज्ञापनों से मिले धन को जोकि न तो लेखन से प्राप्त हुआ और नहीं अन्य वजह से, उसे लौटाने के लिए वित्त मन्त्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग से मंजूरी ले ली है। इस धन के बारे में उन्होंने वित्त मन्त्रालय से सम्पर्क किया और उन्हें मंजूरी दे दी गयी थी। यह मानचित्र जल्दबाजी में प्रकाशित में किया गया था और भारत के नक्शे को उसमें सही रूप में नहीं दर्शाया

गया। हमने उनको लिखा है और उन्होंने इसके लिए क्षमा प्रार्थना की है। उन्होंने कहा है कि यह केवल एक कलात्मक खाका है इसके लिए उन्होंने अपनी ओर से क्षमा याचना की है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[हिन्दी]

बिहार में तस्करी

*660. **श्री काली प्रसाद पांडेय** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1984-85 और 1985-86 के दौरान अन्य राज्यों की तुलना में बिहार में अधिक तस्करी हुई है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ख) क्या दिसम्बर, 1985 और जनवरी-फरवरी, 1986 में गोपालगंज में स्थानीय पुलिस द्वारा मारे गये दो छापों के दौरान लगभग 30 लाख रुपये के मूल्य का तस्करी का सामान और विभिन्न वाहन पकड़े गए थे; और

(ग) यदि हां, तो क्या इस बारे में उच्चस्तरीय जांच कराने का तत्सम्बन्धी विवरण सभा पटल पर रखने का सरकार का विचार है।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) तस्करी एक गुप्त रूप से की जाने वाली गतिविधि होने के कारण भारत नेपाल सीमा के विभिन्न क्षेत्रों के जरिए होने वाली तस्करी की मात्रा का उचित अनुमान लगा पाना संभव नहीं है। तथापि, संपूर्ण भारत-नेपाल सीमा, जिसमें बिहार क्षेत्र भी शामिल है, सीमा के आर-पार से होने वाली तस्करी के लिए सुगम्य क्षेत्र बना हुआ है जैसाकि पकड़े गये माल के निम्नलिखित आंकड़ों से स्पष्ट है :—

वर्ष	मूल्य (करोड़ रुपयों में)
1984	1.80
1985	6.80
1986 (फरवरी तक)	0.70 (अनन्तिम)

(ख) और (ग) : दिनाक 31 जनवरी, 1986 को, पुलिस प्राधिकारियों ने गोपालगंज में एक मामले में तस्करी द्वारा लाया गया 7.50 टन गांजा और चार कारें पकड़ीं जिनका कुल मिलाकर मूल्य 31.72 लाख रुपये था। इस सम्बन्ध में चार व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया

था। इस माल को, गोपालगंज स्थित सीमा शुल्क निवारक एकक ने दिनांक 2.3.1986 को अपने कब्जे में ले लिया था। और आगे जांच पड़ताल की जा रही है। जांच-पड़ताल पूरी हो जाने पर, ग्रस्त पाए गए व्यक्तियों के विरुद्ध विभागीय/न्याय- निर्णयन की कार्यवाही करने के लिए तथा न्यायालय में मुकदमा दायर करने के लिए उपयुक्त कार्यवाही की जाएगी।

[अनुवाद]

इंजीनियरी सामान का निर्यात

*662. **श्री यशवन्तराव गडाख पाटिल**

श्री मोहन भाई पटेल : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1985-86 के दौरान इंजीनियरी सामान का वास्तविक निर्यात उस वर्ष के लिए निर्धारित लक्ष्य से कम होने की संभावना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है।

(ग) निर्यात कम होने के क्या कारण हैं;

(घ) उन देशों के नाम क्या हैं, जिनका सामान विश्व बाजार में भारतीय सामान की तुलना में सस्ता बिक रहा है; और

(ङ) उन देशों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिये निर्यातकों को सहायता देने हेतु क्या उपाय किए जायेंगे;

वाणिज्य तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) तथा (ख) इंजीनियरी निर्यात संवर्धन परिषद से उपलब्ध अनन्तिम आंकड़ों के अनुसार, अप्रैल, 1985 से जनवरी 1986 अवधि के दौरान इन्जीनियरी माल का निर्यात 857 करोड़ रुपये का रहा जबकि 1984-85 की उसी अवधि में ये निर्यात 930 करोड़ रु० के थे। 1985-86 के दौरान निर्यातों का स्तर 1750 करोड़ रु० के लक्ष्य की अपेक्षा कम रहेगा।

(ग) इंजीनियरी निर्यातों में कमी, अन्य बातों के साथ-साथ, अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में कड़ी प्रतियोगिता, कतिपय विकसित देशों में संरक्षणवाद की प्रवृत्तियां, भुगतान शेष की समस्याओं तथा एशिया और अफ्रीका में बहुत से विकासशील देशों में विकासात्मक कार्यकलापों के धीमा होने, पश्चिम एशिया में निरन्तर अस्थिरता रहने, स्वदेशी अन्तर्निविष्ट साधनों की ऊंची लागत तथा कुछ क्षेत्रों में अपर्याप्त उत्पादन आधार की वजह से आई है।

(घ) हमारे उत्पाद चीन, ताइवान, दक्षिण कोरिया तथा ब्राजील सहित बहुत से देशों से प्रतियोगिता का सामना कर रहे हैं।

(ङ) इंजीनियरी उत्पादो के निर्यात बढ़ाने के लिए, किए गए कुछ मुख्य उपाय ये हैं :

(1) इंजीनियरी निर्यातों के सम्बन्ध में एक परिप्रेक्ष्य योजना तथा नीति तैयार करने

के लिए भारी उद्योग विभाग के तत्कालीन सचिव श्री डी० वी० कपूर की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई थी। समिति ने हमारे निर्यातों में वृद्धि करने के लिए दो आयामी नीति की सिफारिश की अर्थात निर्यातों के लिए प्रोत्साहनों की वर्तमान व्यापक प्रणाली को जारी रखना तथा उसे मजबूत बनाना और कुछ "थ्रस्ट" उद्योगों को चुनना तथा उन्हें अन्तर्राष्ट्रीय रूप से प्रतियोगी बनाने की दृष्टि से उत्पादन, प्रौद्योगिकीय अपग्रेडेशन तथा प्रतियोगिता के अनुकूलतम स्तर के पहलूओं के ध्यान में रखते हुए नीति आवश्यक वातावरण प्रदान करना। समिति द्वारा सिफारिश की गई नीति को सरकार ने अनुमोदित कर दिया है।

(2) "थ्रस्ट' उद्योग के लिए उत्पादन तथा निर्यात योजनाएं तैयार करने के लिए विस्तृत कार्यवाही की जा रही है।

(3) औद्योगिक लाइसेंस नीति, आयात के उदारीकरण के लिए सरकार ने कई उपाय किए हैं ताकि भारतीय उद्योग को प्रोद्योगिकीय आधार में सुधार लाया जा सके और उसकी अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगी क्षमता को बढ़ाया जा सके।

(4) नकद मुआवजा सहायता योजना को तीन वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है। यह नई योजना घरेलू करों के प्रपाती प्रभाव के सम्बन्ध में उद्योग की क्षतिपूर्ति करेगी।

(5) अन्तर्राष्ट्रीय कीमत प्रतिपूर्तियोजना में क्रियाविधि सम्बन्धी परिवर्तन किए गए हैं जिससे कि आसानी से वितरण किया जा सके और इस योजना को मिश्र धातु इस्पातों सहित इस्पात की सभी श्रेणियों को शामिल करने के लिए विस्तृत कर दिया गया है।

(6) विनिर्माताओं निर्यातकों के लिए 1 जनवरी, 1986 से आयात-निर्यात पासबुक योजना आरम्भ की गई है ताकि निर्यात उत्पादन के लिए शुल्क मुक्त आयातों की आसानी से व्यवस्था हो सके।

भारतीय खाद्य निगम द्वारा आन्ध्र प्रदेश में चावल की खरीद का कार्य

*668. श्री एम० रघुमा रेड्डी : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने धमकी दी है कि आन्ध्र प्रदेश में भारतीय खाद्य निगम द्वारा चावल की खरीद का कार्य रोक दिया जायेगा, जिसका समाचार 13 मार्च, 1986 के "दि टेलिग्राफ" में प्रकाशित हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

वाणिज्य तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) (क) जी ऐसा नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

चीनी के मूल्य में वृद्धि

*669. **श्रीमती गीता मुखर्जी** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मार्च, 1986 के दौरान चीनी के मूल्य में लगभग 90 रुपए प्रति क्विटल वृद्धि की गई थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या मूल्य-वृद्धि की प्रवृत्ति अभी जारी है ?

वाणिज्य तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) से (ग) प्रमुख मंडियों में 28.2.1986 को चीनी के थोक मूल्य 611-640 रुपये प्रति क्विंटल के रेंज में थे। मूल्य 14.3.1986 को बढ़कर 630.00 रुपये से 686.00 रुपये प्रति क्विंटल की रेंज में हो गए जिससे 28.2.1986 को चल रहे मूल्यों की तुलना में 19.00 रुपये से 46.00 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी हुई।

खुले बाजार में चीनी के मूल्य विभिन्न तथ्यों के कादण समय-समय पर घटते-बढ़ते रहते हैं और मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त उपलब्धता होने के बावजूद, मौसमी आवश्यकता, बाजार की भावी सम्भावनाओं, आदि के कारण कभी-कभी मूल्य बढ़ जाते हैं। बहुत ही थोड़ी अवधि के लिए मूल्यों में वृद्धि हुई थी और मार्च, 1986 के तीसरे सप्ताह से मूल्यों में उल्लेखनीय गिरावट आई थी। अप्रैल, 1986 के लिए खुली बिक्री की चीनी की अधिक निर्मुक्तियां करने से, जोकि सुपुर्दगी के लिए 21.3.1986 से प्रभावी हुई थी, 4.4.1986 की स्थिति के अनुसार मूल्य गिरकर 627.00 रुपये से 649.00 रुपये प्रति क्विंटल की रेंज में हो गए हैं।

[हिन्दी]

आयकर के प्रयोजनार्थ आचार्य रजनीश की आस्तियों का मूल्यांकन

*670. **श्री कुंवर राम** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयकर और अन्य करों के प्रयोजनार्थ आचार्य रजनीश और उनसे सम्बद्ध भारतीय और विदेशी संगठनों की आस्तियों का कोई मूल्यांकन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उनकी और कुल कितनी धन-राशि बकाया है और कितनी धनराशि पांच वर्षों से अधिक समय से बकाया है; और

(घ) इस धन राशि को वसूल करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) आचार्य रजनीश का उनकी व्यक्तिगत हैसियत में आयकर/धनकर निर्धारण नहीं किया जाता है। " रजनीश फाउंडेशन" नामक न्यास का आयकर और धनकर निर्धारण किया जाता है । "रजनीश फाउंडेशन लि०' नामक कम्पनी का आयकर निर्धारण किया जाता है।

(ख) "रजनीश फाउंडेशन" नामक न्यास के आयकर और धन कर निर्धारणों के ब्यौरे नीचे दिए अनुसार हैं :—

कर- निर्धारण वर्ष	कुल निर्धारित आय	निर्धारित शुद्ध धन
	रु०	रु०
1970-71	—	1,11,856
1971-72	शून्य	1,37,209
1972-73	शून्य	4,82,519
1973-74	शून्य	5,65,600
1974-75	शून्य	6,70,514
1975-76	4,57,494	16,90,356
1976-77	26,51,590	35,13,012
1977-78	44,33,250	56,66,260
1978-79	55,88,220	99,43,042
1979-80	78,48,860	1,85,53,730
1980-81	1,14,80,330	2,77,60,600
1981-82	2,14,95,760	4,10,00,400
1982-83	(—) 1,52,82,129 (हानि)	कर निर्धारण नहीं किया गया ।

"रजनीश फाउंडेशन लि०" नामक कम्पनी के आयकर निधारणों के ब्यौरे निम्नानुसार हैं :—

कर-निर्धारण वर्ष	निर्धारित आय/हानि रु०
1980-81	(—) 88.520
1981-82	(+) 1,74,470) अपील और मूल-सुधार पर 51,060/-रु० तक कम कर दी गई।
1982-83	1,46,968

(ग) निम्नखिखित की तरफ बकाया कुल राशि :—

(i) न्यास "रजनीश फाउंडेशन" :

(1) आयकर—3,56,41,992 रु०

(2) धनकर— 33,60,868 रु०

(ii) रजनीश फाउंडेशन लि० 2,33,911 रु० (आयकर) निम्नलिखत की तरफ 5 वर्ष से अधिक समय से बकाया राशि :—

(क) न्यास "रजनीश फाउंडेशन :

(i) आयकर 21,77,905 रु०

(ii) धनकर शून्य

(ख) रजनीश फाउंडेशन लि० : शून्य

(घ) बकाया राशियों को वसूल करने के लिए बेंक खातों और प्राप्य किराए की राशियों साहित चल संपत्तियां कुर्क कर ली गई थीं। रजनीश फाउंडेशन न्यास की अंचल संपत्तियां भी कुर्क कर ली गई हैं। इन उपायों से 31.3.1986 तक 35,66,862/-रु० की वसूली हुई है।

[अनुवाद]

ऍंग्लों-फ्रेंच टेक्सटाइल मिल्स, पांडिचेरी को पुनः खोलना

*671. श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पांडिचेरी स्थित ऐंग्लो-फ्रेंच टैक्सटाइल मिल्स पुनः खोली गई है और उसमें काम चालू हो गया है;

(ख) यदि हां, तो कब से; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वस्त्र मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खां) (क) तथा (ख) : पांडिचेरी स्थित ऐंग्लो-फ्रेंच टैक्सटाइल मिल्स का एक विभाग अर्थात् कैनवास मिल 17-3-1986 को पुनः खोल दिया गया है और इसने कार्य करना आरम्भ कर दिया है। पांडिचेरी टैक्सटाइल निगम लि० मिल के अन्य विभागों में सफाई, रखरखाव कार्य कर रहा है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

पाकिस्तानी सीमा पार से तस्करी

*672. **श्री एन. टोम्बी सिंह** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पाकिस्तानी सीमा पार से बिना रोक-टोक नशीली वस्तुओं, सोने और चांदी की तस्करी लगातार हो रही है, जिससे हमारे देश की अर्थ-व्यवस्था और लोगों के स्वास्थ्य पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है;

(ख) क्या और अधिक सीमा क्षेत्र पर प्रत्यक्ष चौकसी रखने तथा बाड़ लगाने के प्रश्न पर अन्तिम रूप से विचार किया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या ऐसी तस्करी का पता लगाने वाले गुप्तचरों को पर्याप्त पुरस्कार देने की कोई योजना शुरू की गई है;

(ङ) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान कितने व्यक्तियों को पुरस्कृत किया गया और कुल कितना सामान पकड़ा गया तथा उसका मूल्य कितना था; और

(च) इस बुराई से निपटने के लिए अन्य क्या कदम उठाने का विचार है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) (क) : सरकार को मिली रिपोर्टों और किए गए अभिग्रहणों से यह पता चलता है कि सोना तथा आस्वापक औषध द्रव्य भारत-पाक सीमा से भारत में तस्कर-आयात के लिए आकर्षण की वस्तुएं बनी हुई हैं। विगत दो वर्षों से सीमा के आर-पार चांदी की कोई महत्वपूर्ण तस्करी नहीं हो रही है।

(ख) हालांकि केन्द्रीय और राज्य सरकार के सम्बन्धित अभिकरणों द्वारा भारत-पाक

सीमा पर विस्तृत निगरानी रखी जाती रही है, फिर भी सीमा पर बाड़ लगाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) इसका प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) सरकार ने मार्च, 1985 में पुरस्कार नीति को उदार/युक्तियुक्त बना दिया है। संशोधित योजना के तहत, मुखबिरों और सरकारी कर्मचारियों की पुरस्कार पात्रता को सामान रूप से पकड़े गए निषिद्ध माल के मूल्य का 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 20 प्रतिशत कर दिया गया है जिसमें यह व्यवस्था भी है कि अभिग्रहण के तुरन्त बाद पुरस्कार राशि का एक हिस्सा मंजूर किया जाए।

(ङ) वर्ष 1983, 1984 और 1985 के दौरान भारत-पाक सीमा क्षेत्र में किए गए अभिग्रहणों के लिए जिन सरकारी कर्मचारियों (सीमा सुरक्षा बल तथा पुलिस सहित) तथा मुखबिरों को पुरस्कार राशियां मंजूर/भुगतान की गई थीं, उनकी संख्या और उपर्युक्त अवधि के दौरान किए गए अभिग्रहणों का मूल्य निम्नलिखित है :—

वर्ष	सरकारी कर्मचारियों की संख्या	मुखबिरों की संख्या	पकड़े गए माल का मूल्य (करोड़ रुपयों में)	
1983	310	52	3.84	
1984	574	35	5.60	
1985	859	38	12.20	*365 कि०ग्रा० हेरोइन

(च) भारत-पाक सीमा पर सामान्यत: तस्करी-रोधी अभियान को तेज कर दिया गया है। इस क्षेत्र में सीमाशुल्क विभाग के निवारक तथा आसूचना तंत्र को कर्मचारियों एवं उपकरणों की दृष्टि से सुदृढ़ बना दिया गया है। इसके अलावा, केन्द्रीय तथा राज्य सरकार के सम्बन्धित प्राधिकारियों के साथ घनिष्ठ तालमेल स्थापित करके समुचित तस्करी-रोधी उपाय किए जाते हैं। इस क्षेत्र में तस्करी की प्रवृत्तियों और किए गए अभिग्रहणों की सतत् समीक्षा की जाती रहती है, ताकि यथापेक्षित समुचित उपचारी कार्रवाई की जा सके।

एक नए अधिनियम, अर्थात् 'स्वापक औषध द्रव्य तथा मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985' को दिनांक 14 नवम्बर, 1985 से लागू किया गया है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ औषध द्रव्य के गैर-कानूनी धन्धे से सम्बन्धित अपराधों के लिए कड़ी सजा देने की व्यवस्था की गई है।

भारतीय वाणिज्य मण्डल द्वारा उडीसा में उद्योगों के लिए वित्त-व्यवस्था के सम्बन्ध में किया गया अध्ययन

*673. **श्री जगन्नाथ पटनायक** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय वाणिज्य मण्डल द्वारा उड़ीसा में उद्योगों के लिए वित्त व्यवस्था के सम्बन्ध में कोई अध्ययन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो उपर्युक्त अध्ययन की मुख्य रूपरेखा क्या है; और

(ग) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) (क) : सरकार के पास इस सम्बन्ध में कोई सूचना नहीं है।

(ख) और (ग) : प्रश्न ही नहीं उठते।

राष्ट्रीयकृत बैंकों में स्थानान्तरण सम्बन्धी नीति

*674. **श्री केशवराव पारधी** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बैंक आफ इंडिया समेत राष्ट्रीयकृत बैंकों में स्थानांतरण के सम्बन्ध में क्या नीति अपनाई जा रही है; और

(ख) क्या यह सच है कि राष्ट्रीयकृत बैंकों के जिन कर्मचारियों को पदोन्नति देकर दिल्ली से बाहर स्थानांतरित अथवा नियुक्त किया जाता है, उन्हें तीन वर्षों की अवधि के बाद पुन: दिल्ली में नियुक्त किया जाता है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) (क) : बैंक आफ इंडिया सहित राष्ट्रीयकृत बैंकों की विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारियों की सेवा शर्तों के अनुसार अपनी-अपनी स्थानांतरण नीतियां है। राष्ट्रीयकृत बैंकों के अधिकारियों को बैंकों की प्रशासनिक अपेक्षाओं के अनुसार कहीं भी स्थानांतरित किया जा सकता है। लेकिन, लिपिकीय कर्मचारियों को उस राज्य या भाषा क्षेत्र, जिसमें वे काम कर रहे हों, से बाहर सामान्यतया स्थानान्तरित नहीं किया जाता। अधीनस्थ कर्मचारियों को भी प्राय: स्थानांतरित नहीं किया जाता। सरकार ने 1982 में राष्ट्रीयकृत बैंकों से अपने अधिकारियों को 3-3 वर्ष के बाद और लिपिकीय कर्मचारियों को 5-5 वर्ष के पश्चात बदल-बदल कर नियुक्त करने के लिए कहा था। यह सुनिश्चित करने के लिए

कि स्थानांतरण से काम में कोई रुकावट न पड़े या कर्मचारियों को कोई कठिनाई न हो। 1984 में बैंकों से विभिन्न चरणों में स्थानांतरण करने के लिए कहा गया था।

(ख) बैंकों ने सूचित किया है कि पदोन्नति पर या अन्यथा दिल्ली से बाहर स्थानांतरित नियुक्त राष्ट्रीयकृत बैंकों के कर्मचारियों को विभिन्न बैंकों की स्थानांतरण नीति, खाली स्थानों की उपलब्धता, काम की अनिवार्यता आदि जैसे विभिन्न तथ्यों के आधार पर तीन वर्ष के पश्चात् पुन: दिल्ली में नियुक्त किया जाता है।

[हिन्दी]

सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राज्यों में यात्री निवास की स्थापना

* 675. **श्री दिलीप सिंह भूरिया :** क्या संसदीय कार्य और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सातवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान प्रत्येक राज्य में एक-एक यात्री निवास स्थापित करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक राज्य में यात्री निवास कब तक स्थापित किये जाने की संभावना है; और

(ग) क्या मध्य प्रदेश राज्य के बड़े आकार को ध्यान में रखते हुए उसके लिए एक से अधिक यात्री निवासों की व्यवस्था करने का विचार है?

संसदीय कार्य और पर्यटन मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) सातवीं योजनावधि के दौरान पर्यटन विभाग ने यात्री निवासों का निर्माण करने की एक स्कीम प्रारम्भ की है ताकि निम्न/मध्य आय वर्ग के पर्यटकों को आवास उपलब्ध कराया जा सके। प्रथम चरण में प्रत्येक राज्य/संघ शासित क्षेत्र में कम से कम एक यात्री निवास का निर्माण करने का प्रस्ताव है। यह एक संयुक्त उद्यम स्कीम है जिसके तहत राज्य सरकार विकसित भूखण्ड और अन्य अनुषंगी सुविधाएं जुटाएंगी और केन्द्रीय पर्यटन विभाग निर्माण सम्बन्धी लागत वहन करेगा।

(ख) अभी तक 20 राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों ने इस स्कीम में भाग लेने के लिए अपनी इच्छा व्यक्त की है और इनमें से 15 ने इसके प्रयोजनार्थ विस्तृत अनुमान और ब्लू-प्रिंट भिजवाए हैं। 1985-86 के दौरान 7 राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को पहले ही धन-राशि रिलीज कर दी गई है। ये राज्य/संघ शासित क्षेत्र हैं—हरियाणा, तमिलनाडु, उड़ीसा, गुजरात, अंडमान और निकोबार द्वीप-समूह, गोआ और दिल्ली। अन्य मामलों में भी कार्रवाई की जा रही। सामान्यत: एक यात्री निवास लगभग $1\frac{1}{2}$ वर्ष में बनकर तैयार हो जाता है।

(ग) मध्य प्रदेश सरकार ने ग्वालियर में एक यात्री निवास का निर्माण करने के लिए वित्तीय सहायता हेतु एक प्रस्ताव भेजा था। यह स्कीम विधिवत रूप से अनुमोदित थी। बाद में राज्य सरकार ने यह सूचित किया कि वे ग्वालियर की बजाए इंदौर में एक यात्री निवास का निर्माण करना चाहेंगे। उनसे संशोधित प्रस्ताव के सम्बन्ध में साइट प्लान्स/ब्लू प्रिंट्स और अनुमानों आदि सहित पूरे ब्यौरे भिजवाने के लिए अनुरोध किया गया था। इस पर राज्य सरकार से ब्यौरे प्राप्त होने पर विचार किया जाएगा। जहाँ तक मध्य प्रदेश में एक से अधिक यात्री निवास बनाने का प्रश्न है, इस पर धन-राशि की उपलब्धता और परस्पर प्राथमिकताओं पर निर्भर रहते हुए विचार किया जाएगा।

[अनुवाद]

बड़े नगरों में आय-कर कार्यालयों में कम्प्यूटर लगाना

*676. **श्री सोमजीभाई डामर** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मद्रास स्थित आयकर विभाग के कार्यालय में कम्प्यूटर लगाया गया है;

(ख) यदि हां, तो कम्प्यूटर का मूल्य क्या है और यह किससे खरीदा गया है;

(ग) क्या आयकर विभाग के मद्रास स्थित कार्यालय के लिए कम्प्यूटर खरीदने से पहले इलैक्ट्रानिकी मिभाग से परामर्श किया गया था और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण थे;

(घ) क्या बड़े शहरों में स्थित आयकर विभाग के कार्यालयों में कम्प्यूटर लगाने के लिए सरकार उनकी खरीद की योजना को अन्तिम रूप दे रही है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) (क) जी, हां।

(ख) संगणक की लागत 9.90 लाख रु० है। इसे मैसर्स हिन्दीट्रान इक्विपमैंट मैन्यु-फैक्चरिंग कम्पनी (प्रा०) लिमिटेड, बम्बई से खरीदा गया है।

(ग) जी हां। नेशनल इन्फर्मेटिक्स सेन्टर इलैक्ट्रानिक्स विभाग का एक प्रतिनिधि कम्प्यूटर चयन सीमित में शामिल था।

(घ) जी, हां।

(ङ) आयकर विभाग कलकत्ता, बम्बई तथा दिल्ली में स्थापित करने के लिए कम्प्यूटरों की खरीद किए जाने का काम पूरा कर लिया गया है।

[हिन्दी]

किसानों को ट्रैक्टर खरीदने के लिए ऋण देने की प्रक्रिया का सरलीकरण

* 677. **श्री बलवंत सिंह रामूवालिया** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किसानों को ट्रैक्टर खरीदने के लिये ऋण देने की प्रक्रिया को और सरल बनाने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस योजना को कब कार्यान्वित किये जाने की सम्भावना है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) किसान ट्रैक्टर खरीदने के लिये वाणिज्यिक/सहकारी बैंकों से ऋण ले सकते हैं। ये संस्थाएं राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) द्वारा मोटे तौर पर तय की गई शर्तों पर ऋण देती हैं जिसके लिये वे राष्ट्रीय बैंक से पुनर्वित्त प्राप्त करती है।

राष्ट्रीय बैंक ने हाल ही में ट्रैक्टर खरीदने के लिये किसानों को दिए जाने वाले ऋणों के मामले में ऋण देने वाली संस्थाओं को पुनर्वित्त उपलब्ध कराने की शर्तों को उदार बना दिया है। 18.3.1986 से लागू की गई इस उदार ट्रैक्टर ऋण नीति की मुख्य बातें ये हैं :—

(क) ऋण चुकाने की अधिकतम अवधि सात वर्ष से बढ़ाकर 9 वर्ष कर दी गई है।

(ख) बारहमासी सिंचाई भूमि की कम से कम जोत की 10 एकड़ भूमि की शर्त या राज्य भूमि अधिकतम सीमा अधिनियम के अधीन निर्धारित विभिन्न श्रेणियों की जोत की ऐसी भूमि की शर्त में ढील देकर 8 एकड़ कर दिया गया है।

(ग) दूसरा ट्रैक्टर ऋण प्राप्त करने के लिए न्यूनतम पात्रता अवधि 7 साल से घटाकर तीन साल कर दी गई है, बशर्ते कि उधारकर्त्ता ने पहला ऋण पूरा चुका दिया हो।

[अनुवाद]

दक्षिण कोरिया के साथ व्यापार वार्ता

*678. **श्रीमती ऊषा चौधरी** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में नई दिल्ली में दक्षिण कोरिया के व्यापार प्रतिनिधिमंडल के साथ व्यापार, प्रतिकूल व्यापार संतुलन मे कमी लाने और दक्षिण कोरिया को माल के निर्यात के बारे में विचार विमर्श किया था; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) जी हां ।

(ख) 2-5 मार्च, 1986 को अपने प्रधानमंत्री के साथ दक्षिण कोरियाई आर्थिक प्रतिनिधि-मंडल भारत आगमन के दौरान बातचीत में भारतीय पक्ष ने प्रतिकूल शेष को कम करने के लिए भारत मे उनके आयातों को बढ़ाने के लिए उनसे आग्रह किया । भारत को निर्यात हित की विभिन्न मदों का उल्लेख किया गया । दक्षिणी कोरियाई दल ने यह बताया कि उन्होंने उन मदों का पता लगाने के लिए, जिन्हें कोरिया भारत से आयात कर सकता है एक अध्ययन समूह की स्थापना करने का निर्णय किया है ।

[अनुवाद]

शिलांग कलक्टरी के सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पादन शुल्क विभाग के अधिकारियों को परेशान किया जाना

6273. **श्री आनन्द पाठक** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क कलक्टरी, शिलांग के श्रेणी "ख" "ग" और "घ" अधिकारियों की एसोसिएशन से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ जिसमें शिकायत की गई है कि शिलांग कलक्टरी के सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क विभाग के कुछ अधिकारी जो ड्यूटी पर थे तो उन्हें असम के कुछ पुलिस अधिकारियों द्वारा परेशान किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने शिकायतों की कोई जांच और उपयुक्त कार्यवाही की है ।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) जी हां । अभ्यावेदनों के प्राप्त होने पर, असम के मुख्य मंत्री से अनुरोध किया गया था कि वे मामले की जांच करवायें और सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पादन शुल्क के अधिकारियों को सरकारी ड्यूटी करते समय परेशान किए जाने के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों के विरूद्ध समुचित अनुशासनिक कार्यवाही आरंभ करें । असम के मुख्य मंत्री ने अब सूचित किया है कि उस क्षेत्र के डिवीजनल कमीश्नर से मामले की जांच करवायी है और डिवीजनल कमीशनर से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर अपने प्राधिकारों का दुरूपयोग करने वाले दोषी पाये जाने वाले अधिकारियों के विरुद्ध उचित कार्रवाई की जाएगी ।

सुपर बाजार में मदर डेरी के बूथ खोलना

6274. **श्री पी० आर० कुमारमंगलम** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दूध, सब्जियो और फलों के समनुदान प्राणाली के अन्तर्गत मदर डेरी के बूथ सफलतापूर्वक चलाये जा रहे हैं :

(ख) क्या सरकार का विचार सुपर बाजार के मामले में भी यह प्रणाली लागू करने तथा यह सुनिश्चित करने का है कि इस प्रणाली में आवश्यक संशोधन करके दो वर्ष की अवधि के भीतर इस प्रकार के कम से कम 1000 बिक्री केन्द्र खोले जायें;

(ग) क्या हाल ही में किसी स्वंय सेवी उपभोक्ता संगठन ने इस कार्य को करने का प्रस्ताव रखा है और इस सम्बन्ध में सुपर बाजार और दिल्ली प्रशासन को लिखा है; और

(घ) क्या हाल ही में 11 फरवरी, 1986 को दिल्ली में हुई भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग मंडल संघ द्वारा आयोजित एक विचार-गोष्ठी में इस विषय के सम्बन्ध में कोई शोध-पत्र प्रस्तुत किया गया था और यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या थीं तथा इस विषय पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

योजना तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० के० पंजा) : (क) कृषि मंत्रालय का यह मत है कि मदर डेरी द्वारा, दूध के बूथों के माध्यम से दूध तथा खुदरा बिक्री केन्द्रों के माध्यम से फल तथा सब्जियों का विपणन करने हेतु, चलाई जा रही सुविधाग्राही प्रणाली संतोषजनक रूप से कार्य कर रही प्रतीत होती है।

(ख) जी नहीं।

(ग) तथा (घ) : नई दिल्ली में उपभोक्ता शिक्षा तथा अनुसंधान केन्द्र (सी० ई० आर० सी०) के रेजीडेन्ट प्रतिनिधि ने केवल महाप्रबन्धक, सुपर बाजार को ही पत्र लिखा था, दिल्ली प्रशासन को नहीं, और उस पत्र में उन्होंने अन्य बातों के साथ-साथ यह भी सुझाव दिया था कि सुपर बाजार द्वारा और अधिक बिक्री केन्द्र सुविधाग्राही प्रणाली पर खोले जायें, जैसाकि मदर डेयरी द्वारा दूध, फल तथा सब्जियों के लिए किया जा रहा है। इसके अलावा, भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग मंडल परिसंघ के कंज्यूमर बिजनिस फॉरम की 11 फरवरी, 1986 को नई दिल्ली में आयोजित बैठक में उपभोक्ता शिक्षा तथा अनुसंधान केन्द्र के रेजीडेंट प्रतिनिधि ने दिल्ली में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के सम्बन्ध में एक कागज प्रस्तुत किया था, जिसमें ऐसा ही सुझाव दिया गया था। सुपर बाजार ने सूचित किया है कि उन्होंने इस सुझाव पर विचार किया है लेकिन विभिन्न कारणों से व्यवहार्य नहीं पाया।

चाय बागानों में मजदूरों को खाद्यान्नों की सप्लाई

6275. श्री पीयूष तिरकी : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान नवम्बर, 1985 के "टी इण्डिया" समाचार बुलेटिन के अंक-8 में प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि खाद्यान्नों का रिकार्ड उत्पादन होने के बावजूद सरकार चाय बागानों व मजदूरों तथा उनके आश्रितों के लिए खाद्यान्नों (चावल और गेहूं) की सप्लाई करने में पर्याप्त ध्यान नहीं दे रही है ;

(ग) क्या चाय बागानों को चावल के आबंटन में 50 प्रतिशत कटौती की गई है, यदि हां, तो इसके क्या कारण है ;

(घ) क्या चावल तथा गेहूं के अलावा दूसरी आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई नियंत्रित दरों पर नहीं की जाती हैं, यदि हां तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ङ) चाय बागान कर्मचारियों और उनके आश्रितों के लिए चावल और गेहूं की मासिक खपत कितनी है और उनकी आवश्यकता समय पर पूरी करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने की संभावना है ;

योजना तथा खाद्य नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ए०के० पंजा) : (क) : जी, हां ।

(ख) से (ङ) : राज्य सरकारों,/संघ शासित प्रदेशों को केन्द्रीय पूल से गेहूं और चावल के मासिक आबंटन किए जाते हैं ताकि वे अपनी सार्वजनिक वितरण प्रणाली को कारगर ढंग से कार्यान्वित कर सकें । ये आबंटन समूचे राज्य के लिए होते हैं तथा राज्य के अन्दर वितरण करने और राज्य में जितने क्षेत्र में वितरण किया जाना है और उपभोक्ताओं को कितनी मात्रा जारी की जानी है, के बारे में संबंधित राज्य सरकार द्वारा निर्णय किया जाता है । यह संबंधित राज्य सरकारों पर निर्भर करता है कि वे अपनी सार्वजनिक वितरण प्रणाली को अपनी सामर्थ्य के अनुसार उत्तम ढंग से चलाएं तथा चाय बागान में कार्य करने वाले मजदूरों को भी इसमें शामिल करें जोकि वितरण की ऐसी किसी भी योजना में आने वाली जनता का एक भाग हैं ।

आयातित चीनी के वितरण में विलम्ब

6276. श्री के० राममूर्ति : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम ने गत दो महीनों के दौरान व्यापारियों को आयातित चीनी के वितरण के लिए निविदाएं आमन्त्रित नहीं की हैं ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या भारतीय खाद्य निगम द्वारा अनुचित विलम्ब के कारण चीनी के मूल्यों में वृद्धि होने की सम्भावना है ; और

(घ) यदि हां, तो ऐसी स्थित न आने देने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

योजना तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ए०के० पंजा) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) और (घ) जनवरी, 1986 मास के दौरान भारतीय खाद्य निगम ने देश के 14 केन्द्रों में आयातित चीनी की 25 नीलामियां की थीं । इसी प्रकार, फरवरी, 1986 में भी भारतीय खाद्य निगम द्वारा 13 केन्द्रों में आयातित चीनी की 27 नीलामियां की गई थीं । इसके और सरकार द्वारा किए गए अन्य नीति विषयक उपायों के फलस्वरूप, देश में इस समय चीनी के मूल्य उपयुक्त स्तर पर चल रहे हैं ।

अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह में धान की खरीद

6277. **श्री मनोरंजन भक्त** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संघ राज्य क्षेत्र अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में चावल और धान की खरीद पूर्ति विभाग द्वारा की जाती है;

(ख) यदि हां, तो क्या वर्ष 1986 में खरीद का कार्य शुरु हो गया है;

(ग) इसके लिए खोले गए केन्द्रों के नाम क्या है ;

(घ) क्या आशय के निर्देश जारी किए गए हैं कि अब केवल कच्चे चावल की ही खरीद की जानी चाहिए तथा 100 मन से कम की खरीद नहीं की जाए ;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण है ;

(च) क्या यह भी सच है कि उक्त खरीद केन्द्रों में पूर्ति विभाग द्वारा चावल/धान की खरीद करते समय प्रति मन चावल/धान पर 2 किलो अतिरिक्त चावल/धान लिया जा रहा है ;

(छ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ;

(ज) क्या इस प्रकार की जा रही खरीद करते समय किसानों को मौके पर ही भुगतान नहीं किया जा रहा है और उन्हें अपनी धनराशि प्राप्त करने के लिए इधर से उधर धक्के खाने पड़ते हैं ; और

(झ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

योजना तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ए०के० पंजा) : (क) और (ख) जी, हां

(ग) ये केन्द्र हैं:—(1) दिग्लीपुर (2) कालीघाट (3) माया बुन्डेर (4) हरिनगर (5) कादमतला, तथा (6) उत्तरा।

(घ) और (ङ) सामान्यतया उबले चावल की वसूली नहीं की जाती है क्योंकि जब यह उचित दर दुकानों के जरिए वितरित किया जाता है तब उपभोक्ताओं को यह स्वीकार्य नहीं होता है। तथापि, किसानों द्वारा स्वेच्छा के आधार पर कच्चे चावल की जितनी भी मात्रा पेश की गई है, वह वसूली केन्द्रों में खरीद ली गई है बशर्ते कि वह भारत सरकार द्वारा विहित विनिर्दिष्टयों के अनुरूप हो।

(च) जी, नहीं।

(छ) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ज) और (झ) जी, नहीं। तथापि, दिग्लीपुर केन्द्र में तरलता विषयक समस्या थी जिसे बाद में हल कर लिए जाने की सूचना दी गई है।

राष्ट्रीय कपड़ा निगम (डब्ल्यू बी ए बी ओ का आधुनिकीकरण कार्यक्रम

6278. श्री एच०एन० नन्जे गौडा : क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय कपड़ा निगम (डब्ल्यू बी ए बी ओ) लिमिटेड, कलकत्ता और राष्ट्रीय कपड़ा निगम (उत्तर प्रदेश) लिमिटेड, कानपुर के अन्तर्गत मिलों के आधुनिकीकरण कार्यक्रम के कार्यान्वयन में कोई सुधार नहीं हुआ है ;

(ख) क्या इन दोनों सहायक कम्पनियों के तकनीकी स्कंध अपनी ही असफलताओं के कारण सिविल निर्माण कार्य तेजी से पूरा करने और उत्पादकता और उत्पादन बढ़ाने के लिए नई मशीनें लगाने में असफल रहे हैं ;

(ग) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक यूनिट द्वारा प्रस्तावित तथा पूरे किए गए सिविल निर्माण कार्यों का मूल्यवार ब्योरा क्या है तथा कितनी लागत का कार्य अभी किया जाना बाकी है ; और

(घ) बाकी बचे कार्य को तेजी से पूरा कराने के लिए नियुक्त ठेकेदारों के साथ सहयोग करने के लिए और क्या कदम उठाने का विचार है?

वस्त्र मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) एन टी सी (डब्ल्यू बी ए बी ओ) तथा एन टी सी (उ०प्र०) के अन्तर्गत एककों के आधुनिकीकरण की अनुमोदित योजना को कार्यान्वित करने में पर्याप्त सुधार हुआ है। एन टी सी (डब्ल्यू बी ए बी ओ) में कार्यान्वयन 31.56 करोड़ रु० तक पहुंच गया है जबकि कुल स्वीकृति 39.87 करोड़ रु० की है। इसी प्रकार एन

टी सी (उ०प्र०) में कार्यान्वयन 23.08 करोड़ रु० तक पहुंच गया है जबकि कुल स्वीति 23.72 करोड़ रु० है।

(ख) तथा (ग) यदि अनियन्त्रित तथा असम्बद्ध कारण न हों तो हाथ में ली गई सिविल परियोजनाएं यथासमय पूरी हो गई हैं। पूरी की जा रही हैं। आधुनिकीकरण के फलस्वरूप, इन मिलों ने उत्पादन तथा उत्पादकता में बेहतर कार्यनिष्पादन दिखाया है। एन टी सी (उ०प्र०) तथा एन टी सी (डब्ल्यू बी ए बी ओ) के अन्तर्गत मिलों के संबंध में पिछले तीन वर्षों के दौरान नए सिविल निर्माण कार्य के लिए कोई नए प्रस्ताव नहीं किये गए हैं।

(घ) अनुषंगी निगमों ने लम्बित सिविल निर्माण कार्यों को तेजी से पूरा करने के लिए ठेकेदारों के माध्यम से अथवा विभागीय रूप में कार्यवाही शुरू कर दी है।

आन्ध्र प्रदेश में "होसंले हिल्स" का विकास

6279. **श्री एस० पलाकोंड्रायुडू :** क्या संसदीय कार्य और पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश में "होसंले होल्स" का एक प्रमुख पर्यटक स्थल के रूप में विकास करने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य और पर्यटन मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) और (ख) केन्द्रीय पर्यटन विभाग ने आंध्र प्रदेश में राज्य सरकार के परामर्श से होसंले हिल्स सहित पर्यटक महत्त्व के 30 केन्द्रों का निर्धारण किया है, जिनका राज्य, केन्द्र और निजी क्षेत्र के मिश्रित संसाधनों द्वार अवस्थाबद्ध तरीके से विकास किया जाना है।

पर्यटन विभाग को राज्य सरकार से होसंले हिल्स को एक पर्यटक विहार-स्थल के रूप में विकसित करने के लिए किसी परियोजना का प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

कारूर व्यय बैंक लिमिटेड, कारूर के निदेशकों का कार्यकाल

6280. **श्री बसुदेव आचार्य :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1983 में यथा संशोधित बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 में यह प्रावधान है कि बैंकिंग कम्पनी के निदेशक का कार्यकाल आठ वर्ष तक होगा ;

(ख) क्या यह सुनिश्चित करने के लिए कि राष्ट्रीयकृत और गैर सरकारी दोनों क्षेत्रों के सभी बैंक उक्त नियम का पालन करेंगे, भारतीय रिजर्व बैंक ने कोई तरीके निकाले हैं ;

(ग) क्या तमिलनाडु में कारूर स्थित एक प्रमुख गैर सरकारी बैंक कारूर व्यय बैंक लिमिटेड के निदेशक मण्डल में पांच निदेशक ऐसे हैं जिन्होंने उक्त प्रावधान का उल्लंघन करते हुए आठ वर्ष पूरे कर लिए हैं ;

(घ) क्या भारतीय रिजर्व बैंक को सलाह दी थी कि वह संशोधित प्रावधानों के अनुसार बैंक के बोर्ड का पुनर्गठन करें ;

(ङ) क्या कारूर व्यय बैंक ने भारतीय रिजर्व बैंक की उक्त सलाह का अनुपालन किया है ;

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(छ) नियम का पालन सुनिश्चित करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाने का विचार है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क), (ख) बैंककारी विधि (संशोधन) अधिनियम, 1983 द्वारा संशोधित बैंककारी विनियमन, अधिनियम 1949 की धारा 10-क के अनुसार किसी बैंकिंग कम्पनी के अध्यक्ष अथवा पूर्ण कालिक निदेशक के अलावा कोई निदेशक लगातार 8 वर्ष से अधिक की अवधि तक बैंक के निदेशक के पद पर नहीं रह सकता ।

भारतीय रिजर्व बैंक ने यह बताया है कि उसने गैर सरकारी क्षेत्र के सभी बैंकों को बैंककारी विनियमन के उपर्युक्त उपबन्धों का पूरा-पूरा अनुपालन करने का परामर्श दिया है । 20 राष्ट्रीयकृत बैंकों, भारतीय स्टेट बैंक और उसके 7 अनुषंगी बैंकों के निदेशक बोर्डों के निदेशकों के कार्यकाल का उन बैंकों के सम्बद्ध कानूनों के सम्बन्धित उप-बन्धों के अन्तर्गत विनियमन किया जाता है ।

(ग) से (छ) भारतीय रिजर्व बैंक ने यह सूचित किया है कि काश्रर वैश्य लिमिटेड के मामले में ऐसा कोई भी निदेशक नहीं है जो कानून का उल्लंघन करते हुए 8 वर्ष से अधिक लगातार निदेशक के पद पर आसीन हो लेकिन बैंक के निदेशक बोर्ड के 4 निदेशक जो बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 में निहित उपबन्धों के अनुसार अपने पद पर नहीं रहे थे, बाद में बोर्ड में शामिल कर लिए गये हैं । भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंक के अध्यक्ष को इन 4 निदेशकों को त्यागपत्र देने के लिए राजी करने का परामर्श दिया है ।

वित्तीय हेरा-फेरी के आरोप में पकड़े गए उद्योगपति

6281. **श्री साइमन तिग्गा** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान देश के अनेक उद्योगपतियों को कर अपवंचन और अन्य वित्तीय हेरा-फेरियों के आरोपों में पकड़ा गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार का विचार उन सरकारी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का है जो इन मामलों में अन्तर्ग्रस्त हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) सूचना यथा-सम्भव सीमा तक एकत्र की जा रही है और उसे सदन-पटल पर रख दिया जाएगा ।

[अनुवाद]

चीनी प्रौद्योगिकी के लिए एक नए संस्थान की स्थापना का प्रस्ताव

6282. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय चीनी संस्थान, कानपुर (उत्तर प्रदेश) अपने किस्म का एकमात्र संस्थान है, जहां से समूचे चीनी उद्योग के लिए चीनी प्रौद्योगिकीविज्ञ और चीनी इन्जीनियर प्रशिक्षित होकर निकलते हैं;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन शिक्षा वर्षों के दौरान इस संस्थान से प्रति-वर्ष कितने व्यक्ति चीनी प्रौद्योगिकीविज्ञ और चीनी इन्जीनियर बन कर निकले;

(ग) क्या एक वर्ष में प्रशिक्षित किए जाने वाले चीनी प्रौद्योगिकीविज्ञों और चीनी इन्जीनियरों की संख्या इतने बड़े चीनी उद्योग के लिए कार्मिकों की पूर्ति के लिए पर्याप्त है; और

(घ) क्या चीनी प्रौद्योगिकी के लिए एक नया संस्थान स्थापित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ?

योजना तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० के० पंजा) : (क) देश में केवल राष्ट्रीय शर्करा संस्था, कानपुर ही एक ऐसी सरकारी संस्था है जो कि चीनी उद्योग के लिए चीनी प्रौद्योगिकीविज्ञों और चीनी इन्जीनियरों को प्रशिक्षण देती है।

(ख)	चीनी प्रौद्योगिकीविज्ञ	चीनी इन्जीनियर
1983-84	65	6
1984-85	60 (इनमें एक विदेशी भी शामिल है)	11 (इनमें तीन विदेशी भी शामिल है)
1985-86	59 (इनमें एक विदेशी भी शामिल है)	11 (इनमें एक विदेशी भी शामिल है)

(ग) केन्द्रीय सरकार से प्रशिक्षित कार्मिकों की आवश्यकता को पूर्णतया पूरा करने की अपेक्षा करना व्यवहार्य नहीं होगा। केन्द्रीय सरकार के प्रयासों के अलावा चीनी उद्योग और राज्य सरकारों को अपने तोर पर स्वयं अनुपूरक प्रयास करने होंगे।

(घ) खाद्य विभाग के सातवीं योजना के स्वीकृत परिव्यय में एक नयी शर्करा संस्था स्थापित करने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है।

सीमा-शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और स्वर्ण (नियन्त्रण) अपीलीय न्यायाधिकरण की शक्तियां

6283. **श्री सलीम आई० शेरवानी** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क और स्वर्ण (नियन्त्रण) अपीलीय न्यायाधिकरण का उल्लंघन किए जाने और विभागीय प्राधिकारियों द्वारा न्यायाधिकरण के आदेशों की अवज्ञा किए जाने के लिए उनके विरुद्ध कार्यवाही करने की शक्तियां प्राप्त नहीं हैं;

(ख) क्या यह भी सच है कि यह विभाग न्यायाधिकरण के निर्णयों का पालन नहीं करता है और उन्हें इच्छापूर्वक स्वीकार करने के बजाय सरकार को सुझाव देता है कि वह उच्चतम न्यायालय में अपील करें जिसके परिणामस्वरूप मुकदमा लगाने से पुरानी बातें सामने आती हैं; और

(ग) यदि हां, तो ऐसे उच्च शक्ति प्राप्त न्यायाधिकरण का लाभ क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पादन शुल्क और स्वर्ण (नियन्त्रण) अपीलीय न्यायाधिकरण की अवज्ञा करने वालों को दण्ड देने के लिए इसके पास कोई स्वतन्त्र शक्तियां प्राप्त नहीं है। उसके आदेशों का अनुपालन न करने के मामले को वे उच्च न्यायालय को भेज सकते हैं। न्यायाधिकरण द्वारा उच्च न्यायालय को भेजे जाने वाला ऐसा कोई मामला जानकारी में नहीं लाया गया है। न्यायाधिकरण के आदेशों का पालन विभागीय प्राधिकारियों द्वारा किया जाता है।

(ख) और (ग) सीमा शुल्क अधिनियम 1962 और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम 1944 के सम्बन्धित उपबन्ध विभागीय प्राधिकारियों और प्रभावित पार्टियों दोनों को उच्चतम न्यायालय में अपील करने का अधिकार देते हैं। प्रत्येक मामले में गुण-अवगुण के आधार पर 31-12-85 की स्थिति के अनुसार विभाग ने 466 मामलों में, जिनमें केवल कुछ सीमित संख्या में मुद्दे अन्तर्ग्रस्त हैं अपीलें दायर की थीं जबकि न्यायाधिकरण द्वारा जनवरी 1983 से दिसम्बर 1985 तक 9000 से अधिक अपीलों का निपटान किया गया था।

इन्जीनियरी सामान का निर्यात और अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रास्फीति की दर

6284. **श्री सैयद शाहबुद्दीन** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1982-83, 1983-84, 1984-85 और 1985-86 के दौरान अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रास्फीति की दर को ध्यान में रखते हुए स्थिर मूल्यों पर कितने मूल्य के इन्जीनियरी सामान का निर्यात किया गया;

(ख) क्या कुल निर्यात की प्रतिशतता की तुलना में इंजीनियरी सामान का निर्यात घटा है अथवा बढ़ा है; और

(ग) क्या गत चार वर्षों के दौरान इन्जीनियरी सामान का वास्तविक निर्यात बढ़ा है अथवा

घटा है; यदि हां, तो उसकी वर्ष-प्रतिवर्ष की दर क्या है ?

वाणिज्य, तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) से (ग) गत चार वर्षों के दौरान इन्जीनियरिंग सामान और कुल निर्यातों में उनका हिस्से के निर्यातों का मूल्य निम्नोक्त प्रकार हैं—

वर्ष	निर्यात (मूल्य करोड़ रु० में)	कुल निर्यातों में इन्जी० निर्यातों के हिस्से का प्रतिशत	प्रतिशत वृद्धि (+) गिरावट (—)
1982-83	1250	14.2%	+19.5
1983-84	1170	11.9%	— 6.4
1984.85	1300	11.2%	+11.1
अप्रैल—85			
फरवरी, 86	835		— 8.3

अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रास्फीति दर को ध्यान में रखते हुए निर्यात आंकड़े उपलब्ध नहीं है।

लोगों की क्रय शक्ति में वृद्धि

6285. **श्री प्रकाश वी० पाटिल** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह पता लगाने के लिए कोई मूल्यांकन किया गया है कि देश में वर्षों से लोगों क्रय शक्ति कैसे बढ़ रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है;

(ग) कृषकों, औद्योगिक कर्मचारियों, व्यापारिक समुदाय और सरकारी कर्मचारियों के मामले में यह प्रगति कितनी हुई है;

(घ) क्या सरकार इस प्रगति से संतुष्ट है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इस स्थिति में और सुधार लाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) प्रति व्यक्ति निवल राष्ट्रीय उत्पाद (उपादान लागत पर) 1970-71 के मूल्यों के आधार पर लोगों की क्रय शक्ति का निर्देशक है। वर्ष 1950-51 से 1984-85 तक के लिए प्रति व्यक्ति निवल राष्ट्रीय उत्पाद के आंकड़े संलग्न विवरण में दिए गए हैं। यह देखा जा सकता है कि प्रति व्यक्ति वास्तविक आय 1950-51 के 466.0 से बढ़कर 1984-85 में 771.5 रुपए हो गई है। प्रति व्यक्ति निवल

राष्ट्रीय उत्पाद अनुमान लोगों की विभिन्न श्रेणियों जैसे कृषकों, औद्योगिक श्रमिकों आदि के लिए अलग-अलग संकलित नहीं किए जाते ।

(घ) और (घ) प्रति व्यक्ति आय या लोगों की क्रय शक्ति में वृद्धि आर्थिक विकास एवं जनसंख्या वृद्धि दोनों के प्रभाव के प्रकट करती है । देश में आयोजित आर्थिक विकास के लिए वचनबद्ध है नीतियों और लक्ष्य क्रमिक पंचवर्षीय आयोजनाओं में निर्धारित हैं । सरकार का अद्यतन दृष्टिकोण सातवीं पंचवर्षीय आयोजना 1985-90 में दिया गया है जिसमें खाद्य, कार्य और उत्पादकता पर विशेष बल दिया गया है और सकल घरेलू उत्पाद में 5 प्रतिशत की औसत दर से प्रति वर्ष वृद्धि का लक्ष्य रखा गया है ।

विवरण

1970-71 के मूल्यों के आधार पर उपादान लागत पर प्रति व्यक्ति निवल राष्ट्रीय उत्पाद

(0.00 रुपए)

वर्ष	प्रति व्यक्ति निवल राष्ट्रीय उत्पाद	वर्ष	प्रति व्यक्ति निवल राष्ट्रीय उत्पाद
1950-51	466.0	1967-68	587.3
1951-52	468.1	1968-69	589.1
1952-53	475.8	1969-70	612.6
1953-54	497.8	1970-71	632.8
1954-55	500.7	1971-72	626.6
1955-56	507.7	1972-73	603.4
1956-57	524.8	1973-74	621.3
1957-58	503.3	1974.75	617.0
1958-59	534.2	5975-76	663.5
1959-60	532.3	1976-77	652.1
1960-61	558.8	1977-78	6[illegible]4.7
1961-62	563.9	1978-79	717.0
196[illegible]-63	559.8	1979-80	664.7
1963-64	576.4	1080-81	699.5

1	2	3	4
1964-65	607.8	1981-82	719.5
1965-66	558.8	1982-83	721.0
1966-67	551.5	1983-84	761.0
		1984-85@	771.5

@तुरत तनुमान

घटिया किस्म के तम्बाकू के निर्यात के लिए मुआवजा का दावा

6286. **श्री अमरसिंह राठवा :**

श्री चिन्तामणि जैना : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष में कितनी तम्बाकू का निर्यात किया गया और यह निर्यात किन देशों को किया गया;

(ख) इस अवधि में कितने मूल्य का निर्यात किया गया;

(ग) क्या यह सच है कि वर्ष 1985-86 में तम्बाकू के निर्यात में गिरावट आई है; यदि हां, तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या यह सच है कि कुछ देशों ने इस अवधि के दौरान उन्हें निर्यात किए गए घटिया किस्म के तम्बाकू के लिए मुआवजे का दावा किया है; यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है;

(ङ) क्या इसके लिए किसी को जिम्मेदार ठहराया गया है;

(च) किस एजेन्सी के माध्यम से निर्यात किया गया है; और

(छ) भविष्य में इन कमियों को दूर करने के लिए तम्बाकू के लदान से पहले इसकी गुणवत्ता की जांच हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

वाणिज्य तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) तथा (ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान निर्यात किए गए अनिर्मित तम्बाकू की मात्रा तथा मूल्य निम्नोक्त प्रकार था—

मात्रा : हजार मे० टन में

मूल्य : करोड़ रु० में

वर्ष	मात्रा	मूल्य
1982-83	93.8	204.41
1983-84	90.0	181.05
1984-85	74.7	157. 8

स्रोत : तम्बाकू बोर्ड, गुन्तूर

उपरोक्त अवधि के दौरान जिन मुख्य देशों क तम्बाकू का निर्यात किया गया वे हैं : सोवियत संघ, ब्रिटेन, जापान, सऊदी अरब, मिश्र अल्जीरिया, बल्गारिया, नीदरलैण्ड, चीन तथा बेल्जियम।

(ग) 1985-86 के दौरान 160 करोड़ रु० के निर्यात होने की संभावना है। विश्व निर्यातों में भारत के भाग में मामूली सी गिरावट आने का मुख्य कारण पश्चिमी देशों में बढ़ता हुआ धूम्रपान प्रतिरोधी अभियान है जिससे उसकी आयात आवश्यकताओं और अन्य निर्यातक देशों से प्रतियोगिता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है।

(घ) से (च) : पिछले तीन वर्षों के दौरान निर्यात किए गए तम्बाकू के सम्बन्ध में क्वालिटी की कोई शिकायतें नहीं रही।

(छ) लदान से पहले तम्बाकू की क्वालिटी की जांच करने के लिए कृषि विपणन सलाहकार द्वारा कदम उठाए जा रहे हैं जिनमें ये शामिल हैं : एगमार्क के अन्तर्गत क्वालिटी नियन्त्रण पर कड़ी निगरानी रखना, पत्तनों में तम्बाकू पैकेज का गहन निरीक्षण करना, क्वालिटी नियन्त्रण की सभी अवस्थाओं में अचानक निरीक्षण करना, जहां कहीं आवश्यक हो कानूनी कार्यवाही शुरू करना आदि।

ग्रिंडलेज बैंक की कलकत्ता स्थित शाखाओं द्वारा सामान्य बैंकिंग कार्य न करना

6287. **श्री अनिल बसु** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रिंडलेज बैंक पी० एल० सी० जिसका प्रबन्ध हाल ही में ए० एन० जेड० ने अपने हाथ में लिया है, उसने 29 एन० एस० रोड और 31 चौरंगी रोड, कलकत्ता में अपनी दो बड़ी शाखाओं में चालू खाते, बचत खाते, सावधि और अन्य जमा खाते आदि खोलने जैसे काफी समय से किए जा रहे किसी सामान्य बैंकिंग कार्य को न करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की अनुमति मांगी है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि ग्रिंडलेज बैंक पी० एल० सी० ने दिनांक 31 जनवरी, 1986 तथा 4 मार्च, 1986 के अपने पत्रों के जरिये भारतीय रिजर्व बैंक को सूचित किया था कि ग्राहक सेवा की कार्य कुशलता में सुधार करने की बैंक की पुनर्गठन योजना के एक अंग के रूप में बैंक का अपनी 29, नेताजी सुभाष रोड, कलकत्ता शाखा में चालू खाते, बैंक बचत खाते, सावधि जमा खाते और ऋण/अग्रिमों/ओवरड्राफ्ट खातों का काम 19, नेताजी सुभाष रोड, कलकत्ता स्थित मुख्य शाखा में अन्तरिक्ष करने का प्रस्ताव है। बैंक के अनुसार इससे वर्तमान ग्राहकों को कोई असुविधा नहीं होगी। भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि वह इस प्रश्न की इस दृष्टिकोण से जांच कर रहा है कि यह लाइसेंसिंग या अन्य अपेक्षाओं का उल्लंघन तो नहीं।

भारतीय रिजर्व बैंक ने आगे सूचित किया है कि उसे इस बात की कोई जानकारी नहीं है

कि ग्रिंडलेज बैंक पी० एल० सी० 31 चौरंगी रोड, कलकत्ता स्थित अपनी शाखा में साधारण बैंकिंग कारबार नहीं कर रहा है।

सुरक्षित पूंजी का निर्धारण

6288. डा० बी० एल० शैलेश : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्तमान बजट में दिये गए इस आश्वासन के अनुसार कि सरकार भारतीय रिजर्व बैंक की सलाह से सुरक्षित पूंजी का निर्धारण करेगी, कोई कार्यवाही शुरू की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो ऐसा कब तक किया जाएगा और इसके परिणामों की कब तक जानकारी कराए जाने की सम्भावना है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) 1986-87 के केन्द्रीय बजट में सुरक्षित पूंजी की मात्रा निर्धारित करने का कोई आश्वासन नहीं दिया गया है।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

कपास एकाधिकार योजना

6289. श्री कमला प्रसाद सिंह : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि महाराष्ट्र की कपास एकाधिकार खरीद योजना घाटे में चल रहा है;

(ख) यदि हां, तो कितना घाटा हो रहा है;

(ग) इस योजना में सुधार लाने के लिए केन्द्रीय सरकार ने क्या कदम उठाये हैं; और

(घ) क्या सरकार का विचार कपास एकाधिकार खरीद योजना पूरे देश में शुरू करने का है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : (क) तथा (ख) एकाधिकार रुई अधिप्राप्ति योजना के अन्तर्गत लाभ-हानि सम्बन्धी जानकारी निम्नांकित प्रकार से हैं :

रुई वर्ष	निवल लाभ-हानि (+) (—)
1981-82	(—) 46.34 करोड़ रु०
1982-83	(—) 17.07 करोड़ रु०
1983 84	(+) 17.81 करोड़ रु०
1984-58	(—) 60.00 करोड़ रु० (अनन्तिम)

1985-86   (—) 170.00 करोड़ रु० (अनन्तिम)

(ग) संघ सरकार योजना की समीक्षा कर रही है।

(घ) जी नहीं।

रेशम निर्यातकों द्वारा अग्रिम लाइसेंस का दुरुपयोग

6290. **श्री मदन पांडे** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अनेक दोषी व्यक्तियों द्वारा कच्चे रेशम का आयात किए जाने की जानकारी मिली है लेकिन उन्होंने अग्रिम लाइसेंस योजना के अन्तर्गत अपना निर्यात दायित्व नहीं निभाया है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) दोष की सम्भावनाओं को दूर करने के लिए निर्यातकों द्वारा अग्रिम लाइसेंस योजना अथवा आयात पासबुक योजना के अन्तर्गत शुल्क मुक्त पुनः पूर्ति के रूप में रेशम यार्न का आयात उनके द्वारा निर्यात की गई मात्रा के बराबर सीमित करने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वाणिज्य तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) जी हां।

(ख) ऐसे दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कदम उठाने अनिवार्य कर दिए गए हैं तथा आयात- निर्यात नीति (खण्ड 1) 1985-88 के पैरा 29 के परिशिष्ट 19 में समाविष्ट किए गए हैं।

(ग) जैसा कि सम्बन्धित तकनीकी प्राधिकारियों के परामर्श से अग्रिम लाइसेंस आयात-निर्यात पासबुक योजना के अन्तर्गत रेशम यार्न के शुल्क मुक्त आयात के लिए निवेश उत्पादन मानदण्ड निर्धारित किए गए हैं, रेशम यार्न के आयात को पहले ही सीमित कर दिया गया है। ये मानदण्ड निर्यात उत्पादन के लिए अपेक्षित रेशम यार्न की वास्तविक मात्रा पर आधारित हैं।

अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय एजेन्सी से रियायती वित्तीय सहायता

6291. **श्री बृजमोहन महन्ती** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत को वर्ष 1985-86 के दौरान अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय एजेंसी से रियायती वित्तीय सहायता सहित कितनी राशि की वित्तीय सहायता प्राप्त हुई है;

(ख) क्या यह राशि पिछले वर्ष की सहायता राशि से कम है;

(ग) यदि हां, तो इस कटौती के क्या कारण हैं और तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है;

(घ) क्या यह सच है कि चीन द्वारा लिए गये ऋण से भारत को कठिनाई हो गई है;

(ङ) क्या विश्व बैंक द्वारा किए गए भारतीय कार्य निष्पादन के मूल्यांकन के फलस्वरूप अन्तर्राष्ट्रीय एजेन्सियों से और अधिक वित्तीय सहायता के लिए अनुकूल परिस्थिति पैदा हो रही है;

(च) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है;

(छ) क्या यह भी सच है कि कुछ महाशक्तियां कतिपय अन्तर्राष्ट्रीय एजेन्सियों में और अधिक वित्तीय सहायता के लिए किये गये हमारे प्रयासों का विरोध कर रही है; और

(ज) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) विश्व बैंक समूह (अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ तथा अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक) ने चालू राजकोषीय वर्ष (पहली जुलाई, 1985 से 30 जून, 1986 तक) में अब तक 206.61 करोड़ अमेरिकी डालर की राशि की वित्तीय सहायता का अनुमोदन किया है जबकि उसने राजकोषीय वर्ष 1985 के दौरान कुल मिलाकर 234.69 करोड़ अमेरिकी डालर की सहायता दी थी। क्योंकि 30 जून, 1986 को समाप्त हो रहे राजकोषीय वर्ष से पहले-पहले कुछ परियोजनाओं के लिए सहायता मंजूर किए जाने की आशा है, इसलिए इस बात का कोई आधार नहीं है कि राजकोषीय वर्ष 1986 में प्राप्त सहायता की राशि राजकोषीय 1985 की अपेक्षा कम होगी।

(ग) यह सवाल पैदा ही नहीं होता।

(घ) अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ ऋणों के सम्बन्ध में भातर को दिए गये वचनों की राशि जो विश्व बैंक के राजकोषीय वर्ष 1981 तक सभी देशों कि मामले में दिये गए कुल ऋणों की राशि की लगभग 40 प्रतिशत थी, वह चीन द्वारा ऋण लिए जाने सहित बहुत से कारणों से धीरे-धीरे कम होकर राजकोषीय वर्ष 1985 में 22.2 प्रतिशत रह गई।

(ङ) और (च) विश्व बैंक ने अपनी 1985 की वार्षिक रिपोर्ट में अन्य बातों के साथ-साथ भारत सहित दक्षिणी एशियाई देशों के द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय सहायता के सम्बन्ध में रियायती सहायता देने के जोरदार दावे पर बल दिया है।

(छ) और (ज) विश्व बैंक के कार्यकारी बोर्ड और अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ के प्रबन्ध मण्डल द्वारा कुल साधनों की उपलब्धता के ढांचे के अन्दर तथा विभिन्न देशों के प्रतियोगी दावों को ध्यान में रखते हुए अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ की धनराशियों के देशवार आबन्टन किए जाते हैं।

विदेशी प्रबन्धाधीन चाय कम्पनियां

6292. **श्री चिन्तामणि जैना** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में ऐसे कितने चाय बागान हैं तथा उनके नाम क्या है जो अभी भी गैर सरकारी क्षेत्र में हैं और कुछ विदेशी प्रबन्धकों के अधीन हैं;

(ख) क्या इस व्यापार का राष्ट्रीयकरण करने की दृष्टि से इन बागानों का अधिग्रहण करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री (श्री पी० शिव शंकर) : कोई भी कम्पनियां जो भारत से बाहर हैं, परन्तु भारत में व्यापार स्थापित कर लेने की वजह से कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 592 के अधीन पंजीकृत हैं, कोई चाय बागान नहीं चला रही हैं।

तथापि, आसानी से उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर चाय बागानों के क्षेत्र में 27 फेरा कम्पनियां हैं जिनके पास 151 चाय एस्टेटों का स्वामित्व है।

ऐसे एस्टेटों का अधिग्रहण करने अथवा इस व्यापार को राष्ट्रीकृत करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

न्यूजीलैण्ड के साथ व्यापार सम्बन्धों में विस्तार

6293. **श्री राधाकांत डिगाल** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने न्यूजीलैण्ड के साथ व्यापार सम्बन्धों के विस्तार के लिए कदम उठाये हैं;

(ख) यदि हां, तो भारत न्यूजीलैंड व्यापार सम्बन्धो में कब विस्तार किये जाने का विचार है; और

(ग) तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

वाणिज्य तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) से (ग) न्यूजीलैंड के विदेश व्यापार तथा विपणन मन्त्री ने फरवरी-मार्च, 1986 के दौरान भारत का दौरा किया। वाणिज्य मन्त्री के साथ अपनी बैठक के दौरान दोनों पक्ष इस बात पर सहमत हुए कि व्यापार विस्तार और द्विपक्षीय व्यापार की नियमित समीक्षा के लिए संस्थागत व्यवस्था की स्थापना करने हेतु भारत तथा न्यूजीलैन्ड को एक व्यापार करार करना चाहिए। दोनों पक्षों के निर्यात हित की मदों तथा सहयोग के क्षेत्रों पर भी विचार विमर्श हुआ।

[हिन्दी]

घरेलू पर्यटकों को बढ़ावा

6294. **श्री मूलचन्द डागा** : क्या संसदीय कार्य और पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछड़े क्षेत्रों का आर्थिक विकास करने और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने के लिए घरेलू पर्यटन को प्रोत्साहन दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो छठी पंचवर्षीय योजना में इस बारे में क्या कदम उठाए गये हैं;

(ग) देश में उन पिछड़े क्षेत्रों के नाम क्या हैं जहां घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए उनके मन्त्रालय द्वारा कदम उठाए गए हैं तथा उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में पर्यटन सुविधाओं का लाभ उठाने वाले पर्यटकों की संख्या कितनी है ?

संसदीय कार्य और पर्यटन मन्त्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान पर्यटन विभाग ने पर्यटक महत्व के स्थानों पर आधार संरचना में सुधार लाने के लिए विभिन्न स्कीमें प्रारम्भ की हैं । इसमें राष्ट्रीय उद्यानों/वन्य जीव अभ्यारण्यों में वन-गृहों, युवा होस्टलों, पर्यटक बंगलों, यात्रिकाओं (धर्मशालाओं) का निर्माण शामिल है । ललितगिरि, उदयगिरि, खन्डगिरि, कुशीनगर, श्रावस्ती, फतेहपुर सीकरी, बृजभूमि और मेवाड़ कम्पलेक्स आदि जैसे राष्ट्रीय महत्व के स्थानों की मास्टर प्लाने तैयार की गई थीं । विभिन्न स्थानों पर ट्रेकिंग उपकरण, नोकाए आदि प्रदान करने तथा साथ ही साथ मेलों और पर्वों का संवर्धन करने और राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों की प्रकाशपुन्ज व्यवस्था करने के लिए भी निधियां उपलब्ध कराई गई थी । विभाग ने स्वदेशी पर्यटकों के लिए सस्ती एक-मुस्त-यात्राओं का आयोजन करने के लिए राज्य पर्यटन विकास निगमों से भी अनुरोध किया है और बहुत से निगम पहले से ही ऐसी एक-मुश्त यात्राओं का आयोजन कर रहे हैं । भारत पर्यटन विकास निगम ने भी कई आकर्षित एक-मुश्त यात्राओं का आयोजन किया है ।

व्यावहारिकतौर पर जिन सभी वन्य-जीव अभ्यारण्यों और बड़ी संख्या में राष्ट्रीय स्मारकों के विकास के लिए पर्यटन विभाग द्वारा ठोस कदम उठाये गए हैं, वे देश के अपेक्षाकृत पिछड़े क्षेत्रों में अवस्थित हैं । इसके स्पष्टत: ऐसे क्षेत्रों के आर्थिक विकास में योगदान मिला है ।

(घ) देश के विभिन्न भागों में पर्यटक जिन पर्यटक सुविधाओं का लाभ उठाते हैं पर्यटन विभाग उनके बारे में कोई आंकड़े संकलित नहीं करता ।

[अनुवाद]

गैर-सरकारी प्रबन्ध द्वारा उचित दर की दुकानें चलाने को बन्द करने का प्रस्ताव

6295. **श्री सी० सम्बु** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का आवश्यक वस्तुओं की वितरण प्रणाली को अपने हाथ में लेने और बेरोजगारों को रोजगार देकर उचित दर की दुकानें चलाने और गैर-सरकारी विक्रेताओं द्वारा चलाई जा रही उचित दर की दुकानों को बन्द करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

योजना तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ए० के० पंजा): (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

वर्ष 1985 के दौरान केरल में पर्यटन से अर्जित राजस्व

6296. **श्री के० मोहनदास : क्या संसदीय कार्य और पर्यटन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1985 के दौरान पर्यटन से कुल कितना राजस्व प्राप्त हुआ;

(ख) केरल से कुल कितनी आय अर्जित हुई; और

(ग) पर्यटन के विकास के लिए 1986-87 के दौरान केरल को कुल कितनी धनराशि दी जा रही है ?

संसदीय कार्य और पर्यटन मन्त्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) वर्ष 1985 के सम्बन्ध में पर्यटन से विदेशी मुद्रा आय के अनुमान भारतीय रिजर्व बैंक से अभी प्राप्त नहीं हुए हैं। जहाँ तक स्वदेशी पर्यटन से राजस्व का सम्बन्ध है, फिलहाल कोई सूचना संकलित नहीं की जा रही है।

(ख) पर्यटन से आय के राज्य/स्थान-वार अनुमान नहीं रखे जा रहे हैं।

(ग) विभाग, राज्य-वार निधियाँ आबन्टित नहीं करता। बल्कि यह राज्य सरकारों द्वारा भिजवाई गई विभिन्न पर्यटन विकास परियोजनाओं के लिए परियोजनाओं के गुणों, परस्पर-प्राथमिकताओं और विभाग के पास धनराशियों की उपलब्धता के आधार पर केन्द्रीय सहायता प्रदान करता है।

गढ़वाल की पहाड़ियों की पर्यटन क्षमता का उपयोग करने सम्बन्धी योजना

6297. **श्री विनेश सिंह : क्या संसदीय कार्य और पर्यटन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार ने गढ़वाल की पहाड़ियों में जहाँ देश के महत्वपूर्ण पर्वतीय तीर्थस्थान हैं पर्यटन का विकास करने की कोई योजना बनाई है ?

संसदीय कार्य और पर्यटन मन्त्री (श्री एच० के० एल० भगत) : पर्यटन विभाग ने राज्य सरकार से क्षेत्र में पर्यटन का विकास करने के लिए प्राप्त निम्नलिखित योजनाएं प्रारम्भ की हैं :

(i) औली-जोशीमठ में आवास और रेस्तरां सुविधाएं।

(ii) औली-जोशीमठ में शीतकालीन क्रीडाओं के विकास के लिए स्की-लिफ्ट।

(iii) ट्रेकिंग उपकरणों की व्यवस्था।

(iv) राज्य सरकार के परामर्श से केन्द्र, राज्य और निजी क्षेत्र के मिश्रित संसाधनों के माध्यम से अवस्थाबद्ध तरीके से विकास करने के लिए 7 केन्द्र निर्धारित किए गए हैं।

इसके अलावा, भारतीय यात्री आवास विकास समिति नामक एक पंजीकृत सोसाइटी गढ़वाल पहाड़ियों में कुछ महत्वपूर्ण तीर्थ स्थानों पर यात्रिकाओं के निर्माण का प्रस्ताव कर रही है।

केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को महंगाई भत्ता

6298. **श्री कल्याण सिंह सोलंकी :** क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 जनवरी, 1973 से 1 जनवरी, 1986 तक वर्ष-वार रुपये के मूल्य में कितने प्रतिशत गिरावट आई है;

(ख) 1 जनवरी, 1973 से 1 जनवरी, 1986 तक वर्ष-वार केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को महंगाई भत्ते की कितनी किस्तें दी गई हैं;

(ग) 1 जनवरी, 1973 से लेकर 1 जनवरी, 1986 तक जीवन निर्वाह लागत में वृद्धि होने और रुपये के मूल्य में गिरावट आने के कारण दिये गए महंगाई भत्ते की किश्तों के माध्यम से 400 रुपये, 700 रुपये और 1200 रुपये से कम मूल वेतन पाने वाले केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को महंगाई को निष्प्रभावी करने के लिए वास्तव में वर्ष-वार कितनी राहत मिली है; और

(घ) केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को महंगाई भत्ते की कितनी किश्तें देय हो गई हैं, किन्तु अभी तक उनका भुगतान नहीं किया गया।

वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) सूचना क्रमश: विवरण 1, 2, और 3 में दी गई है।

(घ) शून्य।

विवरण—1

1973—86 तक रुपये के मूल्य में वृद्धि/ह्रास का प्रतिशत औद्योगिक कामगारों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक

(आधार 1960=100) (जनवरी मास के लिए)

वर्ष	जनवरी का सूचकांक	रुपये का मूल्य ×	प्रतिशत में वृद्धि (+)/वर्ष में में ह्रास (—)
1973	210	47.62 पैसे	—
1974	264	37.88 पैसे	—20.5 प्रतिशत
1975	326	30.67 पैसे	—19.0 प्रतिशत
1976	298	33.56 पैसे	+9.4 प्रतिशत

1	2	3	4
1977	307	32.57 पैसे	—2.9 प्रतिशत
1978	325	30.77 पैसे	—5.5 प्रतिशत
1979	332	30.12 पैसे	—2.1 प्रतिशत
1980	371	26.95 पैसे	—10.5 प्रतिशत
1981	411	24.33 पैसे	—9.7 प्रतिशत
1982	459	21.79 पैसे	—10.4 प्रतिशत
1983	495	20.20 पैसे	—7.3 प्रतिशत
1984	563	17.76 पैसे	— 12.1 प्रतिशत
1985	588	17.01 पैसे	—4.2 प्रतिशत
1986	629	15.90 पैसे	—6.5 प्रतिशत

× औद्योगिक कामगारों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के सदृश्य मापी गई है।

विवरण—2

1-1-73 से 1-1-86 तक केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को जारी की गई महंगाई भत्ते/अतिरिक्त महंगाई भत्ते की किश्तों का ब्योरा

महंगाई भत्ते/अतिरिक्त महंगाई भत्ते की किस्तें		औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जिस पर महंगाई भत्ता/अतिरिक्त महंगाई भत्ता देय हुआ	तारीख जिसने महंगाई भत्ता अतिरिक्त महंगाई भत्ता देय हुआ	तारीखें जिसको सरकार द्वारा महंगाई भत्ता/अतिरिक्त महंगाई भत्तों की स्वीकृति के बारे में आदेश जारी किए गए थे
	1.	208	1-5-1973	21-11-1973
	2.	215	1-8-1973	
महंगाई भत्ता	3.	224	1-10-1973	6-12-1973
	4.	232	1-1-1974	5-3-1974
	5.	240	1-2-1974	3-4-1974
	6.	248	1-4-1974	6-8-1974
	7.	256	1-6-1974	
	8.	264	1-7-1974	30-1-1975
	9.	272	1-9-1974	

	1	2	3	4
	1.	280	1-10-1974	
	2.	288	1-11-1974	
	3.	296	1-12-1974	4-9-1975
	4.	304	1-2-1975	
अतिरिक्त महं-	5.	312	1-3-1975	
गाई भत्ता	6.	320	1-1-1978	18-4-1978
	7.	328	1-12-1978	9-4-1979
	8.	336	1-8-1979	4-10-1979
	9.	344	1-11-1979	25-3-1980
	10.	352	1-2-1980	16-6-1980
	11.	360	5-5-1980	2-8-1980
	12.	368	1-7-1980	3-10-1980
	13.	376	1-9-1980	6-1-1981
	14.	384	1-12-1980	6-4-1981
	15.	392	1-2-1981	14-7-1981
	16.	400	1-14-1981	21-9-1981
	17.	408	1-6-1981	20-11-1981
	18.	416	1-8-1981	
	19.	424	1-10-1981	
	20.	432	1-11-1981	23-3-1982
	21.	440	1-1-1982	
	22.	448	1-4-1982	27-7-1982
	23.	456	1-6-1982	7-10-1982
	24.	464	1-9-1982	13-4-1983
	25.	472	1-12-1982	
	26.	480	1-3-1983	
	27.	488	1-5-1983	22-9-1983
	28.	496	1-7-1983	

1	2	3	4
29.	504	1-8-1983 |	
30.	512	1-10-1983 |	21-5-1984
31.	520	1-11-1983 |	
32.	528	1-1-1984 |	
33.	536	1-2-1984 |	
34.	544	1-4-1984 |	15-9-1984
35.	552	1-6-1984 |	
36.	560	1-8-1984 |	19-1-1985
37.	568	1-11-1984 |	
38.	576	1-1-1985	30-4-1985
39.	584	1-5-1985	2-9-1985
40.	592	1-8-1985 |	16-1-1986
41.	600	1-11-1985 |	
42.	608	1-1-1986	28-2-1986

टिप्पणी : अप्रैल, 1976 में औसत सूचकांक 312 अंकों से नीचे आ जाने के परिणामस्वरूप 1-10-1976 से अतिरिक्त महंगाई भत्ते की 5वीं किस्त वापिस ले ली गई थी। अगस्त, 1977 में औसत सूचकांक 312 अंकों से आगे बढ़ जाने के कारण 1-9-1977 से अतिरिक्त महंगाई भत्ते की 5वीं किस्त पुनः दे दी गई थी।

विवरण-3

1973 से 1986 तक जीवन निर्वाह लागत में वृद्धि की तुलना में मंहगाई भत्ते/अतिरिक्त मंहगाई भत्ते की स्वीकृति द्वारा निराकरण का प्रतिशत।

वेतन		की स्थिति के अनुसार								
	×1.1.73	1.1.1984	1.1.1975	1.1.1976	1.1.1977	1.1.1978	1.1.1979	1.1.1980	1.1.1981	1.1.1982
400	—	75.00	71.88	70.54	70.54	70.83	72.66	75.79	80.98	85.42
700	—	75.00	71.88	70.54	70.54	70.00	7109	71.53	72.28	72.92
1200	—	42.19	52.60	51.04	51.01	50.42	48.18	53.24	55.25	56.94

	1.1.1983	1.1.1984	1.1.1985	1.1.1986
400	87.13	89.33	90.69	91.42
700	73.16	73.48	73.67	73.77
1200	55.76	58.43	58.95	59.23

×तीसरे वेतन आयोग की सिफारिशें 1.1.1973 से लागू की गई थीं।

टिप्पणी : 1973 से 1986 तक वर्ष की 1 जनवरी की स्थिति के अनुसार 400/—रु०, 700/—रु० और 1200/—रुपए के वेतन पर निराकरण का प्रतिशत बताया गया है। वेतन के प्रत्येक अंक पर निराकरण का प्रतिशत बताना सम्भव नहीं है।

उत्तर केरल में भारतीय रिजर्व बैंक का विदेशी मुद्रा यूनिट खोलना

6299. **श्री मुल्ला पल्ली रामचन्द्रन** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 जनवरी, 1985 से अब तक भारतीय रिजर्व बैंक की कितनी और कहां-कहां शाखाएं/यूनिटें खोली गई हैं ;

(ख) क्या सरकार का विचार उत्तर केरल में भारतीय रिजर्व बैंक की एक विदेशी मुद्रा यूनिट खोलना का है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि दिनांक 1 जनवरी, 1985 के पश्चात उसने कोई नया कार्यालय नहीं खोला है ।

(ख) इस समय भारतीय रिजर्व बैंक के विदेशी मुद्रा नियंत्रण विभाग का एक कार्यालय कोचीन में है जिसका कार्य क्षेत्र समूचा केरल राज्य है । इस समय केरल में विदेशी मुद्रा नियन्त्रण विभाग का एक और कार्यालय खोलने के वास्ते कोई प्रस्ताव भारतीय रिजर्व बैंक के विचाराधीन नहीं है ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

अल्लेप्पी स्थित राष्ट्रीय कपड़ा निगम के शो रूम को बन्द करना

6300. **श्री वक्कम पुरुषोत्तमन** : क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अल्लेप्पी स्थित राष्ट्रीय कपड़ा निगम के शो रूम को बंद करने के बारे में विचार किया जा रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) तथा (ख) इस शो रूम के कार्यनिष्पादन की समीक्षा की गई है । स्थानान्तरण सहित इसकी अर्थ-क्षमता को बेहतर बनाने के उपायों पर विचार किया गया है । तथापि, इस शो रूम को बन्द करने पर अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है ।

महाराष्ट्र में कताई मिल स्थापित करना

6301. **श्री आर० एस० माने** : क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में हाल ही में कताई मिलों के 19 एकक स्थापित करने की मंजूरी दी है ;

(ख) यदि हां, तो क्या धन की कमी के कारण यह स्थापित नहीं किए जा रहे हैं ; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में केन्द्रीय सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) महाराष्ट्र राज्य सहकारी कताई मिल परिसंघ द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार, महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में उन्नीस कताई मिलें स्थापित करने की अनुमति दी थी।

(ख) तथा (ग) देश में पहले से ही विद्यमान पर्याप्त कताई क्षमता को देखते हुए सात वां योजना वधि के दौरान सहकारी क्षेत्र में किसी भी नए एकक को सरकार द्वारा वित्तीय सहायता देने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

तमिलनाडू में पट्टुक्कोटै में केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को मकान किराया भत्ते की मंजूरी

6302. **श्री एस० सिंगरावडीवेल** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तमिलनाडु के पट्टुक्कोटै शहर में काम करने वाले केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के मकान किराया भत्ते की मंजूरी संबंधी अनुरोध को इस आधार पर नामंजूर कर दिया गया था कि वर्ष 1981 की जनगणना के अनुसार उक्त शहर की जनसंख्या 50,000 से कम थी ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि वर्ष 1982 की जनगणना रिकार्ड के अनुसार उक्त शहर की जनसंख्या 51,100 थी, जिसके आधार पर केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों ने इसकी मांग की थी ;

(ग) क्या यह सच है कि कारक्काल शहर में जिसकी वर्ष 1981 में जनसंख्या 50,000 से कम थी, उसके साथ बाद में नए क्षेत्रों को मिला देने से, वहां काम करने वाले केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को 1 अप्रैल, 1984 से मकान किराया भत्ता दिया जा रहा है ; और

(घ) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को मकान किराया भत्ते की मंजूरी के लिए पट्टुक्कोटै को वर्ष 1982 की जनसंख्या को गणना में न लेने के क्या कारण हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को मकान किराया भत्ता दिए जाने के प्रयोजन के लिए विभिन्न नगरों/कस्बों का वर्गीकरण दस वर्षीय जनगणना के आंकड़ों में दर्शायी गई उनकी जनसंख्या के आधार पर किया जाता है। इस प्रकार के वर्गीकरण में जनसंख्या में जनगणना के बाद/मध्यावधि वृद्धि पर ध्यान नहीं दिया जाता। 1981 की पिछली दसवर्षीय जनगणना के अनुसार पट्टुक्कोटै की जनसंख्या 49,484 है जिससे वह मकान किराया भत्ते के प्रयोजन के लिए एक "ग" श्रेणी नगर (निम्नतम वर्गीकरण) के रूप में वर्गीकृत किए जाने के योग्य नहीं ठहरता क्योंकि इस प्रकार के वर्गीकरण के लिए कम से कम 50,000 की जनसंख्या होना आवश्यक है।

(ग) और (घ) पांडिचेरी सरकार के मार्च, 1984 के आदेश द्वारा 1.4.1984 से कारक्काल नगरपालिका सीमा में कुछ नए क्षेत्र मिला देने के परिणामस्वरूप पुनर्गठित कारक्काल नगरपालिका की 1981 की जनगणना की जनसंख्या 50,000 से अधिक है। तदनुसार, वहां तैनात

केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को मकान किराया भत्ता किए जाने के प्रयोजन के लिए उसे "ग" श्रेणी नगर के रूप में वर्गीकृत किया गया है। पठानकोट के मामले में ऐसा कोई विचार किया गया प्रतीत नहीं होता।

आवश्यक वस्तु अधिनियम की समीक्षा

6303. **डा० डी० एन० रेड्डी :** क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग मण्डल परिसंघ ने उपभोक्तापरक व्यापार नीति पर हस्ताक्षर कर दिए हैं, जैसाकि दिनांक 20 मार्च, 1986 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में प्रकाशित हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ;

(ग) क्या राष्ट्रीयकरण के लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम की समीक्षा करने का प्रस्ताव है, यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(घ) क्या खाद्य अपमिश्रण निवारक अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए इसी प्रकार के राष्ट्रीयकरण संबंधी स्पष्टीकरण की मांग की गई है ?

योजना तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ए० के० पंजा) : (क) जी नहीं।

(ख) से (घ) ऊपर (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

भारतीय खाद्य निगम का विस्तार कार्यक्रम

6304. **श्री के० प्रधानी :** क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने भारतीय खाद्य निगम को उसकी व्यापक विस्तार योजना को ध्यान में रखते हुए अपनी अधिकृत पूंजी 450 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 1000 करोड़ रुपए करने की अनुमति दी है ;

(ख) यदि हां, तो भारतीय खाद्य निगम के प्रस्तावित कार्यक्रम की मुख्य रूप रेखा क्या है ;

(ग) पत्तनों पर आवश्यक खत्तियां '(साइलो)' बनाने और मशीनों द्वारा माल लाने-लेजाने की सुविधायें उपलब्ध कराने तथा संगठित व्यापक परिवहन उपलब्ध कराने हेतु क्या कार्यवाही की जा रही है ; और

(घ) क्या भारतीय खाद्य निगम द्वारा अपने विस्तार कार्यक्रम के अधीन उड़ीसा में भी गोदामों और भाण्डागारों का निर्माण करने का विचार है ?

योजना, तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ए०के० पंजा) : (क) मौजूदा सरकारी ऋणों को इक्विटी में बदलने तथा गोदामों का निर्माण करने के लिए इक्विटी के रूप में धनराशि मुहैया करने के लिए भारतीय खाद्य निगम की अधिकृत पूंजी में वृद्धि की गई है। ऐसा केवल 1985-86 से किया गया है। इस वृद्धि में भारतीय खाद्य निगम को कोई अतिरिक्त धनराशि देना शामिल नहीं है।

(ख) उपरोक्त भाग (क) के उत्तर की दृष्टि से प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) इस समय साइलों का निर्माण करने और खाद्यान्नों के लिए यान्त्रिक हैंडलिंग सुविधाओं की व्यवस्था करने और बड़े पैमाने पर ढुलाई करने के बारे में भारतीय खाद्य निगम की कोई योजना नहीं है।

(घ) जी हां। उड़ीसा में भारतीय खाद्य निगम द्वारा इस समय 15,000 मीटरी टनों की क्षमता का निर्माण किया जा रहा है।

बैंकों में सात दिवसीय काम की मांग

6305. **श्री बनवारी लाल पुरोहित** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इण्डियन नेशनल बैंक एम्प्लाइज कांग्रेस के राष्ट्रीय सम्मेलन ने मांग की है कि बैंकों को सप्ताह में सातों दिन काम करना चाहिए ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) सेन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार, आल इंडिया सेन्ट्रल बैंक एम्प्लाइज कांग्रेज (इंडियन नेशनल बैंक एम्प्लाईज कांग्रेस-इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस) से सम्बद्ध सेन्ट्रल बैंक एम्प्लाइज यूनियन, बम्बई ने 29 मार्च, 1896 को अपने सदस्यों को सूचना देते हुए एक परिपत्र जारी किया था कि 21 मार्च, 1986 को नई दिल्ली में इंडियन नेशनल बैंक एम्प्लाइज कांग्रेस द्वारा आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन में एक प्रस्ताव पास किया गया है, जिसमें सरकार से बैंकों को सप्ताह के सातों दिन खुले रखने के लिए कहा गया है जबकि कर्मचारी सप्ताह के 5 दिन बारी-बारी से काम कर सकते हैं।

(ख) विभिन्न सांविधिक उपबन्धों और अधिकरण पंचाटों और इस संबंध में द्विपक्षीय समझौतों में निहित बैंक कर्मचारियों की सेवा शर्तों को देखते हुए, बैंकों का सप्ताह में सभी सातों दिन काम करना व्यवहार्य नहीं होगा।

लौंग का आयात

6306. **प्रो० पी० जे० कुरियन** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वर्ष 1985-86 के दौरान लौंग का आयात किया है ;

(ख) यदि हां, तो कितनी मात्रा में आयात किया गया है ;

(ग) क्या इस आयात के कारण लौंग का मूल्य कम हो गया है जिसके परिणामस्वरूप लौंग-उत्पादकों को हानि हुई है ; और

(घ) यदि हां, तो उत्पादकों के लिए लाभप्रद मूल्य सुनिश्चित कराने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

वाणिज्य तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) तथा (ख) विभिन्न मदों के आयात की मात्रा तथा मूल्य से संबंधित आंकड़े अभी तक 1982-83 तक संकलित किए गए हैं। 1985-86 के दौरान आयातित लौंग की मात्रा से सम्बन्धित आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

(ग) तथा (घ) लौंग की कीमतों में गिरावट का रुख है। सरकार उपजकर्त्ताओं के हितों की रक्षा के लिए विभिन्न उपायों पर विचार कर रही है।

नासिक (महाराष्ट्र) में राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखायें खोलना

6307. : **श्री मुरलीधर माने** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छठी पंचवर्षीय योजना वधि के दौरान महाराष्ट्र में नासिक में राष्ट्रीयकृत बैंकों की कुल कितनी शाखायें खोली गई ; और

(ख) सातवीं पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान नासिक में राष्ट्रीयकृत और अन्य बैंकों की कितनी शाखायें खोलने का विचार है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि छठी आयोजना अर्थात् अप्रैल 1980 से मार्च 1985 तक के दौरान महाराष्ट्र के नासिक जिले में वाणिज्यिक बैंकों की 58 शाखाएं खोली गई।

(ख) सातवीं पंचवर्षीय आयोजना अर्थात् 1985-90 के लिए शाखा लाइसेंसिंग नीति का उद्देश्य प्रत्येक विकास खंड के ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में 17,000 की आबादी के पीछे एक बैंक कार्यालय खोलने का लक्ष्य प्राप्त करना है। इस नीति का उद्देश्य स्थानिक दूरियों को भी पाटना है ताकि प्रत्येक गांव के 10 किलोमीटर की दूरी के अन्दर-अन्दर कम से कम एक बैंक कार्यालय सुनिश्चित किया जा सके। अतिरिक्त बैंक कार्यालय खोलने के लिए लाइसेंस भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 1985-90 की अवधि की चालू शाखा लाइसेंसिंग नीति में निर्धारित उद्देश्यों और नीति के संदर्भ में कार्यालय खोलने के लिए पता लगाए गए सम्भावित विकास केन्द्रों के आधार पर मंजूर किए जाएंगे। इस प्रकार नासिक जिले में सातवीं पंचवर्षीय आयोजना अवधि में बैंक कार्यालय खोलने के लिए संख्या की दृष्टि से कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है।

मकान किराए भत्ते की अदायगी के लिए माही के सरकारी कर्मचारियों का अभ्यावेदन

6408. श्री के० पी० उन्नीकृष्णन् : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मकान किराया भत्ते की अदायगी के लिए माही (पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्र) के सहकारी कर्मचारियों से अनेक अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) : माही में तैनात सरकारी कर्मचारियों को मकान किराया भत्ता देने के लिए सरकार को अनेक अभ्यावेदन प्राप्त हो रहे हैं । वर्तमान आदेशों के अन्तर्गत आवश्यक निर्भरता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किए जाने की शर्त के अधीन अर्हक नगर की नगरपालिका सीमा क्षेत्र से कि. मी. के फासले के अन्दर हवाई अड्डों, मौसम विज्ञान वेधशालाओं, बेतार केन्द्रों और केन्द्रीय सरकार के अन्य प्रतिष्ठानों में कार्य कर रहे कर्मचारियों को भी उस अर्हक नगर में ग्राह्य दरों पर मकान किराया भत्ता दिए जाने की अनुमति दी जा सकती है । माही स्वयं एक नगरपालिका क्षेत्र होने के कारण, इन प्रावधानों के अन्तर्गत, मकान किराया भत्ता दिए जाने के योग्य नहीं है । इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए माही में तैनात सरकारी कर्मचारियों को मकान किराया भत्ता दिए जाने का अनुरोध स्वीकार नहीं किया जा सकता ।

भुवनेश्वर में राज्य व्यापार निगम का एक कार्यालय खोलना

6309. श्री अनादि चरण दास : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य व्यपार निगम उड़ीसा में तेल की खपत अधिक होने को ध्यान में रखते हुए आयातित खाद्य तेल के बार-बार की सुविधा के लिए भुवनेश्वर में एक कार्यालय खोलने के लिए सिद्धांत रूप में सहमत हो गया था ; और

(ख) यदि हां, तो राज्य व्यपार निगम का विचार भुवनेश्वर में कब तक कार्यालय खोलने का है ?

वाणिज्य तथा खाद्य नागरिक पूर्ति मन्त्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) तथा (ख) राज्य व्यापार निगम उड़ीसा में राज्य अभिकरणों द्वारा खाद्य तेल के उठान और इस क्षेत्र से निर्यात के बारे में गहराई से मूल्यांकन कर रहा है । उप-शाखा कार्यालय खोलने के प्रबंध इस कार्य के परिणाम पर निर्भर करते हैं ।

वर्ष 1985-86 के दौरान डाले गए छापों से बरामद हुआ धन

6310. श्री बी० बी० देसाई : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1985-86 के दौरान केन्द्रीय सरकार द्वारा मारे गए कर संबंधी छापों में कथित वृद्धि के बावजूद वर्ष 1985-86 के बजट घाटे में कोई कमी नहीं आयी है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इन छापों के कारण विभाज्य परिव्यय से राज्यों की आय में वृद्धि हुई है और इससे उनका बजट घाटा लगभग शून्य हो गया है ;

(ग) यदि हां, तो बजट घाटे पर इनका कोई प्रभाव न पड़ने के मुख्य कारण क्या हैं ; और

(घ) सरकार द्वारा अब तक मारे गए छापों में नकद और वस्तु दोनों के रूप में कुल कितनी धनराशि बरामद की गई है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (घ) सूचना यथा संभव सीमा तक एकत्र की जा रही है और उसे सदन-पटल पर रख दिया जाएगा।

काले धन के पहलुओं के सम्बन्ध में रिपोर्ट

6311. **श्री सी० जंगा रेड्डी** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने "भारत में काले धन के पहलुओं" सम्बन्धी रिपोर्ट का अध्ययन तथा उस पर विचार किया है; और

(ख) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) जी, हां। जिन सुझावों पर राज्य सरकारों और अन्य मन्त्रालयों द्वारा कार्रवाई की जानी थी, विचारार्थ उनके ध्यान में ला दिया गया है। अन्य मुद्दों पर सरकार के इस चिन्तन को गत सत्र के दौरान सदन-पटल पर रखी गई दीर्घकालीन वित्तीय नीति में और वित्त विधेयक, 1986 में दर्शाया गया है। सरकार द्वारा स्वीकृत किए गए कुछ सुझावों को कार्यान्वित करने के लिए कार्रवाई की जा रही है। जिन सुझावों पर कार्रवाई की जा चुकी है उनमें अन्य सुझावों के साथ-साथ संक्षिप्ततः कर-निर्धारण योजना को उदार बनाना और तलाशियां लेने तथा मुकदमा चलाने के कार्य की गति में तेजी लाना शामिल है। किए गए उपायों के परिणामतः राजस्व की वसूली में वृद्धि हुई है।

बिक्री कर, केन्द्रीय बिक्री कर और आयकर की वसूली

6312. **श्री सी० के० कुप्पु स्वामी** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सभी राज्यों में बिक्री कर, केन्द्रीय बिक्री कर और आयकर की वसूली वित्तीय वर्ष के भीतर समान रूप से की जाती है;

(ख) क्या यह सच है कि कुछ राज्यों में बिक्री कर की वसूली काफी मात्रा में नहीं की जा पाती है जबकि आय-कर और केन्द्रीय बिक्री कर प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अन्त तक पूरा-पूरा वसूल किया जाता है और उसे बकाया नहीं छोड़ा जाता है,

(ग) क्या यह भी सच है कि कुछ राज्य में आय-कर और केन्द्रीय बिक्री कर बकाया है जबकि बिक्री कर वित्तीय वर्ष के भीतर शीघ्र ही वसूल कर लिया जाता है।

(घ) सभी राज्यों में करों की वसूली के लिए एक समान प्रक्रिया अपनाने हेतु क्या कदम उठाने का विचार है; और

(ङ) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) संविधान के अनुसार बिक्री-कर तथा केन्द्रीय बिक्री-कर से प्राप्त होने वाले राजस्व कार्य राज्यों को सौंपा गया है; तथा बिक्री-कर/केन्द्रीय बिक्री-कर के बारे में कोई भी जानकारी केवल राज्य सरकारों के पास उपलब्ध है। आय-कर की अदायगी अग्रिम कर, स्व-निर्धारण, स्रोत पर कर की कटौती तथा नियमित निर्धारणों के आधार पर की जाती है और आयकर की यथा-सम्भव अधिक वसूली के लिए हर सम्भव प्रयास किए जाते हैं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) सभी राज्यों में आयकर की बकाया है।

(घ) तथा (ङ) प्रश्न ही नहीं उठते।

रियायतों का छुपी आय के प्रकट करने का प्रभाव

6313. **श्री के० रामचन्द्रन रेड्डी** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आयकर अधिनियम के अनुच्छेद 273-क और अन्य उपबन्धों में संशोधन के रूप में कुछ रियायतें देने का मामला विचाराधीन है;

(ख) क्या इन संशोधनों से छुपी आय को प्रकट करने में उन्हीं करदाताओं को लाभ मिलेगा जो पहले ही रियायतें प्राप्त कर चुके हैं,

(ग) क्या इन सशोधनों से आयकर आयुक्त की एच्छिक शक्तियां बढ़ जाएंगी; और

(घ) इन परिवर्तनों का तर्काधार क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : जी, नहीं। आयकर अधिनियम की धारा 273-क और अन्य उपबन्धों के संशोधन के रूप में कोई रियायत प्रदान करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ख) से (घ) ये प्रश्न ही नहीं उठते।

[हिन्दी]

इस्पात के अवैध आयात में सांठ-गांठ के लिए बैंक आफ मदुरै पर लगाया गया जुर्माना

6314. **श्री विष्णु मोदी** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 17 फरवरी, 1986 के "नवभारत टाइम्स" में प्रकाशित "बैंक पर 35 लाख रुपए जुर्माना" शीर्षक समाचार की ओर दिलाया गया है,

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि सरकार ने कुछ कम्पनियों को बिना यह जांच किए कि कम्पनी जाली है अथवा यह अपना व्यवसाय नियमानुसार चला रही है या नहीं, इस्पात आयात करने की अनुमति दी है;

(ग) यदि हां, तो वर्ष 1984-85 और 1985-86 में जिन इस्पात कम्पनियों को आयात लाइसेंस दिया गया उनकी संख्या क्या है और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने इस्पात के अवैध आयात में एक व्यापारी से सांठ-गांठ करने के लिए बैंक आफ मदुरै पर लाखों रुपए का जुर्माना किया है;

(ङ) यदि हां, तो अब तक जिन अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही की गई है उनके नाम क्या हैं;

(च) इस मामले को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार का विचार आयात को नियन्त्रित करने के लिए कड़े कदम उठाने का है;

(छ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ज) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जी, हां।

(ख) सूचना एकत्र की जा रही है और यथा उपलब्ध तथा कानूनों के अंतर्गत अनुज्ञेय सूचना सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) उन सभी आयात लाइसेन्सों का विवरण, जो जारी किए जाते है, वीकली ब्लेटिन आफ इम्पोर्ट लाइसेन्सेज, एक्सपोर्ट लाइसेन्सेज एण्ड इंडस्ट्रियल लाइसेन्सेज" में प्रकाशित होता है, जिनकी प्रतियां संसद पुस्तकालय में उपलब्ध हैं।

(घ) और (ङ) बैंक आफ मदुरै ने इस्पात की वस्तुओं के एक व्यापारी श्री विनोद कुमार डिडवानिया की ओर से कुछ प्रत्यय पत्र खोले थे। सीमा शुल्क समाहर्ता, मद्रास ने सीमा शुल्क अधिनियम 1962 के उल्लंघन के आधार पर इन लेन-देनों के मामलों का न्यायनिर्णयन किया और अधिनियम की धारा 111 (घ) के अन्तर्गत आयातित माल को जब्त करने का आदेश दे दिया। चूंकि कतिपय आयातक माल छुड़ाने के लिए नहीं आए, सीमा शुल्क समाहर्ता, मद्रास ने 7 लाख रुपए के कुल मोचन जुर्माने के साथ आयात लाइसेन्सों के संयुक्त धारक के रूप में बैंक आफ मदुरै लि० द्वारा माल छुड़ाने की अनुमति दे दी। अलबत्ता, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और स्वर्ण (नियन्त्रण) अपील अधिकरण ने बैंक आफ मदुरै लि० पर जुर्माने की रकम 7 लाख रुपए से बढ़ाकर 35 लाख रुपए कर दी। बैंक ने अधिकरणों के आदेशों के विरूद्ध रिट याचिका दायर कर दी है और मद्रास उच्च न्यायालय से स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया है।

भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंक आफ मदुरै लि० से मामले की जांच करने और अनियमित-

ताओं/गलतियों के लिए कर्मचारियों को जिम्मेदार ठहराने तथा मामले को निदेशक मण्डल के सम्मुख रखने के लिए कहा है।

(च) से (ज) सूचना एकत्र की जा रही है और यथा उपलब्ध तथा कानूनों के अन्तर्गत अनुज्ञेय सूचना सभापटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

आन्ध्र प्रदेश सरकार और सिविल सप्लाई कारपोरेशन लिमिटेड, आफ आन्ध्र प्रदेश को नकद ऋण

6315. **श्री ई० अय्यप्पू रेड्डी :** क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक से अनुरोध किया है कि आन्ध्र-प्रदेश में उत्पन्न विशिष्ट परिस्थितियों को ध्यान में रखकर निर्गम मूल्य के बजाय खरीद लागत पर माल का मूल्यांकन करके राज्य सरकार और सिविल सप्लाई कारपोरेशन लिमिटेड आफ आन्ध्र-प्रदेश को इस आधार पर नकद ऋण दिया जाए कि गिर्गम मूल्य राज सहायता प्राप्त मूल्य है;

(ख) क्या भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा केवल निर्गम मूल्य के आधार पर नकद ऋण देने पर बल दिया जा रहा है, यद्यपि खरीद मूल्य निर्गम मूल्य से बहुत अधिक है;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया गया है कि वह भारतीय रिजर्व बैंक को सलाह दे कि आन्ध्र प्रदेश सिविल सप्लाई कारपोरेशन लिमिटेड को खरीद मूल्य पर नकद ऋण दिया जाए; और

(घ) आन्ध्र प्रदेश सरकार के अनुरोध के बारे में केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जी, हां।

(ख) आन्ध्र प्रदेश सरकार के अनुरोध पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विचार किया गया था। और राज्य सरकार से यह कहा गया था कि स्थापित मापदण्डों के अनुसार अनाज के भण्डार का मूल्य, बैंक ऋण के प्रयोजन के लिए, वसूली लागत, अथवा निर्गम मूल्य, इसमें से जो भी कम हो, के आधार पर आंका जाता है।

(ग) और (घ) भण्डार के मूल्य के आधार खाद्य ऋणों का प्रश्न भारतीय रिजर्व बैंक के साथ उठाया गया था और बैंक ने इसमें कोई परिवर्तन करना स्वीकार नहीं किया है।

[हिन्दी]

जीवन बीमा निगम के कर्मचारियों के उच्चतम न्यायालय/उच्च न्यायालयों में लम्बित पड़े मामले

6316. **श्री सत्यनारायण पवार :** क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा अपने श्रेणी दो के कर्मचारियों (विकास अधि-

कारियों) के साथ किसी समझौते पर पहुंचने हेतु अक्तूबर, 1985 में आरम्भ हुई वार्ता का अंतिम दौर आरम्भ करने में विलम्ब के क्या कारण हैं;

(ख) श्रेणी दो के कर्मचारियों के साथ किसी समझौते पर पहुंचने में क्या कठिनाइयां सामने आ रही हैं जबकि श्रेणी—एक के अधिकारियों, श्रेणी चार और श्रेणी—चार के कर्मचारियों के साथ बातचीत के माध्यम से ऐसा ही समझौता हो गया है;

(ग) विभिन्न उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय में जीवन बीमा निगम के श्रेणी—दो के कर्मचारियों की सेवा शर्तों से सम्बन्धित कितने मामले सुनवाई के लिए लम्बित पड़े हैं और कितने मामलों पर पहले निर्णय दिए जा चुके हैं;

(घ) क्या जीवन बीमा निगम ने न्यायालयों द्वारा किए गए फैसलों को कार्यान्वित करना आरम्भ कर दिया है; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या करण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) श्रेणी—दो कर्मचारियों (विकास अधिकारियों) के प्रतिनिधियों के साथ भारतीय जीवन बीमा निगम के प्रबन्धकों के साथ हुई बातचीत के परिणाम-स्वरूप, नियम से वेतनमानों तथा सेवा शर्तों में संशोधन लागू करने के लिए सुझाव प्राप्त हुए थे। कर्मचारियों द्वारा दिए गए कुछ नए प्रस्तावों पर 22.3.1986 को और आगे भी बातचीत हुई थी, जिन्हें जीवन बीमा निगम से प्राप्त होने पर अंतिम निर्णय लेते समय ध्यान में रखा जाएगा।

विकास अधिकारियों के वेतनमानों में संशोधन का "कार्य सम्बन्धी मानदण्डों" के साथ निकट संबन्ध है जिसके अनुसार अपने वेतनमानों के अनुसार अपनी परिलब्धियां प्राप्त करने के लिए विकास अधिकारियों से निर्धारित लागत अनुपातों के भीतर कार्य करने की अपेक्षा की जाती है। विकास अधिकारियों द्वारा कार्य सम्बन्धी मानदण्डों को चुनौती दी गई है तथा इससे सम्बन्धित मामले विभिन्न न्यायालयों में लम्बित पड़े हैं।

(ग) जीवन बीमा निगम के श्रेणी—दो के अधिकारियों की सेवा शर्तों से संबंधित सुनवाई के लिए लम्बित मामलों की संख्या उच्चतम न्यायालय में दो तथा उच्च न्यायालयों में 107 है। कर्मचारियों के 25 मामलों को, जिन पर उच्च न्यायालयों ने निर्णय दे दिया है, खारिज कर दिया गया था।

(घ) जी, हां।

(ङ) यह प्रश्न पैदा ही नहीं होता।

[अनुवाद]

कुछ वैज्ञानिक उपकरणों को सीमा शुल्क से छूट

6317. डा० ए० के० पटेल : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी अनुसंधान और शैक्षणिक संस्थाओं को भारत में निर्मित न किए जाने वाले वैज्ञानिक उपकरणों पर सीमा शुल्क की अदायगी किए बिना आयात करने की अनुमति दी गई है;

(ख) यदि हां, तो उन्हें स्वदेश में ही बनाने के लिए क्या प्रोत्साहन दिए गए हैं;

(ग) क्या स्वदेशी निर्माताओं को अपने उपकरणों का "सीमा शुल्क" मुफ्त आयात करने की अनुमति है, और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) तथा (ख) जी, हां।

केवल सरकारी अनुसंधान एवं शैक्षिक संस्थाओं को शुल्क का भुगतान किए बिना उपकरणों का आयात करने की अनुमति है। अन्य व्यक्तियों द्वारा उपकरणों का आयात करने की नीति बहुत अधिक सीमित है और उस रूप में स्वदेशी उद्योग का पर्याप्त रूप में संरक्षण किया जाता है।

(ग) तथा (घ) पूंजीपति माल, सम्बन्धित कच्चे माल तथा संघटकों का आयात "परियोजना आयातों" के अन्तर्गत शुल्क के रियायती मूल्यांकन के लिए पात्र है।

जापान को लोह अयस्क का निर्यात

6318. **श्री विजय एन० पाटिल** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1985-86 के दौरान जापान को लोह अयस्क के निर्यात में 1983-84 और 1984-85 की तुलना में कोई वृद्धि हुई है ;

(ख) यदि हां, तो 1985-86 के दौरान प्राप्त निर्यात मूल्यों का ब्योरा क्या है और क्या वह मूल्य पिछले वर्षों की तुलना में कम हैं ; और

(ग) यदि हां, तो 1985-86 में कम मूल्य मिलने के क्या कारण हैं ?

वाणिज्य तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) जी हां।

(ख) तथा (ग) जापान को बैलाडीला फाईन्स के निर्यात हेतु 1984-86 के लिए एम० एम० टी० सी० की कीमतें 26.23 अमरीकी सेंट और बैलाडीला लम्प्स के लिए 30.73 अमरीकी सेंट प्रति एफ० ई० एफ० ओ० बो० का० 1 प्रतिशत प्रति डी एल टी था। जापान को निर्यात के लिए अन्य सभी ग्रेडों और क्षेत्रों के लोह अयस्क की कीमतें अन्य संबंधित तथ्यों को ध्यान में रखते हुए आमतौर पर उपरोक्त कीमतों से निकाली जाती है। 1985-86 के दौरान रही कीमतें 1984-85 में रही कीमतों की तुलना में लोह अयस्क लम्प्स के मामले में 2.2 प्रतिशत और लोह अयस्क फाइन्स के मामले में 1.42 प्रतिशत अधिक थीं। तथापि ये कीमतें कम थीं क्योंकि इन का निर्धारण 1985-86 के दौरान लोह अयस्क की अन्तर्राष्ट्रीय बाजार कीमतों के आधार पर करना पड़ा था।

[हिन्दी]

चूहों को नष्ट करना

6319. प्रो॰ निर्मला कुमारी शक्तावत : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चूहों की संख्या मनुष्यों की संख्या से छा गुना है ;

(ख) क्या चूहे देश में कृषि उप्पादों का एक प्रमुख भाग खा जाते हैं ; और

(ग) भविष्य में चूहों की संख्या में वृद्धि को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठ ने का विचार है ?

योजना तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ए॰ के॰ पंजा) : (क) और (ख) : चूहों की संख्या और उनके द्वारा खाए गए कृषि उत्पादों की मात्रा का अनुमान लगाने के लिए कोई व्यवस्थित-व्यापक अध्ययन नहीं किए गए हैं ।

(ग) भण्डारित खाद्यान्नों की हानियों को कम से कम होने देने के उद्देश्य से मंत्रालय ने चूहों पर नियंत्रण रखने के लिए अनुसंधान और विकास तथा विस्तार कार्य शुरू किए हैं ।

अनुसंधान और विकास कार्य भारतीय अनाज संचयन संस्था में किया जाता है, जिसमें (1) कई एक कुन्तकनाशी दवाइयों का उनकी प्रभावकारिता की दृष्टि से परीक्षण करना ; (2) कुन्तकनाशी मिश्रणों का विकास करना ; और (3) मानव उपभोग के लिए अनाजों की सुरक्षा और गुणवत्ता को दृष्टि में रखते हुए तरजीही चारे का परीक्षण करना शामिल है ।

देश के विभिन्न भागों में स्थित 17 केन्द्रीय अन्न सुरक्षा दलों के माध्यम से विस्तार कार्य किया जाता है । चहों की बिलों को नष्ट करने, चूहों को पकड़ने और कुन्तकनाशी दवाइयों और प्रधूमकों का इस्तेमाल करने जैसे चूहा नियंत्रण उपायों का प्रचार करने के उद्देश्य से केन्द्रीय दल चुनिंदा गांवों में प्रदर्शनों और प्रशिक्षण का आयोजन करते हैं ।

भारयीय खाद्य निगम और सेन्ट्रल वेयरहाउसिंग कारपोरेशन, जहां कहीं आवश्यक होता है, चूहा-नियंत्रण के लिए चूहा-विष का भी इस्तेमाल करते हैं ।

[अनुवाद]

बहुराष्ट्रीय औषधि कम्पनियों द्वारा विदेशी पूंजी में कटौती

6320. श्री हरिकृष्ण शास्त्री : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ?

(क) क्या यह सच है कि विदेशी बहुराष्ट्रीय कम्पनियों ने विदेशी पूंजी में कटौती करने के सिलसिले में भारतीय शेयर धारकों के बीच अपने शेयर अलग तरीके से बेचे हैं ;

(ख) उन बहुराष्ट्रीय औषधि कम्पनियों के नाम क्या हैं, जिन्होंने वर्ष 1978 के बाद अपनी विदेशी पूंजी में कटौती की हैं ; और

(ग) वित्तीय संस्थानों तथा भारतीय शेयर धारकों को दिये गये शेयरों की पृथक-पृथक प्रतिशतता क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) : सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

त्रिपुरा में कताई मिल

6321. श्री अजय विश्वास : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिपुरा सरकार ने त्रिपुरा में एक कताई मिल की स्थापना के लिए केन्द्रीय सरकार को कोई प्रस्ताव भेजा है ,

(ख) यदि हां, तो उक्त प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार को इस बात की जानकारी है कि त्रिपुरा में 1.2 लाख मीटरी हथकरघों की सूत की आवश्यकता अन्य राज्यों से सूत मंगाकर पूरी की जाती है ; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार हथकरघों बुनकरों को होने वाली कठिनाइयों को दूर करने के लिए त्रिपुरा में एक कताई मिल की स्थापना हेतु धन उपलब्ध कराने का है ?

वस्त्र मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) तथा (ख) सूती यार्न के विनिर्माण के लिए 500 तकुओं वाले एकक की स्थापना के लिए मैसर्स त्रिपुरा ऐपेक्स वीविंग कोआपरेटिव सोसायटी लि०, अगरतला को दिनांक 24.10.1985 का आशयपत्र सं. 1125 (1985) जारी किया गया है ।

(ग) त्रिपुरा के हथकरघा बुनकरों की यार्न की आवश्यकताओं को राज्य के बाहर से यार्न का आयात करके पूरा किया जाता है ।

(घ) उपरोक्त 'क' तथा 'ख' में उल्लिखित मिल की स्थापना के लिए धन की व्यवस्था हेतु सरकार को कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है ।

काजू बोर्ड की स्थापना का प्रस्ताव

6322. डा० फूलरेणु गुहा : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में काजू बोर्ड स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

गन्ने के विकास के लिए योजना

6323. **श्री वी०एस० कृष्ण अय्यर** : क्या खाद्य नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने गन्ने के विकास के बारे में कोई योजना भेजी है ;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार ने उक्त योजना को मंजूरी दे दी है ;

(ग) केन्द्रीय सरकार ने वर्ष 1985-86 के दौरान कर्नाटक में गन्ने के विकास के लिए कितनी धनराशि दी है ?

योजना तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ए०के० पंजा) : (क) से (ग) कर्नाटक राज्य सरकार के माध्यम से गन्ना विकास के लिए चीनी विकास निधि से ऋण प्राप्त करने के लिए दो आवेदन पत्र प्राप्त हुए थे। कुछ आधार सूचना न दिए जाने के कारण इन दोनों आवेदन पत्रों को अपूर्ण पाया गया था। चीनी प्रतिष्ठानों/राज्य सरकार को संशोधित आवेदन पत्र भेजने की सलाह दी गई थी।

महाराष्ट्र में राष्ट्रीय कपड़ा निगम के कर्मचारियों को आवास भत्ता देने की सिफारिश

6324. **श्री डी० बी० पाटिल** : क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय कपड़ा निगम ने महाराष्ट्र में अपनी मिलों के कर्मचारियों को 60 रुपए प्रतिमाह की दर पर आवास भत्ता देने के लिए महाराष्ट्र सरकार द्वारा की गई सिफारिश को स्वीकार करने तथा कार्यान्वित करने से इंकार कर दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है ?

वस्त्र मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खाँ) : (क) तथा (ख) बम्बई में एन० टी०सी० मिलों के कामगारों को देशपाण्डे समिति की सिफारिशों के आधार पर आवास किराया भत्ता दिया जा रहा है। ये सिफारिशें बम्बई स्थित टैक्सटाइल मिल्स के कामगारों के संबंध में की गई थीं न कि बम्बई से बाहर के कामगारों के संबंध में। महाराष्ट्र सरकार की अधिसूचना एक अपील के रूप में है।

चावल, चीनी और अन्य खाद्यान्नों का वर्ष 1985 में निर्यात

6325. श्री रणजीत सिंह गायकवाड़ : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने को कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1985 के दौरान विदेशों को निर्यात किए गए चावल, चीनी तथा अन्य खाद्यान्नों की मूल्यवार तथा अभिकरण वार मात्रा कितनी है ; और

(ख) वर्ष 1985 के दौरान इर अभिकरणों द्वारा इन वस्तुओं के निर्यात से कितना लाभ अर्जित किया गया ?

वाणिज्य तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) निम्नलिखित तालिका 1985 के दौरान चावल, चीनी, गेहूं तथा तथा अन्य खाद्यान्नों के अनुमानित निर्यात दर्शाती है:—

मद	मात्रा (लाख एम०टी०	मूल्य (करोड़ रु०
बासमती चावल	2.31	162.62
चीनी (×)	0.41	19.17
गेहूं, मैदा और चना (दाल)	·.51	68.07
बाजरा, मक्का ज्वार और रागी	0,13	3.20

(×) 1985-86 और पुनर्विचार शामिल हैं।

चाय का उत्पादन और निर्यात तथा उसका मूल्य

6326. श्री प्रिय रंजन दास मुंशी : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1982-83, 1983-84 और 1984-85 में भारत में चाय का कुल कितना उत्पादन हुआ और इन वर्षों में उसकी कितनी मात्रा का निर्यात किया गया ;

(ख) इन वर्षों में चाय का देशी मूल्य और निर्यात मूल्य क्या था ; और

(ग) क्या बेहतर निर्यात मूल्य प्राप्त करने और यथा संभव देश में मूल्य स्थिर रखने के लिए प्रयास किए गए है ?

वाणिज्य तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) तथा (ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) हमारी निर्यात नीति तैयार करते समय अनुकूलतम निर्यात आय सुनिश्चित करते हुए उचित घरेलू कीमतों को बनाए रखने के उद्देश्य को हमेशा ध्यान में रखा गया है। 1984 में जिस वर्ष चाय की कीमतों पर सर्वाधिक दबाव था, क्वालिटी उत्पादन की अवधि के दौरान मई-अगस्त में अप्रतिबन्धित निर्यातों की अनुमति दी गई थी, लेकिन घरेलू कीमतों पर नियंत्रण रखने के लिए वर्ष के शेष भाग में निर्यात प्रतिबंध लगाए गए थे। 1985 की चाय विपणन नीति से जनवरी-मई 1985 तक इकाई मूल्य अधिप्राप्ति सुनिश्चित हुई जोकि 1984 के रिकार्ड स्तरों से भी कहीं अधिक थीं हालांकि कीमतें गिर रही थीं। 1985 के दौरान मूल्य वर्जित चायों के निर्यातों में भी वृद्धि हुई और ऐसी चायों के निर्यात 1984 में 73 करोड़ रु० मूल्य के 19 मिलियन किग्रा० की तुलना में 134 करोड़ रु० मूल्य के लगभग 33 मिलियन किग्रा० के हुए।

1985 में खुदरा घरेलू कीमतें भी 1984 की तुलना में 2 रु० से 2 रु० प्रति किग्रा० कम थीं।

विवरण

(क) तथा (ख) निम्नलिखित तालिका 1982-83 से 1984-85 के दौरान उत्पादन, निर्यात, निर्यातों से इकाई मूल्य प्रती प्राप्ति तथा कलकत्ता तथा कोचीन नीलामियों में चाय की औसत कीमतें दर्शाती हैं :—

वर्ष	उत्पादन (मि०किग्रा०	निर्यात (मि०किग्रा०)	इकाई निर्यात कीमत (रु०/किग्रा०)	नीलामियों में औसत (रु०/किग्रा०) कलकत्ता	कोचीन
1982-83	561.33	194.09	19.03	16 82	15.75
1983-84	602.90	202.[illegible]1	27.56	26.16	23.34
1984-85	643.16	217.40	35.48	32.03	27.27

× उपरोक्त आंकड़े भारतीय कीमतों से संबंधित औसतों को दर्शाते हैं। निर्यात पाबंदियों की अवधि के दौरान लंदन नीलामी कीमतें कलकत्ता कीमत से लगभग 10 रु० प्रति किग्रा० ऊंची थीं। जनवरी, 1984 में लंदन कीमतें लगभग 20 रु० प्रति किग्रा० ऊंची थी।

गरीब लोगों को बिना प्रतिभूति के ऋण देना

6327. श्री ए०जे०वी०बी० महेश्वर राय
श्री एम० रघुमा रेड्डी
: क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ऐसी कोई योजना है जिसके अन्तर्गत गरीब लोग बैंकों से बिना प्रतिभूति के 2500 रु० तक ऋण प्राप्त कर सकते हैं ;

(ख) क्या सरकार को इस संबंध में शिकायतें और अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं कि बैंक प्रबंधक गरीब लोगों को इस योजना के अन्तर्गत बिना प्रतिभूति के ऋण मंजूर नहीं कर रहे हैं ; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को दिए जाने वाले अग्रिमों के सम्बन्ध में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए मार्ग-निर्देशों के अनुसार बैंकों को कृषि क्षेत्र में 5,000 रुपए तक के ऋणों और लघु उद्योग क्षेत्र में 25,000 रुपए तक के ऋणों के लिए सांपार्श्विक प्रतिभूति या अन्य पार्टी की गारंटी नहीं मांगनी चाहिए। बैंक ऋण से खरीदी गई सम्पतियों के रहने को ऐसे ऋणों के लिए पर्याप्त जमानत समझा जाना चाहिए।

2. जब कभी छोटे ऋणों के लिए बैंकों द्वारा सांपार्श्विक प्रतिभूति लेने की विशिष्ट शिकायतें प्राप्त होती हैं तब मामले को आवश्यक उपचारात्मक कारंवाई के वास्ते उठाया जाता है।

राष्ट्रीय कपड़ा निगम द्वारा महाराष्ट्र कपास निगम से कपास की खरीद

6328 **श्री बालासाहिब विखे पाटिल :** क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय कपड़ा निगम द्वारा महाराष्ट्र कपास निगम से कपास खरीदने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने कोई मांग की है ;

(ख) यदि हां; तो इसका ब्योरा क्या है ;

(ग) इस मामले में केन्द्रीय सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वस्त्र मत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) से (घ) महाराष्ट्र रुई निगम नाम का कोई निगम प्रतीत नहीं होता है। तथापि, राष्ट्रीय वस्त्र निगम द्वारा रुई की लगभग 95

प्रतिशत खरीदारियां महाराष्ट्र राज्य सहकारी रुई उपजकर्ता विपणन परिसंघ, भारतीय रुई निगम, राज्य सहकारी समिति आदि जैसे संस्थागत सप्लायरों से की जाती है ।

लातिन अमरीका के देशों पर ऋण

6329. डा० जी० विजय रामा राय / डा० टी० कल्पणा देवी : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि "ओपेक" के चीफ के अनुसार ऋण, जो लातिन अमरीका के देशों और किसी भी देश पर बकाया है, बैंकिंग प्रणाली के लिए खतरा है, जैसाकि 5 मार्च, 1986 के "इकोनोमिक टाइम्स" में समाचार प्रकाशित हुआ है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि इस बात की आशंका है कि यदि रोक नहीं लगाई जाती है तो भारत की भी शीघ्र ही वही स्थिति हो जायेगी जो लातिन अमरीका के कुछ देशों तथा अन्य देशों की है ; और

(ग) वर्तमान ऋणों पर आगामी किस वर्ष में ऋण भार के रूप में अधिकतम धनराशि का भुगतान किया जाएगा ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुरारी) : (क) सरकार को, लेटिन अमरीका के कुछ देशों की ऋण गृस्तता के संबंध में "ओपेक" के प्रधान द्वारा व्यक्त किए गए विचारों के बारे में, जैसा कि 5 मार्च, 1986 के "इकानामिक टाइम्स" में छपा है, कोई सूचना नहीं है ।

(ख) जहां तक भारत का संबंध है, हमने अपने विदेशी ऋणों का प्रबन्ध विवेकपूर्ण ढंग से किया है और भविष्य में भी ऐसा ही करते रहेंगे । प्रश्न ही नहीं उठता कि कुछ लेटिन अमरीकी तथा अन्त देशों के सामने इस समय पेश आ रही विदेशी ऋणग्रस्तता जैसी समस्या भारत के सामने पेश आएगी ।

(ग) विदेशी ऋण की सरकारी खाते, गैर-सरकारी खाते, वाणिज्यिक उधारों और अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ऋणों के मामले में, भविष्य में किसी एक वर्ष में ऋण परिशोधन की सबसे बड़ी रकम (मूलधन की वापसी अदायगी और ब्याज की अदायगी दोनों के लिए) 4000 करोड़ रुपये होगी, जो 1988-89 में देय है ।

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक द्वारा वित्त पोषित सिंचाई पम्प सेट

6330. श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक में गत तीन वर्षों के दौरान कितने सिंचाई पम्प सेटों के लिए वित्त पोषण किया ;

(ख) क्या सरकार को उनके कार्यकरण के बारे में राज्यों से कोई रिपोर्ट प्राप्त हुई हैं ;

(ग) यदि हां, तो क्या यह सच है कि कुछ पम्प सेट खराब हैं और उनकी कार्यक्षमता कम है ;

(घ) यदि हां, तो क्या राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के पास इन सेटों की गुणवत्ता का मूल्यांकन करने और कार्य-निष्पादन की जांच के लिए कोई तंत्र है ; और

(ङ) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान सिंचाई के क्षेत्र में कितनी धनराशि दी गई है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) पम्प सेटों की संख्या, जिनके लिए राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक ने पिछले तीन वर्षों के दौरान पुनर्वित्त सुविधा प्रदान की थी, नीचे दी गई है:-

वर्ष	पम्प सेटों की सं० (000)
1982-83	76
1983-84	130
1984-85	185

(ख) और (ग) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक ने यह बताया है कि उसके द्वारा किए गए एक अध्ययन के अनुसार लगभग 96 प्रतिशत पम्प सैट इष्तम कार्य कुशलता के साथ काम नहीं कर रहे थे और उनमें लगभग 10 से 15 प्रतिशत के सुधार की गुंजाइस है। सामान्यतः जो त्रुटियां पाई गई, वे हैं : पम्प सैट ठीक तरह से नहीं लगाए गए, पानी खींचने और पानी ले जाने के पाइपों का आकार ठीक नहीं था, पम्प सेटों की क्वालिटी मानक स्तर से कम थी आदि।

(घ) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक ने तब से यह तय किया है कि केवल वही पम्प सैट पुनर्वित्त सहायता के पात्र होंगे जिन पर "आई०एस०आई०" या राज्य सरकार की "क्यू" की मोहर लगी हो। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक ने दोषपूर्ण पाइपों और फुट बाल्व को बद-

लने के लिए और पम्प सेटों की स्थापना संबंधी त्रुटियों को दूर करने के लिए पूरक ऋण की योजना तैयार की है।

(ङ) गत तीन वर्षों में लघु सिंचाई योजना के अन्तर्गत राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक द्वारा दी गई पुनर्वित्त सहायता का ब्यौरा नीचे दिया गया है:—

वर्ष	दी गई पुनर्वित्त सहायता की राशि (करोड़ रुपए)
1982-83	244.13
1983-84	312.51
1984-85	335.55

सामान्य बीमा निगम द्वारा बीमा दर ढांचे की समीक्षा

6331. **डा० गौरी शंकर राजहंस** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सामान्य बीमा निगम बीमा दर ढांचे की समीक्षा कर रहा है ;

(ख) यदि हां, तो क्या बीमा दर ढांचे को सरल बनाने का भी प्रस्ताव है ;

(ग) यदि हां, तो सामान्य बीमा निगम द्वारा यह कार्य कब तक पूरा कर लेने की संभावना है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) बीमा अधिनियम 1938 के अधीन बनाई गई टेरिफ सलाहकार समिति, जो एक सांविधिक निकाय है, को साधारण बीमा कारबार की शर्तों और दरों को तय करने तथा उन्हें नियन्त्रित करने का सौंपा गया है। यह समिति बीमा टेरिफ का समय-समय पर पुनरीक्षण, करती है। छोटे जोखिमों की शर्तों और दरों का पुनरीक्षण, सरलीकरण करके इन्हें 1 जून, 1985 से संशोधित कर दिया गया है। जहां तक मध्यम और बड़े जोखिमों का सम्बन्ध है, टेरिफ सलाहकार समिति इसका सतत रूप से पुनरीक्षण करती रही है और जब भी आवश्यकता होगी दरों और शर्तों में संशोधन कर दिया जाएगा।

[हिन्दी]

गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों को रियायती दरों पर खाद्यान्न उपलब्ध कराने की योजना

6332. **श्री नरसिंह मकवाना** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों को आधे मूल्य पर खाद्यान्न उपलब्ध कराने की योजना को कार्यान्वित करने वाली राज्य सरकारों के नाम क्या हैं और इससे कितने परिवारों को लाभ हुआ है;

(ख) क्या उन राज्यों को कोई निर्देश जारी किए गए हैं जिन्होंने इस योजना को कार्यान्वित नहीं किया है, यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) केन्द्रीय सरकार द्वारा इस योजना के लिए किस प्रकार की और कितनी धनराशि की सहायता उपलब्ध कराई जा रही है ?

योजना तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० के० पन्जा) : (क) सरकार ने समन्वित आदिवासी विकास परियोजना क्षेत्रों और आदिवासी बहुत राज्यों/संघ शासित प्रदेशों में रह रही जनता को विशेष रूप से राजसहायता प्राप्त मूल्यों पर गेहूं और चावल सप्लाई करने के लिए एक योजना आरम्भ की है जिसका ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। उपलब्ध सूचनानुसार, यह योजना इन सभी राज्यों/संघ शासित प्रदेशों में कार्यान्वित की गई है और इस योजना के अन्तर्गत कुल लगभग 570 लाख जनसंख्या लायी गई है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) इस योजना के अधीन, विभिन्न राज्य/संघ शासित प्रदेशों को विशेष रूप से राजसहायता प्राप्त मूल्यों पर गेहूं और चावल भारतीय खाद्य निगम द्वारा सप्लाई किया जाता है जिसमें 1986-87 में गेहूं के मामले में 143.09 रुपए प्रति क्विंटल और साधारण चावल पर 181-85 रुपए प्रति क्विंटल की अनुमानित राजसहायता अन्तर्ग्रस्त है।

विवरण

उन राज्यों/संघ शासित प्रदेशों के नामों को बताने वाला विवरण जिनमें जनता को विशेष राजसहायता प्राप्त दरों पर खाद्यान्नों का विवरण करने की योजना शुरू की गई है।

क्रम सं०	समन्वित आदिवासी विकास परियोजना क्षेत्रों के अन्तर्गत आने वाले राज्यों/संघ शासित प्रदेशों के नाम
1	2
1.	आन्ध्र प्रदेश

1	2
2.	असम
3.	बिहार
4.	गुजरात
5.	हिमाचल प्रदेश
6.	कर्नाटक
7.	केरल
8.	मध्य प्रदेश
9.	महाराष्ट्र
10.	मणिपुर
11.	उड़ीसा
12.	राजस्थान
13.	सिक्किम
14.	तमिलनाडु
15.	त्रिपुरा
16	उत्तर प्रदेश
17.	पश्चिम बंगाल
18.	अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह
19.	गोवा, दमन तथा दीव
	आदिवासी बहुल राज्य/संघ शासित प्रदेश
20.	अरुणाचल प्रदेश
21.	मेघालय
22.	मिजोरम
23.	नागालैंड

24. दादरा तथा नगर हवेली

25. लक्षद्वीप

[अनुवाद]

आवश्यक वस्तुओं के मूल्य निर्धारित करने हेतु बोर्ड का गठन

6333. **श्री एच० एम० पटेल :** क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आवश्यक वस्तुओं तथा अन्य नियंत्रित वस्तुओं के मूल्यों का निर्धारण करने के लिए एक बोर्ड गठित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या बोर्ड द्वारा अपने सुझाव/सिफारिशें संसद के चालू सत्र के समाप्त होने से पूर्व दिए जाने की सम्भावना है ?

योजना तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० के० पन्जा) : (क) जी नहीं ।

(ख) व (ग) ऊपर (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता ।

रबड़ का आयात

6334. **श्री टी० बशीर :** क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान सरकार ने प्रति वर्ष की कितनी मात्रा का आयात किया ;

(ख) इसमें से प्रति वर्ष सिन्थेटिक रबड़ और प्राकृतिक रबड़ की कितनी-कितनी मात्रा का आयात किया गया ;

(ग) क्या रबड़ का भारी मात्रा में आयात किए जाने के विरुद्ध कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ; और

(घ) यदि हां, तो छोटे सीमान्त उत्पादकों को नुकसान से बचाने के लिए रबड़ का आयात कम करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

वाणिज्य तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) तथा (ख) गत तीन वर्षों के दौरान आयात नीचे दिए अनुसार रहे हैं:—

(मात्रा : मे. टन में)

वर्ष	प्राकृतिक रबड़	संश्लिष्ट रबड़	कुल
1982-83	31659	24550	56209
1983-84	32175	30000	62175
1984-85	32408	24000	56408

(ग) तथा (घ) प्राकृतिक रबड़ के आयात के पक्ष में और विरोध में अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। तथापि, आयात मांग एवं पूर्ति के बीच के अन्तराल जितने ही किए जाते हैं। रबड़ उपजकर्ता अपने उत्पाद के लिए लाभकारी वसूलियां प्राप्त कर रहे हैं।

सांपों की खाल का अवैध निर्यात

6335. **श्री एम॰ डेनिस** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को सांपों की खाल का देश से अवैध निर्यात किए जाने की जानकारी है;

(ख) किन-किन राज्यों से सामान्यतः इनका निर्यात किया जाता है ;

(ग) पिछले कैलेन्डर वर्ष के दौरान पकड़े गए ऐसे मामलों का ब्योरा क्या है और कितने मूल्य की सांपों की खाल पकड़ी गई है ; और

(घ) इस अवैध निर्यात को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) सरकार को प्राप्त हुई रिपोर्टों और किए गए अभिगृहणों से यह पता चलता है कि सांप की खालें, देश के बाहर तस्करी किए जाने के लिए आकर्षण की वस्तुएं बनी हुई हैं।

(ख) अप्रैल 1985—मार्च, 1988 तक की आयात-निर्यात नीति की शर्तों के अधीन सांप की खालों (गीली/संसाधित) का भारत के बाहर वैध निर्यात अनुमत्य नहीं है।

(ग) वर्ष 1985 के दौरान, दो मामलों में 16.39 लाख रु॰ मूल्य की सांप की खालें अभिगृहित की गई थीं।

(घ) सामान्य रूप से तस्करी-रोधी अभियान तेज कर दिया गया है। तस्करी के लिए

सुगम्य क्षेत्रों में सीमा-शुल्क विभाग के निवारक और आसूचना तंत्र में और जान-शक्ति और उपस्कर लगा दिए गए हैं। तस्करी की प्रवृत्तियों और किए गए अभिगृहित की सतत् समीक्षा की जाती रहती है ताकि केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों की संबंधित एजेंसियों के साथ घनिष्ठ ताल-मेल बैठा कर उपयुक्त तस्करी-रोधी उपाय किए जा सकें।

तस्करी संबंधी गतिविधियों में ग्रस्त पाए गए व्यक्तियों के विरुद्ध विभागीय रूप से तथा न्यायालयों में मुकदमें दायर करके कठोर कार्यवाही की जाती है। तस्करी के माल को जब्त करने तथा व्यक्तिगत अर्थ दण्ड लगाए जाने के अलावा उपयुक्त मामलों में विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारक अधिनियम के अधीन निवारक नजरबन्दी भी की जाती है। इसके अलावा, एक संशोधन के द्वारा, जो जनवरी, 1984 से प्रभावी हुआ, सांपों की कतिपय संकटापन्न किस्मों को, संकटापन्न किस्मों के अन्तरराष्ट्रीय व्यापार के सम्मेलन के परिशिष्ट 111 में शामिल करवा दिया गया है। इसके परिणामतः, विश्वभर में भारतीय मूल के सांपों की खालों का अन्तराष्ट्रीय व्यापार नियंत्रित हो गया है।

[हिन्दी]

सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान पर्यटक केन्द्रों का विकास

6336. **श्री मोहन लाल झिकराम** : क्या **संसदीय कार्य और पर्यटन** मन्त्री यह बताने का कृपा करेंगे कि :

(क) देश में मुख्य पर्यटक केन्द्रों के नाम क्या है सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान सरकार का किन स्थानों को पर्यटक केन्द्रों के रूप में विकसित करने का विचार है, इसके लिए क्या मानदंड अपनाए जायेंगे और क्या इसकी राज्य-वार सूची सभा पटल पर रखी जायेगी ;

(ख) वर्ष 1985-86 का पर्यटक केन्द्रों के संबंध में आय और व्यय का ब्योरा क्या है ;

(ग) वर्ष 1984-85 की तुलना में 1985-86 के दौरान कितने विदेशी पर्यटकों ने इन स्थानों का भ्रमण किया और उससे कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित हुई ?

संसदीय कार्य और पर्यटन मन्त्री (श्री एच०के०एल० भगत) : (क) पर्यटक महत्त्व के स्थानों पर आधार-संरक्षना का विकास करना एक सतत प्रक्रिया है। एक केन्द्र का चयन करने के लिए जिन सामान्य मानदंडों का अनुसरण किया जाता है वे हैं एक स्थान का ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, प्राकृतिक महत्त्व और अन्य संभाव्यताएं जैसा कि खेल अथवा साहसिक पर्यटन के लिए संभाव्यताएं। पर्यटन विभाग ने केन्द्र, राज्य और प्राइवेट सेक्टरों के मिश्रित संसाधनों द्वारा अवस्थाबद्ध रूप से एकीकृत विकास करने के लिए राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों के परिणाम से 441 पर्यटक केन्द्र निर्धारित किए थे। इन केन्द्रों की एक सूची विवरण में दी गई है। सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 80-100 केन्द्रों का प्रथम चरण में विकास करने का प्रस्ताव है।

(ख) और (ग) विभाग, देश के अलग-अलग राज्य/स्थान की यात्रा करने वाले पर्यटकों के आंकड़े नहीं रखता। 1984-85 और 1985-86 के दौरान देश की यात्रा करने वाले पर्यटकों की संख्या और पर्यटन से अर्जित विदेशी मुद्रा इस प्रकार है:—

	विदेशी पर्यटकों की संख्या (पाकिस्तान और बंगला-देश के राष्ट्रिकों को छोड़कर)	भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा पर्यटन से यथा अनुमानित विदेशी मुद्रा आय
		(करोड़ रु० में)
1984-85	801,336	1300 (अनन्तिम)
1985-86	860,000 (अनुमानित)	उपलब्ध नहीं

केन्द्रीय पर्यटन विभाग ने प्लान स्कीमों पर 1984-85 में 509.48 लाख रु० और 1985-86 में 1287.32 लाख रु० (अनन्तिम) खर्च किए।

विवरण

आन्ध्र प्रदेश

1 हैदराबाद—नागार्जुनसागर—इथीपोथला—श्रीशलम—महानन्दी—गुड़त्पा—तिरूपति-कालहस्ती—पुलीकिट झील—तिरूपति—हार्सली हिल्ल—लिपाक्षी—अनन्तपुर—कर्नूल-हैदराबाद।

2 हैदराबाद—मेढक—हैदराबाद—भोंगीर—यादगिरिगुट्टा—वारांगल—रामप्पा—पक्खल-(झील व इथुनगरम् वन्यजीव अभयवन)—वारांगल—अमरावती (चिराला)—विजय—वाड़ा—सूर्यपेट— हैदराबाद।

3 विशाखापत्तनम्—भीमूनीपत्तनम्—बोर्रागुफाएं—अनन्तगिरि— अरकू—विशाखापत्तनम्।

असम

1 गोहाटी—जंगलबालहू—काजीरंगा—शिवसागर।

2 गोहाटी—बारपेटा—बरोमा—मनास।

बिहार

1 पाटलिपुत्र (पटना)—नालन्दा—राजगीर—भीमबन्ध—गया—बोधगया—सासाराम—बक्सर—जगदीशपुर—मनेर—पाटलिपुत्र (पटना)।

2 पाटलिपुत्र (पटना)—वैशाली—मुजफ्फरपुर—अरेराज—मोतीहारी—बरहरवा—बेतियां-लौरिया—नन्दनगढ़—बाल्मीकिनगर—रक्सौल—सीतामढ़ी (जनकपुर)—मुजफ्फरपुर—पाटलिपुत्र (पटना)।

3 पटना—पावापुरी—तिलैया बांध—पारसनाथ—हजारीबाज—रांची—बेतला—नेतरहाट-रांची

गुजरात

1 अहमदाबाद--राजकोट—जामनगर—द्वारका पोरबन्दर—सासणगीर—सोमनाथ—जूनागढ़—भावनगर—पालितना— अहमदाबाद -

2 अहमदाबाद—डकोर—बड़ौदा—शुक्लतीर्थ (भड़ोच के निकट)—सपुतारा—उक्काई—सूरत —अहमदाबाद।

3 अहमदाबार—वांकानेर—भुज—माण्डवी—समुद्रतट—भुज —राधनपुर—पालमपुर-सिद्धपुर—पाटन—मोढेरा—अहमदाबाद।

हरियाणा

1 (दिल्ली)—सूरजकुंड—बड़खल—होडल—पलवल—सोहना—धारूहेड़ा—सुल्तानपुर—गुड़गाव—(दिल्ली)।

2 (दिल्ली)—रोहतक—पानीपत—करनाल—कुरूक्षेत्र—ताजेवाला— कालेसर—सिधौरा-नारायणगढ़—पंचकुला—पिन्जौर—चण्डीगढ़ .

हिमाचल प्रदेश

1 परवानु—चैल—कुफ्री—नरकण्डा—शिमला—परवानु।

2 मण्डी—कुल्लू —मनाली—कुल्लू—मणिकरण—कुल्लू—मण्डी।

3 डलहौजी—चम्बा डलहौजी—नूरपुर— त्रिलोकपुर—गोगल— धर्मशाला—कांगड़ा—ज्वालामुखी — कांगडा—पालमपुर —जोगिन्दरनगर —भड़ोट—जोगिन्दरनगर—मण्डी बिलासपुर—शिमला/बिलासपुर—नैनादेवी (चण्डीगढ़)।

जम्मू और कश्मीर

1 जम्मु—कटरा —(वैष्णो देवी)—कुद—बटोत—किश्तवार—(केवल पदयात्रा)।

2 श्रीनगर— गंधरबल—कांगन—सोनमार्ग— द्रास— करगिल—मुलबेख —लामायूरू—लेह।

3 श्रीनगर —अवन्तीपुर—अनन्तनाग—अच्छबल—कोकरनाग—ढकसूम—अच्छबल-मातंण्ड-पहलगाम—श्रीनगर।

कर्नाटक

1 बेलगांव—बाजापुर—बदामी—पट्टाडकल— अइहोल—होसपेट—हम्पी-बेलगांव/(गोआ।

2 बंगलोर —मैसूर—बांदीपुर —नागरहोल—हसन—(बेलूर, हालेबिड और श्रवणबेल गोला) मर्कारा—मंगलोर और पश्चिमी समुद्रतट।

केरल

1 त्रिवेन्द्रम/कोवलम/वेली—वर्कला—क्विलोन—आरनमुला—कोट्टायम्—कुमरकम-तेक्कड़ी-मून्नार—कोचीन—त्रिवेन्द्रम।

2 कोचीन—त्रिचूर—गुरूवायूर—चेरूतुरूथी—मलमपुजा—कोट्टाकल— कोझीकोड—सुलतान बत्तेरी/मानन्दवाड़ी—कन्ननौर—एजेमलाई-कोचीन/मंगलौर।

मध्य प्रदेश

1 ग्वालियर—शिवपुरी—दतिया—ओरछा—खजुराहो—बान्धवगढ़—खजुराहो/जबलपुर।

2 भोपाल—सांची— विदिशा —उदयगिरि—भोपाल—(भीमबेटका, भोजपुर)—उज्जैन-इन्दौर—माण्ड—महेश्वर—ओंकारेश्वर—इन्दौर।

3 जबलपुर—भेड़ाघाट—चिराई—डोंग्री (गर्म कुण्ड)—माण्डला—कान्हा नेशनल पार्क—ब्रह्मदेव—जबलपुर/रायपुर।

महाराष्ट्र

1 बम्बई—पुणे—अहमदनगर—औरंगाबाद (अजन्ता और एल्लौरा)—नासिक—बम्बई।

2 बम्बई—मुरूड/जंजीरा—गणपतिफुले वेन्गुर्ला—बम्बई।

3 नागपुर रामटेक—नागपुर—वर्धा (सेवा ग्राम)—चन्द्रपुर (तड़ोबा नेशनल पार्क)-नागपुर।

मणिपुर

1 इम्फाल =मोइरंग—लोकतक झील—कीबुल— लमजाओ पार्क और वापस।

2 इम्फाल—उखरूल—इम्फाल।

नागालैंड

1 दीमापुर—कोहिमा—वोखा—मोकोकछूंग—त्युनसंग—मोकोकछूंग— जुनहेहोतो—कोहिमा

2 दीमापुर—कोहिमा—फेक।

उड़ीसा

1 भुबनेश्वर— पुरी— कोणार्क—धोली — रत्नगिरि—ललितगिरि—उदयगिरि—भद्रक-चांदीपुर—खिंचिग—जोशीपुर (सिमलीपाल) और वापस।

2 भुबनेश्वर—चिलका झील—गोपालपुर—समुद्रतट—सप्तपानी—कोरापुट— बोलनगीर-झारसुगुदा—अंगुल—टिकरपाड़ा—तलचेर—भुवनेश्वर।

पंजाब

1 चण्डीगढ़—सरहींद—पटियाला— सिहहुंद—लुधियाना—तरनतारन—अमृतसर—बाबा बटाला—ब्यास—फगवाड़ा—रोपड़—आनन्दपुर साहिब—चण्डीगढ़।

2 लुधियाना कपूरथला—कंजलि—अमृतसर—रोपड़—सरहंद—चण्डीगढ़।

राजस्थान

1 जयपुर—जोधपुर—ओसयां—पोखरण—जैसल्मेर—बीकानेर—जयपुर ।

2 (आगरा)—भरतपुर— जयपुर— टोंक—सवाई माधोपुर—जयपुर—सरिसका—अलवर —(दिल्ली) ।

3 जयपुर—अजमेर—पुष्कर—चित्तौड़—उदयपुर— ऋषभदेव—एकलिंगजी – नाथद्वार— रनकपुर—माऊंट आबू—जयपुर—(अहमदाबाद) ।

सिक्किम

1 (दार्जिलिंग)—नया बाजार—पेमायांग्से—यकसूम—क्यूजिंग— नवांगला—तिमितरकू— शिरयानी (सिगताम)—रूमतेक—गंगटोक—सिंगताम—रांग्पो—तीस्ता—(सिलिगुड़ी) ।

2 नामची—नयाबाजार—छकुंग—सोरंग—बुरीखोप— बुरशे—हिले—ओत्रे—दनताम— बुरमियोक—लंगशिप—ततापानी—सिकिप—नामची ।

तमिलनाडु

1 मद्रास—मामल्लापुरम्—तिरूकलिकुन्ड्रम—कांचीपुरम्—तिरुचिरापल्ली—तंजाबुर—पुदु-कोट्टाई—मदुरै— रामेश्वरम्—कन्याकुमारी—कुट्रालम—मद्रास/त्रिवेन्द्रम ।

2 मद्रास—कृष्णगिरि—होगनक्कल—येरक्काड़—कोयम्बतूर— उदकमंडलम्—(बान्दीपुर— मैसूर—बंगलौर)—मद्रास ।

3 रामेश्वरम्—मदुरै—कोडइकानल—पुदुकोट्टाई—तिरूचिरापल्ली—तंजाबुर—मामल्लापुरम् मद्रास ।

उत्तर प्रदेश

1 वाराणसी—सारनाथ—गोरखपुर—कुशीनगर—धरेन्दा— सनौली—पिपरवा— (कपिल-वस्तु)—नौगढ़—श्रावस्ती—गोंडा—अयोध्या—वाराणसी/लखनऊ ।

2 (दिल्ली)—मुरादाबाद— काशीपुर—रामनगर—कार्बेट—रानीखेत— कार्वेट—दुधवा— लखनऊ—(दिल्ली) ।

3 कपकोट—लोहारखेत—धापकुड़ी—खाती—द्वेल—फुरकिया—पिंडारी ग्लेसियर और वापस ।

पश्चिम बंगाल

1 कलकत्ता—कैनिंग—सुन्दरबन ।

2 दार्जिलिंग—मनिभनजंग— तोंगलू—सन्दाकफू— रिमबिक— पलमजुआ—धोत्रे— दार्जिलिंग ।

3 कलकत्ता—कमरपुकुर—जयरामबाटी—बिष्णुपुर—बांकुड़ा—अयोध्या पहाड़ और वापस ।

अण्डेमान और निकोबार द्वीप समूह

1 पोर्ट ब्लेयर—बनदूर—प्रबद्वीप—रेडस्किनद्वीप—जोलीब्वाय द्वीप—सिंकद्वीप—चिड़िया

टापू—पोर्ट ब्लेयर ।

2 पोर्ट ब्लेयर—रंगत—मायाबन्दर—पोर्ट ब्लेयर ।

अरुणाचल प्रदेश

1 तेजपुर—भालुकपुंग—बमडीला—तवांग ।

गोवा, दमन और दीव

1 पणजी—मंग्वेशी—फर्मागुडी—पोण्डा—बोरिमपुल—मरगांव—मोलम ।

2 पणजी—मंग्वेशी—फर्मागुडी—पोण्डा—बोरिम पुल—मरगांव—पोलम ।

मेघालय

1 जोरवाट—नांगपोह—वाराणसी—शिलांग— मौगन—बिलोई—जकरेम—विलोई—मौसिन्रम—शिलांग—चिरापुन्जी— उमत्यंगर—दौकी—जोवाई—नरतियांग—जोवाई…पस्सी—गरमपानी—शिलांग—हाफलांग ।

2 बजेंगडोबा—रोंगरम—तुरा—रोंगरम—बोंगरगीर—सिजू—बागमारा—कलपालरम—और वापस तुरा ।

मिजोरम

1 एजल और उसके आसपास ।

त्रिपुरा

1 अगरतला—सिपाहीजला—रूद्रसागर—उदयपुर—मातावाड़ी—अमरपुर—डुमबुर—गंडा छेड़ा—कुमारघाट/फटीकराय—उनकोटि—कैलाशहर ।

2 कैलाशहर—उनकोटि—फटीकराय—जम्पुई—कैलाशहर ।

कुल क्षेत्र संख्या—61

कुल पर्यटक स्थल संख्या—441

गोआ में रबर की खेती

6337. **श्री शांताराम नायक** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मन्त्रालय द्वारा गैर परम्परागत क्षेत्र में रबर की खेती का विस्तार करने के के लिए क्या प्रयास किए गए;

(ख) गोवा में परीक्षण हेतु की गई खेती का ब्योरा क्या है; और

(ग) भविष्य में गोवा क्षेत्र में इसकी खेती की क्या सम्भावनाएं हैं ?

वाणिज्य तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) उत्तर पूर्वी क्षेत्र में रबर बागान के विकास के लिए एक योजना आरम्भ की गई है जिसके अन्तर्गत रबर बोर्ड द्वारा अनुसंधान केन्द्र, प्रदर्शन फार्म आदि स्थापित किए जा रहे है और विस्तार परामर्शी सुविधा प्रदान की जा रही है । अन्य अपरम्परागत क्षेत्रों में परीक्षण बागान चल रहे हैं ।

(ख) तथा (ग) गोआ में सफल परीक्षण बागानों के फलस्वरूप, अभीष्ट वर्षों की दशाएं न होने के बावजूद 550 हेक्टेयर में वाणिज्यिक पौध रोपण किया गया है । भावी पौध रोपण की सम्भाव्यता लगभग 5000 हेक्टेयर है ।

स्टेट बैंक आफ पटियाला के अधिकारियों द्वारा की गई धोखाधड़ी

6338. **श्री विजय कुमार मिश्र** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गत एक वर्ष के दौरान आयकर आयुक्त और राष्ट्रीयकृत बैंकों के कुछ प्रबन्धकों के विरुद्ध धोखाधड़ी के अनेक मामले दर्ज किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या स्टेट बैंक आफ पाटियाला के शीर्ष प्रबन्ध अधिकारी, प्रबन्ध निदेशक और कार्यवाहक महाप्रबन्धक के विरुद्ध धोखाधड़ी से कथित आरोप की जांच की गई है; और

(घ) यदि हां, तो इन अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (घ) : सूचना एकत्र की जा रही है और यथा उपलब्ध सूचना सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

बैंकों के अंशकालिक निदेशकों का कार्यकाल

6339. **श्री सुरेश कुरुप** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंको के अंशकालिक निदेशकों के लिए कोई कार्यकाल निर्धारित किया है;

(ख) तत्सम्बन्धी नियमों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कुछ बैंकों ने निदेशों का उल्लंघन किया है;

(घ) यदि हां, तो उन बैंकों के नाम क्या हैं तथा उन व्यक्तियों का ब्यौरा क्या है, जिन्हें निदेशक मण्डल में निर्धारित अवधि से अधिक समय तक रहने दिया गया; और

(ङ) इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) : सरकारी क्षेत्र के बैंकों के निदेशक मंडलों के गैर-सरकारी निदेशकों का कार्यकाल राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबन्ध और प्रकीर्ण उपबंध) स्कीम, 1970 तथा 1980, भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 और भारतीय स्टेट बैंक (अनुषंगी बैंक) अधिनियम, 1959 के उपबंधों के अनुसार विनियमित होता है । बैंकिंग कंपनियों के सम्बन्ध में बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 10-क में अन्य बातों के साथ-साथ यह प्रावधान है कि बैंककारी कम्पनी के अध्यक्ष या पूर्ण-कालिक निदेशक के अतिरिक्त कोई भी निदेशक लगातार 8 वर्ष तक निदेशक के पद पर नहीं रहेगा ।

(ग) से (ङ) भारतीय रिर्जव बैंक ने सूचित किया है कि यद्यपि उपर्युक्त सांविधिक उपबंधों का उल्लंघन करने की किसी घटना की जानकारी नहीं मिली है, तथापि कुछ गैर-सरकारी

क्षेत्र के बैंकों के मामले में, कुछ गैर-सरकारी निदेशक, जो बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 के उपबंधों के अनुसरण में अपने निदेशक पद से मुक्त हो गए थे, बाद में बैंकिंग कंपनियों के निदेशक के रूप में पुनः निर्वाचित हो गए/सहयोजित कर लिए गए। भारतीय रिजर्व बैंक ने संबद्ध बैंकिंग कंपनियों से इन निदेशकों को त्यागपत्र देने और उनके स्थान पर नए निदेशकों को सहयोजित करने के लिए कहा है।

वस्त्र उद्योग को यंत्रचालित करना

6340. **श्री हुसैन दलवाई** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का वस्त्र उद्योग में नई प्रौद्योगिकी लागू करके इसका आधुनिकीकरण करने का विचार है;

(ख) क्या यह सच है कि सरकार वस्त्र उद्योग को यंत्रचालित करने के हक में नहीं है; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का यह विचार है कि वस्त्र उद्योग को यंत्रचालित कर दिए जाने से श्रम क्षमता पर कुप्रभाव पड़ेगा ?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खाँ) : (क) से (ग) : सरकार द्वारा जून, 1985 में घोषित वस्त्र नीति में वस्त्र उद्योग का आधुनिकीकरण करने तथा रुग्ण लेकिन संभाव्य अर्थक्षम वस्त्र एककों के पुनर्वास के लिए अनेक उपायों की व्यवस्था है। उनमें से कुछ महत्वपूर्ण उपाय हैं : आई. डी. बी. आई. की सुलभ ऋण योजना के अन्तर्गत पर्याप्त धन की व्यवस्था करना, जटिल तथा उच्च प्रौद्योगिकी मशीनें बनाने के लिए घरेलू वस्त्र मशीनरी विनिर्माण क्षेत्र को प्रोत्साहन देना। तथापि, हालांकि आधुनिकीकरण से विनिशष्ट एककों में श्रमिक विस्थापन हो सकता है परन्तु आधुनिकीकरण की प्रक्रिया से कुल मिलाकर वस्त्र क्षेत्र में रोजगार कम नहीं होगा।

एयरकंडीशनिंग और रेफ्रीजिरेशन उद्योग द्वारा उत्पादन शुल्क की देयताओं मे हेराफेरी

6341. **श्री पी॰ एम॰ सईद** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि एयरकंडीशनिंग और रेफ्रीजिरेशन उद्योग की बड़ी यूनिटें तैयार उत्पादों पर उत्पादन शुल्क देयताओं में अपने "व्यैक्तिक खाता लेखा" के माध्यम से 115 प्रतिशत तक की हेराफेर करती रही है;

(ख) क्या उत्पादन शुल्क नियमों में इन यूनिटो को सभी पुर्जों पर अदा किये गये शुल्क के लिये समायोजन की अनुमति है और यदि हां, तो उन्हें किन शर्तों के अन्तर्गत ऐसा करने की अनुमति है;

(ग) क्या यह सच है कि इन शर्तों को पूरा नहीं किया जाता है और इन पर ध्यान दिये बिना ऐसी हेराफेरी करने की अनुमति दी जाती है;

(घ) क्या सरकार को यह भी जानकारी है कि इसी उद्योग की छोटी यूनिटों को कठिनाई का सामना करना पड़ता है क्योंकि वे उपर्युक्त हेराफेरी के कारण प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाते हैं; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ङ) : संभवतया, प्रश्न में संदर्भ, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क नियमावली, 1944 के नियम 56 क और 57 क के अधीन दी गई निविष्टि शुल्क रियायत से सम्बन्धित है। यह रियायत विनिर्दिष्ट शुल्क्य जिंसों के निर्माण में प्रयोग की गई विशेष निविष्टियों के सम्बन्ध में ही उपलब्ध है। यह छूट, बड़े तथा लघु दोनों उद्योगों के एककों को उपलब्ध है निविष्ट शुल्क रियायत वातानुकूलनों और प्रशीतकों के उपकरणों के घटकों के सम्बन्ध में भी उपलब्ध है।

कुछ ऐसे मामलों का पता लगाया गया है जहां कतिपय वातानुकूलनों और प्रशीतनों सम्बन्धी मदों के सम्बन्ध में अनियमित रूप से निविष्ट शुल्क रियायत का लाभ उठाया गया था। केन्द्रीय उत्पादन शुल्क कानून के अधीन उपयुक्त कार्रवाई की गई।

सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान लौह अयस्क का निर्यात

6342. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सातवीं पंचवर्षीय योजना में लौह अयस्क के निर्यात का कितना लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(ख) सातवीं पंच वर्षीय योजना के दौरान पाराद्वीप बंदरगाह से कितना मिट्रिक टन लौह अयस्क निर्यात किये जाने की आशा है; और

(ग) विभिन्न लौह अयस्क उत्पादक राज्यों से लौह अयस्क का निर्यात बढ़ाने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

वाणिज्य तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) सातवीं पंचवर्षीय योजना के अन्तिम वर्ष में लौह अयस्क के निर्यात के लिए 30 मिलियन मी० टन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसमें कुद्रेमुख लौह अयस्क सांद्रण शामिल नहीं है।

(ख) पत्तनवार कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए हैं।

(ग) निर्यातों में सुधार करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :—

(1) लौह अयस्क के बाजारों का विविधीकरण करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

(2) विभिन्न लौह अयस्क रख-रखाव पत्तनों पर लौह अयस्क की रख-रखाव सुविधाओं में सुधार के लिए कार्यवाही की गई है।

(3) विभिन्न पत्तनों और रेलवे को अवस्थापना सुविधाओं में सुधार करने के प्रस्तावों की जांच की जा रही है।

(4) लौह अयस्क के खनन कार्यों का विस्तार करने के प्रस्तावों की जांच की जा रही है।

शत-प्रतिशत निर्यात एककों को प्रोत्साहन

6343. **श्री श्रीकान्त दत्त नरसिंहराज वाडियर** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शत-प्रतिशत निर्यात एककों को अधिक प्रोत्साहन देने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन था;

(ख) यदि हां, तो इन शत-प्रतिशत निर्यात एककों को कौन-कौन से लाभ देने का विचार है;

(ग) प्रदान किए गए अथवा प्रदान किए जाने वाले नए प्रोत्साहन कब से लागू किए जायेंगे; और

(घ) शत-प्रतिशत निर्यात एककों को प्रोत्साहन देने के लिए कौन से कदम उठाने का विचार हैं ?

वाणिज्य तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) (क) से (घ) : शत-प्रतिशत निर्यातोन्मुख एकक योजना के कार्य की समीक्षा की जाती है और समय-समय पर अयिरिक्त सुविधायें प्रदान की जाती हैं।

आंध्र प्रदेश में पर्यटक स्थलों का पर्यटक केन्द्र के रूप में विकास

6344. **श्री बी० शोभनाद्रीश्वर राव** :

श्री ए० जे० वी० बी० महेश्वर राव : क्या संसदीय कार्य और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि आन्ध्र प्रदेश में पूर्वी गोदावरी जिले में ओडालारेवू ग्राम, मीमाली और विशाखापत्तनम के बीच का तट-क्षेत्र और काकीनाडा होप आइलेंड अत्यधिक प्राकृतिक सुन्दरता वाले स्थान हैं और ये विदेशी पर्यटकों के साथ-साथ घरेलू पर्यटकों के लिए भी पर्यटक स्थलों के रूप में विकसित करने की काफी क्षमता रखते हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार इन स्थानों का विकास करने पर विचार करेगी;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य और पर्यटन मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) (क) : जी हां !

(ख) और (ग) केन्द्रीय पर्यटन विभाग ने 1985-86 के दौरान 20.80 लाख रुपए की

कुल लागत पर भीमाली और विशाखापत्तनम के बीच स्थित यकोंडा में 12 समुद्र-तट कुटीरें निर्मित करने के लिए आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा प्रस्तावित एक योजना पर मंजूरी दे दी है। राज्य सरकार ने ओडालारेवू समुद्र तट पर पोशाक बदलने के लिए कमरों की व्यवस्था की है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

सरकार द्वारा फटे पुराने नोटों का जारी करना

6345. श्री सरफराज अहमद : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 16 मार्च, 1986 के जनसत्ता में 'असली मगर आधा अधूरा नोट' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो सरकारी मुद्रणालय और रिजर्व बैंक द्वारा ऐसे नोट कैसे जारी कर दिये जाते हैं;

(ग) क्या सरकार को मालूम है कि कई बार 100 नोटों के एक बण्डल में केवल 99 नोट ही होते है; जिससे जनता को हानि होती है;

(घ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इस सम्बन्ध में सरकार क्या उपचारात्मक कदम उठा रही है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) (क) : जी, हां।

(ख) मुद्रण की प्रक्रिया के दौरान कभी-कभी, किनारे की सलवटों के कारण नोट का एक भाग मुद्रित हुए बिना रह जाता है। ऐसे सभी नोटों को खराब नोट मानकर निकाल दिया जाता है, लेकिन चूंकि यह काम हस्तचालित होता है, बिरले ही ऐसी सम्भावना होती है कि ऐसे नोट की सप्लाई भारतीय रिजर्व बैंक को जाए और वह परिचालन में आ जाए।

(ग) और (घ) यह सुनिश्चित करने के सभी प्रयास किए जाते हैं, प्रत्येक पैकेट में 100 नोट ही हों। ज्यों ही नोटों की शीटें मशीन से मुद्रित होती हैं, प्रत्येक शीट का सावधानीपूर्वक निरीक्षण किया जाता है। उसके बाद नोटों पर नम्बर लगाकर उन्हें पैक किया जाता है। दोनों प्रैसों में नोटों का निरीक्षण और उनकी पैंकिग कर्मचारियों द्वारा की जाती है और कभी-कभी मानवीय त्रुटि के कारण खराब नोट पैकेट में आ जाता है, यद्यपि ऐसा बिरले ही होता है, या निरीक्षण और पुन: पैंकिग करते समय किसी एक पैकेट से दूसरे पैकेट में नोट चला जाता है इस प्रकार एक पैकेट में नोट कम होकर 99 रह जाते हैं और दूसरे पैकेट में वे 101 हो जाते हैं। तथापि, अब तक ऐसे बहुत कम मामले ही सामने आए हैं।

(ङ) चूंकि नोटों की गिनती मनुष्यों द्वारा की जाती है, मानवीय त्रुटि के कारण ऐसी त्रुटि की सम्भावना को समाप्त नहीं किया जा सकता। विशेष रूप से जबकि नोटों की संख्या बहुत अधिक हो। यह सुनिश्चित करने के सभी सम्भव प्रयास किए जाते हैं कि ऐसी त्रुटियां न हों। ऐसी गलतियों को दूर करने के लिए सरकार धीरे-धीरे गिनती और पैंकिग करने की मशीनें लगा रही है।

हिमालय के क्षेत्र में पर्यटन संवर्द्धन के लिए परिषद्

6346. **श्री हरीश रावत** : क्या संसदीय कार्य और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिमालय के क्षेत्र में पर्यटन संवर्द्धन के लिए उनके मंत्रालय द्वारा कोई परिषद् स्थापित की गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस परिषद् ने इस क्षेत्र में पर्यटन के विकास की संभावनाओं का पता लगाने के लिए कोई दीर्घावधिक योजना तैयार की है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य और पर्यटन मंत्री (श्री एच०के०एल० भगत) : (क) : जी, हां।

(ख) और (ग) : यह परिषद्, हिमालय क्षेत्र में पर्यटन और पर्वतारोहण का संवर्धन करने में कार्यरत विभिन्न राज्य सरकारों और अन्य अभिकरणों के कार्यकलापों में समन्वय स्थापित करती है अभी हाल ही में परिषद् की आयोजित पहली बैठक में इसने वायुदूत द्वारा हिमालय क्षेत्र में उड़ाने प्रायोजित करने संबंधी सभी संभावनाओं का पता लगाने, विदेशों में हिमालय-पर्वों का आयोजन करने, प्रत्येक हिमालय राज्य में कम से कम एक महत्वपूर्ण स्थान पर पर्वतारोहियों और पैदल भ्रमणकारियों (ट्रैकर्स के लिए चिकित्सा और बचाव की सुविधाएं जुटाने, और पर्वतारोहियों तथा पैदल भ्रमणकारियों (ट्रैकर्स) का बीमा कराने के प्रश्न को साधारण बीमा निगम के साथ उठाने जैसे कई महत्वपूर्ण उपायों के बारे में निर्णय लिए हैं। अन्य बातों के साथ-साथ यह भी निर्णय लिया गया कि हिमालय क्षेत्र में पैदल भ्रमणकारियों और पर्वतारोहियों द्वारा जो कूड़ा-करकट और बेकार सामग्री छोड़ी जाती है उसे हटाने के लिए उपयुक्त उपायों की सिफारिश की जाए राज्य सरकारों से पर्यावरण का संरक्षण करने के लिए उपचारात्मक उपाय करने को कहा जाए।

(अनुवाद)

सोवियत संघ के साथ बात-चीत

6347. **श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नया राष्ट्रीय कपड़ा निगम की मिलें रूस से सूत का आयात कर उस सूत के इस देश के लिए कपड़ा बनाने के बारे में सोवियत संघ से बातचीत कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) जी नहीं। सोवियत संघ का उस देश के लिए कपड़ा बनाए जाने हेतु आयात करने के लिए राष्ट्रीय वस्त्र निगम के विचाराधीन फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(हिन्दी)

बस्ती जिले (उत्तर प्रदेश) में बीस-सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत ऋणों का आवंटन

6348. **डा० चन्द्र शेखर त्रिपाठी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में ऋणों के आवंटन कार्य में लगे अभिकरणों तथा अनुसूचित बैंकों की शाखाओं की कुल संख्या क्या है;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान बैंकों की इन शाखाओं द्वारा समाज के कमजोर वर्गों के कितने व्यक्तियों को वित्तीय सहायता प्रदान की गई; और

(ग) बैंकों की इन शाखाओं में ऋणों की कितने प्रतिशत वसूली की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) :—दिनांक 30 नवम्बर, 1985 को उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में सरकारी क्षेत्र के बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की 152 शाखाएं कार्य कर रही थीं। वर्तमान आंकड़ा सूचना प्रणाली से नए 20-सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत कमजोर वर्गों को दिए गए अग्रिमों के सम्बन्ध में सूचना प्राप्त नहीं होती है। अलबत्ता, प्राप्त सूचना के अनुसार जून, 1984 के अन्त में सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा उत्तर प्रदेश में कमजोर वर्गों को 14·71 लाख ऋण खातों के अन्तर्गत दिए गए अग्रिमों की कुल राशि 411.59 करोड़ रुपए थी। उसी तारीख को नए बीस सूत्री कार्यक्रम के अनुसार, सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा उत्तर प्रदेश में 14·49 लाख ऋण खातों के अन्तर्गत दिए गए अग्रिमों की बकाया राशि 555·81 करोड़ रुपए थी।

(ग) वर्तमान आंकड़ा सूचना प्रणाली से ऋण की वसूली के सम्बन्ध में जिला-वार सूचना प्राप्त नहीं होती।

(अनुवाद)

विकास खंडों में राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखायें स्थापित करना

6349 : **श्री आर० एम० भोये** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामीण विकास में राष्ट्रीयकृत बैंकों की भूमिका को ध्यान में रखते हुए देश के प्रत्येक विकास खंड में राष्ट्रीयकृत बैंक की कम से कम एक शाखा खोली गई है; और

(ख) यदि नहीं, तो महाराष्ट्र में ऐसे विकास खंडों की संख्या कितनी है जहां राष्ट्रीयकृत बैंकों की कोई शाखा नहीं है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) देश के प्रत्येक विकास खंड में सरकारी क्षेत्र के बैंक की कम से कम एक शाखा खोलना अभी तक सम्भव नहीं हो सका है।

(ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि जहां तक महाराष्ट्र राज्य का सम्बन्ध है, सभी विकास खण्डों में सरकारी क्षेत्र के बैंकों की कम से कम एक-एक शाखा है।

(हिन्दी)

आदिवासी क्षेत्रों में रियायती दरों पर गेहूं की बिक्री

6350. **श्री वृद्धि चन्द जैन** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार ने आदिवासी क्षेत्रों को रियायती दरों पर गेहूं बेचने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो इस सुविधा का कितने लोग प्रत्येक राज्य में फायदा उठा रहे हैं;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार का राजस्थान के बाड़मेर, जैसलमेर और जोधपुर जिलों, जो अकाल से अत्यधिक प्रभावित जिले हैं और इस शताब्दी के भयंकर सूखे की स्थिति से जूझ रहे हैं, के लोगों को उपरोक्त लाभ पहुंचाने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो कब तक ?

योजना तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए०के० पंजा) (क) जी, हां ।

(ख) एक विवरण संलग्न है जिसमें इस योजना के अन्तर्गत लायी गई जनसंख्या का राज्यवार ब्यौरा दिया गया है ।

(ग) और (घ) इस योजना को फिलहाल केवल समन्वित आदिवासी विकास परियोजना क्षेत्रों और आदिवासी बहुल राज्यों/संघ शासित प्रदेशों तक ही सीमित रखा गया है ।

विवरण

समन्वित आदिवासी विकास परियोजना क्षेत्रों सहित राज्यों/संघ शासित प्रदेशों तथा आदिवासी बहुल राज्यों/संघ शासित प्रदेशों के नाम और उनकी जनसंख्या

(1) क्र०सं०	राज्य/संघ शासित प्रदेश का नाम	(3) जनसंख्या (लाखों में) (1981 को जनगणना)
	समन्वित आदिवासी विकास परियोजना राज्य/संघ शासित प्रदेश	
1.	आन्ध्र प्रदेश	21·64
2.	असम	24·08
3.	बिहार	87·16

4. गुजरात	48·65
5. हिमाचल प्रदेश	1·34
6. कर्नाटक	47·98
7. केरल	1·37
8. मध्यप्रदेश	132·81
9. महाराष्ट्र	38·16
10. मणिपुर	4·92
11. उड़ीसा	72·29
12. राजस्थान	27·36
13. सिक्किम	0·26
14. तमिलनाडू	2·50
15. त्रिपुरा	6·57
16. उत्तर प्रदेश	0·16
17. पश्चिमी बंगाल	18·36
18. अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0·39
19. गोआ, दमन और दीव	0·49
आदीवासी बहुल राज्य/संघ शासित प्रदेश	
20. मेघालय	13·36
21. नागालैण्ड	7·75
22. लक्षद्वीप	0·40
23. दादर और नगर हवेली	1·04
24. मिजोरम	4·94
25. अरुणाचल प्रदेश	6·32
जोड़	570·38

(अनुवाद)

बैंक कोष का दुर्विनियोग

6351. **श्री बी०के० गढवी :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1984-85 और 1985-86 के दौरान बैंकों में अनुमानत: कितने धन का गबन और दुर्विनियोग किया गया है; और

(ख) प्रत्येक राज्य और प्रत्येक बैंक में अलग-अलग कितनी राशि का दुर्विनियोग हुआ है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) : भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि बैंक उसे सभी प्रकार की धोखाधड़ियों की सूचना देते हैं जिनमें अन्यों के अलावा अपकरण, गबन, चोरी, अपयोजन, सम्पत्ति का परिवर्तन, ठगी, रकम का कम होना, अनियमितताएं विश्वासभंग, लेखा पुस्तकों की हेरा-फेरी' बिलों को धोखाखड़ी से भुनाना/लिखतों में परिवर्तन करना, बैंकों के पास दृष्टि बन्धक रखी गई प्रतिभूतियों के सम्बन्ध में अनधिकृत रूप से कार्रवाई करना आदि शामिल हैं। भारतीय रियर्व बैंक ने आगे सूचित किया है कि बैंकों में गबन और अपयोजना की धोखाधड़ियों की सूचना रखने की वर्तमान प्रणाली से राज्यवार/बैंकवार सूचना प्राप्त नहीं होती है। अलबत्ता, कैलेंडर वर्ष 1984 और 1985 के दौरान भारतीय रिजर्व बैंक को सरकारी क्षेत्र के 28 बैंकों द्वारा देश भर में हुई धोखाधाड़ियों के मामलों की कुल संख्या के सम्बन्ध में अद्यतन समेकित सूचना, चाहे घटना की तारीख कुछ भी रही हो, नीचे दी गई है :

वर्ष	धोखाधड़ियों की संख्या	अन्तर्गत राशि (करोड़ रुपए)
1984	2410	45·18
1985	2157	53·49

(आंकड़े अनन्तिम)

मध्य प्रदेश में देवास में नये करेंसी नोट का मुद्रणालय स्थापित करने का प्रस्ताव

6352. **श्री सुभाष यादव :** क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में वर्ष 1986-87 के दौरान एक नए करेंसी नोट का मुद्रणालय स्थापित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) क्या सरकार का विचार ऐसा मुद्रणालय मध्य प्रदेश के देवास शहर में स्थापित करने का है, जो इस मुद्रणालय की स्थापना के लिए अपेक्षित शर्तों को पूरा करेगा; और

(ग) यदि हां, तो कब तक ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) करेंसी और बैंक नोट छापने के लिए एक नई प्रेस की स्थापना करने का प्रस्ताव है, और पश्चिम बंगाल में पानागढ़ का प्रस्तावित एकक का अस्थायी स्थान चुना गया है। मेसर्ज मेटालर्जिकल एण्ड इंजीनियरिंग कंसलटेंट्स (इण्डिया) लिमिटेड व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार करने के काम में लगी हुई है और उसकी रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

जनता कपड़े के मूल्य में वृद्धि

6353 : **श्रीमती किशोरी सिंह** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जनता कपड़े के मूल्यों में वृद्धि किये जाने की संभावना है;

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) क्या राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास (नाबार्ड) से जनता कपड़ा बनाने वाले हथकरघों को वित्तीय सहायता देने के लिए अनुरोध किया जाएगा ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) जी हां।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) नबार्ड स्टेट हैंडलूम एपैक्स सोसाइटीज तथा प्राइमरी कापरेटिव सोससइटीज को केन्द्रीय तथा जिला सहकारिता बैंकों के माध्यम से कार्यशील पूंजी ऋण देता है। यह वर्तमान सोसाइटियों के कारोबार के आधार पर किया जाता है, जिसमें जनता कपड़ा तथा नईसोसाइटियों के लिए कतिपय प्रति करघा वित्त व्यवस्था शामिल है।

केरल और कर्नाटक में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के कार्यों का विस्तार

6354. **श्री वाई० रामा राव** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) की शाखाओं की कुल संख्या कितनी है;

(ख) किन-किन क्षेत्रों/स्थानों में इनका कार्य अधिकतम है;

(ग) क्या केरल और कर्नाटक में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के कार्यों का विस्तार करने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो केरल और कर्नाटक में कितनी धनराशि निवेश करने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण

विकास बैंक ने सूचित किया है कि देश में इसके 16 क्षेत्रीय कार्यालय, 8 उप कार्यालय और 3 प्रशिक्षण केन्द्र हैं।

(ख) योजनागत उधार के लिए बैंकों को पुर्नवित्त भुगतान के रूप में राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक का सबसे अधिक काम उत्तर प्रदेश में हुआ जहां पुर्नवित्त के रूप में जून 1985 तक कुल 800 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया। वर्ष 1984-85 में कृषि कार्यों, बुनकर और औद्योगिक समितियों आदि का वित्त पोषण करने के लिए मंजूर की गई अल्पावधिक/मध्यावधिक सीमाओं के रूप में राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक का सबसे अधिक काम तमिलनाडु में रहा जहां 198 करोड़ रुपए की ऋण सीमाएं मंजूर की गई।

(ग) और (घ) : राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक ने सूचित किया है कि 1985-86 में योजनागत पुर्नवित्त के लिए कर्नाटक और केरल को क्रमशः 92 करोड़ रुपए और 44 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई जो पिछले वर्ष संवितरित पुर्नवित्त सहायता से लगभग 10 प्रतिशत अधिक है।

बेनामी बैंक खाते

6355. **श्री अनंत प्रसाद सेठी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात का पता है कि बहुत से लोगों ने बैंकों में बेनामी और गलत पतों से अपने खाते खोले हैं;

(ख) क्या इस बात का भी पता चला है कि अधिकतर खाते काले धन से खोले गए हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाने का है कि जैसे ही 50,000 रुपए के अधिक की धनराशि से खाता खोला जाता है, सम्बन्धित बैंक द्वारा काले धन को पकड़ने के लिए अधिकारियों की सहायता के लिए आय कर अधिकारियों को विश्वास में लिया जाना चाहिए; और

(घ) यदि नहीं, तो इस प्रकार के मामलों में सरकार ने अन्य किन उपायों को उपयुक्त पाया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) : तत्काल उपलब्ध सूचना के अनुसार आयकर विभाग के ध्यान, में उन व्यक्तियों के नाम से खोले गये कुछ बैंक खाते आए हैं जो जाली नामों से खोले गए प्रतीत होते हैं। इस सम्बन्ध में प्रत्यक्ष कर अधिनियमों के अन्तर्गत उपयुक्त कार्रवाई की जा रही है। इस समय यह बताना व्यवहार्य नहीं है कि इन जमा-राशियों का स्रोत कानूनी था अथवा गैर-कानूनी।

(ग) और (घ) : सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक ने यह सुनिश्चित करने के लिए कई उपाय किए हैं जिनसे बैंकों के ग्राहक केवल अपने नाम से ही खाते खोलें। बैंकों से खाताधारियों की वास्तविकता के बारे में तसल्ली करने के लिये भी कहा गया है। बैंकों के निरीक्षण अधिकारियों

को शाखाओं के किये जाने वाले निरीक्षणों के दौरान आयकर के संदिग्ध अपवंचन के मामलों की रिपोर्ट भी उच्च अधिकारियों को देनी पड़ती है। बैंकों को 10,000 रुपए या अधिक की जमा-राशियों को वापसी अदायगी केवल "आदाता खाता" चैकों द्वारा करनी होती है। इसके अलावा, कानूनी तौर पर हर साल उन सभी व्यक्तियों के नाम और पतों की सूचना आयकर अधिकारियों को देनी होती है, जिन्हें गत वर्ष कुल मिलाकर 1,000 रुपए या उससे अधिक ब्याज अदा किया गया हो।

गोदामों और खुले स्थानों पर पड़ा खाद्यान्न

6356. **श्रीमती बसव राजेश्वरी** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न गोदामों में गेहूं और चावल का कुल कितना भण्डार है;

(ख) सार्वजनिक वितरण प्रणाली खुली नीलामी और समाज के कमजोर वर्गों को रियायती मूल्य पर वितरण व्यवस्था के माध्यम से कुल खाद्यान्न वितरण किया गया है; और

(ग) कुल कितना खाद्यान्न खुले स्थानों में पड़ा हुआ है ?

योजना तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० के० पंजा) : (क) सरकारी एजेन्सियों के पास पहली मार्च, 1986 को गेहूं और चावल (चावल के हिसाब से धान समेत) का कुल अनुमानित स्टाक 228·7 लाख मीटरी टन था।

(ख) 1985-86 के दौरान (28-2-1986 तक) कुल 150·3 लाख मीटरी टन खाद्यान्न वितरित किए गए थे जिसमें समन्वित आदिवासी विकास परियोजना क्षेत्रों और आदिवासी बहुल राज्यों और ग्रामीण रोजगार कार्यक्रमों के लिए विशेषरूप से राजसहायता प्राप्त दरों पर वितरित किए गए खाद्यान्नों की मात्रा भी शामिल थी। भारतीय खाद्य निगम ने 1985-86 के दौरान खुली बिक्री और नीलामी के माध्यम से भी 15·8 लाख मीटरी टन गेहूं बेचा था।

(ग) कवर और प्लिंथ (कप) प्रबन्ध के अधीन रखा गया खाद्यान्नों का अनुमानित स्टाक लगभग 62 लाख मीटरी टन था।

राष्ट्रीय कपड़ा निगम, कलकत्ता की सेन्ट्रल काटन मिल्स का बन्द होना

6357. **श्री जी० एस० बसव राजू** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि।

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय कपड़ा निगम, (डब्ल्यु० बी० ए० बी० ओ०) कलकत्ता की सेंट्रल काटन मिल्स को बन्द करने के केन्द्रीय सरकार के निर्णय के बारे में आन्दोलन जारी है;

(ख) क्या यह भी सच है कि उक्त निर्णय की जानकारी प्राप्त होने के बाद में एकक में चहुंमुखी सुधार हुआ है उसके उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि हुई है और क्या सरकार को मिल के इस प्रकार बन्द किए जाने के विरोध में अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस सम्बन्ध में आगे क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) सेन्ट्रल काटन मिल्स को बन्द करने के सम्बन्ध में अभी तक कोई अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है । तथापि, सरकार द्वारा उक्त एकक की कथित बन्दी के विरुद्ध सरकार कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं ।

(ख) तथा (ग) प्रश्न नहीं उठते ।

(घ) जैसा कि ऊपर बताया गया है किसी मिल को बन्द किए जाने के सम्बन्ध में अभी तक कोई अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है ।

मार्च 1986 के दौरान आय-कर सम्बन्धी छापे

6358. **श्री कमल नाथ** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मार्च, 1986 में कितने आय-कर सम्बन्धी छापे मारे गए; और

(ख) कितनी मात्रा में तथा कितने मूल्य का सोना पकड़ा गया तथा कितने व्यक्ति गिरफ्तार किए गये ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) अभी तक प्राप्त हुई सूचना/के अनुसार आयकर विभाग ने मार्च 1986 के दौरान 290 तलाशियां लीं और अन्य सामान के साथ-साथ, लगभग 8·00 लाख रु० के मूल्य के 4004 ग्राम वजन के स्वर्ण आभूषण पकड़े । उपर्युक्त अवधि के दौरान शुद्ध सोना नहीं पकड़ा गया ।

कोई गिरफ्तारी नहीं की गई है क्योंकि आय कर अधिनियम में तलाशी के दौरान गिरफ्तार करने की कोई व्यवस्था नहीं है ।

औषधियों की तस्करी

6359. **श्री जयप्रकाश अग्रवाल** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में स्मैक तथा न्य स्वापक औषधियों के आपूर्ति स्थानों का पता लगा लिया गया है; और

(ख) सरकार का विचार विदेशों से दिल्ली में मादक औषधियों की तस्करी को किस प्रकार रोकने का है ।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) सरकार को मिली रिपोर्टों और किए गए अभिग्रहणों से यह पता चलता है कि हमारे पड़ोसी देशों से पश्चिमी देशों को ओषध-द्रव्यों तथा मनोत्तेजक पदार्थों की तस्करी के लिए भारत, मार्गस्थ देश के रूप में, तस्करी का सुगम स्थल बना हुआ है ।

(ख) तस्करी के विरुद्ध अभियान तेज कर दिया गया है । हवाई अड्डों पर जिस में दिल्ली हवाई अड्डा को भी शामिल है, सीमा शुल्क विभाग के मौजूदा आसूचना तथा निवारक तंत्र को

और सुदृढ़ बनाया जा रहा है ताकि हवाई अड्डों पर तस्करी की गतिविधियों पर रोक लगाई जा सके। तस्करी के तौर-तरीकों और किए गए अभिग्रहणों को सतत् समीक्षा की जाती रहती है ताकि केन्द्रीय और राज्य सरकार के सम्बन्धित अभिकरणों के साथ घनिष्ठ तालमेल स्थापित करके समुचित कदम उठाए जा सकें।

एक नए अधिनियम, अर्थात् "स्वापक औषध द्रव्य तथा मन: प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985" को दिनांक 14 नवम्बर, 1985 से लागू किया गया है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ औषध द्रव्य का गैर-कानूनी धंधा करने संबंधी अपराधों के लिए कड़ी सजा देने की व्यवस्था की गई है। इसके अतिरिक्त दिल्ली हवाई अड्डे को वि० मु० सं० तथा त० नि० अधिनियम के तहत अत्यधिक सुगम्य क्षेत्र के रूप में घोषित किया गया है ताकि हवाई अड्डे पर पता लगाए गए तस्करी के समुचित मामलों में व्यक्तियों का दो वर्ष की अवधि के लिए नजरबन्द किया जा सके।

जीवन बीमा निगम की प्रीमियम दरों में कटौती

6360. **श्रीमती डी० के भण्डारी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बात को ध्यान में रखते हुए कि भारतीय लोगों की औसत आयु बढ़ गई है, जीवन बीमा निगम का विचार प्रीमियम की दरें कम करने का है;

(ख) क्या देश में उपलब्ध चिकित्सा ज्ञान की जानकारी को ध्यान में रखते हुए जीवन बीमा निगम ने कुत्ते के काटने से हुई मृत्यु सम्बन्धी दावों को तीन वर्ष तक स्वीकार करने का भी निर्णय लिया है; और

(ग) यदि हां, तो उपर्युक्त भाग (क) और (ख) संबंधी ब्यौरा क्या है।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा 1 अप्रैल, 1980 से प्रीमियम दरों में व्यापक संशोधन किए गए थे। मृत्यु दर के आधार पर प्रीमियम दरों में संशोधन करने के प्रश्न की निगम द्वारा लगातार समीक्षा की जाती रहती है।

(ख) कुत्ते के काटने पर होने वाली मौतों के लिए वास्तविक बीमा रकम के मृत्यु दावे मंजूर कर लिए जाते हैं। मृत्यु चाहे कितनी ही अवधि के बाद हुई हो, यदि मृत्यु 90 दिन की निर्धारित सीमा अवधि के अन्दर हो जाए और पालिसी दुर्घटना लाभ सहित हो तो दुर्घटना दावे के मामले में वास्तविक बीमा राशि के बराबर की अतिरिक्त रकम भी दी जाती है।

(ग) उपरोक्त उत्तर को देखते हुए यह प्रश्न पैदा हो नहीं होता।

कपास निर्यातक एजेंसियों को होने वाली कठिनाइयां

6362. **प्रो० रामकृष्ण मोरे** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि देश में निजी व्यापारियों सहित कपास निर्यातक एजेंसियों को कपास का निर्यात करने में कठिनाइयां हों रही हैं;

(ख) यदि हाँ, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार कपास का निर्यात बढ़ाने और विदेशी बाजारों में इसकी मांग बढ़ाने के लिए निर्यात् हेतु कपास का पर्याप्त मात्रा में कोटा जारी करने के बारे में क्या अनुवर्ती कार्रवाई कर रही है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खाँ) : (क) तथा (ख) : भारत में कपास की भरी-पूरी फसल होने की वजह से और अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में कम कीमत होने के कारण रुई का निर्यात करने में रुई निर्यातक एजेन्सियां कठिनाइयां अनुभव कर रही हैं।

(ग) निर्यातक एजेन्सियों द्वारा रुई के निर्यात को बढ़ाने हेतु भारत सरकार ने न्यूनतम निर्यात कीमत शर्तों को समाप्त कर दिया है। दस लाख गाँठों से अधिक रुई निर्यात के लिए भी रिलीज की जा चुकी है।

खाद्यान्नों का निर्यात

6363. **श्री एम० सुब्बा रेड्डी** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान खाद्यान्नों के निर्यात से वर्षवार कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई;

(ख) निर्यात के लिए कितनी और कितने मूल्य की फालतू मात्रा उपलब्ध है; और

(ग) कितनी मात्रा का निर्यात किया गया है ?

वाणिज्य तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) से (ग) : खाद्यान्नों के निर्यात की उत्पादन सम्भाव्यताओं, माँग पैटर्न, स्टाक उपलब्धता और अनुमानित निर्यात योग्य उपलब्ध अधिशेषों को ध्यान में रखकर अनुमति दी जाती है। संकलित किए गए अनन्तिम आंकड़ों के अनुसार गत तीन वर्षों के दौरान खाद्यान्नों के निर्यात की मात्रा तथा मूल्य निम्नोक्त प्रकार है :

वर्ष	मात्रा (एम० टी०)	मूल्य (करोड़ रु०)
1983-84	1·44	96·55
1984-85	2·44	163·57
1985-86 (अप्रैल-दिसम्बर)	4·03	173·24

उपरोक्त आंकड़ों में अफ्रीकी देशों के सूखा प्रभावित क्षेत्रों को उपहार स्वरूप गेहूं के निर्यात, मारिशस को मैदा तथा चने की दाल; तथा वियतनाम को वस्तु ऋण के रूप में गेहूं शामिल नहीं हैं।

सातवीं योजना के दौरान फलों के रस निकालने के संयन्त्र स्थापित करना

6364. **श्री के० कुन्जम्बु** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मार्डन फूड इण्डस्ट्रीज लिमिटेड का सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान देश के विभिन्न भागों में फलों का रस निकालने के संयंत्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केरल में ऐसा एक संयन्त्र स्थापित करने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

योजना तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ए० के० पंजा) (क) और (ख) : मार्डन फूड इण्डस्ट्रीज (इण्डिया) लिमिटेड का सातवीं योजना के दौरान कुछ अतिरिक्त फ़ूड जूस बार्टलिग प्लांट लगाने का विचार है। इस सम्बन्ध में ब्यौरे अभी तैयार किए जाने हैं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

केरल में भारतीय खाद्य निगम के अधिकारियों द्वारा भ्रष्ट तरीके अपनाया जाना

6365. **श्री वी० एस० विजयराघवन** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में भारतीय खाद्य निगम के कुछ अधिकारियों द्वारा भ्रष्ट तरीके अपनाये जाने के बारे में शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो किस प्रकार की शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(ग) उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

योजना तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ए०के० पंजा) : (क) : जी, हां।

(ख) ये भारतीय खाद्य निगम के अधिकारियों और श्रमिकों द्वारा तथा कथित जाली यात्रा भत्ते, सवारी भत्ते के, दावों और बख्शीश की मांग करने के सम्बन्ध में हैं।

(ग) यद्यिप यात्रा भत्ते और सवारी भत्ते के जाली दावे के बारे में गुमनाम शिकायत की गई है, फिर भी, भारतीय खाद्य निगम द्वारा इसकी जांच की जा रही है और इस सम्बन्ध में उपयुक्त कार्रवाई की जाएगी। भारतीय खाद्य निगम के अधिकारियों के विरुद्ध बख्शीश की मांग करने के बारे में लगाए गये आरोप की भारतीय खाद्य निगम द्वारा जांच की गई है और इसे सही नहीं पाया गया है भारतीय खाद्य निगम ने अपने सभी जिला प्रबन्धकों को कड़े अनुदेश जारी किये हैं कि वे श्रमिकों द्वारा धन की मांग करने के कदाचारों को रोकने के लिए प्रभावी पग उठायें और इन कदा-

चारों के बारे में हस्तक्षेप करने और इन्हें रोकने के लिए इन्हें राज्य के प्राधिकारियों के ध्यान में भी लायें ।

गैर-आवश्यक वस्तुओं के आयात पर व्यय की गई विदेशी मुद्रा

6366. **श्री हरूभाई मेहता** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 मार्च, 1986 से 24 मार्च, 1986 के बीच गैर-आवश्यक वस्तुओं—जिस प्रकार वस्तुओं का भारत में निर्माण होता है—के आयात पर कितनी विदेशी मुद्रा व्यय की गई;

(ख) इस अवधि के दौरान दूरदर्शन पर क्रिकेट और अन्य मैच दिखाने पर कितनी विदेशी मुद्रा व्यय की गई; और

(ग) क्या सरकार का विचार गैर-आवश्यक प्रयोजनों के लिए विदेशी मुद्रा व्यय करने को रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाने का है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी (क) और (ख) : 1 मार्च, से 24 मार्च, 1986 के बीच वस्तुओं के आयात पर व्यय की गई विदेशी मुद्रा का ब्यौरा उपलब्ध नहीं है । इस अवधि के दौरान दूरदर्शन पर किसी प्रकार का मैच दिखाने पर कोई विदेशी मुद्रा व्यय नहीं की गई ।

(ग) सभी प्रकार के आयातों को नियन्त्रित करने वाली आयात निर्यात नीति का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि केवल आवश्यक वस्तुओं का ही आयात किया जाए ताकि बहुमूल्य विदेशी मुद्रा को बचाया जा सके । सरकार द्वारा आयातों की किस्मों पर भी निगरानी रखी जाती है और समय-समय पर यह सुनिश्चित करने के लिए उचित कदम भी उठाए जाते हैं कि अनावश्यक आयात न किए जायें ।

बम्बई में बैंक-धोखाधड़ी का पता लगना

6367. **श्री मोहम्मद महफूज अली खां** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में बम्बई में 35 करोड़ से भी अधिक राशि की बैंक धोखाधड़ी का पता लगा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है तथा इस घटना में किस स्तर तक के बैंक अधिकारी शामिल हैं, उनके कार्य करने की पद्धति क्या है तथा सरकार द्वारा इस मामले में क्या कदम उठाए गए हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) : सम्भवत: प्रश्न का आशय वाणिज्यिक बैंकों के कुछ अधिकारियों और नेशनल काओपरेटिव बैंक लिमिटेड, बम्बई की सांठ-गांठ से प्रत्यय पत्र खोलने और अनियमित ढंग से वास्तव में किसी माल का आयात के बिना देश से बाहर विदेशी मुद्रा का अन्तरण करने से है । भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि नेशनल काओपरेटिव बैंक लि०, बम्बई के जरिए विभिन्न वाणिज्यिक बैंकों में लगभग 200 प्रत्यय

पत्र खोले गए। भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार, महाराष्ट्र राज्य का भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो मामले की जाँच कर रहा है और बैंक कर्मचारियों की अन्तर्ग्रस्तता और उनके द्वारा अपनाई गई कार्य-विधि आदि का पता जांच पूरी होने के बाद ही चलेगा।

सूत और कपड़े का भण्डार इकट्ठा होना

6368. **कुमारी पुष्पा देवी** : क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि हाल ही में कपड़ा मिलों के पास सेत और कपड़े का भंडार बढ़ गया है;

(ख) क्या यह सच है कि कपास, पोलियस्टर फाइबर, और पोलियस्टर फिलामेंट यार्न के इस समय खरीदार कम हैं;

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(घ) उचित विपणन सुविधायें जुटाने और यार्न और कपड़े के भण्डार को निपटाने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

वस्त्र मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) जून-दिसम्बर, 1985 की अवधि के लिए वर्ष 1984 को इसी अवधि की तुलना में यार्न के भण्डार अधिक रहे हैं। उपलब्ध सूचनाओं के आधार पर यार्न के भंडार में जून से अक्टूबर, 1985 तक वृद्धि हुई जिसके पश्चात् यार्न के भंडार में गिरावट देखी गई है। 1985 के दौरान मिलों के पास कपड़े के भंडार वर्ष 1984 के भंडारों की तुलना में कम रहे हैं।

(ख) तथा (ग) : वर्ष 1985 के दौरान पोलियस्टर स्टैपल की सुपुर्दगियां वर्ष 1984 की तुलना में अधिक रही हैं। पोलियस्टर फिलामेंट यार्न की सुपुर्दगियों में अक्टूबर से दिस्मबर, 1985 और जनवरी 1986 में गिरावट आई, माँग में काफी वृद्धि हुई है। जहां तक रुई का सम्बन्ध है, वर्ष 1985-86 में अनुमानित खपत वर्ष 1984-85 में 86·5 लाख गांठों की तुलना में लगभग 87 लाख गांठें हैं। तथापि वर्तमान मौसम के दौरान रुई की उपलब्धता गत मौसम की तुलना में इस वर्ष अच्छी फसल और गत वर्ष के शेष भंडार के कारण अधिक रही है।

(घ) सरकार द्वारा जून, 1985 में घोषित वस्त्र नीति ने वस्त्र उद्योग का एकीकृत दृष्टि-कोण अपनाया है। नीति के अनुसरण में किए गये अनेक उपायों से उद्योग के समग्र निष्पादन में, जिसमें बेहतर विपणन सुविधायें और क्षमताओं का अनुकूलतम उपयोग शामिल है, सुधार होना चाहिए।

भारत अफ्रीकी व्यापार और संयुक्त उद्यमों में कमी

6369. **श्री हरिहर सोरन** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्षों से भारत-अफ्रीकी व्यापार और संयुक्त उद्यमों में कमी आ रही है;

(ख) यदि हां, तो भारत और अफ्रीका के बीच व्यापार और संयुक्त उद्योगों में कमी के क्या कारण हैं; और

(ग) यदि अफ्रीकी देशों के साथ व्यापार और संयुक्त उद्यम बढ़ाने का कोई कार्यक्रम है, तो वह क्या है ?

वाणिज्य तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) तथा (ख) : सूखा, प्राथमिक वस्तु कीमतों में गिरावट और अफ्रीकी देशों में विदेशी मुद्रा की कमी, भारतीय निर्यातों में रूद्रता और भारतीय संयुक्त उद्यमों में कमी होने के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी हैं। तथापि, अफ्रीका से आयातों में वृद्धि का रुख है।

(ग) अफ्रीकी देशों के साथ व्यापार तथा संयुक्त उद्यमों में सुधार के लिये प्रतिनिधि मण्डलों का आदान-प्रदान, मेलों/प्रदर्शनियों का आयोजन, विशेष द्विपक्षीय प्रबन्धों की स्थापना जैसे अनेक उपाय किए जा रहे हैं।

गुजरात में कपास के भण्डार का जमाव

6370. **श्री के० बी० शंकर गौडा** : क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गुजरात में कपास का बहुत अधिक भंडार जमा हो गया है;

(ख) यदि हां, तो यह भी सच है कि कपास उत्पादकों की समस्या और भारतीय कपास निगम के कार्यकरण की कमियों के बारे में चर्चा करने के लिये 23 मार्च, 1986 को आयोजित बैठक में प्रधान मन्त्री ने भाग लिया था;

(ग) यदि हां, तो बैठक में दिये गये सुझावों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) उनके मन्त्रालय ने गुजरात में कपास के भारी जमाव से उत्पन्न समस्या का हल करने और भारतीय कपास निगम के कार्यकरण में सुधार करने के लिये क्या कदम उठाये हैं ?

वस्त्र मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) चालू रुई मौसम (सितम्बर 85 से अगस्त 86 तक) के दौरान गुजरात में रुई की लगभग 18·00 लाख गांठों का उत्पादन होने का अनुमान है जबकि पिछले रुई मौसम के दौरान 20·10 लाख गांठों का उत्पादन होने का अनुमान था।

(ख) से (घ) : गुजरात में रुई की खरीदारियों पर चर्चा करने के लिए 25 मार्च, 1986 को प्रधान मन्त्री के कार्यालय में एक बैठक हुई थी। यह विनिश्चय किया गया था कि भारतीय राज्य रुई निगम तथा गुजरात राज्य सहकारी रुई परिसंघ गुजरात में रुई की अपनी खरीदारियां बढ़ाएंगे। रुई के निर्यात बढ़ाने की दृष्टि से रुई की न्यूनतम निर्यात कीमतें समाप्त करने का विनिश्चय किया गया था। भारत सरकार ने, गुजरात राज्य सहकारी रुई परिसंघ एवं गैर-सरकारी व्यापारियों

सहित विभिन्न अभिकरणों के माध्यम से चालू रुई मौसम के दौरान 10·00 लाख से भी अधिक रुई की गांठें रिलीज की हैं।

(हिन्दी)

उत्तर प्रदेश में रुग्ण, औद्योगिक प्रतिष्ठानों की ओर बकाया ऋण

6371 **श्री जगदीश अवस्थी** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में ऋण औद्योगिक प्रतिष्ठानों की संख्या क्या है;

(ख) इन प्रतिष्ठानों की ओर अनुसूचित बैंकों की कितनी राशि बकाया है; और

(ग) उनमें से ऐसे कितने प्रतिष्ठान हैं जिनकी रूग्णता समाप्त हो सकती है, और ऐसे कितने प्रतिष्ठान हैं जिनकी रुग्णता दूर नही हो सकती है, उनका ब्यौरा क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जर्नादन पुजारी) : (क) और (ख) : उत्तर प्रदेश में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों से सहायता प्राप्त रूग्ण औद्योगिक एककों की संख्या और उनके नाम बकाया बैंक ऋणों के सम्बन्ध में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दी सूचना नीचे दी गई है :—

	बड़े रूग्ण औद्योगिक एकक	एककों की संख्या	बकाया राशि (करोड़ रुपये)
1.	जून, 1985 के अन्त में (अनन्तिम)	63	287·18
2.	लघु रुग्ण एकक (दिसम्बर 1984 के अन्त में)	9020	60·53

(ग) 63 बड़े रुग्ण औद्योगिक एककों में से 44 एकक को अर्थक्षम, 14 को अनर्थक्षम पाया गया है और बाकी 5 के सम्बन्ध में अर्थक्षमता की स्थिति का निर्धारण किया जाना है।

(अनुवाद)

दीर्घकालीन निर्यात नीति

6372. **डा० टी० कल्पना देवी** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिनांक 4 जनवरी, 1986 के "टाइम्स आफ इण्डिया" में प्रकाशित समाचार के अनुसार एक दीर्घकालीन निर्यात नीति विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या इस नीति के अन्तर्गत डाक्टरों, इंजीनियरों और चिकित्सा तथा इंजीनियरिंग व्यवसायियों के लिए इलैक्ट्रोनिक और अन्य सामान बनाने वाले छोटे उद्यमियें जैसे वास्तविक प्रयोक्ताओं की सहायता के लिए दीर्घकालीन आयात नीति भी शामिल होगी ?

वाणिज्य तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) से (ग) : यह समाचार रिपोर्ट भारत-सोवियत व्यापार संदर्भ में दीर्घावधि निर्यात संविदाओं की आवश्यकता से सम्बन्धित है। वर्तमान आयात तथा निर्यात नीति पहले से ही अप्रैल 1985 से मार्च 1988 तक दीर्घावधि आधार पर है।

उपभोक्ता मामलों का अलग मंत्रालय बनाना

6373. **श्री मानिक रेड्डी :**

श्री पी० आर० कुमारमंगलम :

डा० टी० कल्पना देवी :

श्रीमती डी० के० भण्डारी :

क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस आशय के समाचार को देखा है जिसमें यह विस्तार से बताया गया है कि निर्माता किस प्रकार "गारन्टीड" शब्द का इस्तेसाल करके निर्दोष ग्राहकों का शोषण कर रहे हैं और शिकायतों पर कार्रवाई करने एवं गारन्टी लागू करने हेतु किसी प्राधिकारी के न होने के कारण गारन्टी सुनिश्चित करने का कोई रास्ता नहीं है;

(ख) क्या सरकार का विचार उपभोक्ताओं को सरलतापूर्वक, सीधे तेजी से संरक्षण प्रदान करने हेतु कोई उपयुक्त आधारभूत व्यवस्था करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सबंधी ब्यौरा क्या है ?

योजना तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए०के० पंजा) : (क) से (ग) : यद्यपि इस तरह की किसी रिपोर्ट की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित नहीं किया गया है, तथापि, सरकार इस बात से अवगत है कि विनिर्माता अपने उत्पाद के सम्बन्ध में "गारन्टी" को पूरा न करके उपभोक्ता को शोषण कर रहे हैं। अनुचित व्यापार पद्धतियों को रोकने के लिए इस दिशा में एक उपाय के रूप में एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम में सँशोधन किया गया है। इसके अलावा सरकार उपभोक्ता संरक्षण के बारे में एक नमूना कानून के मसौदे, जिसे वे राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा अपनाया जाना है, पर विचार कर रही है। इस कानून में एक उपभोक्ता संरक्षण परिषद, एक उपभोक्ता कार्य निदेशालय तथा एक उपभोक्ता विवाद निपटान मंच स्थापित करने की व्यवस्था की गई है। प्रस्तावित उपाय का उद्देश्य उपभोक्ता हित की रक्षा तथा प्रवर्धन करना और उपभोक्ताओं की शिकायतों को तेजी से तथा कम खर्च पर दूर करने के

लिए एक मंच प्रदान करना है। उपभोक्ता संरक्षण परिषद, उपभोक्ता के अधिकारों, जैसे चुनने का अधिकार सुनवाई का अधिकार तथा कुछ विनिर्माताओं/व्यापारियों द्वारा उपभोक्ताओं के बेईमानीपूर्ण शोषण के प्रति क्षतिपूर्ति का अधिकार, की रक्षा एवं प्रवर्धन करेगी। परिषद उपभोक्ताओं को सूचना देने तथा उन्हें शिक्षित करने और उपभोक्ता संरक्षण आन्दोलन को विकसित करने के लिए कार्यक्रम चलाएगी। उपभोक्ता कार्य निदेशालय, उपभोक्ताओं की शिकायतें प्राप्त करने तथा उन पर कार्यवाही करने के लिए एक कार्यकारी तंत्र होगा। उपभोक्ता विवाद निपटान मँच, उपभोक्ता विवादों को तेजी से तथा कम खर्च पर निपटाने के लिए एक अर्ध-न्यायिक तंत्र होगा।

कम्पनियों के नाम स्टाक एक्सचेंज में दर्ज कराने के लिए समय-सीमा

6374. **श्री मानवेन्द्रसिंह** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किसी कम्पनी द्वारा खुले बाजार में शेयरों को जारी किए जाने के पश्चात् स्टाक एक्सचेंज में उस कंपनी का नाम दर्ज कराने की क्या सीमा है;

(ख) 28 फरवरी, 1986 को ऐसी कम्पनियों की संख्या कितनी है तथा उनके नाम क्या है जिन्होंने जनता को शेयर जारी करने के एक वर्ष बाद भी इस दिशा निर्देश का पालन नहीं किया है और अपना नाम स्टॉक एक्सचेंज में दर्ज नहीं कराया है; और

(ग) सरकार का उन कम्पनियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई करने का विचार है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) सार्वजनिक निर्गम के पश्चात किसी स्टाक एक्सचेंज में किसी कम्पनी की प्रतिभूतियां को सूचीबद्ध किए जाने के लिए निर्धारित समय-सीमा, अभिदान सूची बन्द किए जाने के तारीख के बाद दस सप्ताह तक की हैं।

(ख) स्टाक एक्सचेंजों से प्राप्त सूचना के अनुसार ऐसी कोई कम्पनी नहीं है।

(ग) प्रश्न के भाग (ख) के उत्तर को देखते हुए यह प्रश्न ही पैदा नहीं होता।

ट्रेलरों पर उत्पादन शुल्क

6375. **श्री गुरुदास कामत** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार द्वारा वर्ष 1982-83, 1983-84, 1984-85 के दौरान इसी ट्रेलरों, कृषि ट्रेलरों, ट्रैक्टर ट्रेलरों, ट्रक ट्रेलरों पर उत्पादन शुल्क की अलग-अलग कितनी राशि वसूल की गई है।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : सूचना एकत्र की जा रही है और सदन-पटल पर रख दी जाएगी।

(हिन्दी)

उत्तर प्रदेश में बैंक डकैतियां और धोखाधड़ी

6376. **श्री राजकुमार राय** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इलाहाबाद और कानपुर में दो बैंकों में पड़ी डकैती से सिद्ध हो गया है कि बैंक डाकुओं की कृपा से ही काम करने में समर्थ हैं न कि सुधरी हुई कानून और व्यवस्था की स्थिति से;

(ख) उत्तर प्रदेश में वर्ष 1985 के दौरान बैंकों में डकैतियों और धोखाधड़ी के कुल कितने मामले हुए तथा इसमें कितनी धनराशि अन्तर्ग्रस्त है; और

(ग) इन मामलों में अन्तर्ग्रस्त व्यक्तियों और डाकुओं के विरुद्ध की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) : बताता गया है कि 1985 में उत्तर प्रदेश में सरकारी क्षेत्र के बैंकों में डकैती/लूटपाट की 8 घटनाएँ हुई जिनमें 26·39 लाख रुपए (लगभग) की राशि अन्तर्ग्रस्त थी। 5 व्यक्तियों के गिरफ्तार किए जाने की सूचना मिली है। जहां तक बैंक धोखाधड़ियों का सम्बन्ध है भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि वर्तमान आंकड़ो प्रणाली से राज्य वार सूचना प्राप्त नहीं होती है। अलबत्ता, कलेंडर वर्ष 1985 के दौरान भारतीय रिजर्व बैंक को सरकारी क्षेत्र के 28 बैंकों द्वारा देश भर में हुई धोखाधड़ियों के मामलों की कुल संख्या के सम्बन्ध में अद्यतन समेकित सूचना, चाहे घटना की तारीख कुछ भी रही हो, नीचे दी गई है :

वर्ष	धोखाधड़ियों की संख्या	अन्तर्ग्रस्त राशि (करोड़ रुपए)
1985	2157	53·49
		(आँकड़े अनन्तिम)

भारतीय रिजर्व बैंक ने यह भी सूचित किया है कि 27 बैंक कर्मचारियों को सजा दी गई तथा 387 कर्मचारियों को धोखाधडियों के मामलों में अन्तर्ग्रस्त होने के कारण बड़े या छोटे दण्ड दिए गए।

(अनुवाद)

मसाला निर्यात संवर्धन परिषद की मांगें

6377. **डा० के० जी० अदियोडी** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मसाला निर्यात संवर्धन परिषद ने काली मिर्च के निर्यात के सम्बन्ध में 10 मई, 1985 के अपने ज्ञापन में क्या मांगें थी; और

(ख) चालू वर्ष के दौरान काली मिर्च के निर्यात में वृद्धि करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं और काली मिर्च पर प्रति किलो निर्यात शुल्क क्या है ?

वाणिज्य तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) तथा (ख): 7 मई, 1985 से काली मिर्च के निर्यात पर 3 रुपए प्रति किग्रा० का शुल्क लगाया गया है। मसाला निर्यात संवर्धन परिषद ने दिनांक 10 मई, 1985 के अपने ज्ञापन में अनुरोध किया है कि 7 मई 1985 से पहले की गई संविदाओं पर निर्यात शुल्क से छूट दी जाए।

संसद ने हाल ही में एक विधान बनाया है जिसमें अन्य बातों के साथ मसाला बोर्ड स्थापित करने की भी व्यवस्था है। आशा की जाती है कि इस कदम से काली मिर्च सहित, विशेषकर उपभोग पैकों में, मसालों का निर्यात बढ़ाने में आवश्यक संस्थागत सहायता मिलेगी। इस सम्बन्ध में किये जा रहे अन्य उपायों में बिक्री-सह-अध्ययन दल, प्रदर्शनियों में भाग लेना आदि शामिल हैं।

राजस्व की वसूली में वृद्धि

6378. **श्री शरद दिघे** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्ष 1985-86 में मुख्य करों की वसूली में विगत वर्ष की तुलना में 22% वृद्धि हुई है और उसी अवधि में आयकर की वसूली में बजट प्राक्कलन की तुलना में 36% की वृद्धि हुई हैं; और

(ख) यदि हां, तो करों की वसूली में कितनी वृद्धि हुई है और तस्करों, चोर बाजारी करने वालों तथा कर अपवंचकों के विरुद्ध चलाए गए सघन अभियान से कितनी वसूली हुई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) तथा (ख) : सूचना यथा संभव सीमा तक एकत्र की जा रही है और उसे सदन-पटल पर रख दिया जाएगा।

(हिन्दी)

सागर (मध्य प्रदेश) में गेहूं की बोरियों की पुरानी दरों पर बिक्री करने से भारतीय खाद्य निगम को हानि

6379. **श्री डाल चन्द्र जैन** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 1 फरवरी, 1986 से गेहूं के बिकी मूल्य में वृद्धि की है;

(ख) यदि हां, तो सागर जिले में भारतीय खाद्य निगम के कार्यालय में यह आदेश कब जारी किए गए थे;

(ग) सागर में भारतीय खाद्य निगम के कार्यालय में यह आदेश जारी किए जाने की तारीख से इनके लागू किए जाने की तारीख तक की अवधि के दौरान गेहूं की कितनी बोरियां वितरित की गई;

(घ) क्या नयी दरों की जगह पुरानी दरों पर गेहूं की बोरियाँ वितरित करने के कारण सरकार को हुई हानि के लिए कोई जिम्मेदारी निर्धारित की गई है;

(ङ) क्या सागर में भारतीय खाद्य निगम के कार्यालय के काम करने वाले दोषी पाए गए कर्मचारियों के विरुद्ध कोई कार्रवाई की गई है; और

(च) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

योजना तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ए० के० पंजा) : (क) जी, हाँ ।

(ख) भारतीय खाद्य निगम के मुख्यालय ने 30-1-86 को अपने फील्ड यूनिटों को गेहूं की ताजा बिक्री के स्थगित करने के अनुदेश जारी किए थे। मालूक हुआ है कि ये अनुदेश जिला प्रबन्धक, सागर को प्राप्त नहीं हुए थे ।

(ग) 30 और 31 जनवरी, 1986 को सागर में क्रमश: 858 और 9,100 गेहूं की बोरियां जिनमें लगभग क्रमश: 82 मीटरी टन और 866 मीटरी टन गेहूं था, जारी की गई थीं ।

(घ) से (च) : इस आशय की शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि निगम के कुछ अधिकारियों ने आदेशों के उल्लंघन में गेहूं बेचा था। जाँच प्रगति पर है। विस्तृत जांच होने तक चार अधिकारियों को मुअत्तल कर दिया गया है और उनके मुख्यालय को बदल दिया गया है जिला प्रबन्धक, सागर से स्पष्टीकरण भी माँगा गया है ।

(अनुवाद)

केरल में इदुक्की में भारतीय खाद्य निगम का डिपो खोलना

6380. **श्री पी० ए० एंटनी** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में इदुक्की और अन्य पहाड़ी क्षेत्रों में भारतीय खाद्य निगम के डिपू खोलने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो इनके कब तक खोले जाने की संभावना है ?

योजना तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ए० के० पंजा) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

भारतीय खाद्य निगम द्वारा पंजाब राज्य संगठन को देय मजदूरी तथा चढ़ाई-उतराई प्रभार की बकाया राशि

6381. **श्री मेवासिंह गिल : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय खाद्य निगम । 1मई, 1985 को पंजाब राज्य संगठन को 1·70 रुपये प्रति क्विंटल की दर से गेहूं का संस्थापन प्रभार का भुगतान करने के लिए सहमत हो गया था, परन्तु वास्तव में 1·13 रुपये प्रति क्विंटल की दर से ही भुगतान किया गया है;

(ख) क्या यह भी सच है कि पंजाब राज्य संगठन ने भारतीय खाद्य निगम से वर्ष 1985-86 में 5·50 रुपये प्रति क्विंटल की दर से मजदूरी तथा चढ़ाई-उतराई प्रभार का दावा किया है परन्तु भारतीय खाद्य निगम 4·45 रुपये की दर से भुगतान करने के लिए सहमत हुआ था जबकि भारतीय खाद्य निगम का अपना ही व्यय 5·40 रुपये प्रति क्विंटल है; और

(ग) क्या सरकार राज्य संगठन को शेष राशि की प्रतिपूर्ति करने के लिए तैयार है ?

योजना तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० के० पंजा) : (क) जी, हां ।

(ख) जी, हां ।

(ग) जिन दावों को उपयुक्त समझा जाता है, उनकी प्रतिपूर्ति राज्य सरकार को कर दी जाएगी ।

भारतीय निर्यात संगठन संघ की प्रबन्ध समिति का गठन

6382. **श्री आनन्द पाठक : क्या वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय निर्यात संगठन संघ की प्रबन्ध समिति का गठन सरकार की स्वीकृति से किया गया था;

(ख) यदि हां, तो समिति के सदस्यों के नाम क्या हैं;

(ग) क्या किन्हीं सरकारी अधिकारियों, अथवा व्यापार विकास प्राधिकरण और ऐसे ही किन्हीं सरकारी संगठनों के प्रतिनिधियों को इस समिति में लिया गया है; और

(घ) भारतीय निर्यात संगठन संघ के अध्यक्ष द्वारा की गई देश और विदेशों की यात्राओं का ब्यौरा क्या है और ऐसे यात्राओं पर कितना धन व्यय किया गया है ?

वाणिज्यतथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) और (ख) : भारतीय निर्यात संगठन परिसंघ (एफ. आई. ई. ओ.) को प्रबन्ध समिति परिसंघ के विधान के अनुसार गठित की जाती है और सरकार के अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है। वर्ष 1985-86 के लिए परिसंघ की प्रबन्ध समिति का गठन विवरण I के रूप में संगलग्न है ।

(ग) जी हां ।

(घ) विवरण II संलग्न है ।

विवरण

वर्ष 1985-86 के लिए भारतीय निर्यात संगठन परिसंघ के प्रबन्ध समितिसदस्यों की सूची।

अध्यक्ष

1. श्री वीरेन्द्र पी० पुंज, पुंज संस (प्रा० लि०)
पुंज हाउस, एम-13, कनाट सर्कस,
नई दिल्ली-110001.
(प्रतिनिध-ऐसोसिएटेड चैम्बर्स आफ कामर्स एण्ड इण्डस्ट्री आफ इण्डिया)

5. श्री कांतीलाल एन. दलाल,
कांतीलाल एंड कं. बम्बई-40009.
(प्रतिनिधि-संसाधित खाद्य निर्यात संवर्धन परिषद)

उपाध्याक्ष

2. श्री मथुरादास एच, मेहता
एम० एच० मेहता एण्ड कं० 602 मेरिन ड्राइव, बम्बई-40002.
प्रतिनिधि भारतीय तेल तथा उत्पाद निर्यातक एसोसिएशन।

6. श्री प्रान गुप्ता, नइस चेयरमैन,
स्टोर्ट्स गुड्स एक्सपोर्टस प्रोमोशन काउंसिल के/ओ सोंसर इन्टरनेशनल,
बस्ती शेख रोड, जालन्धर-144002.

श्रेणी I

साधारण सदस्य निर्वाचन क्षेत्र

I (1) निर्यात संवर्धन परिषदों वस्तु बोर्ड, सरकार द्वारा प्रायोजित संस्थान।

निर्यात संवर्धन परिषदें

3. श्री एम० आर० भंसाली, चैयरमैन,
जेम एण्ड ज्वैलरी इपीकाउंसिल, के/ ओ० एम० आर० भंसाली एण्ड कं.
702 प्रसाद चैम्बर्स,
टाटा रोड नं. 2, नीयर रोक्सी सिनेमा,
बम्बई-400004।

7. श्री एम. मोहम्मद हशीम, चेयरमेन,
काउंसिल फार लैदर एक्सपोर्ट्स,
मारबल हाल,
118, वेपरी हाई रोड, मद्रास-600007.

4. श्री सी. एम. चावला, चैयरमैन,
कैमिकल्स एण्ड एलाइड प्रोड्क्टस इपीसी,
के. ओ. यू. बी. एस पब्लिसर्स डिस्टीब्युटर्स लि. 5, अंसारी रोड दरियागंज,
नई दिल्ली-110002

8 श्री समरसिंह जायसवाल, चेयरमेन,
शेलाक ई. पी. काउंसिल,
के/ओ समरसिंह जायसवाल (प्रा. लि.)
27-बी, केमार्क स्ट्रीट, कलकत्ता-700016

9 श्री आर. पी. झालनी, चेयरमेन,
इन्जीनिरिंग इ. पी. काउंसिल के/ओ
गेडोर टूल्स इण्डिया (प्रा.) लि. गेडोर
हाउस 51-52, नेहरू प्लेस,
नई दिल्ली-110019

10. श्री बी. एन. कोठारी, चेयरमेन,
सिल्स एण्ड रेयन टेक्सटाइल्स इपी काउंसिल
रेशम भवन, 78-वीर नरोमन रोड,
बम्बई-400020.

11. श्री गुलाब घर मिश्र, चेयरमेन,
कारपेट इ. पी. काउंसिल
बी-2/21 शॉपिंग कम्पलेक्स,
सफदरजंग एनक्लेव, नई दिल्ली-110029.

12. श्री एस. के. मिश्रा, चेयरमेन,
इंडियन सिल्स इ. पी. काउंसिल,
16, मित्तल चेम्बर्स, पहली मंजिल,
नरीमन प्वाइंट, बम्बई-400031

13. श्री एन. एस. आर. मन्दरादियर, चेयरमेन,
स्पाईसिस इ. पी. काउंसिल,
किरेमल चेम्बर्स पो. बो. नं. 1671,
पेरुमेनर, कोचीन-682015.

14. श्री सिरी नाथ,
नाथ ब्रादर्स, एग्जिम इन्टरनेशनल लि.,
50/2-3, हनुमान रोड,
नई दिल्ली-110001.
(प्रतिनिधि-हथकरघा निर्यात संवर्धन
परिषद)

15. श्री यू. एम. पटेल, चेयरमेन,
वूल एण्ड वूलन्स इपी काउंसिल,
को/ओ दिनेश मिल्स लि.
पो. बो. नं. 65 पदरा रोड बडौदा।

16. श्री पी. गंगाधरन पिल्लई, चेयरमेन,
केशू इ. पी. काउंसिल,
के/ओ केरल नट फूड कं.
पो. बो. नं. 80 परमेश्वरनगर,
क्विलोन-691001.

17. श्री वी. रामदुराई, चेयरमेन,
बेसिल कैमिकल्स, फारमेसिउटिकल्स एंड
कोस्मेटिक्स इ. पी. काउंसिल प्रेजीडेन्ट,
स्टैंडर्ड एल्काली,
कैमिकल्स डिविजन, दि स्टेन्डर्ड मिल्स क.
लि. मफतलाल सेन्टर, नरीमन प्वाइन्ट
बम्बई-400021.

18. श्री एच. जे. शाह, चेयरमेन,
ओवरसीज कन्स्ट्रक्शन काउंसिल आफ
इण्डिया,
कामर्स सेन्टर, 7 वीं मंजिल,
तारादेव रोड, बम्बई-400034.

19 श्री चन्द्रकांत, सी. सेठ,
चन्द्र इन्डण्ट्रीज, ओल्ड नगरदास रोड,
अंधेरी (ईस्ट), बम्बई-400069
(प्रतिनिधि-प्लास्टिक तथा लिनोलियम
निर्यात संवर्धन परिषद)

20. मुन्ना लाल एम. सेठ, चेयरमेन,
काटन टैक्सटाइल्स इ.पी. काउंसिल,
के/ओ सेठ इन्वेस्टमेंटस एंड ट्रेडिंग कं.
प्रा. लि. 1105, रहेजा चैम्बर्स, 11वीं
मंजिल, रोमन प्वाइन्ट,
बम्बई-4000021

21. श्री मोहनजीत सिह चेयरमैन
एपेरल्स ई० पी० काउंसिल के/ओ
डलफिन इन्टरप्राइजिज जी-5 लक्ष्मी भवन
72, नेहरू प्लेस नई दिल्ली 110010

वस्तु बोर्ड, सरकार द्वारा प्रायोजित संस्थान

22. श्री ओ. पी. आहूजा,
क्षेत्रीय प्रबन्धक,
एक्सपोर्ट क्रेडिट गारन्टी कारपोरेशन आफ
इण्डिया लि. हेरेल्ड हाउन तीसरी मंजिल
5-ए, बहादुरशाह जफर मार्ग,
नई दिल्ली-110002

23. श्री के. एम. चन्द्रशेखर, चेयरमेन,
इलायची बोर्ड बेनर्जी, रोड,
कोचीन-682018

24. श्री सुमन कुमार मोडवल, प्रबन्ध निदेशक
इण्डियन इन्स्टीच्यूट आफ फारन, ट्रेड,
बी-21, इन्स्टीच्यूशनल ऐरिया, साउथ
आप आई. आई. टी.
नई दिल्ली-110016

25. श्री टी. के. ए. नामर, चेयरमेन,
मेरिन प्रोड्क्ट्स एक्सपोर्टस डवलपमेंट
एथोरिटी, वर्ल्ड ट्रेड सेन्टर एम. जी. रोड
एरनाकुलम साउथ, कोचीन-682016

26. श्री के. ओबाया,
एग्जीक्यूटिव निदेशक, ट्रेड डवलपमेंट
एथोरिटी बैंक आफ बडोदा बिल्डिग,
16 पार्लियामेंट स्ट्रीट,
नई दिल्ली-110001

27. श्री एम. एल. वधवा, महाप्रबन्धक,
ट्रेड फेयर एथोरिटी आफ इण्डिया प्रगति
मैदान, लाल बहादुर शास्त्री मार्ग,
नई दिल्ली-110001

(II) व्यापार संघ चैम्बर्स आफ कामर्स अथवा सदृशसंगठन

28. श्री के. के. जैन, अध्यक्ष,
गारमेन्ट्स एक्सपोर्ट्स एसोसिएशन,
609, अशोका एस्टेट 24-बाराखम्बा रोड,
नई दिल्ली-110001

29. श्री ए. वेलायन,
एम्बादी इन्टरप्राइजिज प्रा. लि.
टायम हाउस, 5वीं मंजिल,
28, राजाजी रोड, मद्रास-600001
(प्रतिनिधि-मद्रास चैम्बर्स आफ़ कामर्स एंड
इन्डस्ट्री)

श्रेणी II.

सह-सदस्य निर्वाचन क्षेत्र

II (1) (क) मान्यता प्राप्त निर्यात सदन पिछले वर्ष जिसका निर्यात कारोबार 5 करोड़ रु० और अधिक रहा है।

30. श्री बी. एस. भटनागर,
निदेशक, टाटा एक्सपोर्ट्स लि.
ब्लाक 'ए' शिवसागर एस्टेट,
डा. ए. बी. रोड, वर्ली, बम्बई-400018

31. श्री सी. सी. उदेशी, अध्यक्ष मेट्रो एक्सपोर्ट्स
प्रा. लि. शाह हाउस, 5वीं मंजिल,
शिवसागर एस्टेट, डा. ए. बी. रोड,
वर्ली, बम्बई-400018

II (1) (ख) मान्यता प्राप्त निर्यात सदन पिछले वर्ष जिसका निर्यात कारोबार 5 करोड़ रुपये तक रहा है।

32. श्री आर. पी खोसला,
स्टालवर्ट एक्सपोर्ट्स प्रा. लि., 12ई, वन्दना,
11, टाल्सटाय मार्ग,
नई दिल्ली-110001

33. श्री डी. एम. कोठारी,
प्रबन्धक निदेशक, गुडलास नेरोलैक पेन्ट्स लि., गणपतराव कदम मार्ग, लोअर पेरल,
बम्बई-400013

34. श्री एम. वाई. नूरानी,
मैट्रोपोलिटन ट्रेडिंग कं., 10176 हैनस रोड, वर्ली, बम्बई-400018

35. श्री प्रेम नाथ सूरी, हंस एक्सपोर्ट कारपोरेशन 24-जी. 6, देशबन्धु गुप्ता रोड,
देवनगर, नई दिल्ली-1100005

(i) (ग) मान्यता प्राप्त निर्यात सदन एस. एस. आई. एकक अथवा एस. एस. आई. एककों का सार्थ संघ।

36. श्री रामू एस. दियोरा,
जी. एम. के. लेबोरेट्रीज, बैल बिल्डिंग,
4वी मंजिल, सर पी. एम. रोड,
बम्बई-400001

(ii) कंसल्टंसी कांट्रेक्टर फर्म तथा बैंकिंग इंस्टीट्यूशन

37. श्री बी. वी. चिटनीस, कार्यकारी निदेशक,
टाटा कंसल्टींग इन्जीनियर्स,
34, संत तुकाराम रोड, कारनक,
बम्बई-400009

38. श्री विनोद कुमार चौपड़ा,
सी. 3/150, जनकपुरी,
नई दिल्ली-110058

(iii) (क) प्रतिष्ठान अथवा एकल फार्म जिसका पिछले वर्ष का कारोबार 10 लाख या उससे अधिक रहा।

39. श्री बी. एल. डालमिया,
श्री शंकर इन्डस्ट्रीज, 53 बी., मिर्जा गालिब स्ट्रीट, कलकत्ता-700016

40. श्री एस. पी. सेखरी,
वेलस्प्रिंग यूनिवर्सल, बी. 57, मायापुरी इन्डस्ट्रियल एरिया, फेस 1,
नई दिल्ली-110064

(iii) (ख) प्रतिष्ठान अथवा एकल फर्म जिसका पिछले वर्ष में कारोबार 10 लाख रु० से कम रहा।

41. श्री ओ. पी. मोहन, प्रबन्ध निदेशक
किरण एक्सपोर्ट्स प्रा. लि., एम. 97,
कनाट प्लेस, नई दिल्ली-110001

सहयोजित सदस्य

42. श्री वी. एस. वेंकटरमन, संयुक्त सचिव (ई. ए. सी.), वाणिज्य मन्त्रालय, उद्योग भवन, नई दिल्दी-110011

43. श्री कमलेश शर्मा, संयुक्त सचिव (ई. डी.)
विदेश कार्य मंत्रालय, साउथ ब्लाक,
नई दिल्ली-110011

44. श्री वी. के. सिबल,
संयुक्तसचिव (एफ. टी.),
वित्त मन्त्रालय, नार्थ ब्लाक,
नई दिल्ली-110011

45. श्री सिद्धार्थ काक, निर्यात आयुक्त,
वाणिज्य मन्त्रालय, उद्योग भवन,
नई दिल्ली-110011

46. श्री पी. आर. लेटी, सचिव आई. डी. एण्ड डी. जी. टी. डी. उद्योग मंत्रालय उद्योग भवन-नई दिल्ली-110011

47. श्री एन. एस. हीरा,
संयुक्त विकास आयुक्त,
आयुक्त, विकास आयुक्त का कार्यालय
(एस. एस. आई.), उद्योग
मंत्रालय, निर्माण भवन, ए. विंग
7वीं मंजिल, मौलाना आजाद रोड,
नई दिल्ली-110011

48. श्री एम. आर. गुलाटी, रेजिडेंट प्रतिनिधि,
भारतीय निर्यात आयात बैंक,
चाणिक्य भवन, अफीका एवैन्यू,
नई दिल्ली-110021

विशेष आगन्तिती

49. भाई मोहन सिंह, अध्यक्ष, रेनवाक्सी लेबोरेट्रीज लि. 19 नेहरू प्लेस, नई दिल्ली-110019 (तत्काल विगत अध्यक्ष)

50. श्री डी. एन. पटौडिया,
अध्यक्ष, एफ. आई. सी. सी. आई,
एन. 108, पंचशील पार्क,
नई दिल्ली-110017

51. श्री एन. दत्ता, एफ. ए. एस. आई. आई. म।र्फत फेडरेशन आफ एसोशिएशन आफ काटेज एण्ड स्माल इन्डस्ट्रीज, 21/1/1, ग्रीकरी, कलकत्ता।

विवरण—II

फीयो (एफ. आई. ई. ओ) के अध्यक्ष द्वारा देश और विदेशों में की गई यात्राओं के ब्यौरे जिनमें इन यात्राओं पर किया गया व्यय शामिल है।

विदेशों की यात्राएं	**राशि (रु०)**
I. नवम्बर, 1983 से नवम्बर, 1984 :	
1. सरकारी नियन्त्रण पर श्री एन० डी० तिवारी उद्योग मन्त्री के नेतृत्व में हैनोवर को प्रतिनघि मण्डल (3 से 11 अप्रैल, 1984)	45,424·00
2. स्टाकहोम में कामर्स ऐन्यूमल कन्वेशन के अन्तर्राष्ट्रीय चैम्बर तथा नैदरलैंड, स्वीडन, फिनलैंड, युगोस्लाविया, स्विट्जरलैंड में संयुक्त व्यापार परिषदों की बैठकें (12 से 30 जून, 1984)।	64,622·00
3. सरकारी निमन्त्रण पर भारत-जिम्बाबवे संयुक्त आयोग बैठक-हरारे (10 से 12 सितम्बर, 1984)।	31,130·00

II. दिसम्बर 1984 से अक्टूबर 1985 :

1. ईरान को एफ० आई० ई० ओ० को बहु-विषयक संयुक्त प्रतिनिधि दल (14 से 21 जनवरी, 1985)।	30,918·00
2. सियोल (साउथ कोरिया) में इन्टरनेशनल चम्बर्स आफ कामर्स का छठा वार्षिक सम्मेलन (25 से 30 मार्च, 1985)।	61,840·00
3. भारत-फ्रांस संयुक्त व्यापार परिषद् की चौथी बैठक-पैरिस (प्रधान मन्त्री ने भाग लिया) (5 से 12 जून, 1985)।	55,543·00

III. नवम्बर, 1985 से मार्च, 1986 :

1. भारत जापन व्यापार सहयोग समिति की 18वीं बैठक-टोकियो (प्रधान मन्त्री ने भाग लिया) (28 से 29 नवम्बर, 1985)।	20,971·00

अन्तर देशीय यात्राएं :

दो वर्ष, दिसम्बर, 1983 से दिसम्बर, 1985 के दौरान फीयो प्रबन्ध समिति की 12 बैठकें की गई और पांच बैठकों के लिए दावा है जो बैठकें कोचीन, कलकत्ता, बंगलोर, भुवनेश्वर तथा बम्बई में की गई (केवल विमान भाड़ा जैसा कि फीयो के नियमों और फीयो के स्वीकृत बजट में है) कुल दावा 5 बैठकों के लिए।	11,834·00

निर्यात संवर्धन परिषद की अन्तर्नियमावली में संशोधन

6383. **श्री आनन्द पाठक** : क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निर्यात संवर्धन परिषदों के कार्यकरण, बजट, कोष आदि पर सरकारी नियन्त्रण के लिए सरकार द्वारा सुझाए गए संशोधन खण्डों को किसी निर्यात संवर्धन परिषद ने अपनी अन्तर्नियमावली में शामिल करने से इन्कार किया है या अभी तक शामिल नहीं किया है;

(ख) यदि हां, तो ऐसी परिषदों के नाम क्या हैं;

(ग) क्या आयात और निर्यात नियन्त्रण अधिनियम, 1947 के अन्तर्गत सरकार की मान्यता समाप्त कर दी गई है और यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या ऐसी परिषदों को सरकार के एम० डी० ए० (विपणन विकास सहायता) अनुदान बन्द कर दिये गए हैं और यदि हाँ, तो किस तारीख से;

(ङ) क्या सरकार ने ऐसी परिषदों के विरुद्ध कोई अन्य कार्यवाही भी की है जिनमें ऐसी परिषदों की कार्यकारी समितियों में सरकार के नामांकित व्यक्तियों को वापस बुलाया जाना भी शामिल है ?

वाणिज्य तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) से (ङ) : उन्नीस निर्यात संवर्धन परिषदों में से ग्यारह परिषदों द्वारा संस्था नियमावली में वांछित संशोधन किया गया है। निम्नोक्त सात परिषदें अपनी संस्था नियमावली में अपेक्षित संशोधन करने के लिए कार्यवाही कर रही है :—

1. रसायन तथा एलाइड निर्यात संवर्धन परिषद, कलकत्ता;
2. भारतीय रेशम निर्यात संवर्धन परिषद, बम्बई है;
3. रेशम तथा रेयन निर्यात संवर्धन परिषद, बम्बई;
4. खेल-कूद सामान निर्यात संवर्धन परिषद, नई दिल्ली;
5. चमड़ा निर्यात संवर्धन परिषद, कलकत्ता;
6. कालीन निर्यात संवर्धन परिषद, नई दिल्ली; और
7. बेसिक केमीकल्स, फर्मामेंक्यूटीकल्स तथा प्रसाधन निर्यात संवर्धन परिषद, बम्बई।

केवल एक परिषद अर्थात् परिधान निर्यात संवर्धन परिषद, नई दिल्ली ने सूचित किया है कि उनको सुझाए गए संशोधन वे नहीं कर पायेंगे और अत: 1 अप्रैल, 1985 से उनके अनुदान को रोक दिया गया है। इसके अलावा, इस परिषद के विरुद्ध कोई अन्य कार्यवाही नहीं की गई है। तथापि, वस्त्र मन्त्रालय ने उन्हें अपने निर्णय पर पुन: विचार करने की सलाह दी है।

पटसन उत्पादकों को बोनस

6384. **श्री पीयूष तिरकी** : क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिम बंगाल, जो कि कम खाद्यान्न पैदा करने वाला राज्य था, अपने किसानों के अथक प्रयासों से अब आवश्यकता से अधिक खाद्यान्न पैदा करने वाला राज्य हो गया है;

(ख) भारत से कच्चा पटसन निर्यात करने वाले देशों के नाम क्या हैं और पटसन का प्रति क्विंटल निर्यात मूल्य क्या है तथा उससे कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई है;

(ग) क्या सरकार का भारतीय पटसन निगम को बेचे गये पटसन की रसीद के आधार पर निर्यात व्यापार के माध्यम से विदेशी मुद्रा में अर्जित लाभ से पटसन उत्पादकों को बोनस देने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वस्त्र मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) जानकारी एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जायेगी।

(ख) निर्यात योग्य वेशी के अतिरिक्त सामान्यतः कच्चे पटसन का निर्यात नहीं किया जाता है। तथापि, वार्षिक व्यापार योजनाओं के अन्तर्गत पूर्वी यूरोपीय देशों की निर्यात वचनबद्धताएँ सामान्यतः पूरी की जा रही है। चालू पटसन में मौसम 1985-86 के दौरान कच्चे पटसन का निर्यात मुख्य रूप से सोवियत संघ, पोलैण्ड, ब्रिटेन, आदि को किया गया है और कीमतें पति क्विंटल 292·68 रु० से 520·90 रु० के बीच रहीं। अब तक लगभग 31,508 गांठों की कुल मात्रा का, जिसका मूल्य 2·61 करीड़ रु० है, निर्यात किया गया है।

(ग) तथा (घ) : भारतीय पटसन निगम द्वारा कच्चे पटसन के निर्यात पर अर्जित लाभ न्यूनतम होने से तथा कच्चे पटसन का निर्यात किसी लाभ/हानि बांटने की योजना के अन्तर्गत नहीं किया जाता है अतः निर्यातों पर होने वाले लाभों का उपजकर्ताओं को अन्तरण करने का प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

कृषि उत्पादों के निर्यात में गिरावट

6385. **श्री काली प्रसाद पांडेय** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या कृषि उत्पादकों की सन्देहास्पद गुणवता के कारण उनके निर्यात में अचानक गिरावट आई है ?

वाणिज्य तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री (श्री पी० शिव शंकर) : भारत से कृषिगत उत्पादों के निर्यातों में पिछले कुछ वर्षों के दौरान क्रमिक वृद्धि होती रही है। हमारे निर्यातों के क्वालिटी नियन्त्रण पहलू पर निर्यातों का लदानपूर्व निरीक्षण तथा मानकीकरण करने के जरिये समुचित महत्त्व दिया जा रहा है। कृषिगत निर्यात की बहुत सी मदों विपणन तथा निरीक्षण निदेशालयों द्वारा मोनीटर की जा रही "एगमार्क" विशिष्टियों के कार्य क्षेत्र में आती हैं। निर्यात निरीक्षण अभिकरण लदानपूर्व निरीक्षण करके कुछ कृषिगत वस्तुओं को कवर करता है और इन प्रयासों के परिणामस्वरूप हमारे कृषिगत निर्यातों की स्वीकार्य क्वालिटी सुनिश्चित हुई है।

[अनुवाद]

आयकर की बकाया राशि में वृद्धि

6386. **सतीश चन्द्र सिन्हा** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बड़े औद्योगिक गृहों की कम्पनियों और उनकी सहायक कम्पनियों की ओर आयकर की बकाया राशि में तीव्र वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं और उन कम्पनियों का ब्यौरा क्या है, जिनकी ओर 31 मार्च, 1986 को उनके उद्योग समूह द्वारा देय राशि सहित आय कर की एक करोड़ रुपये से अधिक राशि बकाया थी; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या अग्रेतर कार्रवाही करने पर विचार किया जा रहा है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जर्नादन पुजारी) : (क) और (ख) : एकाधिकार अवरोधक और व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 की धारा 20 के अन्तर्गत पंजीकृत (31-12-1984 पर आधारित) व्यापारिक प्रतिष्ठानों की तरफ 10 लाख रु० से अधिक की आयकर मांगें निम्नानुसार हैं :—

	मांग बकाया (रु० करोड़ों में)	वसूली योग्य नहीं बनी मांग (रु० करोड़ों में)
31-3-1985 की स्थिति के अनुसार	162·34	123·23
31-12-1985 की स्थिति के अनुसार	157·43	99·25

ऐसे व्यापारिक प्रतिष्ठानों की सूची विवरण के रूप में संलग्न है जिनकी तरफ 31-12 1985 की स्थिति के अनुसार एक करोड़ रु० से अधिक की आयकर मांग बकाया थी।

(ग) प्रत्येक मामले की वस्तु-स्थिति पर निर्भर करते हुए, बकाया मांग को वसूल करने के लिए कानून के अनुसार समुचित उपाय किए जाते हैं। इन उपायों में आयकर अधिनियम की धारा 226 (3), 179 और 222 के अन्तर्गत कार्यवाही करना शामिल है।

विवरण

क्रम सं०	समूह का नाम कर-निर्धारिती का नाम	कुल बकाया मांग	वसूली योग्य नहीं बनी मांग
1	2	3	4
		(रु० लाखों में)	
	बजाज		
1.	हिन्दुस्तान शुगर मिल्स, लि०	218·37	218·37
	बिरला		
2.	हिन्दुस्तान अल्युमिनियम कार्पोरेशन लि०	133·10	34·70
3.	जियाजीराव कॉटन मिल्स लि०	274·58	274·58
4.	रेणु शुगर पावर क० लि०	332·00	332·00
	एस्कॉट		
5.	एस्कॉर्ट लिमि०	384·14	269·40

1	2	3	4
	जे० के० सिंघानियां		
6.	जे० के० सिंथेटिक्स लिमि०	495·18	22·27
7·	रेमण्ड वूलन मिल्स लिमि०	204·93	162·49
8.	स्ट्रा प्रॉडक्ट्स लिमि०	123·98	123·98
	कमानी		
9.	के० ई० सी० इन्टरनेशनल लिमि०	1041·98	230·81
	कपाडिया		
10.	कपाडिया कंस्ट्र० क० (प्रा०) लिमि०	196·92	—
	मोदी		
11.	मोदी इंडस्ट्रीज लिमि०	593·45	593·45
12.	मोदी रबड़ लिमि०	2347·41	2347·41
	नायडु जी० वी०		
13.	साऊथ इण्डिया विस्कोस लिमि०	231·86	—
	नवभारत		
14.	नवभारत फैरो एलॉयस लिमि०	367·50	367·50
	नौरासजी वाडिया		
15.	बॉम्बे डाइंग एण्ड मैन्यू० क० लिमि०	140·73	—
	ओबेराय एम० एस०		
16.	ओबेरॉय होटल्स (आई०) लिमि०	159·91	159·91
	साराभाई		
17.	अम्बालाल साराभाई एन्टरप्राइजेज लिमि०	313·50	313·50
18.	स्वास्तिक हाउस होल्ड इण्डस्ट्रीयल प्रॉडकट्स लिमि०	273·82	255·43
19.	सिनबायोटिक्स लिमि०	292·80	292·80
	श्रीराम		
20.	डी० सी० एम० लिमि०	223·07	223.07
21.	जय इंजीनियरिंग वकर्स लिमि०	118·67	118·67

1	2	3	4
	श्रीयान प्रसाद जैन		
22.	ध्रंगंध्रा कैमिकल्स प्रा० लिमि०	404·62	226·67
	स्वान मिल्स		
23.	स्वान मिल्स लिमि०	151·28	55·05
	टाटा		
24.	आन्ध्र वैली पावर सप्लाई क० लिमि०	351·36	29·63
25.	इण्डियन होटल क० लिमि०	165·46	165·46
26.	टाटा कैमिकल्स लिमि०	200·38	200·38
27.	टाटा इन्जीनियरिंग एण्ड लोकोमोटिव क० लिमि०	616·24	28·61
28.	टाटा हाइड्रो इलैक्ट्रिक पावर सप्लाई क० लिमि०	235·83	21·91
29.	टाटा पावर क. लिमि.	587·38	63·10
	यूनाइटेड ब्रीवरीज		
30.	मैक डोवेल एण्ड क० लिमि०	685·55	58·44
31.	हेचिस्ट इण्डिया लिमि०	143 52	138·25
	वी रामकृष्ण		
32·	इलैकॉन इन्जीनियरिंग लिमि०	119·91	118·00
	वालचन्द नागर		
33.	वालचन्द्र नागर इण्डट्रीज लिमि०	180·14	180·14
34.	स्वदेशी पोलिटैक्स लिमि०	321·98	58·11
35·	टाटा टी क० लिमि०	235·92	235·92
	योग :	12,866·90	4,946·89

पश्चिम बंगाल में पर्यटक स्थलों का पता लगाना

6387. **श्री अतीश चन्द्र सिन्हा** : क्या संसदीय कार्य और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिम बंगाल में बड़ी संख्या में पर्यटक स्थल हैं जिनका अब तक केन्द्रीय सरकार के पर्यटन निदेशालय द्वारा पता नहीं लगाया गया था और उनका पहले पता लगाने से काफी बड़ी संख्या में विदेशी पर्यटक आए होते और काफी विदेशी मुद्रा प्राप्त हुई होती;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य और कारण क्या है; और

(ग) केन्द्रीय सरकार द्वारा पुर्वी क्षेत्र में और अधिक पर्यटक स्थलों का पता लगाने के लिए क्या कारवाई किए जाने का विचार है ?

संसदीय कार्य और पर्यटन मंत्री (श्री एच० के एल भगत) : (क) : जी, नहीं। पर्यटन विभाग ने पश्चिम बंगाल सरकार से परामर्श करके पश्चिम बंगाल राज्य में ऐसे 15 केन्द्रों का अभिनिर्धारण किया है, जिनका केन्द्र, राज्य और निजी क्षेत्र के मिश्रित संसाधनों द्वारा अवस्थाबद्ध रूप से विकास किया जाना है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) विकास करने के लिए देशभर में पर्यटक स्थलों और स्थानों का अभिनिर्धारण करना एक सतत प्रक्रिया है और इसे सरकार सामान्य रूप से करती रहती है।

आय कर दाता

6388. **श्री बसुदेव आचार्य** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत पांच वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष में आयकर देने वाले व्यक्तियों का ब्यौरा क्या है;

(ख) प्रत्येक "स्लैब" में आयकर दाताओं की संख्या कितनी है और इस अवधि में वर्ष-वार आंकड़ों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं;

(ग) क्या यह सच है कि आयकर योग्य आय के बहुत छोटे अंश को आयकर के अन्तर्गत लाया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं;

(ङ) क्या इस दिशा में कोई अध्ययन किया गया है; और

(च) यदि, हां, तो उसके निष्कर्ष क्या हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जर्नादन पुजारी) : (क) और (ख) : इस संबंध में सूचना विवरण I और II में दी गई है जो कि इस उत्तर के भाग हैं।

(ग) अदा की गयी आयकर की राशि को आयकर अधिनियम 1961 के अन्तर्गत उपलब्ध विभिन्न कानूनी छूटों के कारण होने वाली आय/लाभ के साथ नहीं जोड़ा जा सकता।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ङ) और (च) : सरकार इस पहलू को निरन्तर समीक्षा करती रहती है और इस संबंध में समय-समय पर उपयुक्त वैधानिक उपाय किए जाते रहते हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि आयकर अधिनियम 1961 के अन्तर्गत स्वीकार्य विभिन्न कर रियायतों से कर योग्य आय इतनी कम न हो जाए कि कर-देयता ही समाप्त हो जाए अथवा कर देयता अत्यधिक कम हो जाए।

विवरण I

कर निर्धारितियों की कुल संख्या

	31·3·1981	31·3·1982	31·3·1983	31·3·1984	31·3·1985
व्यष्टि	34,89,577	35,21,151	36,11,938	36,38,074	36,46,638
हि० अ० प०	2,34,483	2,32,521	2,40,867	2,72,708	2,60,084
फर्में	7,53,718	7,86,240	8,00,470	8,54,860	8,74,912
कंपनियां	44,125	46,324	49,504	52,951	58,478
अन्य	72,722	74,514	94,481	1,13,501	97,545
कुल	45,94,425	46,60,750	48,97,260	49,32,094	49,37,637

विवरण II

31·3· 1981 की स्थिति के अनुसार कर निर्धारितियों की श्रेणी-वार ब्यौरा

	व्यष्टि	हिन्दू अविभाजित परिवार	फर्में	कंपनियां	अन्य	कुल
कर योग्य सीमा से नीचे	7,63,242	51,079	1,00,120	22,077	39,576	9,76,094
कर योग्य सीमा से ऊपर परन्तु 25,000/- रु० तक	19,08,034	1,22,907	3,00,926	9,133	22,734	23,63,734
25,001/- रु० से 50,000/ रु० तक	6,50,333	46,627	2,04,230	4,338	6,655	9,11,823
50,001 रु० से 1,00,000 रु० तक	1,52,116	12,735	1,11,972	2,867	2,933	2,82,623
1,00,001 रु० से 5,00,000 रु० तक	14,826	1,438	34,993	3,211	744	55,212
5,00,000 रु० से अधिक	826	57	1,477	2,499	80	4,939
कुल :	34,89,377	2,34,483	7,53,718	44,125	72,722	45,94,425

31·3·1982 की स्थिति के अनुसार, आय-खण्डों के अनुसार कर-निर्धारितियों का ब्यौरा

	व्यष्टि	हि० अ० प०	फर्म	कम्पनियां	अन्य	कुल
कर योग्य सीमा से नीचे	922185	51352	109922	23015	37775	1144249
कर योग्य सीमा से ऊपर परन्तु 25,000/- रु० तक	1751912	117591	301916	10572	23032	2205023
25,000 रु० से 50,000 रु० तक	677820	47610	217781	3713	9749	956673
50,001 रु० से 1,00,000 रु० तक	151886	14254	118617	2780	2882	260419
1,00,001 रु० से 5,00,000 रु० तक	16448	1671	36353	3427	960	58859
5,00,000 रु० से ऊपर	900	43	1651	2817	116	5527
कुल :	3521151	232521	786240	46324	74514	4660750

31·3·1983 की स्थिति के अनुसार कर निर्धारितियों का आय के खंडों के अनुसार ब्यौरा

	व्यष्टि	हि० अ० प०	फर्में	कम्पनियां	अन्य	कुल
कर योग्य सीमा से नीचे	918524	64269	121732	24598	55197	1184320
कर योग्य सीमा से ऊपर परन्तु 25,000 रु० से नीचे	1821999	111773	297280	10618	24218	2265888
25,001/- रु० से 50,000 रु० तक	683795	50037	226544	4648	9604	974628
50,001/- रु० से 1,00,000 रु० तक	171738	13034	114375	2941	3649	305737
1,00,001 रु० से 5,00,000 रु० तक	15408	19695	38984	3754	1596	61437
5,00,000 रु० से ऊपर	474	59	1555	2945	217	5250
कुल :	3611938	240867	800470	49504	94481	4797260

31·3·1984 की स्थिति के अनुसार कर निर्धारितियों का श्रेणी वार ब्यौरा

	व्यष्टि	हि० अ० प०	फर्में	कम्पनियां	अन्य	कुल
कर योग्य सीमा से नीचे	9,05,982	75,514	1,19,666	28,180	58,183	11,87,525
कर योग्य सीमा से ऊपर परन्तु 25,000 रु० तक	17,36,551	1,17,891	3,16,538	10,343	26,609	22,07,932
25,001 रु० से 50,000 रु० तक	7,57,811	53,862	2,41,373	4,132	15,784	10,72,962
50,001 रु० से 1,00,000 रु० तक	2,06,947	16,539	1,27,649	3,520	9,572	3,64,227
1,00,001 रु० से 5,00,000 रु० तक	30,231	8,841	47,703	3,788	3,151	93,712
5,00,000 रु० से ऊपर	553	61	1,931	2,990	262	5,736
कुल	36,38,075	2,72,707	8,54,860	52,951	1,13,501	49,32,094

31·3·1985 की स्थिति के अनुसार कर निर्धारितियों का श्रेणी-वार ब्यौरा

	व्यष्टि	हि० अ० प०	फर्में	कम्पनियां	अन्य	कुल
कर योग्य सीमा से नीचे	9,38,879	73,735	1,35,451	27,463	44,992	12,20,520
कर योग्य सीमा से ऊपर परन्तु 25,000 रु० तक	17,25,692	1,14,650	3,10,765	13,506	26,065	21,90,678
25,001 रु० से 50,000 रु० तक	7,39,339	52,893	2,41,970	5,360	13,974	10,53,536
50,001 रु० से 1,00,000 रु० तक	2,15,878	15,952	1,39,493	4,601	7,441	3,83.365
1,00,001 रु० से 5,00,000 रु० तक	25,922	2,767	45,341	3,953	4,904	82,887
5,00,000 रु० ऊपर	928	87	1,892	3,595	169	6,671
कुल	36,46,638	2,60,084	8,74,912	58,478	97,545	49,37,657

महानगरों में बैंक डकैतियां

6389. **श्री साइमन तिग्गा :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता और मद्रास में गत तीन वर्षों के दौरान बैंक डकैतियों का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त नगरों में नगर-वार और वर्ष-वार लूटी गई राशि का ब्यौरा क्या है; और

(ग) बैंक डकैतियों की रोकथाम के लिए सरकार ने क्या कारंवाई की है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जर्नादन पुजारी) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और यथा उपलब्ध सूचना सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) राज्य सरकार से, जो मूलतः कानून और व्यवस्था बनाये रखने के लिये जिम्मेदार हैं, बैंक डकैती लूटपाट की घटनाओं को रोकने के लिए उचित निरोधक उपाय करने का अनुरोध किया गया है। बैंकों की सुरक्षा-व्यवस्था की बारीकी से जांच करने और उसमें सुधार करने के लिये सुझाव देने के वास्ते सरकार द्वारा उच्च शक्ति प्राप्त एक कार्यकारी दल का गठन किया गया था। कार्यकारी दल की सिफारशों के अनुसार, बैंकों ने अन्य बातों के साथ-साथ, प्रबन्धकों को सुरक्षा उपायों पर सलाह देने के लिए मुख्य सुरक्षा अधिकारियों की नियुक्ति कर दी है। मुख्य सुरक्ष अधिकारियों की सलाह पर बैंकों ने सुरक्षा की दृष्टि से कमजोर शाखाओं का पता लगा लिया है और परिसर की सुरक्षा को मजबूत करने और सुरक्षा गार्ड तैनात करने के लिव विभिन्न चरणों में कारंवाई आरम्भ कर दी है। सरकार ने सरकारी क्षेत्र के बैंकों के मुख्य सुरक्षा अधिकारियों की एक बैठक भी बुलाई थी और उसमें बैंक परिसरों के अन्दर अनेक सुरक्षा-प्रबन्धों को मजबूत बनाने की आवश्यकता पर फिर से जोर दिया गया था। इस बैठक में बैंकों को जोखिम के अनुसार अपनी शाखाओं को वर्गीकृत करने और अधिक जोखिम वाली शाखाओं में उन्नत सुरक्षा प्रबन्ध करने की सलाह दी गयी है।

पर्यटन को एक उद्योग के रूप में मान्यता देना

6390. **प्रो० नारायण चन्द पराशर :** क्या संसदीय कार्य और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किसी राज्य ने छठी पंचवर्षीय योजना और सातवी पंचवर्षीय योजना के प्रथम वर्ष के दौरान पर्यटन को एक उद्योग के रूप में मान्यता प्रदान की है;

(ख) यदि हां, तो ऐसा करने वाले राज्यों के नाम क्या हैं; और

(ग) इस मान्यता के परिणामस्वरूप पर्यटन को क्या विभिन्न प्रोत्साहन और लाभ प्राप्त होंगे ?

संसदीय कार्य और पर्यटन मन्त्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) और (ख) हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मेघालय और अरूणाचल प्रदेश राज्यों ने पर्यटन को उद्योग के रूप

में घोषित कर दिया है, जबकि उड़ीसा, राजस्थान और पश्चिम बंगाल राज्यों ने होटलों को उद्योग के रूप में घोषित किया है।

(ग) सरकार पर्यटन से संबद्ध कार्यकलापों के लिए अनेक रियायतें प्रोत्साहन देती है जिनमें ये शामिल हैं—एम० आर० टी० पी० एक्ट से होटलों को छूट, नए होटलों को आय-कर से छूट, उच्चतर मूल्यह्रास, विनिर्दिष्ट पिछड़े क्षेत्रों में होटलों के लिए केन्द्रीय इमदाद, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम और अन्य केन्द्रीय वित्तीय संस्थाओं द्वारा दिए गये होटल ऋणों पर ब्याज इमदाद, विदेशी मुद्रा प्रोत्साहन कोटा, होटलों द्वारा वास्तविक प्रयोग के लिये आयात की गई अनेक मदों पर सीमा-शुल्क में रियायत, टेलीफोन/टैलेक्स कनेक्शनों, एल० पी० जी० का प्राथमिकता से आबंटन, पर्यटक कार प्रचालकों को पर्यटक कारों की खरीद करने और पर्यटक कोचों का निर्माण करने के लिये रियायती दरों पर ऋण की मंजूरी, यात्रा अभिकर्ताओं और यात्रा प्रचालकों द्वारा विदेशों की संवर्धनात्मक यात्राएं करने और वाहनों (एक वर्ष में दो), कार्यालय उपकरणों, आदि का आयात करने के लिए प्रोत्साहन कोटा।

पर्वतीय राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पर्याप्त धनराशि का नियतन

6391. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या संसदीय और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत पर्यटन विकास निगम छठी योजना में जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, नागालैण्ड आदि जैसे पर्वतीय राज्यों में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पर्याप्त धनराशि देना सुनिश्चित करता रहा है;

(ख) यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान देश के लिए कुल आबंटित राशि की तुलना में प्रत्येक पर्वतीय राज्य/संघ राज्य क्षेत्र को कितनी प्रतिशत राशि का आबंटन किया गया और प्रत्येक के आबंटन के आंकड़े क्या हैं;

(ग) इन क्षेत्रों की प्राकृतिक सुन्दरता और पर्वतीय राज्यों और क्षेत्रों में बड़ी संख्या में तीर्थस्थानों के स्थित होने को ध्यान में रखते हुए पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इन क्षेत्रों को कोई प्राथमिकता दी गई है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) क्या सातवीं पंचवर्षीय योजना में नई रेलवे लाइनें बिछाने, नई सड़कें और पुल बनाने तथा अन्य सुविधाएं प्रदान करने सहित परिवहन संसाधनों को उच्च प्राथमिकता देने का विचार है ?

संसदीय कार्य और पर्यटन मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) से (ङ) : भारत पर्यटन विकास निगम किन्हीं विशेष परियोजनाओं को, केवल उनकी वाणिज्यिक व्यवहार्यता अथवा राज्य सरकारों या अन्य अभिकरणों से प्राप्त सहयोग प्रस्तावों के आधार पर, प्रारम्भ करता हैं। छठी योजना के दौरान पहाड़ी राज्यों संघ शासित प्रदेशों में पर्यटन के संवर्धन से संबंधित परियोजनाओं के लिए भारत पर्यटन विकास निगम द्वारा किया गया खर्च इस प्रकार है :—

राज्य का नाम	किया गया खर्च (लाख रुपयों में)	प्रदान की गई सुविधाएं
1	2	3
1. हिमालय प्रदेश	0·31	(क) कुल्लु में यात्री-गृह में 6 कमरे (22 शय्या) (ख) मनाली में यात्री-गृह में 10 कमरे (30 शय्या)
2. जम्मू और कश्मीर	17·86	(क) जम्मू में होटल (ख) पर्यटन विभाग की तरफ से श्रीनगर में ध्वनि-व-प्रकाश प्रदर्शन (ग) भारत पर्यटन विकास निगम गुलमर्ग में 153 लाख रु० की अनुमानित लागत पर 30 कमरों वाले एक 4-स्टार होटल की भी स्थापना कर रहा है।
3. मेघालय	0·20	शिलांग में पाइनवुड होटल का परिचालन
4. अरुणाचल प्रदेश	10·05	इटानगर में 80 लाख रुपए की अनुमानित लागत पर संयुक्त उद्यम होटल

संसाधनों पर लगे प्रतिबंधों के कारण, भारत पर्यटन विकास निगम की सातवीं योजना में पहाड़ी राज्यों में परिवहन सुविधाएं जुटाने के लिए किसी भी प्रस्ताव की परिकल्पना नहीं की गई है।

सातवीं योजना में हिमाचल प्रदेश में तीर्थ-स्थानों के पर्यटन को प्रोत्साहन

6392. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या संसदीय कार्य और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान हिमाचल प्रदेश में, विशेषकर पवित्र स्थानों जैसे रिवालसर (मंडी जिला), टाबो तथा क्येमोनस्टरियो (लाहौल स्पीति जिला), जिन्हें उत्तर का अजन्ता कहा जाता है, तीर्थ स्थानों के पर्यटन के संवर्धन की भारी संभावना होने की ओर गया है;

(ख) यदि हां, तो परिवहन, आवास इत्यादि के संबंध में पर्यटकों के लिए विभिन्न सुविधायें देने हेतु केन्द्रीय सरकार तथा भारतीय पर्यटन विकास निगम द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या सातवीं पंचवर्षीय योजना में इस सम्बन्ध में कोई कदम उठाने का विचार है ?

संसदीय कार्य और पर्यटन मन्त्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) पर्यटन विभाग को हिमाचल प्रदेश की पर्यटन संभाव्यताओं के बारे में जानकारी है। तथापि, रिवालसर, टाबो और क्ये मोनस्टरियों जैसे स्थानों पर सुविधाओं का विकास करने के बारे में राज्य सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) और (ग) : राज्य सरकार ने नैनादेवी, शिमला और कांगड़ा में यात्रिकाओं/धर्मशालाओं का निर्माण करने के लिए प्रस्ताव भेजे हैं। भूमि के हस्तांतरण के बारे में औपचारिकताएं पूरी कर लेने के बाद इन पर कार्रवाई प्रारम्भ की जायेगी। पोंग डैम, रेनुमा झील और तीर्थन में लॉग हट्स का निर्माण करने संबंधी राज्य सरकार के प्रस्ताव पर भी कार्रवाई की जा रही है। इसके अलावा, राज्य सरकार से राज्य में एक यात्री निवास का निर्माण करने के लिए पर्यटन विभाग से वित्तीय सहायता हेतु प्रस्ताव भिजवाने के लिये अनुरोध किया गया है।

इससे पहले, विभाग ने मनाली में एक क्लब हाउस का निर्माण करने और साथ ही साथ नौकाओं तथा ट्रैकिंग उपकरणों आदि की व्यवस्था करने के लिए राज्य सरकार को सहायता प्रदान की थी।

1984-85 और 1985-86 के दौरान राजस्व प्राप्ति

6393. **श्री सलीम आई० शेरवानी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वित्तीय वर्ष 1984-85 और 1985-86 के दौरान कुल कितना राजस्व प्राप्त हुआ; और

(ख) 1984-85 और 1985-86 के दौरान सीमा शुल्क, उत्पादन शुल्क, निगमित कर और आयकर से अलग-अलग कुल कितना राजस्व प्राप्त हुआ और प्रत्येक शीर्ष के अन्तर्गत राजस्व वसूल करने पर अलग-अलग कितना व्यय हुआ ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) वर्ष 1984-85 तथा 1985-86 के दौरान राजस्व की कुल वसूली निम्नानुसार रही—

(करोड़ रुपयों में)

1984-85	1985-86
22988·36	26319·02
(सभी उपकर शामिल हैं चाहे वे केन्द्रीय उत्पादन शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड द्वारा वसूल किए गए अथवा नहीं किए गए)	(आयकर राजस्व के आंकड़े केवल फरवरी माह तक के हैं) (इसमें केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा सीमा शुल्क बोर्ड द्वारा वसूल नहीं किए गए उपकर शामिल नहीं हैं।

(ख) वर्ष 1984-85 तथा 1985-86 के दौरान सीमा शुल्क, उत्पादन शुल्क निगम कर तथा आयकर की वसूली से प्राप्त कुल राजस्व के अलग-अलग आंकड़े तथा वसूली की लागत के आंकड़े निम्नानुसार हैं—

	1984-85		1985-86	
	कुल राजस्व (करोड़ रुपयों में)	वसूली की लागत (करोड़ रुपयों में)	कुल राजस्व (करोड़ रुपयों में)	वसूली की लागत (करोड़ रुपयों में)
1. सीमा शुल्क	7040·52	64·97	9501·97	90·15 (अंतिम आवश्यकता)
2. उत्पादन शुल्क	11150.84	66.41	12799.83	80·55 (अंतिम आवश्यकता)
3. निगम कर	2555·90	11·34	1896·43 (फरवरी 1986 तक)	13·02 (संशोधित अनुमान)
4. आयकर	1927·76	79·39	1927·82 (फरवरी, 1986 तक)	91·15 (संशोधिषत अनुमान)

कम्प्यूटरों पर सीमा-शुल्क

6394. **श्री सलीम आई० शेरवानी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

निम्नलिखित मामलों में कम्प्यूटरों के आयात पर वसूल की जाने वाली सीमा-शुल्क की प्रभावी दर क्या है—

(1) विद्यार्थियों द्वारा निजी प्रयोग हेतु शिक्षा के प्रयोजन के लिए (एक) सामान्य प्रक्रिया के अन्तर्गत आयात करने पर (दो) साथ लाये गये/साथ न लाये गए निजी सामान के रूप में आयात करने पर;

(2) किसी व्यक्ति द्वारा निजी कम्प्यूटर के रूप में व्यावसायिक प्रयोग के लिए, (एक) सामान्य प्रक्रिया के अन्तर्गत आयात करने पर (दो) साथ लाये गये/साथ न लाये गये निजी सामान के रूप में आयात करने पर;

(3) कम्पनियों/फर्मों/व्यापारिक गृहों द्वारा औद्योगिक प्रयोग के लिए।

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : किसी छात्र अथवा किसी व्यवसायी अथवा किसी कम्पनी या किसी फर्म द्वारा व्यापार की सामान्य प्रक्रियाओं द्वारा आयात किए गये कम्प्यूटरों पर शुल्क की दर मूल्यानुसार 200 प्रतिशत है। मूल्यानुसार 60 प्रतिशत की रियायती दर से शुल्क लगाया जाता है यदि आयात किये जाने वाला कम्प्यूटर भारत में निर्माण किए जा रहे कम्प्यूटरों की किस्म से भिन्न किस्म का हो और इस सम्बन्ध में इलैक्ट्रानिकी विभाग द्वारा प्रमाण-पत्र दिया जाता है तथा छूट दिए जाने की सिफारिश की जाती है।

64 के तक के व्यक्तिगत स्मृति कम्प्यूटरों के मामले में, जब इनका आयात साथ लाए गए असबाब के साथ किया जाता है, नि:शुल्क छूट से अधिक 2000 रु० के मूल्य के लिए शुल्क की दर मूल्यानुसार 170 प्रतिशत हैं। शेष मूल्य पर शुल्क मूल्यानुसार 240 प्रतिशत होगा। उपर्युक्त किस्म के व्यक्तिगत कम्प्यूटर पर, जब उनका आयात साथ न लाए गए असबाब के रूप में किया जाता है उनके संपूर्ण मूल्य के लिए मूल्यानुसार 240 प्रतिशत शुल्क लगाया जाता है।

निर्धारित शर्तों को पूरे करने वाले कतिपय किस्म के बड़े फ्रेम के उच्च गति वाले कम्प्यूटरों को सीमा शुल्क से पूर्ण छूट दी हुई है।

भारतीय खाद्य निगम में संयुक्त सलाहकार मशीनरी का गठन

6395. **श्री काली प्रसाद पाण्डेय** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय खाद्य निगम का उन पांच संघों, जिनके साथ निगम काफी समय से सम्पर्क बनाए रहा है, के साथ चर्चा न करने के क्या कारण हैं;

(ख) इस प्रकार की चर्चा कब आयोजित करने का प्रस्ताव है;

(ग) क्या प्रबन्धकों का विचार पांच राष्ट्रीय संघों के साथ मजदूरों की मांगों सम्बन्धी सभी प्रश्नों पर चर्चा करने के लिए एक संयुक्त सलाहकार मशीनरी गठित करने का हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

योजना तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ए० के० पंजा) : (क) और (ख) सरकारी मान्यता प्राप्त होने तक, भारतीय खाद्य निगम का प्रबन्ध अखिल भारत का प्रतिनिधित्व करने का दावा करने वाली इसकी पांच यूनियनों के साथ समय-समय पर बातचीत करता रहा है।

(ग) फिलहाल संयुक्त सलाहकार मशीनरी का गठन करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(घ) यूनियनों को संयुक्त सलाहकार मशीनरी में अपने प्रतिनिधि भेजने होते हैं। इस समय भारतीय खाद्य निगम के सामने 40 से भी अधिक ऐसी यूनियनें आयी हैं जोकि कर्मचारियों के विभिन्न समूहों के समर्थन का दावा करती है। पड़ताल प्रणाली के माध्यम से यूनियनों के प्रतिनिधित्व के स्वरूप का पता लगाने विषयक प्रश्न सर्वोच्च न्यायालय में लम्बित पड़ा हुआ है। जब तक इस प्रश्न के बारे में फैसला नहीं हो जाता है तब तक संयुक्त सलाहकार मशीनरी का गठन करना व्यवहार्य नहीं होगा।

जापान को निर्यात

6396. **श्री सैयद शाहबुद्दीन** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) येन के अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य में वृद्धि तथा इसके फलस्वरूप रुपए के मूल्य में गिरावट को ध्यान में रखते हुए गत तीन वर्षों के दौरान जापान को कितने मूल्य की वस्तुओं का निर्यात किया गया;

(ख) विभिन्न मुख्य वस्तुओं के निर्यात में वर्ष-प्रति-वर्ष वृद्धि की दर क्या थी;

(ग) क्या सुनियोजित निर्यात संवर्धन के लिए कुछ विशिष्ट गैर-परम्परागतवस्तुओं को चुना गया है; और

(घ) यदि हां, तो उनके नाम क्या हैं और उनकी मात्रा और मूल्य दोनों की दृष्टि से क्या लक्ष्य निर्धारित किये गए हैं?

वाणिज्य तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) भारत के निर्यात आंकड़े मौजूदा कीमतों पर रुपयों में रखे जाते हैं। चूंकि विनियम दरों में समय-समय पर उतार चढ़ाव होते रहे हैं और संविदा प्रायः डालर के आधार पर होती हैं अतः रुपये सापेक्ष जापानी येन के अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य में वृद्धि के कारण निर्यातों के मूल्य को ठीक करने में कठिनाई होती है। रुपया आधार पर गत तीन वर्षों के दौरान जापान को किए गये निर्यातों का मूल्य नीचे दिये गए अनुसार है—

1982-84	833·61 करोड़ रु०
1983-84	825·68 करोड़ रु०
1984-85	451·39 करोड़ रु०
अप्रैल-सितम्बर	

(ख) जापान को किए गए निर्यातों की प्रमुख मदों में 1984-85 के दौरान हुए निर्यातों की तुलना में इस प्रकार रही—

(मूल्य लाख रुपये में)

वस्तु	1983-84	1984-85	प्रतिशत वृद्धि
लौह अयस्क	25729	30132	17·5%
समुद्री उत्पाद	24023	26036	8·38%
चमड़ा तथा चमड़ा उत्पाद	10464	12796	22·2%
हीरे तथा रत्न व आभूषण	10040·52	16691·71	18·88%
परिधान	*2365	*4045	1·04%

*कैलेंडर वर्ष 1984 तथा 1985

(ग) तथा (घ) विशिष्ट मदें जैसे इन्जीनियरिंग माल, सिले-सिलाए परिधान, रत्न और आभूषण तथा चमड़ा व चमड़ा उत्पाद जापान को दिए जाने वाले निर्यातों के लिये थ्रस्ट मदों के रूप में अभिज्ञात की गई हैं। निर्यातों की मात्रा तथा मूल्य मांग तथा, बाजार स्थितियों पर निर्भर होंगी।

भारत-नेपाल सीमा पर सामानों की तस्करी

6397 **श्री सैयद शाहबुद्दीन** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1983, 1984 तथा 1985 के दौरान भारत-नेपाल सीमा के आर-पार भारत में कितने मूल्य के सामानों की तस्करी किये जाने का अनुमान है;

(ख) इन वर्षों के दौरान नेपाल द्वारा कितने मूल्य के सामानों का, जिनकी प्रायः भारत में तस्करी की जाती है, आयात किया गया;

(ग) क्या नेपाल सरकार के साथ इस सम्बन्ध में कोई विचार-विमर्श हुआ है कि वह अपनी वास्तविक आवश्यकता तक ही ऐसे सामानों का वायु मार्ग अथवा समुद्र के रास्ते सीमित रखे;

(घ) क्या भारत-नेपाल सीमा पर सामान के लाने-ले-जाने पर लगे वर्तमान नियंत्रण को उठाने का कोई प्रस्ताव है, जैसाकि दोनों देशों के नागरिक के एक-दूसरे देश में जाने-आने पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है;

(ङ) क्या भारत और नेपाल के बीच एक साझा बाजार बनाने का कोई प्रस्ताव है; और

(च) इस सीमा पर सीमा शुल्क, नियंत्रण तथा तस्करी-निवारण कार्यक्रमों पर प्रतिवर्ष कितना प्रशासनिक व्यय होता है ।

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) सरकार को मिली रिपोर्टों और किये गए अभिग्रहणों से यह पता चलता है कि भारत-नेपाल सीमा तस्करी की गतिविधियों के लिये सुगम्य क्षेत्र बना हुआ है । तथापि, चूंकि तस्करी चोरी-छिपे किया जाने वाला एक धंधा है, इसलिए भारत-नेपाल सीमा के आर-पार तस्करी के माल के मूल्य का कोई उचित अनुमान लगाना व्यवहार्य नहीं हैं । वर्ष 1983, 1984 और 1985 के दौरान भारत-नेपाल सीमा-क्षेत्र में पकड़े गए निषिद्ध माल का मूल्य निम्नलिखित है—

वर्ष	मूल्य (करोड़ रुपयों में)
1983	1·93
1984	1·80
1985	6·08

(ख) वर्ष 1983, 1984 और 1985 के दौरान कलकत्ता पत्तन के जरिए नेपाल द्वारा आयातित संवेदनशील माल का मूल्य निम्नलिखित है—

वर्ष	मूल्य (करोड़ रुपयों में)
1983	21·83
1984	24·95
1985	19·95

(ग) भारत सरकार और नेपाल की महामहिम की सरकार के बीच व्यापार की, पारगमन की संधियाँ और अनधिकृत व्यापार पर नियंत्रण रखने के लिए सहयोग हेतु समझौता किया गया है जिनके तहत अन्तर-सरकारी समिति की अविधिक बैठकें बुलाने की व्यवस्था की गई है, ताकि उक्त संधियों तथा समझौते को प्रभावी और सदभावपूर्ण ढंग से कार्यान्वित करने में सुविधा हो । दोनों देशों को समझौते के अनुसार सीमा के आर-पार अनधिकृत व्यापार को रोकने के लिए सभी ऐसे उपाय करने अपेक्षित हैं ।

(घ) फिलहाल, भारत-नेपाल सीमा के आर-पार सीमाशुल्क नाकों को हटाने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(ङ) भारत और नेपाल के बीच में एक साझा बाजार खोलने का अभी कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(च) वर्ष 1985-86 के दौरान सीमाशुल्क निवारक समाहर्तालय, पटना के लिए सीमा शुल्क नियंत्रण की प्रशासनिक लागत, जिसमें संबद्ध खर्चे भी शामिल हैं, लगभग 3·5 करोड़ रुपए हैं ।

राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा धनराशि को बट्टे खाते में डालने के बारे में नियम

6398. श्री जगन्नाथ पटनायक : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा धन को बट्टे खाते में डालने सम्बन्ध नियम क्या हैं ; और

(ख) सामान्य रूप से इस बारे में निर्णय किस स्तर पर लिया जाता है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) सरकारी क्षेत्र के सभी बैंकों सहित वाणिज्यिक बैंक हर साल अपनी वार्षिक आमदनी में से संदिग्ध और अशोध्य ऋणों के अपने दायित्व को पूरा करने के लिये अपने सांविधिक लेखा परीक्षकों की तसल्ली के अनुसार कुछ व्यवस्था करते हैं और इस प्रकार की गई व्यवस्था में से उन ऋणों को बट्टे खाते में डाल देते हैं जिन्हें बैंक के प्रबन्धक अन्ततोगत्वा वसूल न हो सकने वाला मान लेते हैं इन ऋण राशियों को तभी बट्टे खाते डाला जाता है जब इनकी वसूली के सभी उपाय निष्फल हो जाएं और बैंक के अनुसार बट्टे खाते डालने के सिवाय और कोई चारा न रहे । अशोध्य ऋणों को बट्टे खाते डालने का अधिकार आमतौर पर निदेशक मण्डल में निहित होता है लेकिन बहुत छोटी रकमों को बट्टे खाते डालने के अधिकार आमतौर पर मुख्य कार्यपालकों या वरिष्ठ कार्यपालकों को दे दिए गए हैं ।

राष्ट्रीय कपड़ा निगम (डब्ल्यू० बी० ए० बी० ओ०) में घाटा

6399. श्री मनोरंजन भक्त : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय कपड़ा निगम (डब्ल्यू० बी० ए० बी० ओ०) का कुल सचित घाटा कितना है;

(ख) राष्ट्रीय कपड़ा निगम (डब्ल्यू० बी० ए० बी० ओ०) की अब तक कुल बकाया राशि कितनी है;

(ग) 28 फरवरी, 1986 को राष्ट्रीय कपड़ा निगम (डब्ल्यू० बी० ए० बी० ओ०) के कुल कितने मुकदमें विचाराधीन थे और उनमें कितनी धनराशि अन्तर्ग्रस्त थी; और

(घ) उक्त धनराशि की वसूली के लिये क्या उपाय किये जा रहे हैं ?

वस्त्र मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) एन० टी० सी० (डब्ल्यू० बी० ए० बी० ओ०) की 1974-75 से जनवरी, 1986 तक कुल संचयी निवल घाटा लगभग 164·36 करोड़ रुपए का है ।

(ख) अब तक कुल बकाया राशि लगभग 6·20 करोड़ रु० की है ।

(ग) तथा (घ) लगभग 2·72 करोड़ रु० की बकाया देय राशि वसूल करने के लिए एन० टी० सी० (डब्ल्यू० बी० ए० बी० ओ०) लि० द्वारा 24 मामले दायर किये गए हैं 12·47 लाख रुपए की राशि के 27 मामले विभिन्न पार्टियों ने एन० टी० सी० (डब्ल्यू० बी० ए०

बी० ओ०) के खिलाफ दायर किए हैं। सम्बन्धित पार्टियों से देय राशि वसूल करने के लिए अनुषंगी निगमों द्वारा प्रयत्न किए जा रहे हैं। कुल मामलों में, जहां अनुषंगी निगम बकाया राशि वसूल नहीं कर सका, अनुषंगी निगम द्वारा उन पार्टियों के खिलाफ मुकद्‌दमा दायर किया गया है।

अंडमान-निकोबार द्वीप-समूह में पर्यटन को बढ़ावा देना

6400. **श्री मनोरंजन भक्त** : क्या **संसदीय कार्य तथा पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने संघ राज्य क्षेत्र अण्डमान-निकोबार द्वीप-समूह में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिये कुछ कदम उठाने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य बातें क्या हैं;

(ग) क्या सरकार का भारतीय पर्यटकों के लिये जनता होटल जैसे होटल बनाने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो उस सम्बन्ध मे क्या कदम उठाये गये हैं ?

संसदीय कार्य और पर्यटन मन्त्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) से (ग) अण्डमान और निकोबार द्वीप-समूह में कुछ द्वीप-समूहों का विकास चयनात्मक आधार पर पर्यटन के उद्देश्य से करने के बारे में सरकार ने सैद्धान्तिक रूप में अपनी सहमति दे दी है। सिंक द्वीप में एक जेटी के निर्माण हेतु सर्वेक्षण कराने के लिए अभी हाल ही में 4·48 लाख रुपए की राशि रिलीज की गई है और पोर्टब्लेयर में एक यात्री निवास के निर्माण के लिए 39·22 लाख रुपए की स्वीकृत राशि में से 15·00 लाख रुपए रिलीज किए गए। पर्यटन विभाग ने संघ शासित प्रशासन को फिर से कहा है कि वे अंडमान द्वीप-समूह में पर्यटक आधार संरचना का विकास करने के लिए और अधिक स्कीमें बनाएं।

शत्रु सम्पत्ति अभिरक्षा के कार्यालय का स्थानांतरण

6401. **श्री मनोरंजन भक्त** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शत्रु सम्पत्ति अभिरक्षक का कार्यालय बम्बई से कलकत्ता स्थानान्तरित किये जाने की सम्भावना है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मन्त्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) जी नहीं।

(ख) कलकत्ता में पहले से ही भारतीय शत्रु सम्पत्ति अभिरक्षक का एक शाखा कार्यालय 1978 से कार्यरत हैं।

मैरिन ड्राइव को कोणार्क से हरचंडी तक बढ़ाना

6402. **श्री बृज मोहन महन्ती** : क्या संसदीय कार्य और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का सातवीं पंचवर्षीय योजना में उड़ीसा में पर्यटन की संभावनाओं में वृद्धि करने हेतु मैरिन ड्राइव को ब्राह्मण गिरि प्रखंड में कोणार्क से हरचंडी तक बढ़ाने का कोई विचार है;

(ख) क्या वर्तमान मैरिन ड्राइव को हरचंडी तक बढ़ाने के प्रस्ताव पर उड़ीसा सरकार से विचार विमर्श किया गया है;

(ग) यदि हां, तो इस पर उनकी क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) क्या राज्य सरकार ने मैरिन ड्राइव की पूरी लम्बाई का सर्वेक्षण किया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या केन्द्रीय सरकार को भी इस कार्य में सहभागी बनाया गया है;

(छ) यदि हां, तो राज्य में पर्यटन सम्वर्द्धन के लिये इसकी क्षमता को कोई मूल्यांकन किया गया है; और

(ज) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य और पर्यटन मन्त्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) से (ज) : जी, नहीं। राज्य सरकार से ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

कपड़ा मिलों का बन्द होना

6403. **श्री चिन्तामणि जैना** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक राज्य में 31 विसम्बर, 1985 को कितनी कपड़ा मिलें बन्द पड़ी थीं और वे कितने समय से बन्द पड़ी हैं;

(ख) इन मिलों के बन्द होने के मुख्य कारण क्या है;

(ग) प्रत्येक राज्य में 31 दिम्सबर, 1985 तक सरकार ने बन्द पड़ी शेष कपड़ा मिलों का प्रबन्ध सरकार द्वारा अपने हाथ में लिये जाने की मांग की है; और

(घ) इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या निर्णय लिया है ?

वस्त्र मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) 31-12-85 को इन बन्दी पड़ी सूती वस्त्र मिलों का राज्यवार ब्यौरा दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ख) ये मिलें कई कारणों से बन्द हुई, जैसे श्रमिक असंतोष, वित्तीय कठिनाइयां तथा प्लांट तथा मशीनरी का अप्रचलित होना।

(ग) 30 ऐसी मिलें थी, जिनका प्रबन्ध 31 दिसम्बर, 1985 को सरकार ने अपने हाथ में ले लिया। इनमें से कोई भी मिल बन्द नहीं हुई।

(घ) समय-समय पर विभिन्न राज्य सरकारें अपने-अपने राज्यों में बन्द पड़ी वस्त्र मिलों के अधिग्रहण के लिए सरकार को अभ्यावेदन करती रही हैं।

(ङ) जैसा कि नई वस्त्र नीति में दिया गया है भारत सरकार द्वारा किसी भी रुग्ण/बन्द ड़पी वस्त्र मिल का अधिग्रहण करने का प्रस्ताव नहीं है।

विवरण

क्र० सं०	राज्य का नाम	31-12-1985 को बन्द पड़ी वस्त्र मिलों के नाम	बन्द होने की तारीख
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	दिवान बहादुर रामगोपाल मिल्स लिमिटेड, इलचिगुदा, सिकन्दराबाद।	26-3-84
2.	—वही—	श्री रामचन्द्र स्पीनिंग मिल्स, पंडालपाक	10-8-84
3.	बिहार	बिहार काटन मिल्स लि० फलवाशरिफ पटना	20-7-82
4.	गुजरात	गुजरात स्पीनिंग मिल्स, अहमदाबाद	6-4-84
5.	—वही—	कैलाश मिल्स प्रा० लि०, उम्बागांव	31-1-83
6.	—वही—	श्री मन्दवी स्पी० मिल्स, मंदवी, कच्छ	2-9-83
7.	—वही—	मानचौक अहमदाबाद मैन्यू० कं० लि०, अहमदाबाद।	14-12-76
8.	—वही—	बालकिया मिल्स कं० लि०, अहमदाबाद	12-3-82
9.	—वही—	मरसदन स्पी० एंड मैन्यु, कं० लि० अहमदाबाद	19-10-82
10.	—वही—	मोनोग्राम मिल्स कं० लि०, अहमदाबाद	19-10-82
11.	—वही—	सिल्वर काटन मिल्स लि०, अहमदाबाद	14-6-84
12.	—वही—	तरुण कमर्शियल मिल्स, लि०, अहमदाबाद	7-3-84

1	2	3	4
13.	गुजरात	अहमदाबाद काटन मैन्यु कं० लि० नं० 1 (बगीचा मिल), अहमदाबाद।	1-6-84
14.	—वही—	अहमदाबाद काटन मैन्यु० कं० लि०, नं० 2 (हिमभाई मैन्यु) अहमदाबाद।	1-6-84
15.	—वही—	सारंगपुर काटन मिल्स लि०,, नं० 2, अहमदाबाद।	14-4-84
16.	—वही—	अभय मिल्स लि०, अहमदाबाद	1-4-86
17.	—वही—	न्यू स्वदेशी मिल्स आफ अहमदाबाद लि०, अहमदाबाद	18-6-84
18.	—वही—	मंजुश्री टेक्सटाइल्स, अहमदाबाद	18-6-84
19.	—वही—	श्री बंशीधर स्पी० एंड वीवि० मिल्स लि०, अहमदाबाद।	16-9-85
20.	—वही—	कर्मशियल अहमदाबाद मिल्स कं०, लि०, अहमदाबाद।	26-10-85
21.	—वही—	महाराणा मिल्स प्रा० लि०, पोरबन्दर	13-2-83
22.	—वही—	नवज्योति मिल्स लि०, कादी	18-12-83
23.	—वही—	हिसार टेक्सटाइल्स मिल्स, हिसार	16-11-83
24.	हरियाणा	उषा स्पी० एंड वीवि० मिल्स, फरीदाबाद।	20-5-83
25.	—वही—	श्री कृष्णाराजेन्द्रम मिल्स, लि०, मैसूर	5-6-85
26.		नन्दी हासबी टेक्सटाइल मिल्स लि०, नरगांव	16-2-85
27.	केरल	केरल स्पीनर्स लि०, एलपेय	28-11-85
28.	—वही—	कोठायी काटन मिल्स, अलावे	14-11-85

1	2	3	4
29	महाराष्ट्र	मुवेश टेक्सटाइल मिल्स (प्रा०) लि०, बम्बई	18-1-82
30.	,,	ब्राडबरी मिल्स लि०, बम्बई	17-8.83
31.	,,	कौहिनूर मिल्स कं० लि० नं०3, बम्बई	अक्टूबर नवम्बर 1983
32.	,,	श्रीनिवास काटन मिल्स लि०, बम्बई	23-3-84
33.	,,	खन्डेश स्पि० एण्ड वी० मिल्स प्रा० लि०, खण्डेश जलगांव	9-8-84
34.	,,	राजन (टेक्सटाइल) मिल्स लि०, बरसी	27-6-84
35.	,,	किरण स्पि० मिल्स, थाना	6-11-83
36.	,,	यशवन्व सहकारी सूत गिरनी नियामत, भोर।	6-3-85
37.	,,	विश्व भारती स्पि० एण्ड वी० कोआपरेटिव सोसाइटी लि०, भिवण्डी	20-2-84
38.	,,	नान्देद उत्पादक सहकारी सूत गिरनी मर्यादित, नान्देद	उपलब्ध नहीं
39.	उड़ीसा	उड़ीसा स्पि० मिल्स कं० लि० (कलिंगा टैक्सटाइल्स प्रा०,) राजगंगापुर, उड़ीसा	15-5-81
40.	पंजाब	भारत कामर्स एंड इंडस्ट्रीज लि०, राजपुरा।	13-12-85
41.	राजस्थान	जयपुर स्पि० एण्ड वी० मिल्स, जयपुर।	16-4-82
42:	,,	सुदर्शन टैक्सटाइल्स, कोटा	6-3-85
43.	राजस्थान	पोद्दार स्पि० मिल्स, जयपुर	2-8-85
44.	,,	कृष्णा मिल्स लि०, ब्यावर, राजस्थान	14-8-83

1	2	3	4
45.	राजस्थान	मेवाड़ टैक्सटाइल्स मिल्स, भीलवाड़ा	31-5-84
46.	तमिलनाडु	वसन्ता मिल्स लि०, सिंगानुलूर कोयम्बतूर	13-11-84
47.	"	मटूर टैक्सटाइल, मटूर डेम (तमिलनाडु)	16-8-85
48.	"	श्री पदमा मिल्स कलपट्टी, कोयम्बतूर	22-2-81
49.	"	तमिलनाडु स्पि० मिल्स लि०, तिरुपुर	8-6-81
50.	"	श्री जनार्दन मिल्स प्रा० लि०, कोयम्बतूर	7-8-83
51.	"	भगवान टैक्सटाइल, कोयम्बतूर	15-12-83
52.	"	जल्लाराम स्पि० मिल्स, कोयम्बतूर	8-7-83
53.	"	श्री कृष्णा स्वामी मिल्स, कुमारापलायम	1-1-84
54.	"	श्री हरि मिल्स प्रा० लि०	9-4-84
55.	"	सलवालक्ष्मी मिल्स लि०, तिरुपुर	14-4-83
56.	"	मुथुलक्ष्मी मिल्स प्रा० लि० कोयम्बतूर	2-11-85
57.		राधा स्पिनिंग मिल्स, तिरुपुर	9-8-82
58.	"	श्री महाविष्णु टैक्सटाइल मिल्स (प्रा०) लि०, कोइमबटूर	9-8-82
59.	"	श्री रामालक्ष्मी स्पिनर्स प्रा० लि०, कोइमबटूर।	14-3-85
60.	"	नारायण कृष्णा स्पिनर्स, उदमलपत।	11-8-85
61.	"	भवानी मिल्स, कोइमबटूर	17-9-85
62.	"	तिरुपुर टैक्सटाइल प्रा० लि० तिरुपुर	12-8-85
63.	"	के० सी० एस० स्पिनर्स, कोइमबटूर	अप्रैल 85

1	2	3	4
64.	तमिलनाडु	मेतुराम स्पिनिंग मिल्स, फोलाछी	13-3-84
65.	"	समबन्दम सिवनिंग मिल्स, सालेम	19-8-85
66.	"	श्री वास्वी स्पिनिंग मिल्स, थिरुक्कोविलुर	8-4-84
67.	उत्तर प्रदेश	मदन इंडस्ट्रीज लि० हस्तिनापुर	8-8-84
68.	"	जे० के० मैन्युफैक्चरर्स लि० कानपुर	1-10-76
69.	"	मोदी स्पिनिंग एण्ड वीविंग मिल्स, कं० लि०, मोदीनगर	5-8-83
		(क) माडर्न स्पिनर्स लि० (मोदी स्पिनर्स)	
		(ख) विशाल सिनटैक्स लि० (मोदी सिनटैक्स लि०)	3-10-84
70.	पश्चिम बंगाल	बगोदिया काटन सिल्स, पनीहट्टी, 24, परगनाज	21-1-84
71.	"	इंडिया लिनोलियमस लि० (विक्टोरिया डिवीजन) छुशरी हावड़ा।	16-2-82
72.	"	श्री हनुमान काटन मिल्स, फुलेश्वर हावड़ा।	2-7-84
73.	"	सक्तीगढ़ टैक्सटाइल्स एंड इंड० लि० बुर्दवान प० बंगाल	16-10-85
74.	"	दि जनरल इंडस्ट्रीयल सैक० लि० (काटन मिल्स डिवीजन) चंपादनी	30-10-85
75.	पश्चिम बंगाल	बिरला जूट मैन्यू० क० लि० (स्टेपल फाइबर डिवीजन) पो० आ० बिरलापुर-24 परगनाज	24-10-85
76.	"	एंगलो फेंच टैक्सटाइल्स लि० पांडिचेरी	4-7-83
77.	गुजरात	दि फाइन निटिंग कं० लि०, अहमदाबाद	10-7-70
78.	तमिलनाडु	श्री कोठनड्रेम स्पिनिंग मिल्स, मदुरै।	22-12-67

महाराष्ट्र के कोंकण क्षेत्र से "एल्फेंसो" किस्म के आमों का निर्यात

6404. **प्रो मधु दण्डवते** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि महाराष्ट्र का कोंकण क्षेत्र, विशेष रूप से इस क्षेत्र के सिन्धु, दुर्ग और रत्नगिरि जिले "एल्फसो" किस्म के उत्तम कोटि के आमों के लिये प्रसिद्ध है, जिनका निर्यात किया जा सकता है; और

(ख) यदि हाँ, तो क्या विदेशी मुद्रा अर्जित करने की दृष्टि से इस किस्म के आमों के निर्यात के लिए विशेष सुविधाएं दी जायेंगी ?

वाणिज्य तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) जी हां ।

(ख) आमों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न सुविधाएं उपलब्ध हैं, जिनमें शामिल हैं नकद मुआवजा सहायता, पैंकिग सामग्री तथा अन्तर्निविष्ट साधनों के लिए आयात प्रतिपूर्ति लाइसेंस और पैंकिग सामग्री के लिए शुद्ध वापसी । आमों का निर्यात खुले सामान्य लाइसेंस के अधीन करने की अनुमति है । समझा जाता हैं कि आमों का उत्पादन बढ़ाने के लिए, राज्य सरकार (i) फल फसलों की खेती के लिए पूंजी उपदान (ii) छोटे किसानों को दीर्घविधि ऋण और (iii) औल्फेंसी आमों की खेती के लिए छोटे किसानों को 50% पूंजी उपदान देकर सहायता कर रहा है ।

पूंजी निर्गम के लिए बहुराष्ट्रीय सिगरेट कम्पनियों के आवेदनों को मंजूरी

6405. **श्री राम भगत पासवान** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि गत तीन वर्षों के दौरान पूंजी निर्गम के लिये बहुराष्ट्रीय सिगरेट कम्पनियों के आवेदनों को बिना किसी उपयुक्त जाँच के स्वीकृति प्रदान की गई है; और

(ख) यदि नहीं, तो गत तीन वर्षो के दौरान पूंजी निर्गम के लिये जिन आवेदनों को स्वीकृति प्रदान की गई है उनका ब्यौरा क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) पूंजी निर्गम नियंत्रक द्वारा पूंजी निर्गम के लिए किसी भी आवेदन-पत्र को उचित जाँच किए बिना अनुमोदित नहीं किया गया था ।

(ख) पिछले 3 वर्षा में बहु-राष्ट्रिक सिगरेट कम्पनियों से पूंजी निर्गम के लिए प्राप्त आवेदन पत्रों का ब्यौरा इस प्रकार है :—

कम्पनी का नाम	राशि (लाख रुपये)	निर्गम की किस्म
भारतीय तम्बाकू	300·00	ऋण-पत्र
कम्पनी	296·23	सामान्य शेयर
(आई० टी० सी०)	296·23	सामान्य शेयर

[हिन्दी]

"बिना कर्ज लिए ऋणी बने ग्रामीण कर्जदार"

6406. **श्री काली प्रसाद पाण्डेय** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 10 फरवरी, 1986 के "पाटली पुत्र टाइम्स" में "बिना कर्ज लिए कर्जदार बने ग्रामीण" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है जिसमें यह कहा गया है कि बैंक अधिकारी अनेक क्षेत्रों में ग्रामीणों पर जुल्म कर रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार बिहार में ऐसे मामलों की जांच करने के बाद कोई ठोस कदम उठाने का है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जी, हां।

(ख) भारतीय रिजर्व बैंक से जांच करने और उसने पश्चात् रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है।

[अनुवाद]

महाराष्ट्र में चीनी कारखानों की स्थापना करने सम्बन्धी प्रस्ताव

6407. **श्री बनवारी लाल पुरोहित** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की करेंगें कि :

(क) क्या महाराष्ट्र में गन्ने की पर्याप्त व व्यापक संभाव्यता को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने सातवीं पंचवर्षीय योजनाविधि के दौरान राज्य में नये चीनी कारखानों की स्थापना के लिये लाइसेंस देने के बारे में केन्द्रीय सरकार के पास प्रस्ताव भेजा है;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार द्वारा प्राप्त प्रस्तावों का पूर्ण ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार द्वारा अन्तिम निर्णय कब तक लिये जाने की संभावना है ?

योजना तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० के० पांजा) : (क) और (ख) हाल ही में एक नई चीनी फैक्ट्री अर्थात् शिवशक्ति आदिवासी मगासवर्गीय सहकारी शक्कर कारखाना लिमिटेड, पहुरजीरा, तालुक शेगांव, जिला बुलढाना को स्थापित करने के लिए लाइसेंस प्रदान करने हेतु केवल एक आवेदन-पत्र, दिनांक 21 मार्च, 1986 को प्राप्त हुआ है।

(ग) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान अतिरिक्त क्षमता के लिए लाइसेंस प्रदान करने हेतु अपनाए जाने वाले मार्गदर्शी सिद्धान्तों को दर्शाने वाली लाइसेंसिंग नीति तैयार की जा रही है। इन मार्गदर्शी सिद्धान्तों को मूर्त रूप दिए जाने के बाद ही इस आवेदन-पत्र के बारे में निर्णय लिया जा सकता है।

सातवीं योजना के दौरान हथकरघा क्षेत्र के विकास के लिए परिव्यय

6408. **श्री सतीश चन्द्र सिन्हा** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि योजना आयोग ने सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान हथकरघा क्षेत्र के विकास के लिए अन्तिम रूप से परिव्यय की स्वीकृति दे दी है ;

(ख) क्या आवास और कार्य शेडों के लिए बुनकरों की मूल आवश्यकताओं पर कोई ध्यान दिया गया है;

(ग) क्या बिहार और पश्चिम बंगाल राज्यों ने उक्त दोनों आवश्यकताओं के लिये कोई विशिष्ट मांग की थी;

(घ) यदि हां, तो उक्त प्रत्येक मुद्दों के बारे में तथ्य क्या हैं; और

(ङ) सातवीं योजना में शश्चिम बंगाल और बिहार के लिए हथकरघा क्षेत्र हेतु कितना परिव्यय निर्धारित करने का विचार है ?

वस्त्र मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) जी हां।

(ख) जी हां।

(ग) तथा (घ) (i) योजना आयोग ने 7 वीं योजना के दौरान हथकरघा उद्योग के विकास के लिए केन्द्रीय क्षेत्र में करोड़ 168 करोड़ रु० तथा राज्य/संघ क्षेत्र में 344.56 करोड़ रु० के परिव्यय की स्वीकृति दी है।'

(ii) सातवीं योजना में हथकरघा बुनकरों के लिए केन्द्रीय प्रयोजित वर्कशेड-सह-आवास योजना के कार्यान्वयन के लिए केन्द्रीय क्षेत्र में 11 करोड़ रु० तथा 1985-86 में 1 करोड़ रु० का परिव्यय रखा गया है। इस योजना को केन्द्र तथा इस योजना को कार्यान्वित कर रही राज्य सरकारों, संघ राज्य क्षेत्रो द्वारा समान अंशदान के आधार पर कार्यान्वित किया जाना है।

(iii) पश्चिम बंगाल सरकार ने वर्कशेड-सह-आवास योजना को कार्यान्वित करने के लिए 1985-86 में 5 लाख रु० की केन्द्रीय सहायता मांगी थी। पश्चिम बंगाल सरकार को इस योजना के लिए 1985-86 के दौरान 5 लाख रु० की केन्द्रीय सहायता दी गई है।

(iv) बिहार सरकार से 1985-86 के लिए बिहार राज्य में वर्कशेड-सह आवास योजना कार्यान्वित करने के लिए कोई विशिष्ट अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है।

(ङ) योजना आयोग ने हथकरघा उद्योग के विकास के लिए राज्य आयोजना स्कीमों के अन्तर्गत पश्चिम बंगाल तथा बिहार राज्यों के लिए क्रमश: 32 करोड़ रु० तथा 14.2 करोड़ रु० का परिव्यय अनुमोदित किया है।

केन्द्रीय क्षेत्र योजना के अन्तर्गत हथकरघा उद्योग के विकास के लिए राज्य सरकार, संघ राज्य क्षेत्रों को केन्द्रीय सहायता के लिये केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्य सरकारों द्वारा किए गए कार्यनिष्पादन के आधार पर धन रिलीज किया जाता है और जहां ऐसी योजनाओं को कार्यान्वित कर रही राज्य सरकारों द्वारा आवश्यक होता है उतना ही अंशदान किया जाता है।

आई० एस० ओ० कंटेनर डिपो का कार्य निष्पादन

6409. **श्री अमर सिंह राठवा :**

श्री मोहन भाई पटेल : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि विभिन्न स्थानों पर कार्य कर रहे आई० एस० ओ० कंटेनर डिपो देश में आयात और निर्यात में वृद्धि के सम्बन्ध में किस प्रकार सहायक है ?

वाणिज्य तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री (श्री पी० शिव शंकर) : अन्तर्देशीय कन्टेनर डिपो (आई. सी. डी.) एक खुले परिवहन दस्तावेज के आधार पर विदेशी गन्तव्य स्थानों को पत्तनों से दूर स्थित अन्तर्देशीय स्थलों से कन्टेनरों में निर्यात कार्गो की बुकिंग करने में मदद करते हैं। इसी प्रकार इन केन्द्रों पर विदेशी सप्लायरों से सीधे आयात कार्गो भी प्राप्त किए जा सकते हैं। अन्तर्देशीय कन्टेनर डिपुओं पर निर्यात तथा आयात कार्गो की सीमा शुल्क सम्बन्धी जांच के लिए सुविधाएं उपलब्ध हैं। निर्यातकों और आयातकों के लिए कार्गो को बुक करने अथवा उसकी डिलीवरी लेने संबंधी औपचारिकताएं अन्तर्देशीय कन्टेनर डिपुओं पर पूरी की जाती है। निर्यातक आई० सी० डी० पर निर्यात कार्गो बुक होने के तुरन्त बाद ऋण सुविधाओं ओर निर्यात लाभ को प्राप्त कर सकते हैं।

भारतीय खाद्य निगम, राज्य व्यापार निगम और खनिज तथा धातु व्यापार निगम के माध्यम से गेहू का निर्यात

6410. **श्री यशवंतराव गडाख पाटिल** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारतीय खाद्य निगम, राज्य व्यापार निगम और खनिज तथा धातु व्यापार निगम के माध्यम से अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों पर गेहू के निर्यात की अनुमति देने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस निर्यात के कारण कितनी हानि होने की संभावना है ?

वाणिज्य तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) से (ग) सरकार ने गेहूं के निर्यात सीमित मात्रा में प्राधिकृत किये हैं; जिससे आवश्यक खाद्य मदों के आयातों में सुविधा होगी। बिक्रियां अन्तर्राष्ट्रीय प्रचलित कीमतों पर की जाएंगी। गेहूं के निर्यात में अन्तर्ग्रस्त लाभ अथवा हानि उन कीमतों पर निर्भर करेगा जिन पर संविदाएं की जा सकती हैं।

औद्योगिक विकास के लिए भारतीय औद्योगिक ऋण तथा निवेश निगम लिमिटेड को विश्व बैंक तथा एशियाई विकास बैंक से दिए गए ऋण का उपयोग

6411. **श्री यशवन्तराव गडाख पाटिल** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय औद्योगिक ऋण तथा निवेश निगम लिमिटेड को औद्योगिक विकास के लिए विश्व बैंक तथा एशियाई विकास बैंक से कुल 400 मिलियन डालर का ऋण स्वीकृत किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त ऋणों का उपयोग किस प्रकार करने का विचार है तथा उस ऋण को अदा करने की शर्तों का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) : औद्योगिक निर्यात (इंजीनियरी उत्पाद) परियोजना के लिए विश्व बैंक के साथ 21 जनवरी, 1986 को कुल मिलाकर 25 करोड़ डालर की राशि के एक ऋण के करारों पर हस्ताक्षर किए गए—इसमें से 9 करोड़ डालर की राशि भारत सरकार के लिए और शेष 16 करोड़ डालर की राशि भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम के लिए है जिसके लिए भारत सरकार ने गारंटी दी है। इस परियोजना का उद्देश्य विनिर्मित वस्तुओं की खास तौर से इंजीनियरी उपक्षेत्र की वस्तुओं की प्रतियोगितात्मकता और निर्यातों को बढ़ाने के भारत सरकार के कार्यक्रम के क्रियान्वयन में सहायता देना है। भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम को दिये गए ऋणों से निर्यातोन्मुखी उप-परियोजनाओं के सम्बन्ध में उपऋणों के विदेशी मुद्रा भाग का वित्तपोषण किया जाएगा। विश्व बैंक ऋण की वापसी अदायगी 5 वर्ष की रियायती अवधि सहित 20 वर्षों में की जाएगी और इस पर मानक परिवर्तनीय ब्याज दर पर, जो इस समय 8.5 प्रतिशत वार्षिक है, ब्याज पड़ेगा।

एशियाई विकास बैंक ने उत्पादक गैर सरकारी और संयुक्त क्षेत्र के औद्योगिक उद्यमों की विदेशी मुद्रा आवश्यकताओं के वित्त पोषण के लिए भारत सरकार की गारंटी के साथ 3 अप्रैल

1986 को भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम के लिए 10 करोड़ डालर के एक ऋण का अनुमोदन कर दिया है। एशियाई विकास बैंक ऋण की वापसी अदायगी पांच वर्ष की रियायती अवधि सहित 15 वर्ष में की जाएगी और इस पर 9.65 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज लगेगा।

अरब देशों का भारत में पूंजी निवेश

6412. **श्री चिरंजी लाल शर्मा** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 1 फरवरी, 1986 के हिन्दुस्तान टाइम्स में" अरब्स कीन इन स्टेपिंग अप इन्वेस्टमेंट शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार अरब देशों को भारत में पूंजी निवेश के लिये सहमत करने हेतु क्या कदम उठा रही है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) इस समाचार में उस शिष्टमण्डल द्वारा कायम की गई राय की ओर संकेत किया गया है, जिसने हाल ही में कुछ अरब देशों की यात्रा की थीं। इस सम्बन्ध में सरकार को भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग मण्डल की फेडरेशन से अभी तक कोई ब्यौरा प्राप्त नहीं हुआ है।

(ग) तेल निर्यातक विकासशील देशों से निवेश आकर्षित करने के लिए सरकार ने, अक्टूबर, 1980 में (दिनांक 28 अक्टूबर, 1980 की प्रेस विज्ञप्ति के द्वारा जिसकी एक प्रति सभा पटल पर रखी गई। [**ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 2498/86**] एक विशेष सुविधा स्थापित करने की घोषणा की थी। यही सुविधा अब तक बराबर चली आ रही है। इस सुविधा के सम्बन्ध में प्रचार करने के लिए भारतीय निवेश केन्द्र का एक कार्यालय अब्बूदावी में भी कार्यरत है।

भारतीय पटसन निगम द्वारा सातवीं योजना में पटसन की खरीद

6413. **श्री अमर राय प्रधान** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय पटसन निगम द्वारा सातवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान प्रति वर्ष खरीदे जाने वाले पटसन सम्बन्धी आंकड़े क्या हैं;

(ख) पटसन खरीद किस दर पर की जायेगी; और

(ग) इस प्रयोजन के लिये कितनी धन राशि का नियतन किया गया है ?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) से (ग) भारतीय पटसन

निगम (जे० सी० आई०) का अधिप्राप्ति लक्ष्य उपलब्धता तथा मूल्य स्थिति को देखते हुए वर्ष-दर-वर्ष आधार पर निर्धारित किया जाता है तथा इसका इंडेन्ट राष्ट्रीय पटसन विनिर्माण निगम (एन० जे० एम० सी०) तथा राज्य स्वामित्व वाली पटसन मिलों द्वारा दिया जाता है। तथापि, कीमत समर्थन संचालन के अन्तर्गत अधिप्राप्ति "खुले मुख वाली" रखी जाती है तथा भारतीय पटसन निगम सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम सर्वाधिक कीमत पर उत्पादकों द्वारा दी गई कच्चे पटसन मेस्टा की संपूर्ण मात्रा की अधिप्राप्ति कर लेता है। भारतीय रिजर्व बैंक कीमत समर्थन संचालन के लिए "यथा आवश्यक" आधार पर आवश्यक ऋण भी रिलीज करता है।

समझौता आयोग के पास लम्बित पड़े मामले

6414. **श्रीमती गीता मुखर्जी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1983 के बाद समझौता आयोग को (आयकर और संपत्ति कर) के कितने मामले भेजे गए और कितने मामले आयोग द्वारा स्वीकार किये गये;

(ख) कुल कितने मूल्य के आयकर, धनकर का मूल्यांकन किया गया तथा समझौता आयोग के निर्णय के परिणाम-स्वरूप कितने मूल्य का आयकर, धनकर वसूल किया गया;

(ग) समझौता आयोग के सम्मुख कौन-कौन से मामले कितने-कितने वर्षों से लम्बित पड़े हैं;

(घ) कर अधिकारियों द्वारा कर निर्धारितियों की तलाशी लेने और माल जब्त किये जाने के बाद कितने मामले समझौता आयोग के सम्मुख लाये गये;

(ङ) क्या 1983 के बाद इस प्रकार के भी मामले सामने आये हैं जिनमें एक व्यक्ति द्वारा एक बार से अधिक अपना मामला समझौता आयोग के सम्मुख लाया गया हो; और

(च) यदि हां, तो 1983 से अब तक प्रति वर्ष कितने मामले सामने आये हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) यह सूचना नीचे दी गई :—

(i) **प्राप्त हुए आवेदन-पत्रों की कुल संख्या**

वित्तीय वर्ष जिसमें आवेदन पत्र प्राप्त हुए	आयकर	धनकर	कुल
1983-84	555	198	753
1984-85	413	123	536
1985-86	172	36	208
कुल	1140	357	1497

(ii) दाखिल किए गए आवेदन-पत्रों की संख्या :

वित्तीय वर्ष	आयकर	धनकर	कुल
1983-84	282	128	410
1984-85	148	48	196
1985-86	207	59	26थ
	637	235	872

(ख) अपेक्षित सूचना प्रत्येक ऐसे मामले के रिकार्डों की जांच किए बिना एकत्र नहीं की जा सकती जिसमें समझौता आयोग द्वारा समझौता आदेश दिए गए हैं। इसमें देश-भर में फैले सैंकड़ों कर निर्धारण अधिकारियों द्वारा हजारों कर निर्धारण वर्षों से सम्बन्वित बड़ी संख्या में मामलों के रिकार्डों की जांच कराए जाने की आवश्यकता होगी। ऐसी सूचना को एकत्र करने और उसके संकलन में लगने वाले प्रयास, समय और श्रम सूचना को एकत्र करने से मिलने वाले परिणामों के अनुरूप नहीं होंगे। समझौता आयोग द्वारा निपटाए गये मामलों में निर्धारित आय और धन और वसूल किए गए करों तथा अन्य मामलों में निर्धारित आय और धन और वसूल किए करों के बीच कोई अन्तर नहीं किया जाता हैं।

(ग) सूचना नीचे दी गई हैं :—

21 मार्च 1986 के अंत की स्थिति के अनुसार, समझौता आयोग के समक्ष अनिर्णीत आवेदन पत्रों की संख्या और उन वर्षों की संख्या के अनुसार उनका वितरण जब से वे अनिर्णीत पड़ी हैं :—

अनिर्णीत आवेदन पत्रों की संख्या

वित्तीय वर्ष जब से अनिर्णीत हैं	आयकर	धनकर	कुल
1	2	3	4
1976-77	25	44	69
1977-78	42	12	54

1	2	3	4
1978-79	81	84	165
1979-80	111	26	137
1980-81	87	20	107
1981-82	154	53	207
1982-83	228	89	317
1983-84	450	152	602
1984-85	354	116	470
1985-86	154	30	184
जोड़	1686	626	2312

(घ) समझौता आयोग ऐसे मामले का निपटारा नहीं कर सकता जिसमें आवेदक द्वारा छिपायी गई आय अथवा शुद्ध धन अथवा आयकर अधिनियम अथवा, यथावस्था, धनकर अधिनियम के अन्तर्गत प्रभार्य किसी कर अथवा कर लगने योग्य किसी राशि को अपवंचित करने के लिए उसके द्वारा धोखेबाजी से किए गए अपराध को उस मामले के सम्बन्ध में किसी आयकर प्राधिकारी अथवा धन कर प्राधिकारी द्वारा सिद्ध किया जा चुका है अथवा सिद्ध किए जाने की संभावना है। एक बार समझौता सम्बन्धी आवेदन-पत्र कार्रवाई की अनुमति दिए जाने पर तलाशी के मामले अथवा गैरतलाशी के मामले में अन्तर नहीं किया जाता। अपेक्षित सूचना बड़ी संख्या में मामलों के ऐसे रिकार्डों को देखे बिना एकत्र नहीं की जा सकती, जिनमें समझौता आयोग द्वारा समझौता आदेश दिए जा चुके हैं। इसमें, देश-भर में फैले सैंकड़ों कर निर्धारण अधिकारियों द्वारा कुछ कर निर्धारण वर्षों से सम्बन्धित बड़ी संख्या में मामले के रिकार्डों की जांच किये जाने की आवश्यकता होगी। अपेक्षित सूचना को एकत्र और संकलन करने में आवश्यक प्रयास, समय और श्रम, सूचना एकत्र होने से प्राप्त होने वाले परिणामों के अनुरूप नहीं होंगे।

(ङ) जी, हां।

(च) सूचना नीचे दी गई है

	आयकर	धनकर	कुल
(i) उन आवेदकों की संख्या जिन्होंने वित्तीय वर्ष 1983-84 के दौरान एक से अधिक आवेदन पत्र दाखिल किए।	16	7	23

(ii) उन आवेदको की संख्या जिन्होंने वित्तीय वर्ष 1984-85 के दौरान एक से अधिक आवेदन पत्र दाखिल किए ।	16	8	24
(iii) उन आवेदकों की संख्या जिन्होंने वित्तीय वर्ष 1985-86 के दौरान एक से अधिक आवे-पत्र दाखिल किए ।	1	—	1
(iv) उन आवेदकों की संख्या जिन्होंने वित्तीय वर्ष 1983-84 में आवेदन पत्र दाखिल किया किए और बाद में वित्तीय वर्ष 1984-85 में भी आवेदन पत्र दाखिल किया/किये ।	50	11	61
(v) उन आवेदकों की संख्या जिन्होंने वित्तीय वर्ष 1983-84 अथवा 1984-85 में आवेदन पत्र दाखिल किया/किए और बाद में वित्तीय वर्ष 1985-86 में भी आवेदन पत्र दाखिल किया/किए ।	10	—	10
जोड़	93	26	119

नई आयात-निर्यात नीति के अन्तर्गत आयातित पूंजीगत माल का मूल्य

6416. **श्रीमती गीता मुखर्जी : क्या वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नई तीन वर्षीय आयात-निर्यात नीति के प्रभावी होने के पश्चात् प्रतिवर्ष कुल कितने मूल्य के पूंजीगत माल का आयात किया गया; और

(ख) इन आयातित पूंजीगत माल में से कितना माल नई परियोजनाओं के लिए है तथा कितना माल विद्यमान एककों के लिए है ?

वाणिज्य तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) नई तीन वर्षीय आयात-निर्यात नीति के पहले वर्ष अर्थात् 1985-86 (जनवरी 86 तक) के दौरान पूंजीगत माल के आयात के लिए 1.605 करोड़ रु० मूल्य के लाइसेंस जारी किये गए।

(ख) नयी परियोजनाओं और विद्यमान एककों द्वारा पूंजीगत माल के आयात के लिए आयात लाइसेंसों सम्बन्धी अंश के आंकड़े नहीं रखे जा रहे हैं।

[हिन्दी]

भंडारण क्षमता बढ़ाने के लिए गैर-सरकारी क्षेत्र में भण्डागारों का निर्माण

6417. **श्री कुंवर राम** : क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम ने देश में भण्डारण की क्षमता बढ़ाने के लिये गैर-सरकारी क्षेत्र का सहयोग प्राप्त करने का निर्णय किया है;

(ख) प्रत्येक राज्य में कितने भण्डागारों का निर्माण किये जाने की आवश्यकता होगी; और

(ग) बिहार के किन-किन जिलों में उक्त भण्डागारों के निर्माण का विचार है और उनकी भण्डारण क्षमता कितनी होगी ?

योजना तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० के० पंजा) : (क) से (ग) भारतीय खाद्य निगम ने प्राइवेट पार्टियों के माध्यम से 25 लाख मीटरी टन की अतिरिक्त भण्डारण क्षमता का निर्माण करवाने के लिए एक योजना के बारे में विज्ञापन दिया है। इस सम्बन्ध में प्राप्त हुई पेशकशों की निगम में जांच की जा रही है। निगम द्वारा जांच पूरी कर लिए जाने के बाद निर्मित किए जाने वाले गोदामों की संख्या, स्थान और भण्डारण क्षमता के बारे में स्थिति स्पष्ट हो पाएगी।

[अनुवाद]

तलाशी लेने और माल पकड़े जाने के मामलों में मुकदमा चलाया जाना

6418. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा तलाशी लेने और माल पकड़े जाने के मामलों में मुकदमें की कार्रवाई पूरी करने में सामान्यतः कितना समय लिया जाता है;

(ख) क्या उन लोगों को जिनकी तलाशी ली जाती है और माल पकड़ा जाता है अपने मामले मूल्यांकन और निपटारे के लिए समझौता आयुक्त के सम्मुख ले जाने की अनुमति दी जाती है;

(ग) क्या इस व्यवस्था से कर अपवंचक अपने विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई होने से बच जाते हैं तथा तलाशी लेने और माल पकड़े जाने की कार्रवाई का प्रभाव कम हो जाता है;

(घ) क्या तलाशी लेने और माल पकड़े जाने के बाद समझौता आयुक्त की यह सुविधा वापिस लेने का कोई प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) आयकर अधिनियम के अधीन, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के पास आयकर अधिनियम के अन्तर्गत माने गए अपराधों के लिए मुकदमा दायर करने का कोई क्षेत्राधिकार नहीं है। केवल उन मामलों को छोड़कर जहां लेखा-पुस्तकों या दस्तावेजों आदि के आधार पर कर-निर्धारण कार्रवाइयों में कर-अपवंचन सिद्ध हो जाता है, अभियोजन का तलाशी और अभिग्रहण के साथ सीधा सम्बन्ध नहीं है। केवल आयुक्त ही मुकदमा दायर करने का प्राधिकार देता है।

(ख) जिन कर-निर्धारितियों की तलाशी ली जाती है और माल पकड़ा जाता है वे कानून के उपबन्धों के अनुसार अपने मामले निपटाने के लिए समझौता आयोग को आवेदन पत्र दे सकते हैं। फिर भी, जहां आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 132 के अन्तर्गत कर-निर्धारिती की कोई लेखा-पुस्तकें, अन्य दस्तावेज, धन, सोना-चांदी, जेवर-जवाहरात अथवा अन्य मूल्यवान सामान अथवा वस्तु का अभिग्रहण किया जाता है तो कर निर्धारिती से अभिग्रहण की तारीख से एक सौ बीस दिन की समाप्ति से पूर्व आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 245 ग की उपधारा (1) के अन्तर्गत समझौते के लिए आवेदन-पत्र देने का अधिकार नहीं है। इसी प्रकार, धनकर अधिनियम, 1957 की धारा 37 क के अधीन कर-निर्धारिती की किन्हीं लेखा-पुस्तकों या अन्य दस्तावेजों को अभिग्रहण की तारीख से एक सौ बीस दिन की समाप्ति से पूर्व, धनकर अधिनियम, 1957 के अन्तर्गत कर-निर्धारिती धारा 22 ग की उपधारा (1) के अन्तर्गत समझौते के लिए आवेदन-पत्र देने का हकदार नहीं है।

(ग) आयकर अधिनियम, 1961 और धनकर अधिनियम, 1957 में ऐसे उपबन्ध हैं, जो यह सुनिश्चित करते हैं कि ऐसे मामलों को, जिनमें आयकर या धनकर प्राधिकारी द्वारा आय या धन छिपाने के मामलों या कर अपवंचन के मामलों को सिद्ध किया जा चुका है या सिद्ध किए जाने

की सम्भावना है, समझौता आयोग द्वारा नही निपटाया जाता है। आयुक्त, इस आधार पर समझौते हेतु दिए गए आवेदन-पत्र के स्वीकार करने में इस पर आपत्ति कर सकता है कि आवेदक द्वारा छिपाई गई आय, अथवा यथावस्था, शुद्ध धन के ब्यौरे अथवा आयकर अधिनियम, अथवा, यथावस्था, धनकर अधिनियम के अन्तर्गत प्रभार्य किसी कर अथवा कर लगने योग्य किसी राशि को अपवंचित करने के लिए उसके द्वारा धोखेबाजी से किए गए अपराध को उस मामले के सम्बन्ध में किसी आयकर प्राधिकारी अथवा धनकर प्राधिकारी द्वारा सिद्ध किया जा चुका है अथवा सिद्ध किए जाने की सम्भावना है। फिर भी, जहां समझौता आयोग, आयुक्त की आपत्तियों की यथार्थता से सन्तुष्ट नहीं है, वहां वह आयुक्त को सुनवाई का अवसर देने के बाद समझौते से सम्बन्धित आवेदन पत्र पर कार्रवाई करने की अनुमति दे सकता है।

(घ) जी नहीं।

(ङ) मात्र इस तथ्य का कि किसी मामले में तलाशी और अभिग्रहण की कार्रवाई की गई है, अनिवार्यतः यह अर्थ नहीं होता कि कर-निर्धारिती कर-अपवंचन का अपराधी है। विभाग इस सम्बन्ध में एक निश्चित निष्कर्ष पर केवल तभी पहुंच सकता है, जब पकड़ी गई सामग्री की बारीकी से छान-बीन कर ली गई हो तथा आवश्यक पूछताछ तथा जांच-पड़ताल कर ली गई हो। कानून के विद्यमान उपबन्धों के अन्तर्गत भी आयुक्त, ऊपर भाग (ग) में बताए अनुसार समझौता आवेदन-पत्र पर कार्यवाही करने के सम्बन्ध में आपत्ति कर सकता है।

शत प्रतिशत निर्यात करने वाले एककों को कर से छूट

6419. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या वित्त मंत्री यह बताने को कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में शत-प्रतिशत निर्यात करने वाले एककों को पाच वर्ष तक कर से छूट देने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा और उद्देश्य क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) देश में शत प्रतिशत निर्यातोन्मुख एककों को पांच वर्ष तक कर में छूट देने का एक प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।

(ख) उक्त प्रस्ताव वाणिज्य मंत्रालय द्वारा राजस्व विभाग (केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड) से किया गया है।

इसका उद्देश्य यह है कि उद्यमियों के लिए शत प्रतिशत निर्यातोन्मुख एकक योजना को अपेक्षाकृत अधिक आकर्षक बनाया जाये ताकि देश की विदेशी मुद्रा की आय में वृद्धि हो सके।

आदिवासियों में वितरण किये जाने वाले गेहूं का अन्यत्र उपयोग

6420. **श्री एन० टोम्बी सिंह** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा

करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को संसद सदस्यों और अन्य लोगों से आदिवासियों में वितरण किये जाने वाले गेहूं का अन्यत्र उपयोग किए जाने के बारे में अनेक शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) क्या यह भी सच है कि आदिवासी क्षेत्रों में स्थित आटा मिलें आदिवासियों से सस्ते मूल्य पर गेहूं खरीद कर पीस रही हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस प्रकार से गेहूं के अन्यत्र उपयोग को रोकने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

योजना तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० के० पांजा) : (क) और (ख) : तीन शिकायतें प्राप्त हुई हैं जिनमें चक्की के मालिकों और आटा मिलों को राज्य सहायता प्राप्त गेहूं को बेचने के बारे में आरोप लगाए गए थे । चूंकि इस योजना के अधीन लाभ भोगियों को अनाज का उचित ढंग से वितरण करना सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की होती है, इसलिए इन शिकायतों को सम्बन्धित राज्य सरकारों को जांच और आवश्यक कार्रवाई के लिए भेज दिया गया है ।

(ग) राज्य सरकारों, संघ शासित प्रदेशों को अपनी प्रवर्तन मशीनरी को सक्रिय करने के लिए पहले ही सलाह दे दी गई है ताकि लक्षित समूह तक खाद्यान्नों को पहुंचाना सुनिश्चित किया जा सके ।

उत्पादन में वृद्धि करने के लिए चीनी मिलों को प्रोत्साहन देना

6421. **श्री एन० टोम्बी सिंह** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान देश की आन्तरिक आवश्यकता की पूर्ति के लिए वर्ष-वार कितनी चीनी आयात की गई और यह कितने मूल्य की थी ;

(ख) क्या सरकार ने उत्पादन बढ़ाने के लिए देश की चीनी मिलों को बेहतर प्रोत्साहन देने की वांछनीयता पर विचार किया है जिससे कि आयात निर्भरता को काफी कम किया जा सके और विदेशी मुद्रा की बचत की जा सके;

(ग) अगले तीन वर्षों के लिए क्या आयात लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं; और

(घ) देश में चीनी उत्पादन की विकास दर कितनी है और इसमें वृद्धि करने के लिए प्रोत्साहन योजना, यदि कोई है, तो उसका ब्यौरा क्या है?

योजना तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० के० पांजा) : (क)

पिछले तीन वर्षों के दौरान आयात की गई चीनी की मात्रा और उसका लागत बीमा भाड़ा मूल्य निम्नानुसार है—

वित्तीय वर्ष	मात्रा (लाख मीटरी टन)	लागत बीमा भाड़ा मूल्य रु०/करोड़
1983-84	शून्य	शून्य
1984-85*	4.96	113.62
1985-86 (अनन्तिम)**	19.49	433.07

* वास्तविक आमद 4.83 लाख मीटरी टन थी।

** वास्तविक आमद 19.36 लाख मीटरी टन होने का अनुमान है।

(ख) जी, हां।

(ग) अगले तीन वर्षों के लिए चीनी का आयात करने के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है।

(घ) चालू चीनी मौसम 1985-86 के दौरान 22-3-86 तक 56.95 लाख मीटरी टन चीनी का कुल उत्पादन हुआ है जबकि पिछले वर्ष की तद्नुरूपी तारीख को 50.66 लाख मीटरी टन चीनी का उत्पादन हुआ था जिससे इसमें 6.29 लाख मीटरी टन की बढ़ोतरी हुई है। मौसमी स्थिति, वर्षा आदि सहित विभिन्न कारणों से चीनी के उत्पादन में वर्ष प्रतिवर्ष व्यापक अन्तर होता है जिससे मौसम प्रति मौसम चीनी के उत्पादन में उतार-चढ़ाव होता है। चालू मौसम 1985-86 के दौरान चीनी के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए सरकार ने निम्नलिखित प्रोत्साहन घोषित किए हैं :—

(1) चीनी फैक्ट्रियों द्वारा देय गन्ने के सार्वाधिक न्यूनतम मूल्य में 2.50 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। यह मूल्य चालू मौसम 1985-86 के लिए 8.5 प्रतिशत की रिकवरी पर 16.50 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है और 1985-86 के लिए 17/- रुपये प्रति क्विंटल के ऊंचे मूल्य की घोषणा भी कर दी गई है।

(2) अक्तूबर और नवम्बर, 1985 के महीनों के दौरान उत्पादित चीनी पर उत्पादन-शुल्क में रिबेट देने की अनुमति प्रदान करने का निर्णय किया गया है। यह पिछले दो मौसमों में तदनुरूपी अवधि के दौरान उत्पादित औसत मात्रा से अधिक है।

(3) जिन कमजोर यूनिटों की क्षमता 1250 टी० सी० डी० से कम है और जो संयंत्र 1-10-55 से पूर्व स्थापित किए गए थे, उन्हें दिए जा रहे 26/- रुपये प्रति क्विंटल के अन्तर लेवी मूल्य को 1985-86 और 1986-87 मौसम के लिए जारी रखने का निर्णय किया गया है।

(4) लेवी चीनी के अखिल भारत निकासी मूल्य को 1984-85 के 346.75 रुपये प्रति क्विटल से बढ़ाकर 1985-86 के लिए 391.00 रुपये प्रति क्विटल कर दिया गया है।

(5) लेवी चोनी और खुली बिक्री के 65:35 के अनुपात को चालू मौसम 1985-86 के लिए बदलकर 55:45 कर दिया गया है जिससे खुली बिक्री की चोनी के अंश में वृद्धि हो गई, है और

(6) ऊंची लागत की नई चीनी फैक्ट्रियों और विस्तार परियोजनाओं को अधिक खुली बिक्री की चीनी की हकदारी और चीनी के ऐसे प्रोत्साहन, जोकि लेवी चीनी पर लागू हैं, पर उत्पादन शुल्क में रियायत देने के रूप में प्रोत्साहन भी दिए जाते हैं।

व्यापार में अन्तर को कम करने में कृषि क्षेत्र की भूमिका

6422. **श्री एन० टोम्बी सिंह** : क्या वाणिज्य मंत्री यह यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि क्षेत्र जो कि काफी उन्नति कर रहा है व्यापार अन्तर को कम करने में रचनात्मक भूमिका अदा कर सकता है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार हमारे कृषि उत्पादों के लिए नये बाजार ढूंढने हेतु एक सक्रिय अभियान चलाने का है;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार कृषि उत्पादों का निर्यात किस प्रकार रहा है; और

(घ) क्या अगले दो वर्षों के लिए लक्ष्यों में वृद्धि की गई है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी वर्ष-वार ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) जी हां।

(ख) कृषि निर्यातों के लिए नए बाजार खोजने के लिए प्रयास करना एक सतत प्रक्रिया है। यहां तक कि विद्यमान बाजारों में भी अपना बाजार क्षेत्र विशेषरूप से ताजे फलों और सब्जियों तथा साधित खाद्य मदों के मामले में बढ़ाने की काफी गुंजाइश है;

(ग) गत तीन वर्षों के लिए अनन्तिम आंकड़ों के अनुसार कृषि उत्पादों के निर्यात निम्नोक्त प्रकार हैं :—

वर्ष	मूल्य करोड़ रु० से
1982-83	1286.71
1983-84	1305.75
1984-85	1355.83

(घ) ऐसी आशा है कि आने वाले दो वर्षों में कृषि निर्यात क्षेत्र बेहतर निष्पादन दर्शायेगा। चूंकि कृषि मदों के निर्यातों का मूल्य विभिन्न वस्तुओं की चल रही घरेलू तथा अन्तर्राष्ट्रीय कीमतों पर निर्भर करेगा इसलिए कोई विशिष्ट वस्तु वार लक्ष्य नहीं बताए जा सकते।

व्यापार असंतुलन दूर करने के लिए भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग मण्डल संघ की सिफारिशें

6423. **श्री एन० टोम्बी सिंह :**

श्री बलवंत सिंह रामूवालिया : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 16 मार्च, 1986 के 'हिन्दुस्तान टाइम्स' में प्रकाशित इस आशय के समाचार की ओर दिलाया गया है कि भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग मण्डल संघ ने वर्तमान प्रतिकूल व्यापार संतुलन को सही करने के लिए निर्यात में 18 प्रतिशत वृद्धि दर लक्ष्य प्राप्त करने के लिए उपायों का सुझाव दिया है;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक प्रस्ताव के प्रति सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार का विचार कुछ सिफारिशों को स्वीकार करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) जी हां।

(ख) से (घ) : 18 प्रतिशत की वार्षिक निर्यात वृद्धि दर काफी अधिक प्रतीत होती है। अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक वातावरण और राष्ट्रीय प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा निर्यात संवर्धन उपाय निरन्तर किए जाते हैं। विगत हाल में किए गए संवर्धनात्मक उपायों में अन्य बातों के साथ-साथ हमारे उत्पादकता आधार का विविधीकरण, हमारे उत्पादकता ढांचे का आधुनिकीकरण, हमारी औद्योगिक तथा राजकोषीय नीतियों में परिवर्तन तथा समय-समय पर संशोधन आदि शामिल हैं।

जौनपुर (उत्तर प्रदेश में) केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना के अन्तर्गत विभागीय स्टोर और बड़े आकार की खुदरा दुकानें खोलना

6424. **श्री कमला प्रसाद सिंह :** क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री उपभोक्ता सहकारी समितियों के बारे में 14 मार्च, 1986 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2944 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन लोगों को दैनिक आवश्यता की वस्तुएं उचित दर पर उपलब्ध कराने और मूल्य वृद्धि को रोकने के लिए उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के सभी शहरी क्षेत्रों में केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना के अन्तर्गत एक विभागीय स्टोर और बड़े आकार की एक खुदरा दुकान खोलने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो कब; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

योजना तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० के० पंजा) : (क) से (ग) : शहरी क्षेत्रों में उपभोक्ता सहकारी समितियों के विकास की केन्द्रीय प्रायोजित योजना के तहत उपभोक्ता सहकारी समितियों की सहायता के लिए राज्य सरकारों से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर वित्तीय सहायता दी जाती है । इस मंत्रालय को उत्तर प्रदेश सरकार से, जौनपुर में उपभोक्ता सहकारी समितियों द्वारा बहुविभागी भण्डार तथा बड़े आकार के खुदरा बिक्री केन्द्र खोलने के लिए इस तरह के कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए हैं ।

शहरी और देहाती क्षेत्रों के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों की सहायता की योजना

6425. **श्री मोहनभाई पटेल :**

श्री अमर सिंह राठवा : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और शहरी तथा ग्रामीण जनता और विशेषकर अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लोगों को रियायत ऋण, सहायता अनुदान देने और उनकी अन्य प्रकार से सहायता करने हेतु, ताकि ये लोग अपने पैरों पर खड़े हो सकें, उनके मंत्रालय तथा विभागों द्वारा शुरु की गई विभिन्न योजनाओं के नाम, उनका ब्यौरा और दिशा-निर्देश क्या हैं;

(ख) सहकारी समितियों के माध्यम से उनके लिए क्या योजनाएं बनाई गई हैं; और

(ग) इन योजनाओं से उन लोगों को, जिनके लिए ये बनाई गई हैं; होने वाले लाभ का, राज्यवार, ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) समाज के कमजोर वर्गों को वित्तीय सहायता देने के लिए वर्ष 1972 में वित्त मंत्रालय द्वारा विभेदी ब्याज दर योजना शुरू की गई थी । इस योजना के अन्तर्गत 4 प्रतिशत वार्षिक की रियायती ब्याज दर पर ऋण दिये जाते हैं । बैंकों से यह कहा गया है कि विभेदी ब्याज दर योजना के अन्तर्गत दिये जाने वाले अग्रिमों की राशि उनके गत वर्ष के कुल अग्रिमों का कम से कम एक प्रतिशत होनी चाहिए । बैंकों से यह भी कहा गया है कि विभेदी ब्याज दर योजना के अन्तर्गत दिए जाने वाले अग्रिमों की राशि का 40 प्रतिशत अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जातियों के व्यक्तियों को दिया जाना चाहिए । इसके अलावा समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत, जिसका प्रबन्ध ग्रामीण विकास विभाग द्वारा किया जा रहा है, गरीबी की रेखा से नीचे के व्यक्तियों को बैंक 10 प्रतिशत वार्षिक की रियायती ब्याज दर पर भी ऋण देते हैं ।

(ख) विभेदी ब्याज दर योजना वाणिज्यिक बैंकों द्वारा चलाई जा रही है। समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत वाणिज्यिक बैंक और सहकारी बैंक दोनों द्वारा ऋण दिये जा रहे हैं।

(ग) विवरण-I में दिसम्बर, 1983 के अन्त में विभेदी ब्याज दर योजना के अन्तर्गत दिये गए ऋणों का और विवरण-II में छठी योजना की अवधि के दौरान समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत दी गई आर्थिक सहायता और संवितरित सावधि ऋणों का राज्यवार ब्यौरा दिया गया है।

विवरण-I

विभेदी ब्याज दर योजना के अन्तर्गत सरकारी क्षेत्र के बैंकों के अग्रिमों का राज्यवार ब्यौरा

(रकम लाख रुपये)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	दिस० 1983 के अंत में बकाया		अनु० जा०/अनु० ज० जा० का हिस्सा	
	खाते	रकम	खाते	रकम
उत्तरी क्षेत्र	430068	6410.20	248124	3714.84
हरियाणा	90580	1583.76	58173	1017.68
हिमाचल प्रदेश	82403	1066.95	53735	673.80
जम्मू व कश्मीर	17547	230.26	2577	36.10
पंजाब	112870	1737.16	67374	1095.53
राजस्थान	102275	1285.68	58681	756.17
चण्डीगढ़	4257	126.26	2410	62.63
दिल्ली	20133	380.13	5174	72.85
पूर्वोत्तर क्षेत्र	61723	667.11	29114	287.45
असम	40251	433.83	16979	161.32
मणिपुर	2180	36.55	330	17.09
मेघालय	5455	49.13	4218	36.91
नागालैंड	2227	18.72	1595	13:50

त्रिपुरा	3639	71.44	3844	25.27
अरूणाचल प्रदेश	1010	16.27	965	13.34
मिजोरम	433	8.83	433	8.83
सिक्किम	2528	32.34	850	11.19
पूर्वी क्षेत्र	861600	5852.93	423132	2724.26
बिहार	353729	2724.42	163519	1183.78
उड़ीसा	217865	1552.72	133257	971.19
पश्चिम बंगाल	289456	1570.71	126280	568.35
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	550	5.08	76	0.94
मध्य क्षेत्र	602015	7221.13	307852	3462.88
मध्य प्रदेश	250701	2468.93	129234	1204.05
उत्तर प्रदेश	351314	4752.20	178618	2258.83
पश्चिमी क्षेत्र	659556	7041.15	394544	4352.64
गुजरात	370375	4261.71	258735	2936.38
महाराष्ट्र	27309	2630.96	133346	1394.93
गोवा, दमन व द्वीव	15827	147.18	2201	19.43
दा व ना हवेली	262	1.30	262	1.30
दक्षिणी क्षेत्र	11229131	06.71	450749	3889.84
आंध्र प्रदेश	318459	2377.34	153049	1211.65
कर्नाटक	280512	2708.74	92902	922.38
केरल	234305	2080.70	88869	697.48
तमिलनाडु	285102	2319.69	112124	1007.22
पांडिचेरी	10398	116.61	3450	47.40
लक्षद्वीप	355	3.63	355	3.43
जोड़	3744090	36799.23	1853615	1843.91

विवरण—II

वर्ष 1980-85 के दौरान समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत दी गई आर्थिक सहायता और सावाधि ऋणों का राज्यवार ब्योरा

(लाख रुपये)

(वित्तीय लक्ष्य/उपलब्धियां)

क्रम सं॰	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	आर्थिक सहायता	संवितरित सावधि ऋण
1.	आंध्र प्रदेश	13322.31	24395.94
2.	असम	4220.20	6117.85
3.	बिहार	17078.81	30012.40
4.	गुजरात	7469.55	13004.14
5.	हरियाणा	3353.00	4829.79
6.	हिमाचल प्रदेश	2318.57	2861.93
7.	जम्मू व कश्मीर	2005.35	2542.47
8.	कर्नाटक	7922.67	14935.81
9.	केरल	5176.89	11489.05
10.	मध्य प्रदेश	15125.49	33579.29
11.	महाराष्ट्र	10445.87	22539.00
12.	मणिपुर	406.24	22.38
13.	मेघालय	261.41	—
14.	नागालैंड	624.00	—
15.	उड़ीसा	8751.86	12952.04
19.	पंजाब	4591.38	7399.57
17.	राजस्थान	8982.84	13305.74
18.	सिक्किम	101.90	111.11

19.	तमिलनाडु	14662.02	25727.46
20.	त्रिपुरा	638.01	1179.90
21,	उत्तर प्रदेश	31173.45	73040.52
22.	पश्चिम बंगाल	5393.45	8818.91
23.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	10.49	14.28
24.	अरूणाचल प्रदेश	761.67	—
25.	चंडीगढ़	2.97	—
26.	दा० एवं ना० हवेली	28.94	35.33
27.	दिल्ली	202.00	405.65
28.	गोवा, दमन और दीव	415.45	591.85
29.	लक्षद्वीप	99.85	—
30.	मिजोरम	410.15	6.80
31.	पांडिचेरी	138.60	232.64
	अखिल भारत	166116.28	310161.85

आन्ध्र प्रदेश में अमलापुरम, राजोलु, मुमदीवरम में भारतीय खाद्य निगम द्वारा गोदामों के निर्माण का प्रस्ताव

6426. **श्री ए० जे० वी० बी० महेश्वर राव** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश में अमलापुरम, राजोलु, मुमदीवरम तालुकों में भारतीय खाद्य निगम द्वारा गोदामों का निर्माण किए जाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

योजना तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० के० पांजा) : (क) और (ख) : आन्ध्र प्रदेश में अमलापुरम और राजोलू में भण्डारण क्षमता का निर्माण करने विषयक एक प्रस्ताव भारतीय खाद्य निगम के विचाराधीन है। निगम द्वारा अभी ब्यौरे तैयार किए जाने हैं। मुमदीवरम में भण्डारण क्षमता का निर्माण करने विषयक कोई प्रस्ताव निगम के विचाराधीन नहीं है।

आंध्र प्रदेश में अमलापुरम, राजोलू, मुमदीवरम में पर्याप्त भंडारण सुविधा न होने के कारण धान को हानि

6427. **श्री ए. जे. वी. बी. महेश्वर राव** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय खाद्य निगम ने आंध्र प्रदेश में अमलापुरम, राजोलु, मुमदीवरम तालुकों में धान खरीदा और उसे खुले स्थान पर डाल दिया है;

(ख) यदि हां; तो क्या वर्षा आदि के कारण धान खराब हो गया था;

(ग) यदि हां, तो इससे कितनी क्षति हुई है; और

(घ) ऐसी क्षति को रोकने के लिये क्या उपाय किए गए हैं ?

योजना तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. के. पंजा) (क) : जी, हां। उचित ढंग से ड्रेनेज द्वारा और चादरों से ढक कर।

(ख) और (ग) : निम्नलिखित तालुकों में 1984-85 के दौरान वसूल किए गए और रखे गए धान के स्टाक की निचली सतह अक्तूबर, 1985 और फरवरी, 1986 के दौरान हुई तूफानी वर्षा से प्रभावित हुई थीं। प्रभावित स्टाक का तत्काल निस्तारण किया गया था और क्षतिग्रस्त स्टाक की निम्नलिखित मात्रा को अलग किया गया था :—

तालुक	1984-85 के दौरान वसूल की गई और कैंप में रखी गई मात्रा (मीटरी टन)	तूफानी वर्षा से प्रभावित मात्रा (मीटरी टन)	निस्तारण के बाद क्षतिग्रस्त धान के रूप में अलग की गई मात्रा (मी. टन)	भण्डारित मात्रा की तुलना में क्षति की प्रतिशतता
अपलापुरम	20705	220	24	0.12
राजोलू	27177	84	30	0.11
मुमदीवरम	17824	747	47	0.26
जोड़	65706	1051	101	0.15

(घ) कैंप भण्डार में भण्डारित स्टाक के मामले में, योग्य तकनीकी कार्मिकों द्वारा नियमित रूप से आवधिक निरीक्षण, रोगनिरोधी और रोगहर उपचार के माध्यम से स्टाक का

अनुरक्षण करने के लिए उचित सावधानी बरतने के अलावा निम्नलिखित अतिरिक्त पग उठाए जाते हैं—

(1) स्टाक का भण्डारण पक्का पिलंथ पर किया जाता है, जहां ड्रेनेज के रूप में लकड़ी के क्रेटों का इस्तेमाल किया जाता है ताकि निचली सतह से स्टाक को क्षति से बचाया जा सके।

(2) कैंप में रखे गए स्टाक को निम्न घनत्व की पोलीथीन (एल० डी० पी० ई०) की चादरों और मोनो फिलामेंट के जालों से अच्छी तरह से ढका जाता है ताकि उसकी वर्षा और तूफानों से रक्षा की जा सके।

(3) शिखर पर पानी के जमाव को रोकने के लिए गुम्बद के आकार के चट्टे लगाए जाते हैं।

(4) कैंप में भण्डारित स्टाक का धूपदार दिनों में नियमित रूप से वातन किया जाता है ताकि स्टाक में नमी को रोका जा सके।

कपास के निर्यात के लिए दीर्घकालीन नीति

6428. श्री बालासाहेब विखे पाटिल : क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आगामी तीन वर्षों के लिए दीर्घकालीन नीति के अन्तर्गत कपास के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार की क्या नीति है ; और

(ख) सातवीं पंचवर्षीय योजना में वर्षवार कपास के निर्यात के लिए कितना लक्ष्य निर्धारित किया गया है ?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) (क) : रुई के निर्यात के सम्बन्ध में निर्णय भारत सरकार द्वारा समय-समय पर देश में रुई की मांग तथा पूर्ति तथा प्रचलित मूल्य प्रवृत्ति के आधार पर किए जाते हैं। रुई की वे मात्रा किस्में जोकि हमारी घरेलू आवश्यकताओं से वेशी होती हैं, निर्यात के लिए रिलीज की जाती हैं।

(ख) (क) को देखते हुए निर्यात के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है।

भारतीय कपड़ा निगम (डब्ल्यू. बी. ए. बी. ओ.) में घाटा

6429. डा. बी. वेंकटेश : क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय कपड़ा निगम (डब्ल्यू० बी० ए० बी० ओ०) लि० कलकत्ता में हर महीने घाटा बढ़ता जा रहा है;

(ख) क्या प्रबन्धकों के पूर्णतः अकुशल कार्य निष्पादक और समय पर आदान उपलब्ध न करा पाने के कारण स्थिति दिन-प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस बारे में क्या कार्यवाही करने का विचार है; और

(घ) निगम की प्रत्येक यूनिट के गत तीन वर्षों के घाटे के महीने-वार तुलनात्मक आंकड़े क्या हैं ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) (क) : अगस्त, 1985 से जनवरी, 1986 तक एन० टी० सी० (डब्ल्यू० बी० ए० बी० ओ०) की मासिक हानियों में मामूली सी वृद्धि हुई है। तथापि 1985-86 (अप्रैल 85 से जनवरी 86) की अवधि के दौरान निगम की औसत मासिक हानियों में 1983-84 और 1984-85 वर्षों के दौरान हुई औसत मासिक हानियों की तुलना में काफी कमी हुई है।

(ख) तथा (ग) निगम का तकनीकी निष्पादन ऐसा ह्रास नहीं दर्शाता :

	1984-85	1985-86 (अप्रैल-दिसम्बर, 1985)
1. **उत्पादन**		
बाजार यार्न (मिलियन कि० ग्राम)	5.94	6.01
कपड़ा (मिलियन मीटर/प्रति माह औसत)	0.49	0.66
2. **उत्पादकता**		
40 एस	25.51	28.58
करघा उत्पादकता सूचक	205.8	223.0
3. **उपयोग (2)**		
कताई	41.6	62.0
बुनाई	36.8	63.1

(घ) 1985-86 (जनवरी, 1986 तक) के दौरान माहवार हानियों और 1983-84 और 1984-85 के दौरान एककवार औसत मासिक हानियों को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

	1984-85	1985-86 (अप्रैल-दिसम्बर, 1985
1. उत्पादन		
बाजर यार्न		
(मिलियन कि० ग्रा०	5,44	6,01
कपड़ा		

(मिलियन मीटर/ प्रति माह औसत)	0.49	0,65
ii. उत्पादकता		
40 एस	25.51	20.58
करघा		
उत्पादकता सूचक	205,8	223,0
iii. उपयोन (2)		
कताई	41,6	62,0
बुनाई	56,8	63,1

(घ) 1985-86 (जनवरी, 1986 तक) के दौरान महावार हानियों और 1983-84 1984-85 के दौरान एकक वार औसत मासिक हानियों को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

विवरण

(आंकड़े लाख रुपए में)

क्रम संख्या	एकक	लेखा परीक्षित 1983-84 कुल	1983-84 औसत प्रतिमास	1984-85 कुल	1984-85 औसत प्रतिमास	अनन्तिम अप्रैल 85	अनन्तिम मई 85	अनन्तिम जून 85
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	बंगाल टेकसटाइल मिल्स	—132.46	—11.04	—111.35	—9.28	—5.50	—5.93	—6.02
2.	लक्ष्मी नारायण कॉटन मिल्स	—201.77	—16.81	—229.44	—19.12	—14.57	—13.35	—12.47
3.	आरती कॉटन मिल्स	—160.40	—13.37	—165.14	—13.76	—9.18	—9.56	—8.59
4.	बंगाल फाइन नं० 2	—734.74	—6.15	—92.37	—7.70	—4.93	—5.33	—4.57
5.	कन्नौरिया इन्डस्ट्रीज	—91.09	—7.59	—91.61	—7.63	—5.76	—5.14	—5.45
6.	सादेपुर काटन मिल्स	—82.55	—6.88	—94.55	—7.88	—3.23	—4.35	—5.10

1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.	एसोसिएटिड इन्डस्ट्रीज	—106.38	—8.87	—115.42	—9.62	—5.88	—4.51	—3.88
8.	बिहार को-आपरेटिव मिल	—84.14	—7.01	—86.25	—7.19	—5.33	—5.59	—3.97
9.	उड़ीसा कोटन मिल	—106.77	—8.90	—126.21	—10.52	—5.78	—7.31	—8.46
10.	सैन्ट्रल काटन मिल	—688.56	—57.38	—442.06	—36.84	—32.70	—33.06	—30.74
11.	बंगाल फाइन नं० 1	—213.37	—17.78	—216.25	—1802	—11.70	—15.81	—12.29
12.	बंगाल लक्ष्मी कोटन मिल	—436.62	—36 38	—418.95	—34.81	—18.38	—17.38	—17.21
13.	श्री महालक्ष्मी मिल	—253.39	—21.11	—239.10	—19.92	—20.27	—21.12	—20.00
14.	रामपूरिया कोटन मिल	—466.12	—38.84	—371.82	—30.98	—11.95	—16.85	—11.81
15.	बंगासारी कौअन मिल	—105.94	—8.83	—131.70	—10.98	—7.32	—6.68	—7.03

1	2	3	4	5	6	7	8	9
16.	ज्योति विविंग मिल	—105.61	—8.80	—96.44	—8.04	—9.57	—7.40	—7.92
17.	गया कोटन मिल	—214.08	—17.84	—187.21	—15.60	—11.18	—11.64	—13.44
18.	महेन्द्र कोटन मिल	—69.19	—5.77	—77.47	—6.46	—5.88	--6.48	—7.34
	ई ओ समापोजन	—112.06	—9.34	—	—	—	—	—
	कुल हानि	—3704.24	—308,69	—3293.34	—274 45	—189.31	—197.31	—168.97

(आंकड़े लाख रु० में)

लेखा परीक्षित								
जुलाई 85	अगस्त 85	सितम्बर 85	अक्टूबर 85	नवम्बर 85	दिसम्बर 85	जनवरी 85	कुल (अप्रैल 85 से जनवरी 86 तक)	औसत प्रतिमास (अप्रैल 85 से जनवरी 86 तक)
10	11	12	13	14	15	16	17	18
—5.60	—7.43	—6.67	—6.11	—5.62	—5.91	—6.36	—61.15	—6.12
—10.56	—11.98	—15.14	—16.82	—15.35	—16.82	—16.20	—142.94	—14.29
—7.76	—8.65	—9.39	—10.54	—9.58	—10.37	—12.36	—95.98	—9.60
—4.05	—4.97	—5.49	—6.97	—6.21	—6.05	—7.41	—55.98	—5.60
—5.58	—5.43	—6.18	—7.00	—6.28	—6.19	—6.81	—59.82	—5.98
—3 99	—4.70	—5.90	—6.95	—6.41	—7.05	—6.80	—54.48	—5.45
—4.14	—6.00	—6.73	—7.37	—5.72	—5.38	—6.91	—56.52	—5.65
—3.96	—5.16	—5.58	—5.78	—4.42	—4.70	—5.75	—50.44	—5.04
—6.14	—7.78	—5.82	—8.74	—8.74	—7.66	—10.96	—77.39	—7.74
—28.18	—26.87	—33.15	—28.30	—28.42	—28.87	—29.01	—299.30	—29.93
—11.99	—13.40	—12.87	—16.32	—14.63	—14.99	—15.85	—139.85	—13.99
—16.80	—16.87	—17.56	—17.71	—18.64	—16.84	—15.70	—172.94	—17.29
—19.39	—18.14	—16.07	—20.53	—19.59	—22.13	—26.04	—205.26	—20.33
—6.15	—13.44	—20.02	—18.07	—23.42	—26.10	—29.51	—177.32	—17.73
—5.73	—6.28	—6.97	—10.97	—8.80	—7.06	—7.22	—74.06	—7.40

10	11	12	13	14	15	16	17	18
—8.28	—7.77	—8.02	—6.35	—6.67	—7.24	—6.93	—76.15	—7.61
—13.89	—14.50	—11.70	—10.74	—11.75	—12.72	—11.73	—123.29	—12.33
—6.78	—8.40	—8.75	—6.57	—5.47	—5.34	—5.06	—60.07	—6.61
—168.97	—187.77	—202.01	—211.84	—205.72	—211.10	—226.59	—1986.84	—193.69

टिप्पणी := 1983-84 और 1984-85 के लिए आंकड़े पूरे वर्ष के लिये उपलब्ध हैं। 1985-86 के लिये मासिक हानियों के लिये अनन्तिम आंकड़े दिये गये हैं।

चावल का निर्यात

6430. श्री बृजमोहन महन्ती : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन राज्यों के नाम क्या हैं जिन्हें चावल का सीधे निर्यात करने की अनुमति दी गई है, तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ख) वर्ष 1984-85 और 1985-86 के दौरान भारत से कुल कितनी मात्रा में चावल का निर्यात किया गया और जिन देशों को निर्यात किया गया उनके नाम और कितनी मात्रा में निर्यात किया गया ?

वाणिज्य तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) 18 फरवरी, 1986 से 7500 रु० प्रति एम० टी० एफ० ओ० बी० की न्यूनतम निर्यात कीमत के आधार पर खुले सामान्य लाइसेंस के अन्तर्गत बासमती चावल के निर्यात को अनुमति है। सभी निर्यातकों द्वारा 4,000 रु० प्रति एम० टी० एफ० ओ० बी० की न्यूनतम निर्यात कीमत के आधार पर सीमित मात्रा में गैर-बासमती चावल के निर्यात की भी अनुमति है। किसी राज्य को निर्यात कोटे का कोई विशिष्ट आवंटन नहीं किया गया है।

(ख) अनुमान है कि 1984-85 और अप्रैल दिसम्बर, 1985 के दौरान 163.03 करोड़ रु० मूल्य का लगभग 2.42 लाख मैं० टन और 132.64 करोड़ रु० मूल्य का लगभग 1.84 लाख मैं० टन बासमती चावल निर्यात किया गया। हमारे बासमती चावल के लिए सोवियत संघ, मध्य-पूर्व तथा ब्रिटेन प्रमुख बाजार हैं।

[हिन्दी]

विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम और विदेशी मुद्रा संरक्षण तथा तस्करी निवारण अधिनियम में संशोधन करना

6431. श्री ब्रज मोहन महन्ती
श्री राज कुमार राय : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का निर्यात में वृद्धि करने और भारत को अन्तर्राष्ट्रीय दृष्टि से प्रतियोगी बनाने के लिए विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम और विदेशी मुद्रा संरक्षण तथा तस्करी निवारण अधिनियम में और संशोधन करने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) तथा (ख) विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम तथा कोफेपोसा में संशोधन किये जाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, विदेशी मुद्रा नियंत्रण विनियमन की समीक्षा किये जाने हेतु भारतीय रिजर्व बैंक के उप-गवर्नर की अध्यक्षता में एक कार्यकारी दल का गठन किया गया है।

[अनुवाद]

भारतीय निर्यात-आयात बैंक के ऋण कार्यक्रम

6432. श्री डी० बी० पाटिल : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारतीय निर्यात-आयात बैंक द्वारा कितने ऋण कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं और इन ऋण कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : भारतीय निर्यात-आयात बैंक भारत से सामान और सेवाओं का निर्यात करने के लिए ऋण और गारंटी की सुविधाएं प्रदान करता है। वर्तमान में बैंक द्वारा संचलित 11 ऋण कार्यक्रमों का ब्यौरा विवरण में दिया गया है।

विवरण

भारतीय निर्यात-आयात बैंक द्वारा संचलित ऋण कार्यक्रमों का ब्यौरा

कार्यक्रम	मुख्य विशेषताएं	उपभोकता	वार्षिक ब्याज दर दर
1	2	3	4
1. निर्यातकों को प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता	पात्र भारतीय सामान के विदेशी आयातकों को भारतीय निर्यातकों द्वारा सावधि ऋण में सहायता।	भारतीय निर्यातक	8.5 प्रतिशत
2. परामर्शदात्री और तकनीकी सेवाएं	परामर्शदात्री सेवाओं और प्रोद्योगिकी के भारतीय निर्यातकों द्वारा विदेशी आयातकों को सावधि ऋण देने में सहायता	भारतीय निर्यातक	8.5 प्रतिशत
3. लादन-पूर्व ऋण	जहां निर्यात के लिए लम्बी अवधि की जरूरत होती है वहां भारतीय निर्यातको को	भारतीय निर्यातक	12 प्रतिशत

1	2	3	4
	कच्चा माल और निवेश वस्तुएं खरीदने में सहायक।		
4. शत-प्रतिशत निर्यातोन्मुख एकक	भारतीय कम्पनियों की अचल परिसम्पति के वित्त पोषण के अंग के रूप में भारत में निर्मित मशीनरी की खरीद में सहायता।	भारतीय निर्यातक	9/12.5 प्रतिशत
5. विदेशों में वित्तीय निवेश्य	विदेशों में स्थापित संयुक्त उद्योगों में भारतीय प्रवर्तकों को इक्विटी अंश-दान में सहायता।	भारतीय प्रवंतक	12.5 प्रतिशत
6. विदेशी क्रेता ऋण	विदेशी क्रेताओं को भारत से आयातित पात्र सामान की लागत की आस्थगित शर्तों पर अदायगी करने में सहायता।	विदेशी क्रेता	8.5 प्रतिशत
7. ऋण व्यवस्था	विदेशी वित्तीय संस्थाओं, विदेशी सरकारों, उनकी एजेंसियों को पात्र सामान के आयात का वित्त पोषण करने के वास्ते आगे सावधि ऋण देने	विदेशी वित्तीय संस्थाएं विदेशी सरकारें ओर एजेंसियां	8.5 प्रतिशत

1	2	3	4
	में सहायता। क्रेता उस देश में होंगे जहां पुनः ऋण देने वाले होंगे।		
8. निर्यात ऋण पुर्नवित्त	पात्र सामान के भारतीय निर्यातकों को सावधि ऋण देने वाले बैंकों को वित्तीय सहायता।	भारत के वाणिज्यिक बैंक	7.65 प्रतिशत
9. निर्यात हुंडियों की पुनर्भुनाई	भारतीय निर्यातकों को लदानोत्तर निर्यात ऋण देने के लिए बैंकों की सहायता।	भारत में वाणिज्यिक बैंक	10 प्रतिशत
10. पुनः ऋण देने की सुविधा	पात्र भारतीय सामान के आयातकों को सावधि वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाने में विदेशी बैंकों की सहायता।	विदेशी बैंक	8 प्रतिशत
11. लघु निर्यातकों के लिए निर्यात हुंडियों की पुनर्भुनाई	लघु उद्योगों के भारतीय निर्यातकों को लदानोत्तर निर्यात ऋण में बैंकों की सहायता।	भारत में वाणिज्यिक बैंक	10 प्रतिशत

मूल्य वर्धित कर में संशोधन

6433. श्री एच० एम० पटेल : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रस्तावित "मोडवैट" योजना लागू किये जाने से व्यापार तथा वाणिज्यिक क्षेत्रों में भ्रान्ति उत्पन्न हो गई है;

(ख) क्या यह भी सच है कि सरकार ने मूल्य वर्धित कर में और संशोधन करने का भी निर्णय किया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) मॉडवेट स्कीम को आरम्भ किए जाने से, इसके कुछेक पहलुओं के सम्बन्ध में, व्यापार और वाणिज्यिक क्षेत्रों द्वारा स्पष्टीकरण मांगे गए हैं।

(ख) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

बैंकों के सम्बन्ध में सुखमोय चक्रवर्ती समिति की सिफारिश

6424. **श्री एच० एम० पटेल :**
श्री प्रकाश बी० पाटिल : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मुद्रा सुधारों सम्बन्धी सुखमोय चक्रवर्ती समिति ने बैंकों के बीच मूल्य प्रतियोगिता प्रणाली (एलीमेंट आफ प्राइस कम्पीटीशन) लागू करने की सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो उक्त समिति द्वारा दिये गए निश्चित सुझाव क्या हैं;

(ग) सरकार द्वारा कार्यान्वयन के लिए कितने सुझावों को स्वीकार कर लिया गया है; और

(घ) इन सुझावों को कब से लागू किया जाएगा ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) मौद्रिक प्रणाली के कार्यचालन की समीक्षा करने वाली समिति (सुखमोय चक्रवर्ती समिति) ने सुझाव दिया है कि बैंकों को कुछ मात्रा में मूल्य प्रतियोगिता स्वीकार करनी चाहिए।

(ख) समिति ने "नियंत्रित प्रतियोगिता" शुरू करने की सिफारिश की है जिसमें 5 वर्ष और इससे अधिक की परिपक्वता सहित बैंक जमा राशियों पर ब्याज दर जिसका निश्चय भारतीय रिजर्व द्वारा किया जाएगा और उधार देने की बुनियादी दर के बीच प्रशासित व्याप्ति से बैंकों की उधार देने की गैर रियायती दर के लिए एक आधार प्राप्त होगा। इस दृष्टिकोण का लक्ष्य असमान आकार के बैंकों के बीच प्रतियोगिता की रोकथाम करना और जमाराशियों तथा उधार देने की दरों के बीच न्यूनतम व्याप्ति का सुनिश्चियन करना है जो इतना विस्तृत तो हो जिससे सक्षम बैंक कार्यकलापों के लिए एक आधार प्रदान करने के वास्ते काफी व्यापक है। किन्तु यह इतनी संकीर्ण भी है कि इससे बैंक प्रशासन में शिथिलता को रोका जा सकता है। समिति ने यह

सिफारिश भी की है कि बैंकों को एक वर्ष से अधिक की भिन्न-भिन्न परिपक्वताओं वाली जमा राशियों पर ब्याज दरों की पेशकश करने की इस शर्त के साथ छूट होनी चाहिए कि ये दरें 5 वर्ष या इससे अधिक की परिपक्वताओं वाली जमा राशियों के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित अधिकतम ब्याज दरों से अधिक न हों (पैरा 10, 20)।

(ग) और (घ) प्रशासित ब्याज दरों के ढांचे में किये जाने वाले संशोधनों की भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा लगातार समीक्षा की जाती है जब-जब परिस्थितिवश आवश्यक होगा ब्याज दर के ढांचे में परिवर्तन किये जाएंगे।

तेल की खोज के लिए विश्व बैंक से सहायता

6435. **श्री एन० डेनिस** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने सातवीं पंचवर्षीय योजना अवधि में तेल की खोज और गैस कार्यक्रम के लिए विश्व बैंक से सहायता मांगी है; और

यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) इस समय, आयल इंडिया लिमिटेड की एक अन्वेषण तथा विकास परियोजना (अनुमानित लागत 700 करोड़ रुपये) और तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग दक्षिणी बेसिन चरण II परियोजना (अनुमानित लागत 460 करोड़ रुपये) के सम्बन्ध में विश्व बैंक के साथ विचार-विमर्श चल रहा है।

तमिलनाडु में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक खोलना

6436. **श्री एन० डेनिस** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक खोलने के प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे बैंक किन-किन स्थानों पर खोलने का विचार है; और

(ग) क्या इस प्रकार के बैंक खोलने के लिए औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े जिलों पर विशेष ध्यान दिए जाने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सम्बन्धी संचालन समिति ने सरकार को हाल ही में सेलम और दक्षिण आर्कट में दो और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक खोलने की सिफारिश भेजी है। प्रस्तावों की छानबीन की जा रही है।

(ग) चूंकि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का मुख्य उद्देश्य समाज के कमजोर वर्गों को वित्तीय सहायता देना है। इसलिए नए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक खोलने में मुख्य रूप से औद्योगिक पिछड़ेपन के मुकाबले लक्षित वर्ग को ऋण की उपलब्धता की कमी पर अधिक विचार किया जाता है।

सीमा शुल्क विभाग के अधिकारियों के घरों पर छापे

6437. **डा० फूलरेणु गुहा** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने हाल ही में सीमा शुल्क विभाग के अधिकारियों के घरों पर छापे मारे हैं;

(ख) यदि हां, तो छापों में कुल कितनी सम्पत्ति पकड़ी गई; और

(ग) दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) वर्ष 1986 के दौरान (दिनांक 28.2.1986 तक) केन्द्रीय जांच ब्यूरों के द्वारा, सीमा शुल्क विभाग के 8 अधिकारियों के परिसरों में 10 तलाशियां ली गई हैं। इन छापों में 2,18,115.00 रु. के मूल्य की परिसम्पत्तियां (चल तथा अचल) बरामद हुई। इन तलाशियों के आधार पर केन्द्रीय जांच ब्यूरों के द्वारा आगे जांच पड़ताल के लिए, 4 मामले दर्ज किए गए हैं।

मिदनापुर जिला (पश्चिम बंगाल) में स्व-रोजगार योजना के अन्तर्गत बैंकों द्वारा सहायता

6438. **डा फूलरेणु गुहा** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) फरवरी 1986 तक जिला उद्योग केन्द्र, मिदनापुर जिला, पश्चिम बंगाल द्वारा स्व-रोजगार योजना के अन्तर्गत सहायता उपलब्ध करने के लिए इस जिले में बैंकों की प्रत्येक शाखा को कितने मामले भेजे गए;

(ख) फरवरी, 1986 तक कितने व्यक्तियों को यह सहायता दी गई और कितने मामलों में यह सहायता नहीं दी गई; और

(ग) शेष व्यक्तियों को कब तक सहायता दिए जाने की संभावना है ?

वित्त मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) जिला उद्योग केन्द्रों और बैंकों की वर्तमान आंकड़ा सूचना प्रणाली से बैंक-वार/शाखा-वार सूचना प्राप्त नहीं होती है। अलबत्ता, राज्य सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार, वर्ष 1983-84 के लिए जिला उद्योग केन्द्र, मिदनापुर द्वारा भेजे गए 3308 आवेदन पत्रों में से 2684 के मामलों में, बैंकों ने 506.40 लाख रुपये की राशि की मंजूरी दी थी। वर्ष 1984-85 के लिए जिला उद्योग केन्द्र, मिदनापुर द्वारा भेजे गये 4037 आवेदन पत्रों में से 3145 मामलों में, 955.52 लाख रुपये के कर्ज मंजूर किये गए थे। वर्ष 1985-86 के सम्बन्ध में राज्य सरकार से अभी तक सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

केन्द्रीय भंडागार निगम गोदामों की भंडारण क्षमता

6439. **डा. फूलरेणु गुहा** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में केन्द्रीय भंडागार निगम के कितने गोदम हैं; और

(ख) इन गोदामों की अनुमानित भंडारण क्षमता कितनी है ?

योजना तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० के० पंजा) : (क) और (ख) 28.2.1986 की स्थिति के अनुसार, सेन्ट्रल वेयर हाउसिंग कारपोरेशन के पास अपने और किराये के, दोनों को मिलाकर 421 भंडागार थे जिनकी कुल ढकी हुई भंडारण क्षमता 52.91 लाख मीटरी टन थी।

[हिन्दी]

उचित मूल्य की दुकानों पर आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता

6440. **श्री मूलचन्द डागा** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नागरिक पूर्ति विभाग के अन्तर्गत उचित मूल्य की दूकानों की संख्या में वृद्धि हो जाने के बाद भी प्रति माह प्रति व्यक्ति केवल 2 कि० ग्रा० अनाज ही उपलब्ध कराया जाता है; और

(ख) गत दो वर्षों के दौरान प्रत्येक राज्य को वितरण के लिए कितनी मात्रा में अनाज सप्लाई किया गया तथा इस अवधि में उन राज्यों में उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से वास्तव में कितनी मात्रा में अनाज का वितरण किया गया।

योजना तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० के० पंजा) : (क) सरकार के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार, उचित दर की दुकानों के माध्यम से उपभोक्ताओं को सप्लाई किये गये खाद्यान्न (चावल तथा गेहूं) की मात्रा भिन्न-भिन्न राज्यों में अलग अलग है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा भेजी गई जानकारी के आधार पर उपभोक्ताओं को सप्लाई किये गये अन्न (चावल तथा गेहूं) की मात्रा प्रति व्यक्ति प्रति माह 2 कि० ग्रा० से अधिक है।

(ख) विवरण संलग्न है।

विवरण

1984 तथा 1985 के वर्षों के दौरान राज्यों संघ क्षेत्रों को आबंटित तथा उनके द्वारा उठाई गई गेहूं और चावल की मात्रा

(हजार मीटरी टन)

क्रम संख्या	राज्य संघ राज्य क्षेत्र	1984 चावल आबंटित	1984 चावल उठाई गई मात्रा	1984 गेहूं आबंटित	1984 गेहूं उठाई गई मात्रा	1985 चावल आबंटित	1985 चावल उठाई गई मात्रा	1985 गेहूं आबंटित	1985 गेहूं उठाई गई मात्रा
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	1010	991.10	252	103	1090	975.40	252	88.30
2.	असम	235	220.8	303	141.30	335	294.30	362.8	154.70
3.	अरूणाचल प्रदेश	43.1	35.80	16.8	3.90	46.8	39.60	16.8	3.50
4.	बिहार	222	83.70	864	270.0	237	27.70	864	235.30
5.	गुजरात	90	91.80	210	17.80	145	108.70	380	107.00
6.	हरियाणा	26.4	9.10	175	51.80	30.3	9.10	295	99.90
7.	हिमाचल प्रदेश	35	31.40	36	23.20	60	42.50	47	42.60
8.	जम्मू और कश्मीर	156	121.20	110.2	77.40	164	113.10	144	67.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9.	कर्नाटक	240	231.90	180	73.90	414	365.20	180	68.70
10.	केरल	1360	1322.60	420	146.0	1460	1381.90	420	110.60
11.	मध्यप्रदेश	222	167.20	300	45.40	247	199.48	340	138.80
12.	महाराष्ट्र	300	270.70	720	313.50	390	349.30	720	276.00
13.	मणिपुर	36	26.80	24	11.50	40	26.30	24	3.0
14.	मेघालय	78	80.60	25.2	14.40	86.5	86.20	25.2	3.50
15.	नागालैण्ड	48	48	18	9.30	52	43.00	18	0.80
16.	त्रिपुरा	91	85.30	30	6.10	107.5	87.80	30	4.80
17.	मिजोरम	61	58.70	12.6	6.10	70	49.10	12.6	1.20
18.	उड़ीसा	75	42.90	221	146.10	157	73.20	276	75.50
19.	पंजाब	6	1.40	96	14.9	9.6	2.00	103	16.30

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20.	राजस्थान	12	4.50	336	5.0	16	6.20	380	181.50
21.	तमिलनाडु	335	271.50	360	94.50	455	373.70	360	68.00
22.	उत्तर प्रदेश	320	262	540	103.90	385	167.90	590	137.80
23.	प० बंगाल	1320	961.90	1512	799.40	1375	730.60	1512	669.0
24.	दिल्ली	180	153.70	547	358.40	215	144.30	552	356.10
25.	सिक्किम	42.5	36.50	3	3.30	45	33.80	3	1.80
26.	अण्डमान व निकोबार द्वीप समूह	12.3	4.00	6	4.90	14.5	0.30	9.2	4.10
27.	गोवा दमन द्वीप	36	34.10	27.6	15.00	44.5	36.50	27.6	12.70

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
28.	पाण्डिचेरी	23	5.30	2.64	1.10	18.5	7.40	2.64	3.40
29.	चंडीगढ़	3.0	2.9	21.3	1.30	3.05	3.05	21.6	1.10
30.	लक्ष्यद्वीप	5.5	4.0	0.07	...	5.5	1.30	0.07	...
31.	दादरा नगर हवेली	1.2	0.90	0.24	...	1.2	9.30	0.24	...
	योग	6625	5622.30	7369.65	2862.40	7719.95	5785.40	7968.75	2933.00

पूर्ति विभाग तथा पूर्ति और निपटान महानिदेशालय को बन्द करने का प्रस्ताव

6441. **श्री मूलचन्द डागा :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार, पूर्ति विभाग तथा पूर्ति और निपटान महानिदेशालय को बन्द करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो ऐसा कदम उठाने के क्या कारण हैं जबकि ये दोनों लम्बे समय से कुशलतापूर्वक काम कर रहे हैं; और

(ग) क्या पूर्ति और निपटान महानिदेशालय के बन्द किए जाने के परिणामस्वरूप सम्बन्धित क्रेता विभागों को उसी वस्तु के लिए अधिक मूल्य देने पड़ेंगे जिससे अकुशलता बढ़ेगी और कदाचार होंगे ?

वाणिज्य तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री (श्री पी० शिवशंकर) (क) : केन्द्रीय रूप से खरीदों के लिए, पूर्ति विभाग की जिम्मेदारियों को, क्रमशः कम करने का प्रस्ताव विचाराधीन है।

(ख) ऐसे तरीकों की जांच करने के लिए, जिनसे पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय में अनावश्यक कार्य को समाप्त किया जा सके तथा बिलम्ब को कम किया जा सके।

(ग) इस बारे में, अभी तो निश्चित रूप से कुछ भी नहीं कहा जा सकता।

प्रारूप एवं तकनीकी विकास के लिए क्षेत्रीय केन्द्र

6442. **श्री मूलचन्द डागा :** क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रारूप एवं तकनीकी विकास के लिए कुल कितने क्षेत्रीय केन्द्र हैं;

(ख) उन स्थानों के नाम क्या हैं जहां के केन्द्र खुले हुए हैं;

(ग) प्रत्येक क्षेत्रीय केन्द्र में वर्ष 1981-82 से आगे की अवधि के दौरान प्रति वर्ष कुल कितने प्रारूपों पर कार्य हुआ है;

(घ) वर्ष 1981-82 से आगे सभी केन्द्रों के (एक) कर्मचारियों (दो) सामग्री पर कितना वार्षिक खर्च होता है;

(ङ) वर्ष 1981-82 से सभी केन्द्रों की वार्षिक आमदनी कितनी है;

(च) क्या उक्त केन्द्रों की तकनीकी शाखाओं का कभी मूल्यांकन किया गया है;

(छ) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं;

(ज) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) व्यापार द्वारा कितने प्रतिशत प्रारूप स्वीकार किए जाते हैं ?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खां) (क) : चार।

(ख) बंगलौर, बम्बई, कलकत्ता और नई दिल्ली।

(ग) क्षेत्रीय डिजाइन तथा तकनीकी विकास केन्द्रों में जितने डिजाइनों पर कार्य हुआ उनकी कुल संख्या नीचे दी गई है :—

वर्ष	बंगलौर	बम्बई	कलकत्ता	नई दिल्ली
1981-82	170	187	483	133
1982-83	181	145	433	68
1983-84	168	166	421	94
1984-85	172	169	475	87
1985-86	181	177	517	33

(घ) किया गया वार्षिक खर्च नीचे दिया गया है :—

वर्ष	बंगलौर		बम्बई		कलकत्ता		नई दिल्ली	
	स्टाफ	सामग्री	स्टाफ	सामग्री	स्टाफ	सामग्री	स्टाफ	सामग्री
1981-82	11.98	0.64	5.37	0.05	7.13	0.05	5.20	0.12
1982-83	14.11	0.79	5.71	0.11	8.19	0.08	6.35	0.15
1983-84	15.70	0.60	6.43	0.51	9.32	0.08	6.77	0.16
1984-85	17.86	0.75	7.15	0.91	10.34	0.20	9.43	0.22
1985-86	20.22	0.84	7.63	0.10	10.72	0.07	8.18	0.31

(ङ) चूंकि क्षेत्रीय डिजाइन तथा तकनीकी विकास केन्द्रों की गतिविधियां विकासात्मक स्वरूप की है इसलिए आय कमाने का प्रश्न नहीं उठता।

(च) जी हां !

(छ) बंगलौर स्थित तकनीकी स्कंध को अच्छा काम करने वाला पाया गया है लेकिन अन्य तीन को पूर्णतया संतोषजनक नहीं पाया गया है।

(ज) प्रश्न नहीं उठता।

(झ) व्यापार द्वारा स्वीकार किए गए डिजाइनों की प्रतिशतता नीचे दी गई है :—

बंगलौर	बम्बई	कलकत्ता	नई दिल्ली
59.4 प्रति.	53.22 प्रति.	39.80 प्रति.	75.00 प्रति.

रेशम के उत्पादों का निर्यात

6443. **श्री के० रामचन्द्र रेड्डी** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार मलबरि कुकून रेशम के धागे, रेशम के कपड़े और रेशम के सिले हुए कपड़ों के निर्यात की सम्भावना का पता लगाने का है;

(ख) क्या इन वस्तुओं के निर्यात से किसानों को बेहतर मूल्य मिलने लगेंगे; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा रेशम के उत्पादनों के निर्यात के लिए कोई कदम उठाए न जाने के क्या कारण हैं ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) से (ग) वर्तमान आयात-निर्यात नीति में 'गुणावगुण' के आधार पर शहतूत कोयों तथा कच्चे रेशम के निर्यात की अनुमति की व्यवस्था है। तथापि, भारत से शहतूत कोयों तथा रेशम यार्न के निर्यात को प्रोत्साहन नहीं दिया जाता है क्योंकि रेशम कपड़े, रेशम क्लोदिंग जिनमे तैयार वस्त्र, परिधान आदि शामिल हैं, जैसी मूल्य वर्धित मदों के निर्यात पर जोर दिया जाता है। ऐसी नीति से न केवल अतिरिक्त रोजगार अवसर मिलते हैं बल्कि बेहतर लाभ भी मिलते है। रेशम माल के निर्यात में काफी वृद्धि हुई है और उसे बढ़ाने की सम्भावनाओं का पता लगाने के लिए बराबर प्रयास किए जा रहे हैं।

गोवा की यात्रा करने वाले देशी और विदेशी पर्यटक

6444. **श्री शांताराम नायक** : क्या संसदीय कार्य और पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1983-84 से 1985-86 तक कितने देशी और विदेशी पर्यटकों ने गोवा की यात्रा की और तत्सम्बन्धी वर्षवार आँकड़े क्या हैं;

(ख) वर्ष 1986-87 में वहाँ कितने पर्यटकों के आगमन की आशा है; और

(ग) गोवा में कार्निवल उत्सव से वहां पर्यटक आवागमन में कितनी वृद्धि होती है ?

संसदीय कार्य और पर्यटन मन्त्री (श्री एच० के० एल० भगत) (क) गोआ सरकार के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार गत तीन वर्षों के दौरान गोआ की यात्रा करने वाले पर्यटकों की संख्या इस प्रकार है :—

वर्ष	विदेशी पर्यटक	स्वदेशी पर्यटक
1983	33,575	496,440
1984	62,265	607,727
1985	92,667	682,542

(ख) 1986 के दौरान एक लाख से अधिक विदेशी पर्यटकों और 7.5 लाख स्वदेशी पर्यटकों द्वारा गोआ की यात्रा करने की आशा है।

(ग) कार्निवल उत्सव गोआ में पर्यटन का संवर्धन करता है और यह पाया गया है कि उत्सव की अवधि के दौरान संघ शासित क्षेत्र में पर्यटक यातायात में शेष अवधि की तुलना में अधिक वृद्धि होती है।

दमन समुद्र तट का विकास

6445. श्री शांताराम नायक : क्या संसदीय कार्य और पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मन्त्रालय ने गोवा, दमन और दीव संघ राज्य क्षेत्र में दमन समुद्र-तट का सर्वेक्षण किया है;

(ख) क्या उनके मन्त्रालय की इस समुद्र-तट का विकास करने की कोई योजना है; और

(ग) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य और पर्यटन मन्त्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) जी हां !

(ख) और (ग) : दमन समुद्र-तट का विकास करने सम्बन्धी कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

गोवा किस्म के काजू का निर्यात

6446. श्री सीताराम नायक : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कौन-कौन से राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों में काजू की खेती की जाती है ;

(ख) 1984-85 के दौरान कुल कितनी मात्रा में गोवा किस्म के काजू का निर्यात किया गया; और

(ग) वर्ष 1985-86 में काजू की इसी किस्म का कितना निर्यात किए जाने की सम्भावना है ?

वाणिज्य तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) काजू केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गोआ, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, पांडिचेरी तथा त्रिपुरा राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों में उगाए जाते हैं।

(ख) 1884-85 के दौरान गोआ से कुल 75.55 मैं० टन काजू निर्यात किया गया।

(ग) 1985-86 के दौरान गोआ से कुल 221.72 मैं० टन काजू निर्यात किया गया है।

स्रोत: गोआ सरकार।

कम्पनियों द्वारा कर अपवंचन

6447. **श्री पी० आर० कुमारमंगलम** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिनांक 23 फरवरी, 1986 के "इकानॉमिक टाइम्स" में प्रकाशित समाचार के अनुसार अनेक बड़ी "फेरा" कम्पनियों और अन्य भारतीय कम्पनियों को कर अपवंचन करने और धन की हेरा फेरी करने के कारण पकड़ा गया है ;

(ख) यदि हां, तो इन कम्पनियों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या हाल ही में अनेक मामलों का भेद खुलने के कारण इन कम्पनियों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (घ) : सूचना यथा संभव सीमा तक एकत्र की जा रही है और उसे सदन पटल पर रख दिया जाएगा।

काफी के छोटे उत्पादकों द्वारा काफी बोर्ड की ऋण योजनाओं का लाभ

6448. **श्री सुरेश कुरुप** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) काफी उत्पादकों की सहायता के लिए काफी बोर्ड द्वारा किस प्रकार की विकासीय ऋण योजनाओं को स्वीकृति दी गई है ;

(ख) वर्ष 1983 से 1985 तक ऐसी प्रत्येक ऋण योजना का लाभ उठाने वाले छोटे उत्पादकों की संख्या क्या है; और

(ग) केरल में इन सभी ऋण योजनाओं का लाभ उठाने वाले छोटे उत्पादकों की संख्या क्या है ?

वाणिज्य तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) से (ग) काफी बोर्ड द्वारा क्रियान्वित की जा रही विकासात्मक ऋण योजनाओं के प्रकार और लघु उपजकर्त्ताओं की कुल संख्या तथा केरल में उनकी संख्या जिन्होंने 1982-83 से 1984-85 के दौरान प्रत्येक योजनाओं का लाभ उठाया है, निम्नोक्त प्रकार है :—

क्रमांक	योजना का नाम	लघु उपजकर्ता की संख्या जिन्होंने प्रत्येक योजना से लाभ उठाया है ।	केरल से लघु उपजकर्त्ताओं की संख्या जिन्होंने प्रत्येक योजना से लाभ उठाया है ।
1.	गहन खेती ऋण	561	122
2.	पुनरोपण ऋण	195	33
3.	विस्तृत खेती ऋण	107	17
4.	विशेष उद्देश्य ऋण	651	457
5.	फसल आडमान	9,339	5,895
6.	किराया खरीद ऋण	452	26

काफी हाउसों को हुई हानि

6449. **श्री सुरेश कुरुप** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) काफी बोर्ड के अधीन कितने काफी हाउस हैं;

(ख) क्या यह सच है कि ये काफी हाउस घाटे में चल रहे हैं; और

(ग) वर्ष 1982 से 1985 के दौरान प्रत्येक वर्ष इन काफी हाउसो को कुल कितनी हानि हुई ?

वाणिज्य तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) से (ग) काफी हाउस काफी को बढ़ावा देने के लिए शुरू किए गए थे न कि वाणिज्यिक कार्यों के लिए । इस लिए वाणिज्यिक आधार पर लेखे नहीं रखे जाते हैं । इस समय बोर्ड के अधीन आठ काफी हाउस हैं और पिछले तीन वर्षों के दौरान इन काफी हाउसों को चलाने के सम्बन्ध में प्राप्तियों की तुलना में निवल आधिक्य व्यय निम्नोक्त प्रकार रहा :—

वर्ष	रु०
1982-83	1,57,898
1983-84	23,38,726
1984-85	9,55,634

काफी बोर्ड के अन्तर्गत परिष्करण (क्योरिंग) केन्द्र

6450. **श्री सुरेश कुरुप** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) काफी बोर्ड के अन्तर्गत कितने परिष्करण केन्द्र हैं ;

(ख) देश में कितने गैर-सरकारी परिष्करण केन्द्र कार्य कर रहे हैं;

(ग) क्या काफी बोर्ड के अन्तर्गत और अधिक परिष्करण केन्द्र खोलने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

वाणिज्य तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) से (घ) : बोर्ड द्वारा अनुज्ञप्त, 40 क्योरिंग वर्क्स में से 5 सहकारी क्षेत्र में और शेष निजी क्षेत्र में हैं।

वर्तमान क्योरिंग क्षमता 167,000 मी० टन की है। काफी बोर्ड द्वारा 21,000 मी० टन की अतिरिक्त क्योरिंग क्षमता के लिए आशय पत्र जारी किए गए हैं।

उड़ीसा में यूनाइटेड कर्मशियल बैंक की शाखाएं खोलना

6451. **श्री राधाकान्त डिगाल** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा के फूलबनी, कालाहन्डी और बोलानगीर जिलों में यूनाइटेड कर्मशियल बैंक की कितनी शाखाएं खोली गई हैं; और

(ख) इन जिलों में किन-किन स्थानों पर उक्त बैंक की शाखाएं खोली गई हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जर्नादन पुजारी) : (क) और (ख) : भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि 30 नवम्बर, 1985 को यूको बैंक की फूलबनी जिले में 9, कालाहांडी जिले में 2 बोलानगीर जिले में एक शाखा थी। इन शाखाओं की अवस्थिति का विवरण नीचे दिया गया है :

जिले का नाम	शाखा की अवस्थिति
फूलबनी	1. फूलबनी—मेन रोड

(बौद्ध-खंडमाल)	2. रैकिआ
	3. फिरिंजिआ
	2. गुमागढ़
	5. नोपादर
	6. सुद्रकुम्पा
कालाहांडी	1. केसिंगा
	2. रिशीदा
बोलनगीर	1. बोलनगीर

बम्बई की राष्ट्रीय कपड़ा मिलों को महाराष्ट्र के पिछड़े इलाकों में स्थानांतरित करने का प्रस्ताव

6452. **श्री हुसैन दलवाई** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का राष्ट्रीय कपड़ा निगम द्वारा बम्बई में चलाई जा रही मिलों का महाराष्ट्र के पिछड़े तथा अविकसित क्षेत्रों में स्थानान्तरित करने के सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है!

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव का ब्यौरा तथा उद्देश्य क्या हैं; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) जी नहीं।

(ख) तथा (ग) : प्रश्न ही नहीं उठते।

मजदूरों के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत करघों का विस्तार

6453. **श्री हुसैन दलवाई** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत करघों के विस्तार के बारे में केन्द्रीय सरकार की नीति क्या है;

(ख) क्या यह सच है कि महाराष्ट्र में मफत लाल द्वारा रत्नगिरी जिले में चिपलेम में विद्युत करघे उपलब्ध करके कोंकण क्षेत्र के सेवा निवृत्त कपड़ा मजदूरों का पुनर्वास किया गया था; और

(ग) सरकार द्वारा कोंकण क्षेत्र में जहां के अधिकांश कपड़ा मजदूर निवासी हैं, अन्य स्थानों में इसी प्रकार के एकक मन्जूर न करने के क्या कारण हैं ?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) वस्त्र नीति में व्यवस्था है

कि बिजली करघा क्षेत्र में उत्पादन कार्य स्थानगत संवितरण के उद्देश्य के अनुसार किया जाना चाहिए।

(ख) उपलब्ध जानकारी के अनुसार मफतलाल सर्विसिज की सहायता से कोंकण के विकास निगम ने 96 करघों से एक बिजली करघा परियोजना स्थापित की है।

(ग) सरकार की कोई विशिष्ट स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है। अनिवार्य पंजीकरण और स्थानगत मार्गदर्शी सिद्धान्तों की आवश्यकताओं के आधार पर बिजली करघे स्थापित किए जा सकते हैं।

बम्बई की रुग्ण मिलों को पिछड़े क्षेत्रों में ले जाने का प्रस्ताव

6454. **श्री हुसैन दलवाई** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बम्बई में रुग्ण मिलों के मालिकों ने केन्द्रीय सरकार को एक प्रस्ताव भेजा है जिसमें उन्होंने उन मिलों को पिछड़े क्षेत्रों में ले जाने की योजना रखी है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस प्रस्ताव पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) से (ग) : विगत में महाराष्ट्र सरकार को कुछ मिलों के पिछड़े क्षेत्रों में स्थानान्तरित करने के कुछ प्रस्ताव किए गए थे बशर्ते कि उन्हें शहरी भूमि को बेचने की अनुमति दी जाए। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, पार्टियों द्वारा इन मामलों में इस आधार पर आगे कार्यवाही नहीं की गई कि निर्णय महाराष्ट्र सरकार द्वारा लिया जा सकता है।

राष्ट्रीय कपड़ा निगम की मिलों के आधुनिकीकरण के लिए वित्तीय सहायता

6455 **श्री हुसैन दलवाई** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय कपड़ा निगम द्वारा चलाई जा रही सभी राष्ट्रीयकृत और रुग्ण मिलों को यदि लाभ पर चलाया जाना है तो उसमें तत्काल आधुनिकीकरण की आवश्यकता है;

(ख) क्या यह भी सच है कि वित्तीय सहायता की कमी के कारण मिलें भारी घाटे में चल रही हैं अथवा केवल बहुत ही कम लाभ कमा रही हैं; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इन मिलों के आधुनिकीकरण और बेहतर कार्यचालन के लिए वित्तीय संस्थानों को यह निदेश देने का है कि वे राष्ट्रीय कपड़ा निगम को और अधिक ऋण दें ?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) जी हां । एन० टी० सी० की राष्ट्रीवकृत मिलों को अर्थ-क्षम बनाने के लिए मशीनों का नवीकरण तथा प्रौद्योगिकीय स्तर सुधार अपेक्षित है ।

(ख) वस्त्र एककों का आधुनिकीकरण एक सतत प्रक्रिया है । एन० टी० सी० की राष्ट्रीय-कृत एककों के आधुनिकीकरण/नवीकरण पर 31 मार्च, 1985 तक 301 करोड़ रुपये की राशि पहले ही खर्च की जा चुकी है । एन० टी० सी० मिलों की निरन्तर हानियों के प्रमुख कारण निम्नोक्त प्रकार हैं :—

(1) पुरानी तथा अप्रचलित मशीनें;

(2) अनियमित बिजली सप्लाई तथा बिजली की कमी, कैप्टिव पावर की ऊंची लागत आदि के कारण संस्थापित क्षमता का कम उपयोग;

(3) रुई की कीमतों में विशेष रूप से 1980-81 के मध्य से 1984-85 तक असाधारण वृद्धि ;

(4) बिजली. कोयला, डाइयों तथा रसायनों, स्टोरों तथा अतिरिक्त पुर्जों की लागत में वृद्धि;

(5) अधिक श्रमिक बल;

(6) मजदूरी/वेतनों में वृद्धि;

(7) कम कार्य मानदंड तथा कम उत्पादकता ।

(ग) राष्ट्रीयकृत एन० टी० सी० मिलों के आधुनिकीकरण के लिए संस्थागत स्रोतों से वित्त जुटाने और आस्थिगत भुगतान ऋणों की सम्भाव्यताओं का पता लगाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं ।

[हिन्दी]

गलीचों का निर्यात

6456. **प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान विदेशों में कुल कितने मूल्य के गलीचों का निर्यात किया गया तथा गलीचों के मुख्य आयातकर्त्ता देशों के नाम क्या हैं;

(ख) सरकार का विचार इस उद्योग को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाने का है; और

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार राजस्थान और उत्तर प्रदेश में गलीचों के व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए विशेष सहायता प्रदान करने का है ?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान नमदों सहित ऊनी कालीनों, गलीचों एवं दरियों का अनन्तिम निर्यात मूल्य निम्नोक्त प्रकार है :—

	(करोड़ रु० में)
1983-84	147.70
1984-85	157.60
1985-86 (अप्रैल-नवम्बर, 84)	90.62
1985-86 (अप्रैल-नवम्बर, 85)	108.28

हाथ से गांठ लगे ऊनी कालीनों के मुख्य आयातक देश हैं पश्चिम जर्मनी, सं० रा० अमरीका, स्वीटजर लैंड, सोवियत संघ एवं ब्रिटेन आदि।

(ख) तथा (ग) : इस उद्योग को बढ़ावा देने के लिए निम्नोक्त कदम उठाए गए हैं :—

(1) बुनकरों को हाथ से गांठ लगाकर बुने जाने वाले कालीन का तथा क्लीजिंग, धुलाई आदि जैसे अन्य सम्बद्ध कार्यकर्त्ताओं को उच्च प्रशिक्षण देना। देश में ऐसे 450 प्रशिक्षण केन्द्र चलाये जा रहे हैं जिनमें से 140 बड़े प्रशिक्षण केन्द्र और 63 उच्च प्रशिक्षण केन्द्र उत्तर प्रदेश तथा राजस्थान में कार्यरत हैं।

(2) अगर कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए छोटे यांत्रिक साधनों का उपयोग किया जाता है तो हाथ से गांठ लगे ऊनी कालीनों को उत्पादन शुल्क से छूट देना।

(3) आर० ई० पी० लाइसेंस के आधार पर कच्ची ऊन के शुल्क मुक्त आयात तथा क्वालिटी सुधारने के लिए आयातित ऊन के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए ऊन के आयातों पर शुल्क में कमी।

(4) निर्यातों के लिए नकद मुआवजा सहायता।

इसके अतिरिक्त निम्नोक्त उपाय भी किए जाने का प्रस्ताव है :—

(1) भदोई, उ० प्र० में कालीन प्रौद्योगिकी के लिए एक संस्थान की स्थापना करना।

(2) महत्वपूर्ण देशो में नियोजित उत्पादक तकनीकों का अध्ययन करने के लिए चीन तथा सोवियत संघ को अध्ययन दलों का दौरा।

(3) इन देशों को बिक्री सह-अध्ययन दलों का दौरा प्रायोजित करके निर्यात बाजारों का विस्तार करना।

पर्यटन उद्योग का विकास

6457. प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत : क्या संसदीय कार्य और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान पर्यटन को बढ़ावा देने और विदेशी मुद्रा कमाने के उद्देश्य से होटल उद्योग को प्रोत्साहन देने के लिए कोई कदम उठाने का है;

(ख) क्या केन्द्रीय और राज्य सरकारों का विचार होटल उद्योग को विशेष प्रोत्साहन देकर इसे एक लाभप्रद उद्योग बनाने का है ताकि इस उद्योग में अनेक शिक्षित व्यक्तियों को रोजगार दिया जा सके; और

(ग) पर्यटन के लिए प्रसिद्ध स्थानों को विकसित करने के लिए सरकार द्वारा क्या अन्य कदम उठाए जाने का विचार है ताकि इस उद्योग से अनेक लोग जीविकोपार्जन कर सकें ?

संसदीय कार्य और पर्यटन मंत्री (श्री एच. के. एल. भगत) : (क) और (ख) : होटल उद्योग की वृद्धि और संवर्धन करने और इसे लाभप्रद बनाने के लिए पहले ही अनेक प्रोत्साहन उपलब्ध हैं। इनमें शामिल हैं—कर से राहत, ब्याज इमदाद, कुछ मदों पर सीमा शुल्क में रियायत, प्रचार संवर्धन और आयात करने के लिए विदेशी मुद्रा का आबंटन, होटलों की विभिन्न जरुरतों पर प्राथमिकता पूर्वक विचार, आदि।

राज्य सरकारों से भी होटल उद्योग का संवर्धन करने के लिए उपयुक्त प्रोत्साहन देने के वास्ते अनुरोध किया गया है ताकि अधिक शिक्षित लोगों को इस उद्योग में रोजगार मिल सके।

(ग) पर्यटन विभाग ने सम्बन्धित राज्य सरकारों के परामर्श से प्रत्येक राज्य में पर्यटक महत्व के केन्द्रों का निर्धारण किया है जिनका राज्य, केन्द्र और निजी क्षेत्र के मिश्रित संसाधनों द्वारा अवस्थाबद्ध विकास किया जाएगा।

चमड़े का निर्यात

6458. प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत :
श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन देशों के नाम क्या हैं जहां पिछले तीन वर्षों के दौरान चमड़े का निर्यात किया गया और इससे प्रतिवर्ष कितनी विदेशी मुद्रा की आय हुई;

(ख) वर्ष 1984-85 में इन देशों द्वारा कितना चमड़ा खरीदा गया और उसका मूल्य कितना था;

(ग) सरकार द्वारा चमड़े के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(घ) सरकारी क्षेत्र में कुल कितने चमड़ा उद्योग हैं और देश में ये कहां-कहां स्थित हैं तथा उनका वर्ष-वार उत्पादन कितना है ?

वाणिज्य तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति (मंत्री श्री पी० शिव शंकर) : (क) वे प्रमुख देश जिनको गत तीन वर्षों के दौरान चमड़े का निर्यात किया गया, ये हैं, इटली, जर्मन संघीय गणराज्य फ्रांस, यू० के०, सोवियत संघ, सं० रा० अमरीका, जापान आदि। चमड़ा निर्यातों के लिए परिषद के अनुसार 1982-83, 1983-84 तथा 1984-85 के दौरान चमड़े के निर्यातों से अर्जित विदेशी मुद्रा क्रमशः 254.30 करोड़ रु०, 248.92 करोड़ रु० तथा 357.68 करोड़ रु० की थी।

(ख) 1984-85 के दौरान इन देशों को निर्यातित चमड़ा 2162.29 मिलियन किग्रा० था जिसका मूल्य 357.68 करोड़ रू० था।

(ग) विदेशी मेलों, प्रदर्शनियों में सहभागिता महत्त्वपूर्ण विदेशी बाजारों में क्रेता-विक्रेता बैठकों का आयोजन, बिक्री, अध्ययन दलों को प्रायोजित करना, निर्यात उत्पादन के लिए अनिवार्य अन्तर्निविष्ट साधनों की आसानी से प्राप्ति आदि उन उपायों में शामिल हैं जिन्हें कि चमड़े के निर्यात के लिए किया जा रहा है।

(घ) केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र में दो ऐसे एकक हैं जो कि चमड़े तथा चमड़े के सामान के उत्पादन में लगे हैं। ये हैं, भारत लैदर कारपोरेशन जिसका पंजीकृत कार्यालय आगरा में है तथा टेनेरी व फुटवियर कारपोरेशन आफ इंडिया मिल जिसका पंजीकृत कार्यालय कानपुर में है। गत तीन वर्षों के दौरान चमड़े, चमड़े के सामान तथा अन्य सम्बद्ध उत्पादों के उनके उत्पादन निम्नलिखित प्रकार से रहे :—

वर्ष	टी ०ए० एफ० सी० ओ०	बी० एल० सी० (रु०)
1983-84	745.18 लाख	218.38 लाख
1984-85	831.54 लाख	366.47 लाख
1985-86	806.95 लाख	335.00 लाख

राजस्थान की स्वनियोजन योजना के अन्तर्गत धनराशि का आवंटन

6459. **प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान को वर्ष 1986-87 में शिक्षित बेरोजगारों के लिए स्वनियोजन योजना के अन्तर्गत कितनी राशि आवंटित की गई;

(ख) इस योजना के कार्यान्वियन में पक्षपात तथा भ्रष्टाचार को रोकने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है; और

(ग) क्या सरकार का इन ऋणों की मंजूरी देने के लिए बनाए गए पैनल में लोगों के प्रतिनिधियों को शामिल करने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) शिक्षित बेरोजगार युवकों को स्व-रोजगार देने की योजना के अन्तर्गत 1986-87 के लिए किसी राज्य, संघ राज्य क्षेत्र के लिए कोई राशि आवंटित नहीं की गई है।

(ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने सभी बैंकों को निर्देश जारी किए हैं जिसमें यह कहा गया है कि जब कभी योजना के कार्यान्वियन में किसी प्रकार के कदाचार का पता चले तब बैंकों के द्वारा उसकी तुरन्त और विस्तृत जांच करनी चाहिए तथा अन्तर्ग्रस्त बैंक कर्मचारियों के विरूद्ध तत्काल कारंवाई की जानी चाहिए।

(ग) जी, नहीं। अलबत्ता, इस योजना के कार्यकलापों पर नजर रखने के वास्ते प्रत्येक जिला औद्योगिक केन्द्र में एक जिला सलाहकार समिति है और अन्यों के अलावा जिले के जन प्रतिनिधि भी इसके सदस्य होते हैं।

[अनुवाद]

वस्त्र उद्योग का विस्तार

6460. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में वस्त्र उद्योग के विकास के लिए कदम उठाये हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके लिए क्या उपाय किए गये हैं; और

(ग) वर्ष 1986-87 में वस्त्र उद्योग के विस्तार के लिए उठाये जाने वाले कदमों का ब्यौरा क्या है ?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) से (ग) सरकार द्वारा जून 1985 में घोषित वस्त्र नीति में वस्त्र उद्योग की उन्नति तथा विकास के लिए अनेक उपायों की व्यवस्था है। इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा उठाए गए कुछ महत्व पूर्ण कदम हैं :—संगठित क्षेत्र में बुनाई क्षमता के विस्तार पर लगी रोक को हटाना, पूर्ण रेशा लोचशीलता की अनुमति देना

कतिपय मानव-निर्मित वस्त्रों/यार्न पर कतिपय वित्तीय लोवियों का सुव्यवस्थीकरण, बिजली करघों का अनिवार्य पंजीकरण, हथकरघों के विकास के लिए उपाय, वस्त्र उद्योग के आधुनिकीकरण के लिए एक राष्ट्रीय स्तर की सलाहकार समिति की स्थापना संभाव्य रूप से जीवन क्षम रुग्ण मिलों के सम्बन्ध में पुनर्स्थापन तरीकों का पता लगाने तथा प्रबन्ध करने के लिए एक नोडियम अभिकरण की स्थापना और एक एकल वस्त्र नियंत्रण आदेश का सरल तथा कारगर बनाया जाना तथा उसे तैयार किया जाना।

उड़ीसा में नई कपड़ा मिलें खोलना

6461. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा के कुल कितनी कपड़ा मिलें हैं;

(ख) कितनी कपड़ा मिलें राष्ट्रीय कपड़ा निगम के प्रबन्ध के आधीन हैं और कितनी गैर-सरकारी प्रबन्धकों के आधीन हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार 1986-87 में नई कपड़ा मिलें खोलने का है;

(घ) यदि हां, तो 1986-87 के दौरान उड़ीसा तथा अन्य राज्यों में कितनी नयी कपड़ा मिलें खोलने का विचार है; और

(ङ) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) : उड़ीसा में 31 मार्च, 1986 को आठ कताई/मिश्रित मिलें थीं।

(ख) इन आठ मिलों में से 2 एन. टी. सी. द्वारा संचालित की जा रही हैं, 4 गैर-सरकारी क्षेत्रों में हैं और बाकी 2 सहकारी क्षेत्र में हैं।

(ग) जी नहीं।

(घ) तथा (ङ) : प्रश्न ही नहीं उठते।

जीवन बीमा निगम द्वारा आवास क्षेत्र में किया गया निवेश

6462. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में जीवन बीमा निगम ने आवास के क्षेत्र में कितनी धनराशि का निवेश किया;

(ख) उक्त वर्षों के दौरान जीवन बीमा निगम ने उड़ीसा में कितनी धनराशि का निवेश किया;

(ग) क्या जीवन बीमा निगम का विचार 1986-87 में कुछ नई आवास योजनाओं के वित्त-पोषण करने का है;

(घ) यदि हां, तो विभिन्न राज्यों में उन आवास योजनाओं का ब्यौरा क्या है जिनका जीवन बीमा निगम द्वारा वित्त पोषण किए जाने का विचार है; और

(ङ) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) : भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा आवास कर्जों के क्षेत्र में किए गए निवेश की धनराशि निम्नलिखित है :—

वर्ष	सभी राज्यों में	उड़ीसा में
	(करोड़ रुपए)	
1982-83	106.77	3.09
1983-84	141.47	0.80
1984-85	162.27	3.66

(ग) से (ङ) : 1986-87 के लिए आबंटनों को योजना आयोग द्वारा अभी अन्तिम रूप दिया जाना है ।

भारतीय खाद्य निगम के माध्यम से अच्छी किस्म के खाद्यान्नों की सप्लाई

6463. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय खाद्य निगम के बहुत से भण्डार और गोदाम साफ नहीं हैं;

(ख) क्या यह भी सच है कि भारतीय खाद्य निगम द्वारा मंडियों से खरीदे गए अनाज राज्यों को भेजते समय रास्ते में खराब हो जाते हैं और उनमें मिलावट कर दी जाती है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार भारतीय खाद्य निगम के गोदामों को और अन्य स्थानों पर जहां खाद्यान्न खराब हो जाते हैं, कोई सफाई अभियान शुरू करने का है; और

(घ) यदि नहीं, तो उपभोक्ताओं को अच्छी किस्म के खाद्यान्नों की सप्लाई के लिए क्या निश्चित कदम उठाने का विचार है ?

योजना तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० के० पांजा) : (क) जी हां, कुछ को अस्वच्छ पाया गया था और उन्हें सही हालत में लाने के लिए तत्काल पग उठाए गए हैं।

(ख) ढके हुए वैगनों की कमी के कारण खुले वैगनों में खाद्यान्नों का संचालन करने से वर्षा के कारण मार्ग में कुछ खाद्यान्न प्रभावित हो जाते हैं। मार्ग के दौरान मिलावट करने का कोई मामला हमारे ध्यान में नहीं आया है।

(ग) और (घ) : भारतीय खाद्य निगम के डिपुओं को साफ-सुथरा रखने और उनका अनुरक्षण करने के लिए एक पड़ताल सूची निर्धारित की जाती है, जिसमें छितरे हुए खाद्यान्नों को इकट्ठा करने, गोदाम की सफेदी और मरम्मत करने, डिपो के परिसरों से झाड़ियों, घास और अन्य गन्दगी को हटाने, नालियों को साफ रखने आदि जैसी सफाई रखने की आवश्यक बातें शामिल हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए कि प्रत्येक डिपो का विहित पड़ताल सूची के अनुसार अनुरक्षण किया जाता है, विभिन्न स्तरों के अधिकारियों द्वारा नियमित रूप से आवधिक निरीक्षण किया जाता है। उपभोक्ताओं को मानक किस्म के खाद्यान्नों की आपूर्ति को सुनिश्चित करने के लिए किए गए उपायों में विहित किस्म मानकों के अनुसार खाद्यान्नों की वसूली करना, नमी-प्रूफ और मूषक-प्रूफ गोदामों में उनका भण्डारण करना और स्टाक का आवधिक निरीक्षण करना और योग्य तथा प्रशिक्षित स्टाफ द्वारा कीट नियंत्रण के लिए समय पर पीड़क जन्तु नाशन उपाय करना शामिल है। प्राप्तकर्त्ताओं को खाद्यान्नों की सुपुर्दगी लेने से पूर्व अपने-आप को सन्तुष्ट करने के पूरे-पूरे अवसर दिए जाते हैं कि उनकी गुणवत्ता विहित मानकों के अनुरूप है। संयुक्त रूप से लिए गए और मुहरबन्द किए गए नमूने के एक भाग को निर्धारित कार्याविधि के अनुसार प्राप्तकर्त्ता को संदर्भ/प्रदर्शन के लिए सुलभ किया जाता है।

कर्नाटक को खाद्यान्नों का आवंटन

6464. **श्री श्रीकान्त दत्त नरसिंहराज वाडियार** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्नाटक सरकार ने केन्द्रीय पूल से गत तीन वर्षों के दौरान, वर्ष-वार, कुल कितनी मात्रा में चावल और गेहूं की मांग की थी;

(ख) केन्द्रीय सरकार द्वारा उन वर्षों के दौरान कर्नाटक को इन खाद्यान्नों की कुल कितनी मात्रा जारी की गई थी;

(ग) क्या सरकार का विचार वर्ष 1986-87 के दौरान कर्नाटक के लिए चावल, गेहूं और अन्य खाद्यान्नों का आवंटन बढ़ाने का है ; और

(घ) यदि हां, तो वर्ष 1986-87 में कर्नाटक के लिए किए जाने वाले आवंटन का ब्यौरा क्या है ?

योजना तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० के० पंजा) : (क) और (ख) कर्नाटक के मामले 1983-84, 1984-85 1985-86 और के लिए चावल और गेहूं की मांग, आवंटन और उठान का ब्यौरा नीचे दिया जाता है।

(हजार मीटरी टन में)

	मांग	आवंटन	उठान
1983-84			
चावल	480.0	210.0	219.8
गेहूं	600.0	434.5	361.5
1984-85			
चावल	729.8	245.0	234.5
गेहूं	643.64	637.77	405.5
1985-86			
चावल	590.0	484.0	386.6*
गेहूं	738.98	819.28	502.9*

(*) 1985-86 के लिए उठान के आंकड़े केवल फरवरी, 1986 तक हैं।

(ग) और (घ) : कर्नाटक सहित विभिन्न राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को चावल और गेहूं के आवंटन केन्द्रीय पूल में स्टाक की सूची उपलब्धता, विभिन्न राज्यों की सापेक्ष आवश्यकताओं, बाजार उपलब्धता और अन्य संगत तथ्यों को ध्यान में रखकर प्रत्येक मास के आधार पर किए जाते हैं।

कर्नाटक सरकार को अप्रैल, 1986 मास के लिए 45,000 मीटरी टन चावल और 97,820 मीटरी टन गेहूं का आवंटन किया गया है जबकि अप्रैल, 1985 में 25,000 मीटरी टन चावल और 61,290 मीटरी टन गेहूं का आवंटन किया गया था।

मकान किराया भत्ते के लिए कुछ नगरों का दर्जा बढ़ाने का सुझाव

6465. श्री सी० जंगा रेड्डी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को अपने कर्मचारियों को आवास भत्ता आदि देने के प्रयोजन से कुछ नगरों का दर्जा बढ़ाने के सुझाव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो ऐसे नगरों के नाम क्या हैं; और

(ग) प्रत्येक मामले में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) : केन्द्रीय सरकार

के कर्मचारियों को मकान किराया भत्ता दिए जाने के प्रयोजन के लिए नगरों का वर्तमान वर्गीकरण, 1981 की जनगणना की जनसंख्या के आंकड़ों पर आधारित है। 1981 की जनगणना के बाद जनसंख्या में हुई वृद्धि के आधार पर इस नगर का अथवा उस नगर का वर्गीकरण/पुनः वर्गीकरण करने के लिए सरकार को अनेक अनुरोध प्राप्त हुए हैं। चूंकि वर्गीकरण का मानदण्ड दसवर्षीय जनगणना में बताई गई जनसंख्या पर आधारित है और जन संख्या में हुई किसी पिछली वृद्धि को ध्यान में नहीं रखा गया इसलिए इस प्रकार के अनुरोधों को स्वीकार नहीं किया जा सका है।

आल इण्डिया यात्रिक निवास द्वारा मेला स्थानों में "छतरियों" और धर्मशालाओं का निर्माण

6466. **श्री सी० जंगा रेड्डी :** क्या **संसदीय कार्य और पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1982-83, 1983-84 और 1984-85 में महत्त्वपूर्ण स्थानों पर "छतरियों" और धर्मशालाओं का निर्माण करने के लिए आल इंडिया यात्रिक निवास को केन्द्रीय सरकार द्वारा कितनी धनराशि उपलब्ध कराई गई थी;

(ख) आल इण्डिया यात्रिक निवास द्वारा अब तक कितनी छतरियों और धर्मशालाओं का निर्माण किया गया है और किन-किन स्थानों पर इनका निर्माण किया गया है;

(ग) क्या आन्ध्र प्रदेश में श्रीसेलम में 100 कमरों की एक "छतरी" का निर्माण करने का कोई प्रस्ताव है ;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस समय मामला किस स्थिति पर है ?

संसदीय कार्य और पर्यटन मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) यात्रिकाओं/धर्मशालाओं के निर्माण के लिए पर्यटन विभाग द्वारा भारतीय यात्री आवास विकास समिति को प्रदान की गई निधियां इस प्रकार हैं :—

1982-83	5.00 लाख रुपए
1983-84	8.00 लाख ,,
1984-85	17.00 लाख ,,

(ख) भारतीय यात्री आवास विकास समिति ने पहले ही चित्रकूट और अमरकंटक में यात्रिकाओं का निर्माण कर दिया है और इन्हें चालू कर दिया गया है। बिदर, कंपिल, नन्दमोहर और वृन्दावन (एक ब्लाक) में भी यात्रिकाएं तीन मास के अन्दर चालू हो जाने की सम्भावना है।

(ग) से (ङ) : समिति ने 10.00 लाख रुपए की अनुमानित लागत पर श्रीसैलम में एक यात्रिका के निर्माण की योजना तैयार की है। इसमें लगभग 70 बैड्स वाला आवास होगा। उक्त उद्देश्य के लिए भूमि के हस्तान्तरण के वास्ते राज्य सरकार से बात चीत चल रही है परन्तु लीज डीड अभी निष्पादित नहीं हुई है। भूमि के हस्तांतरण सम्बन्धी औपचारिकताएं पूरी हो जाने के तुरन्त बाद निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जाएगा।

धर्मशाला बनाने के लिए निधि की मंजूरी

6467. **श्री सी० जंगा रेड्डी :** क्या संसदीय कार्य और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार का विचार पांच सितारा होटलों की भांति देश के कुछ महत्वपूर्ण नगरों में निर्धन तथा मध्यम वर्गीय लोगों के लिए निःशुल्क धर्मशालाएं बनाने के लिये कुछ राशि की मंजूरी देने का है ?

संसदीय कार्य और पर्यटन मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : पर्यटन विभाग देश के विभिन्न तीर्थ स्थानों पर धर्मशालाओं/यात्रिकाओ के निर्माण की लागत के 90 प्रतिशत तक धन-राशि भारतीय यात्री आवास विकास समिति को प्रदान करता है। समिति, उपयुक्त भूमि के साथ-साथ शेष राशि को सम्बन्धित राज्य सरकारों, धर्मार्थ संगठनों या व्यष्टियों द्वारा दान के जरिए एकत्र करती है। इस प्रकार स्थापित किया गया आवास निम्न, मध्य आय वर्ग के लोगों के प्रयोग के लिए होता है।

पर्यटन विभाग, 5-स्टार होटलों के मामले में इस प्रकार धनराशियाँ प्रदान नहीं करता।

आंध्र प्रदेश में बेरोजगार व्यक्तियों का "ग्रामोदय-पदकम" योजना के अन्तर्गत ऋण मंजूर किया जाना

6469. **श्री वी० शोभनाद्रीश्वर राव :**
श्री ए० जे० वी० बी० महेश्वर राव : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आन्ध्र प्रदेश में केन्द्रीय सरकार की 'ग्रामोदय पदकम' नामक एक योजना है जिसके अन्तर्गत बेरोजगार व्यक्तियों को बिना प्रतिभूति के ऋण मंजूर किए जाते हैं;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार को इस आशय की शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि बैंक इस योजना के अन्तर्गत प्रतिभूति प्राप्त किए बिना बेरोजगार व्यक्तियों को ऋण मंजूर नहीं कर रहे हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस मामले में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) शिक्षित बेरोजगार युवकों

को स्व-रोजगार देने की योजना आन्ध्र प्रदेश में "ग्रामोदय योजना" के नाम से जानी जाती है। इस योजना के अन्तर्गत बैंक ऋण के लिए मालिक के अंशदान के रूप में मार्जिन राशि या सांपार्श्विक प्रतिभूति या अन्य पार्टी की गारण्टी की मांग नहीं करते।

(ख) और (ग) ऐसी योजना में, जो देश भर में इतने बड़े पैमाने पर कार्यान्वित की जा रही हो, वाणिज्यिक बैंकों द्वारा ऋण मंजूर करने में देरी और ऋण मंजूर न किए जाने की कुछ शिकायतें हो सकती हैं। जब कभी खास-खास उदाहरण/शिकायतें प्राप्त होती हैं, उनकी उपचारात्मक कार्रवाई करने के लिए जांच की जाती है।

और अधिक वन लॉज बनाने का प्रस्ताव

6470. **श्री विजय एन० पाटिल** : क्या संसदीय कार्य और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पर्यटकों को वन्य जीवन दिखाने के लिए आकर्षित करने हेतु जिन स्थानों पर वन लॉज सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं उनके नाम क्या हैं;

(ख) क्या वर्ष 1985-86 के दौरान नई वन लॉज सुविधाएं उपलब्ध कराने का कोई प्रस्ताव है यदि हां, तो देश में किन स्थानों को चुना गया है;

(ग) क्या वन्य जीवन अभ्यारण्यों को देखने वाले पर्यटकों की संख्या बढ़ रही है; और

(घ) गत तीन वर्षों के वर्षवार आंकड़े क्या हैं ?

संसदीय कार्य और पर्यटन मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) फिलहाल, पर्यटन विभाग ने कान्हा, काजीरंगा, गिर, भरतपुर, दांडेली और जलदापारा स्थित वन्य-जीव अभ्यारण्यों, राष्ट्रीय उद्यानों में निर्मित वन-गृहों में आवास सुविधाओं का सृजन किया है।

(ख) सातवीं पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान, पर्यटन विभाग का मानस, सिमलीपाल ऐंजल, बेतला, कारबेट, दुधवा, चिल्का, काजीरंगा, अलवर, रणथम्बौर, भरतपुर, मधुमलाई और बांधवगढ़ के वन्य जीव अभ्यारण्यों में वन्य-जीवों को देखने के लिए परिवहन सुविधाएं और साथ ही साथ आवास सुविधाएं उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है। इसके अलावा अन्य राज्यों, संघ शासित प्रदेशों से प्राप्त प्रस्तावों पर भी, निधियों की उपलब्धता के अध्ययधीन विचार किया जाएगा। 1985-86 के दौरान, उपर्युक्त कुछेक वन्य-जीव अभ्यारण्यों में आवास, परिवहन सुविधाएं जुटाने के लिए 60.80 लाख रुपए की राशि रिलीज की गई थी।

(ग) और (घ) चूंकि इस बारे में पर्यटन विभाग द्वारा आंकड़े संकलित नहीं किए जाते, इस विषय में कोई विशिष्ट सूचना उपलब्ध नहीं है।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में चाय बोर्ड का क्षेत्रीय कार्यालय खोलने का प्रस्ताव

6471. **श्री हरीश रावत** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान उत्तर प्रदेश में चाय का उत्पादन बढ़ाने के लिए कोई योजना बनाई गई है;

(ख) यदि हां, तो इस योजना पर कितना व्यय होने की संभावना है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

(घ) क्या उनका मंत्रालय राज्य में चाय बोर्ड का क्षेत्रीय कार्यालय खोलने के प्रस्ताव पर विचार करेगा; और

(ङ) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) तथा (ख) चाय बोर्ड अपनी विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत चाय का उत्पादन बढ़ाने के लिए ऋण तथा उपदान देता है। सातवीं योजना के लिए परिव्यय की राशि 40 करोड़ रु० है। पूरे भारत में चाय उत्पादक जिनमें वो जो उत्तर प्रदेश में हैं शामिल हैं, इन योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं यदि वे पात्रता मानदण्डों को पूरा करते हों।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ङ) उत्तर प्रदेश में बेरीनाग में 1973-74 में स्थापित किया गया चाय बोर्ड का एक उप-क्षेत्रीय कार्यालय स्थानीय उपजकर्ताओं की रुचि कम हो जाने के कारण 1977-78 में बन्द करना पड़ा था। इस समय उत्तर प्रदेश में केवल लगभग 1800 हैक्टार क्षेत्र चाय के अन्तर्गत है। अतिरिक्त भूमि की उपलब्धता से सम्बन्धित समस्याओं की भी सूचना मिली है क्योंकि नए बागानो की स्थापना के लिये वन वृक्षों का गिराना अपेक्षित होगा।

उत्तर प्रदेश में धारचूला ब्लाक में बैंक सुविधाएं प्रदान करना

6472. **श्री हरीश रावत** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें यह पता है कि उत्तर प्रदेश में धारचूला ब्लाक के अंतर्गत सिरखा पागु टवाघाट और न्यू ऐसे स्थान हैं जहां वाणिज्यिक बैंक की निकटतम शाखा वहां से 25 कि० मी० से भी अधिक दूर हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या उनका मंत्रालय ऐसे स्थानों पर रहने वाले व्यक्तियों को बैंकिंग सुविधाएं प्रदान करना अपनी जिम्मेदारी समझता है; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार निकट भविष्य में ऐसे स्थानो पर किसी बैंक की शाखा खोलने का है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि जहां तक उत्तर प्रदेश के धारचूला खण्ड का सम्बन्ध है, बैंक कार्यालयों की पर्याप्तता की दृष्टि से यह कम शाखाओं वाला खण्ड है। 1985-90 की शाखा लाइसेंसिंग नीति का उद्देश्य प्रत्येक खण्ड के ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों की 17,000 की जनसंख्या के पीछे एक बैंक कार्यालय खोलने का ही नहीं, बल्कि स्थानिक दूरियों को भी पाटना है ताकि प्रत्येक गांव से 10 किलोमीटर की दूरी के अन्दर-अन्दर एक बैंक कार्यालय सुनिश्चित किया जा सके। भारतीय रिजर्व बैंक ने राज्य सरकारों और अग्रणी बैंकों से भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गये मार्ग-निर्देशों में निर्धारित मापदण्डों के अनुसार कार्यालय खोलने के लिये सम्भावित विकास केन्द्रों का पता लगाने और ऐसे केन्द्रों की सूची भारतीय रिजर्व बैंक को भेजने को कहा है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अतिरिक्त बैंक कार्यालय खोलने के लिये लाइसेंस 1985-90 की अवधि के लिये चालू शाखा लाइसेंसिंग नीति के उद्देश्यों के संदर्भ में ही जारी किए जाएंगे।

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा राज्यों में पूंजी निवेश

6474. **श्री हरीश रावत** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक राज्य में कितनी पूंजी लगाई गई;

(ख) क्या यह सच है कि भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने औद्योगिक दृष्टि से विकसित राज्यों में अन्य राज्यों की कुलना में अधिक पूंजी लगाई है;

(ग) यदि हां, तो क्या इससे क्षेत्रीय असंतुलन में वृद्धि नहीं होगी; और

(घ) यदि हां, तो भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा उन राज्यों में जहां पहले कम पूंजी लगाई गई थी, अधिक पूंजी लगाया जाना सुनिश्चित करने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (घ) वर्ष 1982-83, 1983-84 और 1984-85 के दौरान भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (आई० डी० बी० आई०) द्वारा संवितरित वित्तीय सहायता का राज्य-वार ब्यौरा विवरण में दिया गया है। वित्तीय संस्थाओं द्वारा वित्तीय सहायता मंजूर किया जाना विभिन्न राज्यों से अर्थक्षम परियोजनाओं के लिए प्राप्त आवेदनपत्रों की संख्या पर निर्भर करता है। पिछड़े क्षेत्रों में औद्योगीकरण को बढ़ावा देने के प्रयोजन से वहां पर परियोजनाएं शुरू करने के लिए सरकार और वित्तीय संस्थाएं उद्यमियों को निवेश सम्बन्धी आर्थिक सहायता, करों में रियायतें आदि जैसी कई रियायतें और प्रोत्साहन देती है।

विवरण

वर्ष 1982-83, 1983-84 और 1984-85 के दौरान भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा संवितरित वित्तीय सहायता का राज्य वार ब्यौरा ।

(लाख रुपये)

(अवधि जुलाई-जून)

क्र० सं० राज्य	1982-83	1983-84	1984-85
1. आंध्र प्रदेश	12107	17917	18882
2. असम	792	1121	2720
3. बिहार	4149	3752	3704
4. गुजरात	16699	17741	22004
5. हरियाणा	5474	7179	7993
6. हिमाचल प्रदेश	2022	2124	3353
7. जम्मू व कश्मीर	1559	2432	1657
8. कर्नाटक	13195	13158	16436
9. केरल	4861	5196	6565
10. मध्य प्रदेश	7218	9772	11449
11. महाराष्ट्र	20507	23990	24503
12. मणिपुर	112	83	207
13. मेघालय	157	337	414
14. नागालैंड	164	133	156
15. उड़ीसा	6010	6737	16895
16. पंजाब	7120	5825	5750
17. राजस्थान	10261	8514	9469
18. सिक्किम	21	22	124
19. तमिलनाडु	17155	25644	22065
20. त्रिपुरा	194	91	68
21. उत्तर प्रदेश	10689	18795	17465
22. पश्चिम बंगाल	6175	8851	10784
23. संघ राज्य क्षेत्र	6317	5123	7781
कुल	152998	189946*	210394

*भूटान को दिए गए 9 लाख रुपये सम्मिल हैं ।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय कपड़ा निगम (डब्ल्यु बी० ए० बी० ओ०) के पास कपास की भारी कमी

6475. **श्री एच० एन० नन्जे गौडा :** क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय कपड़ा निगम (डब्ल्यु० बी० ए० बी० ओ०) लिमिटेड, कलकत्ता की मिलों और एककों में कपास और अन्य आदानों की भारी कमी है और इस कारण प्रवंधक लाभकारी कार्य करने हेतु कोई प्रभावी कदम उठाने में असफल रहे हैं;

(ख) क्या वर्तमान प्रवंधक, प्रबंधकों और कर्मचारियों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करने में भी असफल रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो कपास तथा अन्य आदानों की कमी के कारण नुकसान उठाने वाले एककों, मानव दिवसों की हानि तथा गत तीन वर्षों के दौरान कुछ भी उत्पादन न करने वाले एककों सहित तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं; और

(घ) इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) जी नहीं। यह कहना सही नहीं है कि रूई तथा अन्य अन्तर्निदिष्ट साधनों की पूरी तरह कमी रही है । तथापि, पहले कुछ मिलों के विभिन्न कारणों की वजह से, जिन पर काबू पा लिया गया है, समय-समय पर कच्चे माल की कमी का सामना किया है ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) तथा (घ) प्रश्न ही नहीं उठते ।

भारत पर्यटन विकास निगम में उच्च स्तर के अधिकारियों का स्थानान्तरण

6476. **श्री एच० एन० नन्जे गौडा :** क्या संसदीय कार्य और पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत पर्यटन विकास निगम ने अपने मुख्यालय (दिल्ली) में कार्यरत अधिकारियों और उनका अन्य स्थानों पर स्थानांतरण करने के लिए कोई मानदण्ड निर्धारित किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या किसी अधिकारी के दिल्ली में बने रहने की अधिकतम अवधि चाहे उसने विभिन्न यूनिटों में सेवा की हो निर्धारित की गई है; यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) उन अधिकारियों की श्रेणीवार संख्या क्या है जिनका 10 वर्ष अथवा इससे अधिक समय से दिल्ली से बाहर स्थानांतरण नहीं हुआ है और उन्हें स्थानांतरित न करने के क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य और पर्यटन मन्त्री (श्री एच० के० एल० भगत) (क) से (ग) : भारत पर्यटन विकास निगम के भर्ती, प्रोन्नति और वरिष्ठता नियमों के अनुसार सभी अधिकारियों का कार्य की आवश्यकता पर निर्भर करते हुए और निगम के परिचालन सम्बन्धी हितों को ध्यान में रखते हुए भारत तथा विदेशों में कहीं भी स्थानांतरण किया जा सकता है। तथापि, वित्तीय लेन-देन करने वाले अधिकारियों का सामान्यतया किसी एक स्थान पर तीन वर्ष कार्य करने के बाद स्थानांतरण किया जाता है।

(घ) अपेक्षित सूचना विवरण में दी गई है।

विवरण

11-4-1986 को पूछे जाने वाले लोक सभा लिखित प्रश्न संख्या 6476 के भाग (घ) के उत्तर में उन अधिकारियों की संख्या, श्रेणीवार, जिनका 10 वर्ष अथवा इससे अधिक समय से दिल्ली से बाहर स्थानांतरण नहीं हुआ है तथा उन्हें स्थानांतरित न करने के कारणों को दर्शाने वाला विवरण—

क्रम संख्या	पद की श्रेणी	पदधारियों की सं०
I.	अधिकारी जिन्हें निगम स्तर के पदों पर तैनात किया गया है और इस कारण से उन्हें दिल्ली से बाहर स्थानांतरित नहीं किया जा सकता	
1.	वरिष्ठ उपाध्यक्ष (होटल)	1
2.	उपाध्यक्ष	5
3.	महाप्रबन्धक	9
4.	मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी	1
5.	उप महाप्रबन्धक	9
6.	नियंत्रक (अशोक ग्रुप आरक्षण सेवा)	1
7.	वरिष्ठ प्रबन्धक	6
8.	प्रबन्धक	7
9.	उपसचिव	1

II. अधिकारी जिन्हें केवल दिल्ली स्थित होटलों के पदों पर तैनात किया गया है और इस कारण उन्हें दिल्ली से बाहर स्थानांतरित नहीं किया जा सकता ।

1. वरिष्ठ कार्यपालक शेफ	1
2. उप महाप्रबंधक	4
3. वरिष्ठ प्रबंधक	2
4. उप प्रबंधक (टेलीफोन)	1

III. अधिकारी जिन्हें परिचालन और प्रशासनिक कारणों से दिल्ली से बाहर स्थानांतरित नहीं किया गया ।

1. महाप्रबंधक (होटल परिचालन)	2
2. कार्यपालक प्रबंधक	2
3. वरिष्ठ प्रबंधक	2
4. प्रबंधक	11
5. बिक्री प्रबंधक	2
6. उप प्रबंधक (होटल परिचालन)	18
7. सहायक प्रबंधक	3

निर्यातोन्मुख एककों को निर्यात कोटे की पेशकश का प्रस्ताव

6477. **श्री बनवारी लाल पुरोहित** : क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय कपास निगम का विचार अपने रुई निर्यात कोटे का एक भाग सूती धागा बनाने वाली शत प्रतिशत निर्यातोन्मुख एककों को देने की पेशकश करने का है; और

(ख) यदि हां, तो निर्यातोन्मुख एककों द्वारा भारतीय कपास निगम के कितने निर्यात कोटे का निबटान कर दिया जाएगा ?

वस्त्र मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खाँ) (क) जी हां !

(ख) भारतीय रुई निगम को निर्यातोन्मुख एककों में कोई जबाव प्राप्त नहीं हुआ है । अत: ऐसे एककों द्वारा भारतीय रुई निगम के लिए अनुमत निर्यात्त कोटे का उपयोग किये जाने की सम्भावना नहीं है ।

वाणिज्यिक बैंकों से सरकारी क्षेत्र के लिए ऋण की सीमा

6478. **श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत पांच वर्षों में दिए गए ऋण के रुख से यह पता चलता है कि वाणिज्यिक बैंकों से गैर सरकारी क्षेत्रों की तुलना में सरकारी क्षेत्र को अधिक ऋण दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इससे निजी क्षेत्रों को धन की उपलब्धता पर प्रभाव नहीं पड़ रहा है; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकारी क्षेत्र को मिलने वाले सकल बैंक ऋण पर सीमा लगाने का विचार है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) अंकेक्षण सूचना के सम्बन्ध में एक विवरण संलग्न है। इनसे वाणिज्यिक क्षेत्र की तुलना में सरकारी क्षेत्र को वाणिज्यिक और सहकारी बैंकों द्वारा दिए गए ऋणों में वृद्धि की प्रवृत्ति प्रकट नहीं होती।

(ख) और (ग) : प्रश्न ही नहीं उठते।

विवरण

वाणिज्यिक और सहकारी बैंकों के ऋण

(करोड़ रुपए)

राजकोषीय वर्ष (पहली अप्रैल से 31 मार्च	सरकार को (केन्द और राज्य)	वाणिज्यिक क्षेत्र को
1980-81	1,666	5,476
1981-82	918	6,477
1982-83	2,241	7,819
1983-84	1,398	9,109
1984-85	2,160	9,857

विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में एक समान कर-दर लागू करना

6479. **श्री वक्कम पुरुषोत्तमन :**

श्री दिलीप सिंह भूरिया : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह पता है कि विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों से कर ढांचे में विषमता होने के कारण मोटर कार, विदेशी शराब आदि जैसी बहुत सी वस्तुओं की कीमतें भिन्न-भिन्न हैं; और

(ख) क्या सरकार का विचार विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में वस्तुओं पर समान कर-दर लागू करने के लिए कदम उठाने का है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) सरकार की जानकारी में यह बात लाई गई है कि कुछेक राज्य सरकारें तथा संघ राज्य क्षेत्र भारत में निर्मित विदेशी शराब, मोटर वाहनों आदि सहित माल की कतिपय मदों पर पड़ोसी राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों में विद्यमान बिक्री कर की दरों की तुलना में अपेक्षाकृत कम दरों पर बिक्री कर लगा रहे हैं और इसके परिणामस्वरूप व्यापार में व्यपवर्तन हुआ है तथा इसके परिणामस्वरूप राजस्व की हानि हुई है।

संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची-II की प्रविष्टि 54 के अधीन किसी भी राज्य के भीतर सामान की खरीद फरोख्त पर बिक्री कर लगाया जाना राज्य का विषय है। राज्यों तथा अधिकांश संघ राज्य क्षेत्रों के बिक्री कर के अपने कानून हैं। इस प्रकार, राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र बिक्री कर के अपने कानूनों के अधीन बिक्री कर की दर को बढ़ाने अथवा घटाने के लिए सक्षम हैं। इसलिए, सभी राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा बिक्री कर की लेवी में एकरूपता केवल इन सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के सहयोग से ही लाई जा सकती है। फिर भी, संविधान के अनुच्छेद 263 के अधीन गठित क्षेत्रीय बिक्री कर परिषदों, जिसमें राज्य सरकारों तथा केन्द्रीय सरकार के अधिकारी शामिल थे, की बैठकों में इस विषय पर विचार विमर्श किया गया है। राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों को उपचारात्मक उपाय करने का अनुरोध किया गया है।

[हिन्दी]

विलम्ब शुल्क के कारण खनिज तथा धातु व्यापार निगम को विदेशी मुद्रा की हानि

6480. **डा. चन्द्रशेखर त्रिपाठी** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले पांच वर्षों के दौरान विलम्ब शुल्क की अदायगी के कारण खनिज तथा धातु व्यापार नियम को विदेशी मुद्रा की हानि उठानी पड़ी है;

(ख) यदि हां, तो इसके परिणामस्वरूप कितनी हानि हुई है;

(ग) विलम्ब शुल्क अदा करने के प्रमुख कारण क्या हैं और क्या सरकार ने इन्हें दूर करने के लिए कोई कदम उठाए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री (श्री पी० शिव शंकर) (क) : जी हां।

(ख) विलम्ब शुल्क के कारण गत पांच वर्ष के दौरान एम० एम० टी० सी० द्वारा उठाए गए घाटे की वर्षवार मात्रा निम्नोक्त प्रकार है—

वर्ष	घाटा (लाख रु० में)
1981-82	228.19
1982-83	36.42
1983-84	91.41
1984-85	150.42
1985-86	549.76 (अनन्तिम)

(ग) से (ङ) विभिन्न पत्तनों पर विलम्ब शुल्क भुगतान के मुख्य कारण थे जोकि विशेष रूप से बम्बई पत्तन पर भीड़भाड़, जहाजों के गोदी में आने में विलम्ब, जहाजों का एकत्र हो जाना, उतारने की कम दर, खराबियां बार-बार होना, मैकेनिकल और हैंडलिंग प्लांट का फेल होना, कुछ पत्तनों पर गोदी कामगारों तथा अन्य अभिकरणों द्वारा हड़ताल ।

एम० एम० टी० सी० द्वारा विलम्ब शुल्क को कम करने के लिए निम्नलिखित उपायों का प्रस्ताव किया गया है—

1. जहां एकल बर्थ की व्यवस्था की गई है तथा कच्चा माल उतारने की क्षमता सीमित है, वहां यदि सम्भव हो तो जहाज को किसी अन्य पत्तन की ओर मोड़ा जा सकता है ;

2. जब तक जहाज को स्थान न मिल जाए माल को मध्य धारा में उतारना ।

3. पत्तन प्राधिकारियों को सम्बन्धित वस्तुओं के लिए निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कोई स्थान उपलब्ध कराने के लिए सहमत करना, तथा

4. पत्तन प्राधिकारियों को मैकेनिकल और हैंडलिंग प्रणाली के कार्य में सुधार लाने के लिए कहा गया है ।

सरकार द्वारा विभिन्न क्षेत्रों को दी गई राज सहायता

6481. **श्री वृद्धि चन्द्र जैन** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान मद-वार कितनी राज सहायता दी है;

(ख) यदि राज सहायता समान दर से दी गई है तो सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान सरकार द्वारा कुल कितनी राज सहायता दिए जाने की संभावना है;

(ग) क्या सरकार का विचार धीरे-धीरे यह राज्य सहायता बन्द करने का है, और

(घ) क्या सरकार ने तत्संबंधी परिणाम सुनिश्चित किए हैं;

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान राज सहायता की प्रमुख मदों पर हुए व्यय की जानकारी देने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है।

(ख) से (घ) राज-सहायता की अदायगी के प्रश्न के सम्बन्ध में सरकार का दृष्टिकोण वर्ष 1986-87 के बजट-भाषण के पैरा 17 में बताया गया है। सदन में बजट पर हुई सामान्य चर्चा 113-3-86 को दिए गए उत्तर में भी इस पहलू पर प्रकाश डाला गया था।

विवरण

छठी योजना (1980-85) के दौरान राज सहायता की प्रमुख मदों पर केन्द्रीय सरकार के व्यय।

	1980-81 (वास्तविक)	1981-82 (वास्तविक)	1982-83 (वास्तविक)	1983-84 (वास्तविक)	1984-85 (संशोधित अनुमान)
कुल राज* सहायता	1912	1946	2304	2886	4422
जिसमें खाद्य सम्बन्धी राज सहायता	650	700	711	836	1100
उवरंकों संबंधी राज सहायता					
— देशी	170	275	550	900	1200
— आयातित	355	100	55	142	632
निर्यात संवर्धन	399	477	477	463	499
कन्ट्रोल का कपड़ा	76	125	56	53	53
रेलवे को राज सहा-यता	69	78	97	93	98

* स्रोत :—केन्द्रीय सरकार के बजट का आर्थिक और कार्य-सम्बन्धी वर्गीकरण।

[अनुवाद]

राजस्थान और गुजरात को चावल और गेहूं की सप्लाई

6482. **श्री वृद्धि चन्द्र जैन : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) राजस्थान और गुजरात की सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए उनकी राज्य सरकारों की चावल और गेहूं की अलग-अलग कुल वार्षिक मांग कितनी है; और

(ख) केन्द्रीय सरकार ने वर्ष 1982 से 1985 तक और फरवरी, 1986 के दौरान राजस्थान और गुजरात सरकारों को कुल कितना चावल और गेहूं आवंटन किया और वास्तव में कितना चावल और गेहूं सप्लाई किया।

योजना तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ए०के० पंजा) : (क) और (ख) एक विवरण संलग्न है जिसमें राजस्थान और गुजरात के मामले में 1982 से 198ʿ के वर्षों और फरवरी, 1986 के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली हेतु चावल और गेहूं की कुल मांग, आवंटन और उठान का ब्यौरा दिया गया है।

1982, 1983 1984, 1985 के वर्षों के दौरान और फरवरी, 1986, में राजस्थान और गुजरात के सम्बन्ध में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए केन्द्रीय पूल से चावल और गेहूं की मांग, आवंटन और उठान

विवरण

राज्य	वर्ष	चावल			गेहूं		
		मांग	आवंटन	उठान	मांग	आवंटन	उठान
राजस्थान	1982,	33.0	31.0	10.0	720.0	291.0	180.6
फरवरी,	1983	24.0	12.0	7.3	720.0	336.0	76.3
	1984	24.0	12.0	4.5	720 0	336.0	5.0
	1985	24.0	16.0	6.2	720.0	380.0	181.5
	1986	2.0	2.0	0.4	60.0	50.0	59.3
गुजरात,	1982	27[illegible].0	182.5	177.3	340.0	142.5	141.4
	1983	300.0	90.0	84.8	350.0	210.0	111.8
फरवरी,	1984	300.0	90.0	91.8	140.0	210.0	17.8
1986	1985	310.0	145.0	108.7	420.0	?80.0	107.0
	1986	25.0	20.0	16.3	50.0	40.0	32.3

थोक मूल्य सूचकांक और उपभोक्ता मूल्य में अन्तर

6483. **श्री बी० के० गढ़वी** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1985-1986 के दौरान थोक मूल्य सूचकांक, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक तथा खुदरा उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में प्रतिमाह कितनी बार अन्तर हुआ;

(ख) कौन-कौन सी मुख्य उपभोक्ता वस्तुओं के खुदरा मूल्यों में उनके थोक मूल्यों की तुलना में तीन प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हुई है;

(ग) इस वृद्धि के क्या कारण हैं, और

(घ) भविष्य में इस प्रवृत्ति को नियंत्रित करने के लिये क्या उपचारात्मक उपाय किये जाने विचार है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (घ) वर्ष 1985-86 के दौरान थोक मूल्य सूचक अंक और उपभोक्ता मूल्य सूचक अंक में मासिक घटबढ़ के सम्बन्ध में अपेक्षित सूचना नीचे दी गई है :

(प्रतिशत परिवर्तन)

मास वर्ष	अखिल भारतीय औद्योगिक श्रमिक उपभोक्ता सूचक अंक (1960=100)	थोक मूल्य सूचक अंक (1970-71=100)
अप्रैल, 1985	1.4	2.5
मई, 1985	1.0	0.9
जून, 1985	1.0	1.0
जुलाई, 1985	1.5	1.5
अगस्त, 1985	0.5	0.3
सितम्बर, 1985	0.2	—1.4
अक्टूबर, 1985	1.0	0.4
नवम्बर, 1985	0.8	—0.6
दिसम्बर, 1985	कोई परिवर्तन नहीं	—0.3 (अ)
जनवरी, 1986	—0 2	—0.1 (अ)
फरवरी, 1986	0.6	0.3 (अ)

+ सप्ताहों का औसत

अ= अनन्तिम

खुदरा मूल्यों का कोई अलग सूचक अंक नहीं है। खुदरा मूल्यों में होने वाली घटबढ़ औद्योगिक श्रामिक उपभोक्ता सूचक अंक की प्रवृत्ति में प्रकट होती है। उपभोक्ता सूचक अंक का हिसाब भिन्न-भिन्न औद्योगिक केन्द्रों के लिये लगाया जाता है और अलग अलग वस्तुओं के लिए नहीं।

मूल्य स्थिति पर बराबर नजर रखी जाती है और उभरने वाली प्रवृतियों के परिप्रेक्ष्य में जब और जैसी आवश्यकता होती है उपचारात्मक कारंवाई की जाती है। सरकार की मुद्रास्फीति विरोधी नीति में पूर्ति और मांग के प्रभावी प्रबन्ध पर जोर दिया जाना जारी है जिसमें आवश्यक वस्तुओं के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली को समर्थ बनाया जाना, विशेष योजनाओं के अन्तर्गत कमजोर वर्गों को खाद्यान्न की पूर्ति किया जाना, राजकोषीय अनुशासन लागू करना और अर्थ-व्यवस्था में कुल नकदी को नियंत्रण में रखना शामिल है।

बम्बई में हीरों के व्यापारियों पर छापे

6484. **श्री बी० के० गढ़वी** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1984-85 और 1485-86 के दौरान, बम्बई में हीरों के कितने व्यापारियों रर छापे मारे गए;

(ख) क्या हीरों के किसी व्यापारी के विरुद्ध मुकदमा चलाया गया है; और

(ग) यदि हां, तो इसका क्या परिणाम है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) वित्तीय वर्ष 1984-85 और 1985-86 के दौरान, आयकर विभाग ने हीरे के व्यापारियों के मामलों में बम्बई में क्रमश: 42 और 95 तलाशियां लीं।

इन मामलों में अभी तक कोई मुकदमा नहीं चलाया गया है क्योंकि जांच-पड़ताल चल रही है।

अमरीका, ब्रिटेन, फ्रांस और पश्चिम जर्मनी के साथ व्यापार घाटा

6485. **श्री बी० के० गढ़वी** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अमरीका, ब्रिटेन, फ्रांस और पश्चिम जर्मनी के साथ कितना व्यापार घाटा हुआ और तत्सबंधी ब्योरा क्या है;

(ख) व्यापार घाटा को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(ग) क्या सरकार का विचार इन देशों के साथ कम से कम व्यापार सन्तुलन बनाने के लिए कोई योजना तैयार करने का है ?

वाणिज्य तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क)

डी० जी० आई० एण्ड एस०, कलकत्ता से उपलब्ध अनन्तिम आंकड़ों के अनुसार विनिर्दिष्ट देशों के सम्बन्ध में अप्रैल-सितम्बर, 1985 के दौरान भारत के निर्यात, आयात और व्यापार शेष की स्थिति निम्नलिखित है :—

(मूल्य: करोड़ रु०)

अप्रैल-सितम्बर, 1986 (अ)

	निर्यात	आयात	व्यापार शेष
संयुक्त राज्य अमरीका	687.25	948.91	(—) 261.56
ब्रिटेन	247.86	567.72	(—) 319.86
फ्रांस	30.83	272.54	(—) 191.71
प० जर्मनी (एफ० आर० जी०)	203.09	678.48	(—) 475.39

(अ) = अनन्तिम: इनमें संशोधन हो सकता है,

स्रोत : डी० जी० सी० आई० एण्ड एस० कलकत्ता ।

(ख) तथा (ग) व्यापार घाटा कम करने के उद्देश्य से विगत हाल के दौरान तीव्र संवर्धनात्मक उपाय किए गए हैं । इनमें शामिल हैं अपने उत्पादन आधार का विविधीकरण, अपने उत्पादन साधनों का आधुनिकीकरण, अपनी औद्योगिक तक राजकोषीय नीतियों में परिवर्तन तथा समय-समय पर संशोधन आदि । सातवी पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान आयात योग्य हमारे घरेलू उत्पादन, विशेष रूप से बल्क आयातों के मामले में, को बढ़ाने के भी प्रयास किए जा रहे हैं ।

विभिन्न व्यापार संवर्धन उपायों जैसे प्रदर्शनियों, व्यापार मेलों, प्रतिनिधि मण्डलों का आदान प्रदान, सम्मेलन आदि के द्वारा विभिन्न देशों/क्षेत्रों में निर्यात बढ़ाने के लिये भी कदम उठाए जा रहे हैं । युरोपीय समुदाय के आयोग पर भी समुदाय बाजारों को इन देशों के साथ हमारे भारी व्यापार घाटे को देखते हुए भारतीय उत्पादों की बेहतर उपलब्धि को सुकर बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया जा रहा ।

उम्मीदवारों की ग्रामीण क्षेत्रों में नियुक्ति के लिये बैंकों में भर्ती

6486. **श्रीमती किशोरी सिंह** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्रामीण क्षेत्रों में नियुक्ति के लिए बैंकों में केवल ग्रामीण उम्मीदवारों को ही भर्ती किया जाएगा;

(ख) यदि नहीं, तो सरकार का विचार ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी क्षेत्र के बैंक कर्मचारियों की शहरी मनोवृत्ति को किस प्रकार दूर करने का है;

(ग) चयन प्रक्रिया में ग्रामीण पृष्ठभूमि को कोई अधिमान दिया जाता है;

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) केवल ग्रामीण क्षेत्रों में नियुक्ति के लिए अलग से कोई भर्ती/चयन नहीं किया जाता है । ग्रामीण क्षेत्रों में नियुक्ति ग्रामीण क्षेत्रों के उम्मीदवारों तक सीमित नहीं होती है । सरकारी क्षेत्र के बैंकों से ग्रामीण क्षेत्रों में नियुक्त किये गये बैंक कर्मचारियों को उचित प्रशिक्षण देने की अपेक्षा की जाती है जिससे कि वे ठीक ढंग से काम कर सकें । सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में नियुक्ति के लिये बैंक अधिकारियों को प्रोत्साहित करने के वास्ते मार्ग-निर्देश जारी किये हैं । इन मार्ग-निर्देशों के अनुसार कोई अधिकारी जूनियर मैनेजमैंट ग्रेड स्केल-I से मिडिल मैनेजमेंट ग्रेड स्केल-II में पदोन्नति के लिए तभी पात्र होगा जब उसने कम से कम दो वर्ष ग्रामीण शाखा में सेवा की हो । इसी प्रकार मिडिल मैनेजमैंट ग्रेड स्केल-Ii से मिडिल मैनेजमैंट ग्रेड स्केल-III में पदोन्ननि के लिए किसी ग्रामीण और/या अर्ध-शहरी क्षेत्र की शाखा में कम से कम तीन वर्ष की सेवा अनिवार्य है ।

ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में उचित दर-दुकाने खोलने की योजना

6487. **श्रीमती किशोरी सिंह** : क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम का शिक्षित बेरोजगारों की सहायता के लिए ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में उचित दर की दुकानें खोलने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

(ग) यदि नहीं, तो क्या भारतीय खाद्य निगम की ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचाने के लिए अन्य कोई योजना है ?

योजना तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० के० पंजा) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) केन्द्रीय सरकार द्वारा किए गए आवंटनों के अनुसार विभिन्न राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को उनकी सार्वजनिक वितरण प्रणाली तथा अन्य योजनाओं के लिए खाद्यान्नों की आपूर्ति करने हेतु भारतीय खाद्य निगम के विभिन्न राज्यों/संघ शामित प्रदेशों में अपने आधार डिपो हैं । उपभोक्ताओं को खाद्यान्न मुहैय्या करने के लिए राज्य सरकारों द्वारा आगे व्यवस्था की जानी होती है ।

प्राकृतिक रेशम के लिए निर्यात संवर्धन परिषद् का गठन

6488. **श्री मदन पांडे** : क्या **वस्त्र** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संसद द्वारा पारित किए गए अधिनियम से केन्द्रीय रेशम बोर्ड को रेशम की निर्यात नीति सहित रेशम से सम्बन्धित सभी कार्य सौंपे गये हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि सरकार ने दो वर्ष पहले प्राकृतिक रेशम के लिए एक स्वतंत्र निर्यात संवर्धन परिषद का गठन किया था;

(ग) यदि हां, तो परिषद् का गठन करने के क्या कारण हैं जबकि केन्द्रीय रेशम बोर्ड, जो एक सांविधिक निकाय है, परिषद् को सौंपे गये सभी कार्य कर रहा था;

(घ) परिषद् पर कितनी अतिरिक्त राशि खर्च की गई है और उसका औचित्य क्या है;

(ङ) निर्यात को बढ़ावा देने में केन्द्रीय रेशम बोर्ड की क्या भूमिका है; और

(च) यदि एक ही कार्य के लिए दो निकाय हों, तो क्या यह रेशम निर्यातकों के हित के प्रतिकल नहीं होगा ?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) तथा (ङ) केन्द्रीय रेशम बोर्ड अधिनियम 1948 के अन्तर्गत बोर्ड को देश में रेशम उद्योग का विकास करने और आयात तथा निर्यात से सम्बन्धित मामलों में केन्द्रीय सरकार को परामर्श देने की भूमिका सौंपी गई है। निर्यात संवर्धन में क केन्द्रीय रेशम बोर्ड की भूमिका सलाहकारी स्वरूप की है और प्राकृतिक रेशम माल के लदान पूर्व निरीक्षण तक सीमित है।

(ख) से (घ) भारतीय रेशम निर्यात संवर्धन परिषद् को बम्बई में 1983 में स्थापना से पूर्व रेशम माल के निर्यातों से सम्बन्धित कार्य दो निर्यात संवर्धन परिषदों अर्थात (1) रेशम तथा रेयन वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद और (2) हथकरघा निर्यात संवर्धन परिषद द्वारा देखा था जो अन्य मदों का रख रखाव भी कर रहीं थीं। रेशम मदों के लिए विस्तृत निर्यात संभाव्यता का पता लगाने के उद्देश्य से सरकार ने पूर्ण रूप से रेशम वस्तुओं में सम्बन्धित निर्यात संवर्धन गतिविधियों के लिए एक स्वतन्त्र निर्यात संवर्धन परिषद स्थापित करने का निर्णय लिया था। 1-4-1984 से इस परिषद को रेशम निर्यातकों के लिए एक मात्र पंजीकरण प्राधिकरण घोषित किया गया था। भारतीय रेशम निर्यात संवर्धन परिषद के प्रारंभ से अब तक सरकार ने परिषद को बाजार विकास सहायता कोण से निम्नलिखित अनुदान रिलीज किए हैं।

1983-84	2.65 लाख रु०
1984-85	13.27 लाख रु०
1985-86	12.80 लाख

(च) प्रश्न ही नहीं उठता क्योंकि केन्द्रीय रेशम बोर्ड और भारतीय रेशम निर्यात संवर्धन परिषद को अलग-अलग भूमिकाए सौंपी गई हैं।

बैंकों को "लीजिंग" कार्य करने की अनुमति देना

6489. **श्री बी० एस० कृष्ण अय्यर** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन राष्ट्रीयकृत बैंकों के नाम क्या हैं, जिन्हें "लीजिंग" कार्य करने के लिए लाइसेंस दिए गए हैं; और

(ख) राष्ट्रीयकृत बैंकों को "लीजिंग" कार्य करने की अनुमति देने के क्या लाभ हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) उन राष्ट्रीयकृत बैंकों के नाम नीचे दिए गए हैं। जिनको लीजिंग का कारोबार करने के लिए लाइसेंस दिए गए हैं :—

1. भारतीय स्टेट बैंक
2. बैंक आफ इंडिया
3. ओरियन्टल बैंक आफ कामर्स
4. इंडियन ओवरसीज बैंक
5. पंजाब नेशनल बैंक

(ख) लीजिंग करोबार में वाणिज्यिक बैंकों का प्रवेश उनके कार्यचालन के मौजूदा स्तर का विस्तार करने और मध्यम तथा बड़े उद्योगों को उनकी मशीनरी के प्रतिस्थापन और आधुनिकीकरण के कार्यक्रमों के लिए अधिक वित्तीय सहायता दिये जाने की सुनिश्चित व्यवस्था करने में सहायक सिद्ध होगा। यह बैंकों का लाभोपार्जकता में वृद्धि करने के अलावा उद्योगों के प्रौद्योगिकीय आधार के स्तर को भी उन्नत करेगा।

दक्षिण केनरा में राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा वेतन बिलों में कमीशन और डाक-शुल्क की कटौती करना

6490. **श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कर्नाटक में विशेषकर दक्षिण केनरा जिले में राष्ट्रीयकृत बैंक, राजकीय उच्च विद्यालय के अध्यापकों के वेतन बिलों से कमीशन तथा 5 रुपये डाक शुल्क के रूप में एकतरफा कटौती करते रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार बैंकों को कमीशन और डाक शुल्क की कटौती न करने के निर्देश जारी करने का है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) बैंक स्थानीय चैकों पर प्राय: कोई कमीशन नहीं लेते। यदि स्कूल प्रधिकारियों को सम्बद्ध सरकारी विभाग के किसी समेकित राशि का चैक प्राप्त होता है, तो उसकी वसूली का सेवा प्रभार सम्बद्ध स्कूल प्राधिकारियों अथवा सरकार द्वारा वहन किया जाना चाहिए न कि अध्यापकों द्वारा। यदि सम्बद्ध सरकारी विभाग द्वारा स्कूल प्राधिकारियों को राशि ड्राफ्ट के जरिए प्रेषित की जाती है तो प्रेषणा

प्रभार प्रेषक अर्थात् सरकार द्वारा वहन किए जाने होते हैं। इस मामले में भी अध्यापकों पर सेवा प्रभार लगाने का कोई सवाल नहीं है। यदि राज्य सरकार अलग-अलग अध्यापकों के नाम वेतन चैंक जारी करती है, तो ऐसा अनुभव किया जाता है कि राज्य सरकार को ऐसी प्रक्रिया तैयार करनी चाहिए जिसके अन्तर्गत भुगतान स्थानीय चैकों द्वारा किया जाए या बैंकों के सम्बन्धित सेवा प्रभार राज्य सरकार अथवा स्कूल प्राधिकारियों द्वारा वहन किये जायें। अपने कर्मचारियों को वेतन का भुगतान करना राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है। ऐसी आशा करना उचित नहीं है कि राज्य सरकार की मजदूरी/वेतन के भुगतान और लागत पर सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा बिना लागत वसूली/प्रेषण के रूप में आर्थिक सहायता दी जानी चाहिए।

बैंक सेवा प्रभार लगाने में एकरूपता के लिए प्रयास कर रहे हैं और यह कहना सही नहीं है कि दक्षिण केनरा के लिए कोई विशेष प्रभार लिए जा रहे हैं।

कर्नाटक में पर्यटन और होटल प्रबन्ध संस्थान की स्थापना

6491. **श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर :** क्या संसदीय कार्य और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने कर्नाटक में पर्यटक और होटल प्रबंध संस्थान स्थापित करने के लिए अनुमति मांगी है; और

(ख) यदि हां, तो क्या उसके लिए अनुमति दे दी गई है ?

संसदीय कार्य और पर्यटन मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) कर्नाटक में एक पर्यटन और होटल प्रबन्ध संस्थान स्थापित करने के बारे में कर्नाटक सरकार ने एक प्रस्ताव तैयार किया है।

(ख) तथापि, कर्नाटक सरकार को सलाह दी गई है कि बंगलौर में होटल प्रबंध संस्थान पहले ही मौजूद है और केन्द्रीय सरकार इस मौजूदा संस्थान में सुलभ सुविधाओं के अन्तर्गत राज्य सरकार की प्रशिक्षण आवश्यकताओं के अनुरूप कोई भी सहायता प्रदान करेगी तथा इस राज्य में एक अन्य संस्थान स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना संभव नहीं है।

धोखाधड़ी को रोकने के लिए राष्ट्रीयकृत बैंकों में ओम्बड्समैन की नियुक्ति

6492. **श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या धोखाधड़ी को रोकने के लिए राष्ट्रीयकृत बैंकों में एक "ओम्बड्समैन" नियुक्त करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) बैंकों द्वारा धोखाधड़ी, दुर्विनियोजन इत्यादि के बारे में शिकायत करने हेतु जनता के लिए इस समय कौन-सी एजेन्सी उपलब्ध है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जी, नहीं।

(ख) जनता धोखाधड़ी, दुर्विनियोजन आदि से सम्बन्धित अपनी शिकायते सम्बन्धित बैंकों के अध्यक्ष और अन्य पर्यवेक्षी प्राधिकारियों अथवा उक्त बैंक के मुख्य सतर्कता अधिकारी और अन्य सतर्कता अधिकारियों को भेज सकती हैं। यह उपाय आपराधिक कानूनों के अन्तर्गत जनता को उपलब्ध उपायों के अलावा हैं।

विश्व बैंक अध्यक्ष द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय विकास एसोसियेशन से भारत को अधिक धन दिए जाने का समर्थन

6493. **डा० बी० एल० शैलेश**

श्री के० प्रधानी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक के अध्यक्ष श्री ए० डब्ल्यू कलासन ने अन्तर्राष्ट्रीय विकास एसोसियेशन से भारत को उदार शर्तों पर पर्याप्त सहायता जारी रखने का समर्थन किया है और अंशदान देने वाले देशों से बैंक को सुदृढ़ करने को कहा है जिससे कि वह आसान शर्तों पर यह ऋण सहायता दे सकें; और

(ख) यदि हां, तो भारत को अन्तर्राष्ट्रीय विकास अभिकरण से अधिक सहायता के मामले में वास्तव में इसके क्या परिणाम निकले हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री (जनार्दन पुजारी) : (क) जी, हां।

(ख) अन्तर्राष्ट्रीय विकास संग-८ के सम्बन्ध में अभी विचार-विमर्श किया जा रहा है और पुर्नभरण के पूर्ण आकार और उसमें भारत के हिस्से के बारे में अभी अन्तिम रूम से निर्णय नही हुआ है।

भारतीय औद्योगिक ऋण तथा निवेश निगम द्वारा औद्योगिक इकाइयों को ऋण

6494. **डा० बी० एल० शैलेश** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय औद्योगिक ऋण तथा निवेश निगम (आई० सी० आई० सी० आई०) द्वारा औद्योगिक इकाइयों को, विशेषकर उन इकाइयों को जो विकसित देशों को निर्यात के लिए आधुनिकीकरण करना चाहती है लगभग 40 प्रतिशत अधिक ऋण मंजूर किए जाने की सम्भावना है;

(ख) यदि हां, तो गैर सरकारी तथा सरकारी क्षेत्रों दोनों में विभिन्न उद्योगों के लिये ऋण किस प्रकार बांटा जायेगा; और

(ग) क्या उद्योगों को ऋण देते समय उन उद्योगों को प्राथमिकता दी जायेगी जो पूर्वी उत्तर प्रदेश जैसे पिछड़े क्षेत्रों में स्थापित किये जाते हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) भारतीय औद्योगिक ऋण तथा निवेश निगम ने निर्यातोन्मुख परियोजनाओं को प्रौद्योगिकी को अद्यतन बनाने, आधुनिकीकरण करने, विविधीकरण करने और नई परियोजनाएं लगाने के लिये सावधि ऋण देने की योजना बनाई है। इसमें से कोई विशेष प्रतिशत परियोजनाओं के अवुनिकीकरण के लिये नियत करने का प्रस्ताव नहीं है क्योंकि यह विभिन्न उद्यमियों द्वारा बनाई गई उन स्कीमों पर निर्भर करेगा जिनमें यह जरूरी नहीं कि केवल विकसित देशों को निर्यात की बात हो।

(ख) निर्यात की ठोस सम्भावनाओं के उत्पादों के लिये वित्तीय सहायता के वास्ते गैर सरकारी क्षेत्र तथा संयुक्त क्षेत्र दोनों की कम्पनियां भारतीय औद्योगिक ऋण तथा निवेश निगम से वित्तीय सहायता की पात्र होंगी।

(ग) सामान्य संस्थागत मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार, पिछड़े क्षेत्रों में लगाए जा रहे उद्योगों को उचित तरजीह दी जाएगी।

सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान हिमाचल प्रदेश में पर्यटन को प्रोत्साहन देने लिए योजना

6495. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या **संसदीय कार्य और पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या हिमाचल प्रदेश सरकार ने छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान हिमाचल प्रदेश में पर्यटन को प्रोत्साहन देने के लिये केन्द्रीय सरकार द्वारा वित्तीय सहायता देने हेतु छः विशिष्ट योजनाएं भेजी थीं;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक योजना की अनुमानित लागत सहित संक्षिप्त रूप रेखा क्या है और इस बारे में केन्द्रीय सरकार भारत पर्यटन विकास निगम द्वारा क्या निर्णय लिया गया है और उसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार की मंजूरी वित्तीय सहायता के लिए राज्य सरकार द्वारा कोई नई योजना भेजी गई है; और

(घ) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और सरकार/भारत पर्यटन विकास निगम द्वारा इन पर क्या निर्णय लिया गया है ?

संसदीय कार्य और पर्यटन मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) और (ख) छठी पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान राज्य सरकार से पांच स्कीमें प्राप्त हुई थीं जिनके ब्यौरे विवरण में दिए गए हैं।

(ग) और (घ) सातवीं पंचवर्षीय योजना के पहले वर्ष में, कुल्लु में एक कला केन्द्र का सुधार निर्माण करने और दो यात्रिकाओं का निर्माण करने, जिसके लिए राज्य सरकार द्वारा

भारतीय यात्री आवास विकास समिति के पक्ष में भूमि के हस्तांतरण की अभी प्रतीक्षा है, के बारे में विभाग कार्रवाई कर रहा है।

विवरण

(1) **सरहन में ट्रैकर्स हट्स** : इस स्कीम के लिए पर्यटन विभाग ने 18.00 लाख रु० स्वीकृत किए हैं जिसमें से 9.00 लाख रु० रिलीज कर दिए गए हैं।

(2) **रिवालसर में पर्यटक इन्न** : प्रस्ताव एकीकृत वित्त को भेजा गया था। जिन्होंने अभी तक स्वीकृति नहीं दी है।

(3) **धर्मशाला में आवास सुविधाएं** : इस सम्बन्ध में एक प्रस्ताव मिला था जिसमें बहुत अधिक व्यय शामिल था। राज्य सरकार से संशोधित अनुमान भिजवाने के लिए अनुरोध किया गया था। दिनांक 19-1-1986 को आयोजित बैठक में उन्होंने एक महीने के अन्दर इन्हें भिजवाने का वायदा किया था परन्तु अभी तक प्राप्त नहीं हुए हैं।

(4) **स्की उपकरणों की व्यवस्था** : यह मान लिया गया है कि विदेशों से उपकरणों के नए सेट प्राप्त हो जाने के बाद, आई० आई० एस० एंड० एम०, गुलमर्ग के पुराने स्टाक में से 50 सेट उन्हें हस्तांतरित कर दिए जाएंगे।

(5) **मेले और पर्व** : कुल्लु में दशहरा, चम्बा में मिनंजर पर्व और मण्डी में शिवरात्रि जैसे मेले और पर्वों से सम्बन्धित प्रस्तावों की जांच की गई है और अक्तूबर 1985 में राज्य से खर्चे के बारे में कुछ विशिष्ट सूचना और ब्यौरे मांगे गए थे जो अभी तक प्राप्त नहीं हुए हैं।

लौह-अयस्क का निर्यात

6496. **श्री चिंतामणि जेना** :

श्री बनवारी लाल पुरोहित : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान निर्यात की गई लौह-अयस्क की वर्ष-वार मात्रा क्या है तथा उसमें से इसकी कितनी मात्रा में खनिज तथा धातु व्यापार निगम द्वारा निर्यात किया गया;

(ख) उक्त अवधि के दौरान लौह-अयस्क किन देशों को कितनी मात्रा में में तथा किस दर पर निर्यात किया गया;

(ग) इससे कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई;

(घ) क्या यह सच है कि चीन को लौह-अयस्क निर्यात करने के लिए बात चीत शुरू की गई है;

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(च) अगले वर्ष के दौरान लौह-अयस्क के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाये गए हैं तथा क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं ?

वाणिज्य तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) से (ग) गत तीन वर्षों के दौरान लौह अयस्क के देश वार निर्यातों की मात्रा तथा इन निर्यातों के लिए मूल्य प्राप्ति संलग्न है। (विवरण)

(घ) से (ङ) जी हां। 1985-86 के दौरान, एन० टी० सी० ने चीन को 2.7 लाख मे. टन लौह अयस्क के निर्यात के लिए संविदाएं की। एक अन्य संविदा 1.60 लाख मे० टन के फरवरी से मई 1986 के बीच लदान के लिए की गई थी।

(च) लौह अयस्क के निर्यात बढ़ाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जा रहे हैं—

(1) विजाक पत्तन पर लौह अयस्क के रखरखाव की सुविधाओं में सुधार करना;

(2) पराद्वीप पत्तन में डूबे दो ड्रेडगर्स को हटाना;

(3) नए बाजारों में विविधीकरण;

(4) परम्परागत बाजारों में अपने भाग में वृद्धि।

सातवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक कुदरे मुख लौह अयस्क सान्द्रणों को छोड़कर 30 मिलियन मे० टन लौह अयस्क निर्यात करने का लक्ष्य है।

विवरण

(मात्रा मिलियन मे॰ टन में)
(मूल्य करोड़ रु॰ में)
(इकाई मूल्य रु॰ प्रति मे॰ टन)

लौह अयस्क के देश-वार निर्यात

देश का नाम		1983-84			1984-85			1985-86		
		मात्रा	मूल्य	इकाई मूल्य	मात्रा	मूल्य	इकाई मूल्य	मात्रा	मूल्य इकाई	मूल्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
जापान	एम॰ एम॰	6.203	136.70	220.38	8.360	185.66	221.98	9.017	204.08	226.33
	टी॰ सी॰	8.288	120.59	145.50	8.310	445.66	140.54	8.371	125.24	149.61
	गोआन्स									
उप-योग		14.491	257.29	177.55	16.670	301.32	181.56	17.388	329.32	189.39
दक्षिण कोरिया	एम॰ एम॰	2.210	44.54	201.54	2.370	48.99	205.93	2.128	46.18	217.01
	टी॰ सी॰	0.670	9.98	148.96	0.068	12.63	145.84	0.728	11.07	152.06
	गोआन्स	—	—	—	—	—	—	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	उप-योग	2.880	54.52	189.31	3.448	61.62	189.89	2.856	57.25	200.46
रूमानिया	एम० एम० टी० सी०	2.544	33·24	130.66	2.040	35.26	123.94	3.394	44.44	130.94
अन्य	एम० एम० टी० सी०	1.565	31.40	200.64	1.741	34.91	195.36	1.857	40.77	219.55
गोआन्स		0.668	7.30	155.98	0.728	12.73	138.07	1.257	27.34	217.50
कुल-योग										
एम० एम० टी० सी०		21.948	383.75	174.85	25.345	445.84	175 56	26.752	499.12	186.57
गोआन्स										
एम० एम० टी० सी० (निर्यात)		12.522	245.88	196.36	15-375	304.82	198.26	16.396	335.47	204.60

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
गोआन्स (निर्यात)		9.426	137.87	146.27	10.440	141.02	140.74	10.356	163.65	158.02

(अ) : अनन्तिम

टिप्पणी : (1) 1985-86 के गोआ के निर्यात आंकड़े फरवरी, 1986 तक हैं।

(2) इस विवरण में कुदरे मुख लौह अयस्क सांद्रण के निर्यात शामिल नहीं है।

[हिन्दी]

स्टेट बैंक आफ इन्दौर द्वारा लाटरी टिकटों का बेचा जाना

6497. **श्री नरेश चन्द्र चतुर्वेदी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि स्टेट बैंक आफ इन्दौर के मुख्यालय में जून, 1985 में देश में अपनी सभी शाखाओं को लाटरी टिकटें बेचने के लिए एक परिपत्र जारी किया था;

(ख) यदि हां, तो किस नियम के अधीन ये टिकटें बेची जाती थीं और बैंक द्वारा मुनाफा कमाया जाता था;

(ग) नियमों के विपरीत लाटरी टिकटें बेचने के लिए परिपत्र किसने जारी किया था तथा ऐसे निर्देश जारी करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) क्या यह भी सच है कि कर्मचारियों ने लाटरी टिकटें बेचने का कड़ा विरोध किया था ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (घ) स्टेट बैंक आफ इन्दौर के अनुसार, बैंक के प्रधान कार्यालय से 2 अंचल कार्यालयों और 162 शाखाओं के नाम मई 1985 में एक परिपत्र जारी किया गया था जिसमें इन्दौर में टेबिल टेनिस स्टेडियम के निर्माण के लिए धन एकत्र करने में मदद करने के वास्ते इन्दौर टेबिल टेनिस ट्रस्ट की ओर से लाटरी टिकट बेचने के लिए कहा गया था।

बैंककारी विनियमन अधिनियम के अनुसार कोई बैंक अपने कारोबार के संवर्धन या उन्नति के लिए आनुषंगिक या सहायक उपाय कर सकता है। स्टेट बैंक आफ इन्दौर ने सूचित किया है कि इस कार्य का प्रयोजन बैंक के लिए जमा राशियां जुटाना और बैंक के कार्यक्षेत्र में खेलों को बढ़ावा देने के उद्देश्य को समर्थन प्रदान कर बैंक के प्रति शुभेच्छा उत्पन्न करना था। यह सेवा बिना कमीशन लिये की गई थी।

बैंक ने सूचित किया है कि इस सम्बन्ध में उसके किसी कर्मचारी से कोई अभ्यावेदन/विरोध प्राप्त नहीं हुआ है।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की अर्थक्षमता सुधारना

6498. **डा० सुधीर राय** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कर्मचारी संघ ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की अर्थक्षमता में सुधार के लिए कुछ प्रस्ताव रखे हैं;

(ख) क्या कृषि वित्त निगम ने अधिकतर प्रस्तावों की पुष्टि कर दी है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक ने सूचित किया है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कर्मचारी संघ ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की अर्थक्षमता को सुधारने के लिए समय-समय प्रस्ताव भेजे हैं। इन प्रस्तावों में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा ली गई उधार रकमों पर ब्याज दर में कटौती, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की प्रारक्षित नकद राशियों पर भातीय रिजर्व बैंक द्वारा ब्याज की अदायगी, राष्ट्रीय बैंक द्वारा पुनर्वित सीमाओं को बकाया अग्रिमों के 50 प्रतिशत से बढ़ा कर 75 प्रतिशत करना, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा लक्षित वर्गों से भिन्न वर्गों को ऋण दिया जाना, अग्रिमों पर सेवा प्रभार के रूप में एक प्रतिशत की लेवी, 5 वर्ष तक विकास सहायता का प्रवधान, समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम अग्रिमों पर ब्याज दर में 2 प्रतिशत की वृद्धि, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कार्य क्षेत्र में राष्ट्रीय बैंक के पुनर्वित्त में वृद्धि पर ब्याज दर की कटौती आदि शामिल हैं। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा राष्ट्रीय बैंक से लिए जाने वाले उधारों पर ब्याज दर में कटौती, प्रारक्षित निधियों पर ब्याज की अदायगी और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को अन्य बैंककारी कारोबार करने की अनुमति से सम्बन्धित प्रस्तावों को छोड़कर संघ के अधिकतर प्रस्तावों की कृषि वित्त निगम द्वारा पुष्टि नहीं की गई है।

[अनुवाद]

मल्टी-फाइबर एग्रीमेंट के बारे में बीजिंग (चीन) में हुई बैठक में भारत द्वारा भाग लेना

6499. **डा० बी० एल० शैलेश**
श्री के० प्रधानी : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में बीजिंग (चीन) में कपड़े का निर्यात करने वाले विकसित देशों की हुई बैठक में भारत ने भाग लिया था;

(ख) यदि हां, तो बातचीत के विशेष रूप से मल्टी फाइबर एग्रीमेंट जिसका अवधि 31 जुलाई को समाप्त हो रही है, को समाप्त करने के बारे क्या परिणाम निकले;

(ग) क्या भारत वर्तमान मल्टी फाइबर एग्रीमेंट पर विस्तार से चर्चा करने के लिए टैरिफ और व्यापार के समान्य करार सम्बन्धी वस्त्र समिति की इस महीने होने वाली बैठक में भाग ले रहा है;

(घ) इस व्यवस्था के वर्ष भर कार्य करने के आधार पर मल्टी फाइबर एग्रीमेंट को चालू रखने के सम्बन्ध में यूरोपीय आर्थिक समुदाय की प्रतिक्रिया क्या है; और

(ङ) कपड़ों और वस्त्रों के विमुव व्यापार के व्यवस्थित विकास के लिए मल्टी फाइबर एग्रीमेंट को समाप्त करने और टैरिफ और व्यापार के सामान्य करार नियम को पुन: अपनाने के बारे में भारत की प्रतिक्रिया क्या है ?

वाणिज्य तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) से (ग) भारत ने बीजिंग में 4 से 8 मार्च, 1986 तक वस्त्रों तथा कपड़े के विकासशील देशों के निर्यातकों की बैठक में भाग लिया। इस बैठक में विकासशील देशों ने अन्य वार्ता के साथ-साथ इन बातों पर जोर दिया कि विकसित देशों द्वारा बहुपक्षीय वचन बद्धताओं जिनमें 1982 में गत सम्विदाकारी पक्षकारों की मंत्री स्तरीय बैठक में कीगई वचन बद्धताएं, विकासशील देशों के वस्त्रों तथा कपड़े के निर्यातों पर पाबन्दियों में पर्याप्त उदारी करण की मांग और विकसित बाजारों पर इन उत्पादों के उनके निर्यातों को संचालित करने वाली प्रतिबंधात्मक और विभेदकारी व्यवस्था को समाप्त करने को कार्यान्वित करने की आवश्यकता है। विकासशील देशों ने नोट किया कि गाट सांविदाकारी पक्षकार इस समय अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के सभी क्षेत्रों को उदार बनाने और बहुराष्ट्रीय व्यापार प्रणाली को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से बहुपक्षीय व्यापार कर्ताओं के एक नये कार्यक्रम के लिए तैयारी में लगे हैं और इस संदर्भ में जोर दिया कि वस्त्रों की वर्तमान व्यापार व्यवस्था को उदारीकृत बनाया जाना है और एक सहमत समय में बाधाओं को सुदृढ़ गाट सिद्धान्तों के अन्तर्गत दूर किया जाना चाहिए।

वर्तमान बहुरेशा प्रबन्ध के 31 जुलाई, 1986 को समाप्त हो जाने के बाद वस्त्रों में अन्तराष्ट्रीय व्यापार व्यवस्था के भविष्य के बारे में इस समय गाट वस्त्र समिति में वार्ताएं चल रही हैं। सभी प्रमुख वस्त्र निर्यातक और आयातक देश जिनमें भारत शामिल है, वार्ताओं में भाग ले रहे हैं। वस्त्र समिति की अन्तिम बैठक 3-4 अप्रैल 1986 को हुई थी।

(घ) संकतों के अनुसार यूरोपीय आर्थिक समुदाय एम० एफ० ए० के प्रकार के प्रबन्ध को जारी रखने के हक में है।

(ङ) जैसा कि ऊपर बताया गया है, भारत सहित विकासशील देशों ने इस बात पर जोर दिया है कि वस्त्रों में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के क्षेत्र में प्रतिबन्धों को सदा उदार बनाया जाना चाहिए और समाप्त किया जाना चाहिए।

पंजाब एण्ड सिंध बैंक की पिपरियाधानी शाखा के
शाखा प्रबन्धक को गिरफ्तार करना

6500. **डा० गुलार याजवानी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि पंजाब एण्ड सिंध बैंक की पिपरियाधानी शाखा के शाखा प्रबन्धक, जो 86 लाख रुपये के घोटाले में शामिल थे, उनको 19 फरवरी 1985 को स्थानीय पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था;

(ख) यदि हां, तो मामले का ब्यौरा क्या है ?

(ग) क्या यह सच है कि उक्त शाखा प्रबन्धक बैंक के किसी वरिष्ठ अधिकारी का संबंधी है; और

(घ) क्या सरकार का विचार उक्त मामले की जांच करने का काम किसी जांच एजेंसी को सौंपने का है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क), (ख) और (घ) पंजाब एण्ड सिंध बैंक ने सूचित किया है कि पिपरियाधानी शाखा के सभी 981 ऋण खातों की जांच करने से पता चला है कि 24 खातों में लगभग 2.05 लाख रुपये की राशि जाली नामों से है। कुछ अलग-अलग ऋणकर्ताओं द्वारा शिकायत किए जाने पर पुलिस द्वारा पिपरियाधानी शाखा के प्रभारी अधिकारी को दिनांक 19 फरवरी, 1985 को गिरफ्तार किया गया था। विस्तृत निरीक्षण के पश्चात् पंजाब एंड सिंध बैंक ने पुलिस में एक प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई है। बैंक ने उत्तर प्रदेश पुलिस के महा निदेशक से राज्य के खुफिया विभाग से मामले की जांच करवाने का अनुरोध किया।

(ग) पंजाब एण्ड सिंध बैंक ने सूचित किया है कि पिपारियाधानी शाखा शाखा का प्रभारी अधिकारी, जिसकी सेवाएं अब समाप्त कर दी गई हैं बैंक के एक महाप्रबन्धक का "कजिन" है।

बहुराष्ट्रीय सिगरेट कम्पनियों द्वारा विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम तथा "कोफेपोसा" का उल्लंघन

6501. **श्री राम भगत पासवन** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार को यह जानकारी है कि कुछ बहुराष्ट्रीय सिगरेट कम्पनियों ने पिछले तीन वर्षों के दौरान विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम तथा विदेशी मुद्रा संरक्षण तथा तस्करी निवारण अधिनियम (कोफेपोसा) का उल्लंघन किया है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार का इस मामले की जांच करने का विचार है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) किसी भारतीय कम्पनी द्वारा निर्मित किए जाने वाले एक विदेशी ब्रांड के सिगरेट के मामले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा की गई जांच से विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के उपबंधों के किसी उल्लंघन का पता नहीं चला।

राज्यों सरकारों द्वारा अपने बैंक खोलने का प्रस्ताव

6502. **श्री एच० एम० पटेल** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कर्नाटक के मुख्य मंत्री द्वारा दिए गए इस सुझाव पर ध्यान दिया है कि विकास योजनाओं के लिए संसाधन जुटाने के लिए राज्य सरकारों के अपने बैंक होने चाहिये;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) यदि किसी राज्य सरकार द्वारा स्टेट बैंक स्थापित करने का प्रस्ताव किया जाये तो क्या सरकार का विचार उसे मान्यता देने का है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) सम्भवत: माननीय सदस्य का आशय "हिन्दु" के दिनांक 31-12-1985 के संस्करण में "हेगड़े प्रोपोसिज स्टेट-ओन्ड बेंक्स" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार से है।

(ख) और (ग) बेंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 के उपबन्धों के अनुसरण में नया बेंक खोलने के लिए, चाहे वह सरकारी क्षेत्र में हो या गैर सरकारी क्षेत्र में, भारतीय रिजर्व बैंक से लाइसेंस प्राप्त करना होता है। विभिन्न सम्बद्ध तथ्यों को देखते हुए भारतीय रिजर्व बैंक का यह विचार है कि इस समय कोई नया वाणिज्यिक बेंक खोलने की आवश्यकता नहीं है। भारतीय रिजर्व बैंक ने यह भी सूचित किया है कि उसे कर्नाटक सरकार से राज्य सरकार का अपना बैंक खोलने के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ।

[हिन्दी]

जापान द्वारा भारत को तकनीकी और औद्योगिक सहायता

6503. **प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जापान, वस्त्र उद्योग, रेलवे और पैट्रोलियम उत्पादन के क्षेत्र में भारत की सहायता करने करने पर सहमत हो गया;

(ख) जापान किन-किन क्षेत्रों में भारत की औद्योगिक और तकनीकी सहायता करने पर सहमत हो गया है; और

(ग) भारत इसके बदले में जापान को क्या देगा और कि शर्तों पर देगा ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) भारतीय रेलवे, कपड़ा उद्योग और भारतीय लौह तथा इस्पात कम्पनी के बर्नपुर कारखाने का आधुनिकीकरण करने के प्रयोजन से जापानी सहायता प्राप्त करने के लिए क्षेत्रों का सुनिश्चयन करने उद्देश्य से भारत और जापान के बीच प्रारम्भिक बातचीत हो रही है। इस समय पैट्रोलियम के उत्पादन के बारे में ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

[अनुवाद]

दफ्तरशाही के ढांचे में कटौती

6504. **श्री के० कुन्जम्बु** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दफ्तरशाही के ढांचे में कटौती करने के लिए कोई प्रयास किये गये हैं; और

(ख) यदि हां, तो किये गये प्रयासों का ब्योरा क्या है और उनके क्या परिणाम निकले ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) अनावश्यक तथा अनुत्पादक व्यय पर नियंत्रण के उपाय करना सरकार की निरन्तर चलने वाली प्रक्रिया है हाल

ही में सरकार ने अत्यन्त अपवादीय परिस्थितियों को छोड़कर पदों के सृजन करने रिक्तियों के भरे जाने पर रोक सम्बन्धी अनुदेश जारी किए हैं। वित्त मंत्रालय के कर्मचारी निरीक्षण एकक/विभिन्न मंत्रालयों/विभागों में आन्तरिक कार्य अध्ययन एककों द्वारा किये जाने वाले कार्यमापक अध्ययनों से अतिरिक्त स्टाफ का पता लगाने तथा परिहार्य पदों के सृजन को रोकने के भी प्रयास किये जाते हैं।

सभी चालू क्रियाकलापों और केन्द्रीय सरकार के संगठनों की समीक्षा करने के लिए और जो अपनी उपयोगिता से अधिक समय तक विद्यमान हैं उनकों बन्द करने के लिए मंत्रिमंडल सचिव की अध्यक्षता में एक कार्यकारी दल का भी गठन किया गया है। यह दल विभिन्न मंत्रालयों/विभागों और संगठनों की कर्मचारी संख्या की भी समीक्षा कर रहा है।

दल द्वारा समीक्षा जारी है।

सरकारी विभागों में तकनीकी पदों की संख्या में कटौती

6505. **श्री कमला प्रसाद सिंह** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार को तकनीकी मामलों में सलाह देने के लिए लगभग सभी सरकारी कार्यालयों में अर्थशास्त्र, विज्ञान और संबंद्ध क्षेत्रों में तकनीकी अर्हता प्राप्त लोग हैं;

(ख) क्या हाल ही में मितव्ययता के नाम पर इन तकनीकी पदों में कटौती कर दी गई है; और

(ग) तकनीकी अर्हता प्राप्त लोगों के हितों की सुरक्षा करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) किसी भी केन्द्रीय सरकार के मंत्रालय/विभाग में विशिष्ट रूप से तकनीकी पदों की संख्या में कमी अथवा कटौती का सुझाव देते हुए कोई अनुदेश जारी नहीं किए गये हैं।

तथापि अनावश्यक और अनुत्पादक व्यय पर नियंत्रण रखने के लिए निरन्तर आधार पर उपाय किये जा रहे हैं। वित्त मंत्रालय के कर्मचारी निरीक्षण एकक/विभिन्न मंत्रालय/विभागों में आन्तरिक कार्य एककों द्वारा किये जाने वाले कार्य मापक अध्ययनों से अतिरिक्त स्टाफ का पता लगाने तथा परिहार्य पदों के सृजन को रोकने के प्रयास किए जा रहे हैं।

सभी चालू क्रिया कलापों और केन्द्रीय सरकार के संगठनों की समीक्षा करने के लिए और जो अपनी उपयोगिता से अधिक समय तक विद्यमान हैं उन को बन्द करने के लिए मंत्रिमण्डल सचिव की अध्यक्षता में एक दल का गठन किया गया है।

गेहूं का निर्यात

6506. **श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गेहूं का घरेलू निर्गम मूल्य से कम मूल्य पर निर्यात करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं और क्या इससे निर्धनता निवारण कार्यक्रम पर प्रभाव पड़ेगा; और

(ग) देश में खाद्यान्नों के भन्डार को कम करने हेतु सरकार द्वारा अन्य किन उपायों पर विचार किया जा रहा है ?

योजना तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० के० पांजा) : (क) जी हां।

(ख) गेहूं की अधिशेष स्टाक स्थिति को ध्यान में रखते हुए निर्यात करने की अनुमति प्रदान की गई है जिससे आवश्यक खाद्य वस्तुओं का आयात करने में सुविधा होगी। इससे गरीबी हटाओ कार्यक्रमों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, जिनके लिए सरकारी एजेन्सियों के पास पर्याप्त स्टाक उपलब्ध है।

(ग) स्टाक की निकासी करने के लिए सरकार द्वारा किए गए अन्य उपायों में ये उपाय शामिल हैं :—

(1) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए मासिक आवंटनों का उदार करना;

(2) रोलर फ्लोर मिलों को उनकी लाइसेंसशुदा/स्वीकृत क्षमता का 150 प्रतिशत तक गेहूं आवंटित करना;

(3) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम और ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारण्टी कार्यक्रम के क्षेत्र का विस्तार करना जिसके लिए 1986-87 हेतु 20 लाख मीटरी टन अनाज आवंटित किया गया है ;

(4) समन्वित आदिवासी विकास परियोजना क्षेत्रों और आदिवासी बहुल राज्यों में रह रही जनता को विशेष रूप से राज सहायता प्राप्त मूल्यों पर गेहूं 1.50 रुपये प्रति किलो और चावल (साधारण किस्म) 1.85 रुपये प्रति किलो की दरों पर मुहैय्या करना,

(5) तरुणों, गर्भवती महिलाओं और धाय माताओं के लिए पोषाहार कार्यक्रम के अधीन क्षेत्र में वृद्धि करना;

(6) 30-9-1986 तक मात्रा विषयक कोई सीमा लगाए बिना कार्डधारियों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से गेहूं जारी करना;

(7) भारतीय खाद्य निगम को खुले बाजार में 31 मार्च, 1986 तक गेहूं बेचने की अनुमति प्रदान करना;

सिगरेटों के बाहरी भाग, डिजाइन और मूल्य मंजूर करना

6507. **चौधरी सुन्दर सिंह :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सभी सिगरेट निर्माताओं के लिए सरकार से सिगरेटों के बाहरी भाग, डिजाइन और बाजार विक्रय मूल्य मंजूर कराना अपेक्षित है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने मंजूरी देने से इन्कार किया है अथवा मंजूरी रोकी है और उसके क्या कारण हैं; और

(ग) किन-किन ब्रांडों को मंजूर नहीं किया गया है तथा उसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) (क) जिस अधिसूचना में सिगरेटों की उत्पादन शुल्क की प्रभावी दरों का निर्धारण किया गया है, उसमें यह शर्त लगायी गई है कि वे दरें लागू होंगी बशर्ते निरीक्षण निदेशालय के निदेशक (लेखा परीक्षा) और लेखा परीक्षा (सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क) द्वारा सिगरेटों के पैकेट के बाहरी भाग का डिजाइन अनुमोदित कर दिया गया हो। जिस मामले में यह शर्त पूरी नहीं होती है, उसमें शुल्क टैरिफ दर (प्रभावी दर से यथा-भिन्न) लागू होगी।

(ख) विभिन्न निर्माताओं द्वारा निर्मित सिगरेटों के अधिकांश ब्रांडों के बाहरी भाग के डिजाइन सक्षम प्राधिकरण द्वारा पहले ही अनुमोदित किए जा चुके हैं। तथापि सिगरेटों के छः ब्रांडों के बाहरी भाग के डिजाइनों को अभी तक मंजूर नहीं किया गया है क्योंकि अभी और जांच की जानी है अथवा निर्माताओं से मांगी गई तथ्यात्मक सूचना प्राप्त होनी है।

(ग) जिन ब्रांडों के बारे में आवेदन-पत्र प्राप्त हुए हैं उनमें से किसी के भी बाहरी भाग के डिजाइन को नामंजूर नहीं किया गया है।

कर्नाटक में स्थापित की जाने वाली रोलर मिल

6508. **वी० एस० कृष्ण अय्यर** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 30 मीट्रीक टन दैनिक की क्षमता वाली कितनी रोलर मिलें कर्नाटक में स्थापित की जायेंगी; और

(ख) इस प्रयोजन हेते कौन-कौन से स्थान चुने गये हैं ?

योजना तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० के० पंजा) : (क) और (ख) देश में इस समय गेहूं की सुगम उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए, पहले से विद्यमान क्षमता, उपयोग की वर्तमान मात्रा और जिन जिलों में मिलें नहीं हैं, उनमें प्रस्तावित स्थान, खपत केन्द्रों की निकटता, भविष्य में सम्भावित मांग और अन्य संगत तथ्यों पर निर्भर करते हुए विभिन्न राज्नों, संघ शासित प्रदेशों में 30 मीटरी टन प्रतिदिन तक की क्षमता के सीमित संख्या में नए यूनिट स्थापित करने की इजाजत देने का निर्णय किया गया है। कर्नाटक सहित राज्य सरकारों, संघ शासित प्रदेशों को सलाह दी गई है कि वे इस सम्बन्ध में अनुमति प्रदान करने के लिए उद्यमियों से आवेदन पत्र प्राप्त करें और उन पर आगे विचार करने के लिए उन्हें 30-4-1986 से पूर्व केन्द्रीय सरकार को भेज दें। कर्नाटक में नये यूनिट स्थापित करने के लिए प्राप्त हुए अनुरोधों पर ऊपर उल्लिखित कसौटी को दृष्टि में रखकर 30 अप्रैल, 1986 के बाद विचार किया जाएगा।

———

12.00 मध्याह्न

(व्यवधान)

(अनुवाद)

उपाध्यक्ष महोदय : आज मैं इस ओर से आरम्भ करूंगा। मैं एक-एक कर बुलाऊंगा। श्री दास मुंशी……

श्री प्रिय रंजन दास मुंशी (हावड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, हम अनेक बार इस बात की चर्चा कर चुके हैं कि त्रिपुरा में राष्ट्र विरोधी ताकतों को बंगला देश से चीन के बने हथियार प्राप्त हो रहे हैं और उन्हें वहां के नागरिकों के विरुद्ध इस्तेमाल किया जा रहा है। कल बिल्लोनिया में एक और ही समस्या खड़ी हो गई है। वहां लोगों की हत्या कर दी गई है।

पंजाब के सम्बन्ध में पूरी सभा ने एक मत से चिंता व्यक्त की थी किन्तु मैं चाहता हूं कि गृह मंत्री महोदय एक गम्भीर वक्तव्य दें तथा त्रिपुरा में लोगों की सुरक्षा के बारे में सुनिश्चित करें। यह बड़ी भयानक स्थिति है। बंगला देश की सीमा से हर रोज उनका आगमन हो रहा है। वहां की सरकार को केन्द्र से अधिक समर्थन प्राप्त होना चाहिए जिससे कि वे पुलिस को सम्बन्धित अस्त्र-शस्त्रों से स्वज्जित कर सकें।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री दास मुंशी, आप वह मुझे दें। मैं मंत्री महोदय से इस विषय में देखने को कहूंगा।

श्री प्रिय रंजनादास मुंशी : यह पूरे देश के लिये चिंता का विषय है। **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : आप लिखित रूप में दीजिए। हम देखेंगे।

प्रो० के० वी० थामस (एरणाकुलम) : महोदय, एक सिपाही, श्री जोश, 6 तारीख से लापता था और कल उसकी लाश पास के ही एक कुंए में पाई गई।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री थामस, आप ने क्या कहा ?

प्रो० के० वी० थामस : उसकी लाश पास के ही कुंए में पाई गई।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया दोहराइये।

प्रो० के० वी० थामस : श्री जोश नाम का एक सिपाही दिल्ली से गायब था। आज मैंने उच्च अधिकारियों से सम्पर्क करने की चेष्टा की थी किन्तु वहां से कोई उत्तर नहीं मिला। इस मामले की जांच कराई जानी चाहिये।

उपाध्यक्ष मोदवय : आप मंत्री महोदय को लिखें, वह देखेंगे। कृपया बैठ जाइये।

डा० गौरी शंकर राजहंस (झंझारपुर) : एक ओर तो हम अपनी विदेशी मुद्रा की कमी के बारे में चिंतित हैं दूसरी ओर धोखाधड़ी से करोड़ों डालर की विदेशी मुद्रा की तस्करी पाकिस्तान को की जा रही है। यह एक बहुत ही गम्भीर मामला है।

उपाध्यक्ष महोदय : लिखकर दीजिये।

डा० गौरी शंकर राजहंस : मैं लिखकर दे चुका हूं। सरकार को वक्तव्य देना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं मंत्री महोदय से इस पर ध्यान देने को कहूंगा।

(हिन्दी)

श्री धर्मपाल सिंह मलिक (सोनीपत) : माननीय उपाध्यक्ष जी, पियरलैस जनरल फाइनेन्स एण्ड इन्वेस्टमेंट कम्पनी लि० को कलकत्ता हाई कोर्ट के जजमेंट दिनांक 14-3-86 के अनुसार बंद करने का आदेश हुआ है।

(अनुवाद)

उपाध्यक्ष महोदय : कलकत्ता की बात मत कीजिए। कृपया बैठ जाइये।

(हिन्दी)

श्री धर्मपाल सिंह मलिक : मेरी गुजारिश है कि इससे 4,000 मुलाजिम बेघर हो गये हैं और वे भूख हड़ताल पर हैं। इस कम्पनी के मालिक अपनी इस कम्पनी के 660 करोड़ के एसैट्स को ट्रांसफर करना चाहते हैं दूसरे खाते में।······ **(व्यवधान)**

(अनुवाद)

श्री अब्दुल रशीद काबुली (श्री नगर) : महोदय, आज के समाचार पत्रों में यह प्रकाशित हुआ है कि हिन्दू कार्य समिति के प्रतिनिधियों के साथ श्रीमती शीला कौल प्रधानमंत्री से मिली थी तथा उन्होंने उनके मामले का प्रतिनिधित्व किया ······ **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : आप नियम 377 के अधीन लिखें। आप लिखित रूप में दे।

(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : कोई भी बात कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं की जायेगी।

(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : कोई भी बात कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं की जायेगी। मैं आपको कह चुका हूं कि आप लिखकर दें। मैं उसे कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित करने की अनुमति नहीं दूंगा। श्री जंगा रेड्डी·········

(हिन्दी)

श्री सी० जंगा रेड्डी (हनमकोंडा) : उपाध्यक्ष महोदय, स्वदेशी मिल्स, कानपुर·········

(व्यवधान)

**कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

(अनुवाद)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री जंगा रेड्डी आप थोड़ा विश्राम कीजिए क्योंकि आप इस समय आप परेशान हैं। श्री देव.........

श्री शरत देव (केन्द्रपाड़ा) : कालाहांडी के बारे में यह एक गंभीर मामला है जिसके बारे में मैं सूचना दे चुका हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : यदि आप दे चुके हैं, तो मैं देखूंगा। श्री मुंडामल.........

श्री शरत देव : महोदय केवल एक मिनट। अब उड़ीसा राज्य के भीतर दूसरा राज्य बनाने की कोई माँग नहीं है। दो जिलों अर्थात् फुलबनी और कालाहांडी को मिलाकर एक और राज्य बनाने का षड़यन्त्र चल रहा है.........

उपाध्यक्ष महोदय : जी नहीं, मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगा। आप लिखकर दीजिये। कोई भी बात कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं की जायेगी।

(व्यवधान)**

श्री जार्ज जोसफ मुंडाकल (मुवत्तुपुजा) : महोदय, केरल के सैंकड़ों पुलिस कर्मी दिल्ली में काम कर रहे हैं। वे दुःखी हैं। आज लगभग 20 या 30 व्यक्ति आये थे......(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आपने लिखकर कुछ नहीं दिया है। आप केवल उठा रहे हैं।

श्री जार्ज जोसफ मुंडाकल : यह मामला केरल में कानून और व्यवस्था बनाये रखने का प्रश्न है। (व्यवधान) मैंने लिखकर दे दिया है।

उपाध्यक्ष महोदय : तब, मैं इसे देख लूंगा।

(व्यवधान)

श्री जार्ज जोसफ मुंडाकल : आप इसे गम्भीरता से लें। इन व्यक्तियों के मनोबल का क्या होगा ?

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने एक अवसर दिया है।

श्री जार्ज जोसफ मुंडाकल : हम दक्षिण से दूर हैं और वहां हमारा हित देखने वाला कोई नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : आप मुझे लिखकर दें। मैं देखूंगा।

श्री जार्ज जोसभ मुंडाकल : आपको इसे गंभीरता से लेना होगा।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं हर बात गम्भीरतापूर्वक ले रहा हूं।

(व्यवधान)

श्रीमती डी० के० भंडारी (**सिक्किम**) : मेघालय सरकार द्वारा मेघालय के कुछ भागों से भारतीय नेपालियों तथा अन्य गैर जन-जातीय व्यक्तियों को बड़े पैमाने पर निर्वासित करने तथा परेशान करने के कथित आरोप के बारे में मैं ध्यानाकर्षण सूचना दी है।

**कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नही किया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं उसे देखूंगा।

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : महोदय, ये दो मामले एक दूसरे से संबंधित हैं, इसलिये मैं उन्हें एक साथ उठा रहा हूं—गैर कानूनी ढंग से पाकिस्तान को जाने वाली विदेशी मुद्रा को रोकने के लिए लगा हुआ पूरा सरकारी तंत्र और गैर कानूनी ढंग से आने वाले कुछ दस्तावेजों और यात्रा पत्रों को आने जाने की अनुमति देना। लाखों डालर की विदेशी मुद्रा पाकिस्तान को चली गई है और उसका तरीका यह है कि कुछ औरतें अपने जाली पास पोर्टों पर ऐसे बच्चे दर्शाती हैं जो वास्तव में मौजूद नहीं हैं। उनके नाम से बैंकों से विदेशी मुद्रा लाई जाती है और वह विदेशी मुद्रा पाकिस्तान जा रही है। इसी प्रकार झूठे दस्तावेज प्रस्तुत किये गये हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : आपने दिया है······

प्रो० मधु दण्डवते : महोदय, मेरा अनुरोध है कि यह एक ऐसा महत्त्वपूर्ण मामला है कि आप सर्वप्रथम मंत्री महोदय को वक्तव्य देने को कहें। **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : मैं सच्चाई का पता लगाने के लिये मंत्री महोदय से कहूंगा।

प्रो० मधु दंडवते : कृपया मंत्री महोदय को निर्देश दे दें। यह बड़ा ही गम्भीर मामला है। इसके साथ राष्ट्रीय हित जुड़ा हुआ है।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आपका पत्र मंत्री महोदय को भेज दूंगा और वास्तविकता का पता लगाऊंगा।

(व्यवधान)

प्रो० मधु दण्डवते : विदेशी मुद्रा की तस्करी की जा रही है। कृपया वित्त मंत्री को, कम से कम वक्तव्य देने के लिए निदेशित करें। श्रीमान, जी आपकी क्या प्रतिक्रिया है ?

उपाध्यक्ष महोदय : तथ्यों की जाँच पड़ताल के लिए मैं मंत्री जी तक आपका पत्र पहुंचा दूंगा।

प्रो० मधु दण्डवते : श्रीमन्, आपका कार्य डाकघर का नहीं है यहां उन्हें आपको निदेशित करना है।

उपाध्यक्ष महोदय । मैं निदेशित नहीं कर सकता !

प्रो० मधु दंडवते : अतीत में, अध्यक्ष महोदय निदेशित कर चुके हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे निदेशित नहीं करना।

प्रो० मधु दंडवते : कृपया गृहमंत्री या वित्त मंत्री को वक्तव्य देने के लिए निदेशित करें। क्या आप विश्वस्त नहीं है कि यह एक गम्भीर मामला है ? आज, सभी समाचार पत्रों ने इसे मुख्य पृष्ठ पर छापा है।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आपका पत्र तथ्यों की जाँच पड़ताल के लिए भेज दूंगा। अभी मैं उन्हें वक्तव्य देने के लिए निदेशित नहीं कर सकता।

प्रो० मधु दंडवते : ठीक है, उन्हें इसे स्पष्ट करने दें। श्रीमन् कभी-कभी कम से कम एकाध निदेश दे दिया करें। ऐसा आपका कार्याधिकार हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : उन्हें पहले तथ्यों का पता लगाने दें।

प्रो० मधु दण्डवते : यदि पीठ प्रदत्त प्राधिकार का प्रयोग नहीं करती, तो अधिकार में ह्रास होगा।

उपाध्यक्ष महोदय : बिना तथ्यों का पता लगाये, मैं कैसे निदेशित कर सकता हूं ? उन्हें पहले तथ्यों की खोज करने दो। मैं देखूंगा।

प्रो० मधु दंडवते : कम से कम मंत्री जी तथ्यों को उपलब्ध कराये, क्या ऐसा आपका निदेश है ?

उपाध्यक्ष महोदय : मैं निदेश नहीं कर रहा हूं। श्रीमन् मैं आपके पत्र को तथ्यों का पता लगाने के लिए भेज रहा हूं। तत्पश्चात् में देखूंगा।

प्रो० मधु दंडवते : पीठ का अनुरोध नहीं करना है; निदेश करना है। कम से कम मंत्री जी को तथ्यों की खोज करने के लिए निदेशित करें।

उपाध्यक्ष महोदय :आपने स्थान प्रस्ताव तथा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव प्रस्तुत किए हैं। स्थगन प्रस्ताव के लिए, मैंने अपनी सम्मति नहीं प्रदान की है। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर मैं विचार करूंगा। पहले मुझे तथ्यों का पता लगाने दें·

प्रो० मधु दंडवते : इसका तात्पर्य है कि ये वर्षों से नहीं मिल रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : श्रीमान् जी, क्या किया जाए।

प्रो० मधु दंडवते : जब भी आप कहते हैं "मैं विचार करूंगा" मैं भी भूल जाता हूं और आप भी।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं कि आप नहीं भूलेंगे क्योंकि श्रीमान् जी, प्रोफेसरों के पास अथाह स्मरण शक्ति होती है। आप हमेशा समस्याएं उठाते रहे हैं। यदि आप इसे भूल भी जायें किन्तु आप इसे परित्याग नहीं करेंगे।

प्रो० मधु दण्डवते : श्रीमान् जी, इन विषयों पर बात-चीत करने के लिए ध्यानाकर्षण के द्वारा कुछ समय प्रदान करें।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं दे देखूंगा।

प्रो० मधु दंडवते : वस्तुत: आपको मंत्री जी को वक्तव्य देने के लिए निदेश करना चाहिए, चूंकि आप अपनी प्रदत्त शक्ति का उपयोग नहीं करना चाहते, मेरा सुझाव है ध्यानाकर्षण को लिया जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं इस पर विचार करूंगा।

(हिन्दी)

श्री मोहम्मद महफूज अली खां (एटा) : जनाब राजेश भटनागर का मर्डर हुआ।

(अनुवाद)

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं नहीं। क्या आपने लिखित रूप में दिया है।

(हिन्दी)

श्री मोहम्मद महफूज अली खां : आप सुन तो लीजिए।

(अनुवाद)

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं, नहीं। कानून और व्यवस्था राज्य का मामला है।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : यह एक राज्य का मामला है। मैं इसे अनुमति नहीं प्रदान करूंगा। कार्यवाही वृतान्त में कुछ भी शामिल नहीं किया जाएगा।

(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : यह राज्य सम्बन्धी मामला है। इसे यहां मत उठाये।

(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृत्तान्त में कुछ भी शामिल नहीं किया जायेगा।

(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : इसके लिए आपके राज्य में विधान सभा है। मैं अनुमति नहीं प्रदान करूंगा !

(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : मैं अनुमति नहीं प्रदान कर सकता............कुछ भी कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया जा रहा है............यह एक राज्यीय मामला है, राज्य में विधान सभा है............कार्य वृत्तांत में कुछ भी शामिल नहीं किया जाएगा............तिवारी जी आप अपना स्थान ग्रहण कर लें। कुछ भी रिकार्ड नहीं हो रहा है।

(व्यवधान)**

प्रो० के० के० तिवारी (बक्सर) : जब मेरी बारी आये कृपया मुझे पुकारने का कष्ट करें।

उपाध्यक्ष महोदय : आपकी बारी पहले ही खत्म हो चुकी है।

श्री एडुआर्डो फेलीरो (मारमागाओ) : यह व्यवस्था का प्रश्न है। उठाया गया विषय राज्य से सम्बन्धित है। क्या कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी शामिल नहीं किया जा सकता।

**कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी शामिल नहीं किया गया है। मैं कह चुका हूं कि.......। मेरी दी व्यवस्था पर प्रश्न मत करे।

श्री सुरेश कुरुप (कोट्टायम) : इसके पहले आप एक सांसद को पश्चिम बंगाल के बारे में वक्तव्य देने के लिये अनुमति प्रदान कर चुके हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : यह मामला स्वयं प्रभावित सदस्य द्वारा ही उठाया गया इसलिये मैंने अनुमति प्रदान की थी। चौधरी साहब, मैं अन्य बातों को उठाने की अनुमति नहीं प्रदान कर सकता।

श्री सैफुद्दीन चौधरी (कटवा) : मिड-डे में प्रकाशित समाचारों के इस मुद्दे पर मैं स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत कर चुका हूं कि दक्षिण अफ्रीकी सुरक्षा एवं असूचना संगठन, बॉस तथा इजराइली मोशाद पंजाब के आतंकवादियों को प्रशिक्षण दे रहे हैं। यह भी खुलासा हो चुका है कि वे हमारे देश के सुरक्षा तंत्र में पैठ कर चुके हैं। यह एक बड़ा गम्भीर मामला है। मैं इस पर चर्चा कराना चाहता हूं। शुरू में, मैं चाहता हूं कि गृह मंत्री जी वक्तव्य दें। कृपया हमें इस पर विचार-विमर्श करने के लिये अनुमति प्रदान करें

उपाध्यक्ष महोदय : हम इसे देखेंगे। गृह मत्रालय की मांगों पर चर्चा आज और कल होनी है। उस समय आप यह मामला उठा सकते हैं तथा उस पर आप बोलें।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : मुझे शायद इस पर बोलने का अवसर न मिल सके।

उपाध्यक्ष महोदय : कोई अन्य सदस्य इसे उठा सकते हैं।

श्रीमती गीता मुखर्जी (पंसकुरा) : हमारे देश में बलात्कार के मामलों में लिप्त लोगों को दण्डित करने के लिये संसद बड़ी इच्छुक रही है। दुर्भाग्यवश जाने या अनजाने, प्रशासनिक असफलता के कारण इन मामलों में वृद्धि हुई है। मैं इस प्रश्न को उठाना चाहूंगी, इसे उठाया ही जाये। उदाहरण के लिए...... (**व्यवधान**)**

उपाध्यक्ष महोदय : उदाहरण के रूप में कुछ भी मत कहिये। यदि आप राज्य से संबंधित कुछ भी कहती हैं तो यह कार्यवाही वृत्तांत में शामिल नहीं होगा...सामान्य वक्तव्य ही शामिल किया जायेगा, किन्तु राज्य से सम्बन्धित कुछ भी शामिल नहीं किया जायेगा।

श्री अमर राय प्रधान (कूच विहार) : भारत के नागरिक के रूप में, हमें भारत में कहीं भी ठहरने का अधिकार मिला है। लेकिन मेघालय में क्या हो रहा है। क्या भारतीय नेपाली लोग......

उपाध्यक्ष महोदय : यह बात वहां के विधान मंडल में उठायी जा सकती है। मैं यहां अनुमति नहीं प्रदान कर सकता।

**कार्यवाही-वृत्तांत में शामिल नहीं किया गया।

श्री अमर राय प्रधान : वे···हैं (व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं होगा।

श्री अजय बिश्वास (त्रिपुरा पश्चिम) : मैंने, बांग्ला देश रायफल्स द्वारा भारत पर गोली चलाने के बारे में सभा का ध्यानाकर्षण किया है···

उपाध्यक्ष महोदय : मैं पता लगाऊंगा।

[हिन्दी]

श्री सी० जंगा रेड्डी (हनम कोंडा) : उपाध्यक्ष महोदय, एन० टी० सी० की ओर से वारंगल में आजमजय मिल चल रही है उसमें 7000 मजदूर काम कर रहे हैं। उस मिल के बंद होने के इमकानात है और साथ ही साथ स्वदेशी मिल कानपुर भी लास में चल रही है और लाखों मजदूरों के बेरोजगार होने का खतरा है······

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : आप मुझे लिखित रूप से दें।

अब सभापटल पर कागजात रखे जायेंगे।

12.14 म०प०

सभा पटल पर रखे गए पत्र

[अनुवाद]

भारतीय खनिज तथा धातु व्यापार निगम समिति के वर्ष 1984-85, भारतीय विदेश व्यापार संस्थान, नई दिल्ली के वार्षिक प्रतिवेदन आदि वर्ष 1984-85 के कार्यकरण की समीक्षा और इन पत्रों को सभापटल पर रखने में विलम्ब के कारणों के बारे में विवरण

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रानिकी और अन्तरिक्ष विभागो में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : श्री पी० शिवशंकर की ओर से मैं निम्नलिखित पत्र सभापटल पर रखता हूं—

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत, निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) भारतीय खनिज तथा धातु व्यापार निगम सीमित के वर्ष 1984-85 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

**कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

(दो) भारतीय खनिज तथा धातु व्यापार निगम सीमित का वर्ष 1984-85 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रण-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

(ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी०-2493/86)

(3) (एक) भारतीय विदेश व्यापार संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 1984-85 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा-परीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय विदेश व्यापार संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 1984-85 के कार्य-करण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखे गए। देखिये संख्या एल० टी० 2494/86)

उपाध्यक्ष महोदय : अब नियम 377 के अधीन मामले उठाए जायेंगे।

श्रीमती साही।

(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : केवल नियम 377 के अधीन मामले कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित किये जायेंगे। आपको इसे पहले उठाना चाहिए था।

श्रीमती कृष्ण साही।

12-15 म० प०

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) देश में नकली दवाओं के विनिर्माण और बिक्री को रोकने की मांग

(हिन्दी)

श्रीमती कृष्णा साही (बेगुसराय) : उपाध्यक्ष महोदय, आज देश में नकली और घटिया औषधियां बहुत बड़ी समस्या है। देश में तैयार होने वाली सभी प्रकार की औषधियों में से लगभग 20 प्रतिशत औषधियां नकली या घटिया किस्म की हैं। इस श्रेणी में सिर-दर्द से लेकर जीवन रक्षक तक की दवाइयां हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार देश के बाजारों में बिकने वाली दो तिहाई

**कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

(श्रीमती कृष्णा साही)

औषधियां इसी श्रेणी में आती हैं। इनमें डायरिया (पेचिश) के इलाज के लिये दी जाने वाली क्लोरमपननिकोल स्ट्रोटोमाइसिन सम्मिश्रण दर्दनाशक एनालजिन, कफ, मिक्सचर्स व टानिक जो स्वास्थ्य के लिये अनुपयोगी हैं। लोगों की जान से खिलवाड़ करने वाले नकली दवा विक्रेताओं एवं उत्पादकों से सख्ती से निपटने के लिये समुचित कानून बनाये जाएं। केन्द्र सरकार जब स्वयं स्वीकार करती है कि देश में बिकने वाली साठ हजार दवाओं में से बीस प्रतिशत नकली अथवा घटिया किस्म की है, फिर भी इस उद्योग को लूटमार की छूट जारी है। केवल देसी कंपनियों द्वारा निर्मित दवाओं की विश्वसनीयता संदिग्ध हो, ऐसी बात नहीं है। एक बार बहुराष्ट्रीय दवा बनाने वाली (मल्टीनेशनल) तेइस कंपनियों के 218 नमूनों की प्रयोगशाला में जांच की गई तो पता चला कि उनमें से 135 घटिया अर्थात निर्धारित मानस्तर की नहीं थी। सब जांच-पड़ताल करने के बाद भी मल्टीनेशनल दवा कंपनियों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गई। औषध-निर्माण उद्योग में भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा कारण एक ही रोग के लिये अनेकानेक नाम की दवाइयों का इस्तेमाल है इसलिये इतने ब्राण्ड की दवाइयों पर पाबन्दी होनी चाहिये। हजारों हजार नाम की दवाइयों के कारण भ्रष्टाचार और अनैतिक धंधे इस उद्योग में बेशुमार बढ़ते जा रहे हैं। सरकार इस ओर शीघ्र कड़ी कार्यवाही करे।

(दो) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान उत्तर प्रदेश को धनराशि के आवंटन में वृद्धि करने की मांग

श्री हाफिज मोहम्मद सिद्दीक (मुराराबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, सातवीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत विभिन्न राज्यों को राशि का आवंटन किया गया है। उत्तर प्रदेश को केन्द्रीय सहायता के रूप में केवल 5·1 प्रतिशत भाग दिया गया है जबकि महाराष्ट्र को 5·8, प० बंगाल को 8·5, बिहार को 8·8 प्रतिशत, उड़ीसा को 14·9 प्रतिशत, मध्य प्रदेश को 15·2 प्रतिशत, आंध्र प्रदेश को 23·8 प्रतिशत दिया गया है। यह तो ज्ञातव्य है कि उत्तर प्रदेश अत्यन्त पिछड़ा हुआ प्रांत है और विशेषकर पूर्वी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश जनसंख्या में भी सब राज्यों से अधिक बड़ा है। इसी के अनुसार इसकी आवश्यकता का अनुपात भी अधिक है।

अतः मेरा सरकार से अनुरोध है कि सातवीं पंचबर्षीय योजना की सहायता पर पुनर्विचार करके उत्तर प्रदेश के लिये राशि में वृद्धि की जाये।

(अनुवाद)

(तीन) केरल में पिछले 9 महीने से भी अधिक अवधि से बंद पड़ी मावूर स्थित ग्वालियर रेयन्स फैक्टरी के श्रमिकों को दयनीय स्थिति से उबारने की मांग

श्री जी० एम० बनातवाला (पोन्नानी) : यह बहुत दुर्भाग्य की बात है कि केरल में मावूर स्थित ग्वालियर रेयन फैक्टरी पिछले 9 महीनों से बंद पड़ी हुई है। 4 वर्षों का बोनस न दिये जाने 800 रिजर्व मजदूरों को रोजगार न देने तथा दीर्घकालीन समझौते जो चार वर्ष पहले समाप्त हो गया था, नवीकरण करने में प्रबंधकों की अनिच्छा, आदि के कारण फैक्टरी के मजदूरों को हड़ताल पर जाने के लिये बाध्य होना पड़ा था।

मुझे उस बात पर बल देने की आवश्यकता नहीं है कि लगभग 3000 मजदूर तथा उनके परिवारों को अनगिनत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, और उनकी स्थिति दयनीय है।

मैं सरकार से अपील करता हूं कि वह इस मामले में हस्तक्षेप करके इन मजदूरों को न्याय दिलाये और इनकी परेशानियों को दूर करे।

(चार) सिक्किम से आने और वहां को जाने के लिए सुगम यातायात सुनिश्चित करने हेतु तीस्ता नदी पर एक स्थायी कंकरीट का पुल बनाने की मांग

श्रीमती डी० के० भंडारी (सिक्किम) : सिक्किम को देश के अन्य भागों से जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग पर पश्चिम बंगाल में तीस्ता नदी पर एक अस्थायी पुल है। यह पुल इतना महत्वपूर्ण है कि सिविल तथा सैनिक दोनों तरह के यात्री और माल यातायात को यहां से गुजरना पड़ता है। इस प्रकार दोनों ओर यातायात के सुचारू रूप से गुजरने में काफी रुकावट रहती है। कभी-कभी तो पुल पार करने के लिये काफी प्रतीक्षा करनी पड़ती है। इस पुल के स्थान पर वहां एक चौड़ा कंकरीट का पुल था जो दुर्भाग्यवश 1968 में तीस्ता नदी में बाढ़ द्वारा बह गया था। वर्तमान अस्थायी पुल का निर्माण तुरन्त किया गया था, क्योंकि सिक्किम और पश्चिम बंगाल के कुछ भाग देश के अन्य भागों से कट गए थे। यह विचार किया गया था कि इसी प्रकार का एक चौड़ा कंकरीट के पुल का निर्माण किया जायेगा परन्तु दो दशक बीतने पर भी अभी तक इस दिशा में कोई कदम नहीं उठाया गया है। यह उचित समय है कि इस प्रकार के पुल के सामरिक महत्व को देखते हुए यहां एक चौड़ा स्थाई पक्के पुल का निर्माण करने के लिए केन्द्र कदम उठाएगा।

[हिन्दी]

(पांच) राजस्थान के बाड़मेर और जालौर जिलों में नर्मदा नदी से सिंचाई हेतु पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए रास्थान को अतिरिक्त वित्तीय सहायता देने की मांग

श्री वृद्धि चन्द्र जैन (बाड़मेर) : उपाध्यक्ष महोदय, नियम 377 के तहत में लोक-महत्व के निम्न विषय को इस सदन में उठाना चाहता हूं। राजस्थान प्रांत के रेगिस्तानी बाड़मेर एवं जालौर जिलों में सिंचाई के लिए नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण ने अपने एवार्ड के द्वारा नर्मदा जल की 0·50 मिलियन एकड़ फुट आबंटित किया है।

राजस्थान सरकार ने उन जिलों में जल से भूमि के 99033 हैक्टेयर कृषि योग्य क्षेत्र को सिंचाई करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, परन्तु परियोजना रिपोर्ट अभी तक प्रस्तुत नहीं की है। अत: केन्द्र सरकार राज्य सरकार पर प्रभाव डाले कि परियोजना रिपोर्ट तुरन्त तैयार कर प्रस्तुत करे।

वर्तमान निर्माण कार्यक्रम के अनुसार राजस्थान सीमा तक गुजरात में मुख्य नहर के सन् 1995-96 तक पूरे हो जाने की सम्भावना है। राजस्थान सरकार ने इसे जून, 1991 तक पूरा किए जाने के वास्ते जोर डाला है।

मेरा उक्त क्षेत्र का प्रतिनिधि होने के नाते आग्रहपूर्वक निवेदन है कि रेगिस्तानी एवं सीमावर्ती बाड़मेर एवं जालौर जिले, जो पीने के पानी के लिए भी तरस रहे हैं, वहां सन् 1991 तक नर्मदा का पानी पहुंचाया जाए ताकि हजारों वर्षों से प्यासी जमीन में सिंचाई की जा सके।

(श्री वृद्धि चन्द्र जैन)

उक्त बड़ी योजना के लिये उक्त पिछड़े सीमावर्ती रेगिस्तानी क्षेत्रों को देखते हुए केन्द्र सरकार सरकार भी राज्य सरकार को सातवीं पंचवर्षीय योजना में विशेष सहायता दे और राज्य सरकार भी सातवीं योजना में पर्याप्त प्रावधान करे ताकि युद्धस्तर पर कार्य किया जाकर सन् 1991 तक बाड़मेर एवं जालोर जिलों में सिंचाई के लिए नर्मदा का पानी पहुंच सके और उक्त रेगिस्तानी क्षेत्र को हरा-भरा किया जा सके।

(छ:) वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के लागू होने से पूर्व जो आदिवासी परिवार वन भूमि पर रह रहे थे उनके हितों को रक्षा करने की आवश्यकता

श्री अरविन्द नेताम (कांकेर) : उपाध्यक्ष महोदय, नियम 377 के अन्तर्गत में लोक-महत्व के निम्न विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं :

वन संरक्षण अधिनियम, 1980, भारत सरकार का एक महत्वपूर्ण एवं सराहनीय कदम है। देश में जिस रफ्तार से वन कट रहे थे, जिससे पर्यावरण एवं वायु-मंडल पर गम्भीर प्रभाव पड़ रहा था। यदि भारत सरकार वन काटने पर रोक नहीं लगाती तो अब तक देश में वन साफ हो गया होता।

उपरोक्त अधिनियम के तहत केन्द्र सरकार के अनुमति से ही वन-भूमि का उपयोग दूसरे कार्यों के लिए किया जा सकता है। यह अधिनियम लागू होने के पूर्व देश के आदिवासी क्षेत्रों, वन-भूमि और आरक्षित भूमि (रिजर्व फारेस्ट) में दस वर्ष या उससे अधिक वर्षों से लोग बसे और काश्त कर रहे हैं। देश के समस्त आदिवासी क्षेत्रों में हजारों को तादाद में ऐसे मामले हैं। वन सुरक्षा अधिनियम में 1980 से पूर्व वन-भूमि और आरक्षित भूमि में बसे हुए लोगों के बारे में कोई भी उल्लेख नहीं है। देश में हजारों की तादाद में आदिवासी परिवारों को वन विभाग द्वारा सताया जा रहा है और वन भूमि छोड़ने के लिये मजबूर किया जा रहा है। अधिनियम में ऐसे मामलों के बारे में स्थिति अस्पष्ट होने के कारण वन विभाग के लिए भी यह गंभीर समस्या बन गई है।

मेरा सरकार से निवेदन है कि जो परिवार वन संरक्षण अधिनियम 1980 के पूर्व, वन भूमि में बसे हैं, उन्हें वहीं व्यवस्थापित किया जाए या इनके लिए वैकल्पिक व्यवस्या कीं जाए ताकि ये वन विभाग से सताए जाने से बचें और राज्य के वन विभाग की समस्या का समाधान हो सके।

12.25 म० प०

अनुदानोंकी मांगें, 1986-87

[—जारी]

गृह मंत्रालय

[—जारी)

(अनुवाद)

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम गृह मंत्रालय के नियंत्रणाधीन अनुदानों की माँग पर आगे चर्चा तथा मतदान को लेते हैं। श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवैसी।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : आप उनको बुला रहे हैं। उस तरफ से दो नहीं और इस तरफ से एक··· **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : श्री ओवेसी कृपया संक्षेप में बोलिए, मैं आपको पांच मिनट दे रहा हूं।

(हिन्दी)

श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी (हैदराबाद) : डिप्टी स्पीकर साहेब, होम मिनिस्ट्री की डिमांड पेश की गई हैं, इन पर बोलने के लिये मैं खड़ा हुआ हूं। हमें यह देखना है कि आजादी के 38 वर्ष गुजर जाने के बाद भी हर वर्ष जरायम में इजाफा हो रहा है। आखिर वे कौन से वजूहात हैं जिनकी बिना पर ये तमाम चीजें बढ़ती जा रही हैं। फिर ये भी देखना है कि 38 वर्ष गुजर जाने के बाद भी हम लोग अपने जहनों को तब्दील नहीं कर पाये हैं। एक अजीबो गरीब सूरते हाल यह होता है कि अगर कहीं कतल होता है, तो हमको यह नहीं देखना चाहिए कि कौन हमारा है और उसकी कौन-सी जांत-पांत से ताल्लुक है। बल्कि हमको यह देखना चाहिए कि मरने वाला हिन्दुस्तानी है। ख्वाह किसी सूबे का हो, पंजाब का हो या कश्मीर का हो। इन तमाम को खत्म करने की जरूरत है। लेकिन अफसोस के साथ यह बात कहनी पड़ती है कि यह तशद्दु दिन-ब-दिन बढ़ती चली जा रही है और हम उस वक्त बेजार होते हैं जब तशद्दुद हद से बढ़ जाती हैं। फिर उस मसले के हल के लिए हम तशद्दुद करते हैं। जरूरत इस बात की है कि हम इफ्ते-दाही में उस मसले को हल करने की कोशिश करें, लेकिन हम हल नहीं करना चाहते और आप देखते हैं कि दिन-ब-दिन ये चीजें बढ़ती चली जा रही हैं।

अगर आप दूसरी तरफ गौर करें, तो मरने वालों को आप कुछ पैसा देते हैं, लेकिन वह भी इम्तियाज बढ़ता जाता है। अगर कहीं पंजाब में कोई मरता है, तो उसको तो पैसा मिल जाता है, लेकिन अगर कोई देहली में मरता है, तो उसके लिये कुछ नहीं।

डिप्टी स्पीकर साहेब, दूसरी तरफ आप गौर करें तो आप पाएंगे जब भी कोई त्यौहार आता है, तो हर तरह से ऐसा मालूम पड़ता है कि हर त्यौहार में क्या लोगों को खून का तोहफा देना पड़ेगा। अगर मैं आपके सामने आदादी शुमार रखूं, तो फसादात हुए वीराबल गुजरात में, आप अंदाजा कीजिए फायरिंग में 11 अफरात जख्मी हुए और एक सौ से ज्यादा दुकानें लूटी और जलाई गईं। कहीं कर्फ्यू हुआ है, अहमदाबाद, गुजरात में तीन आदमी हलाक् हुए। जिला पीलीभीत में 7 आदमी मर गए हैं, कर्फ्यू हुआ। इस तरीके से शहाजहापुर यू० पी० में, बिजनौर में दंगे हुए। ये तमाम मुकामात हैं जहां कि मैंने आपको फिगरें दीं, जहां ये हालात हुए, जहाँ ये फसादात हुए, जहां पर लोग मरते जा रहे हैं। यो आखिर यह फसादात का सिलसिला कब तक खत्म होगा, समझ में नहीं आता है।

डिप्टी स्पीकर साहेब, आप खुद गौर कीजिये एक हंगामा मचाया गया, बाबरी मस्जिद के ताल्लुक से। बाबरी मस्जिद के नाम से बड़े अफसोस की बात है, जहाँ मुकदमा चला 1855 में अंग्रेजों के जमाने में, वहाँ मुकदमा चलने के बाद ये फैसला दिया और उस फैसले को आज फिर उठाया गया! जिस वक्त फैसला हुआ उसमें दावा यह नहीं किया गया था कि यह मस्जिद है, बल्कि मस्जिद के सामने के चबूतरे के ऊपर दावा किया गया था कि यहां पर शेड बनाने की इजाजत दी जाए। लेकिन आज बाबरी मस्जिद के ताल्लुक से जिस तरह से वहां मूर्तियाँ बैठाई

(श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी)

गई और उसको टी० वी० पर तसवीर किया गया, तो आप बताइये क्या ये तमाम चीजें कोई ठीक हैं। एक पांच सौ साल पुरानी मस्जिद को आप कहते हैं कि इसको फिर मंदिर बनाया जायेगा जिसके कारण सारी जगह कशीदगी फैली और आप अंदाजा कर सकते हैं कई मुकामात के ऊपर एहतेजाज किया गया। अलीगढ़ में बच्चों को एन० एस० ए० के तहत गिरफ्तार किया जाता है। स्टूडेंट्स को गिरफ्तार किया जाता है। अगर कोई तलबा और और मुजाहिरा कर रहे हैं, तो उनको गिरफ्तार किया गया।

कोर्ट के अंदर आप देखेंगे, वकुला हैं, एडवोकेट्स हैं, उनको पकड़ा गया और फिर जो अपने अदालतें बनाई हैं ये अजीबो-गरीब हैं। मैं मेरठ गया। मेरठ जाने के बाद मैंने देखा कि किन्हीं ने फसादात से नुकसान होने पर कोर्ट में मुकदमा किया मुआवजा लेने के लिये, उनको गुण्डा एक्ट के तहत पकड़ा गया और जब आगरा में उनका केस मजिस्ट्रेट के पास पेश किया गया, तो जहां के लोग पकड़े गये थे वहां का मजिस्ट्रेट तो यह नहीं कहता है कि ज्यादा इसको और पुलिस तहवील में रखा जाए, लेकिन आगरा का मजिस्ट्रेट यह कहता हैं कि इसको और ज्यादा दिन तक पुलिस तहवील में रखा जाये, यह अजीबो-गरीब किस्म की अदालतें हैं। इस प्रकार से ये अजीबो-गरीब हालात चल रहे हैं।

12.30 म० प०

(श्री शरद दिघे पीठासीन हुए)

इस तरीके से आप देखेंगे कि देहली में, साउथ एक्सटेंशन के अन्दर मस्जिद है वहां नमाज पढ़ते हैं। पहले तो वहां लोग नमाज पढ़ते थे, लेकिन उसके बाद यह कहा गया कि आप मत पढ़िये। बाद में जब उन्होंने अदालत से आर्डर लिया तो उनको कहा कि आप राशन-कार्ड बताइये। राशन-कार्ड भी बताया गया। फिर वही अदालत, जिसने स्टे दिया था, उसमें आसारे-कदीमा के लोगों ने दूसरा दावा कर दिया कि साहब यह मठ था। अब फिर वही जज यह कहते हैं कि इस स्टेटस को जारी रखा जाए। आखिर इन जजेज का हिसाब क्या है ? ये एक ही मसले के अंदर दो फैसले देते हैं। गवर्नमैंट को चाहिये कि इन तमाम चीजों को देखे कि आखिर हिन्दुस्तान के अन्दर इस के अन्दर जजेज है। यह अजीबो-गरीब किस्म का मस्खरापन मचा हुआ है। आज एक ही मसले के अंदर दो फैसले दिए जा रहे हैं। आखिर कौन-सा फैसला सही माना जाये और कौन-सा गलत हो ? यह अजीबोगरीब किस्म की सूरते-हाल पैदा हो चुकी है।

इसी तरीके से आसाम के अन्दर वहां की माइनोरिटीज को उखाड़ा जा रहा है, फेंका जा रहा है। उनकी तमाम चीजों को खत्म किया जा रहा है। यह चीज नहीं होनी चाहिये। आज आसाम की रोड्ज को चौड़ा करने के नाम पर···

(अनुवाद)

श्री दिनेश गोस्वामी (गोहाटी) : मैं इसका कड़ा विरोध करता हूं। इसकी अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

आन्तरिक सुरक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण नेहरू) : हमें इस बात को वाद-विवाद में नहीं लाना चाहिए। यह केवल लोगों को उत्तेजित करेगा।

सभापति महोदय : इस प्रकार की बातों को मत लाइए जिनसे सांप्रदायिक भावनायें भड़क उठें।

(हिन्दी)

श्री प्रियरंजन दास मुंशी (हावड़ा) : जरा शाहबुद्दीन साहब के बारे में भी बताइये ।

श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवैसी : मैं आपका पाबन्द नहीं हूं कि शाहबुद्दीन साहब की बात कहूं। मैं फिल्म एक्टर या टेप-रिकार्डर नहीं हूं कि आपकी पसन्द का गाना गाऊं। मुझसे फरमाइश करने की जरूरत नहीं है।

मैं बता यह रहा हूं कि वहां सड़कों को चौड़ा करने के नाम पर आसाम के मुसलमानों को निकाला गया, वहां दूसरे आदमियों को रखा गया।

(अनुवाद)

श्री दिनेश गोस्वामी : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। मैं बताता हूं कि ये मामले पूरी तरह से राज्य से संबंधित है। और अभी तक इस प्रकार का आरोप किसी ने नहीं लगाया है कि अल्पसंख्यकों को उखाड़ा गया है। यदि ये वक्तव्य दिये गए हैं तो मैं नहीं समझता कि इससे स्थिति सुधरेगी।

सभापति महोदय : इन बातों को कहने के लिये किसी नोटिस की आवश्यकता नहीं है। परन्तु मैं सदस्य से अनुरोध करता हूं कि वह ऐसा कुछ न कहें जिससे सांप्रदायिक भावनायें भड़क उठें।

(हिन्दी)

श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवैसी : आखिर उन्होंने यह किया या क्या किया, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। मैं यह कह रहा हुं कि वहां पर जुल्म हुआ और यह तमाम चीजें हुई। माइनोरिटीज की हिफाजत करना सेंट्रल गवर्नमैंट का काम है, मैं चाहूंगा कि वह उनकी हिफाजत करे ।

इस तरीके से आन्ध्रप्रदेश में भी माइनोरिटीज की हिफाजत करें। आप इसे कांग्रेस या किसी पार्टी का मसला मत बनाइये। आप इन्साफ के नुक्ते-नजर से देखें। मैं आपके सामने रखता हूं कि 1984 में 300 दुकानें मुसलमानों की जलाई गईं लेकिन कांग्रेस गवर्नमैंट ने आज तक एक केस में भी एफ० आई० आर० दर्ज नहीं कराया है। क्या यह आपका काम नहीं कि आप उसकी ताईद करें ।

आप मसाइल के ऊपर आइये, यह नहीं देखिये कि कांग्रेस, जनता, कम्युनिस्ट या लैफ्ट कम्युनिस्ट हैं, आप इन्सानियत के नाम पर आइये और उसकी ताईद कीजिये। यह तो नहीं है कि अगर किसी पार्टी का इंसान मर जाये तो वह इंसान नहीं है। इस चीज को आप देखें।

आप गौर करें कि इन मसाइल के ताल्लुक से बेचैनी पैदा हो चुकी है। हम चाहते हैं कि अमनो-अमान कायम रहे।

(श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवैसी)

इस तरीके से आप देख रहे हैं कि हर मामले के अन्दर एक नया मसला खड़ा हो जाता है। पर्सनल लॉ का मामला खत्म होते ही बाबरी मस्जिद का मसला खड़ा हो गया। आजादी के लगभग 38 साल गुजरने के बाद भी माइनॉरिटीज तरीके से कब तक परेशान रहेंगी? मैं चाहता हूं कि इस मुल्क के अंदर अमन-चैन क़ायम रहे।

हमारे होम मिनिस्टर साहब चूंकि आन्ध्र-प्रदेश से ताल्लुक रखते हैं, इसलिये मैं चाहूंगा कि वह इस मसले को जरा गौर से देखें कि यह तमाम चीजें क्या हो रही हैं। अगर वह इन मसलों को हल कर लेंगे तो मैं समझता हूं कि देश में अमन-चैन रहेगा।

(अनुवाद)

श्री जी० जी० स्वैल (शिलांग) : सभापति महोदय, हमारा देश बड़ा विशाल और विविध रूप वाला है। यहाँ अनेक अन्तविरोध हैं। इस देश का विभाजन करने के लिए यहां सब कुछ है। यह दूषित परम्परा है जिसे हमने विदेशी उपनिवेश शासन से उत्तराधिकार में प्राप्त किया है। समुदाय दलों के झगड़ों की छोटी-मोटी घटना की यहां-वहां से लेकर और उसको बढ़ा-चढ़ाकर कहना आसान है। इससे काम नहीं चलता है। मैं समझता हूं कि दार्शनिक दृष्टि से यह जानने के लिए कि देश में क्या हो रहा है और इस पर विचार करने के लिए एक तरफ खड़ा होना आवश्यक हो गया है।

मैं समझता हूं कि जो कुछ हो रहा है उसे देश में पूर्णतया मंदबुद्धि वाला व्यक्ति भी समझ जाएगा, वह उस प्रेरणा को भी समझ जाएगा जिससे प्रधान मन्त्री राजीव गांधी के नेतृत्व में इस सरकार के प्रयास हो रहे हैं और वह है इस देश की एकता, अखण्डता तथा इसकी लोकतंत्रीय परम्पराओं को बनाए रखने और सुरक्षित रखने की उत्कट इच्छा।

पंजाब का क्या मतलब है। पंजाब का यही अर्थ है। असम का यही तात्पर्य है और निम्न स्तर पर त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, तमिलनाडु और कई अन्य राज्यों का यही तात्पर्य था···

(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : मेघालय।

श्री जी०जी० स्वैल : जी नहीं। मैं उन राज्यों का उल्लेख कह रहा हूं जहां कांग्रेस सरकारें नहीं है क्योंकि वह लोकतंत्रीय परम्परा है जिसे यह सरकार बनाए रखने तथा सुरक्षित रखने की कोशिश कर रही है।··· **(व्यवधान)**

श्री सैफुद्दीन चौधरी (कटवा) : पूरे लोकतन्त्र के लिए हम केन्द्र में और कांग्रेसी सरकार चाहते हैं।

श्री जी० जी० स्वैल : ठीक है। वह आपका तरीका है उसके लिए आप लोगों के पास जायें आपको कोई नहीं रोकता है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : क्या आप मेघालय सरकार का समर्थन कर रहे हैं?

श्री जी० जी० स्वैल : मैं भारत सरकार के गृह मन्त्रालय की बात कर रहा हूं···**(व्यवधान)**

एक माननीय सदस्य : इस तरह से विस्तार में नहीं कहना चाहिए।

श्री जी० जी० स्वैल : मैं साहस के साथ यह भी कहता हूँ कि स्वतन्त्र भारत की किसी सरकार ने शुरू से ही इस तरह की अधिक मुश्किल समस्याओं का सामना नहीं किया है जैसी कि यह सरकार जो 1 जनवरी, 1985 को बनी थी, कर रही है मैं उन दुःखद दिनों, विभाजन के दिनों को भी नहीं छोड़ रहा हूँ जब दो देशों के बीच लोगों का आना-जाना हुआ था हत्या और रक्तपात तथा कई अनेक अमानवीय कार्य हुए थे। परन्तु उस समय देश में एकता थी समस्या का मुकाबला करने के लिए अच्छे नेता एकजुट हैं। राजीव गांधी की सरकार को जिस समस्या का मुकाबला करना था वह एक आन्तरिक समस्या थी। अगर हम सैनिक कार्यवाही से थोड़ी देर पहले हम समझ सकते, कि पंजाब किस प्रकार की स्थिति से गुजर रहा है तो सैनिक कार्यवाही जैसी कार्यवाही करने की जरूरत ही नही पड़ती ऐसी कार्यवाही देश में कभी नहीं होती। स्वयं सैनिक कार्यवाही, झगड़े, दिल्ली में दंगे सब घर के ही झगड़े थे। हमें अपने ही लोगों से लड़ना पड़ा। स्थिति में सुधार की शुरूआत इसी सरकार ने की थी। और यह राहत कार्य था। अगर पंजाब समझौते का कोई अर्थ है तो वह सिथित में सुधार करने के लिए था पंजाब के लोगों को जिन्होंने इतना नुकसान उठाया है, जिन्हें गुमराह किया गया था, देश की लोकतांत्रिक प्रक्रिया में पूर्ण रूप से फिर से भागीदार बनाया गया था। इस प्रक्रिया में हमारा दल हार गया। परन्तु यह हार कोई महत्त्व नहीं रखती। प्रधान मंत्री ने कहा था—

"दल चाहे हार गया हो परन्तु देश को लाभ हुआ है।"

और पंजाब समझौते को लागू करने में भी पूरी ईमानदारी बरती गई है। मैं नहीं समझता कि कोई अति पक्षपातकारी व्यक्ति भी यह कहगा कि भारत सरकार ने किसी भी बात पर अपना मत बदला है। अगर पंजाब समझौते को आज पूरी तरह से लागू नहीं किया जा सका तो इसके कारण कुछ हैं, कुछ घटनायें हैं, जिन पर ध्यान दिया जाना चाहिए और जिसको आज की सरकार हल नहीं कर पायी है। परन्तु मैं बताना चाहूंगा कि पंजाब समझौते के 11 मुद्दों में से 7 मुद्दों को पूरी तरह से लागू किया गया।

श्री अरुण नेहरू : 9 मुद्दों को क्रियान्वित कर दिया गया है।

श्री जी० जी० स्वैल : 2 बाकी हैं।

श्री अरुण नेहरू : उन पर भी कार्यवाही हो रही है।

श्री जी० जी० स्वैल : इस पर कार्यवाही हो रही है। वेंकटरामैया आयोग की नियुक्ति की गई है और उसे अपना प्रतिवेदन देने के लिए एक समय निश्चित किया गया है और इस समझौते के पहलू पर अमल किया जायेगा। जल के बंटवारे के मामले में भी, इराडी ट्रिब्यूनल है और इस कार्य के लिए समय दिया गया है। हम विश्वास कर सकते हैं कि राजनैतिक दलों के नेताओं के पूर्ण सहयोग से यह कार्य किया जायेगा। इस सम्बन्ध में, मैं विरोधी दल के नेताओं को सभा के विपक्ष के सदस्यों को भी अपनी बधाई देना चाहूंगा कि जब पंजाब के बारे में चर्चा हुई तो वे सब पजाब समझौते को पूरी तरह से लागू करने के लिए सरकार को अपना समर्थन देने के लिए एक हो गए थे। आज, महोदय, मेरे विचार से, प्रत्येक व्यक्ति देखेगा कि पंजाब में आतंकवाद—यद्यपि यह अभी भी जारी है—कल भी कुछ पुलिसकर्मी मारे गए थे, कुच नागरिक मारे गये थे,—परन्तु कोई भी यह स्पष्ट देख सकता है कि आतंकवाद जारी है। पंजाब राज्य सरकार द्वारा समर्थित पंजाब के पुलिस बलों ने केन्द्रीय सरकार के पूर्ण समर्थन तथा सहयोग से अपना साहस पुनः प्राप्त कर लिया है और कठोर कार्यवाही करना शुरू कर दिया है। यह एक अच्छा संकेत है और हमें इस प्रक्रिया को प्रोत्साहित करना चाहिये।

(श्री जी० जी० स्वैल)

महोदय, इस देश में ऐसे नेता हैं—मैं यह नहीं कहता कि वे गैर जिम्मेदाराना ढंग से बोलते हैं परन्तु कभी-कभी मेरे ख्याल से, वे बहुत ही भावावेश में बोलते हैं। आज के समाचार पत्रों में आज एक वक्तव्य छपी है जिसमें कुछ नेताओं ने पंजाब में सेना के प्रयोग की मांग की है। मेरे विचार से प्रत्येक कार्य के लिए सेना का प्रयोग नहीं करना चाहिए। हमारे पास एक संवैधानिक प्रक्रिया है। हम पंजाब की समस्याओं को पंजाब की जनता की सक्रिय भागीदारी से हल कर सकते हैं। पंजाब में शांतप्रिय लोगों का बहुमत है, उन्हें आवाज और साहस प्रदान किया जाना चाहिए और यह करने का एकमात्र तरीका यह है कि पंजाब के लोगों द्वारा चुनी गयी सरकार द्वारा इस मामले को हल करने का प्रयास किया जाये। महोदय, मुझे इसमें शक नहीं है कि पंजाब समस्या हल हो जायेगी परन्तु मुझे अन्य बातों की चिन्ता है जो पनप रही हैं। मुझसे पूर्व के वक्ता ने जो बातें कहीं हैं वे मेरे विचार से सहायक नहीं हैं। महोदय, आज देश में बहुत ही भयानक साम्प्रदायिक वातावरण है। पूजा स्थान के नाम पर और वह भी एक ऐतिहासिक स्थान पर लोगों की भावना को इतना अधिक भड़काया जाए मुझे असंगत लगता है हम किसी अन्य बात पर झगड़ा कर सकते हैं। हम इतिहास को देखते अपने दावे कर सकते हैं परन्तु इतनी बातें घटित हो चुकी हैं कि हमें इस समस्या को हल करने के लिए कोई तर्क संगत आधार ढूंढ़ना चाहिए। मुझे यह देखकर निराशा होती है कि इस समुदाय द्वारा या उस समुदाय द्वारा जत्थे भेजकर साम्प्रदायिक भावनाओं को भड़काया जाता है। मुझे इस बारे में यह जानकार प्रसन्नता है कि प्रधानमन्त्री ने राष्ट्रीय एकता परिषद को फिर से बना दिया है। उन्होंने कल ही बैठक की थी और मुझे यह देखकर प्रसन्नता है कि राष्ट्रीय एकता परिषद बेकार सिद्ध नहीं होगी। उन्होंने इस सदन के सबसे वरिष्ठ सदस्य की अध्यक्षता में एक छोटी समिति का गठन किया है जो नई स्थिति पर नजर रखेगी परन्तु मैं एक सुझाव देना चाहूंगा कि राष्ट्रीय एकता परिषद को अधिक सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए। मेरे विचार से राष्ट्रीय एकता परिषद की छत्रछाया में इस देश के कुछ सम्मानित नेता उत्तर प्रदेश, अयोध्या जायें और दोनों समुदायों के लोगों से जाकर बातचीत करें और उनसे बातचीत करके कोई समझौता कराने का प्रयास करें। साम्प्रदायिक भावना पर काबू रखना चाहिए। अगर हम यह नहीं कर सकते तो हमारा कोई भी प्रयास सफल नहीं होगा।

मैं जानता हूं कि मेरा समय सीमित है मुझे खुशी है कि आपने मेरे भाषण में व्यवधान नहीं डाला और मैं तर्कसंगत तरीके से अपनी बात कह सका हूं और मेरे विचार मुझे स्पष्ट हैं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : आप यहां और अधिक तर्कसंगत बोल सकते थे।

श्री जी० जी० स्वैल : आप बोलेंगे ?

श्री सोमनाथ चटर्जी : अगर आप यहां होते।

श्री जी० जी० स्वैल : परन्तु यह कहकर मैं फिर से यह कहना चाहूंगा कि यह देश बहुत-सी दूसरी घरेलू समस्याओं का सामना कर रहा है—चाहे पंजाब हो या असम, यह घर के लोगों

द्वारा ही पैदा की गई समस्यायें हैं—मुझे असम का हवाला देते हुए खुशी है। यह दुर्भाग्य की बात है कि मुझसे पहले के वक्ता ने कतिपय आरोप लगाये हैं जो मेरे ख्याल से पूर्णतया निराधार हैं। मैं अपने दोस्त, श्री दिनेश गोस्वामी और युवा लोगों को जिन्होंने असम में सरकार चालने की जिम्मेदारी ली हैं, जानता हूँ। मैं उनमें से अधिकांश को व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ, मैं समझता हूँ कि वे अच्छे, दक्ष औद गम्भीर युवा लोग हैं जिन्होंने किसी उद्देश्य के लिए लड़ाई लड़ी परन्तु वे अपने राष्ट्रीय उत्तरदायित्वों को भी समझते हैं। महोदय, मुझे खुशी हैं कि इस सम्बन्ध में कार्यवाही से यह बात सम्मिलित कीजिए कि प्रधानमन्त्री, राजीव गांधी ने जहां तक सम्भव हो सका है, देश को चलाने में असम गणपरिषद की सरकार को समर्थन देने की अपनी इच्छा व्यक्त की है। अब महोदय सम्पूर्ण पूर्वोत्तर क्षेत्र की एक मूल समस्या, चाहे वह असम हो अथवा कोई अन्य क्षेत्र, विकास न होने की समस्या है। यह अलगाव की समस्या है। अगर एक समुदाय इसी समुदाय के विरुद्ध खड़ा हो जाता है तो इसका कारण यह है कि वे यह समझते हैं कि वे आर्थिक अवसरों से वंचित किए गए हैं। अगर लोगों के पास आर्थिक लाभ कें अवसर पर्याप्त रूप से उपलब्ध हो, लोगों को अपनी आजीविका चलाने के लिए पर्याप्त साधन उपलब्ध हों तो एक दूसरे से लड़ने का झंझट नहीं करेंगे।

सभापति महोदय : माननीय सदस्य का समय समाप्त हो गया है।

श्री जी० जी० स्वैल : सिर्फ दो मिनिट और। मैं पहला वक्ता हूँ अत. मुझे कुछ अधिक समय दिया जायें। मंत्रीगण यहाँ मौजूद हैं। श्री अरुण नेहरू और श्री आर० एन० मिर्धा यह बात नोट करेंगे कि मैं अनावश्यक बकवास नहीं कर रहा हूँ। मैं कुछ योगदान कर रहा हूँ।

मुझे यह कहते हुए खुशी है कि असम के लिए सातवीं योजना राशि के 1115 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 2100 करोड़ रुपये कर दिया गया है। मुझे यह जानकर प्रनन्नता है कि 1986-87 की वार्षिक योजना राशि को भी 410 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 500 करोड़ रुपये कर दिया गया है। मुझे विश्वास है कि इस धन राशि से असम सरकार लोगों के लिए कार्य कर सकेंगी। आन्तरिक सुरक्षा विभाग में राज्य मंत्री, श्री अरुण नेहरू के साथ असम की संवेदनशीलता के प्रति भारत सरकार की जागरूकता तथा चिन्ता की अपनी निजी बातचीत बताना चाहता हूँ बाढ़ लगाने जिसकी हम चर्चा करते रहे हैं—के अलावा मेरा स्वयं इसके प्रति कुछ आलोचनात्मक रुख है और इस पर मैं एक प्रश्न करता हूँ—मुझे यह जानकर प्रसन्नता है कि बाड़ लगाने से ज्यादा जोर अब असम और मेघालय की सीमा के साथ सड़क बनाने पर है। यह सड़क कई प्रयोजनों को पूरा करेगी। गस्त लगाने और जांच के अलावा···

श्री अताउर्रहमान (बारापेट) : यह इससे पहले भी थी।

श्री जी० जी० स्वैल : अब लगभग 2000 किलोमीटर लम्बी एक नयी सड़क बनायी जायेगी जिस पर सुरक्षा बल शीघ्रता से और कुशलता से आ-जा सकता है। परन्तु इसके अतिरिक्त, सड़क एक बहुत बड़े आर्थिक प्रयोजन को पूरा करेगी। मैं आशा करता हूँ कि लोगों द्वारा भी परिवहन तथा अन्य कई बातों के लिए सड़क का प्रयोग किया जायेगा, और यह अन्य कई क्षेत्रों को, जो अधिकतर जंगल हैं, शेष देश के साथ जोड़ देगी।

(श्री जी० जी० स्वैल)

यह सब कहने के बाद, में दो या तीन और बातों पर आता हूँ। हम गलतियाँ कर सकते हैं। पूर्वोत्तर क्षेत्र में कुछ बातें हो रही हैं। आन्तरिक सुरक्षा मन्त्री मुझे स्पष्ट बतायें कि नागालैंड और बर्मा के बीच विक्षुब्ध क्षेत्र पांच किलो मीटर से बढ़ाकर बीस किलो मीटर करने की क्या आवश्यकता थी। नागालैंड में जो घटनायें हुई हैं उनका मूल कारण यही है। मुझे नहीं मालूम कि यह एकपक्षीय रूप से किया गया है अथवा इसे बर्मा सरकार की सहमति के साथ किया गया था। मुझे नहीं मालूम क्योंकि हमें इस पर कोई जानकारी नहीं दी गयी है। परन्तु जो मैं कहना चाहता हूँ कि नागालैंड और अरुणाचल दोनों ही प्रभावित हुए हैं और लगभग 200 और गांवों को इस क्षेत्र की परिधि में लाया गया है। आप जानते हैं कि इस प्रकार के क्षेत्र में सेना का शासन और नियन्त्रण चलता है और उन लोगों पर हर प्रकार की पाबन्दियां लगी हुई हैं। यही कारण था कि वहां पर छात्रों का आन्दोलन हुआ था। मुझे इस बात से अप्रसन्नता हुई है कि नागालैंड की पुलिस ने गोली चलाकर छात्रों को मारने में जल्दबाजी करके नागालैंड में वर्तमान समस्या उत्पन्न की है। मैं आशा करता हूं कि आप इस पर विचार करेंगे।

दो राज्यों के बीच सीमा-विवाद का मामला है पूर्वोत्तर क्षेत्र में कुछ ऐसी बात हुई है जो देशों में पहले कभी नहीं हुई और शायद विश्व में कहीं नहीं हुई, कि नागालैंड और असम दोनों राज्यों की पुलिस ने एक-दूसरे पर गोली चलाने का खेल खेला जैसे कि वे कोई युद्ध कर रहे हों। यह 'मेरा पानी' के प्रश्न पर था। मुझे बताया गया है कि भावनाओं को फिर से भड़काया गया है। ऐसी बात फिर से नहीं होनी चाहिए। मैं आशा करता हूँ कि भारत सरकार उन्हें दबाने के लिए मात्र 'डंडे' का इस्तेमान न करके कुछ करेगी। आप इस तरह से ऐसी बातों को दबा नहीं सकते।

कई वर्षों से पूर्वोत्तर क्षेत्र में विद्रोह की समस्या है। परन्तु इस समस्या का कोई तर्कसंगत राजनीतिक हल निकालना चाहिए।

असम और नागालैंड के बीच यह सीमा समस्या इस क्षेत्र की स्थानीय समस्या है।

असम और मेघालया के बीच भी सीमा विवाद या समस्या है और यह कुछ प्रशासनिक कार्यवाहियों के किये जाने के कारण हुआ है, न कि ब्रिटिश द्वारा यह विवाद उत्पन्न किया गया था। 'मेरापानी' के मामले में ब्रिटिश की कार्यवाही उसके लिए जिम्मेदार थी। परन्तु इस मामले में, हमारी अपनी सरकार, असम सरकार आजादी प्राप्ति के बाद, जिम्मेदार है। मेरे राज्य से असम की जयन्तिया पहाड़ियों से लेकर मिकिर पहाड़ियों तक कतिपय क्षेत्र हटा दिए गए थे। वहाँ समस्या है। वहां पर अड़चन है। मैं आशा करता हूँ कि माननीय मन्त्री इस पर भी विचार करेंगे।

मैंने कहीं समाचार पत्र में पढ़ा था कि दोनों राज्य सरकारें इस मामले पर विचार करने के लिए भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश श्री चन्द्रचूड़ के पास गयीं हैं। मुझे नहीं मालूम कि किस बारे में। मैं नहीं समझता कि उन्हें केन्द्र सरकार द्वारा नियुक्त किया गया है। किन्तु यह सही दिशा में उठाया गया एक कदम है। मैं चाहूँगा कि आप इसकी ओर ध्यान दें और देखें कि इस समस्या का समाधान करने के लिए श्री चन्द्रचूड़ की आवाज को और शक्ति प्रदान करें।

अन्त में मैं सुरक्षा बलों के व्यहार के विषय में बोलना चाहूँगा । हमें सुरक्षा बलों की आवश्यकता है हमारे लिए पूर्वोत्तर में स्थिति का उत्तर-पश्चिम और पश्चिमी क्षेत्र की अपेक्षा अधिक सामरिक महत्त्व है । मेरे पास उस विषय के सम्बन्ध में कुछ कहने के लिए समय नहीं है। किन्तु मैं यह कहना चाहूँगा कि सुरक्षा बलों को यह दिर्देश होने चाहिएं कि जब वह उस क्षेत्र में हों तो उन्हें जातिय पृष्ठभूमि तथा भोगोलिक पृष्ठभूमि को देखते हुए अपने पर नियन्त्रण रखना चाहिए और संयम से काम लेना चाहिए; और ऐतिहासिक परम्परा के कारण शेष भारत और देश के उस भाग के लोगों के बीच मनोवैज्ञानिक दूरी है । मैं आप सब लोगों से थोड़ा अलग हूँ । जब मैं बर्मा में था तो बर्मा के लोगों ने विश्वास नहीं किया कि मैं भारतीय राजदूत हूं। उन्होंने सोचा कि मैं बर्मा का अधिकारी हूँ । इसी प्रकार एक मनोवैज्ञानिक दूरी है जिसको दूर किया जाना है । मैं चाहूँगा कि सुरक्षा बलों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उन्हें ऐसे ढंग से कार्य करना चाहिए कि एक उदाहरण स्थापित हो मैं यह बात शिलोंग में हुई एक विशेष घटना के सम्बन्ध में कह रहा हूँ । वायुसेना मुख्यालय क्षेत्रों आदि पर कुछ विवाद था। मैं यह नहीं कह सकता कि कौन ठीक था और कौन गलत पर वायु सेना ने शिलोंग के ग्रामों पर आक्रमण किया, गांव के लोगों को उनके घरों से बाहर निकाला और उनके मकान जला दिए। यह बात राज्य विधान सभा में भी आई। इससे कटुता उत्पन्न हुई । समझौते के लिए कुछ किया जाना चाहिए । यदि हम ठीक भी करते हैं तो जनता यह समझ ले कि हम ठीक काम कर रहे हैं।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : सभापित महोदय, गृह मन्त्रालय की अनुदानों की मांगें पर चर्चा करते हुए सभी का ध्यान इस बात की ओर गया कि विगत में हमारा देश आंतरिक दबाव के तले रहा है और बहुत-सी दरारों के बावजूद जैसे इस समय हैं और जब हमारे घर में दरारें पड़ रही हैं । कुछ स्थानों पर हम यह दृश्य देख रहे हैं कि हमारे संरक्षक सत्तारूढ़ पक्ष में हैं और वे अत्यधिक निष्क्रियता अथवा प्रेरित करके कार्य करवाने के दोषी है ।

में विपक्ष के अपने माननीय मित्रों से अनुरोध करूंगा कि वह यह बात न भूलें और याद रखें कि यह चालबाजी राजकोशल के विपरीत है।

मन्त्रीमण्डल स्तर का मंत्री जिसके पास इस वाद-विवाद में उपस्थित होने का भी समय नहीं है एक तदर्थ गृह मंत्री है । उसका कार्यकाल तदर्थ है अथवा कार्य-भार तदर्थ हैं मुझे नहीं मालूम । वह विकास के बीच चक्कर काट रहा है और साथ ही, मानव संसाधनों पर रोक है यदि अनिवार्यत: नहीं है ।

हमारे आंतरिक सुरक्षा संचालन परिणोमोन्मुख नहीं है। उसमें जल्दबाजी अधिक है ।

1·00 म. प.

और जैसे इस देश की जनता के साथ किसी प्रकार का सम्पर्क बहाल करने के लिए हमारे संचार मन्त्री को अल्पकालिक काम दिया गया है । और वह एक ऐसे मंत्रालय के प्रतिनिधि बन गए हैं । और किसी प्रकार के उत्तरदायित्व की बात तो दूर रही उन्हें किसी प्रकार का अधिकार प्राप्त नहीं है इस मंत्रालय के कृत्य की विशिष्टता, नासमझी और असंवेदनशीलता पर आधारित निष्क्रियता,

(श्री सोमनाथ चटर्जी)

अनिश्चिय और अयोग्यता है। हमने इस देश में जानता के विभिन्न वर्गों में बहुत से साम्प्रदायिक झगड़े बहुत-सी परिष्कृत तथा स्पष्ट जासूसी गतिविधियां, अलगाववादी खतरे की गम्भीरता, हरिजनों, महिलाओं, जनजातीय और समुदाय के कमजोर वर्गों और कट्टरपंथियों और दकियानूसी शक्तियों की घृणित कार्यवाहियों को देखा है। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान यह इस सरकार के कार्य के प्रमाण चिह्न हैं।

चाहे वे कुछ भी कहें, जनता को कोई रुचि नहीं रही है और इस देश की स्थिरता को भंग करने पर तुले हुए हैं जिससे देश की सुरक्षा और जनता की एकता को खतरा पहुंच रहा है। इस देश के विभिन्न राज्यों में सामान्य जनता के लिए कोई सुरक्षा नहीं है और वे लुटेरों और राष्ट्र-विरोधी लोगों के शिकार हुए हैं। जब इस देश के विभिन्न भाग विशेषकर सीमावर्ती क्षेत्र लगभग जल रहे हैं, हम देखते हैं कि सरकार इस प्रकार मौज-मस्ती से समय नष्ट कर रही है जैसे कि इसका इलाज ढूंढ़ निकाला गया है। मुझे लगता है कि हमारे सामने जो सबसे बड़ा खतरा है, वह यह है कि सरकार घटनाओं की ओर केवल देखती रहती है और वह न तो सूझ-बूझ रखती हैं और न ही तैयार हैं और न आने वाली घटनाओं का उन्हें कुछ आभास हो रहा है और कब क्या स्थिति होगी उसके लिए भी कदम नहीं उठा रही है।

स्थिति का मुकाबला न करने के कारण हमारे युवा प्रधान मंत्री अपनी अनुभव हीनता और सीमित दृष्टिकोण को छिपाने के लिए गलत सूचना पर आधारित विपक्षीय दलों के विरुद्ध अपनी भड़ास निकालते हैं। ऐसा लगता है कि उन्हें विपक्षीय दलों और विशेषकर मेरे दल से अपनी बात अधिक ऊंची रखने की चिन्ता अधिक है और देश और जनता की चिन्ता नहीं है। और इसके परिणाम स्वरूप इस देश में विश्वास का संकट आया है और सुरक्षा का अभाव है और साम्प्रदायिकता की जड़ें गहरी होती जा रही हैं और अलगाववादी शक्तियां जोर पकड़ रही है और जासूसी गतिविधियां अब सबसे खड़ा खतरा है।

हमें एक पुस्तिका दी गई है जिसका नाम इस मंत्रालय का वार्षिक प्रतिवेदन है मुझे तो यह एक रुग्ण उद्योग के वार्षिक प्रतिवेदन जैसा लगता है क्योंकि इससे प्रत्यक्ष होने से अधिक छुपाया जाता है और एक रुग्ण उद्योग के आयोग्य प्रबन्ध की ऊपरि लीपा-पोती द्वारा गलत तस्वीर पेश करने का प्रयास कर रहा है। इस सरकार की यही उपलब्धि है और यदि आप यह प्रतिवेदन पढ़ेंगे, आप समझेंगे और मैं समाचार पत्रों में इस प्रतिवेदन के आधार पर इसका प्रकाशन, इस सदन में इस पर हमारी चर्चा होने से पूर्व देखता हूं, कि ऐसा लगता है इस देश में कोई समस्या नहीं है और बाहर और भीतर सब ठीक है और कोई चिन्ता नहीं है। ऐसा लगता है कि रुग्ण उद्योग की भांति यह देश भी राजनीतिक आर्थिक और सामाजिक तौर पर रुग्ण हो चुका है।

कुछ दिन पहले हम ने पंजाब की समस्याओं पर विस्तार से चर्चा की, और राष्ट्रीय एकता परिषद् को सक्रिय किया गया था और हमें आशा है कि इसने पंजाब के विषय पर लाभदायक चर्चा और विचारों का आदान-प्रदान किया है। मैं इस स्थिति के कारणों और विस्तार की ओर ध्यान नहीं देना चाहता हूं, किन्तु हम इस सरकार को विलम्ब, प्रशासनिक निष्क्रियता और अन्ध-देशभक्ति

शक्तियों और तत्त्वों के साथ मेल-मिलाप का आरोप दिए बिना नहीं रह सकते हैं। केन्द्र सरकार पूरी तरह पंजाब की दलदल जैसी स्थिति के लिए और खतरनाक स्थिति के लिए जिम्मेदार है। विपक्ष की सरकार को हटाने के लिए आप ने एक फ्रेंकन्सटीन बनाया और राज्य भी दल के आंतरिक झगड़ों के लिए अखाड़ा बन गया जब दो नेता अपने शरीर को आराम दे रहे थे—किस उद्देश्य से, वह तो हमें मालूम नहीं। पर निष्कर्ष यह है कि आज पंजाब ऐसी स्थिति का सामना कर रहा है जो देश के सभी लोगों के लिए चिंता का कारण बन गया है। अतीत में क्या हुआ, मैं उस पर कुछ अधिक नहीं कहना चाहता हूं। किन्तु पंजाब से इस बात का एक ज्वलन्त उदाहरण उपलब्ध कराता है कि किस प्रकार एक अच्छे काम को भी अनाड़ीपन और राजनीतिक तथा प्रशासनिक इच्छा के अभाव से बिगाड़ा जा सकता है। पंजाब समस्या का लाभ अक्टूबर की त्रासदी के परिणाम स्वरूप, 1984 के चुनावों में उठाया गया। फिर भी एक सुखद समझौता किया गया और हम सभी ने उसका समर्थन किया। और वह संत लोंगोवाल की मानवता और राजनीतिमत्ता के प्रति श्रद्धांजलि थी। किन्तु उसके बाद सरकार पीछे हट गई·········· **(व्यवधान)**

एक माननीय सदस्य : आप दूसरे पक्ष को भी धन्यवाद दीजिए।

(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : जब हम समझौते का स्वागत करते हैं, तो ऐसा लगता है कि यह इस मामले के प्रति "लॉलीपॉप" का सा व्यवहार है। बहुत अच्छा, हम भी प्रधान मंत्री को समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए धन्यवाद दे देते हैं यदि उन्हें इससे संतोष प्राप्त हो जाये। मैं उनकी भूमिका को नीचा नहीं दिखा रहा था। मैं केवल एक बिछड़े हुए नेता के प्रति आदर प्रकट कर रहा था जिन्होंने एक अच्छी भूमिका निभाई। किन्तु जब समझौते को लागू करने का समय आया सरकार पीछे हटने लगी। प्रधान मंत्री ने कुछ दिन पहले कहा था कि समझौते पर हस्ताक्षर होने से पूर्व हरियाणा के मुख्य मंत्री से बातचीत की गई और प्रत्येक चरण पर—और हम सचमुच मानेंगे—उन्होंने इसे स्वीकार किया था। किन्तु समझौते पर हस्ताक्षर होने के बाद क्या हुआ ? उसी मुख्य मंत्री को जो उसी दल का था। उसे समझौता तोड़ने के लिए और भावनाएं भड़काने के लिए उकसाया गया। कल भी मैंने देखा कि हरियाणा के एक मंत्री ने यह कहा है—यह बात इंडियन एक्सप्रेस में आई हैं :

"·········हरियाणा में स्वास्थ्य राज्य मंत्री श्रीमती करतार देवी ने पंजाब के हिन्दी-भाषी क्षेत्र चण्डीगढ़ के बदले हरियाणा को दिए जाने के लिए वेन्कटरमैया आयोग की नियुक्ति पर चिन्ता व्यक्त की और कहा कि यह हरियाणा के हितों के लिए हानिकर है।"

सत्तारूढ़ दल का यह रवैया है। हरियाणा में उनके अपने मंत्री इस समझौते के विरुद्ध प्रचार कर रहे हैं और इसे समाप्त कराना चाहते हैं। हमने पंजाब समझौते को अपना समर्थन प्रस्तुत किया है। और हम अपना समर्थन दे रहे हैं, और हम इस बात की मांग करते हैं कि इसे उचित ढंग से लागू किया जाए। हम भी चाहते हैं कि उग्रवादी, आतंकवादी और अलगाववादी तत्त्वों को कड़ी सजा दी जाये ताकि राज्य में शान्ति बहाल हो और हमने यह भी मांग की है कि राज्य सरकार भी सख्ती से और निर्णायक ढंग से समझौते का पालन करे। किन्तु यह कहते हुए एक

(श्री सोमनाथ चटर्जी)

प्रकार की अनिश्चितता प्रदान करने का प्रयास किया गया कि समझौते का लागू करने को पंजाब की शान्ति के साथ कोई सम्बन्ध नहीं है। किन्तु उस राज्य के मुख्य मंत्री, श्री बरनाला ने कहा है:

"यह एक अद्भुत और सहज तर्क है। समझौता पर आतंकवादियों को खुश करने के लिए नहीं अपितु उन्हें अलग करने के लिए हस्ताक्षर हुए और इस समझौते में किसी प्रकार की बाधा मूलत: इस प्रक्रिया में बाधा है।"

यदि यह समझौता शान्ति से नहीं जुड़ा हुआ है, तो यह किस से जुड़ा हुआ है?

इस विलम्ब के लिए हम हर प्रकार के स्पष्टीकरण सुनते रहे हैं। मैथ्यू आयोग जो असफल रहा है उसे बलि का बकरा बनाया जा रहा है। किन्तु जिस प्रकार सरकार मैथ्यू आयोग के समक्ष आई है उससे भी जनता के मन में गंभीर शंकाएं उत्पन्न हुई हैं। अत: पंजाब में पुन: शान्ति की स्थापना समझौते का पालन करने पर निर्भर थी, और अभी भी समझौते को ईमानदारी से लागू करने पर निर्भर करती है। इस कार्य में और अधिक विलम्ब नहीं किया जा सकता है।

यह सत्य है कि नौ शर्तें लागू ही चुकी हैं। किन्तु दो बडी शर्तें अभी लागू होनी बाकी हैं और हमें आशा हैं कि समय सीमा का ध्यान रखा जाएगा। इसलिए सरकार को चाहिए कि वह संकीर्ण दलगत नीति को छोड़कर इस मामले को केन्द्र व राज्य का मामला समझकर निपटाए और साथ ही इसे आर्थिक मामला समझकर उचित रवैया अपनाएं श्रीमन्, आज सुबह श्री सैफुद्दीन चौधरी ने सदन में एक गंभीर मामले को उठाया है। मैं माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि वह इस बात में अपने विचार प्रकट करें दिनांक 8 अप्रैल 1986 के 'मिड-डे' समाचार पत्र में छपा है कि दक्षिण अफ्रीका का असूचना विभाग "ब्यूरो आफ स्टेट सिक्योरिटी और इसराइल का असूचना विभाग, 'मौसाद' पंजाब में सक्रिय आतंकवादियों की वित्तीय सहायता दे रहे हैं आर० ए० डब्ल्यू० "रो" सोचता है कि 'बोस' और 'मौसाद' दोनों मिलकर पंजाब में अस्थिरता पैदा करने की चेष्टा कर रहे हैं। गुप्तचर स्रोतों ने बताया है कि इन दोनों संगठनों ने भारतीय सुरक्षा के रहस्यों का पता लगा लिया है और पंजाब उग्रवादियों के साथ उनके गुप्त सम्बन्ध हैं। वे इस सम्भावना से इन्कार नहीं करते कि 'बास' और 'मौसोद' ये दोनों सी. आई. ए. के लिए व्यापक स्तर पर कार्य कर रहे हैं।

श्रीमन् यह मामला बहुत गम्भीर है। यह दोनों संगठन 'बास' और 'मौसाद' आसानी से हत्याएं करवा सकते हैं। इस समय उनकी गतिविधियाँ पाकिस्तानी प्रशिक्षित उग्रवादियों को वित्तीय सहायता देने तक सीमित हैं। वे अपनी गतिविधियों का क्षेत्र बढ़ा सकते हैं। हमें सूचना प्राप्त नहीं हुई है और मैं आशा करता हूं कि मंत्री जी सदन को विश्वास में लेंगे।

जहाँ तक असम का सम्बन्ध है असम समझौते को क्रियान्वित करने के बारे में प्रतिवेदन में उल्लेख है। मैं शुरू में यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि असम गण परिषद् सरकार के साथ हमारी कोई शत्रुता नहीं है। और हम उनकी भलाई चाहते हैं। उन्हें लोगों का अधिदेश और लोकप्रिय

समर्थन प्राप्त है। लेकिन अब वहाँ ऐसी स्थिति है जिससे उस राज्य में एकता, अमन और शान्ति नहीं रखी जा सकती। दुर्भाग्यपूर्ण वहाँ ऐसी घटनाएं हुई हैं जिससे अल्प संरक्षकों के मस्तिष्क में असुरक्षा की भावना पैदा हो गई है। जहाँ तक नागरिकता का अधिकार और नागरिकता के लाभों का सम्बन्ध हैं जिससे काफी लोगों को वंचित किया गया है, दुर्भाग्यवश उनसे देश में एकता औ शान्ति की भावना नहीं आई और जैसा कि हमने महसूस किया है, हमने उग्रवादी शक्तियों के साथ समझौते का विरोध किया था क्योंकि कट्टरवादियों के साथ समझौते से समस्याओं को हल नहीं किया जा सकता। इससे लोगों में केवल मतभेद और अविश्वास पैदा होता है।

यह घटनाएं हुई है मैं इनके विस्तार में नहीं जाना चाहता। लेकिन मैं आशा करता हूं कि केन्द्रीय सरकार इससे सचेत है और वह राज्य सरकार के साथ बातचीत करेगी और मैं असम गण परिषद के मित्रों से विशेषरूप से अपील करता हूं कि वे भी अपने पद का सदुपयोग करें जिससे देश का यह महत्वपूर्ण भाग राज्य के सभी वर्गों के लोगों के सहयोग से उन्नति करें।

हम चाहते हैं कि उत्तेजना पैदा करने वाली बातों को समाप्त किया जाए। अगर मैं एक का उल्लेख नहीं करता तो मैं अपने कर्तव्य पूरा नहीं कर रहा हूंगा वहाँ की सरकार ने उन विद्यालयों सहित जिनमें शिक्षा का माध्यम आदिवासी भाषा थी माध्यमिक स्तर के सभी गैर-असमी विद्यालयों में, असमी भाषा पढ़ना अनिवार्य करने का जो निर्णय लिया है उस निर्णय से चिरकाल से चली आ रही व्यवस्था खत्म हो गई है और इसके परिणामस्वरूप वर्गों द्वारा आरक्षण विरोधी आन्दोलन चलाया जा रहा है जो पहले ही विरोध करने का प्रयास कर रहे थे और अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लोग उससे चिन्तित हैं मैं सभी सम्बन्धित लोगों से वहाँ शान्ति व एकता की स्थिति पैदा करने का अनुरोध करता हूं। ताकि जातीय तथा अन्य अल्पसंख्यक लोगों के अधिकारों की रक्षा की जा सके और देश के उस भाग में, जो बहुत कमजोर है, अस्थिरता पैदा करने की कोई कोशिश न की जायें।

श्री प्रिय रंजन दास मुंशी : क्या आप सोचते हैं कि आपका दल और सरकार उग्र राष्ट्रीयता-वादी है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : हम यह नहीं चाहते कि सरकार न रहे। इसमें लोगों का समर्थन प्राप्त किया है। हम अनुरोध कर रहे हैं कि सरकार यह देखे कि यह समस्याएं वहां पैदा न हो। यहां हमारे असहयोग का प्रश्न नहीं है। हम असहयोग भी नहीं कर रहे है और मुझे विश्वास है कि मेरे मित्र श्री दिनेश भी मेरे से सहमत होंगे कि हमारा दल सबसे ज्यादा शिकार हुआ है और उस पर ही सबसे ज्यादा आक्रमण किये गए हैं।

श्री प्रियरंजन दास मुंशी : क्या आप अपने दल और सरकार को उग्र राष्ट्रवादी समझते हैं ?

श्री सोमनाथ चटर्जी : मैं इससे सहमत नहीं हूं।

श्री मधु दंडवते (राजापुर) : अथवा क्या यह कांग्रेस जैसी मध्यवर्गीय सरकार है ?

श्री सोमनाथ चटर्जी : श्री दास मुंशी मैं इस मामले में बहुत पुराना हूं। श्री दास मुंशी ने आज सुबह यह मामला उठाया है कि मणिपुर और त्रिपुरा में हिंसा और विद्रोह की गतिविधियाँ चल

(श्री सोमनाथ चटर्जी)

रही है जिससे वहां पर शान्ति और चैन समाप्त होता जा रहा है। मिजोरम में अंतिम समझौते का कोई आसार नजर नहीं आता। अरूणाचल प्रदेश में विद्रोह के संकेत दिखायी देते हैं। असम सीमा पर अखिल अरूणाचल प्रदेश छात्र संघ से अपना आन्दोलन तेज कर दिया है।

और वे अधिक मात्रा में आने वाले विदेशियों के आगमन पर रोक लगाने की मांग कर रहे हैं। श्रीमन् मुंशी जी द्वारा सुबह बताया गया था कि टी० एन० वी० उग्रवादियों को बंगलादेश और पाकिस्तानी सहयोगियों द्वारा विदेशी हथियार प्राप्त हो रहे हैं। बंगलादेशी सेना शिविर में तीन पाकिस्तानी गुप्तचर अधिकारियों ने टी० एन० वी० और उनके मुख्य बिजाय 'रकल' के साथ बंगला देशी सेना और गुप्तचर अधिकारियों की उपस्थिति में होने की सूचना मिली है।

सभापति महोदय : माननीय सदस्य का समाप्त होता है।

श्री प्रिय रंजन दास मुंशी : क्या आप उनकी प्रशंसा कर रहे हैं। यह हिस्सा बहुत ही संगत है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : टी० एन० एफ० ने एक 'हिट लिस्ट' बनाई है। **(व्यवधान)** घंटी बजाकर, आप विरोधियों का अनुमान नहीं लगा सकते।

सभापति महोदय : आपकी पार्टी को 14 मिनट मिले थे मैं 20 मिनट दे चुका हूं।

श्री प्रिय रंजनदास मुंशी : आप मेरा समय ले सकते हैं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : श्रीदास मुंशी अपना समय दे रहे हैं। बहुत धन्यवाद।

प्रो० मधु दंडवते : वह समय आपका भाषण बिगाड़ सकता है।

सभापति महोदय : समय सीमा पार नहीं कर सकता।

श्री आनन्दगोपाल मुखोपाध्याय (आसनसोल) यह पक्ष में श्री चटर्जी को भी समय देना चाहिए। लेकिन उन्हें सदन के सामने यह बताना होगा कि पश्चिम बंगाल में कानून और व्यवस्था की क्या स्थिति है। इन पांच वर्षों में उन्होंने कितने कांग्रेस के आदमियों का मारा है।

प्रो० मधु दंडवते : यह राज्य का विषय है।

श्री आनन्दगोपाल मुखोपाध्याय : आप समय ले सकते हैं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : मुझे समय देने के लिए आप इन्हें राजी कीजिए। मैं सारी बात स्पष्ट करूंगा।

प्रो० मधु दंडवते : यह एक राज्य का विषय है हम इसकी चर्चा यहां नहीं कर सकते।

सभापति महोदय : कृपया अपना भाषण समाप्त कीजिए।

श्री सोमनाथ चटर्जी : यह बहुत ही गंभीर मामला है। कृपया मुझे थोड़ा समय दीजिये अधिक नहीं।

श्री आनन्दगोपाल मुखोपाध्याय : मैं अनुमोदन करता हूं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : इस समय आप अवश्य ही छोड़ रहे हैं।

सभापति महोदय : उनको अपना भाषण जारी रखने के लिये लम्बा समय देने का बहाना मत कीजिये। आप कृपया समाप्त कीजिये।

श्री सोमनाथ चटर्जी : मैं यह कह रहा था कि···

एक माननीय सदस्य : यह बहुत ही संगत भाषण है।

श्री दिनेश गोस्वामी : मैं आशा करता हूं दूसरे विरोधी दलों के लिये भी आप यही मापदण्ड रखेंगे।

श्री सोमनाथ चटर्जी : जो हम जानते हैं हम कहेंगे, वे कहेंगे, हमें सुनिये।

श्रीमन्, टी० एन० वी० ने ही एक 'हिट लिस्ट' बनाई है। हमने समाचार पत्रों में पढ़ा है कि वे लोगों को मार रहे हैं। स्थिति का मुकाबला करने के लिये त्रिपुरा सरकार ने सभी कदम उठाये हैं। मुख्यमंत्री ने एक आठ सूत्री संकल्प रखा है जिसमें उन्होंने टी० एन० वी० को हिंसा त्यागने और छोड़ने की कसम खाने के लिये प्रार्थना की है इसके साथ-साथ उन्हें पुनर्वास का आश्वासन भी दिया गया है। उन्हें अपनी गतिविधियां छोड़ देनी चाहिये और उनके विरुद्ध आपराधिक मामले वापस, ले लिए जायेंगे। बड़े दुर्भाग्य की बात है ऐसा लगता है कि टी० एन० वी० ने बहुत से लोग मार दिये हैं। हाल ही में 500 जनजाति नेताओं ने अपनी एक सभा में टी० एन० वी० से हथियारों को त्यागने और सामान्य जीवन बिताने के लिए प्रार्थना की। यद्यपि इसको सबने विशेष रूप से स्वीकार किया और प्रशंसा की, लेकिन त्रिपुरा में कांग्रेस (आई) ने इस संयुक्त अपील में भाग नहीं लिया। इससे स्पष्ट होता है कि वे उस क्षेत्र में शान्ति की बजाय राजनीतिक लाभ को अधिक महत्व देते हैं। श्रीमन् त्रिपुरा प्रदेश कांग्रेस (आई) समिति के महासचिव ने भारतीय युवा कांग्रेस दिल्ली के अध्यक्ष को एक पत्र में त्रिपुरा युवा कांग्रेस (आई) के अध्यक्ष के विरुद्ध सुस्पष्ट आरोप लगाये हैं कि उसके मणिपुरी पीपल्स लिबरेशन के नाम आर्मी के साथ सम्बन्ध है।

श्रीमन् ऐसा कहा गया है कि वह मणिपुरी पीपल्स लिबरेशन आर्मी के एजेंट के रूप में कार्य कर रहे हैं और नकली मुद्रा चला रहे हैं और त्रिपुरा में क्रियान्वित करने के लिये तेजी से कार्य कर रहा है··· (**व्यवधान**)

श्री प्रियरंजन दास मुंशी : राज्य में युवा कांग्रेस नेताओं ने इसका दो बार खण्डन किया है। वह इसे दुबारा क्यों उठा रहे हैं? (**व्यवधान**) अगर वह इसके माध्यम से यह बात कहना चाहते हैं··· (**व्यवधान**)

श्री सोमनाथ चटर्जी : मेरे पास एक फोटो प्रतिलिपि है।

श्री प्रियरंजन दास मुंशी : यह दुर्भावनापूर्ण है। इसका दो-तीन बार खंडन किया जा चुका है। मैं नहीं जानता वे ऐसी चीजें कहां से ला रहे हैं··· (**व्यवधान**)

श्री आनन्द गोपाल मुखोपाध्याय : मैं उनकी बात दुरुस्त कर देता हूं। वह एक बात कहना भूल गए हैं। इस संगठन की नींव किसने रखी? अथवा इस संगठन का संस्थापक कौन है?

(**व्यवधान**)

श्री प्रियरंजन दास मुंशी : आप दशरथ देव वर्मा का ध्यान रखिये और हम उनका ध्यान रखेंगे। (व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : और वे एक संघीय स्वायत्तशासी राज्य की स्थापना के लिये एक योजना लागू करने का प्रयत्न कर रहे हैं, जिसे प्राचीन योजना कहा जाता है। मेघालय में स्थित बहुत अधिक विस्फोटक है। नेपाली भाषी श्रमिकों को मेघालय से बाहर भेजा जा रहा है। उनको असम सीमा पर डाला जा रहा है, और असम उनको पश्चिमी बंगाल में धकेल रहा है। हम उनके बारे में क्या करेंगे ? क्या हम उनको बिहार में धकेल देंगे और फिर बिहार उत्तर प्रदेश में और उत्तर प्रदेश दिल्ली में धकेल देगा ? लोग संरक्षण के हकदार है। जहाँ तक भारतीय नेपालियों का सम्बन्ध है, जो भारतीय राष्ट्रीयता के हैं, उनको देश के किसी भी हिस्से में रहने का अधिकार है। जहाँ तक नेपाली राष्ट्रीयता के नेपालियों का संबंध है, वो भी भारतीय तथा नेपाली सरकारों के बीच 1950 की शान्ति और मित्रता की सन्धि के तहत संरक्षित हैं, जो इस बात का उपबंध करती है कि भारत और नेपाल की सरकारें पारस्परिक आधार पर एक देश के नागरिकों को दूसरे देश के क्षेत्र में आवास, संपत्ति स्वामित्व, व्यापार और वाणिज्य में हिस्सा लेने, घूमने के अधिकारों तथा इसी तरह के दूसरे विशेषाधिकारों को देने के लिये सहमत हैं। किन्तु असलियत में क्या हो रहा है ? आजकल, अलगाववादी नारे लगाये जा रहे हैं। गोरखालेंड, उत्तराखंड इत्यादि के लिए माँग की जा रही है। ये लोग उनके ऊपर किया गया अभित्रास, हमला और कैसे उनको शारीरिक तौर पर ट्रक में ठूस दिया गया की उत्पीड़न भरी कहानी बता रहे हैं। परिवारों को अलग-थलग किया जा रहा है। बच्चे पिता से अलग हो रहे हैं। इस तरह की कहानियाँ सुनने में आ रही हैं। बन्द का आयोजन किया जा रहा है। एक विस्फोटक स्थिति पैदा की जा रही है। पश्चिमी बंगाल और दार्जीलिंग के उत्तरी जिले इन लोगों की गतिविधियों के अड्डे बनते जा रहे हैं, जिनके साथ बहुत अधिक अमानवीय ढंग से बरताव किया गया है। हम इस सरकार से अनुरोध करते हैं कि इस मामले की गंभीरता से जाँच करे। मैंने इस बारे में एक ध्यानाकर्षण सूचना और स्थगन प्रस्ताव दिया था और माननीय अध्यक्ष ने कहा था कि मैं इस मामले को गृह मंत्रालय पर चर्चा के दौरान उठाऊं ताकि मंत्री महोदय कोई जवाब दे सकें। मैं सरकार से आठवीं सूची में नेपाली भाषा को सम्मिलित करने का भी निवेदन करता हूं। इसके लिये जोरदार माँग है, और छठी अनुसूची के तहत उस क्षेत्र के नेपाली लोगों की पश्चिमी बंगाल राज्य के अन्दर ही क्षेत्रीय स्वायत्तता प्रदान करने की मांग भी है, जिसके लिये सभी राजनैतिक दलों द्वारा समर्थन देते हुए, पश्चिमी बंगाल विधानसभा ने सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पास किया था। किन्तु श्री एस० बी० चव्हाण द्वारा इसे तुरन्त ही रद्द कर दिया गया था। इस प्रकार, इसके लिये, उन्हें या तो पदोन्नति या पदावनति प्राप्त हुई।

साँप्रदायिक स्थिति को लीजिए, कैसे साम्प्रदायिक शक्तियों द्वारा राम जन्म भूमि और बाबरी मस्जिद जैसी स्थितियों का फायदा उठाया जाता है, इस बारे में आज हमने सदन में सुना हैं। लोगों की भावनाओं को भड़काया जाता हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि राम जन्म भूमि मंदिर को पुनः खोलने के लिए न्यायालय के आदेश दिए जाने के बाद जब जुलूस निकाला गया था और जिन स्थानों को ऐतिहासिक स्मारक समझा जाना चाहिए और जिनको पुरातत्व विभाग को सौंपा जाना चाहिए वे आजकल साम्प्रदायिक राजनीति का अखाड़ा

बनते जा रहे हैं—इसके लिए सरकार ने क्या किया है ? यह एक बहुत अधिक गम्भीर स्थिति है। इसलिए, मैं सरकार को इस मामले को बड़ी गम्भीरता से लेने के लिए कहता हूं।

श्री भोलानाथ सेन (कलकत्ता दक्षिण) : मैं बोलपुर से प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्य का भाषण बड़े चाव से सुन रहा था। उन्होंने यह कहते हुए शुरु किया कि यह सरकार निष्क्रियता के कारण खींचें जाने के काबिल है; पर एक बीमार उद्योग की तरह है और प्रलेख एक बीमार उद्योग पर रिपोर्ट के सिवाय कुछ भी नहीं है। अभी मुझे दो व्यक्तियों का स्मरण हो रहा है, एक तो रीप वेन वीकंल और दूसरे कुम्भकरण इस समय उन्हें किसी भी घटना का अहसास नहीं हुआ। दो बड़ी ऐतिहासिक घटनायें हुयी हैं अर्थात पंजाब और असम समझौते और इसके साथ-साथ आजादी के बाद से जिस लोकतंत्र को हम बनाए रखना चाहते हैं, उसे बरकरार रखा गया और इस आजादी का सिर्फ स्वागत ही नहीं किया गया बल्कि इसको व्यावहारिक रूप भी दिया गया। यहां वे कौन महानुभाव हैं जो पंजाब और असम से आये हैं ? वे भारत के लोगों द्वारा चुने गए हैं जिनके पास मत का मूल अधिकार है और जिस पर लोकतन्त्र आधारित है। और ये महानुभाव उग्रवाद, हत्यायें तथा धमकियों के बावजूद भी यहां आये हैं। चुनाव मशीनरी ने सुचारु ढंग से कार्य किया। कोई भी समस्या नहीं खड़ी नहीं हुयी। सरकार तथा प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी की यह उपलब्धि भारत के इतिहास में सदा के लिए अमर रहेगी। यह तो एक विषय रहा।

यह एक सच्चाई है कि समझौते की सभी धाराओं को लागू नहीं किया जा सका। किन्तु जब 11 में से 9 को लागू कर दिया गया है, फिर बात और शिकायत करने को क्या रह जाता है ? शेष दो धाराओं को भी भुलाया नहीं गया है। इस मामले में प्रक्रिया जारी है। सवाल यह है कि अगर उन्होंने सरकार का विरोध ही करना है तो वे किसी भी बात को लेकर कर सकते है, किन्तु इसके लिए कोई आधार या न्यायोचित बात होनी चाहिए। असम और पंजाब के इन दो मामलों में—सरकार द्वारा अपनाये गए दृष्टिकोण का विरोध करने के लिए उनके पास कोई भी आधार नहो है। जहां तक संभव हो सके इन समझौतों को लागू करने के लिए हर प्रयास किया जा रहा है यहां पर ऐसा कहा गया था कि जिन लोगों ने श्री लौंगोंवाल को मारा वे उग्रवादी हैं और क्योंकि वे समझौते के खिलाफ थे। इसके बावजूद हमने समझौते का पालन किया और इसके परिणाम स्वरूप ये सदस्य यहां निर्वाचित होकर आए हैं।

जहां तक मेरे मानवीय मित्र का सम्बन्ध है, वह यह कह रहे थे कि भारत में जीवन सुरक्षित नहीं है और नरसंहार हो रहा है। मैं अपने इन साथी को सिर्फ एक या दो बातें स्मरण कराना चाहता हूं। वे नेपालियों को ट्रकों में ठूसे जाने की बात कर रहे थे। मैं दो विषयों के बारे में बोलना चाहता हूं। हमने कलकत्ता में बेलीगंज जगह पर एक ऊपरी पुल बनाया और उस पुल पर लगभग 12 लोगों को या तो जला दिया गया था या मार दिया गया था क्योंकि वे साधु थे और वे आन्नद मार्ग संगठन से संबंधित थे। आनन्द मार्गियो को दिन दहाड़े मार दिया गया था। उनको मार दिया गया और जला दिया गया और वहां पर न तो कोई मुकदमा चला और न ही

[श्री भोलानाथ सेन]

किसी को पकड़ा गया और वे राज्य के बाहर से आये थे। उस समय सरकार ने क्या कदम उठाये ? कुछ नहीं किया।

दूसरी बात मैं यह कह रहा हूं कि वे ठूसनें और निवास की स्वतन्त्रता की बात कर हैं। जब ये मार्क्सवादी सत्ता में आए थे तब शरणार्थी दंडाकारण्य, माना कैंप और दूसरे स्थानों से आए थे। तब उन्होंने उनके घरों का जन्ना दिया और उनको गोली से उड़ा दिया और फिर मरे हुये लोगों को उन्होंने दूर फेंक दिया। सरकार ने इस मामले में क्या किया ? उन्होंने एक अधिकारी के तहत एक जांच आयोग बैठा दिया। एक वर्ष बाद उस जांच कार्य को गवाह न होने के कारण बन्द कर दिया गया। किन्तु, अब, बात यह है कि मुख्यमंत्री महोदय ने यह नहीं कहा कि उनको भोजन कैसे मिलेगा। वे अपने राज्य में कुछ करते हैं और सदन में कुछ और ही कहते हैं। जो कुछ वे यहां कह रहे हैं वही उन्हें वहां कहना चाहिए। इसके बाद मैं यह देखना चाहता हूं कि पश्चिम बंगाल की विधानसभा में कैसा हंगामा और प्रतिक्रिया होती है। इतिहास काले अधिनियमों से भरा हुआ है अमिट है। पुलिस उपायुक्त श्री डी० सी० महता इसलिए मारे गए थे क्योंकि उन्होंनेतस्करों को तस्करी करने से रोकने का प्रयास किया था। इस मामले में क्या हुआ ? अभियुक्त भी पुलिस स्टेशन में मारा गया। लेकिन कोई मुकदमा नहीं चला। और क्या हुआ······

(व्यवधान)

आन्तरिक सुरक्षा राज्य मंत्री अरुण नेहरु : आप उनके भाषण में बाधा क्यों डाल रहे हैं। उन्हें बोलने दीजिए। जब आप बोल रहे थे तो आपको किसी ने नहीं टोका।

श्री भोलानाथ सेन : बात यह है कि सच्चाई सुनना कोई भी पसंद नहीं करता, अन्यथा कैसे एक राजनैतिक भाषण दिया जाए।

अब मैं इस सरकार की पोल खोलना चाहता हूं। दल के अनुसार यह कहा गया कि हमारे प्रधानमंत्री मार्क्सवादी दल की कीमत पर उन्नति करना चाहते हैं। यह एक उचित बात नहीं है। असलियत में बात यह है कि प्रधानमंत्री उनकी कमजोरियों को उघाड़ने का प्रयास कर रहे हैं कि ये लोग राज्य की जनता की इच्छाओं और भावना के अनुसार कार्य नहीं कर रहे हैं और यह सब कुछ ये लोग कर रहे हैं।

यह कैसे हुआ कि पहले तो लोग मारे गए और फिर उनको रेलगाड़ी द्वारा दंडकारण्य भेज दिया गया ? मैंने औरतों को उनके दो या तीन साल के बच्चों के साथ, उनके पतियों को सदा के लि खोकर वापिस जाते हुए देखा है। यह ऐसा क्यों हुआ था ? जो जांच आयोग बैठाया गया था उसका क्या नतीजा निकला ? सरकारी अधिकानी द्वारा की गई जांच का क्या परिणाम निकला ? एक वर्ष के बाद उन्होने कहा कि कुछ भीं नहीं किया जा सका, क्योंकि सभी ने राज्य छोड़ दिया

था। अब जरा ऐसे मामलों के बारे में सोचिए। जहां तक मार्क्सवादियों का सम्बन्ध है, जितना वे लोकतंत्र और स्वतन्त्रता के बारे में कम कहते है, उतना ही उनके लिए अच्छा है; वे उत्तराखंड के बारे में बातें कर रहे हैं। वे नेपालियों के बारे में बातें कर रहे है। वे यह कह रहे हैं कि नेपाली आए थे और उनको ट्रक में भरकर भेज दिया गया। यह किसके द्वारा किया जा रहा है ? क्या कानून और प्रशासन उनका विषय नहीं है ? क्या राज्य का यह एक विषय नहीं है ? वे कैसे यहां आकर केन्द्रीय सरकार पर दोष लगाते हैं ? वे कहते हैं कि नेपालियों को ट्रक में डाला जाता है और वापिस भेज दिया जाता है। इसकी अनुमति कौन दे रहा है ? उनका जबाव है उत्तराखंड। यह कहां है ? वे कहते हैं कि यह उत्तरी बंगाल का जलपाईगुड़ी जिला है। इसकी अनुमति कौन दे रहा है ? कौन, कहां इसकी शिकायत कर रहा है ? क्यों वे उनकी सरकार में उनके मुख्यमन्त्री को शिकायत नहीं करते ? लेकिन वे ऐसा नहीं करेंगे। जो कुछ कहा जा रहा था उसको सुनकर मुझे बड़ी हैरानी हुई। वे कहते हैं कि लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर भाग रहे थे। क्या वे कभी पश्चिमी बंगाल की बंगलादेश देश के साथ सीमा समस्याओं पर गम्भीरता से विचार करते हैं ? नहीं वे ऐसा कभी नहीं करते। वे ऐसा गम्भीरता से कभी नहीं करते क्योंकि इससे उनको फायदा होता है। यह बंगाल में नादिया जिले के चपरा नामक स्थान पर हो रहा है। **(व्यवधान)** आप बंगलादेश की तरफ वाले गांव को देख सकते हैं। घर का एक हिस्सा भारत में है और दूसरा बंगलादेश में। वे आते-जाते हैं। वहां पर एक दंगा हुआ था। कानून और व्यवस्था के बारे में क्या हो रहा है ? जब भी चुनाव का समय होता है, वे लोग आते हैं और उनके विधान सभा के सदस्यों की मदद से राशन कार्ड प्राप्त कर लेते हैं। यह सब कुछ वहां किया जा रहा है। नियमित व्यापार चल रहा है। इसका लाभ किसको मिलता है ? उनको पुलिस कर्मियों द्वारा क्यों नहीं रोका जाता ? मुझे एक भी ऐसा मामला नहीं मिला है जिसमें किसी को भी पकड़ा गया हो। कभी नहीं। वे दूसरे स्थानों के बारे में कह रहे है। हमारे पश्चिमी बंगाल राज्य के बारे में उनकी क्या राय है ? पश्चिमी बंगाल में कितने लोगों ने यह कहा है कि वे भारतीय नहीं हैं। पीदेरपुर क्षेत्र में ऐसे बहुत से लोग हैं। यह रिकार्ड में है। ये उनके दल के आदमी और नेता ही हैं जो प्रमाणपत्र देते हैं। वह कहता है कि कृपया आप एक राशन कार्ड जारी कीजिए। लेकिन वह तो एक भारतीय है ही नहीं। इसलिए तो मन्त्री महोदय को लिखना पड़ा था। क्योंकि, केन्द्र सरकार से एक निर्देश है कि जब तक आप किसी व्यक्ति को निश्चित तौर से नहीं जानते तो कृपया आप न लिखें। **(व्यवधान)**

सभापति महोदय : कृपया और विषयों को भी लीजिए।

श्री भोलानाथ सेन : हां ठीक है मैं और विषय लेता हूं। वहां बहुत अधिक राजनीतिकरण है। उनके लोगों पर राजनीति का इतना अधिक रंग चढ़ा हुआ है कि सत्र के दौरान, विधान सभा भवन में ही विधान सभा सदस्यों को पीटा जाता है और सदन से बाहर निकाल दिया जाता है। पश्चिमी बंगाल में पुलिस द्वारा ऐसा किया जाता है।

सभापति महोदय : कृपया आगे बोलिए। यहां पर राज्य के मामलों पर बहस मत करिए। और कुछ कहिए।

श्री दिनेश गोस्वामी : ऐसा किया जा सकता है ? श्री राय को पंजाब का राज्यपाल बना कर बंगाल को पंजाब में लाया गया है। यदि सोमनाथ चटर्जी पिछले चुनाव में हार गये होते तो ऐसा न होता।

(व्यवधान)

श्री भोलानाथ सेन : मैं यह कहना चाहता हूं कि संविधान में विचित्र स्थिति है। कानून तथा व्यवस्था राज्य सरकार का विषय है। वे शिकायत नहीं कर सकते। वे केन्द्र से पुलिस की सहायता लेने के लिए स्वतन्त्र हैं। भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी केन्द्र के अधीन हैं। परन्तु उसके साथ ही यदि वे सार्वजनिक रूप से दुर्व्यवहार करते हैं जैसा कि न्यायालय निर्णय में बताया गया है तब भी वे आराम से रह सकते हैं क्योंकि वे भारतीय साम्यवादी पार्टी (मार्क्सवादी) की सहायता करते हैं। पश्चिम बंगाल में आम शिकायत है कि पश्चिम बंगाल में राज्य सरकार अधिकारियों का राजनीतिकरण कर रही है। उच्च न्यायालय की भी यही राय है। **(व्यवधान)** यह बात प्रकाशित हुई है अतः मुझे याद है। लेकिन पुलिस अधिकारियों को अधिक से अधिक उच्च स्थिति दी जा रही है। केन्द्रीय सरकार के पास ऐसा कोई तंत्र नहीं है कि ऐसे उपाय कर सके कि वे ऐसी बातें न करें। कृपया निगरानी रखिये।

दूसरी बात यह है कि पुलिस अधिकारी एक तरफ से क्रियाशील नहीं है। ऐसे अवसर आते हैं जब आपको युद्ध स्तर पर भारत में बाहर से सीमान्त राज्यों में आने वालों को रोकना पड़ता है। राज्य के पुलिस अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। उन्हें सेना की तरह कार्य करने के लिए प्राशिक्षित किया जाना चाहिए तथा उन्हें ऐसा काम करना चाहिए कि देश तैयारी की स्थिति में रहे क्योंकि हमारी सीमा की बहुत सी समस्याएं हैं जिसका मेरे मित्रों ने उल्लेख किया है।

सभापति महोदय : कृपया समाप्त करें।

डा कृपासिंधु भोई : (सम्बलपुर) मुझे भी बोलना है। अतः मैं अपने समय में से 5 मिनट उन्हें देता हूं। अतः उन्हें बोलने दें।

सभापति महोदय : कोई भी सदस्य अपना समय किसी अन्य सदस्य को नहीं दे सकता।

प्रो मधु दंडवते : उन्हें अधिक समय दें क्योंकि उन्होंने अभी भारत तक पहुंचना है।

श्री भोलानाथ सेन : मुझे मंत्री महोदय को बधाई देनी है। यह बड़ी बात है और मुझे खुशी है···**(व्यवधान)** चार्ल्स शोभराज को गिरफ्तार कर लिया गया है और यह प्रतीत होता है कि वे बहुत नाखुश हैं। ···**(व्यवधान)**

सभापति महोदय : क्योंकि वह बंबई में गिरफ्तार हुआ है ।

व्यवधान

श्री भोला नाथ सेन : मुझे केवल एक सुझाव और देना है । 1985-86 के प्रतिवेदन के पृष्ठ 19 पर उल्लेख है "पश्चिम बंगाल पुलिस के लिये कम्प्यूटर लगाने का काम पूरा किया गया हालांकि यह काफी पहले किया जाना था । इस समय 12 राज्यों में कम्प्यूटर चालू है, अर्थात् तमिलनाडु, महाराष्ट्र, उड़ीसा आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, केरल, मध्य-प्रदेश, राजस्थान गुजरात, पंजाब, उत्तर-प्रदेश तथा इस निदेशालय के अधीन एक दिल्ली में है । महाराष्ट्र, गुजरात राजस्थान, तमिलनाडु और मध्य प्रदेश में इन राज्यों के मुख्यालयों में कम्प्यूटर लगाये जाने तथा उन्हें जिला मुख्यालयों टेलीप्रिंटर द्वारा जोड़े जाने के लिए एक लाइन वाली जांच प्रणाली पहले से ही विद्यमान थी । जहां तक बंगाल का सम्बन्ध है क्या हो रहा है । (**व्यवधान**) जिस तरह वे इसे कर रहे हैं, हमें सबको भय है । जिले में कत्ल होते हैं परन्तु अधीक्षक सूचना नहीं, दे सकते टेलीफोन कार्य नहीं कर रहा···(**व्यवधान**) वह कलकत्ता में मुख्यालय को सूचना नहीं दे सकता । (**व्यवधान**) वह शिकालत को रिकार्ड नहीं करते । यदि भारतीय साम्यावादी पार्टी (मार्क्सवादी) के अलावा कोई सत्य व्यक्ति मरता है तो उसकी सूचना नहीं दी जाती । अतः इस बारे में कुछ किया जाना आवश्यक है । जिलों में सरकार की नीति उन्हें लालच देकर अपने नियंत्रण में रखने की है । जबकि लोगों के लिए अनाज हम केन्द्र से देते हैं वे लोगों से कहते हैं कि हम दे रहें हैं । जब वे लोगों को गेहूं देते है तो वे उन्हें चेतावनी दे देते हैं कि यदि लोग उन्हें समर्थन नहीं देंगे तो वे उनके जीवन रक्षा की चिन्ता नहीं करेंगे । अतः राज्य मुख्यालय के स्तर पर कम्प्यूटर तथा जिला मुख्यालय स्तर ओन-लाइन पूछताछ प्रणाली शीघ्र स्थापित होनी चाहिए ।

अब मैं अन्तिम बात लेता हूं । जहां तक स्वतन्त्रता सेनानियों का प्रश्न है, मुझे केवल एक शब्द कहना है । मैं सेन्ट्रल हाल में और राज्यों में भी बहुत से स्वतन्त्रता सेनानियों को देखता हूं । उनके आवेदनों पर मन्जूरी देने के लिए एक काउण्टर एक केन्द्र में तथा दूसरा राज्य में है । राज्य सरकारें आम तौर पर उन आवेदनों को जांच करके सही भेजती । इसके परिणाम स्वरूप हजारों स्वतन्त्रता सेनानी कष्ट उठा रहे हैं तथा उन्हें उनका देय नहीं मिलता । अतः मेरा सरकार से निवेदन हैं कि कोई ऐसी विधि निकाले कि उनको देय राशि उनके जीवन काल में मिल सके । राज्य सरकार की उसमें रुचि नहीं है, परन्तु केन्द्रीय सरकार उनके कल्याण में रुचि रखती है । अतः आप जानकारी एकत्र करने के लिए अध्ययन दल अथवा एजेंसी नियुक्त करें । अतः यह कार्य शीघ्र किया जाना चाहिए ताकि उन्हें मरने से पहले पेंशन मिल पाये ।

कई प्रसिद्ध व्यक्ति अन्य नेताओं के साथ जेल गये थे । अब वे अत्यन्त गरीब हैं । उनकी आय का कोई स्रोत नहीं है । अतः कोई पद्धति निकाली जानी चाहिए जिससे उनको आजीविका के लिए पेंशन मिल सके । मैं कई व्यक्तियों को जानता हूं । मुझे विश्वास है कि यदि मन्त्री महोदय मामले की जांच करते हैं तभी वह पता लगा सकते है तथा उन नेताओं की सहायता करें जो अपने जीवन तथा सेहत के लिए संघर्ष कर रहे हैं ।

आंतरिक सुरक्षा विभाग में राज्य मन्त्री (श्री अरुण नेहरू) : महोदय, मैं माननीय मित्रों को आश्वासन देता हूं कि मैं पश्चिम बंगाल का मामला कतई नहीं उठाऊंगा।

श्री सोमनाथ चटर्जी : आपका वहां पर सहायता तथा सहयोग के लिए आने पर स्वागत किया जायेगा।

प्रो० मधु दन्डवते : श्री एच० एम० पटेल को जाना है। मैंने सभापति से निवेदन किया था।

श्री अरुण नेहरू : मैं संक्षेप में सम्बद्ध बातें ही कहूंगा।

प्रो० मधु दण्डवते : आप संक्षेप में कैसे कह सकते हैं ?

श्री अरुण नेहरू : मैं संक्षेप में और विषय पर ही बोलूंगा।

श्री मधु दण्डवते : आपका भाषण आपके पद के अनुरूप होना चाहिए।

श्री एस० जइपाल रेड्डी : कम से कम अपने वजन के अनुसार।

श्री अरुण नेहरू : महोदय, चिन्ता न करें।

इसमें कोई सन्देह नहीं है। आंतरिक सुरक्षा के मामले में राज्यों के स्तर पर तथा केन्द्र के स्तर पर काफी कार्य हुआ है। मैं भूतकाल के कार्यों में क्या किया गया अथवा क्या नहीं किया गया पर अर्थात कोई निर्णय नहीं दूंगा अपितु उन मामलों को लेना चाहूंगा जोकि आज बने हुए हैं तथा उनसे भविष्य में क्या कार्यवाही करनी है तथा इन बातों को कैसे सही दिशा में ले जाना है। मेरा आलोचना करने का इरादा नहीं है। मैं रचनात्मक होने की चेष्टा करूंगा।

कुछ दिन पूर्व हमने पंजाब की स्थिति पर चर्चा की थी। मैं माननीय सदस्यों को बताना चाहता हूं कि पिछले 7-8 दिनों से पंजाब में क्या हो रहा हैं ? पुलिस तथा अर्ध सैनिक बलों द्वारा व्यापक पकड़-धकड़ हो रही हैं। पुलिस बलों को मुख्यमन्त्री ने सभी अनुदेश तथा सहायता दी है। पिछले दिनों सात आतंकवादी मारे गये। जब उन्होंने पुलिस पर हमला किया। दुर्भाग्य से आठ पुलिस कर्मियों की जानें भी गईं। इस समय यह दुर्भाग्य पूर्ण स्थिति बनी हुई है। पुलिस दूर-दराज गांवों में जाकर कार्यवाही कर रही है। मैं समझता हूं ऐसी अस्थाई विफलताएं आ जाती हैं।

इस कार्यवाही में मारे गए पुलिस कर्मियों के परिवारों को मैं आप सबकी तरफ से शोक सन्देश भेजता हूं। इसके अलावा पिछले कुछ दिनों से पंजाब में 450 व्यक्तियों की धर-पकड़ की गई है। उनमें छः भयानक उग्रवादी भी हैं जिन्हें गिरफ्तार किया गया हैं। महोदय, इसमें सन्देह नहीं कि पंजाब में स्थिति अत्यन्त कठिन है। इसका कोई सरल समाधान नहीं है। परन्तु इसे सही रास्ते पर लाने के प्रयास जारी हैं। पंजाव के मामले पर मैं अपनी पहली कही गई बातों को

दोहराना चाहता हूं। हम मुख्यमन्त्री को उनके प्रयासों में सफलता की कामना करते हैं। इसके लिए हम केन्द्र को पूरी सहायता देंगे।

महोदय, अब मैं अपनी सीमाओं का मामला लेना चाहूंगा। मैं समझता हूं यह नाजुक मसला है तथा आंतरिक सुरक्षा के बहुत से मामले इससे सम्बद्ध हैं। हमारी पश्चिमी सीमा पर पंजाब, जम्मू तथा काश्मीर, गुजरात और राजस्थान आते हैं। अपने सीमा बलों को बढ़ावा देने के लिए अपने सीमा बलों की शक्ति को पहले की तुलना में दुगुना किया है।

फिर मैं समझता हूं कि प्रश्न जन शक्ति बढ़ाये जाने का ही नहीं है परन्तु उसमें गुणात्मक परिवर्तन भी किया जाना चाहिए तथा पिछले दो महीनों में प्राप्त होने वाले अच्छे परिणाम का कारण है बेहतर संचार व्यवस्था तथा बेहतर परिवहन तथा अच्छे शस्त्र। मुझे उम्मीद है कि कुछ सदस्यों ने इस क्षेत्र को देखा होगा परन्तु यह धरती अत्यन्त विषम है तथा इसे पूरी तरह सुरक्षित नहीं किया जा सकता। परन्तु मैं समझता हूं सीमा सुरक्षा बल की हाल की सफलताएं हमलावरों की कार्यवाहियों को चुनौती देंगी।

इन क्षेत्रों में भी हमने सीमा विकास ऐजेंसी की व्यवस्था की है क्योंकि हम समझते हैं कि सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा अर्द्ध-सैनिक बलों द्वारा नहीं प्रदान की जा सकती अपितु कुछ आर्थिक तथा कृषि सम्बन्धी गतिविधियों द्वारा संभव है। मूलतः इन क्षेत्रों का विकास अवश्य किया जाना चाहिए। फिर राजस्थान में सीमा के कई क्षेत्र मैंने देखें हैं जहां पर राजस्थान नहर पहुंच गई है, किसान सीमा पर खेती कर रहें हैं तथा लोग वहां पर बस गये। परन्तु कई क्षेत्रों में ऐसा नहीं है। मैं समझता हूं कि इस राज्य की केन्द्र तथा अन्य राज्यों की ओर से इन क्षेत्रों के विकास के लिये प्राथमिकता के आधार पर सहायता दी जानी चाहिए।

पूर्वी सीमा में धरती अतीव विषम है। पूर्व में हमारी समस्याएं पश्चिम की अपेक्षा अधिक व्यापक हैं। पूर्व और पश्चिम दोनों जगह पर्वतों जंगलों चश्मों तथा छोटे-छोटे टापुओं को ध्यान में रखते हुए हमें चुनौतियों को देखना है।

मैं महना चाहता हूं कि हमारी ओर निरन्तर प्रवसन के कारण केन्द्रीय सरकार चिन्तित है। हम समझते हैं कि यह अत्यन्त गम्भीर समस्या है। इस पर ध्यान देते हुए हमने पिछले 5-6 वर्षों के लिए हमने योजना बनाई है जिसके अन्तर्गत सीमा के साथ 2000 किलोमीटर सड़कों का निर्माण किया जायेगा। इसमें पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा असम और मेघालय सम्मिलित हैं। यह प्रश्न केवल सड़क निर्माण का ही नहीं है। यह प्रश्न हमारी संचार व्यवस्था में सुधार का तथा हमारी सीमा चौकियों के सुधार का तथा असम मैटर मेघालय में मूलभूत संरचना बनाये जाने का भी है। असम की 202 कि मी एवं मेघालय में 170 कि० मी० सीमा है। सड़कों के अलावा हम बाड भी लगानी होगी। इस बारे में भी हमें अपनी पश्चिमी सीमा की तरह हमें अपने सीमा क्षेत्रों का विकास करना पड़ेगा। चूंकि सबसे बड़ी सुरक्षा लोग ही दे सकते हैं अतः हमने भूतपूर्व सैनिकों को

[श्री अरुण नेहरू]

इन क्षेत्रों में बसने के लिए प्रोत्साहित किया है। हम राज्यों को सहायाता देने को इच्छुक हैं। चालू वर्ष में हमारा 40 करोड़ रुपए का बजट है परन्तु सातवीं योजना के दौरान हमने इस महत्त्वपूर्ण कार्य के लिए 200 करोड़ रुपए की व्यपस्था की है।

उत्तर सीमा पर भारत तिब्बत सीमा पुलिस को सुदृढ़ बनाया जा रहा है। हम इसका विस्तार कर रहे हैं। उन्हें अत्यन्त कठिन और दुर्गभ स्थानों पर कार्य करना होता हैं। कई सीमा चौकियां 13000 से 18000 फुट की ऊंचाई पर हैं। यह अत्यन्त कठिन कार्य है। तापमान —20 और —30 के बीच रहता है और इस बल का विस्तार करते समय हम उस ऊंचाई पर इसे उचित समर्थन दे रहे हैं तथा आवास तथा जीवन यापन की अच्छी सुविधाएं जुटाएंगे,

सीमा पर चौकसी तथा अर्ध सैनिक बल की संख्या बढ़ाने के हमारे सभी प्रयासों में सभी स्तरों पर प्राशिक्षण दिये जाने पर बहुत बल दिया जा रहा है।

मेरे पास बहुत सारे ब्यौरे हैं और मैं इस उम्बन्ध मैं उठाये गये अनेक प्रश्नों का उत्तर दे चुका हूं। मैं सभी प्रशिक्षण संस्थाओं का ब्यौरा नहीं दे रहा हूं किन्तु मैं यह महसूस करता हूं कि हमारे दलों की सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि हम उन्हें शीघ्रतापूर्वक भर्ती कर लेते हैं और उन्हें पर्याप्त प्रशिक्षण दिये बिना ही अल्प प्रशिक्षित रूप में ही युद्ध स्थल पर भेज दिया जाता है। सब प्रभार का विस्तार करने के साथ भविष्य में इस बात का ध्यान रखेंगे कि कम से कम 10 से 15 प्रतिशत अपने सैनिक बलों को निरन्तर प्रशिक्षण संस्थाओं में भेजा जाये जिससे वे दक्षता बढ़ा सकें।

अर्ध सैनिक बलों के सम्बन्ध मे हमने बेहतर संचार व्यवस्था के लिए एक पूरी योजना तैयार की है और उसका अधिकांश भाग लगभग कार्यान्वित किया जा चुका है। इसी प्रकार की कार्यवाही अस्त्रों और उपकरणों के सम्बन्ध में की जा रही है।

आवासीय सुविधाओं, स्कूल तथा चिकित्सा सम्बन्धी सुविधाओं के लिए भी हम पर्याप्त राशि नियत कर रहे हैं क्योंकि ऐसा करना अत्यधिक आवश्यक है। अधिकांश अर्ध सैन्य बलों की सबसे अधिक कठिनाई यह है कि सभी श्रेणियों के सैनिकों को लगभग हर समय ही अपने परिवारों से दूर सीमा पर रहना पड़ता है और इस प्रकार उनका जीवन बहुत ही कठिनाई से बीतता है। इसलिये हम उन्हें आवास वथा अध्यापन सम्बन्धी उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने का हर सम्भव प्रयास कर रहे हैं और मेरे विचार से यह एक बहुत ही महत्त्वपूर्ण पहलू हैं। उनकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं की ओर हम बहुत अधिक ध्यान देते हैं।

ऐसी ही स्थिति के० रि० पु० के सम्बन्ध में है। मुझे नहीं पता कि मुझे उन्हें केन्द्रीय रिजर्व पुलिस कहना चाहिए अथवा नहीं, क्योंकि गत दस वर्षों से वास्तव में उन्हें के० रि० पु० बने

रहने का अवसर नहीं मिला है, क्योंकि उन्हें लगातार राज्यों में तैनात किया जाता रहा है और मेरे विचार से बहुत ही कम ऐसे अवसर हो सकते हैं जबकि उन्हें के० रि० पु० के नाम से पुकारा जा सकता है। मेरे विचार से यह भी बहुत ही गम्भीर मामला है क्योंकि जैसा कि आपको पता है गत 8 या 10 वर्षों से के० रि० पु० जैसे बलों को वास्तव में कोई प्रशिक्षण नहीं दिया गया है और जब तक किसी व्यक्ति को प्रशिक्षित नहीं किया जाता है, तब तक उसे कठिन और चुनौती-पूर्ण स्थिति का मुकाबला करने में कठिनाई होती है। यदि इस प्रकार के विशेष अवसर के लिए प्रशिक्षण नहीं दिया गया तो वह लोगों का मुकाबला समुचित ढंग से नहीं कर पायेगा। उसके लिये किसी न किसी प्रकार के अनुशासन बनाए रखने की आवश्यकता है। यह बड़ी ही कठिन स्थिति है किन्तु अधिकांश राज्यों से दबाव पड़ते रहने के कारण गत 8 से 10 वर्षों से उन्हें प्रशिक्षण देने की उपेक्षा की जाती रही है।

इस बार पुनः हमने बहुत ही दृढ़ निर्णय लिया है कि उस बल के 15 प्रतिशत व्यक्तियों को किसी निश्चित अवधि के लिए प्रशिक्षण दिया जाए। इसके लिए हमने यह लिखा है कि जो अतिरिक्त बटालियनें बढ़ाई जा रही हैं, उन सबको प्रशिक्षण के लिए भेजा जा रहा है। मैं इस तथ्य का जान-बूझकर उल्लेख कर रहा हूं क्योंकि राज्यों को विदित है कि हमारे पास प्रशिक्षण की समुचित व्यवस्था है। इनकी सुविधा के लिए हमने विभिन्न राज्यों में प्रशिक्षण संस्थायें खोली हैं। किन्तु जब कभी कोई अवसर आता है तो हरेक व्यक्ति इस बात को भूल जाता है और कहता है कि हमारे पास बल भेज दें।

केन्द्रीय रिजर्व पुलिस ने पंजाब, आसाम तथा देश के विभिन्न भागों में होने वाले निर्वाचनों में बहुत ही उत्कृष्ट कार्य किया है और सदस्यों को यह सूचित करते हुए मुझे हर्ष होता है कि कुछ ही दिनों में महिला बटालियनें भी कार्य करने लगेंगी।

हमने भूतपूर्व सैनिक एसोसिएशनों से भी के० रि० पु० में भर्ती होने का अनुरोध किया है क्योंकि भविष्य में हमारी विस्तार की बड़ी योजना है और हम उसमें निश्चित रूप से यथा सम्भव भूतपूर्व सैनिकों को भर्ती करने की चेष्टा करेंगे।

जहां तक राज्य पुलिस बलों का संबंध है, मुझे पता है कि यह विषय राज्य से सम्बन्धित है। किन्तु यदि हम इसके बारे में वर्तमान स्थिति और भविष्य में किए जाने वाले सुधारों को प्रदर्शित नहीं करते तो हम अपने कर्त्तव्य का पालन नहीं कर पायेंगे।

हाल ही में हमने राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो का गठन किया है और इसका मुख्य कार्य सूचना का समन्वय करना है जिससे कि राज्यों को अपराधों का पता लगाने के कार्य में सुगमता हो। इस प्रयोजन के लिए हम कम्प्यूटरों का अत्यधिक प्रयोग कर रहे हैं। गत कुछ वर्षों के दौरान अनेक राज्यों में कम्प्यूटर लगा लिये हैं। किन्तु मुझे इस बात का डर है कि उनमें से अनेक राज्य उनका उन प्रयोजनों के लिए इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, जिनके लिए उनको लगाया गया है...... **(व्यवधान)** मैं अलग-अलग राज्य का नाम नहीं बताना चाहता हूं किन्तु यह सच है कि अपराधों

[श्री अरुण नेहरू]

का पता लगाने के लिए फोटोग्राफ, उंगलियों के निशान जैसी आधारभूत सामग्री की आवश्यकता होती है और दुर्भाग्यवश इसका अभाव है।

2.00 म० प०

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : उसे कम्प्यूटर के माध्यम से किया जा सकता जा सकता है।

श्री अरुण नेहरु : जी हां किया जा सकता। ठीक है, जहाँ आवश्यक होगा, वहां कम्प्यूटर इस्तेमाल करना होगा। **(व्यवधान)**

हमारे पास साफ्ट वेयर तथा अन्य वस्तुएं हैं। मूलतः इरादा यह है कि हमारा यहां एक अपराध अभिलेख ब्यूरो होना चाहिये जहाँ जब चाहे, जिस राज्य भी चाहे, उसकी जानकारी चंद घंटों में दी जा सके।

श्री सोमनाथ चटर्जी : मैं अपनी जानकारी के लिये चाहता था **(व्यवधान)**

श्री अरुण नेहरु : इस पर आपको जानकारी देने के लिये, सोमनाथ जी, हमें अलग से एक टिप्पणी भेजनी होगी। मैं उसे बताना नहीं चाहता हूं। वास्तविकता यह है कि अनेक बातों की संभावनायें बनी रहती हैं।

अब जिस मुद्दे के बारे में मैं बताने की चेष्टा कर रहा था वह यह है कि जब तक यथार्थ जानकारी एक राज्य से दूसरे राज्य को नहीं दी जा सकती तब तक अपराधियों को पकड़ना बहुत ही कठिन है जब तक अपना मूल भूत ढांचा निम्न स्तर पर ठीक नहीं होगा तब तक शीर्षस्थ स्थान पर योजना बनाने से क्या फायदा नहीं। हम आये दिन संगोष्ठी उपकरणों, आधुनिकीकरण आदि की बात करते रहते हैं किन्तु हमें देखना यह है कि थाना में ही स्वयं कुछ न कुछ किया जाये। जब तक मूलतः आप अपना थाना ठीक नहीं रख सकते हैं, तब तक हवाई किले बनाने का कोई औचित्य नहीं है क्योंकि दैनिक गति विधियां वहीं होती हैं। मुझे यह कहने में कोई हिचक नहीं है कि राज्यों में इस समय जो स्थिति है उससे हम जरा भी प्रसन्न नहीं हैं। हम प्रशिक्षण सुविधाओं पर बहुत जोर दे रहे हैं। राज्यों के पास जो सुविधायें उपलब्ध हैं, उनके अलावा हमने उन्हें वे सभी सुविधाएं उपलब्ध करा दी हैं, जो हमारे पास उपलब्ध हैं। हाल ही में हमने एक विशेष कमांडो स्कूल आरम्भ किया है। हमने सभी राज्यों से अनुरोध किया है कि वे अपने यहां के लोगों को विशेष प्रशिक्षण के लिए भेजें। यह प्रशिक्षण निजी सुरक्षा अधिकारियों चालकों रेंजरों, कान्सटेबिलों और हरएक के लिए है।

श्री जी० जी०स्वेल (शिलांग) : संसद सदस्यों को भी मौका मिलना चाहिये।

(व्यवधान)

श्री अरुण नेहरु : मुझे कोई अपत्ति नहीं है।

प्रो० मधु दंडवते : ऐसा मत कहिए। यदि आप उन्हें कमांडो का प्रशिक्षण देंगे तो वे शून्य काल के दौरान कहर ढा देंगे।

प्रो० जी० जी० स्वैल : केवल अप्रशिक्षित लोग कहर ढायेंगे।

श्री अरुण नेहरू : राज्यों के साथ राज्यों के पुलिस बल का आधुनिकीकरण करने के लिए केन्द्र के पास भी पर्याप्त धन है। हम निधि बढ़ाने की चेष्टा कर रहे हैं। इसके अलावा, मेरे विचार से इस विधि का समुचित ढंग से उपयोग करने के लिए राज्यों को बहुत कुछ पहल करनी होती है। मैं ऐसे राज्यों का नाम नहीं लेना चाहता हूं। किन्तु ऐसे अनेक राज्य हैं जिन्हें विकरणियों और अपेक्षित योजनायें न लौटाने के कारण धन नहीं मिल पाया है।

श्री वी० किशोर चन्द्र एस० देव (पार्वतीपुरम) : पश्चिम बंगाल के बारे में क्या है? (व्यवधान)

श्री अरुण नेहरू : मैं कह चुका हूं कि मैं पश्चिम बंगाल के विरुद्ध एक भी शब्द नहीं कहूंगा।

श्री सोमनाथ चटर्जी : यह तो एक सामान्य बात है।

श्री अरुण नेहरु : किन्तु मेरे विचार से इन सभी बातों को लेते हुए, मुख्य बात यह है कि राज्यों के पुलिस बलों को व्यावसायिक ढंग से अपना कार्य करनी की अनुमति देनी ही होगी?

श्री शरत देव (केन्द्रपाड़ा) : राजनैतिक हस्तक्षेप के बिना।

श्री अरुण नेहरु : मैं राजनीति अथवा और किसी बात के बारे में कुछ भी नहीं कह रहा हूं। बिना किसी हस्तक्षेप के व्यवसाय में निपुण होने की भावना आनी चाहिये। सारा प्रश्न स्थानान्तरण का है। आप जानते हैं कि दो महीने में स्थानान्तरण किए जाने से पुलिस पर अच्छा प्रभाव नहीं पड़ता है। इसके अलावा पुलिस बल अच्छे काम भी कर दे तो कोई उसे श्रेय नहीं देता। यदि कोई गलती हो जाती है तो हर व्यक्ति उसकी आलोचना करने लगता है। दुःख की बात है कि राज्यों में इस पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता। मैं तो यह भी कहूंगा कि हमने भी इस बात पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया है। यदि कोई बात खराब हो जाती है, तो क्यों खराब होती है? हम इस बात पर भी ध्यान देते हैं कि हमने पुलिस को क्या-क्या सुविधायें दे रखी हैं।

आवास की स्थिति खेदजनक है। आवास सुविधा बिल्कुल भी नहीं है। उन्हें कोई प्रशिक्षण नहीं दिया जाता और एक दिन अचानक उनसे कह दिया जाता है कि उन्हें अमुक कार्य करने हैं। यदि हम आशा करते हैं। कि पुलिस अच्छा कार्य करे तो हमें केन्द्र तथा राज्य दोनों स्तर पर यह सुनिश्चित करना होगा कि उन्हें अपने व्यवसाय में निपुण बनाने के लिये हम क्या कर सकते हैं।

[श्री अरुण नेहरू]

मेरे विचार से राज्यों में बहुत सारे कार्य किये जा सकते हैं। मेरे विचार से, एक महत्त्वपूर्ण बात तो यह है कि पुलिस के कार्य में हस्तक्षेप नहीं होना चाहिये। प्रायः यह होता है कि एक अच्छे अधिकारी को उस कार्य के लिए उत्तरदायी ठहराया जाता है जो उसे अपना कर्त्तव्य पालन करते समय करना पड़ता था। हो सकता है कि यह 'क', 'ख', और 'ग' के अनुकूल न हो किन्तु व्यावसायिक दृष्टि से वह अपना कर्त्तव्य पालन कर रहा है और उसकी सुरक्षा होनी चाहिए और उसको समर्थन मिलना चाहिये।

श्री शरत देब : बशर्ते कि आपके मुख्य मंत्री उसका पालन करें।

श्री अरुण नेहरू : मेरे विचार से इसका सम्बन्ध सभी मुख्य मंत्रियों से न हमारे या आपके तथा सभी राजनैतिक लोगों से है चाहे वे निर्वाचित होते हैं अथवा नहीं।

(व्यवधान)

अत्यधिक चिंता की दूसरी बात है विदेशी अंशदान, जो हमें मिल रहे हैं इसके बारे में किसी भी माननीय सदस्य ने कोई भी बात अभी तक नहीं उठाई है·········

श्री सोमनाथ चटर्जी : मेरा यही एक प्रमुख मुद्दा था किन्तु मैं इसके बारे में कह ही नही सका।

श्री अरुण नेहरू : मैं वह आपके लिए कर दूंगा, मुझे कोई परेशानी नहीं होगी।

मोटे तौर भारत में 200 करोड़ रुपये हर साल आ जाते हैं। इसमें कोई भी संदेह नहीं है कि बहुत सारे अच्छे काम किये जा रहे हैं। मैं यह भी नहीं कहूंगा कि लोग इसका सही ढंग से उपयोग नहीं कर रहे हैं किन्तु इसके साथ ही हमें इसके बारे में अधिक ध्यान पूर्वक और सावधानी पूर्वक सोचना होगा। हम इस बात की छान-बीन कर रहे हैं और हम पाते हैं कि ऐसे अनेक लोगों के पास व्यक्तिगत रूप से धन आ रहा है; जिनका वास्तव में किये जा रहे कार्य से कोई सम्बन्ध नहीं है। मैं उन व्यक्तियों, राज्यों अथवा एशोसिएशनों का नाम नहीं बताना चाहता हूं। किन्तु हमने प्रति बंधात्मक सूची में 14 बड़े प्राप्त कर्त्ताओं के नाम दर्ज कर लिये हैं। हम उनके मामलों की छानबीन कर रहे हैं। इस समय मैं सभा को केवल यही आश्वासन देना चाहता हूं कि हम इस मामले को बड़ी गंभीरता से ले रहे हैं। मैं आपको आश्वासन दे सकता हूं कि······

श्री एस० जयपाल रेड्डी : मैं एक बात कहना चाहता हूं। इस सम्बन्ध में जो कानून बना हुआ है वह मौलिक रूप से स्वयं ही कमजोर है। इसे सशक्त बनाने के लिए कानून में संशोधन करने की आवश्यकता है।

श्री अरुण नेहरू : हम उस सम्भावना को भी देख रहे हैं। मैं इस सभा को आश्वासन देना

चाहता हूं कि हम कठोर कार्यवाही कर रहे हैं और जब तक वैध औपचारिकतायें पूरी नहीं हो जाती हैं, तब तक हम अन्तरिम रूप में कठोर कार्यवाही कर रहे हैं; हम बहुत लोगों से अनेक परेशानी वाले प्रश्न पूछ रहे हैं। हमने उन्हें प्रतिबंधात्मक सूची में दर्ज कर लिया है……

श्री सोमनाथ चटर्जी : बिना भेदभाव के ?

श्री अरुण नेहरू : बिना भेद भाव के। जैसा कि मैं कह चुका हूं। ऐसे सैंकड़ों छोटे-मोटे संगठन हैं। जो बहुत ही अच्छा कल्याणकारी कार्य कर रहे हैं। हमें उन दोनों को एक साथ जोड़ने की चेष्टा नहीं करनी चाहिये। वास्तव में हमें इस बात को सुनिश्चित करना है कि क्या इस धन का उपयोग जाति या धर्म का भेदभाव किये बिना मूलभूत शिक्षण के लिए किया जा रहा है अथवा क्या इस धन का उपयोग जन जाति क्षेत्रों में परिवर्तन लाने के लिए किया जा रहा है। हमें इन सब बातों की पूरी तरह से जांच करनी चाहिये।

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल व्यास (भीलवाड़ा) : कंस्ट्राम्टिव धर्म के लिये जो पैसा भेजा जाता है, उसकी जानकारी करें कि क्या हो रहा है ?

श्री अरुण नेहरू : कस्ट्रम्टिव वर्क को डिफाइन करना पड़ता हैं। (**व्यवधान**)

[**अनुवाद**]

यह प्रश्न-उत्तर काल नहीं है। माननीय सदस्य अपनी बात बाद में कह सकते हैं।

मैं यह भी जानना चाहूंगा कि हम भी गृह मन्त्रालय में हवाई अड्डों, जेलों और रेलवे में कार्य एक अधिक कारगर सुरक्षा प्रणाली के लिए कार्य कर रहे हैं, क्योंकि बहुत वर्षों से यह होता रहा है कि वहां बहुत सारी एजेंसियां कार्य करती रही हैं, जिनके ऊपर कोई विशेष जिम्मेदारी नहीं होती जिसके लिए उन्हें उत्तरदायी ठहराया जाए। उनमें थोड़ा समय तो लगेगा किन्तु इस क्षेत्र में हम अपनी सतर्कता बढ़ा रहे हैं।

समग्र कानून और व्यवस्था के सम्बन्ध में माननीय सदस्यों ने त्रिपुरा और मेघालय के बारे में प्रश्न उठाया है। अब, कानून और व्यवस्था की स्थिति ऐसा कोई मामला नहीं है जिस पर हम अलग से विचार करें कि कोई एक व्यक्ति का या केन्द्र अथवा राज्य इसे पैदा कर रहा है। मेरे विचार से समग्र नीतियों के बारे में बहुत कुछ करना होगा जिसका कोई अनुसरण कर रहा है अथवा उसके सम्बन्ध में व्यक्तिगत प्रशासनिक कार्यवाही भी की जा सकती है। कोई भी स्थिति एक रात में उत्पन्न नहीं हो जाती अपितु ऐसी स्थिति के विकसित होने में समय लगता है। त्रिपुरा के बारे में हम विस्तृत चर्चा कर चुके हैं। इसके बारे में मुख्यमन्त्री से व्यक्तिगत रूप से विस्तृत विचार-विमर्श कर चुका हूं। हमने उन्हें हर प्रकार की सहायता करने का वायदा किया है। हम

[श्री अरुण नेहरू]

उन्हें और अधिक सुरक्षा बल दे चुके हैं और मैं माननीय सदस्यों को आश्वासन दे सकता हूं कि यह कार्य तो कांग्रेस दल के कार्य का ही अंश हैं जो कांग्रेस दल को करना है किन्तु मेरा विचार है कि उनकी ओर से मैं कह सकता हूं कि जहां तक टी० एन० वी० के साथ निपटने का सम्बन्ध है उदासीनता का दृष्टिकोण अपनाने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। मैं केवल त्रिपुरा की बात नहीं कर रहा हूं। आप भारत की समस्त जनजातीय पट्टी को ले लें चाहे वह त्रिपुरा में हो या गुजरात में अथवा मध्यप्रदेश में हो या उत्तर प्रदेश में। बात यह हैं कि समस्यायें वहीं क्यों हैं ?

यह क्या बात है कि लोग वहां जाते हैं, बहुत से विदेशी मिशनरियां वहां कार्य कर रहे हैं, बहुत से उग्रवादी किस्म के कट्टर वामपंथी संगठन वहां कार्य कर रहे हैं ? सामान्य स्थिति बिगड़ी हुई है। यह क्यों हुआ है ? मैं समझता हूं कि इन सभी स्थानों में जनसंख्यिकीय पैटर्न को देखने पर हल मिल सकता है। बहुत से मामलों में उनकी जमीनें ले ली गई हैं। उनकी अजीविका उनकी भाषा, रीति-रिवाज और संस्कृति को भी खतरा पैदा हो गया है। समस्यायें ज्यादातर आर्थिक हैं। हम इस मामले को राज्यों के साथ उठा रहे है।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : हमें प्रसन्नता है कि फिर भी उन्होने उसे उस रूप में तो लिया।

श्री अरुण नेहरू : हमने अपना दृष्टिकोण नहीं बदला है। हमने इस सम्बन्ध में ठोस कार्य-वाही करने हेतु अपने में से ही कुछ लोगों को लेकर एक समिति बनाई है। हम समझते हैं कि बहुत कुछ किया जाना है और शीघ्रताशीघ्र कार्यान्वित भी किया जाना है। हमने मुख्य मंत्री से निवेदन किया है कि वह भी इस पर ध्यान दें, क्योंकि यह समस्या अभी उभर रही है।

वास्तव में आन्ध्र प्रदेश में काफी संख्या में घटनाएं घटी हैं। त्रिपुरा में भी हुई हैं। यह आन्ध्र प्रदेश या त्रिपुरा का सवाल नहीं है। यह आदिवासियों के प्रति समग्र दृष्टिकोण और नीतियों को अपनाने का प्रश्न है।

केन्द्र सरकार के पास कई योजनाएं हैं। परन्तु हमें, यह सुनिश्चित करना है कि क्या राज्य उन योजनाओं को कार्यान्वित कर रहे हैं या क्या उन योजनाओं का लाभ नीचे तक मिल रहा है। जैसाकि हम देखते हैं उन योजनाओं का वहां असर नहीं हो रहा है। यदि ये योजनाएं ठीक प्रकार से कार्यान्वित की जाती हैं, यदि उनके लिए नियत किया गया धन ठीक प्रकार से खर्च किया जाता है तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि ये समस्या जितनी आज है उतनी नहीं रहेगी।

इसलिए कानून और व्यवस्था की समस्या ऐसी समस्या नहीं है जो अचानक उत्पन्न हो जाती है। पंजाब में समस्यायें हैं। सौभाग्य से हम असम में ठीक प्रकार से शान्तिमय चुनाव करा

सके हैं। परन्तु, यहां मैं पुनः कहूंगा । कि असम में असम गण संग्राम पार्टी की सरकार पर यह अधिक निर्भर करता है। यदि भविष्य में कोई निर्णय लिए जाते हैं और चूंकि राज्य सरकारें निर्णय लेने में पूर्णतः सक्षम हैं और ये निर्णय यदि साम्प्रदायिक विभाजन या साम्प्रदायिक भावनाओं को पैदा करते हैं तब यह बहुत कठिन स्थिति होगी। महोदय, मैं नहीं समझता कि इस समस्या को यदि आपस में दरार पड़ जाती है तो कई कम्पनियां या बटालियनें उसे सुलझा सकेंगी।

ये मूल क्षेत्र हैं जिन पर हम सबको इकट्ठा सोचना है। यह जनता पार्टी या भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस या भारतीय साम्यवादी दल (मार्क्सवादी) का प्रश्न नहीं है। ये वे मुद्दे हैं जिन्हें हम नियन्त्रित कर सकते हैं, यदि हम सब एक होकर धर्म निरपेक्ष समाज बनाने के लिए कार्य करें।

इसके अतिरिक्त साम्प्रदायिक समस्याओं के बारे में बहुत कुछ कहा गया है। मैं यहां इस बात का उल्लेख करना चाहूंगा साथ मैं नहीं जानता कि वास्तव में यह सामान्य लोगों में है कि अधिकांशतः बड़े और छोटे नेताओं द्वारा, जो कि प्रतिष्ठित पदों पर भी हैं, भड़काने वाले भाषण दिए जाते है।

यह प्रत्येक व्यक्ति के लिए, दल या संगठन के लिए एक ऐसी बात है ताकि वे अपने ऊपर ही अनुशासन लागू करें। यदि आप जानते हो, कि होली आ रही है और यदि किसी समुदाय से कोई व्यक्ति इसकी पूर्व संध्या पर निकलना चाहता है और हिंसा भड़काना चाहता है, इससे क्या जाहिर होता है और फिर यह चिल्लाते और कहते हुए आता है कि हिंसा फैल रही है तो मैं समझता हूं कि यह सबसे बड़ा ढोंग है। यदि हम दूसरों को भाईचारे का उपदेश देना चाहते हैं तो मैं समझता हूं कि यह उचित समय है जब हमें स्वयं इसका पालन करना आरम्भ कर देना चाहिये। यहां मैं पुनः सभी दलों से निवेदन करूंगा कि यदि हम इस प्रकार की बातों का बाहर उपदेश देते हैं, तो हमें स्वयं यह स्पष्ट करना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि यदि नेतृत्व के स्तर पर चाहे वह मध्यम स्तर पर हो या खंड नेतृत्व पर हो या ग्रामीण नेतृत्व के स्तर पर हो— यदि यह संदेश दिया जाये तो मैं नहीं समझता हूं कि कोई समस्या रहेगी। मुट्ठी भर लोग हैं, जो इस समस्या को पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। अधिकांशतः लोगों ने कभी भी इस पर प्रतिक्रिया नहीं की है।

एक माननीय सदस्य ने नागालैण्ड के सम्बन्ध में उल्लेख किया है। महोदय, मैं उल्लेख करना चाहूंगा कि काफी सालों से भारतीय पुलिस सेवा के संवर्ग की चर्चा की गई है, मुख्य मन्त्री ने इसे कार्यान्वित करने के लिए ठोस कदम उठाए हैं। भारतीय पुलिस सेवा संवर्ग नागालैंड में कोई नया नहीं है, क्योंकि सभी पूर्वोत्तर राज्यों में भारतीय पुलिस संवर्ग हैं; यह बहुत अच्छी बात है कि विभिन्न राज्यों के सभी सम्प्रदायों के लोग आपस में मिलते-जुलते हैं। मैं समझता हूं कि यदि भारतीय पुलिस सेवा संवर्ग शुद्ध होता है तो नागालैंड को बहुत लाभ होगा। दूसरी ओर से सेना की सीमा 5 कि० मी० से 20 कि० मी० तक बढ़ रही है। यह मूलतः एन० एस० सी० एन० से निपटने

[श्री अरुण नेहरू]

के लिए किया गया। हम इस बात को स्वीकार करते हैं कि गांवों में रह रहे लोग तकलीफ में हैं परन्तु साथ ही हमें सुरक्षा के समस्त पहलुओं पर ध्यान देना है और यह इस वक्त आवश्यक समझा जा रहा है।

मैं यहां यह भी उल्लेख करना चाहूंगा कि इस मामले में बर्मी और बंगलादेशियों के हाथ होने का कुछ जिक्र किया गया है। हमारे पास इसे मानने के लिए कोई ठोस सबूत नहीं है। परन्तु हमने इस मसले के बारे में दोनों सरकारों से चर्चा की है। उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि वे पूर्ण सहयोग देंगे। वास्तव में हमारे दलों ने इस मामले में उनसे चर्चा की है।

महोदय, मैं एक बार फिर जिक्र करना चाहूंगा कि जहाँ तक कानून और व्यवस्था का सम्बन्ध है यह ठीक न होगा कि हम आंकड़े उद्धृत करें और यह दिखाएं कि इसमें वृद्धि हुई है या कमी आई है। मौत मौत ही है। एक भी मौत का होना सबसे बुरी बात है। परन्तु मैं पुनः कहूंगा कि यदि इससे होने वाली कानून और व्यवस्था की समस्या और मौतों का गहरा विश्लेषण किया जाये तो हमें ज्ञात होगा कि ये साधारणतया हमारी स्वयं की अपनी ही उपज है। इसलिए मैं दुबारा सभा से निवेदन करूंगा कि निकट भविष्य में हमारे लिए प्रमुख समस्यायें, प्रमुख खतरे समुदायों के आपस में लड़ने तथा साम्प्रदायिक रूप से विभाजित होने से हैं। हमारी सबसे बड़ी शक्ति यह है कि हम एक राष्ट्र हैं। हम धर्म निरपेक्ष हैं—इसे ही हमारे दुश्मन समाप्त करना चाह रहे हैं। यही खेल वे 1000 सालों से खेलते आ रहे हैं। यदि आप भारयीय इतिहास को पढ़ें तो पायेंगे कि हमारे लोग आपस में लड़ते रहे हैं और उन्हें गुलामी झेलनी पड़ी है। हम सब को इसे गम्भीर रूप में लेना चाहिए और हमें अपनी ओर से जितनी कोशिश हो सकती है करनी चाहिए।

2.17 म० प०

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

श्री एम० एम० पटेल (साबरकंठा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं राज्य मंत्री श्री अरुण नेहरू को उनकी टिप्पणियों पर बधाई देना चाहूंगा।

श्री सोमनाथ चटर्जी : बहुत अच्छी बात कही है।

श्री एम० एम० पटेल : मैं जो बहुत से मुद्दे उठाना चाहता था वे स्पष्ट कर दिये हैं। इससे भी अधिक उनकी स्पष्टता, भावना और दृष्टिकोण वास्तव में बहुत प्रशंसनीय है और मैं उन्हें उसके लिए बधाई देता हूं।

महोदय, यह इस मुद्दे पर भी प्रकाश डालता है। गृह मंत्रालय की 1985-86 की रिपोर्ट सक्षिप्त होने के कारण प्रशंसनीय है। संक्षिप्त होने के कारण यह प्रशंसा के लायक तो है ही, परन्तु यह ध्यान रखा जाना चाहिए कि इसका यह अर्थ नहीं है कि जो कुछ भी अधिकाधिक

कहा जाना चाहिए था वह नहीं कहा गया है । बहुत सी बातें, जो उन्होंने आज कहीं, इस रिपोर्ट में शामिल की जानी चाहिए थीं। उन्हें क्यों सम्मिलित नहीं किया गया ? यही जानकारी देनी चाहिए थी ।

श्री सोमनाथ चटर्जी : जानकारी की कमी है ।

श्री एच० एम० पटेल : केवल एक ही मुद्दा है, कि क्या यह गृह मंत्रालय द्वारा किया जाना चाहिए ? रक्षा मंत्रालय ने यह कहा है कि वहां वर्गीकृत दस्तावेज हैं, इत्यादि और इस प्रकार इसे हमेशा बताना सम्भव नहीं होता है । परन्तु मैं समझता हूं कि यही तर्क शायद गृह मंत्रालय पर भी लागू होता है, क्योंकि वे आन्तरिक सुरक्षा से सम्बन्धित हैं और वहां बहुत से नीति सम्बन्धी मामले होते हैं जिन्हें वे स्वीकृत करते हैं तथा वे नहीं चाहते कि इन्हें जनता को प्रकट किया जाये। परन्तु कौन-सी जनता ? क्या भारत के लोग आन्तरिक सुरक्षा से सम्बन्धित इन प्रश्नों में रुचि नहीं लेते हैं? जो कुछ भी श्री अरुण नेहरु ने अभी कहा है । वह कुछ अतिरिक्त स्पष्टीकरण के साथ रिपोर्ट में शामिल किया जा सकता था । इससे पता लगता है कि कैसे गृह मंत्रालय आगे बढ़ना चाहता है । इसका क्या दृष्टिकोण और कार्य प्रणाली है जिसके द्वारा यह इन समस्याओं को सुलझाना चाहता हैं। मुझे यह समझ में नहीं आता कि किस प्रकार इससे हमारी आन्तरिक सुरक्षा को खतरा होता है ।

फिर भी रिपोर्ट में इन बातों को सम्मिलित न किये जाने के चाहे कोई भी कारण रहे हों, मुझे प्रसन्नता है कि राज्य मंत्री ने अब इन बातों को बताया है । उदाहरण के लिए, आप इस पर विचार करें। लोग किस कारण असंतुष्ट होते हैं ? उदाहरण के लिए आपके पास एक ऐसी चीज है जिस पर गृह मंत्रालय को गर्व होना चाहिए । मैं नहीं समझता कि उन्होंने क्यों इसका कोई जिक्र नहीं किया । मैं उनकी सर्वाधिक उपलब्धता के सम्बन्ध में कुदाल आयोग का जिक्र कर रहा हूं । हमें किसकी तलाश है ? आप इस आयोग के विचारार्थ विषयों पर ध्यान दें। उन्होंने चार वर्ष लगाये हैं। इन चार वर्षों में उन्होंने क्या खोजा है ? कितना धन खर्च किया गया है और क्या सुझाव उन्होंने दिये हैं और वे कितने उपयुक्त हैं ? अभी श्री अरुण नेहरू ने विदेशी चंदा का जिक्र किया है । क्या आपके मन में कोई संदेह है कि गांधी शान्ति प्रतिष्ठान, गांधी स्मारक निधि आदि विदेश से जो चंदा प्राप्त करते हैं उसकी आपको कोई जानकारी नहीं है । वास्तव में, आप सभी जानकारी जिनकी आपको इस सम्बन्ध में आवश्यकता होती है, प्राप्त करते हैं और जहां तक इन संगठनों का सम्बन्ध है, मैं लोक सभा के संकल्प का जिक्र करूंगा । लोकसभा संकल्प यह था कि—"यह सभा सरकार से सिफारिश करती है कि महात्मा गांधी के नाम पर धब्बा लगाने वाला कोई कार्य······" यह समझा जाता है कि यह कुदाल आयोग ने जो अभी तक अपना कार्य कर रहा है, महात्मा गांधी के नाम पर कुछ अधिक करने की बजाय धब्बा लगाया है ? इन चार संगठनों में विशेषकर जिनका आपने उल्लेख किया है कौन से कर्मचारी हैं ? ये चार संगठन ही अकेले नहीं हैं, परन्तु इसमें आपने यह और जोड़ दिया है कि "इन चार संगठनों से सम्बद्ध

[श्री सोमनाथ चटर्जी]

कोई और संगठन" जिसके परिणाम स्वरूप यह असाधारण आयोग अब चार वर्षों के उपरान्त यह कहता है कि ऐसे हजारों संगठन हैं जिनकी उन्हें जांच करनी है।

उपाध्यक्ष महोदय, आश्चर्य की बात है कि क्या यह आयोग एक सौ वर्ष तक कार्य करना चाहता है या कुछ और ? जब लोक सभा में इस सम्बन्ध में संकल्प पारित किया था तब सरकार ने आयोग नियुक्त करने का फैसला किया था यह कहा गया कि इसे छह माह के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी। तब से कितने छह महीने बीत गये हैं ? कितना अधिक समय आप इसे और देंगे ? क्या इसका कोई अन्त है ? क्या सरकार का काम यह देखना नहीं है कितना कार्य किया जा चुका है और क्या यह आवश्यक है कि इस आयोग का कार्य काल बढ़ाया जाये और यदि हां, तो किस उपलब्धि के लिए ? मैं समझता हूं कि सरकार इस सभा तथा देश के लोगों के प्रति इस बात के लिए वचनबद्ध है कि वह स्पष्टत: यह कारण बताये कि यह क्यों जरूरी समझा गया कि इस आयोग का कार्य काल बढ़ाया जाये ! इसे तो यह कहना चाहिए कि इस आयोग का गठन उचित है और इससे ये उपलब्धि हुई है और इसीलिए इसका कार्यकाल बढ़ाने की आवश्यकता है। आप ऐसा कहें। परन्तु आप यदि ऐसा कहने में असमर्थ हैं तब मैं सुझाव देता हूं कि आपको इमानदारी से इतना तो स्वीकार करना चाहिए और कहना चाहिए कि यह आपकी गलती थी और मैं समझता हूं कि चाहे जो कुछ भी हो इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता है कि यदि आप इसे इमानदारी से देखें तो आप किसी और निर्णय की बजाय उसी निर्णय पर पहुंचेगे और इसीलिए मैं सुझाव देता हूं कि आप इस मामले पर गम्भीरता से विचार करें और इस देश तथा स्वयं सरकार के नाम पर लगे बड़े धब्बे को दूर करने के लिए कुछ िया जाना चाहिए। आप साम्प्रदायिक स्थिति तथा विभिन्न दूसरी स्थिति में सुधार लाना चाहते हैं। क्या आप इस स्थिति से पीड़ित उन लोगों को अनावश्यक रूप से परेशान करके सुधार लाना चाहते हैं जो कि देश के लिए निष्कपट रूप से अच्छा कार्य कर रहे हैं, तथा अपने कार्य के प्रति समर्पित हैं। जो कुछ भी हो इस देश में निष्ठावान लोगों की कमी है। आप इस तरह से उन्हें क्यों परेशान करना चाहते हैं ?

प्रो० मधु दंडवते : उन्होंने यह श्री जयप्रकाश नारायण की प्रतिष्ठा को बिगाड़ने के लिए किया है।

श्री एच० एम० पटेल : परन्तु इस प्रक्रिया में उन्होंने कई अन्य चीजों पर भी दाग लगाया है।

श्री एस जयपाल रेड्डी : आखिरकार उन्होंने स्वयं पर ही धब्बा लगाया है।

श्री एच० एम० पटेल : मुझे प्रसन्नता है कि श्री अरुण नेहरू ने अपने लोगों को प्रशिक्षण देने की महत्ता का जिक्र किया है। इस तथ्य का जिक्र उन्होंने भारत-तिब्बत सीमा बल की पुलिस चौकियां बनाने के सम्बन्ध में किया। परन्तु यह समस्त बल पर लागू होता है चाहे यह कहीं थे।

राष्ट्रीय पुलिस आयोन का गठन किया गया था और इसने कई रिपोर्टें पेश की हैं। मन्त्रालय की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार इसकी सिफारिशें अभी तक विचाराधीन हैं। सिफारिशें ऐसी हैं जो कि शीघ्रातिशीघ्र स्वीकृत की जानी चाहिएं और बहुत तेजी से लागू की जानी चाहिए। उन्होंने कहा है कि कानून और व्यवस्था राज्य का विषय है। परन्तु गृह मंत्रालय भी कानून और व्यवस्था के लिए प्रमुख मन्त्रालय है किन्तु किस प्रकार से यह वास्तव में देश में कानून और व्यवस्था के लिए जिम्मेदार हो सकता है जब तक कि यह मन्त्रालय यह सुनिश्चित न कर ले राज्यों के पुलिस बल भी कार्य कुशल है ?

आज आप इन बलों के उत्थान और आधुनिकीकरण के लिए बड़ी धनराशि स्वीकृत कर रहे हैं। क्या आपके पास ऐसा कोई तंत्र है जो यह देखें कि जो धन आप राज्य सरकारों के पुलिस बलों के आधुनिकीकरण तथा उन्हें अधिक कुशल बनाने के लिये दे रहे हैं उसका उसी प्रकार से इस्तेमाल हो रहा है जैसाकि होना चाहिए ? क्या वे इस बारे में कोई प्रतिवेदन देते हैं ? आपके दृष्टिकोण के अनुसार यह बहुत ही महत्त्वपूर्ण है। सैन्ट्रल रिजर्व पुलिस को राज्यों की सहायता के लिये बुलाया जाता है और जैसाकि श्री अरुण नेहरू ने अभी भी बताया है कि सैन्ट्रल रिजर्व पुलिस को ठीक से प्रशिक्षण एवम् नवीन पाठ्यक्रम की उनके लिए व्यवस्था करना सम्भव नहीं है क्योंकि सी० आर० पी० एफ० की मांग बहुत अधिक है। इन सबकी आवश्यकता नहीं होती अगर पुलिस बलों को वास्तव में अच्छा प्रशिक्षण, अच्छे हथियार दिये जाते अच्छी प्रकार से उनकी व्यवस्था की जाती, एवं उनका मनोबल ऊंचा होता। आप यह कैसे सुनिश्चित करेंगे कि उनका मनोबल ऊंचा रहे ? ऐसा व्यवहार करके नहीं जैसा कि उनके साथ किया जाता है। इन सब मामलों पर गौर किया जाना चाहिये और केन्द्रीय सरकार को इसके प्रति अधिक चिंतित रहना चाहिये।

मैं जानता हूं कि बार-बार हर व्यक्ति यही कहता है कानून और व्यवस्था राज्य का विषय है। जब आपको किसी प्रश्न का उत्तर देने में असुविधा होती है तो आप कह देते हैं कि यह राज्य का विषय है। परन्तु जब ऐसी स्थिति नहीं होती है तो पश्चिम बंगाल की कानून व्यवस्था पर चर्चा की जा सकती है और बिना किसी व्यक्ति के कहने पर भी उसका हवाला दिया जाता है। एक माननीय सदस्य जो आज बोले थे उन्होंने पश्चिम बंगाल की कानून व्यवस्था के बारे में क्यों बोला ?

मैं स्वयं समझता हूं कि कानून और व्यवस्था एक अखिल भारतीय विषय है। चूंकि वे राज्य सरकारें हैं इसलिये कानून व्यवस्था सीमाओं पर ही समाप्त नहीं हो जाती। प्रत्येक राज्य में कानून और व्यवस्था के प्रशासन के बारे में एक अखिल भारतीय दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। जब मैं यह कहता हूं तो यह कुछ अजीब सा लगता है। परन्तु इस विषय पर राज्य के अधिकार पर कब्जा किये बिना भी इस सम्बन्ध में जिन मामलों में आपकी रुचि हो उन पर केन्द्र के दृष्टिकोण से देखना भी बहुत ही महत्त्वपूर्ण है। कानून और व्यवस्था की कुशल व्यवस्था में केन्द्र की रुचि होनी चाहिये।

इसके बारे में सिर्फ इस बात के सिवाय और अधिक कुछ नहीं कहूंगा—यह कहना भी

[श्री एच० एम० पटेल]

भी आवश्यक नहीं है—क्योंकि गृह राज्य मंत्री के वक्तव्य से पता चलता है कि इन निर्देशों के अन्तर्गत वह पहले ही से कार्य कर रहे हैं।

आप इसे बहुत महत्त्वपूर्ण समझते हैं। यही बात जेल प्रशासन पर लागू होती है। यह किसकी जिम्मेदारी है ? कुछ माह के दौरान आपने देखा है कि कितने कैदियों को जिन्हें बहुत ही गम्भीर अपराधों के लिए कैद किया गया है तथा बहुत ही गम्भीर अपराधों के आरोप लगाये गये हैं.........

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अपना भाषण समाप्त कीजिए।

श्री एच० एम० पटेल : मैं अधिक समय नहीं लेना चाहता।

प्रो० मधु दंडवते (राजापुर) : यह तो सिर्फ पहली घंटी है।

उपाध्यक्ष महोदय : अतः जब दूसरी घंटी बजे तो आपको समाप्त करना होगा।

श्री एच० एम० पटेल : मैं एक और बात का जिक्र करना चाहूंगा जिसका श्री अरुण नेहरू ने भी कोई उल्लेख नहीं किया है। यह खुफिया संगठन के बारे में है। गुप्तचर सेवा रक्षा के लिए जितनी महत्त्वपूर्ण हैं उतनी आंतरिक सुरक्षा की दृष्टि से भी महत्त्वपूर्ण है। मुझे ऐसा लगता है कि आपका खुफिया संगठन इतना अच्छा अथवा कुशल नहीं है जितना कि इसे होना चाहिए। मेरा विश्वास है कि एल० पी० सिंह समिति तथा शंकरन नायर समिति जैसी समितियां नियुक्त की गयीं थीं। उन्होंने अपने प्रतिवेदन दे दिये हैं जो कभी भी प्रकाशित नहीं हुए। कम से कम मैं इतना जानना चाहूंगा क्या उनकी सिफारिशों पर विचार करके उन्हें लागू किया गया है। खुफिया संगठन बहुत ही मूल्यवान है अगर गृह मंत्रालय को बहुत से मामलों में इतनी ही कुशलता से कार्य करना चाहता है जितना कि इसे करना चाहिए। मुझे आशा है कि खुफिया संगठन पर ध्यान दिया जायेगा। यह बहुत बडी धनराशि भी खर्च करता है जिसका कोइ खाता नहीं रखा जाता है। यह धन जिस कार्य के लिए है उसी कार्य के लिये इस्तेमाल हो इस पर ध्यान रखने के लिए आप कौन से कदम उठा रहे हैं ? इसमें शक नहीं कि कोई उसको वर्ष के अन्त में सत्यापित कर देता है। परन्तु, इसकी भी अधिक गहनता से जांच करने की जरुरत है और हम मंत्रालय से सिफारिश करते हैं कि अपने ही कुछ विश्वासपात्र लोगों का एक छोटा-सा आयोग इस मामले पर ध्यान रखने तथा धन व्यय करने पर नजर रखने के लिए बनाए। गुप्तचर सेवा धनराशि बहुत बड़ी है और करोड़ों रुपया खर्च किया जाता है और इसका कोई हिसाब होना चाहिए। अगर नहीं किया गया तो इससे बहुत सी अवांछित बातें पैदा हो सकती हैं।

मैं सभा का और अधिक समय नहीं लेना चाहता और समाप्त करने से पहले एक फिर यह कहूंगा कि सरकार कुदाल आयोग को बन्द करने के प्रश्न पर गम्भीरता से विचार करे।

[हिन्दी]

श्री धर्मपाल सिंह मलिक (सोनीपत) : माननीय उपाध्यक्ष जी, सबसे पहले तो मैं माननीय मंत्री श्री अरुण नेहरू जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने गृह मंत्रालय की डिमाण्ड्स के बीच में इन्टरवीन कर के बहुत-सी चीजों का स्पष्टीकरण किया है। इसके साथ ही मैं सोमनाथ चटर्जी को भी जो कि जा रहे हैं बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने अपनी स्पीच के दौरान अच्छा चुनाव भाषण किया है। लेकिन बदकिस्मती की बात है कि उन्होंने अपने भाषण में केवल सरकार के मंत्रियों के प्रमोशन और डिमोशन की बातें ज्यादा की। उन्होंने अपने विचार रखे और उनके विचारों के मुताबिक, मेरे ख्याल से, उनके ही नहीं बल्कि सभी विरोधी दलों की तरफ से गृह मंत्रालय की मांगों पर जो विचार आये उनसे मुझे लगता है कि उन्हें सरकार की कोई बात अच्छी नजर नहीं आती। उनको वर्तमान सरकार की कोई चीज पसंद नहीं आती और उनकी बदकिस्मती यह है कि लोगों को उनकी विचारधारा पसंद नहीं आती। मैं इस सम्बन्ध में सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि उन्होंने पंजाब की और हरियाणा की विशेष तौर से चर्चा की, मैं हरियाणा से हूं और इस मसले से सम्बन्धित हूं, इस लिए इस सम्बन्ध में कुछ कहना चाहूंगा। माननीय सदस्य श्री सोमनाथ चटर्जी ने हरियाणा के मुख्यमंत्री चौधरी भजन लाल का भी जिक्र किया कि वे आकार्ड को नहीं मानते, लेकिन मैं यह कहना चाहूंगा और उनको यह बताना चाहूंगा कि जब वर्तमान कमीशन बाउन्ड्री और चंडीगढ़ के ट्रांस्फर के बारे में नियुक्त किया गया तो उसके अगले दिन हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री भजन लाल ने कमीशन की नियुक्ति का स्वागत किया और मैं यह सदन के सामने कहना चाहूंगा कि हरियाण शुरू से ही अकार्ड के हक में है। हम अकार्ड को इंप्लीमेंट कराना चाहते हैं, क्योंकि उसमें हमारा भी हित है और हमारा हित यह है कि हमें पानी मिलेगा, जिससे, हमारा किसान खुशहाल होगा। हरियाणा के किसान की हालत बहुत बुरी है, उसके खेतों में पानी नहीं है, उसको इस बात के लिए दिक्कत है और 20 साल से यह मामला लटका हुआ है और जिन लोगों का विचार है कि हरियाणा के लोग या हरियाणा की सरकार पंजाब अकार्ड को लागू नहीं करने देना चाहती, उनको मैं कहना चाहता हूं कि वे गलतफहमी के शिकार हैं और इसके साथ ही मैं यह भी कहना चाहता हूं कि कुछ माननीय सदस्यों ने इस किस्म की विचार धारा दी कि पंजाब के अन्दर जितने दंगे हैं या उग्रवादी शरारतें हैं, वे शायद पंजाब अकार्ड जो अब तक इंप्लीमेंट नहीं हुआ है, उसकी वजह से हो रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि उग्रवादियों का सम्बन्ध इस अकार्ड से नहीं है। उनसे सम्बन्धित जितने आइटम्स हैं, वे तमाम पूरे हो चुके हैं और दो आइटम, एक पानी के बारे में और दूसरा चंडीगढ़ के ट्रांस्फर के बारे में बाकी रह गए हैं जो इंटरस्टेट डिस्प्यूटस हैं। यदि पंजाब के टेररिस्ट पंजाब के उग्रवादी पंजाब अकार्ड से खुश थे तो उन्होंने लौंगोवाल की हत्या क्यों की, उन लोगों को इस चीज को याद रखना चाहिए कि उग्रवादियों की मन्शा कुछ और है, उनको बाहरी ताकतों से पैसा मिलता है, बाहरी ताकतें हमारे देश की हालत को बिगाड़ना चाहती हैं और इस नजरिए से वे लोग काम करते हैं। पंजाब के अकार्ड से उनका कोई सम्बन्ध नहीं है। हम खुद चाहते पंजाब है कि अकार्ड को स्ट्रिक्ली लागू किया जाए, हम उसका कई बार

[श्री धर्मपाल सिंह मलिक]

स्वागत कर चुके हैं अब भी स्वागत करते हैं, लेकिन हर पार्टी का यह अधिकार है कि अपने प्वाइंट आफ व्यू को रखें, अपने स्टेट के इंटरेस्ट को वाच करें, अपने अधिकारियों की रक्षा के लिए हर पार्टी, हर सरकार, हर मुख्यमंत्री को यह अधिकार है और वह चाहेगा कि वह अपनी बात स्पष्ट करे। आप देखें कि पानी का मसला था, पानी के मसले के बारे में साढ़े 12 महीने का टाइम मिला था, पानी के मसले को हल करने के लिए पहली जुलाई 1985 को अकार्ड हुआ और 15 अगस्त 1986 तक हरियाणा को पानी मिल जाना चाहिए था, लेकिन साढ़े 8 महीने गुजर चुके हैं और सिर्फ 4 महीने बाकी हैं और स्थिति ज्यों की त्यों है। उसको आगे नहीं बढ़ाया गया है।

इसके साथ-साथ वर्तमान गृह मंत्रालय की मांगों के विषय में कुछ रचनात्मक सुझाव देना चाहता हूं। वैसे मैं गृह मंत्रालय की जो मांगें पेश की गई हैं, उनका स्वागत करता हूं और इस बात के लिए अरूण नेहरू जी को और माननीय मंत्री श्री नरसिम्हा राव जी जो यहां बैठे हैं, उनको सदन की तरफ से बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने अपने जो स्पष्टीकरण में कहा है कि जो लेडिज फोर्स खड़ी की जाएगी और पिछले 5-6 साल से जितनी हमारी पुलिस फोर्स थी या सेंटल पुलिस, बार्डर सिक्यूरिटी फोर्स थी, उन लोगों को बहुत सारी ट्रेनिंग से दूर रखा गया था, उनको बाकयदा ट्रेनिंग नहीं दी जाती रही और उन्होंने स्पष्टीकरण में कहा कि अभी हमने फैसला किया है कि कुछ ऐसे इंस्टीट्यूटस स्थापित किए जाएंगे जिनमें नए ढंग से उनको ट्रेनिंग दी जाएगी, ताकि वे वर्तमान हालत को ठीक ढंग से समझ सकें और उसका मुकाबला कर सके। मैं सुझाव देना चाहता हूं कि आज जैसे हमारे सामने समस्या है कि वोट की पालीटिक्स है और सिर्फ कुर्सी हथियाने के लिए यहां भाषण यहां दे दिया जाता है। भाषण तो दे दिया जाता है लेकिन उनके दिल में जो भावनाएं हैं भावनाओं की वजह से आज लॉ एण्ड आर्डर की प्राब्लम है। जिस सूबे में लॉ एण्ड आर्डर की खराबी की बात आती है तो उसके पीछे किसी न किसी राजनीतिक पार्टी का हाथ होता है राजनीतिक पार्टी अपनी वोट, अपनी राय कुर्सी के लिए या कम्युनलिज्म, कास्टीज्म, धर्म, भाषा या रीजनलिज्म की बातें करती हैं। इस तरह के नारों से वे अपनी ताकत हासिल करना चाहती हैं। मेरा सुझाव यह है कि आज समय आ चुका है कि इस देश को हमें जोन्स में बांटना चाहिए। भाषा क्षेत्र, कास्ट या क्रीड के आधार पर आज इस देश में गुंजाईश नहीं है कि हम इसी हालत में चलें। इसके लिए इस ढंग मैं से सुझाव देना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान की जो बाहरी सरहद है, उसकी तमाम बाउन्डरी के साथ दस, पन्द्रह या बीस मील का एरिया यूनियन टैरीटरी के पर रखा जाए और बाकी हिस्से को चार, पांच या छह जोन्स में एडमिनिस्ट्रेटिव परपज के लिए बांटे जिससे इस देश के अन्दर जो अखण्डता के बादल उभरते आ रहे हैं, उनको रोका जा सकता है। आर्थिक विषमता या इम्बैलेंस की वजह से लॉ एण्ड आर्डर की प्राबलम क्रिएट होती है। एक आदमी तो ऊंची तरक्की करता जा रहा है और दूसरा आदमी गरीब होता जा रहा है। आमतौर से हरिजन, गिरीजन और पिछड़े वर्ग के लोगों का शोषण किया जाता है। मेरी गुजारिश यह है कि हमारी आर्थिक थ्योरिज इस प्रकार की हों कि हम अपनी आर्थिक विषमता को कम कर सकें और हर आदमी की आर्थिक हालत बराबरीपर चले।

अब मैं पुलिस के बारे में आपको कहना चाहूंगा। पंजाब में पुलिस डीमोरेलाइज है। वह कोई एक्शन नहीं लेना चाहती है या पुलिस के बस की बात नहीं रही है कि वह टैरोरीस्ट्स का मुकाबला कर सके। उसके पीछे दो-तीन कारण हैं। सबसे बड़ा कारण मैं समझता हूं कि बहुत सारे लोग पुलिस के महकमे में वहीं के टैरोरीस्ट हैं या उनके सम्बन्धी हो सकते हैं या उनका किसी न किसी ढंग से सम्बन्ध हो सकता है और उनका इंटरेस्ट उनके अन्दर हो सकता है। मेरा सुझाव यह है कि जैसे नेशनल लेवल पर बैंक में रिक्रूटमेंट होता है, उसी तरह पुलिस में भी नेनशल लेबल पर भर्ती की जाए। इसमें आबादी के अनुपात से भर्ती की जाए। बी० एस० एफ० में जो भर्ती पिछले साल हुई है उसमें हरियाणा से कोई भी आदमी भर्ती नहीं किया गया है। मेरा सुझाव यह है कि इसमें हर सूबे की आबादी के अनुपात के मुताबिक भर्ती की जाए। पुलिस के पास आज वही पुराने हथियार हैं लेकिन टैरोरीस्ट्स के पास मार्डन सोफेस्टीकेटेड वेपन्स हैं। पुराने हथियारों से हमारी पुलिस उनका मुकाबला नहीं कर पाती। मेरा सुझाव यह है कि पुलिस को बाकायदा सोफेस्टीकेटेड वेपन्स दिए जाएं। पुलिस वाले पैदल जाते हैं जबकि टैरोरीस्ट जीप या गाड़ियों में जाते हैं इसलिए पुलिस को वेहिक्ल्स में या माडर्न हथियारों से या उन तमाम समान से लैस किया जाए जिससे जो लोग हमारे देश की शान्ति को भंग करना चाहते हैं, उनका मुकाबला कर सकें। मैं यह भी सुझाव देना चाहूंगा कि पुलिस रूल्स बहुत पुराने हैं। अंग्रेजों के जमाने में पुलिस रूल्स बनाए गए थे। उन्ही पुराने रूल्स के मुताबिक आज एडमिनिस्ट्रेशन चलता है।

इसलिए आज की वर्तमान स्थिति को देखते हुए पुलिस रूल के अन्दर बदलाव किया जाये साथ में एक और बात कहना चाहूंगा कि हमारा एविडेंस एक्ट है, क्योंकि मैं स्वयं वकील रहा हूं 18-20 साल और मैं देखता हूं कि हमारा एविडेंस भी 100 साल पुराना है और जिस स्थिति में अंग्रेजों ने बनाया था वह स्थिति आज नहीं है। आज हम देखते हैं कि हमारी जो अदालतें हैं वह कोर्ट आफ जस्टिस नहीं हैं, वह कोर्ट आफ ला हैं, कानून की कचहरी हैं, न्याय की नहीं और न्याय के लिए सबूत देना पड़ेगा चाहे गवाही देनी पड़ेगी पुलिस वालों को, चाहे वह झूठी गवाही हो, चाहे वह सच्ची गवाही हो। जब तक गवाहा बाकायदा मजिस्ट्रेट के सामने न उतर जाय उस समय पुलिस उसका कुछ नहीं कर सकती। बहुत बार हम देखते हैं रास्ते में किसी तरह की दुर्घटना होती है, एक्सीडेंड होता है या और किसी प्रकार की राहजनी हो जाती है तो हम वहां खड़े होना पसन्द नहीं करते। जो आदमी वहां खड़ा है और मदद करना चाहता है कई बार उसी को अन्दर न इंटेगल कर दिया जाता है।

इसलिए मैं चाहूंगा हमारे एक्ट को इस ढंग से बनाया जाये जिससे पुलिस को कम से कम पैरवी करनी पड़े, कम से कम झूठ बोलना पड़े और ज्यादा से ज्यादा वह न्याय दे सके।

मैं खुद देखता रहा हूं इन्वेस्टीगेशंस में सारी पेडिंग की जाती है नमक मिर्च लगाकर उसमें चालान पुट अप कर देते हैं। अदालत के अन्दर। उसके बाद यदि कोई उग्रवादी है, जो बुरा आदमी है उसके खिलाफ गवाही देना कोई पसन्द नहीं करता। इस तरह के हालत बनाने की यहां जरूरत है।

[श्री धर्मपाल सिंह मालिक]

इसके साथ ही पुलिस में करप्शन के बारे में थोड़ा-सा कहना चाहूंगा। यह बात सही है कि पुलिस वाले यदि अच्छा काम करते हैं उनको कोई शाबासी देने वाला नहीं और वह बुरा काम कर देते हैं उनको बुराई देने वाले हैं। इस करप्शन में भी जनता के लोग खुद इन्वोल्व्ड होते हैं। पुलिस को पैसे देते हैं दूसरे के खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज कराने के लिए। दूसरा पैसा देता है अपने आपको उस मुकदमे से बचाने के लिए। इसलिए मेरा सुझाव है कि यह चीजें इस ढंग से की जायें जिससे करप्शन कम से कम व्याप्त होने के चांसेज हो।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब कृपया भाषण समाप्त कीजिए।

[हिन्दी]

श्री धर्मपाल सिंह मलिक : मैं अब दो मिनट और लेना चाहता हूं। एक चीज और कहना चाहता हूं आज जो सबसे बड़ा मसला मैं पंजाब में देखता हूं वह हमारे से भी सम्बन्धित है। उसके पीछे ज्यादा हाथ मैं समझता हूं गुरुद्वारा प्रबन्धक कमेटी एक्ट का है। हम हर रोज सुनते हैं अब पंजाब के सिखों की यह मांग है कि पंजाब गुरुद्वारा प्रबन्धक कमेटी एकट को आल इण्डिया एक्ट बना दिया जाए। मैं कहता हूं सिखों के अलावा और किसी मजहब का अलग से एक्ट नहीं है। आज गुरूद्वारा प्रबन्धक कमेटी एक्ट को एबोलिश कर दें, खत्म कर दें तो मैं यह कहता हूं आज जो पंजाब के अन्दर स्थिति है, आज जो उन्होंने गुरूद्वारों में किले बना रखे हैं वह खत्म हो जायेंगे। उनके पास इतना बजट है जितना पंजाब की सरकार के पास भी बजट नहीं है। इस बजट का दुरूपयोग करने के लिए वह गुरूद्वारों को अड्डे बनाते हैं। गुरुद्वारों के अन्दर पनाह लेते हैं। इसलिए मेरा सुझाव है कि गुरुद्वारा प्रबन्धक कमेटी एक्ट को एबोलिश कर दिया जाये वरना इससे नकुसान होगा हमेशा आप देखते रहेंगे···

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कृपाय समाप्त कीजिए।

[हिन्दी]

धर्मपाल सिंह मलिक : इसके साथ मैं एक और बात कहना चाहता हूं। चुनाव के दौरान आप देखते हैं हमारी इस किस्म की बहुत ज्यादा खामियां हैं जिसकी वजह से चुनाव के बाद गरीब मतदाता जो राय नहीं दे पाते, जो आदमी ताकतवर है उनकी राय अगर नहीं देते तो चुनाव के बाद गरीब आदमी के खिलाफ अत्याचार किए जाते हैं, उनको बन्द कर दिया जाता है उनको खेतों में जाने से रोक दिया जाता है। इसलिये मेरी गुजारिश है कि इस प्रकार की तरतीम की जाए कानून के अन्दर कि गरीब आदमी को, कमजोर आदमी को कोई ताकतवर आदमी उसका शोषण नहीं करे। उससे जबरदस्ती राय लेने के लिए उसकी आर्थिक कमजोरी का फायदा न उठाए। इन्ही शब्दों के साथ मैं गृह मंत्रालय की मांगों का समर्थन करता हूं। धन्यवाद।

[अनुवाद]

*डा॰ एस॰ जगतरक्षकन (चेंगलपट्टु) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 1986-87 की गृहमन्त्रालय की अनुदानों की माँगों पर मैं अपने दल दखिल भारतीय अन्ना द्रमुक की तरफ से कुछ सुझाव देना चाहता हूं।

आरम्भ में ही मैं बताना चाहता हूं कि कानून और व्यवस्था, जेल प्रशासन तथा जिला राजस्व प्रशासन राज्य सरकारों के अधीन हैं। परन्तु केन्द्रीय सरकार उनके आधुनिकीकरण एवम् उनके सुधार के लिए धन देती है। जैसा कि 1985 से 1989 की पाँच वर्ष की अवधि के लिए आठवें वित्त आयोग ने सिफारिश की है, केन्द्रीय सरकार ने निम्नलिखित नियतन किया है :

15 राज्यों के पुलिस बल के उत्थान एवं आधुनिकीकरण के लिए—228.95 करोड़ रुपये

16 राज्यों के राजस्व एवम् जिला प्रशासन के स्तरों के उत्थान और सुधार के लिए 24.97 करोड़ रुपये

16 राज्यों के जेल प्रशासनों के आधुनिकीकरण के लिए 135.56 करोड़ रुपये।

इसका स्वागत करते हुए मैं तमिलनाडु के साथ किए गए अन्याय का रोना है। 16 राज्यों में जेल प्रशासन के आधुनिकीकरण के लिए 135.36 करोड़ रुपये के नियतन में से तामिलनाडु को एक पैसा भी नहीं दिया गया है। अगर आप वर्ष 1985-86 के गृहमन्त्रालय के वार्षिक प्रतिवेदन के पृष्ठ 85 पर देखें तो आपको तमिलनाडु के साथ किए गए इस अन्यायं का पता चलेगा। मुझे शक है कि राजस्व और जिला प्रशासन के आधुनिकीकरण तथा पुलिस बल के आधुनिकीकरण के लिए भी केन्द्र सरकार द्वारा तमिलनाडु के लिए कोई धनराशि आबन्टित नहीं की गई है। मैं सुझाव करता हूं कि माननीय गृह मन्त्री तमिलनाडु के पुलिस बल, जेल प्रशासन और जिला राजस्व प्रशासन के आधुनिकीकरण के लिए धनराशि आवन्टित करके इस अन्याय को समाप्त करें।

1976 में संघ के लिए सरकारी कार्य में हिन्दी का उत्तरोत्तर प्रयोग किस सीमा तक लागू हुआ है एवम् केन्द्रीय कर्मचारियों को हिन्दी में प्रशिक्षण देने के बारे में समीक्षा करने हेतु राजभाषा समिति का गठन किया गया था जिसके 30 संसद सदस्य थे। गत 10 वर्षों के दौरान इस समिति ने अपने कर्तव्य को विश्व भ्रमण कर यह पता लगाने के लिए कि भारतीय दूतावासों तथा उच्चायोगों में हिन्दी प्रयोग की जा रही है अथवा नहीं तक ही सीमिति रखा है। इस समिति के प्राथमिक कर्तव्य को जिसका मैंने ऊपर उल्लेख किया है भुला दिया गया है। मैं

*मूलत: तमिल में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

[डा० एस० जगतरक्षन]

जानना चाहूंगा कि यह समिति और कितने वर्षों तक यह कार्य करती रहेगी और कब तक इस समिति का कार्य पूरा करके अपना प्रतिवेदन सरकार को प्रस्तुत करने की सम्भावना है।

मैं इस अवसर पर गत 36 वर्षों में देश की अन्य राष्ट्रीय भाषाओं ने कितनी प्रगति की है इसका पता लगाने के लिए तुरन्त एक संसदीय समिति के गठन करने की मांग करता हूं। यह समिति लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति, अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति इत्यादि जैसी स्थायी समिति होनी चाहिए। हिन्दी के विकास पर किये जाने वाले व्यय का बीसवां हिस्सा भी अन्य देश की राष्ट्रीय भाषाओं के विकास के लिए नहीं दिया जाता है। भाषा देश की मूल शक्ति है। 'एकता में भिन्नता' हमारी एक विशिष्ट संस्कृति है। अगर इस सिद्धांत को जिन्दा एवम् फलता-फूलता रखना है तो देश की सभी राष्ट्रीय भाषाओं के विकास को बराबर अवसर दिया जाना चाहिए। उनके विकास के लिए जितनी धन राशि की आवश्यकता हो वह केन्द्र सरकार द्वारा आवंटित की जानी चाहिए।

महोदय, एल० आई० सी० प्रिमियम सूचना, नई दिल्ली नगर पालिका के बिजली के बिल, दिल्ली नगर निगम के पानी के बिल, हाऊस टैक्स बिल, डेसू' के बिल, टेलीफोन के बिल, मनी-आर्डर फार्म, रसीद फार्म सभी संघ शासित क्षेत्र दिल्ली में हिन्दी में हैं। यहां तक कि रेल आरक्षण फार्म भी केवल हिन्दी में हैं। संघ शासित क्षेत्र दिल्ली में लगभग 60 प्रतिशत जनसंख्या की मातृ-भाषा हिन्दी नहीं है। आप गैर-हिन्दी भाषी लोगों की समस्या का अन्दाजा लगा सकते हैं। अगर यह जारी रहा तो, गैर-हिन्दी भाषी लोगों का हिन्दी के प्रति हमेशा बैर रहेगा। इन सभी फार्मों को हिन्दी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में छापा जाना चाहिए। केन्द्रीय सरकार ने एक निर्देश जारी किया है कि दक्षिण राज्यों में केन्द्रीय सरकार के कार्यालय में कार्य करने वाले कर्मचारी जब तक हिन्दी परीक्षा पास नहीं करते उनको वार्षिक वृद्धि नहीं दी जायेगी। इन कर्मचारियों की समस्याओं के प्रति यह गलत रुख है।

यह खेदजनक है कि पंडित जवाहर लाल नेहरू के इस आश्वासन को शामिल करने के लिए सांविधानिक संशोधन विधेयक पुरःस्थापित नहीं किया गया है। जिसमें इस बात का स्पष्ट रूप से प्रतिपादन किया गया है कि जब तक हिन्दी भाषी लोग अंग्रेजी चाहते हैं तब तक यह सम्पर्क भाषा के रूप में जारी रहेगी। 1978 में जब इस सदन में कांग्रेस दल विपक्ष में था उस समय हमारे वर्तमान ऊर्जा मन्त्री श्री वसन्त साठे ने अंग्रेजी को एक सम्पर्क भाषा के रूप में जारी करने से सम्बन्धित एक संकल्प पुरःस्थापित किया था। मैं चाहता हूं कि सरकार हिन्दी भाषी क्षेत्रों को लोगों को दिए गए पंडित नेहरू के आश्वासन को सांविधानिक गारन्टी दे।

महोदय, पुनर्वास प्रभाग गृह मन्त्रायम के अधीन है। सितम्बर, 1985 के मध्य तक भारत में श्रीलंका से एक लाख से अधिक शरणार्थी आए हैं। हमारे मुख्य मन्त्री डा० एम० जी० आर० ने राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक में भी इस बात का उल्लेख किया था। अब श्रीलंका

के शरणार्थियों की संख्या 2 लाख से अधिक होगी। लेकिन गृह मन्त्रालय के 1985-86 के वार्षिक प्रतिवेदन में बताया गया है कि श्रीलंका से आए 25000 शरणार्थियों को सहायता दी जा रही है। मैं इस महत्वपूर्ण जानकारी की असत्यता पर चकित हूं। मैं नहीं जानता कि श्रीलंका के शरणार्थियों की समस्या को सुलझाने के लिए गृह मन्त्रालय किस प्रकार से तमिलनाडु की सहायता कर रहा है। मैं मांग करता हूं कि तमिलनाडु में श्रीलंका शरणार्थियों के भरण-पोषण के लिए केन्द्रीय सरकार को 100 करोड़ रुपये की तदर्थ अनुदान की मन्जूरी देनी चाहिए।

26 जनवरी, 1950 को संविधान लागू होने के समय से 21 राज्यों में 70 बार राष्ट्रपति का शासन लागू किया गया। केरल में राष्ट्रपति का शासन 9 बार लागू किया गया, पंजाब में 7 बार, उत्तर प्रदेश और उड़ीसा प्रत्येक में 6 बार। देश में सभी राज्य भारत के संविधान के अनुच्छेद 356 के अधीन लाए गए हैं। मुझे खेद है कि अनुच्छेद 356 को राजनैतिक स्वार्थ के लिए उपयोग किया जा रहा है। यदि देश में लोकतन्त्र को गहराई तक ले जाना है तो अनुच्छेद 356 को निरस्त किया जाना चाहिए। केन्द्र में सत्ता दल के प्रमुख नेता और केन्द्रीय सरकार के सेवानिवृत्त उच्च अधिकारियों को राज्यों के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया जाता है और वे सब अपने पदों के लिए केन्द्रीय सरकार के आभारी होते हैं। आप इस तरह के राज्यपालों से राजनैतिक समचितता और न्याय की आशा नहीं कर सकते हैं। मैं यह कहने के लिए विवश हो गया हूं कि इस प्रकार के राज्यों में राष्ट्रपति का शासन लागू किया जाता है। इसलिए मैं मांग करता हूं कि अनुच्छेद 356 को निरस्त करने के लिए सांविधानिक संशोधन विधेयक बनाया जाना चाहिए।

मैं इस समय यह मांग करता हूं कि दण्ड प्रक्रिया संहिता और भारतीय दण्ड संहिता को क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवाद करने और देश के सभी पुलिस स्टेशनों को प्रत्येक की एक प्रति सप्लाई करने के लिए केन्द्र को अनुदान देना चाहिए, ताकि पुलिस कमिश्नर अपने प्रतिदिन के कार्य में कानूनी बाध्यता से अवगत हो सकें।

यदि केन्द्रीय सरकार राज्य पुलिस बलों का आधुनिकीकरण करने के लिए उतनी धनराशि आवन्टित करे जितनी कि सी० आर० पी०, सी० आई० एस० एफ०, आदि जैसे केन्द्रीय बलों को बनाए रखने में खर्च की जा रही है। इन केन्द्रीय बलों की तैनाती के लिए राज्य नहीं कह सकते हैं। मैं आशा करता हूं कि गृह मन्त्री इन मुद्दों पर विचार करेंगे और उपयुक्त कार्रवाई करेंगे।

इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

3.00 म० प०

[हिन्दी]

श्री जुझार सिंह (झालावाड़) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं होम मिनिस्ट्री की डिमांड्ज पर अपने विचार प्रकट करने के लिए खड़ा हुआ हूं।

[श्री जुझार सिंह]

आज देश में चारों तरफ अशान्ति है और देश का हर समझदार नागरिक इससे चिंतित है। पंजाब और कश्मीर के बारे में तो रोज अखबारों में लोग पढ़ते हैं और कुछ न कुछ नई घटनाएं उनको पढ़ने को मिल जाती हैं। मैं उस महत्त्वपूर्ण और डिस्टर्बेड एरिये के बारे में ज्यादा जिक्र नहीं करूंगा क्योंकि उसके बारे में कई बार यहां बहस हो चुकी है और करीब-करीब हर सदस्य जो यहां बोले हैं, वे भी उस विषय को टच कर चुके हैं।

मैं कुछ ऐसे मामलों के बारे में माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करूंगा जिन्हें आज हर सामान्य नागरिक महसूस करता है। पुलिस के बारे में आज आम आदमी को विश्वास नहीं रहा है। वह यह बात महसूस करके नहीं चलता कि पास जाने से उनको किसी तरफ का रिलीफ मिल जायेगा। यह भावना धीरे-धीरे छोटे से छोटे और बड़े से बड़े आदमी के दिमाग में घर कर गई है कि पुलिस से उनको राहत नहीं मिलेगी। इसलिए सबसे गंभीर विचार करने कि बात यह है कि हमारा होम डिपार्टमैंट इस लूजिंग कांफीडेंस को किस तरह से रैस्टोर करता है? दूसरी तरफ जो गुंडा एलीमैंट है, लन-सोशल एलीमैंट है, उसके दिमाग में पुलिस का डर आज नहीं रहा है। वह बिल्कुल निःशंक होकर पुलिस के सामने भी क्राइम करने से नहीं झिझकता और क्राइम करने के बाद ऐसा महसूस करता है जैसे कि कोई एजेन्सी ही ऐसी नहीं है जो उसके अगेन्स्ट एक्शन लें। मैं एक मिसाल इस बारे में सदन में रखना चाहता हूं।

मेरे क्षेत्र कोटा जिले में आम सड़क पर दिन के करीब 10,11 बजे डी०आई०जी० पुलिस की प्रैजेन्स में सीमल्या ग्राम में कत्ल हुआ। वहां पर करीब 100,200 आदमी इकट्ठे थे। उसके बाद डी०आई०जी० आये, उनकी झंडी लगी हुई थी, उनके साथ बाडी-गार्ड था। कातिल उनके आगे-आगे एक बैल गाड़ी में करीबन 3,4 फर्लांग तक चलते रहे और पीछे-पीछे डी०आई०जी० की गाड़ी चलती रही। उसके बाद एक नहर आई और उन लोगों ने उसमें अपनी तलवार सबके सामने धोई। उसके बाद डी०आई०जी० अपने रास्ते चले गए और मर्डर करने वाले अपने रास्ते चले गए। यह राजस्थान की घटना है। उस घटना के बाद राजस्थान सरकार ने या किसी सरकार ने उनके खिलाफ आज तक कोई एक्शन नहीं लिया। सैंट्रल गवर्नमैंट की ड्यूटी है कि ऐसे आई०पी०एस० आफिसर के खिलाफ एक्शन ले, डी०जी०आई० उसके बाद अच्छी जगह लग गए हैं। इस तरह की घटनाएं जब हो जाती हैं जिसमें पुलिस का बड़ा अफसर भी क्वेश्चनेबल होता है, तो लोगों का कांफीडैंस डिग जाना, स्वाभाविक बात है।

मैं आज निवेदन करना चाहता हूं कि पुलिस का आदमी जहां-जहां भी यूनिफार्म में पब्लिक के सामने एक्सपोज होता है, उसका एटीट्यूड कैजुअल लगता है, यही ट्रैफिक पुलिस का आदमी है वह ड्यूटी पर सिगरेट पीता बातें करता दिखता है और कैजुअल-वे में बिहेव करता है, तो वहां किसी बसस्टैंड पर या सिनेमा की ड्यूटी पर भी अपनी यूनिफार्म में नान-सीरियस लगता है, यूनिफार्म में नान-सीरियस व्यक्ति के खिलाफ एक्शन होना चाहिए। मैंने खुद देखा है कि पुलिस के आफिसर, एम०पी० और डी०आई०जी० उसे देखते चले जाते हैं और इसको मामूली सी घटन

समझकर कोई एक्शन नहीं लेते। यह जो घटनाएं होती हैं, जिनको रात-दिन पुलिस आफिसर देखते हैं, जनता भी देखती है और जनता को महसूस होता कि यह आदमी जो यूनिफार्म में खड़ा है, उसके खड़े रहने का कोई महत्व नहीं है। उससे पुलिस डिपार्टमेंट के बारे में लोगों को अविश्वास पैदा होता है, जो कि स्वाभाविक है।

इसलिए मैं माननीय मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वह इस बात का प्रयास करें कि पुलिस मैन जनता का कांफीडेंस रैस्टोर हो। पुलिस का आदमी जहां जनता में कंजुअल-वे में काम करता हो तो उसने ठीक करके इस बुराई को दूर करना चाहिए। यदि ऐसा ऐफर्ट हो तो यह एक अच्छी शुरूआत हो जाएगी।

मैं आगे कहना चाहता हूं कि प्रिवेंटिव एक्शन पुलिस नहीं लेती है। मैंने खुद यह बात देखी है कि ऐसे आदमी हैं जो अन-सोशल एलीमेंट हैं, जिनकी एक्टीविटी को उस क्षत्र में हर आदमी जानता है और यह भी जानते हैं कि अगर इनको नहीं रोका गया तो ये कभी न कभी दुर्घटना करेगा। मैंने अपने क्षेत्र में देखा है कि दो व्यक्ति जो बिल्कुल अन-शोसल थे, एन्टी शोसल थे और जिनकी हरकतें गुंडागर्दी की थीं, एक के तो गुंडा एक्ट के तहत इलाके से भी निकाला हुआ था। उसके विरुद्ध मैंने शिकायत की कि प्रिवेंटिव एक्शन लिया जाए। उन व्यक्तियों में से एक पालिटिकल पार्टी का सदस्य बन गया। यह दोनों यूथ थे, उनकी हरकतें गुन्डों जैसी थी, दोनों डिफरेंट कम्युनिटी के थे। मैंने स्वयं एस० पी० पुलिस को लिखा कि ये दोनों डिफरेंट कम्युनिटी के हैं, ऐन्टी सोशल एलीमेंट्टस हैं, यह आपस में कभी भी भिड़ सकते हैं। नतीजा यह हुआ कि कुछ अर्से के बाद उनमें आपस में झगड़े हुए, कत्ल हुंए लेकिन पुलिस ने ऐक्शन नहीं लिया। यही कारण है कि आज जनता का पुलिस पर से विश्वास उठ चुका है। अगर पुलिस एन्टी सोशल एलीमेंट्स के खिलाफ ऐक्शल लेगी तो पुलिस को जनता का पूरा सहयोग मिलेगा।

हमारे कोटा शहर में एक एडीशनल एस० पी० जिसका नाम दिनेश शर्मा था, उसने कोटा शहर में गुंडों के खिलाफ बहुत स्ट्राग ऐक्शन लिया, जवता ने उसको बहुत पसन्द किया और उसको अपना पूरा सहयोग दिया, उस एडीशनल एस० पी का किसी कारणवश स्थानान्तरण कर दिया गया जो कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात थी। मेरा निवेदन है कि अगर कोई आदमी स्ट्रांग ऐक्शन लेता है तो जनता इसको पसन्द करेगी इस कारण ऐसे व्यक्ति का किसी भी कारणवश ट्रांसवर नहीं किया जाना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, आप दो बार घन्टी बजा चुके हैं। मेरी आदत घन्टी बजने के बाद बोलने की नहीं है। अन्त में मैं यही निवेदन करूंगा कि जो मैंने सुझाव दिए हैं, उन पर मन्त्री महोदय अवश्य ध्यान दें।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह । आप केवल 5 मिनट लेंगे, क्योंकि 3.30 बजे गैर-सरकारी सदस्यों का कार्य शुरू होगा और इसलिए बहुत से सदस्य बोलना चाहते हैं। आपके दल को केवल 5 मिनट दिए गए हैं। यदि आप 5 मिनट में नहीं बोल सकते हैं तो आप अपनी सीट ले सकते हैं। परन्तु यदि आप चाहते हैं तो आप बोल सकते हैं। 5 मिनट के बाद जो कुछ बोला जाएगा इसे कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

[हिन्दी]

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह : पांच मिनट में तो सारी बात बोली नही जा सकती हैं। अगर आज समय कम है तो मैं 15 तारीख को अपना भाषण दूंगा।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : ठीक है, आप मंगलवार को बोल सकते हैं। अब आशुतोष लाहा बोल सकते हैं।

श्री आशुतोष लाहा (दमदम) : उपाध्यक्ष महोदय, गृह मन्त्रालय के विभिन्न विभागों के सम्बन्ध में मैं अपना वक्तव्य देता हूं जिसके बारे में कुछ नहीं कहा गया है।

महोदय, देश में कानून और व्यवस्था की स्थिति के बारे में बहुत से लोगों ने बोला। यह सच है कि पिछले दो वर्षों से हम देश में विशेष रूप से कश्मीर, पंजाब और अभी हाल ही में पूर्वोतर क्षेत्र में भी कानून और व्यवस्था की कुछ बिगड़ती हुई स्थिति को नोट कर रहे हैं। अतः मेरा सुझाव है और मैं सबन्धित मन्त्री जी से इस पर ध्यान देने तथा देश में विशेष रूप से उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के पास अर्थात त्रिपुरा, मणिपुर और पहाड़ी राज्यों में कानून और व्यवस्था के नियन्त्रण पर अधिक बल देने का अनुरोध करता हूं।

महोदय, हालांकि राज्य सीधे राज्य में कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है फिर भी गृह-मन्त्रालय की लोगों को यह सुनिश्चित करने के लिए कुछ जिम्मेदारियां हैं और यह पर्यवेक्षण करना है कि राज्य में कानून और व्यवस्था की स्थिति उचित रूप से बनाए रखी जाए। मैं यह बताए बिना नहीं रह सकता कि पश्चिम बंगाल में कानून और व्यवस्था की स्थिति किसी भी तरह से ठीक नहीं है। विशेष रूप से पश्चिम बंगाल के ग्रामीण क्षेत्रों में कोई कानून और व्यवस्था नहीं है। इसलिए, मैं यह बताना चाहता हूं और मैं संबंधित मन्त्री जी के इस स्थिति पर ध्यान देने का अनुरोध करता हूं। इसके लिए शायद ये कारण हैं कि लोगों के लिए कोई प्रशासन नहीं है। आपने पढ़ा होगा और समाचार-पत्रों में देखा होगा कि राज्य में विशेष रूप से पश्चिम बंगाल में पुलिस के बीच बहुत संघर्ष हुआ है जिसके कारण पश्चिम बंगाल

राज्य में कानून और व्यवस्था की स्थिति बहुत खराब हो गई है। अभी हाल ही में हमारे माननीय मन्त्री, जो बंगाल राज्य के हैं, राज्य में प्रश्नों से बहुत तंग किया गया। परन्तु पुलिस प्रशासन स्थिति को बनाए रखने में असफल रहा। यह सही नहीं है कि पुलिस को जानकारी नहीं है या उन्हें उपयुक्त सूचना नहीं मिलती है। परन्तु दुर्भाग्यवश किसी भी तरह वहां पर पुलिस प्रशासन नहीं है जिससे देश में इस तरह कानून और व्यवस्था की स्थिति बिगड़ रही है। मैं विशेष रूप से पश्चिम बंगाल राज्य पर बल दे रहा हूं।

अन्य राज्यों के बारे में विशेष रूप से बिहार में इस समय कानून और व्यवस्था की स्थिति बहुत खराब है और मैं महसूस करता हूं तथा सम्बन्धित मन्त्री जी से पुलिस बल को आधुनिक बनाने या राज्यों पर दबाव डालने का अनुरोध करता हूं, ताकि बिहार और पश्चिम बंगाल के राज्यों में पुलिस बल को आधुनिक बनाया जाए तथा आधुनिक उपकरणों से लैस किया जाए, ताकि वे बिगड़ती हुई कानून और व्यवस्था की स्थिति का पता लगा सकें।

समय की कमी के कारण मैं केवल दो अन्य मुद्दों के बारे में बोलना चाहता हूं। पहला मुद्दा कारागार की व्यवस्था के बारे में है। मुझे यह कहते हुए दुःख होता है कि विशेष रूप से पश्चिम बंगाल में इनकी स्थिति बहुत खराब है। जिन कारागारों में कैदी रहते हैं उनकी स्थिति अमानुषिक है। कारागार में बच्चों समेत कैदियों को जिस ढंग से रखा जाता है उसकी एक सभ्य देश में कल्पना नहीं की जा सकती। पश्चिम बंगाल राज्य में अधिकांश जेलों का रख-रखाव सही ढंग से नहीं किया जाता है। वे केवल गन्दे ही नहीं होते, बल्कि कारागारों की दशा ऐसी होती है कि उसमें मनुष्य यहां तक कि पशु भी नहीं रह सकते। यह स्थिति है। मैं सदन का समय बर्बाद नहीं करना चाहता हूं। समाचार-पत्रों में सब कुछ बार-बार दोहराया गया है। परन्तु राज्य सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया है। हम नहीं जानते हैं कि क्यों? क्या मैं सम्बन्धित मन्त्री जी से अनुरोध कर सकता हूं कि वह इस मामले में थोड़ी-सी दिलचस्पी लें और कारागारों की दशा को सुधारने के लिए राज्य सरकार पर दबाव डालें।

गृह मंत्रालय के अन्तर्गत दूसरा पहलू पुनर्वास है। हमने करीब करीब आजादी के 38 वर्ष पूरे कर लिए हैं। बदकिस्मती से पूर्वी पाकिस्तान से आने वाले बड़ी संख्या में लोगों के पुनर्वास की व्यवस्था को हमने अभी तक अंतिम रूप नहीं दिया है। मैंने मंत्री जी को लिखा था और मंत्री जी से अनुरोध किया था कि जो लोग पूर्वी पाकिस्तान से आए हैं उनको सहायता दी जानी चाहिए। उनको यह महसूस होने दिया जाए कि वे देश की मुख्य धारा में है। वे यह महसूस करें कि वे अपने देश में रह रहे हैं। यदि हम उनको रोजगार नहीं दे सकते हैं, यदि हम उनको सभ्य जीवन बिताने के उपयुक्त अवसर नहीं दे सकते तो कम से कम उन्हें यह महसूस हो कि वे अपने देश में रह रहे हैं। मैं मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि वह बागजोला शिविर और हमारे राज्य में स्थित विभिन्न शिविरों तथा मेरे निर्वाचन क्षेत्र दमदम में यह देखने के लिए आए। मैंने इसको देखा है। यह लोगों के रहने के लिए उपयुक्त नहीं है। जिस ढग से वे अभी भी शिविरों में रह रहे

[श्री आशुतोष लाहा]

हैं बहुत ही दयनीय है। कम से कम उन्हें जीवन की न्यूनतम आवश्यकताएं दी जाएं ताकि भविष्य में इन लोगों की अगली पीढ़ी यह महसूस न करे कि वे इस देश की मुख्य धारा में नहीं हैं।

इसलिए मैं आपसे पुनर्वास समस्याओं पर ध्यान देने का अनुरोध करता हूं। कई मांगें हैं। कम से कम इनके जीवन निर्वाह स्थिति को सुधारा जा सकता है कुछ सुविधाओं की व्यवस्था की जा सकती है। इन लोगों को कुछ सुविधाएं दी जा सकती हैं। जो लोग उन शिविरों में रह रहे थे। वे अभी भी हमारी आजादी के 38 वर्षों बाद भी शिविरों में रह रहे हैं। (व्यवधान)

स्वतन्त्रता सेनानी के बारे में माननीय संबंधित मंत्री जी से मेरा विनम्र अनुरोध है कि वह सम्बंधित विभाग पर ध्यान दें। विभाग कुछ नहीं कर रहा है। वास्तव में, उन अधिकांश स्वतन्त्रता सेनानियों के बारे में कुछ नहीं किया जा रहा है जिन्होंने अपनी पेन्शन के लिए आवेदन किया है। विभाग ने उनके आवेदनों पर कुछ नहीं किया गया है। मैं नहीं जानता हूं कि अड़चने कहां है। यह दुर्भाग्य की बात है कि पेन्शन के हजारों मामले लम्बित पड़े हैं। जिन स्वतन्त्रता सेनानियों ने पेन्शन के लिए दावा किया हैं उनकी आयु 65 वर्ष से अधिक है। वे अभी भी अपनी पेन्शन राशि की प्रतीक्षा में हैं।

हमारे प्रधान मन्त्री द्वारा पेन्शन में वृद्धि करने का यह सबसे अच्छा प्रयास है यह एक अच्छा प्रयास है।

परन्तु स्वतन्त्रता सेनानी नहीं जानते हैं कि उन्हें पेन्शन कब प्राप्त होगी। उनमें से अधिकांश लोगों की आयु 60 या 70 वर्ष से ऊपर है। वे कब तक जीवित रहेंगे और कब तक यह नौकर शाही उनकी वैध मांग से वंचित करेंगे जिसके लिए वे अपने उस बलिदान के कारण हकदार है जो उन्होंने देश के लिए कियां था ?

मैं माननीय मंत्री से पुलिस पुनर्वास स्वतन्त्रता सेनानी और कारागार विभागों पर ध्यान देने का अनुरोध करता हूं।

इन सुझावों के साथ मैं अनुदानों की मांगों का समर्थन करता हूं।

[हिन्दी]

श्री आशकरण संखवार (घाटमपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बड़े लम्बे अर्से से असम और पंजाब में रास्ता चलते हुए को गोली मार देना, आग लगा देना, ये तमाम आतंकवादी गतिविधियां फैली हुई हैं। ठीक इसी प्रकार मेरे संसदीय क्षेत्र घाटमपुर में बहमुई कांड, दसतमपुर कांड और सिंहपुर कांड हुए और एक स्वतन्त्रता संग्राम सैनानी, श्री सुखदेव प्रसाद सिंह, को पिछले वर्ष बदमाशों ने मार दिया। माननीय मन्त्री जी से मेरा अनुरोध है कि हमारा 15.17 (श्री शरद दिघे पीठासीन) क्षेत्र जो जमुना के किनारे बसा हुआ है, ऐसी स्थिति होने के कारण गांव से लोग शहरों की तरफ जा रहे हैं, इसलिए जमुना के किनारे-किनारे पांच किलोमिटर की दूरी पर पुलिस चौकी

कायम कर दीजिए और सख्त अधिकारी मेरे इलाके में भेजें, तभी हमारे इलाके का सुधार हो सकता है।

माननीय गृह मन्त्री जी इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करेंगे, मैं उनसे जानकारी चाहता हूं।

3.18 म०प०

[श्री शरद दिघे पीठासीन]

[अनुवाद]

श्री समर ब्रह्म चौधरी (कोकराझर) : सभापति महोदय, मैं इस सदन का नया सदस्य हूं और यह मेरा प्रथम भाषण है। मैं असम से आया हूं।

असम में, बहुत असामान्य स्थिति है। वहां आबादी बहुसंख्यक भी असुरक्षा की भावना का सामाना कर रहे हैं। हम सब जानते हैं कि स्वतंत्रता के बाद से आसामी समाज ही मुख्य मंत्री उपलब्ध कराता रहा है। सरकारी सेवाओं में भी आसामी समाज का सबसे अधिक प्रतिनिधित्व है और यह असमी भाषा ही है जिसे असम राज्य में राजकीय भाषा का स्तर प्राप्त है। यह असमी समाज ही है जो असम का नेतृत्व कर रहा है और असम पर राज्य कर रहा है और इसी समाज को सरकार का सबसे अधिक संरक्षण प्राप्त है। फिर भी, वहां असाधारण स्थिति के कारण असमी असुरक्षा की भावना का सामाना कर रहे हैं। अगर वहां यह स्थिति है तो अल्पसंख्यकों की स्थिति का कहना ही क्या विशेषतया बहुत गरीब बहुत कमजोर और कम पढ़े लिखे आदिवासियों की स्थिति का। आप आदिवासियों की दुर्दशा का अच्छी तरह से अन्दाजा ला सकते हैं।

श्री बिपिनपाल दास (तेजपुर) : क्या आदिवासी असमी समाज से भिन्न हैं? उनका अपना नाम सौ प्रतिशत असमी है।

सभापति महोदय : यह उनका प्रथम भाषण है। कृपया बाधा न डालिए।

श्री समरब्रह्म चौधरी : हमारा बहुत ही अनूप इतिहास है। निःसन्देह, हम असमी हैं क्योंकि हम असम राज्य में रहते हैं। लेकिन हम असमी नहीं है। क्योंकि हमारी मातृभाषा असमी नहीं है। इसलिए असमी एक ऐसा शब्द है जिसका अर्थ असम के लोगों से हैं। तथा उन व्यक्तियों से जो असमी भाषा बोलते हैं। इसलिए एक अर्थ में मैं असम राज्य का रहने वाला हूं। इसलिए मैं एक असमी हूं और दूसरे अर्थ में मेरी मातृ भाषा असमी नहीं है इसलिए मैं असमी हूं············
(व्यवधान)

श्री बिपिनपाल दास : श्री समर ब्रह्म चौधरी मेरे से पुराने असमी हैं।

सभापति महोदय : युवा सदस्य को बोलने दीजिए।

श्री समर ब्रह्म चौधरी : मैं असम की वर्तमान स्थित के बारे में बताने की कोशिश कर रहा हूं। मैं किसी व्यक्ति पर आरोप नहीं लगा रहा हूं नहीं किसी समुदाय की ओर इशारा कर रहा हूं। मैं केवल यह कह रहा हूं कि जब बहुसंख्यक लोग भी असुरक्षा की भावना से त्रस्त हैं तो सबसे कमजोर सीधे सादे आदिवासियों का क्या हाल होगा।

वहां इन हालातों को केंद्रीय सरकार ने भी स्वीकार किया है। आप सब जानते हैं कि एतिहासिक असम समझोते के अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के अनुच्छेद 6 के अंतर्गत असमी लोगों को उनकी भाषा उनकी संस्कृति उनके समाज को संविधानिक विधायी और प्रशासनिक सुरक्षा प्रदान करने का आश्वासन दिया था। अब मैं हैरान हूं केन्द्रीय सरकार का असमी शब्द से क्या अभिप्राय है? क्या असमी का अर्थ असम में रहने वाले ऐसे प्रत्येक व्यक्ति या जन संख्या के प्रत्येक वर्ग से है जो असम में रहते हैं यदि इसका यह अर्थ है तो सवैधानिक, कानूनी और प्रशासनिक सुरक्षा उपलब्ध करवाने का वायदा सभी लोगों पर चाहे उनकी भाषा, धर्म और जाति कुछ भी हो, लागू होना चाहिए। 12 मार्च, 1986 के टाइम्स आफ इंडिया में छपे एक समाचार का शीर्षक है "एक्शन ओन असम एकार्ड बिगिन्स बिद डेमोलीशन" पर मकान किसके ढाहे गए? आदिवासियों के मकान ढाहे गए हैं। लगभग 600 मैदानी आदिवासी परिवारों को निर्दयता से निष्कासित किया गया। यद्यपि केन्द्रीय सरकार ने असम राज्य सरकार को निर्देश दिया था कि किसी भी आदिवासी को जहां वह रहता है, वहां से न निकाला जाए। जबकि एक भी विदेशी नागरिक को अभी तक वहां से नहीं निकाला गया है। इसका क्या अभिप्राय है? क्या विदेशी नागरिकों की समस्या की केवल आड़ ली जा रही है या यह एक राजनीतिक छलावरण है? क्या इसका अर्थ हम यह समझें कि वास्तविक लक्ष्य कुछ और है? जो माननीय सदस्य बाधा डाल रहे थे उन्होंने कहा कि "मैं शत-प्रतिशत असमी हूं।" फिर भी मेरे इन व्यक्तियों को, 600 आदिवासी परिवारों को निर्दयता से निकाला गया था। क्या यह असम समझोते को क्रियान्वित करने का अनोखा ढ़ग नहीं है?

श्रीमन् एक लम्बे समय से आदिवासी? आपराधिक का शिकार होते रहे हैं। असम के मैदानी आदिवासियों को संविधान की पांचवी और छठी दोनों सूचियों के लाभों से वंचित किया जाता है। हमारे देश में दूसरे आदिवासियों की तुलना में मैदानी आदिवासियों को सबसे कम विशेषाधिकार प्राप्त हैं।

(व्यवधान)

श्रीमन्, असम में आदिवासी उपयोजना के लिए अनुच्छेद 275 के अधीन केन्द्र सरकार से जो धन प्राप्त होता है उसे भी बैंकों में सावधी जमा खातों में रखा जाता है। उसे आदिवासियों के कल्याण के लिए खर्च नहीं किया जाता है और आदिवासियों को इससे वंचित किया जाता है। छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान केन्द्र सरकार ने असम के आदिवासियों के गांवों के विकास के

लिए 2.66 करोड़ रुपये आबंटित किए थे। लेकिन क्या हुआ ? इस धन का अपव्यय हुआ था। आदिवासी उपयोजना के अधीन इस योजना को कभी भी ठीक प्रकार से क्रियान्वित नहीं किया गया था।

सभापति महोदय, आप लगातार घन्टी बजा रहे हैं और मैं इस भाषण को और लम्बा करना चाहता लेकिन मैं समाप्त करने से पहले मैं एक बुनियादी प्रश्न को उठाना चाहता हूं। बहुसंख्यक समुदाय को विशेष संवैधानिक कानूनी और प्रशासनिक सुरक्षा की आवश्यकता है इसका क्या अर्थ है ? क्या इसका यह अर्थ नहीं कि वर्तमान सवैधानिक उपबन्ध असम के लोगों को पूर्णतया सुरक्षा देने में असफल हो गए है ? अन्यथा केन्द्रीय सरकार, गृहमन्त्रालय, असमी भाषा, संस्कृति परम्परा और असमी लोगों की विरासत की रक्षा के लिए विशेष संवैधानिक, प्रसासनिक और विधायी आश्वासन न देता।

भारत सरकार ने इस असफलता की स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है। असम समझौते की धारा 6 बहुत स्पष्ट है जो बताता है:—"असमी लोगों की सांस्कृतिक, सामाजिक, भाषायी पहचान और असमी लोगों की विरासत की रक्षा और उन्नति के लिए यथोचिक्त संवैधानिक, विधायी और प्रशासनिक उपाय किए जाएंगे।"

जब वर्तमान प्रबन्ध उपाय असम के लोगों की सुरक्षा करने में असफल हो गया है तो इसे आखिरी और अन्तिम उपाप नहीं माना जा सकता इसलिए हमें इस प्रबन्ध को एक लम्बे समय तक जारी रखने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता।

श्रीमन् यह मेरी व्यक्तिगत प्रतिक्रिया नहीं है। यह असम के मैदानी आदिवासियों की प्रतिक्रिया है। यहां मैं असम के मैदानी आदिवासियों का प्रतिनिधित्व करता हूं। मेरा आवाज असम के मैदानी आदिवासियों की आवाज है। आज आदिवासी बहुत बेंचेन व अप्रसन्नन है और इसलिए वे उन क्षेत्रों में स्वायत्ता चाहते हैं। इसलिए उन्होंने यह नारा लगाया है जब तक उदयाचल नहीं बनेगा आराम नहीं लेंगे। उन्होंने अपने क्षेत्र का नाम उदयाचल रखा है। जब तक मैदानी आदिवासियों को उनके क्षेत्रों का स्वामी नहीं बनाया, उनको उनके भाग्य का स्वामी नहीं बनाया जाता, उनके लिए जीना मुश्किल होगा।

3.32 म० प०

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पो संबंधी समिति

सातवां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री हाफिज मोहम्मद सिद्दीक (मुरादाबाद) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा 9 अप्रैल, 1986 को सभा में पेश किए गए गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के 17वें प्रतिवेदन से सहमत है।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा 9 अप्रैल, 1986 को सभा में पेश किये गये गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के 17वें प्रतिवेदन से सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

———

3.32 1/2 म० प०

चुनाव सुधारों संबंधी संकल्प

—[जारी]

[अनुवाद]

सभापति महोदय : सभा अब श्री डी० एन० रेड्डी द्वारा प्रस्तुत निर्वाचन सुधारों सम्बन्धी संकल्प पर आगे चर्चा करेगी।

श्री अब्दुल रशीद काबुली को भाषण जारी रखने के लिए बुलाने से पहले मैं यह कहना चाहूंगा कि इस मद के लिए केवल एक मिनट बाकी बचा है। इस संकल्प पर और बहुत से सदस्य बोलना चाहते हैं। यदि उन्हें अनुमति दी जाती है, तो सभा को इस संकल्प पर चर्चा का समय बढ़ाना होगा। हम समय शायद दो घंटे बढ़ा सकते हैं···

श्री राम सिंह यादव (अलवर) : महोदय, चार घंटे।

संसदीय कार्य और पर्यटन मन्त्री (श्री एच० के० एल० भगत) : फिलहाल इसमें दो घंटे बढ़ा दिए जाएं। यदि आवश्यकता हो तो हम इसे फिर एक बार बढ़ा देंगे।

सभापति महोदय : मैं आशा करता हूं कि सभा सहमत है।

अनेक माननीय सदस्य : जी हां।

सभापति महोदय : अतः दो घंटे का समय और बढ़ाया जाता है।

श्री अब्दुल रशीद काबुली।

[हिन्दी]

श्री अब्दुल रशीद काबुली (श्रीनगर) : जनाब चेयरमैन, मैं चाहूंगा कि हमारे यहां इलेक्शन लाज में जो सबसे बड़ी परेशानी सबके लिए है वह एक तो पैसा, एक मसल पावर और एक सरकारी मशीनरी, मैं सदन से चाहूंगा कि हमें कोई ऐसा रास्ता तलाश करना होगा कि इलेक्शन लाज को इस तरीके से तब्दील कर दिया जाए कि रुपया, मसल पावर और सरकारी मशीनरी किसी भी कैंडीडेट या पार्टी की मदद के लिए किसी भी तरह से इस्तेमाल न हो। मैं आपके माध्यम से यह चाहूंगा और सरकार पर और ऐवान पर यह जोर दूंगा कि हमारे यहां जब भी इलेक्शन का वक्त आता है, उस वक्त जो रूलिंग पार्टी होती है, जो बरसरे इक्तदार

जमात होती है, उनके हाथ में इक्तदा रहती है और इंटेरिम अरेंजमेंट के तौर पर कामचलाऊ सरकार के तौर पर उस वक्त तक बराबर इक्तदार में रहती है जब तक इलेक्शन का प्रोसेस पूरा नहीं होता। मैं समझता हूं कि यह एक बड़ा जबर्दस्त कन्ट्राडिक्शन है। हमने अपने यहां जो डेमोक्रेटिक या जम्हूरियत का रास्ता अपनाया है, उसकी यह नफी है, नैगेशन है। जिस वक्त रूलिंग पार्टी इक्तदार में हो और फिर इलेक्शन में मुखालिफ पार्टियां एक-दूसरे के मुकाबले पर आ जायें तो उस वक्त कोड आफ कन्डक्ट, या कोई मोरल, जो चीजें किताबों में हैं या कांस्टीच्युशन में हैं, वह हम भूल जाते हैं। उस वक्त रूलिंग पार्टी और उसके जितने भी उम्मीदवार इलेक्शन लड़ रहे होते हैं उनकी हर तरह से कोशिश होती है कि वे किसी तरह से इलेक्शन जीत ले। कहीं यह ज्यादा हो रहा है और कहीं कम हो रहा है, लेकिन अक्सर उस वक्त जब इलेक्शन का पीरियड होता है उस वक्त सरकारी मशीनरी का नाजायज इस्तेमाल होता है। उस वक्त कैंडीडेट को जिताने के लिए सारा असरो-रसूक इस्तेमाल किया जाता है। कोई भी पार्टी स्टेट में या मरकज में हुकूमत करे, आमतौर पर यह देखा गया है कि इलेक्शन के दौरान जो सरकार इक्तदार में होती है, वह अपोजीशन के साथ नाइन्साफी करती है।

मैं समझता हूं कि यह चीज इलेक्शन कमीशन की स्वतन्त्रता के असूलों के खिलाफ है। इससे बड़ा नुकशान हो रहा है। मैं चाहूंगा कि कोई ऐसा रास्ता तलाश किया जाए कि जो बार-बार नुक्ताचीनी होती है उसका हल यह हो सकता है कि जिस वक्त इलेक्शन की तैयारी हो रही है उसके लिए चार-छहः महीने का वक्त मुकर्रर किया जाए या जितना भी वक्त हो उस समय गवर्नर के हाथ में सारे अख्तियारात सौंप दिए जायें। इस तरह से कोई रास्ता तलाश करना होगा। जो रूलिंग पार्टी है उसका असरो-रसूक इस कदर बढ़ेगा और यह नुकसान उठाना पड़ेगा। इस तरीके से बडी बदनामी हो रही है। हमेशा से यह शिकायत रही है कि जब भी जिस रियासत में या मरकज में इलेक्शन होता है, उस वक्त अपोजीशन यह चार्जेस लगाती है कि हुक्मरान पार्टी ने धांधली की है, रिगींग की है और फ्राडुलेंट मीन्स से उसने अपने आपको जिताया है। इलेक्शन के अखराजात का जहां तक ताल्लुक है, एक मेम्बर पार्लियामेंट जो इलेक्शन लड़ रहा होता है उम्मीदवार के तौर पर, वह 35 से 50 हजार तक खर्च कर सकता है। उसके लिए बाकायदा उसको हिसाब देना होता है और कागजात पूरे करके इलेक्शन कमीशन को देने होते हैं। एक तरफ से तो यह रकम मखसूस कर दी गई है लेकिन दूसरी तरफ से जो उसके दोस्ट, सपोर्टर या जो उसकी पोलिटिकल पार्टी है, जितनी भी उसकी मदद करेगी चाहे पोस्टर, जीप पैट्रोल या बाकी सारा प्रोपोगंडा उसके नाम से जितना भी पैसा खर्च किया जाए, उसके लिए खुली छूट है। मैं समझता हूं कि इससे तो मकसद फोत हो रहा है। यह जो सारा इलेक्शन प्रोसेस है, इसमें एक बहुत ही जबर्दस्त करप्शन आ रहा है और धांधली हो रही है। यही वजह है कि हमारे यहां जो बड़े-बड़े पूंजीपति या इन्फ्लुएन्शियल लोग हैं और जो चाहते हैं कि पार्लियामेंट और स्टेट असेम्बलीज में उनकी अपनी लाबीज हो। इसी वजह से टाटा, बिरला जैसे लोग हममें से कुछ लोगों को खरीदकर, असरो-रसूक पैदा करके खास किस्म की लाबीज अपने इन्टरेस्ट के लिए बना देते हैं। इसको खत्म करना पड़ेगा। काबलियत, सलाहियत और पब्लिक में जो उसकी पापुलेरिटी होगी, उसकी बुनियाद पर एक आदमी इलेक्शन जीतकर आ जाए इसका मार्ग तलाश करना होगा। जितनी ताकत है या मसल पावर है, वह तभी आएगी जब पैसा होगा और गुन्डे तथा

[श्री अब्दुल रसीद काबुली]
दूसरों की सपोर्ट मिलेगी। वह समझते हैं कि यह बड़ा आसान है क्योंकि पैसा ही इलेक्शन में अहम रोल अदा करता है।

इसलिए यह बात मैं आपकी मार्फत कहना चाहता हूं। मैं चाहता हू इस सिलसिले में राज्य अगर कुछ इलेक्शन के मेटिरियल की उसको मदद करे तो ठीक है, लेकिन पैसे और हर तरह से उसकी मदद की जाए। मैं समझता हूं गलत है। राज्य उसके लिए कोई जिम्मेदारी कबूल करके राज्य की तरफ से उसको इस मामले में मदद मिले। जो आपने 35 हजार या 40 हजार रख दिए उसको रहने दीजिए लेकिन राज्य जहां भी उसको जरूरत है, जहां रुपया बढ़ता है, उम्मीदवार के लिए जरूरी है उसकी सारी मदद राज्य से आनी चाहिए इसका भी फैसला करना पड़ेगा। रकम की सूरत में नहीं, बल्कि वह मेटिरियल में होगी और कैश में नहीं होगी। जो हमारी इलेक्शन और गवर्नमेंट है उसमें एक और परेशानी है। स्पीकर। स्पीकर का जो इलेक्शन हो जाता है और बाद में स्पीकर पार्लियामेंट और स्टेट असेम्बलीज में उसका आमतौर से जो एटींट्यूट होता है उसको अपनी पार्टी खुश करनी पड़ती है। उसको पार्टी के दबाव में आकर पार्टी के इन्टरेस्ट में पार्टी का खयाल रखना पड़ता है और आमतौर से यह ओपोजीशन की शिकायतें बढ़ती हैं कि स्पीकर भी इस मामले में बेबस है आखिर उसको भी 5 साल के बाद पार्टी के आगे इलेक्शन के लिए जाना है। फिर उसको बतौर उम्मीदवार के इलेक्शन लड़ना है। मैं इस बारे में इस सदन में कोई खास तजवीज नहीं ला रहा। लेकिन मैं चाहूंगा इसके बारे में सोचा जाए कि स्पीकर एक वक्त के लिए महफूज है उसके बाद के लिए स्पीकर हो जाएगा तो उसको आइन्दा इलेक्शन में लड़ने की क्या जरूरत होती है। मेरे सामने इसका कोई उत्तर नहीं है। मैं समझता हूं सदन को इसके बारे में सोचना चाहिए वरना स्पीकर इस कुर्सी पर बैठकर देखे कि सारा सदन उसको बराबर होना चाहिए, एक समान होना चाहिए ओपोजिशन और रूलिंग पार्टी, वह नहीं रह पाता और यह प्रेक्टिकल एक्सपीरिएन्स है हमारी डेमोक्रेसी का कि स्पीकर इस बैलेंस को, इस तराजू को कायम नहीं कर सकता जिसकी जिम्मेदारी उसको सौंपी गई है जिसके लिए वह बाकायदा कमिटेड़ है हाउसेज के लिए और संविधान के लिए। मैं चाहता हूं वह ऐसा नहीं करता, अगर वह ईमानदार है और समान सलूक करे तो दूसरे दिन उसको अपनी पार्टी की तरफ से छुट्टी मिल जाएगी और उसको वोट आफ नो कांफीडेंस करके निकाल देंगे। मैं चाहूंगा यह एक चीज हमारी डेमोक्रेसी में बहुत खटकती है जो हमने अपने लिए एक मार्ग इख्तियार किया है उसमें यह चीज बहुत खटक रही है इसका कोई उपाय और रास्ता तय करना होगा।

तीसरी बात मैं यह कहता हूं इसके आइंदा इलेक्शन के लिए कोई रास्ता।

चौधरी सुन्दर सिंह (फिल्लौर) : पाइन्ट आफ आर्डर। आपने कहा कि जो स्पीकर है वह इम्पार्शियल होना चाहिए तो उसके मुकाबले में खड़ा क्यों करते हो···

[अनुवाद]

सभापति महोदय : इसमें कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

[हिन्दी]

श्री अब्दुल रशीद काबुली : वही बोल रहा हूं उसके इलेक्शन के लिए कोई रास्ता तैयार करके···

श्री रामसिंह यादव (अलवर) : यह ओपोजीशन की जिम्मेदारी आप समझें।

श्री अब्दुल रशीद काबुली : मैंने आप पर बात छोड़ दी है। मैं कहता हूं यह एक

प्रोब्लम है, हमारे सामने एक गम्भीर मसला है कि एक स्पीकर जो अपने आप को महफूज नहीं समझता 5 साल के लिए उसको आखिर फिर अपनी पार्टी के लिए झुकना पड़ता है। पार्टी उसको फिर मेंडेट देगी तभी वह वापिस आएगा। अगर उसकी पार्टी यह समझती है कि यह जरूरत से ज्यादा ईमानदार बन रहा है ओपोजिशन को बराबर का स्थान दे रहा है हाउस में और यह हमारे हकों की ज्यादा निगहबानी नहीं कर रहा और इस तरफ झुक नहीं रहा तो उस सूरत में यह कहिये कि उसको अपनी नौकरी से या स्पीकरशिप से हाथ धोना पड़ेगा।

इसलिए मैं अर्ज कर रहा हूं अगर स्पीकर के लिए मुस्तकबिल के लिए···यह ला मिनिस्टर को देखना है, यह आपको देखना है, यह सदन को देखना है कि एक स्पीकर एक बार जैसे हमारी कोर्टस में जज की ट्यूनर होती है उसकी जितनी सिक्योरिटी है पूरा ध्यान रखा जाता है ज्यूडिशियरी में, इसी तरीके से मैं समझता हूं उसको पूरी गारन्टी और पूरा एश्योरेन्स स्पीकर को देना पड़ेगा। तभी वह स्पीकर ईमानदारी से बराबर सबको देखेगा और हाउस का काम अच्छे ढंग से निभा सकेगा और किसी की तरफदारी नहीं करेगा। क्योंकि उसके मुस्तकबिल के लिए पूरी गारन्टी होनी चाहिए। ओपोजिशन और रूलिंग पार्टी दोनों उसके इलेक्शन लड़ने में बाधा नहीं डालेंगी और इलेक्शन लड़ने में उसकी पूरी सहायता करेंगी। यह मेरा इस मामले में सुझाव है···

श्री इब्राहीम सुलेमान सेठ (मंजरी) : इलेक्शन के बाद उसी को स्पीकर बनाया जायेगा इसकी क्या गारन्टी है···

श्री अब्दुल रशीद काबुली : सेठ साहब, चूंकि यह सवाल मेरे जहन में बार-बार लरक करता है और इस वक्त उस पर बहस चल रही है इसलिए मैं सोचता हूं कि आपको इस पर गौर करना चाहिए और इसीलिए मैंने आपके सामने यह सजेस्शन दी कि आप इस पर विचार करें और इलेक्शन में हमारी मिनिस्ट्री को, हमारी गवर्नमेंट को इस चीज की तरफ मुतवज्जह होना चाहिए। आपको देखना चाहिए कि हम इसमें से कौन सा रास्ता निकालें।

एक और बात मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं। हमने रिजर्वेशन की पौलिसी अख्तयार की है और कान्सटीट्यूशन में इसका प्रावधान किया है कि हम हरिजन, आदिवासी वगैरह को रिजर्वेशन देंगे। इस तरह से हम हर साल उनको ला रहे हैं। उनको पूरा हक है और उनको यह अधिकार देना हमारा फर्ज है लेकिन मैं समझता हूं कि बाद में यह एक किस्म के गलत प्रिविलेज या गैर-उसूली तोर पर नहीं होना चाहिए। हमारे यहां मुल्क में हरिजन बहुत पसमान्दा हैं और उनको आगे बढ़ाने के लिए हमें पूरा सलूक, पूरा सहयोग और पूरी मदद देनी चाहिए और उनके लिए रिजर्वेशन होना चाहिए। वे भी अधिकार हमने उनको दिए हैं, वे उसका पूरा हक रखते हैं लेकिन यह बात भी सही है कि दूसरी कम्यूनिटीज में भी कुछ ऐसे तबकात हैं, कई माइनोरिटीज में, सोसायटी में ऐसी क्लासेज हैं, सेक्शन हैं, जो बहुत पिछड़े हुए हैं और बहुत गरीब हैं। मैं आपसे इस सदन में पूछना चाहता हूं कि आपके मन्त्रालय ने क्या उनके बारे में भी कुछ सोचा है। बहुत से तबकात ऐसे हैं जिनकी जिन्दगी हरिजनों से भी ज्यादा गई-गुजरी है। सिक्खों में भी ऐसे तबकात मौजूद हैं जो मजहबी सिक्ख के नाम से जाने जाते हैं, क्रिश्चयनों में भी हैं दूसरी जातियों में भी हैं और उनकी संख्या, उनकी तादाद काफी है जो इस मुल्क में रहते हैं लेकिन उनके लिए हमारे कान्सटीट्यूशन में कोई जगह नहीं है।

चौधरी सुन्दर सिंह : मैं इस बात को मानता हूं, लेकिन इससे एक बात जरूर इन बिरादरी में पैदा हो जाएगी कि हिन्दू, क्रिश्चियन, मुसलमान आदि सब इकट्ठे हो जाएंगे, और फिर आपका भट्टा बैठ जाएगा। फिर अमीर आदमी और हिन्दू आदि सब खत्म हो जाएंगे और आखिरी वक्त यही आना है।

श्री अब्दुल रशीद काबुली : अपने अल्फाज को जोर देकर मैं यही कहना चाहता हूं कि हमारे कांसटीट्यूशन में यह एक इन्हेरेन्ट फ्ला है। आप मुझे बताईये कि कहां इस किस्म का रिजर्वेशन है जो मुसलमान, पसमान्दा जातियों के लिए या दूसरी माइनौरिटी कम्यूनिटीज के लिए, पसमान्दा तबकात के लिए बना हो। उनके लिए आपने क्या कान्सटीट्यूशन में रख छोड़ा है। यह इनजस्टिस है और कहीं न कहीं आपने इसे खत्म करना है। यही वजह है कि जहां हमारे मुल्क में मुसलमानों की आबादी 10 करोड़ से ज्यादा है, उनके प्रोपोर्शनेटली यहां पर एम० पीज० आने चाहिये, आप बताईये कि क्या उनकी उस प्रोपोर्शन में यहां तादाद है। यह बात ठीक है कि सबने इलेक्शन्स लड़ना है और इसमें कोई अन्तर नहीं है लेकिन कम से कम हुकमरान पार्टी को और आपकी मिनिस्ट्री का यह फर्ज है कि हमारे मुल्क में जितनी डिफरेन्ट कैटेगरीज हैं, उन सबके नुमाइन्दे उसी प्रोपोर्शन में यहां आने चाहिए, जिसमें वे हैं। यही वजह है कि आज मुसलमानों की बहुत बड़ी आबादी, बहुत बड़ा तबका गरीब है, पसमान्दा है और उनकी हालत बहुत खराब और शोचनीय है। पोलिटीकली और लिटरेरी तौर पर भी वे बहुत बैकवर्ड हैं। इसलिए मैं चाहूंगा कि जहां आपने हरिजनों के लिए रिजर्वेशन दिया है, मैं उसकी मुखालफत नहीं कर रहा हूं, आप उस चीज को रहने दें, लेकिन साथ-साथ जितनी दूसरी कम्यूनिटीज हैं उनकी तरफ भी नजरे-इनायत कीजिये, उनकी तरफ भी देखिये, उनको भी जस्टिस दिलाइये क्योंकि हमारी सैक्यूलर डैमोक्रेटिक स्टेट में उनको भी उतने ही हक है जितने दूसरी कम्यूनिटीज को हासिल हैं। हिन्दू, मुसलमान, सिक्ख, इसाई, पारसी किसी में कोई अन्तर नहीं है, क्योंकि हमने अपने यहां सैक्यूलरिज्म अपनाया है। इसलिए यदि कोई भी कम्यूनिटी कहीं भी पिछड़ रही है तो उसको सही रूप से आगे लाने के लिए आपको पहल करनी पड़ेगी और इसमें कोई नाईन्साफी नहीं है।

आखिर में, मैं इन्डीपेंन्डेंट इलेक्शन मशीनरी की बाबत कहना चाहूंगा क्योंकि वह बहुत जरूरी है। आप और हम सब इलेक्शन लड़ने जाते हैं, चाहे स्टेट के इलेक्शन हों, पार्लियामेंट के इलेक्शन्स हों लेकिन उस वक्त हम मखसूस डिपार्टमैंटस में से वहां पर नफरी तलाश करते हैं और खसूसी डिपार्टमैंटस में से उनको तलाश करते हैं और हर मिनिस्टर का अपने डिपार्टमैंट में इंटरेस्ट होता है। मैं चाहूंगा कि मुल्क में कोई एक परमानैंट, पायेदार और मुस्तकिल, इस किस्म का इलेक्शन कार्यालय बन जाना चाहिए जो हर इलेक्शन में पूरी ईमानदारी के साथ काम करे, अपनी जिम्मेदारी को पूरी तरह निभाये। उसके टैन्योर, मुलाजमात, उसके सारे हकूक को तहफूज मिलना चाहिए ताकि कल को कोई मिनिस्टर या रूलिंग पार्टी नाराज होकर उसको सता न पाये। इस किस्म की गारन्टी, हकूक, जमानत, मुकम्मल तौर पर होनी चाहिए। इस मुल्क में ऐसे परमानैंट इलेक्शन कमीशन या कार्यालय के खोलने की बहुत जरूरत है।

[شری عبدالرشید کابلی (سری نگر) جناب چیرمین - میں چاہوں گا کہ ہمارے یہاں ایلکشن لاز میں جو سب سے بڑی پریشانی سب کے لئے ہے وہ ایک دو پیسہ ایک مسل پاور ایک سرکاری مشینری۔ میں سدن سے چاہوں گا کہ ہمیں کوئی ایسا راستہ تلاش کرنا ہوگا کہ ایلکشن لاز کو اس طریقے سے تبدیل کر دیا جائے کہ روپیہ مسل پاور اور سرکاری مشینری کسی بھی کینڈیڈیٹ یا پارٹی کی مدد کے لئے کسی بھی طرح سے استعمال نہ ہو۔ میں آپ کے مادھیم سے یہ چاہوں گا اور سرکار پر اور ایوان پر یہ زور دوں گا کہ ہمارے یہاں جب بھی ایلکشن کا وقت آتا ہے اس وقت جو رولنگ پارٹی ہوتی ہے جو برسر اقتدار جماعت ہوتی ہے ان کے ہاتھ میں اقتدار رہتی ہے اور انٹیرم ارینجمنٹ کے طور پر کام چلاؤ سرکار کے طور پر اس وقت تک برابر اقتدار میں رہتی ہے جب تک ایلکشن کا پروسیس پورا نہیں ہوتا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بڑا زبردست کنٹرائکشن ہے۔ ہم نے اپنے یہاں جو ڈیموکریٹک یا جمہوریت کا راستہ اپنایا ہے اس کی یہ نفی ہے نیگیشن ہے۔ جس وقت رولنگ پارٹی اقتدار میں ہو اور پھر ایلکشن میں مخالف پارٹیاں ایک دوسرے کے مقابلے پر آجائیں تو اس وقت کوئی آف کنڈکٹ یا کوئی مورل جو چیزیں کتابوں میں ہیں یا کانسٹی ٹیوشن میں ہیں وہ ہم بھول جاتے ہیں۔ اس وقت رولنگ پارٹی اور اس کے جتنے بھی امیدوار ایلکشن لڑ رہے ہوتے ہیں ان کی ہر طرح سے کوشش ہوتی ہے کہ وہ کسی طرح سے ایلکشن جیت لیں۔ کہیں یہ زیادہ ہو رہا ہے اور کہیں کم ہو رہا ہے لیکن اکثر اس وقت جب ایلکشن کا پیریڈ ہوتا ہے اس وقت سرکاری مشینری کا ناجائز استعمال ہوتا ہے۔ اس وقت کینڈیڈیٹ کو جیتانے کے لئے سارا اثر و رسوخ استعمال کیا جاتا ہے۔ کوئی بھی پارٹی اسٹیٹ میں یا مرکز میں حکومت کرے عام طور پر یہ دیکھا گیا ہے کہ ایلکشن کے دوران جو سرکار اقتدار میں ہوتی ہے وہ اپوزیشن کے ساتھ ناانصافی کرتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں یہ چیز ایلکشن کمیشن کی سوتنترتا کے اصولوں کے خلاف ہے۔ اس سے بڑا نقصان ہو رہا ہے۔ میں چاہونگا کہ کوئی ایسا راستہ تلاش کیا جائے کہ جو بار بار نکتہ چینی ہوتی ہے اس کا حل یہ ہو

سکتا ہے کہ جس وقت الیکشن کی تیاری ہو رہی ہے اس کے لیے چار چھ مہینے کا وقت مقرر کیا جائے یا جتنا بھی وقت ہو اس سمے گورنر کے ہاتھ میں سارے اختیارات سونپ دیے جائیں۔ اس طرح کوئی راستہ تلاش کرنا ہو گا۔ جو رولنگ پارٹی ہے اس کا اثر و رسوخ اس قدر بڑھے گا اور یہ نقصان اٹھانا پڑے گا۔ اس طریقے سے بڑی بدنامی ہو رہی ہے۔ ہمیشہ سے یہ شکایت رہی ہے کہ جب بھی جس ریاست میں یا مرکز میں الیکشن ہوتا ہے اس وقت اپوزیشن یہ چارجز لگاتی ہے کہ حکمراں پارٹی نے دھاندلی کی ہے ریگنگ کی ہے اور فراڈ ولینٹ مینرس سے اس نے اپنے آپ کو جیتایا ہے۔ الیکشن کے اخراجات کا جہاں تک تعلق ہے ایک ممبر پارلیمنٹ جو الیکشن لڑ رہا ہوتا ہے امیدوار کے طور پر وہ ۳۵ سے ۵۰ ہزار تک خرچ کر سکتا ہے۔ اس کے لئے باقاعدہ اس کو حساب دینا ہوتا ہے اور کاغذات پورے کر کے الیکشن کمیشن کو دینے ہوتے ہیں۔ ایک طرف سے تو یہ رقم مخصوص کر دی گئی ہے لیکن دوسری طرف سے جو اس کے دوست سپورٹر یا جو اس کی پولیٹکل پارٹی ہے جتنی بھی اس کی مدد کرے گی چاہے پوسٹر جیپ پیٹرول یا باقی سارا پروپیگنڈا اس کے نام سے جتنا بھی پیسہ خرچ کیا جائے اس کے لئے چھوٹ ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس سے تو مقصد فوت ہو رہا ہے۔ یہ جو سارا الیکشن پروسس ہے اس میں ایک بہت ہی زبردست کرپشن آ رہا ہے اور دھاندلی ہو رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے یہاں جو بڑے بڑے پونجی پتی یا انفلوئنشل لوگ ہیں اور جو چاہتے ہیں کہ پارلیمنٹ اور اسٹیٹ اسمبلیز میں ان کی اپنی لابیز ہوں۔ اس وجہ سے ٹاٹا برلا جیسے لوگ ہم میں سے کچھ لوگوں کو خرید کر اثر و رسوخ پیدا کر کے خاص قسم کی لابیز اپنے انٹریسٹ کے لیے بنا دیتے ہیں۔ اس کو ختم کرنا پڑے گا۔ قابلیت، صلاحیت اور پبلک مین جو اس کی پاپولرٹی ہو گی اس کی بنیاد پر ایک آدمی الیکشن جیت کر آ جائے اس کا مارگ تلاش کرنا ہو گا۔ جتنی طاقت ہے یا مسل پاور ہے وہ بھی آئے گی جب پیسہ ہو گا اور غنڈے تتھا دوسروں کی سپورٹ ملے گی۔ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بڑا آسان ہے کیونکہ پیسہ ہی الیکشن میں اہم رول ادا کرتا ہے۔ اس لیے یہ بات میں آپ کی معرفت

کہنا چاہتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں اس سلسلے میں راجیے اگر کچھ الیکشن کے میٹریل کی اس کو مدد کرے تو ٹھیک ہے۔ لیکن پیسے اور ہر طرح سے اس کی مدد کی جائے، میں سمجھتا ہوں غلط ہے۔ راجیے اس کے لئے کوئی ذمہ داری قبول کرے۔ راجیے کی طرف سے اس کو اس معاملے میں مدد ملے۔ جو آپ نے ۳۵ ہزار یا ۴۰ ہزار رکھ دئے اس کو رہنے دیجیے لیکن راجیے جہاں بھی اس کو ضرورت ہے جہاں روپیہ بڑھتا ہے امیدوار کیلئے ضروری ہے اس کی ساری مدد راجیے سے آنی چاہیئے اس کا بھی فیصلہ کرنا پڑے گا۔ رقم کی صورت میں نہیں بلکہ وہ میٹیریل میں ہوگی اور کیش میں نہیں ہوگی۔ جو ہمارا الیکشن اور دورنمنٹ ہے اس میں ایک اور پریشانی ہے۔ اسپیکر۔ اسپیکر کا جو الیکشن ہو جاتا ہے اور بعد میں اسپیکر پارلیمنٹ اور اسٹیٹ اسمبلیز میں اس کا عام طور سے جو ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے اس کو اپنی پارٹی خوش کرنی پڑتی ہے۔ اس کو پارٹی کے دباؤ میں آکر پارٹی کے انٹرسٹ میں پارٹی کا خیال رکھنا پڑتا ہے اور عام طور سے یہ اپوزیشن کی شکایتیں بڑھتی ہیں کہ اسپیکر بھی اس معاملے میں بےبس ہے آخر اس کو بھی ۵ سال کے بعد پارٹی کے آگے الیکشن کے لئے جانا ہے۔ پھر اس کو بطور امیدوار کے الیکشن لڑنا ہے۔ میں اس بارے میں اس سدن میں کوئی خاص تجویز نہیں لارہا لیکن میں چاہوں گا اس کے بارے میں سوچا جائے کہ اسپیکر ایک وقت کے لئے محفوظ ہے اس کے بعد کے لئے اسپیکر ہو جائے گا تو اس کو آئندہ الیکشن میں لڑنے کی کیا ضرورت ہوتی ہے میرے سامنے اس کا کوئی اُتّر نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں سدن کو اس کے بارے میں سوچنا چاہیے ورنہ اسپیکر اس کرسی پر بیٹھ کر دیکھے کہ سارا سدن اس کو برابر ہونا چاہیئے ایک سمان ہونا چاہیئے۔ اپوزیشن اور رولنگ پارٹی وہ نہیں رہ پاتا اور وہ پریکٹیکل ایکسپیریئنس ہے۔ ہماری ڈیموکریسی کا کہ اسپیکر اس بیلنس کو اس ترازو کو قائم نہیں کر سکتا جس کی ذمہ داری اس کو سونپی گئی ہے۔ جس کے لئے وہ باقاعدہ نمیٹڈ ہے۔ ہاؤسز کے لئے اور سنودھان کے لئے۔ میں سمجھتا ہوں وہ ایسا نہیں کرتا اگر وہ ایماندار ہے اور سمان سلوک کرے تو دوسرے دن اس کو اپنی پارٹی کی طرف سے چھٹی مل جائے گی۔ اور اس کو ووٹ آف نو کانفیڈینس کرکے نکال دیں گے۔ میں چاہوں گا یہ ایک چیز ہماری ڈیموکریسی میں بہت کھٹکتی ہے جو ہم نے اپنے لیے ایک مارگ اختیار کیا ہے اس میں یہ چیز بہت کھٹک

رہی ہے۔ اس کا کوئی اُپائے اور راستہ طے کرنا ہوگا۔ تیسری بات میں یہ کہتا ہوں کہ اس کے آئندہ الیکشن کے لئے کوئی راستہ .....

<u>چودھری سندر سنگھ</u> : پائنٹ آف آرڈر۔ آپ نے کہا کہ جو اسپیکر ہے وہ امپارشیل ہونا چاہئے تو اس کے مقابلے میں کھڑا کیوں کرتے ہیں....

Mr. Chaiman: There is no point of order.

<u>شری عبدالرشید کابلی</u> : وہی بول رہا ہوں اس کے الیکشن کے لیے کوئی راستہ تیار کرکے .....

شری رام سنگھ یادو : یہ اپوزیشن کی ذمہ داری آپ سمجھیں۔.....

شری عبدالرشید کابلی : میں نے آپ پر بات چھوڑ دی ہے۔ میں کہتا ہوں یہ ایک پرابلم ہے ہمارے سامنے ایک گمبھیر مسئلہ ہے کہ ایک اسپیکر اپنے آپ کو محفوظ نہیں سمجھتا ۵ سال کے لیے اس کو آخر پھر اپنی پارٹی ٹکٹ کے لئے جھکنا پڑتا ہے۔ پارٹی اس کو پھر منڈیٹ دیگی تبھی وہ واپس آئے گا۔ اگر اس کی پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ یہ ضرورت سے زیادہ ایماندار بن رہا ہے۔ اپوزیشن کو برابر کا استھان دے رہا ہے ہاؤس میں اور یہ ہمارے حقوق کی زیادہ نگہبانی نہیں کر رہا ہے اور اس طرف جھک نہیں رہا تو اس صورت میں یہ کہیے کہ اس کو اپنی نوکری سے یا اسپیکرشپ سے ہاتھ دھونا پڑے گا۔

اس لیے میں عرض کر رہا ہوں اگر اسپیکر کے لیے مستقبل کے لیے یہ لا منسٹر کو دیکھنا ہے کہ ایک اسپیکر ایک بار جیسے ہماری کورٹس میں جج کی ٹیونر ہوتی ہے جتنی اس کی سیکورٹی ہے پورا دھیان رکھا جاتا ہے جیوڈیشیری میں اس طریقے سے میں سمجھتا ہوں اس کو پوری گارنٹی اور پورا ایشورنس اسپیکر کو دینا پڑے گا تبھی وہ اسپیکر ایمانداری سے برابر سب کو دیکھے گا اور ہاؤس کا کام اچھے ڈھنگ سے نبھا سکیگا اور کسی کی طرفداری نہیں کرے گا کیونکہ اس کے مستقبل کے لئے پوری گارنٹی ہونی چاہیے۔ اپوزیشن اور رولنگ پارٹی دونوں اس کے الیکشن لڑنے میں بادھا نہیں ڈالیں گی اور الیکشن لڑنے میں اس کی پوری سہایتا کریں گی۔

یہ میرا اس معاملے میں سجھاؤ ہے....

شری ابراہیم سلیمان سیٹھ : الیکشن کے بعد اس کو اسپیکر بنایا جائیگا اس کی کیا گارنٹی ہے....

شری عبدالرشید کابلی : چونکہ یہ سوال میرے ذہن میں بار بار ٹرک کرتا ہے اور اس وقت اس پر بحث چل رہی ہے اس لیے میں سوچتا ہوں کہ آپ کو اس پر غور کرنا چاہیے اور اس لیے میں نے آپ کے سامنے یہ سجیشن دی کہ آپ اس پر ویچار کریں اور الیکشن میں ہماری منسٹری کو ہماری گورنمنٹ کو اس چیز

کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ آپ کو دیکھنا چاہیئے کہ ہم اس میں سے کون سا راستہ نکالیں۔

ایک اور بات میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ہم نے ریزرویشن کی پالیسی اختیار کی ہے اور کانسٹی ٹیوشن میں اس کا پراودھان کیا ہے کہ ہم ہریجن آدی واسی کو ریزرویشن دیں گے۔ اس طرح سے ہم ہر سال ان کو لا رہے ہیں۔ ان کو پورا حق ہے اور ان کو یہ ادھیکار دینا ہمارا فرض ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ بعد میں یہ ایک قسم کے غلط پریویلیج یا غیر اصولی طور پر نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارے یہاں ملک میں ہریجن بہت پسماندہ ہیں اور ان کو آگے بڑھانے کے لئے ہمیں پورا سلوک پورا سہیوگ اور پوری مدد دینی چاہیے اور ان کے لئے ریزرویشن ہونا چاہیے۔ وہ بھی ادھکار ہم نے ان کو دیے ہیں۔ وہ اس کا پورا حق رکھتے ہیں لیکن یہ بات بھی صحیح ہے کہ دوسر کمیونٹیز میں بھی کچھ ایسے طبقات ہیں کئی مائنارٹیز میں سوسائٹی میں ایسی کلاسز ہیں۔ سیکشن ہیں جو بہت پچھڑے ہوئے ہیں اور بہت غریب ہیں۔ میں آپ سے اس سدن میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کے منترالیے نے کیا ان کے بارے میں بھی کچھ سوچا ہے۔ بہت سے طبقات ایسے ہیں جنکی زندگی ہریجنوں سے بھی زیادہ گئی گزری ہے۔ سکھوں میں بھی ایسے طبقات موجود ہیں جو مذہبی سکھ کے نام سے جانے جاتے ہیں کرسچینوں میں بھی ہیں۔ دوسری جاتیوں میں بھی ہیں اور ان کی سنکھیا ان کی تعداد کافی ہے جو اس ملک میں رہتے ہیں لیکن ان کے لئے ہمارے کانسٹی ٹیوشن میں کوئی جگہ نہیں ہے۔

چودھری سندر سنگھ : میں اس بات کو مانتا ہوں لیکن اس سے ایک بات ضرور ان برادی میں پیدا ہو جائے گی کہ ہندو، کرسچین مسلمان آدی سب اکٹھے ہو جائیں گے اور پھر آپ کا بھٹا بیٹھ جائے گا پھر امیر آدی اور ہندو آدی سب ختم ہو جائیں گے اور آخری وقت یہی آنا ہے۔

شری عبدالرشید کابلی : اپنے الفاظ پر زور دے کر میں یہی کہنا چاہتا ہوں ہمارے کانسٹی ٹیوشن میں یہ ایک انہیرنٹ پھلا ہے۔ آپ مجھے بتائیے کہ کہاں اس قسم کا رزرویشن ہے جو مسلمان پس ماندہ جاتیوں کے لئے یا دوسری کمیونٹیز کے لئے پس ماندہ طبقات کے لئے بنا ہو۔ ان کے لئے آپ نے کیا کانسٹی ٹیوشن میں رکھ چھوڑا ہے۔ یہ انجسٹس ہے اور کہیں نہ کہیں آپ نے اسے ختم کرنا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جہاں ہمارے ملک میں مسلمانوں کی آبادی ۱۰ کروڑ سے زیادہ ہے ان کے پروپورشنیٹلی یہاں پر ایم پیز آنے چاہئے۔ آپ بتائیے کہ کیا ان کی اس پروپورشن میں یہاں تعداد ہے۔ یہ بات ٹھیک ہے کہ سب نے الیکشن لڑنا ہے اور اس میں کوئی انتر نہیں

ہے لیکن کم سے کم حکمراں پارٹی کو اور آپ کی منسٹری کا یہ فرض ہے کہ ہمارے ملک میں جتنی ڈیفرنٹ کیٹیگریز ہیں ان سب کے نمائندے اس پروپورشن میں یہاں آنے چاہیئے۔ جس میں وہ ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج مسلمانوں کی بہت بڑی آبادی بہت بڑا طبقہ غریب ہے پس ماندہ ہے اور ان کی حالت بہت خراب اور شوچنیے ہے۔ پولیٹیکلی اور کنٹریری طور پر بھی وہ بہت بیک ورڈ ہیں۔ اس لئے میں چاہونگا کہ جہاں آپ نے ہریجنوں کے لیے ریزرویشن دیا ہے میں اس کی مخالفت نہیں کر رہا ہوں۔ آپ اس چیز کو رہنے دیں آگے چلنے دیں لیکن ساتھ ساتھ جتنی دوسری کمیونیٹیز ہیں ان کی طرف بھی نظرِ عنایت کیجئے ان کی طرف بھی دیکھیے ان کو بھی جسٹس دلائیے کیونکہ ہماری سیکولر ڈیموکریٹک اسٹیٹ میں ان کو بھی اتنے ہی حق ہیں جتنے دوسری کمیونیٹیز کو حاصل ہیں ہندو مسلمان سکھ عیسائی پارسی کسی میں کوئی انتر نہیں ہے کیونکہ ہم نے اپنے یہاں سیکولرزم اپنایا ہے اس لئے یدی کوئی بھی کمیونٹی کہیں بھی پچھڑ رہی ہے تو اس کو صحیح روپ آگے لانے کے لیے آپ کو پہل کرنی پڑے گی اور اس میں کوئی ناانصافی نہیں ہے۔

آخر میں میں انڈیپنڈینٹ الیکشن مشنری کی بابت کہنا چاہوں گا کیونکہ وہ بہت ضروری ہے۔ آپ اور ہم سب الیکشنس لڑنے جاتے ہیں چاہے اسٹیٹ کے الیکشنس ہوں پارلیمنٹ کے الیکشنس ہوں لیکن اس وقت ہم مخصوص ڈپارٹمنٹس میں سے وہاں پر نفری تلاش کرتے اور خصوصی ڈپارٹمنٹس میں سے ان کو تلاش کرتے ہیں اور ہر منسٹر کا اپنے ڈپارٹمنٹ میں انٹریسٹ ہوتا ہے۔ میں چاہوں گا کہ ملک میں کوئی ایک پرمانینٹ پائیدار اور مستقل اس قسم کا الیکشن کاریالیہ بن جانا چاہیے جو ہر الیکشن میں پوری ایمانداری کے ساتھ کام کرے اپنی ذمہ داری کو پوری طرح نبھائے۔ اس کے ٹینیمور ملازمات اس کے سارے حقوق کو تحفظ ملنا چاہیے تاکہ کل کو کوئی منسٹر یا رولنگ پارٹی ناراض ہو کر اس کو ستا نہ پائے۔ اس قسم کی گارنٹی حقوق ضمانت مکمل طور پر ہونی چاہیے۔ اس ملک میں ایسے پرمانینٹ الیکشن کمیشن یا کاریالے کھولنے کی بہت ضرورت ہے۔]

[हिन्दी]

श्री वृद्धि चन्द्र जैन (बाड़मेर) : सभापति जी, चुनाव सुधार के बारे में जो प्रस्ताव श्री रेड्डी साहब ने पेश किया है, मैं उसका समर्थन करता हूं। सन् 1952 से चुनाव हो रहे हैं और यह तो देश के नागरिकों ने साबित कर दिया है कि प्रजातन्त्रीय प्रणाली में, जिस आधार पर चुनाव कर रहे हैं, करा रहे हैं, वह बहुत ही सफल हुए हैं और हिन्दुस्तान की जनता इस चुनाव-प्रणाली को पसन्द करती है, प्रजातन्त्र की प्रणाली को पसन्द करती है। मतदान की प्रणाली को पसन्द करती है और उसका निर्णय समय-समय पर हिन्दुस्तान की जनता ने दिया है। राज्यों में सरकारें बदली हैं, केन्द्र में भी सरकारें बदली हैं और उन्होंने अपने अधिकार का सही तरीके से प्रयोग किया है, परन्तु इन चुनावों में खामियाँ भी हो जाती हैं क्योंकि मनुष्य में जब कमियाँ हैं, तो वे कमियाँ इन चुनावों में भी आ जाती हैं। सबसे बड़ी समस्या हमारे सामने यह है कि जो निर्दलीय उम्मीदवार खड़े होते हैं उनको हम मना नहीं कर सकते हैं। क्योंकि अगर निर्दलीय इस योग्य हों, तो वे क्यों न विधान सभा के सदस्य बनें और क्यों न लोक सभा के सदस्य बनें। उनके ऊपर ये प्रतिबन्ध लगाना कि वे पार्टी के आधार पर ही खड़े हों यह हम नहीं कर सकते हैं। परन्तु यह स्थिति हमारे सामने अवश्य आई है कि निर्दलियों के खड़े होने से भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिला है। कुछ पार्टियों के उम्मीदवार निर्दलीयों को खड़ा कर देते हैं और वे इसलिए खड़ा कर देते हैं कि उनको सफलता मिले और वे दूसरों को हरा सकें। निर्दलीयों को खड़ा करते हैं और पैसे का प्रयोग भी करते हैं। निर्दलीय लोग भी इसलिए खड़े हो जाते हैं क्योंकि वे भी चाहते हैं कि पैसा बनाएं। जब वे अपना नाम विथड्रा करते हैं, तो काफी धनराशि उठा लेते हैं। इससे भ्रष्टाचार बढ़ता है। इसलिए मेरा अनुरोध है कि निर्वाचन आयोग ने जो सुझाव दिये हैं, वे स्वागत योग्य सुझाव हैं।

पार्टी की जो सुविधाएं टेलीफोन वगैरह की मिलती हैं, वे इनको नहीं मिलनी चाहिएं। निर्वाचनों में अधिग्रहण वाहनों से मुक्ति मिलनी चाहिए। यानी वहां जो लाभ पार्टी के उम्मीदवारों को मिलता है वह इनको नहीं मिलना चाहिए। उन लाभों से तो अवश्य ही इनको वंचित करना चाहिए।

सभापति महोदय, इसके साथ-साथ मैं यह भी कहना चाहता हूं कि डिपाजिट की इन निर्दलीय उम्मीदवारों की तुलना में अधिक होना चाहिए, बल्कि मैं तो यह कहूंगा कि दुगना होना चाहिए। अभी जो पार्टी के उम्मीदवारों की डिपाजिट फीस है, वह बहुत पुरानी है, इसको भी बढ़ाना चाहिए। इसको बढ़ाकर लोक सभा के सदस्य के लिए ढाई हजार की सीमा बांधें और विधान सभा के सदस्य के लिए एक हजार की सीमा बांध लें। इस प्रकार की व्यवस्था अवश्य होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त एक सुझाव यह भी मैं देना चाहता हू कि जो इन्डिपेंडेंट कैंडीडेट खड़ा हो उसके लिए यह लाजमी होना चाहिए कि उसके प्रस्तावक, समर्थक 20 हों यदि वे इतने समर्थक और प्रस्तावक प्राप्त न कर सकें, तो वे खड़े ही न हों। उनको इसके अभाव में खड़े

[श्री वृद्धि चन्द्र जैन]

होने के योग्य नहीं माना जाये। इस प्रकार से निर्दलीयों के बारे में जो भी लीगल रिस्ट्रिक्शन्स लगा सकते हैं, उनको लगाने का हमें प्रयास करना चाहिए।

दूसरी समस्या हमारे सामने मतदान केन्द्रों पर कब्जा करने की प्रवृत्ति की है। यह प्रिवृत्त बिहार, यू०पी० और अब कुछ हमारे राजस्थान के क्षेत्रों में भी बढ़ रही है। इसको रोकने की बहुत आवश्यकता है। अगर इस प्रवृत्ति को रोका नहीं गया तो इससे मतदान करने का परपज डिफीट हो जाता है और प्रजातन्त्र को बड़ा धक्का लगता है। इस सम्बंध में निर्वाचन आयोग ने जो सुझाव प्रस्तुत किये हैं, उनको कंसीडर करना चाहिये। कुछ मतदान केन्द्रों पर कब्जा करने पर आयोग को अधिकार होना चाहिये कि सारे निर्वाचन क्षेत्र में निर्वाचन को गैर-कानूनी घोषित करे। मतदान केन्द्र पर कब्जा करने के दोषी पाये गये अभ्यार्थियों को निर्वाचन में खड़े होने के लिए अगले 6 वर्षों की अवधि के लिए अयोग्य घोषित किया जाये। मतदान केन्द्रों पर कब्जा करने को काग्नीजेबल आफेन्स और नान-बेलेबल आफेन्स माना जाये। किसी भी मतदान केन्द्र पर कब्जा करने की यदि शिकायत हो तो तत्काल उसकी जांच की जानी चाहिये और जांच के सही पाये जाने पर मतदान को अवैध घोषित किया जाना चाहिये। यदि पीठासीन अधिकार, रिटर्निंग आफिसर मतदान केन्द्र के सम्बन्ध में कुछ गड़बड़ करते हों तो उनके विरुद्ध भी सख्त कार्यवाही की जानी चाहिए और उनके अगेन्स्ट क्रिमिनल केसेज चलाने की भी परमीशन निर्वाचन आयोग के हाथों में होनी चाहिये ताकि उनके खिलाफ कार्यवाही की जा सके।

यह स्टेप्स उठाने की बहुत आवश्यकता है और इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार को ठोस कदम उठाने चाहियें।

यह जो इलेक्ट्रानिक प्रणाली है, मतदान में मशीनों का उपयोग, यह बहुत उपयोगी और सफल हुआ है। देश में लोक-सभा और विधान-सभाओं के चुनाव में सभी में इनका उपयोग किया जाना चाहिए।

मंदिर, गिरजाघर और गुरुद्वारे आदि जो पूजा के स्थान हैं उनमें इस प्रकार से मत प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है और वहां मीटिंग्ज की जाती हैं और धर्म के नाम पर वोट प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। यह प्रणाली प्रजातन्त्र की प्रणाली के अनुरूप नहीं है। इसलिए इस पर रोक लगानी चाहिये और इसको आफेन्स घोषित किया जाना चाहिए। जो कैंडीडेट्स इस प्रकार से वोट्स प्राप्त करते हैं, उनके चुनाव को अवैध घोषित किया जाना चाहिए।

अब मैं चुनाव खर्च के बारे में, इलैक्शन एक्सपैंरोज के बारे में कहना चाहता हूं। मेरा लोक-सभा निर्वाचन क्षेत्र बाड़मेर है जिसका क्षेत्रफल 70 हजार वर्ग किलोमीटर है जो पंजाब प्रान्त के बराबर है, हरियाणा से ड्योढे से भी अधिक है और केरल से दुगुना है। ऐसे क्षेत्र में यदि आप खर्चा निर्धारित कर दें कि लोक-सभा के लिए 1 लाख होगा और विधान-सभा के

लिए 30 हजार होगा तो इतने बड़े क्षेत्र में आज की मंहगाई को देखते हुए इस राशि में चुनाव लड़ना कठिन हो जाता है। आप इस स्थिति में लोक-सभा के लिए 50 हजार निश्चित करें। ऐसे बड़े क्षेत्रों के लिए दुगुना खर्चा निर्धारित करना चाहिए। नहीं तो होता यह है कि चुनाव इतनी राशि में किसी भी हालत में हो नहीं सकते। इसलिये इस सम्बन्ध में कदम उठाने की आवश्यकता है।

4.00 म० प०

मैं यह भी कहना चाहता हूं कि लोक-सभा और विधान-सभा दोनों के चुनाव इकट्ठे होने चाहिए ताकि खर्चा कम आये। वैसे अभी लोक-सभा और विधान-सभा के कई स्थानों पर चुनाव साथ-साथ हुए हैं। अगर सभी स्थानों पर साथ-साथ हो जाएं तो बहुत अच्छा होगा। इस सम्बन्ध में आपको जल्दी ही ठोस कदम उठाने चाहिए।

मतदान में वाहनों का दुरुपयोग न हो, इस सम्बन्ध में भी आपने कुछ प्रतिबन्ध लगाये हुए हैं। हमारी यह भी कोशिश होनी चाहिए कि मतदान सबके लिए जरूरी कर दें। इसमें अवश्य कुछ अड़चनें आयेंगी, लेकिन इसमें यह सोच सकते है कि जो 60 वर्ष से अधिक की आयु के हों, उनके लिए मतदान कम्पलसरी न रखा जाये। इसमें वाहनों का दुरुपयोग भी रुक जायेगा। आप इसमें यह भी विचार करें कि कम्पलसरी वोटिंग में किन-किन को कौन सी छूट दी जा सकती है। जहाँ पर एग्जम्पशन दी जाये। आज वोटरों को लाने का और ले जाने का जो सिलसिला चलता है वह भी खत्म हो जायेगा।

इसके साथ-साथ आचार संहिता भी बनाई जानी चाहिए, लेकिन आज आचार संहिता जब चुनाव होते हैं, तब ही बनाई जाती है। अगर यह आचार संहिता सभी पार्टियां मिलकर बनायें तो उचित होगा।

डी-लिमिटेशन के बारे में मैं यह कहना चाहूंगा कि काफी समय बीत चुका है, इसलिए डी-लिमिटेशन होना बहुत ही आवश्यक है। आज अनुसूचित जातियों और जन जातियों की बहुत सी सीटें इस प्रकार की हैं जो कि दूसरे क्षेत्रों की जनसंख्या से कहीं ज्यादा पीछे पड़ गई हैं। हमारे यहां बाड़मेर में सीवाना की सीट है। उस सीट में दूसरी सीटों के मुकाबले अनुसूचित जातियों की संख्या काफी बढ़ गई है और वह कांस्टीच्यूयेंसी 20 साल से लगातार शेड्यूल्ड कास्ट की आ रही है। इससे लोगों में रोष पैदा होता है। डिलिमिटेशन के बारे में जल्दी से जल्दी बिल प्रस्तुत करके निर्णय लिया जाना चाहिए ताकि लोगों में व्याप्त रोष को समाप्त किया जा सके। वह लोग यह नहीं चाहते कि 20 साल से वही अनुसूचित जाति के लोग हम पर हावी रहें, वही एम० एल० ए० बनें, वही एम० पी० बनें। इस सम्बन्ध में दूसरों को भी अधिकार मिलना चाहिए, इसलिये मेरा निवेदन है कि इस सबन्ध में अवश्य परिवर्तन किया जाना चाहिये।

अंत में मैं श्री डी० एन० रेड्डी द्वारा प्रस्तुत विधेयक का समर्थन करता हूं।

[अनुवाद]

श्री दिनेश गोस्वामी (गोहाटी) : सभापति महोदय, श्री रेड्डी के इस संकल्प से सदन में अच्छी रुचि उत्पन्न हुई है, जो इस बात मे व्यक्त होती है कि इस सदन ने चर्चा का समय दो घंटे और बढ़ा देने का निर्णय किया है। यह तो स्वाभाविक है कि निर्वाचन सुधारों की चर्चा में भारी रुचि होगी, क्योंकि लोकतान्त्रिक चुनावों की शुद्धता एक अच्छी सरकार की अनिवार्य पूर्ति तथा लोकतन्त्र का स्वस्थ कृत्य है। विभिन्न सदस्यों ने अनेक सुझाव दिये हैं।

महोदय, हम असम के हैं और हमें पिछले निर्वाचनों की भांति 1983 के चुनाव में भी विचित्र अनुभव हुआ है। और मैं इसके एक-दो पहलुओं की ओर कानून मन्त्री का ध्यान दिलाना चाहता हूं ताकि इन पर पर्याप्त ध्यान दिया जा सके।

1983 के चुनाव में असम की जनता ने चुनाव का बहिष्कार करने का निश्चय किया था जिसके परिणामस्वरूप ऐसे भी निर्वाचन क्षेत्र थे जहां 70 हज़ार वोटों में से केवल 263 वोट प्राप्त करके एक उम्मीदवार, 1 प्रतिशत, या एक प्रतिशत से भी कम '03 प्रतिशत अथवा '05 प्रतिशत मत प्राप्त करके निर्वाचित होता है तो क्या यह लोकतांत्रिक प्रक्रिया का मखौल नहीं है? हमने अपनी लोकतांत्रिक प्रक्रिया में और अपने निर्वाचन कानून में यह बात लाई है कि यदि कोई उम्मीदवार निश्चित प्रतिशत तक वोट प्राप्त न कर सके तो वह अपनी जमानत खो देगा। मैं समझता हूं कि अब समय आ गया है जब कि असम में 1983 के निर्वाचन को ध्यान में रखते हुए, यह देखा जाना चाहिए कि चुनाव जीतने के लिए किसी उम्मीदवार को न्यूनतम प्रतिशत वोट प्राप्त होने चाहिए और उसके पश्चात् वह अपना स्थान संसद में अथवा राज्य विधान सभा में ग्रहण कर सकता है।

निर्वाचन आयुक्त ने सुझाव दिया है कि जहां तक निर्दलीय उम्मीदवारों का सम्बन्ध है, जमानत की राशि में काफी वृद्धि होनी चाहिए। इससे कुछ मामलों में बहुत कठिनाई पैदा कर सकता है। सौभाग्य से यह उपबन्ध कानून नहीं बन पाया, नहीं तो यह हमारे लिये असम में पिछले चुनावों में बहुत कठिनाई पैदा कर सकता था। क्योंकि हममें से वे लोग जो असम गण परिषद की टिकट पर लड़ रहे थे और मेरा विचार है कि यू० एम० एफ० को निर्दलीय के रूप में माना गया क्योंकि ये दो दल पंजीकृत राजनीतिक दल नहीं थे। एक पंजीकृत राजनीतिक दल बनने के लिए चुनाव लड़ना पड़ता है और न्यूनतम प्रतिशत वोट प्राप्त करने होते हैं। एक पंजीकृत राजनीतिक दल और एक मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल बनने के लिए 1 प्रतिशत अथवा 4 प्रतिशत वोट प्राप्त करने होते हैं। अतः तकनीकी दृष्टि से हम सभी निर्दलीय हैं जिसके परिणामस्वरूप, पंजाब के सम्बन्ध में अध्यादेश पारित किया गया। यदि हमारे दल के उम्मीदवार को निर्वाचन में मार डाला जाता तो निर्वाचन रद्द नहीं होता; और यदि किसी किसी निर्दलीय

उम्मीदवार की जमानत राशि 5000 रु० तक बढ़ा दी जाती जैसा कि निर्वाचन आयोग ने सुझाव दिया है, तो नवगठित राजनीतिक दल के उम्मीदवारों ने हममें से बहुत लोगों को चुनाव लड़ना कठिन होता। मेरे विचार में माननीय विधि मन्त्री महोदय को मामले के इस पहलू पर भी ध्यान देना चाहिए।

काबुली महोदय ने अध्यक्ष के बारे में एक सुझाव दिया था। एक बात को ध्यान में रखते हुए मेरे विचार में, उनके सुझाव पर बहुत गम्भीरता से विचार करना चाहिये और वह बात यह है कि दल-बदल कानून के अन्तर्गत अध्यक्ष महोदय ही यह सुनिश्चित करेंगे कि एक सदस्य अभाग्य हो गया है अथवा उसने दल बदल लिया है या नहीं। इस तथ्य को प्रभावपूर्ण ढंग से लागू करने के लिए अध्यक्ष के पद को दलगत राजनीति से ऊपर रखना आवश्यक है। मैं नहीं जानता कि हम वास्तव में इस तरह की परम्परा शुरू कर सकते हैं जो ब्रिटिश हाऊस आव कामन्स में प्रचलित है जिसके अनुसार किसी भी दल से चुना गया अध्यक्ष अगले चुनाव के बाद भी अध्यक्ष पद पर बना रहता है, चाहे सत्तारूढ़ दल चुनाव हार जाये और कोई भी प्रमुख विपक्षी दल अध्यक्ष पद के लिए चुनाव नहीं लड़ता, जब अध्यक्ष स्वयं प्रत्याशी होता है। मुझे नहीं मालूम कि हम इसे शुरू कर सकते हैं या नहीं परन्तु, मेरे विचार में एक स्वस्थ परम्परा का विकास होना चाहिये। ऐसे दृष्टांत हैं जहां अध्यक्षों को मन्त्री पद दिये गये हैं। मेरे विचार में जब एक अध्यक्ष को मन्त्री बना दिया जाना है तब यह स्पष्ट हो जाता है कि अध्यक्ष प्रधानमन्त्री के नियन्त्रण में था, और इसलिए इस प्रकार के दृष्टांतों को समाप्त कर दिया जाना चाहिये। हम सभी ने विधान सभा विशेष के एक अध्यक्ष को एक दल के टिकट पर लोक सभा चुनाव लड़ते देखा है। अध्यक्ष का अपने अध्यक्ष काल के दौरान ही एक राजनीतिक दल द्वारा अपने प्रत्याशी के रूप में चुनाव कर लिया गया। इस प्रकार के मामलों में विपक्ष का आशंकित होना ठीक ही है···(व्यवधान)···कि वह कभी भी एक स्वतन्त्र उम्मीदवार नहीं था, वह पूर्णरूप से उस राजनैतिक दल के नियन्त्रण में था जिसने उसे टिकट दिया था, और इसलिए इस सम्बन्ध में मेरे विचार में एक स्वस्थ परम्परा का विकास किया जाना चाहिए कि जिस क्षण एक व्यक्ति संसद या विधान सभा के अध्यक्ष का पद ग्रहण करता है, उसी क्षण उसे सम्बन्धित दल से त्यागपत्र दे देना चाहिए; और उसके हित की रक्षा के लिए कुछ किया जाना चाहिए।

चुनाव पर होने वाले खर्चों पर आते हुए लगभग सभी लोगों द्वारा इस बात का जिक्र किया जा चुका है कि हम झूठ बोलकर या संविधान के साथ धोखा-धड़ी करके संसद या विधान सभा में आते हैं; उदाहरण के तौर पर हम असम में हुए चुनाव व्यय को लेते हैं; असम में विधान सभा चुनाव व्यय की सीमा 30,000 रुपये है। इस बारे में मुख्य चुनाव आयुक्त से मेरी बातचीत हुई थी। मैंने उन्हें बताया कि किराये-भाड़े का खर्च तथा पैट्रोल खर्च कम से कम 600 रुपये प्रतिदिन आयेगा। यदि मैं अपने विधान सभा चुनाव के लिये दो गाड़ियां किराये पर लेता हूं और वे 25 दिन तक चलती हैं तो 30,000 रुपये की सीमा को पार कर जाता हूं। कानून ने

[श्री दिनेश गोस्वामी]

एक मौका दिया है कि दल द्वारा खर्च की गई राशि या मित्रों द्वारा व्यय की गई राशि या सम्बन्धियों द्वारा व्यय की गई राशि चुनाव व्यय की सीमा में नहीं आती। इसने चुनाव व्यय की सीमा निर्धारण के उद्देश्य को पूर्ण रूपेण निष्फल कर दिया है। जैसा कि मैंने एक पूर्व चर्चा में कहा था कि अपराध कानून का उल्लंघन करना एक दण्डनीय अपराध है, परन्तु ऐसे कानून को बनाना जिसका कभी पालन हो नहीं किया जा सकता हो, यह उससे भी बड़ा अपराध है क्योंकि ऐसे कानून द्वारा आप एक व्यक्ति को दण्डनीय कार्य करने को बाध्य करते हैं। यहां तक कि हम यह जानते हैं कि चुनाव व्यय की सीमा में चुनाव लड़ना सम्भव नहीं है।

प्रथमतः मेरा विचार है कि चुनाव व्यय की एक यथार्थवादी सीमा होनी चाहिए। दूसरे, उस सीमा में दल द्वारा या अन्य लोगों द्वारा किया गया खर्च शामिल किया जाना चाहिये। प्रत्याशी के चुनाव के सम्बन्ध किये गये कुल व्यय को चुनाव व्यय की सीमा में शामिल किया जाना चाहिये।

मैं बहुत खुश हूं कि प्रधानमन्त्री महोदय ने एक सुझाव दिया है कि दल के खर्चों की एक लेखा-परीक्षा होनी चाहिए। वास्तव में इस सम्बन्ध में, चुनाव आयोग भी अपनी दूसरी वार्षिक रिपोर्ट में कई सुझाव दे चुका है और मेरे विचार में सरकार को इन पहलुओं पर गम्भीर रूप से विचार करना चाहिये। चुनाव आयोग की तीसरी वार्षिक रिपोर्ट में तीन या चार सुझाव हैं जिनका में यहां जिक्र कर रहा हूं। प्रथम सुझाव यह है कि राजनैतिक दल दस हजार से अधिक स्वैच्छिक योगदान का हिसाब-किताब रखे और इनके खातों की लेखा परीक्षा धारा 288 की उप-धारा (2) के नीचे दी गई व्याख्या में परिभाषित लेखाकार द्वारा की जाये।

मेरे विचार में यह सुझाव कुछ हद तक हमारी चुनाव प्रक्रिया में व्याप्त बुराईयों के एक पहलू यानि आधुनिक प्रजातन्त्र प्रक्रिया में धन शक्ति के प्रभाव को दूर करेगा। आपने भी इसका उल्लेख किया है और मुझे विश्वास है कि इस दिशा में कुछ कदम उठाये जायेंगे। दूसरा पहलू निःसन्देह चुनाव प्रक्रिया के दौरान शारीरिक ताकत के प्रयोग को दूर करना है। कुछ राज्यों में मतदान केन्द्रों पर कब्जा करना आम बात है यद्यपि भाग्यवश हमारे क्षेत्र में इस विधि से लोग अनभिज्ञ हैं। और मतदान केन्द्रों पर कब्जा करने के विषय में चुनाव आयोग ने अपनी दूसरी वार्षिक रिपोर्ट में एक विशेष बात का उल्लेख किया है। वे कहते हैं :

> "यदि यह बात सत्य है कि कुछ मतदान केन्द्रों पर भी कब्जा किया जाता है तो चुनाव आयोग को पूरे निर्वाचन क्षेत्र में मतदान रद्द करने का अधिकार होना चाहिये और समस्त निर्वाचन क्षेत्र में पुनः मतदान कराने का आदेश देगा। जो प्रत्याशी मतदान केन्द्रों पर कब्जा करने के लिए जिम्मेदार पाये जायेंगे उनको 6 साल तक चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा।"

मैं नहीं जानता तथा मेरी समझ में नहीं आता कि इनमें से कुछ सुझावों को संविधि में

शामिल क्यों नहीं किया जा सकता क्योंकि मुझे विश्वास है कि जहाँ तक कुछ उपायों का सम्बन्ध है तो ऐसे विरोधी पक्ष अथवा प्रमुख राजनैतिक दलो में वैचारिक सहमति होगी।

इस सन्दर्भ में चुनाव आयोग ने भी सुझाव दिया है कि पर्यवेक्षकों को कुछ वैधानिक अधिकार दिये जाने चाहियें क्योंकि वैधानिक अधिकारों के बिना पर्यवेक्षक तत्काल स्वतन्त्र निर्णय नहीं ले सकते और चुनावों के दौरान एक पर्यवेक्षक के लिए एक दूरस्थ स्थान से केन्द्रीय स्थान, राजधानी में जाना या इस अवैधता या इस अनियमितता को दूर करने या इसका कुछ उपाय करने के लिए चुनाव आयुक्त की स्वीकृति के लिए सदेश भेजना सम्भव नहीं है। मेरा विचार है कि पर्यवेक्षकों को यह वैधानिक अधिकार सीमाओं के भीतर ही दिया जाना चाहिए यानि कुछ मामलों में पर्यवेक्षकों को तत्काल निर्णय लेने का अधिकार दिया जाना चाहिए जो मेरे विचार में चुनाव प्रक्रिया की कुछ बुराइयों को दूर करेगा।

जहाँ तक प्रचार माध्यमों का सम्बन्ध है, जैसा कि आपने घन्टी बजादी है, मैं इस बात का सरकारी तौर पर उल्लेख करते हुये अपना भाषण समाप्त करता हूं। जहाँ तक माध्यमों का संबन्ध है, आयोग द्वारा बहुत से सुझाव दिये गये हैं जिन पर विचार किया जाना चाहिए, और इस सन्दर्भ में मेरा विचार है कि सरकार को इलेक्ट्रोमिक मतदान मशीन आरम्भ करने के बारे में गम्भीरतापूर्वक विचार करना चाहिए, यदि मैं गलत नहीं हूं तो, केरल में सफल परीक्षण किया गया था—परन्तु आखिरकार सर्वोच्च न्यायालय ने इसके प्रयोग के लिए मना कर दिया क्योंकि "रिप्रेजेन्टेशन आव द पीपुल्स एक्ट" इलेक्ट्रोनिक मशीन द्वारा मतदान की स्वीकृति नहीं देता। मेरे विचार में एक संविधान संशोधन इसका हल कर देगा और इसे साथ ही शारीरिक बल के प्रयोग सहित अधिकतर बुराईयों को दूर कर दिया जायेगा। यदि मशीनों का प्रयोग पूरे देश में सम्भव नहीं है तो आने वाले कुछ उपचुनावों में तो इनका प्रयोग किया जाना चाहिए। इलेक्ट्रोनिक मशीन के प्रयोग के लिए निसन्देह ही कानून को बदलना आवश्यक होगा। और कानून को बदलने के लिए यह हमारे लिए उचित समय है।

जो मैं अन्तिम बात कहना चाहता हूं वह परिसीमन से सम्बन्धित है। सातवें दशक में हमने एक सवैधानिक सशोधन किया था कि जनसंख्या समस्या के कारण और किसी एक राज्य में जनसंख्या वृद्धि के बावजूद भी सन् 2000 तक सीटों की संख्या नहीं बढ़ाई जायेगी और न ही परिसीमन किया जायेगा। सातवें दशक के परिसीमन पर आधारित यहां पर कुछ ऐसे निर्वाचन क्षेत्र है जहां 22 या 23 प्रतिशत जनसंख्या अनुसूचित जातियों एवं जन जातियों की हैं और जिनको अब आरक्षित निर्वाचन-क्षेत्र समझा जाता है, इस कारण, निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन करने के लिए संविधान में शंसोधन करने के लिए यह उचित समय है। किसी भी जगह ऐसे निर्वाचन क्षेत्रों में साधारण जनसंख्या 70 प्रतिशत से अधिक होती है और इस प्रकार उनके पास अपनी पसन्द का सदस्य चुनने का अधिकार नही रहता। किन्तु इसके साथ-साथ, अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए भी इससे समस्याएं उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि कुछ दूसरे निर्वाचन क्षेत्रों में इन जातियों की जनसंख्या का प्रतिशत बढ़कर अब तक 25 से 27 तक हो

[श्री दिनेश गोस्वामी]

हो गया है। यद्यपि अनुसूचित जातियों और जनजातियों के इन लोगों को एक आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र से अपने प्रतिनिधि भेजने का नैतिक और वैधानिक अधिकार है लेकिन अब वे सन् 2000 तक ऐसा नहीं कर सकते। मेरा विचार है कि सीटों की संख्या बढ़ाये बिना ही परिसीमन की पूर्व प्रणाली लागू की जानी चाहिये। सीटों की संख्या उतनी ही रखी जा सकती है। अगले चुनावों से पहले निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन किया जा सकता है। चुनाव आयोग ने यह एक उत्तम सुझाव दिया है। मेरा विचार है कि सरकार को भी इसका समर्थन करना चाहिए। किसी भी सन्दर्भ में, यह जानते हुये कि मानव दक्षता की कोई सीमा नहीं है, चाहे कैसे भी सुधार हों, उनको विफल करने के लिए हमेशा सफलतापूर्ण प्रयास किये जाते हैं। इस प्रकार चुनाव सुधार एक निरन्तर प्रयोग है। किन्तु मेरा विश्वास है कि चुनाव आयोग ने स्पष्टतया कुछ अच्छे सुझाव दिये हैं और राजनैतिक दलों तथा कुछ गैर-सरकारी संगठनों ने भी अच्छे सुझाव पेश किये हैं। यह उचित समय है कि सरकार विरोधियों तथा मुख्य राजनैतिक दलो से परामर्श करके उन सभी सुझावों को कानून का रूप दें।

[हिन्दी]

श्रीमती कृष्णा साही (बेगुसराय) : सभापति महोदय, इस विषय पर हम अपनी भावनाएं व्यक्त करने का प्रयास कर रहे हैं। इससे सभी सहमत होंगे कि चुनाव की प्रक्रिया सरल होनी चाहिए, जनता का उसमें विश्वास होना चाहिए और भ्रष्टाचार उसमें नहीं होना चाहिए। कोई भी इस विचार से अलग नहीं हो सकता लेकिन सभापति महोदय, अभी कुछ देर पहले प्रतिपक्ष के हमारे एक सदस्य जब बोल रहे थे, तो उन्होंने कहा कि चुनाव के समय सत्तारूढ़ पार्टी के लोग पावर का इस्तेमाल करते हैं, धन का इस्तेमाल करते हैं और जबरदस्ती बूथ कैप्चर करते हैं। मैं सिर्फ इतना ही याद दिलाना चाहती हूं कि भारतीय संविधान दुनिया के श्रेष्ठतम संविधानों में है और उसी के तहत चुनाव की प्रक्रिया भी अपनाई गई है। आठ आम चुनाव समाप्त हो गए हैं और आम लोगों ने देखा होगा कि वे बहुत ही सफल साबित हुए हैं। सत्ता का परिवर्तन बहुत शान्तिपूर्ण ढंग से हुआ है और केन्द्र में स्थाई शासन कायम रहा है। फिर भी श्रेष्ठतम सामाजिक व्यवस्था चलाने के अनुरूप जो प्रक्रिया अपनाई गई, उसमें अगर किसी प्रकार की कमी है या उसमें हम पूर्ण रूप से सफल नहीं हो सके हैं, तो यह दोष संविधान का नहीं है। यह दोष व्यक्ति का है, यह दोष नैतिकता का है, अनुशासन में जो कमी हो रही है, उसका है और इसके कार्यान्वयन का है। नेताओं और जनता की जो राजनीतिक इच्छा शक्ति है या जो आचरण है, उस में परिवर्तन करने की जरूरत है क्योंकि यह व्यवस्था को तोड़-मरोड़ कर रख देती है। यह दोष हमारी जो चुनाव की प्रक्रिया अपनाई गई है, उस का नहीं है। काला धन, मतदान केन्द्रों पर जबरदस्ती कब्जा, कानून के साथ कदाचार को समाप्त करना चाहिए, इस से कोई इन्कार नहीं कर सकता लेकिन अभी कभी कुछ दिन पहले जब चुनाव हुआ था बोलपुर में, जो वेस्ट बंगाल में है, तो वहां के बारे में चर्चा नहीं चली कि वहां क्या हुआ, क्या अत्याचार हुए, क्या कदाचार हुए और कैसे बूथ कैप्चरिंग की गई। बिहार में क्या हुआ जहां से शहाबुद्दीन साहब जीत कर आए हैं। (व्यवधान)...

[अनुवाद]

डा० सुधीर राय (वर्दमान) : मतदान केन्द्रों पर कब्जा बिहार से शुरू हुआ है ।

[हिन्दी]

श्रीमती कृष्णा साही : बात है, तो बराबर की बात कीजिए । जब उधर बैठते हैं तो आपके ज्ञान-चक्षु खुल जाते हैं और जब यहां आकर बैठे थे, तो ज्ञान-चक्षु बिल्कुल बन्द थे और आपको कुछ नहीं दीखता था और उस समय कोई खराबी नजर नहीं आती थी । तो मैं आप से यही अनुरोध करना चाहती हूं कि आप निष्पक्ष होकर सोचिये, हृदय पर हाथ रख कर सोचिये कि आप क्या बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं और किस परिस्थिति में बोल रहे हैं लेकिन जब आप ऐसा नहीं करते हैं, हमें दुःख होता है । व्यवस्था नहीं, व्यक्ति बुरे होते हैं । तो आपको अपने विवेक से सोचना चाहिए कि क्या करना चाहिए । मैं समझती हूं कि देश, काल, स्वभाव और स्वरूप के अनुरूप निर्मित व्यवस्था को बार-बार तोड़ने के बजाए व्यक्ति में सुधार करना चाहिए और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए हमारे प्रधान मन्त्री, श्री राजीव गांधी, एन्टी डिफेक्शन बिल लाए हैं । आप सभी लोग तो बहुत कुछ कहते रहे हैं, बहुत अर्से से यह चर्चा चलाते आ रहे हैं । यह काम हुआ तो तब हुआ जब श्री राजीव गांधी प्रधान मन्त्री हुए । उनकी कथनी और करनी में भेद नहीं हुआ । उन्होंने दिखा दिया कि एक व्यक्ति को राजनीतिक सिद्धांत पर कैसे चलना चाहिए और लोग अनुशासन में कैसे रह सकते हैं । नहीं तो क्या होता था कि रात भर में लोगों के बिचार बदल जाते थे । राजनीति में सिद्धान्त से अलग होकर नहीं चल सकते । राजनीति में सिद्धान्त की महिमा का प्रवेश हुआ । इसके प्रवेश से लोगों में एक विश्वास फिर से जागृत हुआ । पहले वे किसी के प्रभाव से रात भर में बदल जाते थे, साधारण मतदाता या राजनीति का व्यक्ति भी भ्रष्ट हो जाता था । पर अब पार्टी के प्रति वफादारी की भावना लोगों में जगी है, न कि एक व्यक्ति में ।

राजनीतिक शक्ति और प्रशासनिक अधिकार के दुरुपयोग की बात कही गई । यह कोई नई बात नहीं है । इसको आज ही नहीं बल्कि बहुत दिनों से लोग कहते आ रहे हैं । प्रथम चुनाव के समय तो स्थिति ठीक थी । उस चुनाव के बाद से इस पर चर्चा चलने लगी कि सत्ता का, धन का दुरुपयोग किया जाता है, लाठी का प्रयोग किया जाता है । यह बात अभी के संदर्भ में कुछ ठीक हो सकती है । लेकिन दूसरे चुनावों के समय से लोग कहते रहे हैं कि चुनावों में काले धन का इस्तेमाल किया जाता है । फिर चुनावों में विदेशी मुद्रा की खर्च करने की बात उठी और कहा गया कि विदेशी मुद्रा से लोगों को खरीदा जाता है और इससे हमारी राष्ट्रीय एकता और नैतिकता पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है । इस पर मन्त्री महोदय को सोचना होगा ।

मैं एक छोटी-सी बात आपको याद दिलाना चाहती हूं । जब आपातकालीन घोषणा की गई तो उसके पहले और बाद में देश में बड़ा बावेला मचा हुआ था और यह कहा जा रहा

[श्रीमती कृष्णा शाही]

था कि चुनाव प्रक्रिया में सुधार होना चाहिए। ये लोग गलत तरीके से चुनाव करा कर आए हैं।

उस समय जन-प्रतिनिधियों की वापसी की मांग भी की गई। मुझको अच्छी तरह से याद है। मैं सिर्फ एक छोटा-सा उदाहरण देना चाहती हूं। जन-प्रतिनिधियों की वापसी की मांग पहले भी की गई थी। परन्तु जब ये सत्ता में आये तो इन्होंने अपने घोषणा-पत्र में इस बात को रखा था। लेकिन सत्ता में आने के बाद उसको क्रियान्वित नहीं किया। देश में कुछ विरोधी राजनीतिक पार्टियों का सम्मिलित आन्दोलन चला था और वे पार्टियां कांग्रेस पार्टी के विरुद्ध एकजुट हो गई थीं। देश के चार प्रमुख दलों ने मिलकर जनता पार्टी का निर्माण किया और उसमें एक घोषणा पत्र तैयार कर प्रचारित किया। उसमें था कि प्रधान मन्त्री के असीमित अधिकारों और सुविधाओं पर अंकुश लगाया जाएगा। जन-प्रतिनिधियों की वापसी का कानून लाया जायेगा। लेकिन सत्ता में आते ही ये लोग उन बातों को भूल गये। इन्होंने पेन्शन की समाप्ति की घोषणा भी की थी। बाद में उसकी चर्चा करना भी छोड़ दिया।

एक बात इन्होंने और कही थी कि राष्ट्रपति और प्रधान मन्त्री को बड़े-बड़े आलीशान बंगलों में नहीं रहना चाहिए, बल्कि उन्हें सादगी से रहना चाहिए। ऐसी बहुत सारी बातें इन्होंने घोषणा पत्र में दी थीं जिनको सत्ता में आने के बाद ये लोग भूल गये। बहुत हंगामे के बाद ये एक विधेयक लाये और मगरमच्छ के आंसू बहाते हुए लाये। लेकिन वह विधेयक भी पारित नहीं करा सका। 28 जनवरी, 1978 में जब श्री शान्ति भूषण विधि मन्त्री थे तो उन्होंने कहा था कि चुनाव प्रक्रिया में संशोधन की आवश्यकता हैं। लेकिन वह चीज मन्त्रिमन्डल से स्वीकृत नहीं हुई। जयप्रकाश नारायण जी के नेतृत्व में बहुत कमेटियां बनीं। बहुत सी कमेटियां पार्टी की ओर से भी बनीं, लेकिन कुछ भी परिवर्तन न हो सका। उस समय इन सारी बातों को वे भूल गए और आज फिर इन बातों की चर्चा करते हैं। इसमें कोई दो मत नहीं हैं कि सुधार होना चाहिए। इस बारे में मेरे भी कुछ सुझाव हैं, उनमें से एक सुझाव यह है कि चुनाव में आयु 20 वर्ष से कम की नहीं होनी चाहिए। यह मेरा व्यक्तिगत सुझाव है।

(व्यवधान)

20-21 वर्ष आयु होनी चाहिए, 18-19 वर्ष से हम सहमत नहीं हैं। इसी तरह से अधिकतक आयु भी निश्चित होनी चाहिए, 60 साल के बाद चुनाव लड़ना चाहिए या नहीं लड़ना चाहिए, इस पर भी विचार होना चाहिए।

श्री हरीश रावत (अल्मोड़ा) : 60 साल वालों ने क्या बिगाड़ा है ?

श्रीमती कृष्णा साही : बिगाड़ा कुछ नहीं है, मेरा विचार है और में भी तो उसमें आ सकती हूं, यह केवल दूसरों के लिए ही नहीं है। मैं—कभी 60 साल की होऊंगी नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता।

दूसरी बात शिक्षा के बारे में है। सरटेन क्वालिफिकेशन का निर्धारण भी होना चाहिए, कुछ क्वालिफिकेशन की भी जरूरत है। आज के संदर्भ में जब समाज बदल गया है, समस्याओं में परिवर्तन हो गया है, आज विज्ञान और साइंस के युग में हम आगे बढ़ रहे हैं, जब सबकी आकांक्षाएं और इच्छाएं जागृत हो गई हैं और हर तरह से लोग चाहते हैं कि राष्ट्रीय मुद्दों पर हम अपने विचार व्यक्त करें और बड़ी-बड़ी जगह देश-विदेश की बातें होती हैं तो उस समय ज्ञान की बहुत जरुरत होती है। इसलिए मेरा ऐसा विचार है कि सिर्फ अक्षर ज्ञान तक ही नहीं रहना चाहिए, बल्कि कुछ और भी सरटेन क्वालिफिकेशन, योग्यता का निर्धारण बहुत आवश्यक है। तीसरी बात यह है कि जो 48 घंटे चुनाव के पहले लाउड-स्पीकर, पब्लिक मीटिंग्स पर पाबंदी लगाई जाती है मेरा कहना है कि इस अवधि को कुछ और बढ़ा दिया जाए, इससे पैसा कुछ कम खर्च होगा। (व्यवधान)

4.28 म०प०

[श्री सोमनाथ रथ पीठासीन हुए]

4 दिन पहले से शांति रहे तो कम से कम मतदान के दिन विशेष शांति होगी, चारों तरफ हलचल कम हो जाएगी। (व्यवाधान)

मेरा ऐसा विचार है कि इससे शान्ति अधिक होगी, अगर दो दिन का समय और बढ़ा दिया जाए। चौथा सुझाव यह है कि छोटी-छोटी पार्टियों का प्रतिशत निश्चित होना चाहिए कि उनका कितने राज्यों में कितना प्रतिशत है, ऐसा होना चाहिए कि अगर 5-7 राज्यों में कम में वह पार्टी है तो उस पार्टी को चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं होना चाहिए और 40 प्रतिशत स्थान महिलाओं को मिलने चाहिए। आबादी के अनुसार तो 50 प्रतिशत की मांग करनी चाहिए थी, लेकिन हम 40 प्रति[illegible] की मांग रहे हैं। (व्यवधान) इस तरह से हम काफी रीजनेबल हैं, 40 प्रतिशत ही कह रहे हैं, ये स्[illegible]ओं, को मिलने चाहिए। इसी तरह से जो स्पोर्ट्समैन हैं, कलाकार, साहित्यकार या दार्शनिक हैं, ऐसे लोगों का विशेष प्रावधान रहना चाहिए। सांप्रदायिक पार्टियों पर तो एकदम से प्रतिबंध लगना चाहिए। जो भी सांप्रदायिक पार्टियां हैं, उन पर एकदम प्रतिबंध लगाना चाहिए। (व्यवधान)

जिस तरह से भी हो, लेकिन मेरा कहना यह है कि सांप्रदायिक पार्टियों पक एकदम प्रतिबन्ध लगाया जाए। इसी तरह से प्रत्येक व्यक्ति को वोट डालना चाहिए, यह कंपलसरी किया जाना चाहिए। टी वी और रेडियो पर जो भी कैंडिडेट हों, उनको 5-6 भाषण देने होंगे और लिखित भाषण नहीं देना होगा, ताकि लोग जान सकें कि उनका होने वाला प्रतिनिधि बोल सकता है। टी वी और रेडियो पर हर एक पार्टी के लोगों को समय दिया जाना चाहिए। घोषणापत्र तो पार्टी का होता है। (व्यवधान) इससे उनका गुणात्मक परिचय होगा व्यक्तित्व का परिचय होगा और कम से कम जनता जानेगी कि हमारा प्रतिनिधि गूंगा नहीं है, वह कुछ बोल सकता है, केवल अंगूठे का निशान लगाकर नहीं आता है।

श्रीमती विद्यावती चतुर्वेदी (खजुराहो) : जनवाणी की तरह इन्टरव्यू नहीं होना चाहिए ?

श्रीमती कृष्णा साही : नहीं, जनवाणी की तरह नहीं होना चाहिए। मैं यह भी कहना चाहती हूं कि आइडिएंटिटी कार्ड जरूर होना चाहिए। इससे क्या होगा कि जाली वोट का जो तमाशा होता है, उस पर पाबंदी लगेगी, इसलिये आइडिएंटिटी कार्ड होना चाहिए। विधा सभा और संसद का चुनाव साथ ही साथ होना चाहिये। एक चीज मैं और कहना चाहती हूं जैसा कि हमारे वृद्धि चन्द्र जैन साहब ने कहा कि जो चलने-फिरने के लायक नहीं हैं और इनवैलिड हैं उनके लिए कंपलसरी मतदान में अपवाद होना चाहिए। आचार-संहिता भी जरूरी है इसके लिए, क्योंकि जनता भी यही चाहती है। अगर कोई वैसे व्यक्ति चुनकर आ जाते हैं जिनके आचरण के ऊपर कंट्रोवर्सी रहती है या जो विवादास्पद होते हैं, उससे राजनीतिक जीवन की छवि बिगड़ती है। सबसे अधिक आवश्यकता यह है कि बीस वर्षों से जो डी-लिमिटेशन नहीं हुआ है, वह होना चाहिये। मैं मन्त्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहती हूं, लेकिन वे तो सुन ही नहीं रहे हैं··· (व्यवधान)

[अनुवाद]

सभापति महोदय : मन्त्री महोदय, माननीय सदस्या परिसीमन समिति के बारे में एक विशेष बात कह रही हैं।

विधि तथा न्याय मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एस०आर० भारद्वाज) : मैंने आपकी बात नोट कर ली है।

[हिन्दी]

श्रीमती कृष्णा साही : मेरा यह कहना है कि विधान सभा और संसद का चुनाव साथ-साथ होना चाहिये ताकि खर्चा कम हो सके।

श्री एच०आर० भारद्वाज : मैंने सब प्वाइंट लिख लिये हैं।

श्रीमती कृष्णा साही : अन्त में यही कहना चाहती हूं कि मन्त्री जी जब इसके ऊपर विचार करेंगे और फिर सदन में अपनी ओर से, विभाग की ओर से या भारत सरकार की ओर से जब सुझाव लायेंगे तो उस समय इस बात का ध्यान रखेंगे कि हम लोगों को यानी महिलाओं को 40 प्रतिशत स्थान मिले।

[अनुवाद]

श्री श्रीहरि राव (राजामुन्द्री) : सभापति महोदय, श्रीमान, निर्वाचक सुधारों का वायदा बहुत पहले किया गया था, किन्तु राष्ट्रपति द्वारा 1985 में संयुक्त अधिवेशन के दौरान अपने

अभिभाषण में सुधारों को शीघ्र ही प्रस्तुत किये जाने का उल्लेख किये जाने के बावजूद सरकार ऐसा करने में देरी कर रही है।

दल-बदल विरोधी विधेयक जो काफी समय से लंबित पड़ा था गत वर्ष बिना किसी देरी के पेश किया गया। हमें आशा है दूसरे सुधार भी तुरन्त ही पेश किए जायेंगे।

भारत में हर जगह वर्तमान चुनाव प्रणाली जाति और सांप्रदायिकता की राजनीति पर निर्भर है। चुनाव आयोग ने कहा है कि पिछले दस सालों से हर चुनाव के बाद अनियमिततायें बढ़ रही हैं। लोकतन्त्र को धन-शक्ति से बचाना हमारा फर्ज है। अब सिर्फ धनी व्यक्ति ही चुनावों में हिस्सा ले सकते है।

जिन दूसरी बुराइयों का पता लगाया गया है वे इस प्रकार है: (1) धन-शक्ति, (2) शारीरिक बल और (3) शक्ति और प्रचार माध्यमों का दुरुपयोग।

मैं सदन का अधिक समय नहीं लेना चाहता क्योंकि कई सदस्य इस विषय के बारे विस्तार से बता चुके हैं। इसलिए, वर्तमान नीति को ठीक करने के लिए मैं कुछ उपाय सुझाना चाहता हूं;

(1) संसद और विधान सभाओं के चुनाव साथ-साथ करवाये जाने चाहियें क्योंकि इससे देश का बहुत धन और समय बच जायेगा।

(2) दल से सम्बन्धित प्रत्याशीयों को प्रचार माध्यमों में जैसे दूरदर्शन और आकाशवाणी पर समान अवसर प्रदान किये जाने चाहिये।

(3) चुनावों में भाग लेने वाले प्रत्याशी के लिए न्यूनत्तम शैक्षणिक योग्यता भी अपेक्षित है। यदि आवश्यक हो तो संविधान में भी सुधार किया जा सकता है। सरकारी कर्मचारियों को विधायकों तथा राज्य सभा के सदस्यों के रूप में नामजद नहीं किया जाना चाहिए। निर्वाचन व्यय सरकार द्वारा वहन किया जाना चाहियें। किसी भी निर्दलीय उम्मीदवार को चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए क्योंकि मतदाताओं के लिए तथा चुनाव आयोग के लिए भी यह एक बहुत बड़ी समस्या और सरदर्द बन जाता है। उम्मीदवार हमेशा सिर्फ दलों से ही सम्बन्धित होने चाहियें। चुनाव आयोग को पूरी शक्तियां प्रदान की जानी चाहियें और आयोग के ये तीन भी सदस्य होने चाहियें :—प्रधान मन्त्री, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, और लोक सभा तथा राज्य सभा में प्रधान विरोधी दल के नेता। उम्मीदवार को जीतने के लिए न्यूनतम प्रतिशत मत प्राप्त करने चाहिए।

सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मतदाताओं को फोटो सहित पहचान पत्र देने चाहियें। यह सिर्फ चुनावों के दौरान ही उपयोगी नहीं होगा बल्कि देश भर में उपभोक्ताओं को आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति के लिए भी उपयोगी होगा। दूरस्थ क्षेत्रों में कमजोर वर्गों के लिए चलते-फिरते

[श्री श्रीहरि राव]

मतदान केन्द्रों का प्रबन्ध किया जाना चाहिए। मतदान केन्द्रों पर कब्जे और धांधलेबाजी के लिए कानून के तहत विद्यमान सजा, पर्याप्त नहीं है। ऐसे मामलों उसी समय कड़ी सजा दी जानी चाहिए। ऐसा होने पर ही हमें एक सही लोकतान्त्रिक सरकार मिल सकती है।

इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

श्री राम सिंह यादव (अलवर) : माननीय सभापति जी, विरोध-पक्ष के माननीय सदस्य ने इस सदन में जो संकल्प प्रस्तुत किया है, मैं उसका विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं ऐसा मानता हूं कि इस संकल्प के पीछे जो भावना है, वह उस उद्देश्य से इस संकल्प को यहां नहीं लाये हैं, जिस उद्देश्य को आज वे, हमारी सरकार, हमारा दल और भारत का नागरिक, सही मायनों में लेकर आगे चलता है। यदि आप संकल्प को देखें तो उसमें कहा गया है कि :

[अनुवाद]

"इस सभा की राय है कि चुनाव सुधार करने की तत्काल आवश्यकता है, ताकि लोक जीवन को परिमार्जित किया जा सके तथा स्वतन्त्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित किये जा सकें, जो इस समय शक्ति, धन, जाति, धर्म, तथा अन्य प्रकार के भ्रष्ट तरीकों के गन्दे तथा अस्वस्थ प्रभाव से दूषित हो गये हैं और सरकार से सिफारिश करती है कि वह सभी राजनैतिक दलों के साथ व्यापक रूप से विचार-विमर्श आरम्भ करे, ताकि चुनाव सुधारों के तत्काल कार्यान्वयन के लिये मतैक्य हो सके और जनता की सामान्य भावना सच्चे लोकतांत्रिक ढंग से प्रतिबिम्बित हो सके।"

[हिन्दी]

मैं ऐसा मानता हूं कि माननीय सदस्य ने जो संकल्प यहां प्रस्तुत किया है और जिस व्यवस्था से वे यहां चुन कर आये हैं, क्या उनके चुनाव में पोलिटिकल पावर का इस्तेमाल हुआ, रुपये का इस्तेमाल हुआ और क्या मसल पावर का इस्तेमाल होने के कारण ही आज वे इस सदन के सदस्य हैं। मैं ऐसा मानता हूं कि यदि उनकी और उनकी पार्टी तेलगु देशम की यही धारणा है तो वह गलत है। संकल्प को पढ़ने के बाद उसका जो मतलब निकलता है, आज सदन में जितने भी माननीय सदस्य चुनकर आये हैं, वे सभी एक निश्चित चुनाव पद्धति, चुनाव प्रणाली के आधार पर चुनकर आये हैं, वह चूंकि दोषपूर्ण है···

[अनुवाद]

श्री डी॰ एन॰ रेड्डी (कड़प्पा) : मैंने 60,000 मतों के बहुमत से चुनाव जीता है। (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री राम सिंह यादव : डैमोक्रेसी यह भी कहती है कि आप दूसरो की बात को भी सुनेंगे और यही डैमोक्रेसी का सबसे बड़ा उद्देश्य भी है। वह आपने अभी तक सीखा नहीं है।

[अनुवाद]

श्री डी० एन० रेड्डी : मैंने आपको इसलिए रोका क्योंकि आप जल्दबाजी कर रहे हैं।

श्री राम सिंह यादव : दूसरे लोग भी बुद्धिमान होते हैं। वे भी कुछ जानते है आप ही सब कुछ जानने का दावा नहीं कर सकते।

[हिन्दी]

श्री सी० जंगा रेड्डी (हनमकोंडा) : हमें भी आपके बारे में कहना है।

श्री राम सिंह यादव : यदि आपको भी कुछ कहना है तो कहिए, इसमें लड़ने की क्या बात है।

श्री सी० जंगा रेड्डी : इलेक्शन्स कैसे ही रहे हैं, मसल पावर का यूज होता है, इस सब का मतलब क्या यह है कि हम ताकत के बल पर या पैसे के बल पर आये हैं। (व्यवधान)

श्री राम सिंह यादव : आपके तो बहुत से रूप हैं, विविध रूप हैं, आप को हमने कई रूपों में देखा है और कई रूपों में देखेंगे (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री डी० एन० रेड्डी : आप मुझ पर आक्षेप नहीं कर सकते। इसलिए, मैंने आप से पूछा है।

सभापति महोदय : अगर माननीय सदस्य ने आप पर आक्षेप लगाया है तो मैं रिकार्ड को देखूंगा और उसे कार्यवाही से निकाल दूंगा। मैं रिकार्ड देखूंगा।

[हिन्दी]

श्री रामसिंह यादव :—मान्यवर, मैं सीधा प्रश्न यह करना चाहता हूं कि जो लोग अंग्रेजी भाषा को समझते हैं और जानते है, वे इस बात को भी समझेंगे कि इस संकल्प का मतलब यह है आज तक जितने भी चुनाव हुए हैं, आठवीं लोकसभा में और स्ट्रेस में भी जो चुनाव हुए हैं, आपके संकल्प के अनुसार अब तक जितने भी चुनाव हुए हैं, उन सभी चुनावों में सही तरीके

[श्री रामसिंह यादव]

से आम मतदाता की राय के अनुकूल चुनाव नहीं हुए और आम मतदाता की राय के अनुकूल कोई भी प्रतिनिधि न तो राज्य विधान सभा में है और न आज संसद् में है। मैं समझता हूं कि यदि ऐसी धारण तेलुगु-देशम के माननीय सदस्यों की और तेलुगु-देशम पार्टी की है, तो वह गलत है और वह गलत इसलिए है कि जिस दिन तेलुगु-देशम पार्टी चुनाव लड़ी थी, उस दिन क्या वहां पर कांग्रेस पार्टी की सरकार नहीं थी, क्या उस दिन केन्द्र में कांग्रेस पार्टी की सरकार नहीं थी और यदि यह बात है, तो जिस रूप में आपने संकल्प पेश किया है, केवल पालिटिकल पार्टी के आधार पर हा चुनाव में जीतकर आए या कोई पार्टी आती है ? यदि ऐसा है, तो क्यों उस आंध्र प्रदेश में तेलुगु-देशम को वहां के लोगों ने, वहां के आम मतदाताओं ने, वहां की राज्य विधान सभा और वहां की सरकार को चलाने का मौका दिया और आज आप वहां से केवल इसीलिए चुनकर के आए हैं। यदि आपके इस संकल्प को मान लिया जाए, तो आज चूंकि राज्य की विधान सभा या वहां की राज्य सरकार तेलुगु-देशम पार्टी के अधिकार में है, इसलिए आप आज यहां पर आए हैं, पालिटिकल पावर की वजह से, मसल्स पावर की वजह से और मैंन पावर की वजह से और आपके नेता** को क्या कहा जाता है, आप जानते हैं, उनको···

व्यवधान

[अनुवाद]

श्री डी० एन० रेड्डी : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। उन्होंने·········** का नाम क्यों लिया ?

श्री राम सिंह यादव : मैंने कोई भी आरोप नहीं लगाया है। क्या यह एक सच्चाई नहीं है कि वह आपके नेता हैं ?

श्री डी० एन० रेड्डी : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। वह उनका नाम नही ले सकते।

[हिन्दी]

श्री राम सिंह यादव : क्या, मैं उनका नाम नहीं ले सकता हूं, क्या मैं किसी भी स्टेट के मुख्य मन्त्री का नाम नहीं ले सकता हूं ? मैंने कोई एलीगेशन नहीं लगाया है। मैं तो केवल यह कहना चाहता हूं कि श्री एन० टी० रामाराव साहब, जो आंध्र प्रदेश के मुख्य मन्त्री हैं, वे आम आदमी की राय से हैं। केवल पालिटिकल पावर, मनी पावर या मसल पावर के आधार पर नहीं हैं। यदि मेरे लायक दोस्त ऐसा सोचते हैं, अपने नेता के बारे में, तो मैं समझता हूं यह गलत धारणा है क्योंकि उनका जो संकल्प है, यह जो संकल्प आपने पेश किया है, इसका मकसद केवल यही निकलता है।

अब, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आज आप जो इस देश के अन्दर प्रजातन्त्र देखते हैं,

** कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

इसकी शुरूआत करने वाली कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस पार्टी ने आजादी से पहले, देश के आम आदमी के साथ यह वायदा किया था कि हम आपको एडल्ट फ्रेंचाइज को संविधान के माध्यम से लागू किया। संविधान के निर्माताओं ने इस एडल्ट फ्रेंचाइज को संविधान में शामिल किया और आज विश्व के अन्दर यदि कोई सबसे वेश कीमती चीज मनुष्य के पास है, तो वह एडल्ट फ्रेंचाइज हैं। एडल्ट फ्रेंचाइज के बारे में हम कह सकते हैं कि हिन्दुस्तान के मतदाता ने सन् 1952 से लेकर के आज तक जितने भी चुनाव हुए हैं उसमें उसने मैच्युएरिटी से, बुद्धिमानी से और निष्पक्षता से हमेशा चुनाव में फैसला किया है। यदि कभी गलत कारणों कहीं इधर-उधर वह विचलित भी हुआ है, तो समय पाकर फिर उसने अपने उस निर्णय में सुधार किया है और सही रास्ते को, सही आइडियोलोजी को पकड़ा है, सही सिद्धांत को पकड़ा है।

मैं आपसे कहना चाहता हूं कि 27 दिसम्बर, 1970 को श्रीमती इन्दिरा गांधी ने जिस समय लोक सभा को भंग किया था, उस समय उन्होंने एक ही बात कही थी कि हमारा और हमारी पार्टी का उद्देश्य मात्र शासन में रहना नहीं है, बल्कि हम ऐसी गवर्नमेंट चाहते हैं, जो लोगों की इच्छाओं, लोगों की भावनाओं के अनुरूप हो और जो लोग इस देश के अन्दर से गरीबी को समाप्त करना चाहते हैं, वे इस कार्य में हमारा सहयोग दें और हम गरीबी को दूर कर सकें। देश का विकास करें, राष्ट्र को आगे ले जायें। इसलिए मेरा यह फर्ज है कि चूंकि आज मैं इस लोक-सभा में जिस मत में हूं और जिस तरह से आज गवर्नमेंट चल रही है, वह उन एस्पीरेशन्स को पूरा नहीं कर सकती, इसलिए मुझे राष्ट्र के प्रति उत्तरदाई होने के कारण, हालांकि, मैं सरकार में रह सकती हूं, मेरी सरकार को कोई खतरा नहीं हैं, लेकिन मैं जनता और राष्ट्र के प्रति जो मेरा कर्तव्य है, उसका निर्बहन कर सकती हूं. इसलिए उन्होंने लोक-सभा को 27 दिसम्बर, 1970 को भंग किया। राष्ट्रपति जी को उसकी सिफारिश की और उस समय श्रीमती इन्दिरा गांधी जी ने जो शब्द राष्ट्रपति जी की घोषणा के बाद आल इण्डिया रेडियो पर कहे, मैं उनके बारे में माननीय सदस्य को खासतौर से याद दिलाना चाहता हूं, क्योंकि यह यहां नहीं थे। मैं कोट करता हूं—

[अनुवाद]

"यह इसलिए है कि हमारा अभिप्राय सिर्फ शासन में रहना नहीं है अपितु उस सत्ता का उपयोग जनता जनार्दन का जीवन स्तर सुधारने तथा एक न्यायोचित समाज की उनकी आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए करना है। वर्तमान स्थिति में, हम महसूस करते हैं कि हम अपने द्वारा घोषित कार्यक्रमों के साथ आगे नहीं बढ़ सकते और लोगों के सामने किये गए वायदों को पूरा नहीं कर सकते।"

हमारी नीति का उद्देश्य यही है।

[हिन्दी]

यह हमारी नेता और पार्टी का उद्देश्य हैं। इस उद्देश्य को पं० जवाहरलाल नेहरू लेकर

चले, इसी उद्देश्य को लेकर श्रीमती इन्दिरा गांधी चलीं और इसी उद्देश्य को लेकर आज हमारे मौजूदा नेता श्री राजीव गांधी लेकर चल रहे हैं।

मैं सवाल करता हूं, श्री जयपाल रेड्डी से पूछता हूं कि 1977 के आम चुनावों में आपने अपने इलेक्शन मैनिफैस्टो में आम जनता से क्या वायदा किया था ? आपने यह कहा था कि हम चुनाव पद्धति में सुधार लायेंगे। आपको ढाई साल तक इस देश के शासन को चलाने का मौका मिला, आपने क्या किया ? क्या आप अपने उस इलेक्शन मैनिफैस्टो को दुबारा पढ़ेंगे ?

[अनुवाद]

श्री एस० जयपाल रेड्डी : हमने आपके आपातकालीन ढांचे को गिरा दिया है।

[हिन्दी]

श्री रामसिंह यादव : आपने न पब्लिक का भला किया, न आम आदमी का भला किया और न राष्ट्र का भला किया। आपने केवल एक ही काम किया और आप अपनी कुर्सी के लिए लड़ते रहे। इस लड़ाई के लिए आपने देश को बर्बाद किया, देश की आर्थिक व्यवस्था को कमजोर किया, देश की इज्जत को विदेशों में गिराया और इसके साथ-साथ देश के खजाने को आपने खाली कर दिया। आज आप जो चुनाव सुधार की बात करते हैं, चुनाव पद्धति में सुधार लाने की बातें करते हैं, हम आपसे ही सवाल करते हैं कि 1977 में आपने उन वायदों को कहां तक निभाया ?

मैं यही नहीं कहता, बल्कि यह कहता हूं कि इस देश में यदि प्रजातन्त्र पद्धति में किसी व्यक्ति ने या किसी पार्टी ने दोष पैदा किया है तो वह विरोधी दल के लोग हैं। 1967 में बहुत से प्रान्तों में, विशेष रूप से उत्तरी भारत में जो मौका यहां की जनता ने दिया, उससे आपने एस वी डी की गवर्नमेंट बनाई, संयुक्त विधायक दलकी सरकार बनाई। उसमें कौन सबसे पहले डिफैक्टर थे। जो देश में आज सबसे बड़े नेता हैं, जिनके नाम पर बहुत बड़ी पार्टी इस देश में चल रही है, वही सबसे पहले डिफैक्टर थे इस देश में, वह प्रिंसिपल या राजनीतिक सिद्धान्त के लिए डिफैक्टर नहीं थे बल्कि कुर्सी के लिए डिफैक्टर थे।

[अनुवाद]

श्री एस० जयपाल रेड्डी : आपके हरियाणा के वर्तमान मुख्य मन्त्री के बारे में क्या विचार हैं ? आप बीती हुई बातों का जिक्र क्यों करते हैं ?

[हिन्दी]

श्री रामसिंह यादव : जो व्यक्ति कुर्सी के लिए…

मैं तो उनसे ऊपर की बात कर रहा हूं, मुख्य मन्त्री की नहीं, मैं राष्ट्रीय नेता की बात कर रहा हूं। आप तो नीचे चले गए हैं रेड्डी साहब।

आप जरा इनके बारे में सोचिये। ये 1967 में आपकी पार्टी में थे। इस देश में जिसने डिफैक्शन किया, उसने किस लिए किया? क्या किसी आइडियोलाजी के लिए डिफैक्शन किया या राष्ट्र के निर्माण के लिए? क्या ऐसी आवश्यकता आ गई थी राजनीति में उनके डिफैक्शन के लिये? उन्होंने केवल एक ही बात के लिये डिफैक्शन किया कि वह एक प्रदेश के मुख्य मन्त्री बनना चाहते थे। उस डिफैक्शन के लिए आज जितने भी आप विरोधी दल में बैठें हुए है, उसमें सहभागी थे। आपने राजनीतिक जीवन को दूषित करने में सबसे पहले पहल की। आप आइना उठाकर देखिये कि आपका क्या कार्य रहा है, आप किस रास्ते से चले? आपने इस तरह के डिफैक्शन को नहीं रोका, क्योंकि स्वार्थ उसमें निहित था। उनका डिफैक्शन कुर्सी की दौड़ के लिए था और विरोधी दलों में बैठने वालों ने उनको सहारा दिया और उसको आगे बढ़ाया। इसलिए आपको जो करप्शन चुनाव की पद्धति में नजर आती है, वह आप अपने तरीके से, अपने चश्मे से और अपनी आंख से देखते हैं।

[अनुवाद]

श्री एस० जयपाल रेड्डी : सभापति महोदय, दल-बदल विरोधी कानून लागू करने के बाद, मणीपुर राज्य में कांग्रेस (आई) ने चार विधायकों को दल बदल पाया क्या उनको इस पर शर्म नहीं आनी चाहिए?

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री राम सिंह यादव : आप मेरी बात सुनिये, आप इतना बोखला क्यों गये हैं। (व्यवधान)

मान्यवर, सन् 1977 में भारत की जनता ने विरोधी दलों के पक्ष में जो फैसला किया, उससे हमें उम्मीद थी कि हम लोग विरोध में बैठेंगे और विरोध में बैठकर इस बात का सबूत पेश करेंगे कि वास्तव मे हमारी पार्टी विरोध में एक सक्षम भूमिका निभा सकती है। हमने उस भूमिका को निभाया। जब जुलाई, 1979 में मोरारजी भाई ने इस्तीफा दिया, उस वक्त कांग्रेस पार्टी के नेताओं से कहा गया कि आप सरकार बनायें, लेकिन हमारी पार्टी के नेताओं ने उनकी बात को नहीं माना। जब 22 अगस्त 1979 में यह लोक सभा भंग की गई उससे पहले श्रीमती इन्दिरा जी और उनकी पार्टी के नेताओं ने विरोधी दल की भूमिका को निभाया और उस भूमिका को निभाकर एक आदर्श राष्ट्र के सामने प्रस्तुत किया।

मैं विरोधी दल वालों से यह भी कहना चाहता हूं कि वह राजनीतिक आचरण का वह दिन याद करें तो मालूम होगा कि मोरारजी भाई ने इस्तीफा दिया तो चरण सिंह जी ने बहुमत न होते हुए भी यह स्वीकार किया कि मैं सरकार बनाकर चला सकता हूं। 20 अगस्त 1979 को जब उनके खिलाफ और उनकी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आया उस दिन राष्ट्र

को मालूम हुआ कि उन्होंने जो स्वीकार किया था कि उनका सदन में बहुमत है, वह गलत था। यहां तक प्रधान मन्त्री जी अविश्वास प्रस्ताव को फेस करने के लिए सदन में भी उपस्थित नहीं हुए। मैं समझता हूं कि राजनीतिक आचरण की इससे अधिक कमजोरी क्या हो सकती है। जब एक आम आदमी तक इस बात को जानता था कि सदन में उसके पास बहुमत नहीं है और बहुमत न होते हुए वह इस बात को कहे कि उनके साथ बहुमत है तो इससे अधिक राजनीतिक आचरण का कौन सी पैरा-मीटर कहा जा सकता है। यह सोचने और देखने की बात है।

आज जो विरोध पक्ष के लोग यह कहते हैं कि राजनीतिक जीवन में शुद्धता लाने का काम हो, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि चरण सिंह जी से जब कलकत्ता हवाई अड्डे पर पत्रकारों ने पूछा कि आपको मोरारजी भाई और उनके मन्त्रिमन्डल के बारे में कुछ कहना है तो उन्होंने कहा कि : मैं बेईमान व्यक्तियों से घिरा हुआ हूं। इसका मतलब यह है कि जनता पार्टी के समय में जो सरकार केन्द्र में थी, उस सरकार का एक मन्त्री यह कहता है कि जितने मन्त्री उस समय सदस्य थे···(व्यवधान)···

[अनुवाद]

सभापति महोदय : आप किस सुधार का सुझाव देना चाहते हैं ?

[हिन्दी]

श्री राम सिंह यादव : क्या यह बात गलत हैं कि मोरार जी भाई ने यह नहीं लिखा कि चरण सिंह जी के खिलाफ **·······कमीशन बैठाया जाए। क्या चरण सिंह जी ने यह नहीं लिखा कि मोरार जी भाई के···**·······खिलाफ···**(व्यवधान)** कमीशन बैठाया जाये···**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

श्री एस० जयपाल रेड्डी : यह क्या है ? क्या वह निर्वाचक सुधारों पर बोल रहे हैं उसे कार्यवाही में शामिल नहीं किया जाना चाहिए। **(व्यवधान)**

सभापति महोदय : कृपया व्यवस्था बनाए रखिए। श्री राम सिंह यादव, मुझे सुनिये। बार-बार नाम मत दोहराइये।

श्री सी० जंगा रेड्डी (हनमकोंडा) : श्रीमान, आप इसकी अनुमति कैसे दे रहे है ?

सभापति महोदय : कृपया नाम मत दोहराइये।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : इसे कार्यवाही में शामिल नहीं किया जाना चाहिए।

** अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृत्तान्त से निकाल दिया गया।

[हिन्दी]

श्री सी० जंगा रेड्डी : जो भी उन्होंने चरण सिंह और मोरार जी भाई के बारे में कहा वह रेकार्ड पर नहीं जनाा चाहिए। (व्यवधान)

[अनुवाद]

सभापति महोदय : श्री राम सिंह यादव कृपया नाम मत लीजिये। आप चुनाव सुधारों के बारे अपने विचार रखिए।

[हिन्दी]

श्री राम सिंह यादव ; जितने कमीशन बैठे हैं उन सभी कमीशनों ने राजनेताओं के बारे में जो कुछ कहा···(व्यवधान)···

एक माननीय सदस्य : शाह कमीशन···

श्री राम सिंह यादव : शाह कमीशन का जवाब हमने 80 में दिया, 84 में दिया और फिर देंगे और जब तक आप और हम राजनैतिक दलों में हैं देते रहेंगे। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जितने कमीशन बैठे सभी कमीशनों ने यह कहा कि राजनैतिक जीवन में और राजनैतिक आचरण में शुद्धता लानी चाहिए चाहे वह वैंद्यालिंगम कमीशन हो, चाहे वह···

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री एस० जयपाल रेड्डी : अगर जो कुछ वह कह रहे हैं उसे कार्यवाही मे लिया जा रहा है तो मैंने भी बोलना है···(व्यवधान)

सभापति महोदय : मैंने उनको पहले ही कह दिया है। श्री राम सिंह यादव, आप चुनाव सुधारों के बारे में जो सुझाव देना चाहते हैं, सिर्फ वही दीजिए।

[हिन्दी]

श्री राम सिंह यादव : मैं यह सुझाव देना चाहता था कि आज राष्ट्र के अन्दर राजनैतिक जीवन में जो शुद्धता आ चुकी है उसे हमें मजबूत करना है।

सबसे पहले आपको मालूम है कि जनता पार्टी के समय में इस सदन में जो एन्टी डिफेक्शन बिल वह लाना चाहते थे···(व्यवधान)

जनता पार्टी ऐन्टी डिफैक्शन को पास नहीं कर सकी। वह इसलिए कि उनकी इच्छा नहीं थी, उनकी प्रवृत्ति नहीं थी पास करने की। ऐन्टी डिफैक्शन बिल पहले भी आया... (व्यवधान)

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कृपया अपना भाषण समाप्त कीजिए। बहुत से माननीय सदस्य बोलना चाहते हैं।

[हिन्दी]

श्री राम सिंह यादव : मैं कान्क्लूजन पर ही आ रहा हूं। आज सबसे पहले हमें इस बात की खुशी है कि इतनी बड़ी डेमोक्रेसी में, विश्व की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी में हमने ऐन्टी डिफैक्शन बिल पास करके इस बात को साबित कर दिया कि हम विशुद्ध राजनीति चाहते हैं... (व्यवधान)

चुनाव पद्धति के बारे में मैं कहना चाहता हूं कि धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, सम्प्रदाय के नाम पर जो वोट मांगते हैं उनके ऊपर पाबन्दी होनी चाहिए।

इसके साथ ही साथ हर वोटर के पास आइडेंटिटी कार्ड होना चाहिए।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : मैने आपको एक मिनट का समय और दे दिया है। कृपया उसके अन्दर ही अपना भाषण समाप्त करें।

[हिन्दी]

श्री राम सिंह यादव : आखिर में मैं यह कहना चाहूंगा कि चुनाव में जो उपद्रव और दंगे होते हैं, जो वायोलेंस होता है, उसके लिए इलेक्सन कमीशन ने कहा है कि इस तरह के स्थानों का आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए। वहां पर विशेष रूप से इलैक्शन कमीशन की तरफ से आबजर्वर भेजे जायें और उन आबजर्वर्स को पावर दी जायें कि वे वहां इस तरह के वायोलेंस को रोक सकें और उसकी पुनरावृत्ति न हो सके साथ साथ मैं यह भी सुझाव देना चाहूंगा कि जो महिला वोटर्स हैं, जो वोट डालना चाहती हैं, उनके लिए प्रत्येक बूथ पर विशेष व्यवस्था होनी चाहिए, ताकि वे निःसंकोच होकर वोट वहां पर डाल सकें। इसके साथ ही चुनाव के समय चुनाव प्रचार बन्द करने का पीरियड 24 घंटे रखा हुआ है, इसके बजाय यह 72 घंटे होना चाहिए। इसके पहले चुनाव प्रचार बन्द हो जाना चाहिए और किसी भी व्यक्ति को चुनाव क्षेत्र में नहीं जाना चाहिए। उससे अपने आप इस तरह की व्यवस्था कायम हो सकेगी और पोलिटिकल पार्टीज

का कोड-आफ-कन्डक्ट बना दें। इसके साथ ही असम से आए हुए नए माननीय सदस्य ने कहा कि इंडिपेंडेंट कैंडीडेट जो लड़ें, उनके सामने दिक्कत पेश आई, उसके लिए मैं निवेदन करूंगा कि इण्डिपेंडेंट की एसोसिएसन बना कर उसका रजिस्ट्रेशन कराने के लिए व्यवस्था कर दीजिए, जिससे यह दिक्कत भी पेश नहीं आएगी। इतना कहते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

श्री हन्नान मोल्लाह (उलूबेरिया) : महोदय आपने नए प्रस्ताव को पेश करने का आदेश दे दिया है। इस प्रकार उनके द्वारा बहुत से नाम दिए गये हैं। वे अगले प्रस्ताव को समाप्त करना चाहते हैं। आपको हमारा समर्थन करना चाहिए।

सभापति महोदय : अच्छा मैं इसे सदन के समक्ष रखूंगा।

श्री सी० जंगा रेड्डी : (हनमकोंडा) जो समय निर्धारित किया गया था वह समाप्त हो चुका है।

सभापति महोदय : यह समाप्त नहीं हुआ है जब यह समाप्त हो जायेगा तब निश्चित रूप से मैं सदन की राय लूंगा।

श्री प्रिय रंजन दास मुंशी (हावड़ा) : क्योंकि इस वाद-विवाद के लिए समय को बढ़ा दिया गया है और क्योंकि श्री जैनाल आबिद और मेरे नाम से दो प्रस्ताव और है यदि सदन अनुमति देता है तो मैं प्रस्तुत करता हूं कि आप कृपा करके जब तक सदन चाहता है विवाद चलने दीजिए परन्तु विवाद की समाप्ति से पांच मिनट पहले कृपा करके हमें प्रस्ताव पेश करने की आज्ञा दीजिए ताकि यह रद्द न हो जाए।

सभापति महोदय : मैं उचित समय पर इस पर विचार करूंगा।

श्री जी० एम० बनातवाला (पोन्नानी) : स्वीकारात्मक रूप से इस पर विचार करें।

प्रो० नारायण चन्द्र पराशर (हमीरपुर) : महोदय, हम एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर विचार कर रहे हैं जिसे बहुत विचित्र ढ़ग से कहा गया है। किसी भी तरह से, जो भी कहा गया हैं उस पर गम्भीर और शान्तिपूर्ण ढ़ग से विचार करने की आवश्यकता है।

महोदय संसार में भारत में सबसे बड़ा प्रजातन्त्र है और इस देश में चुनाव प्रक्रिया और प्रणाली, यदि बिलकुछ ठीक नहीं तो लगभग ठीक हैं। क्योंकि व्यवहार में ऐसा दिखाया गया है कि 37 करोड़ व्यक्तियों ने मत डाले और चुनाव लगभग स्वतन्त्र और निष्पक्ष रूप से हुए। इसलिए यह प्रणाली बनी हुई है और चुनाव आयोग जोकि इस प्रणाली की धुरी है को बहुत सारे

[प्रो० नारायण पराशर]

अधिकार है और इसकी अपनी प्रक्रिया स्वयं विकासित की है। महोदय, वास्तविकताओं से यह देखा जा सकता है कि पिछली लोकसभा के चुनाव में 3,87,935 मतदान केन्द्र थे। चुनाव आयोग के सामने जो सबसे गम्भीर समस्या आई वह मतदान केन्द्रों पर कब्जे की थी। एक अध्ययन के अनुसार ऐसी 58 रिपोर्ट प्राप्त हुई। यदि 387935 की एक बड़ी संख्या में से मतदान केन्द्र पर कब्जे की 58 घटनाएं रिपोर्ट की जाती हैं इसका विघटन इस प्रकार से है बिहार 34, यू॰ पी- 14 और आन्ध्र प्रदेश-6 तो यह इतनी बड़ी अव्यवस्था नहीं है, विपत्ति नहीं है कि हम इस पर इतना शोर मचाये।

इसी प्रकार बहुत सी अन्य बाते है जो ठीक नहीं है। कि कभी कभी किसी जगह रुपये की शक्ति का और शारीरिक शक्ति का प्रयोग हो जाता है परन्तु इस सब बातों के बावजूद, जो मैं कहना चाहता हूं वह यह है कि प्रणाली बनी हुई हैं। इसलिए इसमें जो भी कमियां हों, हमें इस प्रणाली में सुधार करने के बारे में सोचना चाहिए ताकि यह अधिक कार्यकुशल और जनता की इच्छा का प्रति रूप बन सके।

महोदय, पहली बात चुनाव-क्षेत्रों को सीमित करना और मतदाता सूची को तैयार करना है। संविधान के निर्माताओं ने यह ध्यान रखा है कि चुनाव क्षेत्रों को सीमित करना न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र में नहीं रखा गया है। यह एक महत्वपूर्ण बात है वरना चुनाव-क्षेत्रों को सीमित करने के इस मुद्दे पर कोई सहमति नहीं होती। मुझे मालूम है कि यहां कुल विरोध किया गया गया हैं कि बहुत सारे चुनाव-क्षेत्र, बहुत लम्बे समय से आरक्षित रहे हैं। मैं समझता हूं कि यह मामला सरकार के विचाराधीन हैं और सरकार राजनैतिक विचारों के विभिन्न पहलुओं पर विचार करने के लम्बे प्रयोग के बाद, जो चाहे निर्णय ले सकती है।

महोदय, एक महत्वपूर्ण बात जो हमेशा दुखदायी रही है वह यह है कि राज्य या केन्द्रीय विधान परिषदों के लिए लोगों के चुनाव को, उनकी बिना किसी गलती के रद्द कर दिया जाता है जबकि गलती कतिपय अधिकारियों की होती है। मान लीजिए एक उम्मीदवार के नामांकन पत्रों को गलती से स्वीकार कर लिया जाता है या गलती से अस्वीकार कर दिया जाता हैं, दोनों स्थितियों में याचिका दायर की जा सकती है। उस उम्मीदवार का क्या दोष है जिसे लोगों ने चुन लिया हैं? क्योंकि एक अधिकारी ने अस्वीकार करने में या स्वीकार करने में गलती की इसलिए चुनाव को रद्द कर दिया जाता है। हिमाचल प्रदेश में विधान सभा के चुनाव में कुछ समय पूर्व जहां से श्री सुखराम चुने गए थे। उनका चुनाव इसी आधार पर अवैध घोषित कर दिया गया। यह उम्मीदवार का दोष नहीं हैं। इस प्रकार मैं समझता हूं कि कानूनी प्रक्रिया में यह ध्यान रखना चाहिए कि अपराधी को ही सजा मिले न की अपराध के शिकार को। मेरा सुझाव है कि जो व्यक्ति नामांकन पत्रों को गलत स्वीकार करने या अस्वीकार करने के लिए अन्ततः उत्तरदायी है उसे सजा दी जानी चाहिए। गलत स्वीकार या अस्वीकार करने को चुनाव को अवैध घोषित

करने के लिए आधार नहीं बनाया जाना चाहिए। इस कारण से कोई चुनाव रद्द नहीं करना चाहिए और ये आधार याचिका क्षेत्र से बाहर कर देने चाहिए।

महोदय, दुनिया के बहुत से देशों में अब यह विचारधारा है कि पूरी चुनाव-प्रक्रिया को न्यायालय के अधिकार-क्षेत्र में रखने की अपेक्षा हमें इसे न्यायालय के अधिकार-क्षेत्र से ले लेना चाहिए और विधान परिषदों की समितियों को यह निर्णय करना चाहिए कि क्या भ्रष्ट तरीके अपनाये गए या नहीं और तब इसका निर्णय करना चाहिए। जब संविधान की अनुच्छेद 329 के आधार पर चुनाव क्षेत्रों को सीमित करना न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र से बाहर है तो चुनाव प्रक्रिया को न्यायालय के विचाराधीन क्यों रखा जाए ? हम जानते हैं कि कैसे लोग इससे उत्पीड़ित किए जाते हैं। कभी कभी पूरे पांच साल की अवधि समाप्त हो जाती है और एक व्यक्ति के चुनाव को रद्द कर दिया जाता है। लोगों के प्रस्ताव को; जिसे चुनाव-क्षेत्र के संरक्षक के रूप में उपस्थित होना चाहिए, न्यायालय के पीछे भागना पड़ता है जिसके परिणामस्वरूप वह बेचारा व्यक्ति बहुत परेशान हो जाता है। वह सोचता है याचिका का विरोध करने से दोबारा चुनाव लड़ना अधिक आसान है। चुनाव-क्षेत्रों को सीमित करना, मतदाता सूची तैयार करना, क्या चुनाव वैध या अवैध हैं इसे न्यायालय के अधिकार-क्षेत्र से बाहर कर देना चाहिए और विधान मण्डलों की समितियों को इस पर विचार करना चाहिए ताकि जनता की इच्छा न्यायालय के अधीन न हो। मैं यह नहीं कहता कि न्यायालय अच्छे या या बुरे है। मैं इस पर कोई राय व्यक्त नहीं करता। परन्तु मैं यह कहता हूं कि प्रक्रिया को संविधान के अनुच्छेद 329 से जोड़ना चाहिए जो चुनाव क्षेत्रों के सीमा निर्धारण के न्यायालय में विचार करने से रोकता है और इसी प्रकार यह पूर्ण प्रक्रिया न्यायालयों के अधीन नहीं है।

अब मैं सारे खर्चे को सीमित करने की बात पर आता हूं। अभी हाल ही में कतिपय राज्यों के लिए इसे 1.5 लाख बढ़ा दिया गया है। मेरे अपने राज्य हिमाचल प्रदेश में ससंदीय चुनावक्षेत्र के लिए सीमा 1.3 लाख रुपये है। अब मैं यह जानकर हैरान हूं। इस सीमा को नागालैंड, हिमाचल प्रदेश और लद्दाख जैसे राज्यों के लिए बढ़ाना अधिक आवश्यक है जहां आपको हजारों किलो-मीटर यात्रा करने के बाद लोगों के निर्वाचक मत मिलते हैं। परन्तु वहां सीमा 1.3 लाख रुपये है और दिल्ली में सीमा 1.5 लाग रुपये है। अब आप यह सोच सकते है कि केन्द्र-शासित प्रदेश चन्डीगढ़ का सम्पूर्ण क्षेत्र 114 वर्ग किलोमीटर है। यह 114 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र एक चुनाव-क्षेत्र है और हिमाचल-प्रदेश में मंडी चुनाव क्षेत्र के लिए और लद्दाख ससंदीय चुनाव-क्षेत्र के लिए 1700 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र है। इस प्रकार अब आप सोच सकते है कि इन राज्यों में, हिमाचल-प्रदेश, नागालैंड और अन्य पहाड़ी क्षेत्र में उच्च सीमा को बढ़ाने की अधिक आवश्यकता है। इन राज्यों के लिए उच्च सीमा निर्धारित की जानी चाहिए; परन्तु स्थिती इससे बिलकुल विपरीत है। इसलिए खर्चे के लिए उच्च सीमा में या तो एकरूपता होनी चाहिए या कल से कम इन पहाड़ी राज्यों के लिए अधिक उच्च सीमा निधारित की जानी चाहिए। इसी प्रकार एम० एल० ए० के लिए भी आपको वास्तविक खर्चे पर विचार करना चाहिए। अब एक आकलंन के

अनुसार प्रत्येक संसदीय सीट के लिए लगभग 5 लाख रुपया खर्च हो जाता हैं। यह एक मत था। परन्तु यह शायद ही वैद्य मत हो सकता है।

व्यवहार में अधिक रुपया खर्च किया जाता है। असल में रुपया राजनैतिक दल द्वारा खर्च किया जाता है और सीमा केवल उम्मीदवार के व्यक्तिगत खर्च पर लागू होती हैं न कि राजनैतिक दल या उसके मित्रों पर। यह केवल यह कहने का परोक्ष तरीका हैं कि आप अपने ऊपर खर्च करने के लिए अपने दोस्तों को बुला सकते हैं और आप रसीदों और व्यय पत्रों पर हस्ताक्षर नहीं करते और आप इस संकट से बाहर हैं। इस प्रकार खर्च को नियन्त्रित करने का यह एक तरीका है। परन्तु सीमा निर्धारित करना अर्थहीन है। इसका पालन करने की अपेक्षा अवज्ञा अधिक होती है। इसलिए इसका ध्यान रखा जाना चाहिए।

महोदय मैं एक और रुचिकर बात की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। ऐसे उदाहरण भी हैं जबकि वे उम्मीदवार भी सदन के लिए चुने गए जिन्होंने अपनी जमानत जब्त करा दी। क्या यह राजनैतिक प्रणाली का उपहास नहीं है। क्या यह सारी चुनाव-प्रणाली की प्रक्रिया का उपहास नहीं है कि एक उम्मीदवार जो कि कुल डाले गए मतों का 1/2 भाग भी प्राप्त नहीं कर सकता वह भी सदन के एक चुनाव में चुन लिया जाता है क्योंकि उसने मतों की अधिकतम संख्या प्राप्त की है यह इस देश के पहले चनाव में हुआ और उत्तर-प्रदेश में आजमगढ़ में एक उम्मीदवार ने अपनी जमानत जब्त करवा दी परन्तु वह विधान सभा के लिए चुना गया। ऐसा कई मामलों में हुआ है। असम में जहां दो या तीन साल पहले चुनाव कराए गए थे ऐसा हुआ। इसलिए आपको चुनाव जीतने के लिए एक कतिपय सीमा निर्धारित कर देनी चाहिए। वरना दोबारा चुनाव कराए जाने चाहिए। उदाहरण के लिए फ्रांस में एक चुनाव में एक विशेष उम्मीदवार के पक्ष में यदि 80% से अधिक मत नहीं डाले जाते थे तो उसे चुना हुआ घोषित नहीं किया जाता था। और दूसरे रविवार को दो सर्वश्रेष्ठ प्रत्याशियों के बीच चुनाव की अनुमति दी जाती थी। कम बहुमत में लोगों की इच्छा जानने का यह भी एक तरीका है और त्रुटिपूर्ण तरीका नहीं है। दूसरा तरीका अनुपातिक प्रतिनिधित्व का है जहां एक मत भी अथवा एक मत का एक भाग भी बेकार नहीं जाता।

तीसरी प्रणाली सूची प्रणाली है। यह समय की पुकार है कि हमें इस प्रणाली को ध्यान में रखना चाहिए, उस हास्यास्पद स्थिति को ध्यान में रखना चाहिए। जबकि एक उम्मीदवार 2% मत प्राप्त करके विधान सभा में चुन लिया जाता है क्योंकि दूसरे उम्मीदवार को केवल एक मत प्राप्त हुआ यद्यपि निर्वाचन क्षेत्र में मतदाताओं की संख्या लगभग 70,000 हो। केवल 2 प्रतिशत मत प्राप्त करना कोई चुनाव नहीं है।

क्या यह निर्वाचन है? यदि कोई उम्मीदवार चाहे वह किसी भी पार्टी का क्यों न हो सभा के लिए कुल मतों का 1/6 भाग प्राप्त नहीं करता, तो उसे निर्वाचन नहीं माना जाना चाहिए। परन्तु मूल बात यह है कि हमें सुधारात्मक उपायों पर विचार करना है ताकि न केवल प्रणाली

को दृढ़ बनाने में सहायता मिले। अपितु मतदान में प्राप्त होने वाले बहुमत को भी सन्यास मिले। कई देशों में मतपेटी का स्थान हिंसा ने ले लिया है।

भारतीय लोकतंत्र की शक्ति यह है कि निर्वाचन प्रणाली बनी हुई है। मैंने भारतीय निर्वाचन आयोग की वर्ष 1985 के प्रतिवेदन को पढ़ा है और मुझे खुशी है कि आंध्र-प्रदेश के एक निर्वाचन क्षेत्र में निर्वाचन आयोग ने इसलिए दुबारा चुनाव का आदेश दिया कि वहां पर 10 प्रतिशत से भी अधिक मतदान हुआ था। यह आंध्र-प्रदेश की चद्रापण गूटा 217 निर्वाचन क्षेत्र हैं मुख्य निर्वाचन आयुक्त स्वयं इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि कुछ मतदान केंद्रों में शत प्रतिशत से अधिक मत पड़े। अतः 5 मार्च को हुये चुनाव को रद्द करते हुए पुनः अगले महीने 24 अप्रैल को मतदान का आदेश दिया गया। इस प्रक्रिया में अधिकारियों का संबद्ध होना गम्भीर बात है। निर्वाचन आयोग ने पंजाब के जीवन बीमा निगम के एक कर्मचारी को इसलिए चार्ज शीट किया क्योंकि उसने स्वयं मत पेटियों पर एक उम्मीदबार के पक्ष में मोहरें लगायीं।

निर्वाचन प्रणाली की सबसे बड़ी कमजोरी धन शक्ति, बल प्रयोग ही नहीं है अपितु यह है कि निर्वाचन आयोग की अपनी कोई स्वतंत्र मशीनरी नहीं है। इसे राज्य पर निर्भर करना पड़ता है। आंध्र-प्रदेश में केन्द्रीय सरकार की मशीनरी को संवद्ध किया गया था कि निर्वाचन कराने वाले अधिकारी केन्द्रीय सेवाओं अथवा केन्द्रीय उपक्रमो से लिए गये थे क्योंकि ऐसा सोचा गया कि वे अधिक निष्पक्ष होंगे। इस बात का महत्त्व नहीं है कि वे केन्द्र के हैं अथवा राज्य के, परन्तु निर्वाचन आयोग की राज्य सरकार के कर्मचारियों पर निर्भरता है जाति रंग या कार्य से सम्बद्ध होते हैं तथा उन्हें उन्हीं राज्य अथवा केन्द्रीय मन्त्रियों पर अपनी पदोन्नति के लिए निर्भर रहना पड़ता है जिनका उन्हें चुनाव सम्पन्न कराना होता है, यही हमारी प्रणाली की बड़ी कमजोरी है। सरकार को निर्वाचन आयोग को स्वतन्त्र अधिकार देने के लिए गम्भीरता से सोचना चाहिए। इस बारे में कई सुझाव दिए गए हैं उदाहरण के तौर पर 72 घंटे पूर्व प्रचार बन्द हो जाना चाहिए। मैं नहीं समझता कि इससे लाभ होगा। जब ध्वनि विस्तार यन्त्रों का उपयोग नहीं होता, जब सभाएं नहीं होती तब भी प्रचार चलता रहता है। उदाहरण के तौर पर जापान में यदि कोई उम्मीदवार पत्र लिखता है तो यह भ्रष्ट आचरण है परन्तु यदि वह टेलीफोन करता है तो ऐसा नहीं है क्योंकि इसका कोई रिकार्ड नहीं है।

राज्य द्वारा निर्वाचन पर व्यय किए जाने पर विचार किया जा सकता है। पहले निर्वाचन आयोग इसके विरुद्ध था परन्तु अब उनका यह मत बन गया है कि किसी न किसी रूप में निर्वाचन का व्यय राज्य द्वारा वहन किया जाना चाहिए।

चुनाव चिन्हों का आबंटन अशिक्षा का प्रतीक है। विकसित देशों में कोई चुनाव चिन्ह नहीं होते—केवल उम्मीदवारों के नाम होते हैं तथा मतदान की इलेक्ट्रोनिक प्रणाली होती है। परन्तु अभी पिछले दिनों हमें इलेक्ट्रोनिक प्रणाली के कारण एक मतदान को रद्द करना पड़ा क्योंकि मतदान प्रक्रिया में उसका उपबन्ध नहीं है। यह केरल विधान सभा की बात हैं। अतः मैं

अपील करता हूं कि बेशक हम संकल्प की भाषा से सहमत नहीं हैं, फिर भी इस देश में जाति प्रथा अथवा धन शक्ति का अधिक प्रचलन नहीं है चुनाव काफी हद तक स्वतन्त्र एवं निष्पक्ष है तो भी निर्वाचन प्रणाली में पर्याप्त सुधार की आवश्यकता है तथा जितनी जल्दी उन सुधारों के सम्बन्ध में निर्णय किया जाए उतना ही अच्छा है।

एक विचार व्यक्त किया गया है कि मतदान के लिए आयु को घटा कर 18 वर्ष कर दिया जाए क्योंकि आज 18 वर्ष के बच्चे अपने पूर्वजों की अपेक्षा 18 वर्ष की उमर में अधिक बुद्धिमान हैं। उन्हें निर्वाचन में खड़ा होने के लिए तो नहीं परन्तु मतदान करने का अधिकार दिया जाना चाहिए।

अतः मैं मतदान की आयु कम करने, निर्वाचन प्रक्रिया को न्यायालयों के क्षेत्राधिकार से अलग करने तथा चुनावों के बारे में सभा की समिति नियुक्त करने चुनाव सुधार के प्रस्तावों पर विचारार्थ सुझाव देता हूं जोकि इस संकल्प का विषय है।

बेशक मैं इस संकल्प सहमत नहो हूं। मैं सरकार से आग्रह करूंगा कि चुनाव सुधारों पर विचार किया जाए।

सभापति महोदय : श्री कमल चौधरी।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : खड़े हुए। (**व्यवधान**)

सभापति महोदय : मैं आपको मौका दूंगा।

श्री प्रिय रंजन दास मुन्शी : गैर-सरकारी सदस्यों की कार्य सूची में किसी का भी विपक्ष अथवा सत्तारूढ़ दल नहीं माना जाता। सभी गैर-सरकारी सदस्य हैं।···

(**व्यवधान**)

श्री सी० जंगा रेड्डी : हमें अगला संकल्प पेश करना है···(**व्यवधान**)

सभापति महोदय : कृपया बैठ जाइए। आपको अवसर मिलेगा। श्री कमल चौधरी।

श्री कमल चौधरी (होशियारपुर) : सभापति महोदय, जहां तक निर्वाचन सम्बन्धी सुधारों का प्रश्न है, मैं उसमें कुछ बातें जोड़ना चाहता हूं। मेरा वायुयान उड़ाने के व्यवसाय से इस महान सभा में आना नाटकीय परिवर्तन था। जब मैं चुनाव के लिए लगभग एक वर्ष पूर्व खड़ा हुआ तो मैंने देखा कि मुझे लगभग 2000 गांवों में जाना है जहां पर कि कोई सड़क तक भी नहीं। जब मैंने अपने अभियान को तैयार किया तो मैंने पाया कि यदि मैं 20 गांवों की प्रतिदिन यात्रा करूं तो 320 गांवों में 16 दिन मैं जा पाऊंगा। अतः मेरा सुझाव है कि दूरदर्शन और

रेडियो पर अधिक समय चुनाव प्रचार के लिए दिया जाए। प्रति दिन 8-10 घंटे अलग-अलग चैनलों पर विभिन्न राष्ट्रीय पार्टियों को समय दिया जाए। यदि सम्भव हो तो विभिन्न चैनलों पर सभी उम्मीदवारों को समय दिया जाये।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : बहुत अच्छा सुझाव है।

श्री कमल चौधरी : और मतदान बिजली की मशीनों द्वारा किया जाये जिससे प्रशासन सुरक्षा इत्यादि की बहुत सी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी।

मैंने अपना प्रचार-अभियान पहले स्कूटर से शुरू किया था। जब मुझ पर बहुत अधिक दबाव पड़ा, मुझे अपना प्रचार-अभियान अपनी कार द्वारा शुरू करना पड़ा। मैंने नौ निर्वाचन क्षेत्रों में आठ वाहनों द्वारा प्रचार किया और अन्त के दो दिनों में तो अधिकतम 25 से 26 वाहनों की आवश्यकता पड़ी थी।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : सबका विवरण मत दीजिए; यह अपने विरुद्ध होगा।

श्री कमल चौधरी : मैं यह इस वजह, से कह रहा हूँ कि वाहनो की संख्या -सीमा निश्चित की जानी चाहिए। (व्यवधान)

संसदीय कार्य और पर्यटन मंत्री (श्री० एच० के० एल० भगत) : वाहनों की व्यवस्था उन्होंने नहीं की थी। इनकी व्यवस्था संगठन द्वारा की गई थी।

श्री० सी० जंगा रेड्डी : यह प्रकरण इलाहबाद उच्च न्यायालय के 1975 के निर्णय की याद दिलाता है।

श्री० कमल चौधरी : चुनाव व्यय की अधिकतम सीमा-निर्धारण के संबध में मैं सुझाव देना चाहता हूँ कि इसे और अधिक यथार्थवादी बनाने के लिए व्यय सीमा डेढ़ या दो गुनी बढ़ा दी जानी चाहिए। व्यय सीमा यथार्थवादि न होने के कारण ही लोग कुल व्यय के संबंध में, गलत सूचनायें देने को बाध्य हो जाते हैं। इसलिए इसे और अधिक यथार्थवादी बनाया जाना चाहिए।

मेरा अगला मुद्दा परिचय पत्रो के संबंध में है। देश के समस्त नागरिकों को परिचय पत्र प्रदान किये जाने चाहिए।

मैं यहां यह निवेदन करना चाहूंगा कि आयु सीमा 21 से 18 वर्ष न की जाये। 18 वर्ष से नीचे या इसके आस पास की आयु-समूह के लोग अति संवेदनशील होते हैं। नवयुवकों के गलत मार्ग पर जाने और गुमेराह हो जाने की संभावना है।

सभी राजनीतिक दलो द्वारा एक आचार संहिता तैयार की गयी थी। दुर्भाग्य से इसे अधिनियम का रूप नहीं दिया गया। मैं सुझाव देना चाहूंगा कि किसी भी उम्मीदवार की राज-

[श्री कमल चौधरी]

नैतिक या चारित्रिक हनन नहीं किया जाना चाहिए तथा उम्मीदवारों पर वैयक्तिक रूपसे आक्रमण नहीं किए जाने चाहिए। ऊपर कही गई बातो को आचार-संहिता मे शामिल किया जाना चाहिए और इसे कानून का रूप दिया जाना चाहिए।

हमें आजादी मिले 38 साल हो गए है अब अवसर आ गया है जबकि हम साम्प्रदायिक दलों से मुक्त हो; केवल यही चीज साम्प्रदायिक तनावों को रोक सकती है, जो हमारे देश में शनैः शनैः घर कर रही है।

मैं सुझाव देना चाहूंगा कि उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता निर्धारित की जानी चाहिए। यह याती मैट्रीकुलेशन या इण्टरमोडिएट होनी चाहिए और इसे जब जरूरत हो बढ़ा दिया जाना चाहिए।

(व्यवधान)

जमानत के संबद्ध में मैं एक सुझाव देना चाहूँगा। मैं ऐसे उम्मीदवारों से मिल चुका हूं जिन्होंने अपने नामांकन पत्र इस आशय से भरे हैं जिससे कि वे मार्ग रक्षी के रूप में दो बन्दूकधारी प्राप्त कर सके अथवा एक गाड़ी मिल सके अथवा बन्दूक ले जाने के लिए लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकें क्योंकि इससे उन्हें बन्दूक ले जाने की आज्ञा नहीं थी। ये गम्भीर उम्मीदवार नहीं हैं और इनकी संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। लोक-सभा के लिए यह सीमा 25000/-रुपये हो। विधान-सभा के मामले में यह 10,000/-रुपये हो। लोक सभा तथा विधान सभा के मामले में इसे दुगना कर क्रमशः 50,000 रुपये तथा 20,000 रुपये किया जा सकता है। यदि एक उम्मीदवार कुल वोटों का 1/6 भाग भी प्राप्त नहीं कर सकता तो मैं नहीं समझता कि उसे नामांकन-पत्र दाखिल करने की अनुमति प्रदान की जानी चाहिए।

ग्रीष्म-काल में मतदान का समय बढ़ाकर 12 घण्टे कर दिया जाना चाहिए तथा शीतकाल में 10 घण्टे या अधिक। मैंने उन लोगों को देखा है जिन्हें मत-दान करने के लिए लम्बी दूरी तय करनी पड़ती है और कभी-कभी निर्धारित समय मे मत-दान करना भी उनके लिए संभव नहीं हो पाता। अतः मत-दान का समय दो घण्टे बढ़ाकर 5 या 6 बजे तक कर दिया जाना चाहिए। नामांकन पत्र तुच्छ आधार पर अस्वीकृत नहीं किये जाने चाहिए तथा जिला मजिस्ट्रेट इस संबद्ध मैं अंतिम प्राधिकारी हो तथा उसे उच्चतम न्यायालय तक में भी चुनौती न दी जा सके। मत दान सूचियों की प्रतियां कम से कम मूल्य पर उम्मीदवारों को उपलब्ध कराई जानी चाहिए, क्योंकि अधिकांश उम्मीदवारों को उन्हें साइक्लोस्टाइम या पुनः टाइप कराना पड़ता है। यह उम्मीदवारों की आवश्यकता के अनुरूप उपलब्ध करायी जानी चाहिए। पुलिस की व्यवस्था निर्वाचन आयुक्त के लिए की जानी लाहिए जिससे उम्मीदबार अपनी सीमाओं का अतिक्रमण न कर सके तथा पुलिस का वैयक्तिक लाभ के लिए प्रयोगन कर सके।

अतिम बात यह है कि चूंकि जनता लोक-सभा या विधान सभा के लिए उम्मीदवारों को चुनने का अधिक प्रयत्न करती है, इसलिए ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जिससे वह लोक सभा या

विधान सभा के पांच वर्ष के विघटन काल की प्रतीक्षा किए वगैर उन उम्मीदवारों को वापस बुला सकें जो जनता की आकांक्षाओं को पूरा नहीं करते।

इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

श्री एस० जयपाल रेड्डी (महबूबनगर) : सभापति महोदय, पहले मैं अपने साथी श्री डी० एन० रेड्डी को उनके उत्तम एवं संगत गैर-सरकारी प्रस्ताव पर बधाई देता हू। श्रीमन्, इस विषय पर वाद-विवाद के स्तर को दलीय स्तर से ऊपर उठाने की परमावश्यता है। यह, वास्तव में, गर्व का विषय है कि हम विकासशील होने के वावजूद, एक राष्ट्र के रूप में अपनी प्रजातांत्रिक-व्यवस्था को बनाए रखने में समर्थ हुए हैं।

आर्थिक स्तर पर अनेक बड़ी असफलताओं के बावजूद हमारा प्रजातन्त्र न केवल जीवित है, बल्कि, मैं कहूंगा, हमारी धरती पर इसकी जड़ें मजबूत हुई हैं। मैं उन लोगों में नहीं हू जो विश्वास करते हैं कि हमारे देश में चुनाव कदाचारों के कारण पूरी तरह से दूषित बना दिए गये हैं। प्रत्युतः हमें यह मानना होगा कि देश में चुनाव प्रक्रिया निरन्तर दूषित होती जा रही है। हम इस खतरे का, जो कि देश को प्रजातांत्रिक क्षितिज पर मडरा रहा है, सामना—के लिए प्रयत्न करना होगा। श्रीमान चुनाव सुधार एक अकादमीय मुद्दा नहीं है जिस पर संगोष्ठियों में विचार किया जाए। बल्कि त्वरित कार्यवाही करने के लिए एक ज्वलन्त समस्या है। श्रीमन्, चुनाव आयोग अपने प्रतिवेदनों में तीन प्रकार की शक्तियों अर्थात्, धन शक्ति, शारीरिक शक्ति तथा प्रचार माध्यम शक्ति द्वारा उत्पन्न खतरों की बात कर चुका है। चुनाव आयोग द्वारा ये संगत बातें पूर्ण उत्तरदायित्व से कही गई हैं।

सभापति महोदय : क्या सभा यह चाहती है कि इस संकल्प के लिए समय बढ़ा दिया जाए ?

श्री एच० के० एल० भगत : अभी कुछ और लोगों को बोलना है। इसलिए दो घंटे का समय और बढ़ा दिया जाये। मेरे विचार से अभी मन्त्री महोदय को भी बोलना है। यह एक महत्त्वपूर्ण विषय है। उस संकल्प के लिए दो घंटे का समय बढ़ा दिया जाये।

सभापति महोदय : क्या सभा इस संकल्प के लिए दो घण्टे का समय बढ़ाना चाहती है ?

श्री एस० जयपाल रेड्डी : जी, नहीं।

श्री सी० जंगा रेड्डी : जी, नहीं।

श्री ए० चार्ल्स (त्रिवेन्द्रम) : जी हां। हम इस महत्त्वपूर्ण मामले पर बोलना चाहते हैं। **(व्यवधान)**

सभापति महोदय : कृपया बैठ जाइये। कृपया आप सब अपने-अपने स्थान पर बैठ जायें।

नियमानुसार जब तक चर्चा समाप्त नहीं हो जाती तब तक मैं दूसरा संकल्प रखने की अनुमति नहीं दे सकता हूं। अब प्रश्न यह है कि क्या इस संकल्प के लिए सभा का समय दो घंटे के लिए बढ़ाया जाये, यदि आप चाहें तो···(व्यवधान)

श्री जी० एम० बनातवाला (पोन्नानी) : मुझे एक सुझाव देना है।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : उन्हें इस क्षेत्र में व्यापक अनुभव है।

श्री जी० एम० बनातवाला : मेरा सुझाव है कि समय तो बढ़ा दिया जाये किन्तु अगले संकल्प की प्राथमिकता बरकरार रखी जाए। (**व्यवधान**)

सभापति महोदय : मैं ऐसा नहीं कर सकता हूं। कृपया शांत रहें। जब तक सभा का नियम निलम्बित नहीं होता, तब तक मैं ऐसा नहीं कर सकता हूं।

(**व्यवधान**)

सभापति महोदय : हमें सभा के नियमों का पालन करना चाहिये।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : मेरा एक अनुरोध है। जिस समय इस संकल्प पर चर्चा की जा रही थी, तब हमारे मन्त्री महोदय तथा सत्तारूढ़ दल के सदस्य इस बात के लिए अति इच्छुक थे कि इस संकल्प पर चर्चा उसी दिन समाप्त कर दी जाये। किन्तु, अचानक अब उन्होंने एक नई इच्छा व्यक्त की है···(**व्यवधान**) आपने इसे पूरा करने की अनुमति नहीं दी है। इस संकल्प के बारे में अब उन्होंने एक नई इच्छा व्यक्त की है। (**व्यवधान**)। अब वे अगले संकल्प को नहीं लेना चाहते हैं। (**व्यवधान**)

सभापति महोदय : इसे कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

(**व्यवधान**)**

सभापति महोदय : सभा की सहमति से समय बढ़ा दिया गया है। अब पीछे हटने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(**व्यवधान**)**

श्री एस० जयपाल रेड्डी : ऐसी स्थिति में सभा ही नियम को निलम्बित कर सकती है। आप उस संकल्प की रक्षा कर सकते हैं।

(**व्यवधान**)

** कार्यवाही-वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

सभापति महोदय : मैं इस सभा की सहमति लूंगा। सभा चाहे तो इसे नामन्जूर कर दे अथवा चाहे तो स्वीकृति दे दे।

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : और भी अनेक तरीके हैं जिनके माध्यम से आप इस मामले को उठा सकते हैं।

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : यह बहुत ही महत्त्वपूर्ण विषय है। हम इस विषय पर बोलना चाहते हैं। (व्यवधान)

सभापति महोदय : क्या सभा चाहती है कि इस संकल्प के लिए दो घंटे का समय बढ़ा दिया जाये ? जो पक्ष में हैं वे 'हां' कहें जो विरोध में हैं वे 'न' कहें।

श्री ए० चार्ल्स : 'हां'।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : 'न'।

श्री सी० जंगा रेड्डी : 'न'।

कुछ माननीय सदस्य : 'हां'।

सभापति महोदय : मेरे विचार में निर्णय हां वालों के पक्ष में हुआ।

श्री सी० जंगा रेड्डी : हम मत विभाजन चाहते हैं।

सभापति महोदय : विभाजन के लिए घंटी बजाई जाये।

अब दीर्घायें खाली करा दी गई हैं।

अब मैं सभा में मतदान के लिए मामला रखता हूं।

विज्ञान और प्रौद्योगिक मन्त्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रानिकी और अतिरिक्त विभागों में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : संकल्प पर चर्चा करने के लिए हम सभा की अनुमति बिल्कुल भी नहीं लेते हैं। संकल्प सभा के समक्ष है। माननीय सदस्य बोल रहे हैं।

सभापति महोदय : मुद्दा क्या है ?

श्री शिवराज वी० पाटिल : मेरा मुद्दा यह है कि क्या हम सभा का समय बढ़ाने की चेष्टा कर रहे हैं ?

सभापति महोदय : अब कोई भाषण नहीं होगा। मैं इसे सभा में मतदान के लिए रख रहा हूं।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि चुनाव सुधारों के बारे में श्री डी० एन० रेड्डी द्वारा पेश किये गये संकल्प के लिए आवंटित समय को दो घंटे के लिये बढ़ाया जाये।"

लोक सभा में मत-विभाजन हुआ।

सभापति महोदय : शुद्धि के अध्यधीन मत विभाजन का परिणाम इस प्रकार है :

पक्ष में 37, विपक्ष में 6 चूंकि सदन में गणपूर्ति नहीं है, इसलिए सभा मंगलवार, 15 अप्रैल, 1986 के 11 म० पू० तक के लिए स्थगित होती है।

5.43 म० प०

तत्पश्चात् लोक सभा मंगलवार, 15 अप्रैल, 1986/25 चैत्र 1908 (शक) के 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

प्रबन्धक—सनलाईट प्रैस, दिल्ली-6